गुरूवार, 5 मार्च 1981

14 फाल्गुन 1902 (शक)

# लोक सभा वाद-विवाद
# का
# हिन्दी संस्करण

पाँचवा सत्र

सत्यमेव जयते

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

# विषय-सूची

**अंक 14, गुरूवार, 5 मार्च, 1981/14 फाल्गुन, 1902 (शक)**


| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर | 1—21 |
| *तारांकित प्रश्न संख्या : 227 से 23 और 234 | |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर | 22—182 |
| तारांकित प्रश्न संख्या : 233, 235 से 246 और 165 | |
| अतारांकित प्रश्न संख्या : 2201 से 2350 और 2361 से 2400 | |
| विशेषाधिकार आदि के प्रश्न के बारे में | 183—186 |
| सभा पटल पर रखे गये पत्र | 186—189 |
| वित्त मन्त्री द्वारा दी गई कुछ जानकारी के बारे में निदेश 115 के अधीन सदस्य द्वारा वक्तव्य | 190—192 |
| प्रो० मधु दण्डवते | 190 |
| अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1980-81—प्रस्तुत की गई | 192 |
| अनुदानों की अतिरिक्त मांगें (सामान्य) 1977-78—प्रस्तुत की गई | 192 |
| अनुदानों की अतिरिक्त मांगें (सामान्य) 1978-79—प्रस्तुत की गई | 192—193 |
| नियम 377 के अधीन मामले | 193—198 |
| (एक) मध्य प्रदेश में जावरा और महेन्द्रपुर रोड स्थित चीनी फैक्टरियों द्वारा किसानों को बकाया राशि का भुगतान श्री सत्य नारायण जटिया | 193 |


* किसी नाम पर अंकित यह चिह्न † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

(दो) पश्चिम बंगाल में डाक सामग्री का अभाव
श्री सत्य गोपाल मिश्र 193

(तीन) महाराष्ट्र के पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों की स्थापना की आवश्यकता
श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी 194

(चार) बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए उड़ीसा को सीमेंट के अतिरिक्त आवंटन की आवश्यकता
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही 194

(पांच) पटना शहर में पीने के पानी की समस्या
श्री रामावतार शास्त्री 194

(छः) पालेकर पंचाट को लागू करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता
श्री अशोक गहलोत 195

(सात) बुहानपुर के बुनकरों को उनके शक्तिचालित करघों के लिए कर-चिह्न परमिट जारी करना
श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर 196

(आठ) राजस्थान के सागवाड़ा कस्बे में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करने का शीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता
श्री भीखा भाई 196

(नौ) आगरा में रक्षा शस्त्रास्त्रों की कथित बरामदगी
श्री राजेश कुमार सिंह 196

(दस) दिल्ली में जूनियर डाक्टरों की हड़ताल को टालने के उपायों की आवश्यकता
श्री राम विलास पासवान 196

(ग्यारह) श्री तजाई एम० करुणानिधि, संसद सदस्य की हाल की गिरफ्तारी के बाद जेल में उनके साथ किया गया व्यवहार
श्री के० मायातेवर 197

(बारह) कटिहार जूट मिल्स के कर्मचारियों द्वारा कथित आंदोलन
श्री हरिकेश बहादुर 198

रेल बजट 1981-82—सामान्य चर्चा 198—213

श्री केदार पांडे 198

जीवन बीमा निगम (संशोधन) अध्यादेश, 1981 के बारे में सांविधिक संकल्प तथा जीवन बीमा निगम (संशोधन) विधेयक 213—268

श्री इन्द्रजीत गुप्त 223

श्री आर० वेंकटरामन 223

श्री सुनील मैत्रा 228

श्री मूल चन्द डागा 235

श्री जार्ज फर्नाण्डीस 241

श्री मधु दंडवते 245

श्री जेवियर अराक्कल 249

श्री हरिकेश बहादुर 250

श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर 251

श्री चित्त बसु 256

श्री सी० टी० दंडपाणि 260

सभा पटल पर रखे गये पत्र 268

गुजरात में कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के बारे में चर्चा 269—344

श्री रतनसिंह राजदा 269

श्री मोहन लाल सुखाड़िया 275

श्री सोमनाथ चटर्जी 278

श्री उत्तम भाई एच० पटेल 289

श्री राम विलास पासवान 290

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत 297

श्री सी० टी० दंडपाणि 301

श्री जयदीप सिंह 304

श्री सूरज भान 308

श्री राम स्वरूप राम 315
श्री जगजीवन राम 318
श्री झारखंडे राय 323
प्रो० मधु दंडवते 325
श्री मनीराम बागड़ी 326
श्री चित्त बसु 329
श्री आर० एन० राकेश 330
श्री हीरालाल आर० परमार 332
श्री योगेन्द्र मकवाना 333
श्री जैल सिंह 334

# लोक सभा

गुरुवार, 5 मार्च, 1981/14 फाल्गुन, 1902 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

**श्री मनीराम बागड़ी** : अध्यक्ष जी, पहले आपोज़ीशन वालों को नमस्कार करना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : आपको दो बार कर लेते हैं।

**श्री अटल बिहारी बाजपेयी** : अध्यक्ष महोदय, तुलसीदास जी ने कहा है कि पहले उधर ही कीजिए। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आप दोनों की राय मान लेता हूं।

क्वेस्चन्स श्री रामावतार शास्त्री।

**श्री मनीराम बागड़ी** : **

**अध्यक्ष महोदय** : अनुमति नहीं दी गई है। इसे कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जाये। (व्यवधान)**

### रेल कर्मचारी (अनुशासन और अपील) नियम, 1968

*227 **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल कर्मचारी (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1968 की धारा 14 (दो) के अधीन किसी भी रेल कर्मचारियों को सेवा से बरखास्त किया जा सकता है,

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त नियमों के उपबंधों के अधीन विभिन्न रेल विभागों में मजदूर संघ कार्यकर्ताओं को सेवा से बरखास्त किया गया है,

** कार्यवाही वृतांत में शामिल नहींकिया गया।

(ग) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान बरखास्त किए गए व्यक्तियों की जोन-वार संख्या कितनी है, और

(घ) उनकी बरखास्तगी के आधार क्या हैं ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

**विवरण**

(क) और (ख) : रेल कर्मचारी (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 के नियम 14 (II) के अन्तर्गत ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं सहित सभी रेल कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इस नियम में यह व्यवस्था है कि जहां कहीं अनुशासनिक प्राधिकारी लिखित में कारण बताकर इस बात से संतुष्ट हो कि इन नियमों में दी गई व्यवस्था के अनुरूप कोई जांच करना उपयुक्त रूप से व्यावहारिक नहीं है, वहां वह मामले की परिस्थितियों पर विचार कर सकता है और जो वह ठीक समझे आदेश दे सकता है किन्तु इस नियम के अन्तर्गत किसी मामले में आदेश देने से पूर्व संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना, जहां ऐसा परामर्श करना आवश्यक हो, अपेक्षित है। अन्य बातों के साथ-साथ इस नियम में भारी या मामूली दंड दिये जाने की व्यवस्था है। भारी दंड में से एक दंड सेवा से हटाना/बरखास्त करना भी है।

(ग) और (घ) : रेलों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

**श्री रामावतार शास्त्री** : अध्यक्ष महोदय, सवाल पूछने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। आप पूरे सवाल और जवाब को पढ़िये। चूंकि ज्यादा समय लगेगा, इसलिए मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : आप सवाल करें।

**श्री रामावतार शास्त्री** : मंत्री महोदय ने आधे सवाल का जवाव दिया है और जिस बात से सरकार की मजदूर-विरोधी नीति का पर्दा फाश होना है, वह उन्होंने नहीं बताई है। (ग) और (घ) के उत्तर में बताया गया है कि "रेलों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।" मैंने पूछा था कि कितने रेल एम्पलाईज के खिलाफ कार्यवाही की गई है। यह सवाल मैंने 21 दिन पहले भेजा था।

**अध्यक्ष महोदय** : सारे भारत से सूचना इकट्ठी करनी पड़ती है। इसको छिपाया तो नहीं जा सकता है। उसको लाना तो पड़ेगा।

**श्री रामावतार शास्त्री** : उन्होंने पूरा जवाव नहीं विया है। उन्हें पूरा जवाव देना चाहिए था। मुझे मालूम है कि उनके पास सूचना है, लेकिन वह अभी बताना नहीं चाहते हैं।

14 (दो) के तहत रेल कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। क्या यह सच है कि इस कानून को अंग्रेजों ने देश-द्रोह को दबाने के नाम पर बनाया था। उस समय रेल मजदूर देश का काम करते थे। क्या यह कानून उनको दबाने के लिए उसी समय बनाया गया था, ताकि वे स्वतंत्रता-संग्राम में भाग न लें, जिसको सरकार ने आज तक लागू किया हुआ है ? इस कानून को आज स्वतंत्र भारत में कायम रखने का क्या औचित्य है ?

**श्री मल्लिकार्जुन** : माननीय सदस्य का यह विचार गलत है। रेल कर्मचारी (अनुशासन तथा अपील) नियम 1968 के बने हुए हैं। इसका कोई सम्बन्ध अंग्रेजों से नहीं हैं। अंग्रेजों के जमाने में रेलवेज जरूर स्थापित हुई थीं लेकिन इन नियमों से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है।

**श्री रामावतार शास्त्री** : आप अंग्रेजों के पद चिन्हों पर जरूर चलिए लेकिन यहां पर जवाब तो कम से कम ठीक दीजिए।

**रेल मंत्री (श्री केदार पांडे)** : यह रूल्स इंडियन कांस्टीट्यूशन के आर्टिकिल 311 के अंतर्गत 1968 में बनाए गए थे इसलिए अंग्रेजों का इससे कोई सरोकार नहीं है।

**श्री रामावतार शास्त्री** : मैंने बहुत सफाई से पूछा था कि अंग्रेजों के जमाने में यह कानून था या नहीं ? अनुशासन के नाम पर उसी व्यवस्था को आप आगे चला रहे हैं या नहीं —यह मैं जानना चाहता हूं ?

**श्री केदार पांडे** : पहले भी यहां पर यह बात कही जा चुकी है कि इण्डियन रेलवेज ऐक्ट 1890 का बना हुआ है। बहुत से रेल मंत्री बने हैं उन्होंने उसमें कहीं-कहीं सुधार भी किए हैं लेकिन मैंने पहले ही घोषणा की है कि हम उसमें आमूल परिवर्तन करना चाहते हैं जिसके लिए हमें थोड़ा समय चाहिए।

**श्री रामावतार शास्त्री** : इस परिवर्तन में 14 (2) भी शामिल है या नहीं ?

**श्री केदार पांडे** : मैंने आपको बताया कि यह तो इण्डियन कांस्टीट्यूशन के आर्टिकिल 311 के अन्तर्गत बना है और इसका अंग्रेजों से कोई सरोकार नहीं है।

**श्री रामावतार शास्त्री** : मैं दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं।

क्या मंत्री जी के पास जानकारी है कि लोको रनिंग स्टाफ, जिन्होंने हड़ताल नहीं की थी, केवल मास कैजुअल लीव ली थी, अपने आन्दोलन के सिलसिले में, उनमें से कितने लोगों के खिलाफ आपने नियम 14 (2) का इस्तेमाल किया और उसको इस्तेमाल करने का क्या औचित्य था ? आपने अपने जवाब में कहा है "····किन्तु इस नियम के अन्तर्गत किसी मामले में आदेश देने से पूर्व संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना, जहां ऐसा परामर्श करना आवश्यक हो, अपेक्षित है···" मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने लोगों के खिलाफ आपने कार्यवाही की और क्या उनके ऊपर कार्यवाही करने से पहले संघ लोक सेवा आयोग की इजाजत ली ?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ)** : यह सवाल ही पैदा नहीं

होता है। हम पहले ही यह कह चुके हैं कि सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे सदन के सभा पटल पर रखा जायेगा।

**श्री रामावतार शास्त्री** : क्या ये इस बात से इन्कार कर रहे हैं कि इन्होंने कोई कार्यवाही की--यह मैं जानना चाहूंगा। (**व्यवधान**) मैं यह पूछता हूं कि आप ने 14 (2) के अनुसार किसी भी मजदूर के खिलाफ कोई कार्यवाही की है ? अगर की है तो उसके बारे में संघ लोक सेवा आयोग से आपने इजाजत ली है या नहीं ?

**श्री सी० के० जाफर शरीफ** : इसमें जो संघ लोक सेवा आयोग से इजाजत लेना या कंसल्ट करना है, उसमें जहां जरूरी है वहां करते हैं, जहां जरूरी नहीं है वहां नहीं करते हैं। इस सवाल में यह पैदा ही नहीं होता।

**श्री केदार पांडेय** : मैं बताता हूं। इसमें जहां क्लास वन आफिसर्स की बात है अगरी 14(2) लागू करना चाहते हैं तो उसमें कंसल्ट करने की बात आती है लेकिन जहां क्लास वन क बात नहीं है, जो दूसरे तरह के आफिसर्स हैं उनमें कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है।

**कुछ माननीय सदस्य** : खड़े हुए।

**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न पर अब और अधिक पूरक प्रश्न नहीं। इसीलिए मैं हमेशा सदस्यों से यह अपील करता हूं कि वे अपने प्रश्नों को संक्षेप में पूछें ताकि हम चार या पांच पूरक प्रश्न पर भी विचार कर सकते हैं। कम से कम चार पूरक प्रश्न होने चाहिए।

अगला प्रश्न।

## भारत-नेपाल सीमा

*228. **श्री बी० बी० देसाई**<br>**श्री आर० एन० राकेश** } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल तथा भारत के बीच सीमा के वैज्ञानिक रेखांकन के लिए नेपाल के कथित अभिकथन से भारत सरकार आश्चर्यचकित हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सीमा के संबंध में अभी हाल ही में हुई बातचीत के दौरान यह बात उठाई गई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत ने यह रुख अपनाया है कि नेपाल के साथ सीमा का पूर्ण तथा अन्तिम रूप से निर्धारण हो चुका है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव)** : (क) और (ख) : जी नहीं, क्योंकि नेपाल सरकार ने ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया है।

(ग) और (घ): प्रश्न नहीं उठता।

**श्री बी० वी० देसाई :** मैं आपके जरिये विदेश मंत्री का ध्यान 'हिन्दुस्तान टाइम्स', दिनांक 9 फरवरी, 1981 में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि सीमा संबंधी वार्ता चल रही है और वे वैज्ञानिक ढंग से पुनः सीमा निर्धारण की मांग कर रहे हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि दो या तीन मुद्दों पर मतभेद है।

**श्री पी० वी० नर्रासिह राव :** मैंने वह समाचार देखा है। नेपाल सरकार ने भारत और नेपाल के बीच वैज्ञानिक ढंग से सीमा का पुनः निर्धारण करने के बारे में हाल ही में कोई अनुरोध नहीं किया है। तथापि भारत और नेपाल दोनों ने ही सत्यापन और गुम हो गये तथा टूट गये 'स्तम्भों' को फिर से लगाने और भारत-नेपाल सीमा के साथ-साथ अनाधिकारपूर्ण कब्जे को समाप्त करने से संबंधित लगातार जारी रहने वाले कामों को समन्वित करने और उनकी देख-रेख के लिए तकनीकी स्तर पर एक संयुक्त भारत-नेपाल सीमा सम्बन्धी समिति की स्थापना करना सिद्धान्त रूप में दिसम्बर, 1980 में स्वीकार कर लिया था। यह एक बिल्कुल अलग बात है और इसका अत्यन्त सीमित उद्देश्य है। केवल इसी उद्देश्य के लिए और वह भी तकनीकी स्तर पर समिति गठित किये जाने की सहमति दी गई है।

**श्री बी० वी० देसाई :** यह मेरा पहला प्रश्न है क्योंकि मंत्री ने मेरी बात बीच में ही काट दी थी।

विदेश मंत्री बहुत योग्य हैं और उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है लेकिन चाहे इसे तकनीकी त्रुटि कहा जाये या तकनीकी पुनर्निर्धारण, मतभेद तो है ही यही दावा किया गया है और सीमा वार्ता चल रही है। यह समाचार और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जब हमें यह पता चलता है कि नेपाली विदेश मंत्रालय के किसी विशेषज्ञ ने लन्दन का भ्रमण किया, जहां उसने कुछ पुराने नक्शे वगैरह देखे और इसकी पृष्ठभूमि में वही कारण है। इस बात को देखते हुए क्या मैं विशेष रूप से यह जान सकता हूं कि क्या कोई तकनीकी या किसी अन्य प्रकार का सीमा विवाद है और उस पर वार्ता चल रही है। यदि हां, तो किस प्रकार का ?

**श्री पी० वी० नर्रासिह राव :** मैं वस्तुतः वार्ता के उस रिकार्ड में से उद्धरण दे रहा हूं जिसमें यह स्पष्टतः बताया गया है कि दोनों पक्ष इस बात को मानते हैं कि सीमा के बारे में दोनों देशों के बीच कोई मतभेद नहीं है।

**श्री बी० वी० देसाई :** तो किसी भी प्रकार की वार्ता क्यों हो रही है ?

**श्री पी० वी० नर्रासिह राव :** मैं पहले ही यह निवेदन कर चुका हूं कि सीमा के सम्बन्ध में कोई मतभेद न होने पर भी ऐसा हो सकता है कि कुछ खम्भे टूट गये हों, या हमें खम्भों को फिर से लगाना हो, या हमें अनधिकृत अधिकार को समाप्त करना हो आदि और इस समिति के गठन के वास्तविक उद्देश्य क्या थे, उन्हें मैं पहले ही रिकार्ड में से पढ़कर सुना चुका हूं और मैं यह भी बता दूं :

"नेपाली पक्ष ने बताया कि पुराने नक्शों को अद्यतन करने वैज्ञानिक तरीकों के आधार और सीमा निर्धारित करने वाले खम्भों का पर ब्यौरा तैयार करने की आवश्यकता हो सकती है। भारत के महासर्वेक्षक ने यह उल्लेख किया कि भारत की ओर से नक्शों को अद्यतन कर लिया गया है जो पहले ही आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों पर आधारित हैं। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हो गये कि इस पर विदेश कार्यालय स्तर पर विचार करने की आवश्यकता है।"

यह एक समिति उद्देश्य है। सीमा पुनर्निर्धारण का कोई प्रश्न ही नहीं है। हमारा निर्णय उस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है।

**श्री बी० वी० देसाई :** वस्तुतः यदि कोई विवाद है या खम्भों के बारे में या उनकी मरम्मत के बारे में या खम्भों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के बारे में कोई वार्ता चल रही है तो व्यवहारिक रूप से वह सीमा का ही प्रश्न है। मंत्री महोदय हमें वास्तव में क्या बता रहे हैं ? (**व्यवधान**) जब मूलतः यह मान लिया गया है कि सीमा संबंधी कोई विवाद नहीं है तो बात-चीत करने का कोई कारण ही नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय :** वह बात यह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं।

**श्री पी० वी० नर्रासिह राव :** मैं यह बात अच्छी तरह स्पष्ट कर चुका हूं। ऐसा कोई विवाद नहीं है। 'विवाद' एक तकनीकी शब्द है। उस अर्थ में ऐसा कोई विवाद नहीं है। भारत का दृष्टिकोण हमेशा यही रहा है कि भारत और नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण पूरी तरह स्पष्टतः और अन्तिम रूप से हो चुका है और इस बारे में कोई विवाद नहीं है। दूसरे पक्ष ने भी यह मान लिया है लेकिन सीमा पर अंकित किये गये कुछ चिन्ह, कुछ खम्भे आदि नष्ट हो गये हों या उनकी मरम्मत की आवश्यकता हो तो यह सम्भव है कि मरम्मत संबंधी और अन्य ऐसी बातें उत्पन्न हों।

**श्री आर० एन० राकेश :** अध्यक्ष जी, नेपाल योजना आयोग का कहना है कि पुलिस सीमा के कारण नेपाल को औद्योगिक प्रगति में क्षति पहुंची है—ऐसा कह कर क्या नेपाल योजना आयोग ने भारत नेपाल पुलिस सीमा के संबंध में कोई कठोर रूप लिया है ? क्या समाचार पत्रों में प्रकाशित नेपाल योजना आयोग के इस कथन का भारत सरकार ने औपचारिक विरोध किया है ?

**श्री पी० वी० नर्रासिह राव :** जहां तक मुझे स्मरण है नेपाल की तरफ से ऐसी कोई बात उठाई नहीं गई, बल्कि खुली सीमा का फायदा उनको पहुंच रहा है। इस क्षण में यह बतलाने की स्थिति में नहीं हूं कि ऐसी कोई आपत्ति उठाई गई हो, लेकिन मैं इस चीज की जांच करके आपको बता सकता हूं। जहां तक मुझे स्मरण है, मैं अपने स्मरण से कह रहा हूं कि ऐसी कोई आपत्ति उनकी तरफ से नहीं उठाई गई है।

**श्री झारखण्डे राय :** अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अंग्रेजों

के जमाने में नेपाल और भारत की जो सीमा थी, आजादी के बाद उस सीमा में भारत और नेपाल के बीच में कहीं-कहीं कुछ एडजैस्टमेंट हुआ, अगर हुआ था, तो वह किन जगहों पर और किस तरह का था ?

**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न आप अलग सवाल देकर पूछिएगा ।

**पासपोर्ट जारी करने के नए नियम**

*229. **श्री जी० एम० बनातवाला :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्प्रवास सम्बन्धी जांच किये जाने के बाद ही पासपोर्ट जारी करने सम्बन्धी कोई नियम बनाए गए हैं अथवा अनुदेश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे नियम/अनुदेश जारी किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) उक्त नियमों/अनुदेशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विदेशों को जाते समय उत्प्रवास सम्बन्धी जांच समाप्त करवाने में लोगों को कठिनाई और असुविधा का सामना करना पड़ता है और इस प्रक्रिया में काफी गुंजाइश है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र ही ऐसे नियमों/अनुदेशों को रद्द करेगी ?

**विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) :** (क) जी हां । पहली नवम्बर, 1980 से उत्प्रवासन जांच की एक नई प्रणाली लागू की गई है।

(ख) 1977-78 में हवाई अड्डों पर विदेश जाने वाले भारतीयों की जांच करने की एक प्रणाली चालू की गई थी जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि भारतीय उत्प्रवास अधिनियम की अपेक्षाओं का उल्लंघन न हो और जो व्यक्ति इस अधिनियम के दायरे में आते हों वे उत्प्रवास की अनुमति प्राप्त करने के बाद ही रोजगार के लिए बिदेश जाएं । लेकिन हवाई कम्पनियों और यात्री दोनों इन जांचों को कष्टदायक समझते थे । इस परेशानी से बचने के लिए जांच की नई प्रणाली लागू की गई थी ।

(ग) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(घ) प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार हवाई कम्पनियों ने तथा आम जनता ने नई प्रणाली का स्वागत किया है । सरकार उत्प्रवासन जांच सम्बन्धी अपेक्षा स्थगित किये जाने की अनुमति प्रदान करने के लिए कर्मचारियों में पाए जाने वाले भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक है और इसके प्रति चौकस है ।

(ङ) इस प्रणाली को समाप्त किये जाने के लिए इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

विवरण

1 नवम्बर, 1980 से लागू की गई उत्प्रवासन जांच की नई प्रणाली पर एक नोट

(1) 1977-78 में हवाई अड्डों पर विदेश जाने वाले भारतीयों की जांच करने की एक प्रणाली चालू की गई थी जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि भारतीय उत्प्रवास अधिनियम की अपेक्षाओं का उल्लंघन न हो सके और जो व्यक्ति इस अधिनियम के दायरे में आते हों वे उत्प्रवास की अनुमति प्राप्त करने के बाद ही रोजगार के लिए विदेश जाएं। लेकिन हवाई कम्पनियों और यात्री दोनों इन जांचों को कष्टदायक समझते थे। इस परेशानी से बचने के लिए 1 नवम्बर, 1980 से एक नई जांच प्रणाली शुरू की गई है।

(2) इस नई प्रणाली के अधीन भारतीय राष्ट्रिकों के पासपोर्टों पर पासपोर्ट जारी करते समय ही यह पृष्ठांकित कर दिया जाता है, कि उस व्यक्ति को उत्प्रवासन अपेक्षाओं से छूट प्राप्त है। जो भारतीय आमतौर पर उत्प्रवासन अधिनियम के दायरे में आते हैं उनके पासपोर्ट पर इस आशय का पृष्ठांकन रहेगा कि विदेश रवाना होने से पहले पासपोर्ट-धारी व्यक्ति का उत्प्रवासन जांच की जाए। इस तरह के पासपोर्ट-धारी व्यक्तियों को रोजगार के लिए विदेश जाने से पहले उत्प्रवासी संरक्षक से उत्प्रवासन अनुमति प्राप्त करनी होगी। उत्प्रवासन अनुमति के लिए जाने के बाद उनके पासपोर्ट पर लिखा जाएगा कि उत्प्रवासन अनुमति दे दी गई है। जिन पासपोर्ट-धारी व्यक्तियों के पासपोर्ट पर यह लिखा हो कि उत्प्रवासन जांच की जानी है परन्तु जो रोजगार से इतर किसी अन्य प्रयोजन से विदेश जा रहे हों उन्हें अपने पासपोर्ट पर यह लिखाना होगा कि उस यात्रा विशेष के लिए उत्प्रवासन जांच अपेक्षाओं को स्थगित किया गया है।

(3) भारत में काम कर रही सभी हवाई कम्पनियों और जहाजरानी कम्पनियों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी यात्री को तब तक जहाज में न बैठने दें जब तक कि उसके पासपोर्ट पर निम्नलिखित में से कोई एक पृष्ठांकन न हो;

1. उत्प्रवासन अनुमति की आवश्यकता नहीं है;
2. उत्प्रवासन अनुमति दे दी गई है;
3. उत्प्रवासन अनुमति संबंधी अपेक्षा स्थगित कर दी गई है।

(4) जो पासपोर्ट नई प्रणाली शुरू होने से पहले जारी किए गए थे उन्हें उपयुक्त मोहर लगाने के लिए पासपोर्ट कार्यालय में प्रस्तुत करना पड़ेगा। हवाई कम्पनियों, जहाजी कम्पनियों और ट्रेवल एजेंसियों को यह कहा गया है कि जो लोग विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं उनके पासपोर्ट उपयुक्त पृष्ठांकन के लिए पासपोर्ट कार्यालयों में भिजवा दें अथवा यात्रियों को यह कहें कि वे सीधे पासपोर्ट कार्यालय से अपेक्षित

मोहर लगवा कर लाएं। इन पासपोर्ट धारियों को एक फार्म भरना होगा जिसमें ऐसी आवश्यक सूचना दी जाएगी कि जिससे उनका दर्जा निश्चित किया जा सके। यह प्रोफार्मा पासपोर्ट कार्यालयों, हवाई कम्पनियों और जहाजरानी कम्पनियों अथवा ट्रेवल एजेंसियों से प्राप्त हो सकेगा।

(5) पासपोर्ट कर्यालयों द्वारा यह सेवा निःशुल्क प्रदान की जाएगी और इस बात पर बल दिया जाएगा कि यह सेवा तत्परता से प्रदान की जाए और इससे अनुचित असुविधा का विलम्ब न हो। जो भारतीय पहले से ही विदेशों में रह रहे हैं उनकी सुविधा के लिए प्राधिकारियों को यह अनुदेश भी दे दिए गए हैं कि जो भारतीय राष्ट्रिक वापसी टिकट पर विदेश से भारत आएं या भारत से होकर गुजरें उन्हें पासपोर्ट पर विना किसी उत्प्रवासन पृष्ठांकन के बेरोक जाने दिया जाए।

**श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या मंत्री महोदय हमें यह बतायेंगे कि पृष्ठांकन के लिए पारपत्र प्रस्तुत किये जाने के बाद से अपेक्षित उत्प्रवासन अनुमति दिये जाने में कितना समय लगता है और क्या यह देखने के लिए भी कोई तंत्र है कि अपेक्षित पृष्ठांकन किसी भी प्रकार के विलम्ब के बिना दे दिया जाये ?

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** : अनुदेश तो ये हैं कि न्यूनतम आवश्यक समय लिया जाये और हमें असाधारण समय लिये जाने से संबंधित कोई समाचार या शिकायत नहीं मिली है। जैसा कि मैंने सदन में उस समय निवेदन किया था जब यह प्रश्न पिछले सूत्र में आया था, हमने यह प्रणाली विमान सेवाओं और जनता की शिकायतों को देखते हुए ही लागू की थी। किसी भी नये तरीके को अपनाने में खतरे तो होते ही हैं। हमने पूर्व अनुमानित जोखिम उठाया है और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि हमें अब तक प्रशंसा के पत्र ही प्राप्त हुए हैं जिनमें नई प्रणाली की प्रशंसा की गई है और कहा गया है कि इससे बहुत-सी कठिनाइयां दूर हो गई हैं। यदि इसके कारण कोई प्रतिकूल बात हुई है और वह माननीय सदस्य की जानकारी में है तो मैं उसे जानना चाहूंगा। लेकिन जहां तक मंत्रालय का संबंध है, न तो हमें इस प्रणाली के कार्यकरण के बारे में कोई शिकायत मिली है और न ही अनुमति दिए जाने में अधिक समय लगने के बारे में कोई शिकायत मिली है।

**श्री जी० एम० बनातवाला** : हम आपकी यह देखने की भावना की कद्र करते हैं कि अपेक्षित उत्प्रवासन अनुमति दिये जाने में कोई असुविधा न हो लेकिन यह नई प्रणाली जटिल बन गई है। तीन तरह के पृष्ठांकन होते हैं और मैं मंत्री महोदय को यह बता दूं कि यह मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि इन अपेक्षित पृष्ठांकनों के दिए जाने में बहुत पैसा बनाया जा रहा है। इसलिए, क्या सरकार यह जांच करने के लिए, कि क्या विभिन्न पारपत्र अधिकारियों द्वारा उपयुक्त पृष्ठांकन दिया जा रहा है, और सदाचार को रोकने के लिए एक उचित सतर्कता कक्ष बनाने के लिए आवश्यक कदम उठायेगी ? क्या कोई नमूना जांच या आकस्मिक जांच करना भी सम्भव है ?

**श्री पी वी नरसिंह राव** : मैं पहले ही यह बता चुका हूं कि सरकार इस बारे में सतर्क है।

यह सतर्कता कई रूपों में रखी जा सकती है। हम इसका इस्तेमाल कुछ अपने तरीकों से कर रहे हैं। यदि माननीय सदस्य कुछ और सुझाव दें तो हम निश्चय ही उन पर विचार करेंगे।

**श्री जेवियर अराकल** : हम सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की बहुत सराहना करते हैं। कोचीन और कालीकट के पारपत्र कार्यालयों में बहुत अधिक काम है। लेकिन कुछ निम्न श्रेणी और अपर श्रेणी लिपिकों को वहां से स्थानान्तरित किया जा रहा है। मैंने मंत्री महोदय को यह लिखा था कि उनका स्थानान्तरण करने का यह उचित समय नहीं है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस सुझाव पर विचार करें कि इस समय किसी भी तृतीय श्रेणी के कर्मचारी को या निम्न श्रेणी लिपिक को और अपर श्रेणी लिपिक को स्थानान्तरित न किया जाए क्योंकि यह वहां के काम के हित में नहीं है।

**श्री पी० वी० नर्रासिह राव** : मैं यह पहले ही बता चुका हूं और बहुत अधिक मामलों में मैंने माननीय सदस्यों को यह लिखा है कि यह बात किसी विशेष समय पर किसी कार्यालय के कार्य पर पूरी तरह निर्भर करती है। इस प्रश्न से संबंधित कारक केवल एक ही है और माननीय सदस्य भी इसे मानेंगे कि इस नई पृष्ठांकन प्रणाली में कई वर्षों का काम सन्निहित है और जो लोग पहले पारपत्र ले चुके हैं उन्हें जाकर अपने पारपत्रों पर पृष्ठांकन करवाना होगा। यदि एक बार बकाया का निपटान कर दिया गया तो यह सेवल अनुरक्षण कार्य हो जाता है न कि संचित कार्य।

**श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : अभी-अभी श्री बनातवाला ने बताया कि बहुत पैसा बनाया जा रहा है। मैं भी सहमत हूं, परन्तु यह संबंधित देशों के हित में है तथा बहुत से लोग विदेशों में जाकर काफी धन कमा रहे हैं। (**व्यवधान**) मंत्री महोदय ने कहा है कि बम्बई, मद्रास और हैदराबाद में काम अधिक है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय इतना उत्तम कार्य कर रहे कर्मचारियों को प्रशंसात्मक पत्र जारी करेंगे ? (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : यह ठीक है। श्री स्वामी। (**व्यवधान**)

**श्री पी० वी० नर्रासिह राव** : किए गए उपायों के समर्थन में यह जबर्दस्त उदाहरण है।

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : पूरे संसार में पासपोर्ट नियमों को उदार तथा आसान बनाया जा रहा है। वास्तव में, कुछ देशों में आप इसे डाक घर से प्राप्त कर सकते हैं। मैं मंत्री महोदय के उत्तर पर आश्चर्यचकित हूं··· (**व्यवधान**)। यदि आप देश छोड़ना चाहते हैं तो आपको पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। मैंने दो बार ऐसा प्रयास किया और दोनों बार सफल रहा। (**व्यवधान**)

**आचार्य भगवान देव** : मि० स्वामी जी ने जो बात कही, क्या यह कानून का उल्लंघन नहीं है ?

**अध्यक्ष महोदय** : आप लिख कर दें, तो पता चलेगा।

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : मैं माननीय मंत्री से यह सुनकर हैरान हूं कि उन्हें केवल समर्थन में ही उत्तर प्राप्त हुए हैं। पर मैंने कुछ इसके विपरीत सुना है। मैं मंत्री महोदय से जानना

चाहूंगा कि वे कौन सी एयरलाइन्स हैं जिन्होंने वर्तमान प्रणाली को समर्थन किया है, क्योंकि मेरी धारणा यह है कि उनमें से सभी इसके विरुद्ध हैं।

**श्री पी० बी० नरसिंह राव** : नहीं श्रीमान। लम्बी पंक्तियों के विरुद्ध तथा प्रस्थान के लिए पंक्तिवद्ध यात्रियों के परिपत्रों में उसी समय टिकट चिपकाने में लगने वाले काफी समय के विरुद्ध शिकायत करते हुए हमारे अपने नागर विमानन मंत्रालय में एक लिखित सिफारिश है। ऐसी स्थिति में कोई मनमानी किए जाने की सम्भावना बिलकुल नहीं है। हम इन परिस्थितियों में सफर कर चुके हैं और हमें इसका अनुभव हैं। फिर भी, जब किसी कार्यालय में पासपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है तो वहां कम-से-कम इस बात की जांच की सम्भावना रहती है कि किसी व्यक्ति विशेष को आप्रवास अधिनियम के अधीन किसी प्रकार की अनुमति लेने की आवश्यकता है या नहीं। अतः यह एक अतिरिक्त लाभ है। मेरी जानकारी में किसी भी एयरलाइन्स ने इस प्रक्रिया के विरुद्ध शिकायत नहीं की है क्योंकि एयरलाइन्स का इससे कोई संबंध नहीं है। नये नियमों के लागू किए जाने से हवाई कम्पनियां असम्बद्ध हो गई हैं। उन्हें केवल पासपोर्ट पर पृष्ठांकन देखना होता है है और यात्री को हवाई जहाज में प्रवेश को अनुमति देनी होती है। अतः इसमें किसी भी हवाई कम्पनी की कोई कठिनाई होने की सम्भावना नहीं है। इसके विपरीत उन्हें इससे सुविधा होती है यही वस्तुस्थिति है।

**दिल्ली के अस्पतालों के आपातकालीन वार्डों की क्षमता**

*230. **श्री भीकू राम जैन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री दिल्ली में अस्पतालों में आपातकालीन वार्डों की क्षमता के बारे में 18 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4369 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के अस्पतालों में प्रतिदिन औसतन 1415 आपातकालीन रोगी देखे जाते हैं जबकि आपातकालीन वार्डों में केवल 541 बिस्तरों की क्षमता उपलब्ध है; और

(ख) दुर्घटनाओं तथा अन्य आपातकालीन रोगियों की संख्या में प्रतिदिन होने वाली वृद्धि को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में अस्पताओं में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या ठोस कार्यवाही की है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) और (ख) एक **विवरण** सभा पटल पर रख दिया गया है।

**विवरण**

दिल्ली में आठ बड़े सरकारी अस्पतालों में रोजाना औसतन 1415 आपातस्थिति वाले रोगी देखे जाते हैं। सभी रोगियों का अस्पताल में भर्ती कर इलाज करने की आवश्यकता नहीं होती है और अपेक्षित उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी जाती है। आपातस्थिति वाले रोगी केवल दुर्घटनाओं से ही सम्बन्धित नहीं होते बल्कि उनमें अन्य रोगों वाले भी होते हैं। जिन रोगियों को अस्पताल में भर्ती कर इलाज की आवश्यकता होती है उन्हें या तो इमरजेंसी वार्डों में, जिनमें 541 पलंग हैं,

या किसी अन्य वार्ड में, जैसी स्थिति हो, समुचित स्थान दिया जाता है। अतः यह आवश्यक नहीं है कि इमरजेंसी वार्डों में पलंगों की संख्या इमरजेंसी रोगियों की संख्या के बराबर हो। फिर भी, अस्पतालों के पलंगों की संख्या की, जिनमें अत्यधिक सावधानी की जरूरत वाले रोगियों के पलंग भी शामिल हैं, लगातार समीक्षा की जाती रहती है और समय-समय पर उनकी संख्या में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार वृद्धि की जाती है।

**श्री भीखू राम जैन** : मंत्री महोदय ने अपने विवरण में बताया है कि अस्पतालों में रोजाना 1415 आपातस्थिति वाले रोगी देखे जाते हैं और 541 बिस्तर उपलब्ध हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपातस्थिति वाले रोगियों को देखने में अस्पताल अपना काम उचित ढंग से कर रहे हैं और क्या उनके विचार से आपातस्थिति वाले रोगियों तथा सामान्य रोगियों की हालत एक सी होती है या उन दोनों में कुछ भिन्नता होती है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद)** : शायद माननीय सदस्य ने सभा पटल पर रखे गए विवरण को नहीं पढ़ा है।

**श्री भीखू राम जैन** : मैंने इसे पढ़ा है और मैंने इस विवरण से केवल 'देखा' शब्द लिया है।

**श्री बी० शंकरानंद** : इस सभा के लाभ के लिए मैं इसे पढ़ूंगा :

"दिल्ली में आठ बड़े सरकारी अस्पतालों में रोजाना औसतन 1415 आपातस्थिति वाले रोगी देखे जाते हैं। सभी रोगियों का अस्पताल में भर्ती कर इलाज करने की आवश्यकता नहीं होती है और अपेक्षित उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी जाती है। आपातस्थिति वाले रोगी केवल दुर्घटनाओं से ही संबंधित नहीं होते बल्कि उनमें अन्य रोगों वाले रोगी भी होते हैं। जिन रोगियों को अस्पताल में भर्ती कर इलाज की आवश्यकता होती है उन्हें या तो इमरजेंसी वार्डों में, जिन में 541 पलंग हैं, या किसी अन्य वार्ड में, जैसी भी स्थिति हो, समुचित स्थान दिया जाता है। अतः यह आवश्यक नहीं है कि इमरजेंसी वार्डों में पलंगों की संख्या इमरजेंसी रोगियों की संख्या के बराबर हो।"

मैं नहीं समझता कि इनमें कोई गलत बात है।

**श्री भीखू राम जैन** : मेरा प्रश्न यह है कि आपातस्थिति वाले रोगी 'देखे' जाते हैं। जब 'आपातस्थिति' शब्द वहां है, तो रोगी आकस्मिक प्रकृति के होते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपातस्थिति वाले रोगियों को देखा जाता है और सामान्य वार्ड में भेज दिया जाता है या उनका तत्काल उपचार किया जाता है।

**श्री बी० शंकरानन्द** : शायद माननीय सदस्य का झगड़ा 'देखा' शब्द के साथ है। जब डाक्टर 'देखता है' तो वह उपचार के लिए ही देखता है।

**श्री भीखू राम जैन** : मैं आपका संरक्षण चाहूंगा, श्रीमान। जब वह यह स्वीकार करते हैं कि ये आपात स्थिति वाले रोगी हैं, 'तो देखता है' का प्रश्न ही नहीं उठता।

**श्री राम विलास पासवान** : अध्यक्ष महोदय आपको भी जानकारी होगी और मंत्री महोदय

ने भी जा कर देखा होगा कि अस्पतालों में एक-एक बेड पर तीन-तीन रोगियों को रखा जाता है, किसी को इधर से पानी चढ़ाया जाता है, किसी को उधर से पानी चढ़ाया जाता है। एक रोगी की पांच महीने पहले एमर्जेंसी वार्ड के पाखाने में मृत्यु हो गयी क्योंकि उस में लाइट नहीं थी और वह पाखाना जा रहा था। इंडियन मेडिकल इंस्टीच्यूट में कह दिया जाता है कि सीट नहीं है, रोगी मर रहा होता है लेकिन उसका वहां दाखिला नहीं होता है। इसमें कहीं-कहीं चार बजे के बाद खून के यंत्र नहीं दिये जाते। यह हालत आपके एमर्जेन्सी वार्ड की है। मेडिकल इंस्टीच्यूट जो कि पेट और हार्ट का अस्पताल है उसमें बेड का किराया है। यह आपकी एमर्जेन्सी वार्ड की व्यवस्था है कि वहां बेड ही नहीं मिलता। आप कहते हैं कि एमर्जेन्सी में इतने बेठ हैं।

दिल्ली में लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में एक एक्सीडेंट सेन्टर खोलने का प्रस्ताव था लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में उसे रद्दी की टोकरी में अब देखा जा रहा है। क्या सरकार को यह जानकारी है, क्या वहां सरकार कोई एक्सीडेंट सेन्टर खोलने पर विचार कर रही है? दूसरे शाहदरा में पापुलेशन बढ़ रही है, क्या वहां भी अस्पताल खोलने का प्रस्ताव है। वहां पर अस्पताल खोलने का प्रस्ताव था उस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

**श्री बी० शंकरानन्द** : महोदय, हम आपात स्थिति वाले रोगियों के लिए अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए हर संभव उपाय करते रहे हैं और यह तथ्य, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि अनेक रोगियों का उपचार एक साथ किया जाता है, दिखाता है कि इस समस्या पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

**श्री राम विलास पासवान** : हमने इर्विन अस्पताल में एक्सीडेंट सेन्टर खोलने के बारे में और शाहदरा में अस्पताल खोलने के संबंध में स्पेसिफिक क्वेश्चंस किये हैं और पूछा है कि इनके बारे में आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

**अध्यक्ष महोदय** : वे सीरियस कंसीड्रेशन की बात कर रहे हैं।

**श्री बी० शंकरानन्द** : हमने कोई निर्णय नहीं लिया है।

**अध्यक्ष महोदय** : यह विचाराधीन है? (**व्यवधान**)

**डा० कर्ण सिंह** : अध्यक्ष महोदय, हमारी राजधानी में पर्याप्त अस्पताली सुविधाओं, विशेषतया आपात स्थिति की सुविधाओं का मामला एक अहम मामला है। मेरे माननीय साथी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री ने नहीं दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि यमुना पार का क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है और मुझे पता है कि 10 या 8 वर्ष पूर्व शाहदरा में 500 बिस्तर वाले एक अस्पताल के निर्माण का प्रस्ताव था। मैंने स्वयं स्थान का दौरा किया था, मैंने जमीन का निरीक्षण किया था और मुझे याद आता है कि 1976-77 में प्रस्ताव तैयार हो गया था। अभी हाल में मैंने किसी से पूछा तो उसने उत्तर दिया कि इस संबंध में कोई भी प्रगति नहीं हुई है। यमुना के इस ओर रहने वाले लोगों को कुछ-न-कुछ सुविधाएं प्राप्त हैं, परन्तु यमुना पार के क्षेत्र को आपात स्थितियों तथा अन्य बीमारियों के लिए इन सुविधाओं की बहुत अधिक आवश्यकता है।

**श्री बी० शंकरानन्द** : यह अस्पताल निर्माणाधीन है तथा इसके दो वर्षों में पूरे हो जाने की संभावना है ।

**श्री राम विलास पासवान** : जब हमने शाहदरा के संबंध में पूछा था तो मंत्री जी ने कहा कि कोई प्रपोजल नहीं है ।

**श्री बी० शंकरानन्द** : मेरा विचार है कि उन्होंने शाहदरा के संबंध में नहीं पूछा था ।

**अध्यक्ष महोदय** : वे दुर्घटना केन्द्र खोलना चाहते थे·····(व्यवधान)

**श्री राम विलास पासवान** : हमने लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में एक्सीडेंट सेन्टर खोलने के संबंध में और शाहदरा में अस्पताल खोलने के संबंध में पूछा था जिसके बारे में आपने कहा कि कोई प्रपोजल नहीं है ।

**श्रीमती कृष्णा शाही** : अध्यक्ष महोदय, अस्पतालों की संख्या तो बाद में मंत्री महोदय बढ़ाएंगे, मैं तो अभी उनसे यह जानना चाहती हूं कि दिल्ली में जिस अनुपात में दुर्घटनाएं होती हैं और इमर्जेंसी डिसीजेज की संख्या बढ़ती जा रही है उस अनुपात में डाक्टर नहीं हैं । अभी कुछ दिन पहले मैं अपनी छोटी बच्ची को लेकर अस्पताल गई थी, उस समय इमरजेंसी में तीन डाक्टर थे । उन्होंने कहा कि बड़े-बड़े आपरेशन हो रहे हैं इसलिए डाक्टर खाली नहीं हैं । उस समय मैंने महसूस किया कि डाक्टरों की संख्या बहुत कम है । क्या डाक्टरों की संख्या मे बढ़ोतरी करने जा रहे हैं ?

**श्री बी० शंकरानन्द** : हमने कहा है कि सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है और आपात-स्थिति सेवा को सुदृढ़ बनाने के लिए हमने निम्नलिखित डाक्टर बढ़ा दिए हैं : कार्यचिकित्सक : सफदरजंग 2, राम मनोहर लोहिया अस्पताल 2; शल्य-चिकित्सक : सफदरजंग 2, राम मनोहर लोहिया अस्पताल 2; अस्थि रोग विशेषज्ञ : सफदरजंग 2, राम मनोहर लोहिया अस्पताल 2; प्रसूति विशेषज्ञ तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ : लेडी हार्डिंग और सुचेता कृपलानी अस्पताल 2; बाल रोग विशेषज्ञ : लेडी हार्डिंग और सुचेता कृपलानी अस्पताल, 2 ।

**पेय जल लाने में लगे समय के कारण भारत में हुई जन दिवसों की हानि**

*231. **श्री चन्द्रजीत यादव**
**प्रो० अजित कुमार मेहता** } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जल से होने वाले रोगों, 'रोहों' की बीमारियों तथा पेय जल के अभाव के कारण अन्धता फैलाने वाले अन्य रोगों और पेय जल को लाने में भारत में प्रति वर्ष हुई जन दिवसों की हानि के बारे में एक अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (निहार रंजन लास्कर)** : (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

**श्री अजित कुमार मेहता** : अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान टाइम्स आफ इण्डिया के एक जनवरी, 1981 के संस्करण की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है :

"विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के अनुसार 750 लाख और कार्य दिवस बेकार हो गए हैं।"

अत: मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आपके अधिकारी और कर्मचारी राष्ट्रीय अखबारों में प्रकाशित समाचारों की ओर आपका ध्यान दिलाते हैं या नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहा हूं। इस संदर्भ में इस समाचार में भोपाल में गवर्नर ने कहा है :

"लोग गन्दे नालों का पानी पीते हैं।"

**अध्यक्ष महोदय** : आप सवाल तो पूछिए।

**श्री अजित कुमार मेहता** : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि क्या सरकार के पास ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वास्तविकता पर आधारित कोई ठोस योजना है और उसके कार्यान्वयन के लिए सांस्थिक कमजोरियों और भ्रष्ट आचरण से मुक्त कोई प्रशिक्षित तंत्र भी है ? यदि नहीं तो इस साल के बजट में 36000 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 110 करोड़ की आवंटित राशि किस प्रकार खर्च करने का विचार है और बाकी 65 हजार गांवों का क्या होगा ?

**स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : मैं पहले ही बता चुका हूं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। माननीय सदस्य ने एक और प्रश्न ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के विषय में उठाया है। यह तथ्य है कि 50 प्रतिशत रोग जल से पैदा होते हैं। यदि हम लोगों को शुद्ध पेय जल उपलब्ध करा सकते हैं तो 50 प्रतिशत रोग समाप्त हो जाएंगे। इसलिए भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों को शुद्ध पेय जल की सप्लाई को अधिक महत्वपूर्ण मान रही है। छठी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण जल संभरण योजनाओं के लिए 2007 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है।

केन्द्रीय राज्य क्षेत्र की योजनाओं के लिए छठी योजना के अन्तर्गत लिए जाने वाले समस्यात्मक गांवों के लिए हमारी अनुमानित मांग 2500 करोड़ रुपये हैं। अनुमानित 3.24 लाख समस्यात्मक गांवों में से हम छठी योजना में 2 लाख गांवों को साफ़ पीने का पानी देने की व्यवस्था करना चाहते हैं।

**प्रो० अजीत कुमार मेहता :** अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि छठी योजना में दो लाख गांवों को पेय जल उपलब्ध कराया जाए। लेकिन आप देखें कि पहली तीन योजनाओं में 130 करोड़ की व्यवस्था की गई थी और केवल 24000 गांवों को ही पेय जल उपलब्ध हो सका था जो केवल चार प्रतिशत होता है। चौथी योजना में भी 125 करोड़ की राशि उपलब्ध की गई थी लेकिन उसके बावजूद भी समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। मेरी जिज्ञासा यह जानने की थी कि भ्रष्टाचार से मुक्त और प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग आपके पास इस गुरुतर भार को ढोने के लिए है ?

जिस गति से हमारी जन संख्या बढ़ रही है उसको देखते हुए निकट भविष्य में हमें इस दिशा में गम्भीर प्रयास करने होंगे। इस काम के लिए यूनिसेफ ने 1979-80 में करीब 8.60 मिलियन डालर उपलब्ध कराया था। उसका क्या हुआ और क्या उपलब्धि रही ?

**श्री निहार रंजन लास्कर :** इसका प्रश्न से कोई संबन्ध नहीं है। जैसे कि मैंने पहले बताया है छठी योजना के दौरान एक 2 लाख समस्यात्मक गांवों को योजना के अन्तर्गत लेना चाहते हैं अभी तक हमने 93000 गांवों को पीने के साफ पानी की सप्लाई की है।

**प्रो० अजीत कुमार मेहता :** यूनिसेफ द्वारा प्रदत्त सहायता के बारे में मैंने पूछा था।

**अध्यक्ष महोदय :** उन्होंने तो बता दिया है कि दो लाख गांवों को छठी योजना में पेय जल उपलब्ध हो जाएगा।

**ताप विद्युत संयंत्रयों के लिए माल डिब्बों की आवश्यकता**

*232 **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताप विद्युत संयंत्रयों को विद्युत उत्पादन के लिए प्रतिदिन चार हजार माल डिब्बों की जरूरत होती है;

(ख) क्या राष्ट्रीय विद्युत संकट को देखते हुए ऊर्जा समिति की बैठक में रेल प्राधिकारियों ने कोयले की सप्लाई के लिए प्रति दिन 3900 माल डिब्बे उपलब्ध कराना स्वीकार किया गया;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में उपर्युक्त वायदा करने की तारीख के बाद प्रति दिन वांछित संख्या में माल डिब्बे आवंटित किए गए थे;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सप्लाई किए जाने वाले माल डिब्बों की स्वीकृति संख्या कम कर दी गई थी और वे गैर सरकारी पार्टियों को आवंटित किए गए थे; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :** (क) से (ग) जी हाँ।

(घ) और (ङ) : प्रश्न नहीं उठता ।

**श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :** मंत्री महोदय ने कोई उतर दिया ही नहीं है । विद्युत के अभाव के कारण सारे देश में लाखों औद्योगिक इकाइयां संकट ग्रस्त हैं । विद्युत उत्पादन संयंत्रों वाले लोगों से हम लोग बातचीत करके पूछते हैं तो वे बताते हैं कि वैगनों के अभाव के कारण वे कोयला पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं कर रहे हैं । ऊर्जा समिति में मंत्री महोदय ने कहा था कि वादे के अनुसार हम वैगनों की पूर्ति करेंगे । इंस्टाल्डकैपेसेटी का चालीस परसेंट भी विद्युत उत्पादन सारे देश में नहीं होता है । अगर कोयले की आपूर्ति वैगनों के आधार पर हो तो कोई कारण नहीं है कि इतना कम उत्पादन हो । अगर इन्होंने सही ढंग से वैगनों की आपूर्ति की है तो मंत्री महोदय कृपया बताएं कि जिस दिन से ऊर्जा समिति में इन्होंने वादा किया था उसके अनुसार किस-किस थर्मल प्लांट की कितनी-कितनी वैगनों की आवश्यकताओं की पूर्ति इन्होंने तब से की है और आज तक कितनी पूर्ति हुई है ? जितनी मांग थी उतनी पूर्ति क्या इन्होंने कर दी है और अगर हां तो उसका पूरा विवरण रखा जाए । और खास कर बिहार में बरौनी, नौकारों और पतरातू के सिल-सिले जानना चाहता हूं ।

**श्री मल्लिकार्जुन :** हमने बिजली घरों के लिए 4000 कोयले के वैगन दे दिये हैं । जहां तक बिहार में कोयला देने का प्रश्न है, बोकारो में 42 दिन का, पटराटू में 29 दिन का तथा बरौनी में 29 दिन का कोयले का पूरा स्टाक है ।

**श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :** मंत्री जी ने जवाब दिया है वह तो ठीक है । लेकिन इन्होंने प्रश्न के (घ) और (ङ) के उत्तर में कहा है कि डज नोट अराइजा लेकिन मैं जानता हूं कि वैगनों की भारी कमी है और लाखों रु० प्रति माह हर थर्मल पावर स्टेशन को ट्रकों के भाड़े के रूप में देने पड़ते हैं । इस तरह से प्राइवेट पार्टियों को वैगन्स ज्यादा अलाट हो जाते हैं । कलकत्ते में जो इनका ऑफिस है वहां थापर कम्पनी और सीकरी ब्रदर्स कोल एजेन्ट्स हैं जिनकी करोड़ों रु० की आय केवल वैगनों का अलाटमेंट करवाने में प्राइवेट पार्टीज से होती है । क्या मंत्री जी जांच करायेंगे इस बात की ?

**रेल मंत्री (श्री केदार पाण्डे) :** अध्यक्ष जी, इसमें बात यह है कि जो इनका स्ट्रक्चर कमेटी बैठक होती है उसका मैं भी एक सदस्य हूं और वित्त मंत्री उसके चेयरमैन हैं । मैंने सब बैठको में लाग लिया है । ऐनर्जी मिनिस्टर की तरफ से यह मांग आयी कि आप ही 3,900 वैगन्स कोल दीजिये तो उनका काम चल जाएगा । मैंने उसमें अपनी सहमति प्रगट की और उसके मुताबिक हम कोल देते हैं एक फिगर मैं देता हूं कि जैसे 1978-79 में कितना कोयला लदता था इस देश में इंडियन रेलवेज में, 2878 वैगन्स । 1979-80 में 28 11 वैगन्स, और 1980-81 में अप्रैल से दिसम्बर तक 3,066 वैगन्स और जनवरी 1981 में 3,643 और फरवरी 1981 में 3,970 वैगन्स । तो जितनी जरूरत ऐनर्जी मिनिस्टर की थी उतनी जरूरत हमने पूरी की । इसलिए वैगन्स की कमी का सवाल ही नहीं उठता है ।

**श्री ज्योतिर्मय बसु :** सभा को इस बात का पता है कि अनेक बार सभा के समक्ष इस विषय में प्रस्ताव आये हैं कि कोयला वैगनों की कमी के कारण बहुत से तापीय बिजली घरों के बन्द

होने का खतरा पैदा हुआ है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि क्या यह सच है अथवा नहीं कि सदस्य (यातायात) ने दिल्ली तापीय बिजली घर के लिए निर्धारित कोयला दिल्ली क्लाथ मिल्स की कैमिकल कम्पनी को दे दिया तथा उनकी इस सेवा के बदले में उन्हें सेवा निवृत्ति के पश्चात् दिल्ली कैमिकल कम्पनी में नियुक्त किया गया।

**श्री केदार पाण्डे** : यह सच है कि एक या दो तापीय बिजली घर लगभग बंद होने की स्थिति में थे। परन्तु हमने उन तापीय बिजली घरों को बंद नहीं होने दिया। और उनकी मांग पूरी कर दी। इसलिए यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता। कोयले की अत्यन्त कमी थी। इसके बारे में कोई सन्देह नहीं है। परन्तु अब वह स्थिति नहीं है।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : पंडित जी, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मेरा प्रश्न है कि क्या यह सच है कि रेल बोर्ड के सदस्य (यातायात) ने नई दिल्ली के तापीय बिजली घरों के लिए आवंटित कोयले को डी० सी० एम० कैमिकल्स लिमिटेड को दे दिया, जहां पर वह अब सेवा निवृत्ति के बाद कार्य कर रहे हैं।

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर हारीफ)** : यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। वह पृथक नोटिस दे सकते हैं।

**श्री चिन्ता मणि पाणिग्रही** : क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि जनवरी में और फरवरी में बदरपुर तथा इन्द्रप्रस्थ बिजली केन्द्रों की कोयले की कितनी मांग थी तथा इनको कितना कोयला दिया गया।

**श्री मल्लिकार्जुन** : जहां तक देश के सभी तापीय बिजली घरों में कोयले के स्टॉक का प्रश्न है, देश के सभी बिजली घरों में पर्याप्त स्टाक है—6 से 7 दिन के लिए पर्याप्त स्टॉक है। बड़े बिजली घरों के पास 14 दिनों, 29 दिनों आदि का स्टाक जमा है। दो या तीन ही बिजली घर ऐसे हैं जहां पर स्टॉक कम है। उदाहरणार्थ बदरपुर बिजली घर में एक दिन का तथा इन्द्रप्रस्थ बिजली घर में 7 दिन का स्टॉक है जबकि भटिंडा में 2 दिन के लिए कोयले का स्टॉक है। (व्यवधान)

**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : उनकी मांग कितनी थी ? श्रीमान् हमारी मदद कीजिए। हम दिल्ली में है। आप भी दिल्ली में हैं।

**श्री मल्लिकार्जुन** : स्टॉक होने के कारण मांग पूरी की जा रही है।

**कलकत्ता बंदरगाह पर वरिष्ठ पत्तन अधिकारियों के साथ हाथापाई।**

234. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता बंदरगाह के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हाथापाई की

जाती हैं, उन्हें धक्के दिए जाते हैं और यहां तक कि बंदरगाह ट्रेड यूनियनों के उपद्रवी सदस्यों द्वारा उन्हें धमकियां भी दी जाती है,

(ख) क्या यह भी सच है कि कलकत्ता बंदरगाह के चेयरमैन के साथ अभी हाल में कुछ कर्मचारियों द्वारा कलकत्ता बंदरगाह कार्यालय में जनवरी, 1981 के अन्तिम सप्ताह के दौरान हाथापाई की गई थी;

(ग) क्या यह भी सच है कि कलकत्ता बंदरगाह के कर्मचारी माल को कन्टेनरो में उतारने चढ़ाने का विरोध कर रहे हैं तथा निजी फर्मों की लिफ्टों को भी चलने से रोक रहे हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि कलकत्ता होकर गुजरने वाली नौवहन सेवाओं ने केन्द्रीय सरकार से उपचारात्मक उपाय करने का अनुरोध किया है जिससे वहां पर कोई गंभीर स्थिति पैदा न हो; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र द्वारा इस सम्बन्ध में क्या उपाय किए गए हैं ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) जी, हां। इस तरह की कुछ घटनाएं हुई हैं।

(ख) जी, नहीं। उनका कुछ समय के लिए घेराव किया गया था।

(ग) कर्मचारी कन्टेनराईजेशन का विरोध नहीं कर रहे हैं, परन्तु कन्टेनरों की संभलाई के लिए प्राईवेट उपकरणों के इस्तेमाल का कुछ विरोध किया जा रहा है।

(घ) जी, हां। वे समय-समय पर इसके बारे में पत्र भेज रहे हैं।

(ङ) पत्तन अधिकारियों से कहा गया है कि वे ऐसी स्थिति से सख्ती से निपटे। जब कभी कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है, तो कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकार से भी अनुरोध किया जाता है।

**श्री सतीश अग्रवाल** : क्या मंत्री महोदय प्रश्न के (क) भाग के उत्तर के सम्बन्ध में सभा को बतायेंगे कि ऐसे कितने मामलों की सूचना मंत्रालय को प्राप्त हुई तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई ? दूसरे, सरकार इस बारे में कौन से उपचारी उपाय बरतने की बात सोच रही है ताकि पत्तन पर ऐसी घटनाएं पुन: न होने पायें ?

**श्री वीरेन्द्र पाटिल** : बहुत से मामलों का सरकार को पता चला है। यदि अध्यक्ष महोदय अनुमति दें तो मैं सभी मामले बता सकता हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि दुर्भाग्यवश कलकत्ता पत्तन में प्रदर्शन घेराव तथा निष्ठावान कर्मचारियों को काम पर जाने से रोकने के बहुत से मामले हुए हैं और होते रहते हैं। वहां पर निरन्तर श्रमिक समस्या बनी रहती है। माननीय सदस्य ने पूछा है कि कितनी घटनाएं हुई हैं। बहुत सी घटनाएँ घटी हैं और यदि मैं उन सभी का उल्लेख करूं तो इस पर पर्याप्त समय लग जायेगा। जब भी हमें ऐसी घटनाओं का पता चला है हमने तुरन्त

राज्य सरकार से सम्पर्क स्थापित किया है। जहां तक पत्तन क्षेत्र में कानून तथा व्यवस्था का प्रश्न है यह राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है और जब कभी कोई घटना घटती है और हमें सूचना मिलती है, हम राज्य सरकार से सम्पर्क स्थापित करते हैं।

**श्री ए० के० सेन** : क्या मंत्री महोदय इसके लिए उत्तरदायी संगठनों के नाम बतायेंगे ?

**श्री सतीश अग्रवाल** : क्या मंत्री महोदय कन्टेनरों के उठाने और रखने के लिए निजी जोकि उपस्करों के प्रयोग के संबंध में, विरोध का जो कार्मिक संघों के नेताओं द्वारा विरोध का मुख्य कारण है, बताएंगे कि क्या वह निजी पार्टियों द्वारा कन्टेनरों को उठाने और रखने पर रोक लगाएंगे अथवा क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे जिसके द्वारा सरकार इन कन्टेनरों को पत्तन पर उठाने और रखने का काम करें, और यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा श्रमिक नेताओं से बातचीत की जायेगी ताकि ऐसी घटनाएं पुनः न होने पायें।

**श्री वीरेन्द्र पाटिल** : जहां तक कन्टेनरों को चढ़ाने उतारने का प्रश्न है कुछ निजी पार्टियों ने अपना ही प्रबन्ध किया है तथा उनके पास अपनी मशीनें हैं। श्रमिक संगठन तथा श्रमिक पत्तन क्षेत्र में निजी पार्टियों द्वारा कन्टेनरों को चढ़ाये तथा उतारे जाने का विरोध करते हैं। परन्तु कठिनाई यह है। कन्टेनरों को चढ़ाने-उतारने के लिए जहां आवश्यक होता है, हम भी उपकरण प्राप्त कर रहे हैं। परन्तु धन के अभाव के कारण हम सभी आवश्यक उपकरण प्राप्त नहीं कर सकते। अतः जहां संभव होता है, हम निजी पक्षों को अपने उपकरणों का प्रयोग करने देते हैं। जहां निजी नौवहन कम्पनियों या जहाज मालिकों के पास अपने उपकरण नहीं होते हैं, वहां हम अपनी व्यवस्था करते हैं। सुविधाएं बढ़ाने के लिए हमने फरवरी 1980 में 7 छः टन की और 2 दस टन क्षमता की चल क्रेनों के लिए क्रयादेश दिये थे (ख) मार्च 1980 में 27-28 बर्थों पर 3 टन क्षमता की आठ क्रेनों को बदलने के लिए आदेश दिये गये हैं तथा के० डी० पी० उपकरणों की स्थापना और उनका कार्य संचालन 1981 के अन्त तक हो जायेगा; (ग) 18 नयी फोर्क लिफ्टें खरीद ली गई हैं, (घ) 3 टन वाली 20 और फोर्क लिफ्टें बदलने के लिए भी कार्यवाही की गई है। पत्तन अधिकारियों की ओर से यह कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त, छठी पंचवर्षीय योजना में उपकरणों को बदलने तथा मरम्मत करने तथा वर्कशाप सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु धन की व्यवस्था की गई है, जो इस प्रकार है : एक करोड़ रुपये के व्यय पर 11 छः टन क्षमता की चल-क्रेनों, 65 लाख रुपये के व्यय पर दस टन क्षमता की 2 क्रेनों की.....

**अध्यक्ष महोदय** : श्री तिवारी।

**श्री वीरेन्द्र पाटिल** : अभी मैंने समाप्त नहीं किया है।

**प्रो० के० के० तिवारी** : क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि कौन-से श्रमिक संगठन और कर्मचारी इन हिंसक घेराव और घटनाओं के लिए उत्तरदायी थे जिनमें अधिकारियों पर हमले किए गए हैं ? क्या यह सच है कि सरकार द्वारा राज्य सरकार को बार-बार निवेदन किये जाने पर भी राज्य सरकार ने ध्यान नहीं दिया है क्योंकि उक्त तथाकथित कर्मचारियों की निष्ठा पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार में है ? **(व्यवधान)**

**श्री वीरेन्द्र पाटिल** : कलकत्ता पत्तन में पांच कार्मिक संगठन हैं। उन पांच में से दो कार्मिक संगठन हिंसक घटनाओं से संबद्ध हैं, वे प्रदर्शनों में भाग लेते हैं तथा अधिकारियों पर हमले करते हैं तथा अधिकारियों को कार्य करने से रोकते हैं··· (**व्यवधान**) जहां तक उन संगठनों के नामों का उल्लेख करने का प्रश्न है, यदि अध्यक्ष महोदय अनुमति दें, तो मैं बताने को तैयार हूं।

**प्रो० के० के० तिवारी** : कृपया बताइये।

**श्री जेवियर अराकल** : यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मंत्री महोदय नाम बताने को तैयार हैं।

**श्री मूल चन्द डागा** : प्रश्न स्वीकार किया गया है। अतः उन्हें नाम बताने चाहिएं। (**व्यवधान**)

**प्रो० के० के० तिवारी** : यह मामला बहुत समय से लटक रहा है। हमले किये गए हैं तथा हिंसक घटनाएं घटी हैं। मंत्री महोदय उनके नाम बताने को तैयार हैं श्रीमान्, उन्हें बताने दीजिए।

**अध्यक्ष महोदय** : आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं। श्री राजन।

**प्रो० के० के० तिवारी** : सभा पटल पर क्यों, श्रीमान् ? मंत्री महोदय अभी उत्तर देने को तैयार हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया शांत रहिए।

**श्री के० ए० राजन** : परिवहन के अन्य तरीकों की तुलना में कन्टेनरों में माल भरकर चढ़ाने-उतारने की व्यवस्था अधिक प्रचलित हो रही है, इस व्यवस्था ने विश्व में आयात-निर्यात व्यापार में अपना स्थान बना लिया है तथा हमें पत्तन के सर्वाधिक हित में ऐसे तरीके अपनाने हैं। मैं यह समझ सकता हूं। परन्तु दुर्भाग्य से मैं देखता हूं कि बड़ी पत्तनों में माल चढ़ाने-उतारने के अलग-अलग ढंग प्रचलित हैं, कई पत्तनों में यह कार्य निजी पार्टियों द्वारा किया जाता है जब कि अन्य पत्तनों में यह कार्य पत्तन न्यास तथा गोदी श्रमिक बोर्ड के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय इस कार्य पर लगे हुए कर्मचारियों की छंटनी किये बिना इस कार्य के लिए समान प्रणाली लागू करेंगे ?

**श्री वीरेन्द्र पाटिल** : जहां तक कन्टेनरों को चढ़ाने-उतारने का प्रश्न है, यह कार्य श्रमिकों द्वारा भी किया जाता है तथा इसके लिए हमें मशीनों का उपयोग भी करना पड़ता है। इस प्रकार हम मशीनों का उपयोग भी कर रहे हैं तथा श्रमिकों का भी उपयोग कर रहे हैं, मशीनरी के उपयोग के संदर्भ में मैंने यह नहीं कहा कि श्रमिकों की छंटनी की जायेगी। श्रमिकों की छंटनी करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

### बिहार में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सहायता के अन्तर्गत विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए जिलों का चयन

*233. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सहायता के अन्तर्गत विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए बिहार में पांच जिलों का चयन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन जिलों के नाम क्या हैं जहां यह कार्यक्रम चलाया गया है; और

(ग) इस कार्य को प्रगति का ब्यौरा क्या है तथा इसमें कितना वित्तीय परिव्यय अन्तर्ग्रस्त है ?

**स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

### टिकट चैक करने वाले कर्मचारियों की कठिनाइयां

*235. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार टिकट चैक करने वाले कर्मचारियों के सामने अपना काम करते समय आने वाली कठिनाइयों से अवगत है; और

(ख) यदि हां, तो कठिनाइयां क्या हैं और उन्हें सरकार किस प्रकार से दूर करना चाहती है ?

**रेल मंत्री (श्री केदार पांडे)** : (क) और (ख) टिकट जांच कर्मचारियों को कोई असामान्य कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। कभी-कभी उन्हें उपद्रवी यात्रियों द्वारा दुर्व्यवहार तथा मार-पीट करने जैसे व्यावसायिक जोखिमों का सामना करना पड़ता है। ये सामाजिक समस्याएं हैं तथा जन साधारण के अनुशासन में सुधार से ही इस पर काबू पाया जा सकता है।

### लेखा विभाग में उप-शीर्ष प्रणाली का समाप्त किया जाना

*236. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल प्राधिकारियों ने किन कारणों से लेखा-परीक्षा प्रणाली के आधार पर लेखा विभाग में उप-शीर्ष प्रणाली को समाप्त कर दिया है;

(ख) क्या रेल विभाग के लेखा विभाग की वर्तमान प्रणाली निष्प्रभावी है; और

(ग) यदि हां, तो क्या यह केवल उप-शीर्ष प्रणाली के कारण ही निष्प्रभावी है ?

**रेल मन्त्री (श्री केदार पांडेय)** : (क) सब-हेड के माध्यमिक पर्यवेक्षी स्तर को समाप्त करने का निर्णय, लेखा विभाग की पुनसंरचना को कार्यान्वित करने का एक भाग है, जिसे 1-4-80 से लागू किया गया है।

(ख) और (ग) संगणकों के प्रयोग के कारण कार्य के ढंग में परिवर्तन आने और नेमी लिपिक कार्य समाप्त हो जाने तथा समग्र रूप से, कर्मचारियों के बेहतर भविष्य के लिए लेखा संवर्ग का पुनर्संरचन कार्य आवश्यक हो गया। संशोधित संरचना में सब-हेड का माध्यमिक पर्यवेक्षी स्तर अनावश्यक हो जाता है।

**ट्रैकिंग पार्टियों को रियायत**

*237. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रैकिंग पार्टियों और पर्वतारोहण उद्देश्यों के लिए जाने वाले अभियान दलों को रेल टिकट में रियायत देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ)** : (क) प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर रेल यात्रा में रियायतें देती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**किसान रेली के लिए विशेष गाड़ियां**

*238. **श्री के० ए० राजन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 16 फरवरी, 1981 को नई दिल्ली में हुई किसान रेली के लिए रेलवे ने कितनी विशेष रेलगाड़ियां चलाई;

(ख) क्या इन गाड़ियों के किराये आदि का पूरा भुगतान पहले ही कर दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यरा क्या है ?

**रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ)** : (क) विभिन्न स्टेशनों से दिल्ली के लिए और वापसी में दिल्ली से 137 विशेष गाड़ियां चलायी गयी थीं।

(ख) जी हां।

(ग) 1,36,95,039 रु० की राशि एकत्रित की गयी थी ।

**स्टीमर से लाना ले जाना**

*239. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1980 से अब तक कितनी बार पशुओं सहित सामान लाने ले जाने के लिए काम में आने वाले स्टीमरों का प्रयोग सभी श्रेणियों के यात्रियों की महेन्द्रुघाट से पहलेजाघाट और पहलेजाघाट से महेन्द्रुघाट लाने ले जाने के लिए किया गया;

(ख) इसके क्या कारण थे; और

(ग) महेन्द्रुघाट से पहलेजाघाट और पहलेजाघाट से महेन्द्रुघाट तक स्टीमर में आने अथवा जाने के लिए प्रथम और द्वितीय दोनों श्रेणियों के यात्रियों के लिए वर्तमान किराया कितना है और उसके क्या आधार हैं ?

**रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ)** : (क) पहलेजाघाट और महेन्द्रुघाट के बीच माल ढोने के लिए कोई घाट उतराई सेवा नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) पहलेजाघाट की ओर के यात्रियों से पहले दर्जे के लिए 19.50 रुपये तथा दूसरे दर्जे के लिए 2.00 रुपये लिये जाते हैं । महेन्द्रुघाट की ओर के यात्रियों से पहले दर्जे के लिए 23.00 रुपये और दूसरे दर्जे के लिए 2.50 रुपये वसूल किये जाते हैं। चूंकि घाट से घाट तक बुकिंग नहीं की जाती, इसलिए यात्रियों से पहलेजाघाट से गुलजार बाग स्टेशन तक तथा दूसरी दिशा में महेन्द्रुघाट से सोनपुर तक का किराया वसूल किया जाता है ।

**बिजली से चलने वाली रेलगाड़ियां**

*240. **श्री निहाल सिंह** : क्या **रेल** मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) 15 फरवरी, 1981 को देश में बिजली से चल रही यात्री गाड़ियों तथा माल-गाड़ियों की अलग-अलग संख्या क्या है और उनमें से छोटी लाइन तथा बड़ी लाइन पर चल रही गाड़ियों की अलग-अलग संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार का और ज्यादा रेलगाड़ियों को बिजली से चलाये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ)** : (क) 15.2.1981 को भारतीय रेलों पर बिजली रेल इंजन से चलायी गयी यात्री और माल गाड़ियों की संख्या :—

| | |
|---|---|
| **बड़ी लाइन** | |
| उपनगरीय गाड़ियों सहित यात्री गाड़ियां | 2491 |
| माल गाड़ियां | 1123 |
| जोड़ | 3614 |
| **मीटर लाइन** | |
| उपनगरीय गाड़ियों सहित यात्री गाड़ियां | 308 |
| माल गाड़ियां | 13 |
| जोड़ | 321 |
| **जोड़ बड़ी लाइन तथा मीटर लाइन** | |
| उपनगरीय गाड़ियों सहित यात्री गाड़ियां | 2799 |
| माल गाड़ियां | 1136 |
| जोड़ | 3935 |

(ख) जी हां, भविष्य में और अधिक गाड़ियां बिजली कर्षण से चलाई जायेंगी।

(ग) छठी योजना में 2,800 मार्ग किलोमीटर में विद्युतीकरण करने की योजना है। विद्युतीकृत खंडों में सभी यात्री और माल गाड़ियों को बिजली रेल इंजनों से चलाया जायेगा।

**कोटा और दिल्ली के बीच एक्सप्रेस रेलगाड़ी**

*241. **श्री अशोक गहलोत** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोटा और दिल्ली के बीच एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कोई निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(ग) उपर्युक्त रेलगाड़ी के चलाये जाने में कितना समय लगने की संभावना है ?

**रेल मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

## पूर्वोत्तर रेलवे में 1980 के दौरान अपराधों में वृद्धि

*242. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री
श्री राजेश कुमार सिंह } : क्या रेल मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे में 1979 की तुलना में 1980 में अपराध की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पूर्वोत्तर रेलवे में 1979 की तुलना में 1980 में हुई लूटमार, कत्ल, डाकेजनी तथा परिषित माल की चोरी और उठाइगीरी की घटनाओं के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा 1979 की तुलना में 1980 में अदा किए गए मुआवजे, यदि कोई है, की धनराशि क्या है; और

(घ) अपराधों की रोकथाम तथा रेल यात्रियों के जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

**रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी हां। पूर्वोत्तर रेलवे पर 1979 की तुलना में अपराध की घटनाओं में कुछ वृद्धि हुई है।

(ख) 1979 और 1980 में ऐसे मामलों की तुलनात्मक संख्या नीचे दी गई है :

| | 1979 | 1980 |
|---|---|---|
| हत्या | 13 | 8 |
| लूट-पाट | 39 | 68 |
| डकैती | 15 | 28 |
| बुक किये गये समान की चोरी और उठाईगिरी | 653 | 670 |

(ग) अराजकता के इस प्रकार के विशिष्ट मामलों में एकमात्र इस कारण से क्षतिपूर्ति के दावों के लिए किये गये भुगतान के आंकड़े नहीं रखे जाते। तथापि हानि/चोरी और बुक किये गये सामान की उठाईगिरी के लिए क्षतिपूर्ति के दावों का पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा किया गया भुगतान इस प्रकार है :—

| वर्ष | भुगतान की गयी राशि (लाख रु० में) |
|---|---|
| 1979 | 27.46 |
| 1980 | 39.72 |

(घ) अपराध की घटनाओं में वृद्धि को रोकने के लिए तथा यात्रियों के जीवन तथा सम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे सहित सभी रेलों पर निम्नलिखित निवारक उपाय किये गये हैं :—

1. सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण गाड़ियों में रात के समय राजकीय रेलवे पुलिस के सशस्त्र रक्षकों को तैनात किया जाता है।

2. स्टेशनों, प्लेटफार्मों और प्रतीक्षा हालों में गश्त लगाना।

3. अपराधियों एवं बदनाम व्यक्तियों पर नजर रखना।

4. पर्यवेक्षक अधिकारियों द्वारा रात्रि गाड़ियों की जांच।

5. भेद्य स्टेशनों पर पुलिस टुकड़ियां तैनात करना।

6. राज्य सरकारों के अपराध जांच ब्यूरों के विशेष दस्तों द्वारा महत्वपूर्ण मामलों की छानबीन की जाती है ताकि इन मामलों के लिए जिम्मेदार अपराधियों को पकड़ा जा सके।

7. गलियारेदार डिब्बों के दरवाजों को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बन्द रखा जाता है।

8. चल टिकट परीक्षकों/परिचरों और कंडक्टरों को अनुदेश है कि वे अनधिकृत व्यक्तियों को डिब्बों में और विशेष रूप से आरक्षित डिब्बों में न घुसने दें।

9. जब किसी विशेष क्षेत्र में अपराधों में तेजी आती है, तो यात्रियों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है और यथा अपेक्षित आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है।

10. प्रभावित खंडों और यार्डों को गश्त लगाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल/रेलवे सुरक्षा विशेष बल के सशस्त्र कर्मचारी मार्गरक्षी के रूप में तैनात किये जाते हैं।

11. भेद्य बाहरी सिगनलों, इंजीनियरी प्रतिबंधों और जहां गाड़ी धीमी होती है, उन ढलानों पर रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी तैनात किए जाते हैं।

12. सभी महत्वपूर्ण यार्डों माल शेडों और पार्सल कार्यालयों की चौबीसों घंटे रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों द्वारा चौकसी की जाती है। बदनाम स्थानों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

13. खाद्यान्न कोयला, इस्पात आदि जैसे उच्च मूल्य वाले सामान के माल डिब्बों में मार्गरक्षी तैनात किये जाते हैं जबकि वे ब्लाक भार से चलती है।

14. छोटे-मोटे स्टेशनों पर, जब माल डिब्बे खड़े रहते हैं, उनकी रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों द्वारा चौकसी की जाती है।

15. रेलवे सुरक्षा बल की अपराध असूचना शाखा द्वारा अपराधियों और चुरायी गयी सम्पत्ति के प्रापकों की गतिविधियों के सम्बन्ध में असूचना एकत्रित की जाती है और अपराधियों तथा प्रापकों और चुरायी गयी सम्पत्ति का पता लगाने के लिए नियमित रूप में छापे मारे जाते हैं।

16. यार्डों का गश्त लगाने और संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए कुत्ता-दस्तों का भी उपयोग किया जा रहा है।

17. चोरी और उठाईगिरी की समस्या से प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा राजकीय रेलवे पुलिस और सिविल पुलिस के साथ निकट का सम्पर्क बनाये रखा जाता है।

**आलू उत्पादक क्षेत्रों के लिए वैगन**

*242. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्वोत्तर और उत्तरी रेलवे से इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल और असम को भेजी गई आलू से लदी वैगनें असम और कलकत्ता में रोक ली जाती हैं जिसके परिणामस्वरुप उन्हें वापस पहुँचने में अधिक समय लगता है और आलू उत्पादक क्षेत्रों को पर्याप्त संख्या में वैगन उपलब्ध नहीं हो पाते;

(ख) आलू शीघ्र खराब होने वाली वस्तु है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने आलू उत्पादक क्षेत्रों को पर्याप्त संख्या में वैगन सप्लाई करने की व्यवस्था की है; और

(ग) नवम्बर, 1980 और जनवरी 1981 में प्रतिदिन सप्लाई किये गए वैगनों की तुलना में फर्रुखाबाद से वैगनों के लिए कितने इन्डेन्ट प्राप्त हुए ?

**रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) नवम्बर, 1980 के दौरान, फर्रुखाबाद में कोई लदान नहीं हुआ क्योंकि व्यापारियों द्वारा कोई मांग प्रस्तुत नहीं की गयी थी। जनवरी, 1981 में फर्रुखाबाद में बड़ी लाइन के 463 माल डिब्बों और मीटर लाइन के 250 माल डिब्बों का लदान किया गया और इस प्रकार वहां बड़ी लाइन के 15 और मीटर लाइन के 8 माल डिब्बों का दैनिक औसत लदान हुआ। जनवरी, 1981 के अन्त में बड़ी लाइन के 540 और मीटर लाइन के 2086 माल डिब्बों का लदान

किया जाना शेष था। बड़ी लाइन पर लदान आगे नहीं बढ़ाया जा सका क्योंकि व्यापारियों ने इस तर्क पर आलुओं का ब्लाक रेकों में लदान करने से इन्कार कर दिया था कि यदि एक ही स्थान पर रेक में लदान किया जाता है तो मूल्य कम हो जाएंगे। 31 जनवरी, 1981 को फर्रुखाबाद में आलूओं के लम्बित 2086 मांग पत्रों में से, 2046 मांग पत्र पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के लिए थे। ऐसे अनुदेश जारी किये गए हैं कि जब तक सभी मांग पत्र पूरे नहीं कर दिये जाते तब तक पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के गंतव्य स्थानों के लिए मोटर लाइन पर प्रतिदिन आलुओं के एक रेक का लदान किया जाये।

**रेल सुरक्षा बल को अधिक अधिकार देना**

*244. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेल सुरक्षा बल को अधिक शक्तियां प्रदान करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिससे कि रेल विभाग में समाज विरोधी गतिविधियों से निपटा जा सके और चोरी की घटनाओं को रोका जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) रेलवे सुरक्षा बल को और अधिक अधिकार देने के प्रस्ताव पर विचार किया गया था परन्तु इसे छोड़ दिया गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**वैगन निर्माता एककों का कार्यकरण**

*245. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में वैगन निर्माता एकक ठीक ढंग से नहीं चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वैगन-निर्माता एककों की सप्लाई बढ़ाने की स्थिति में लाने के लिए कठिनाइयां दूर करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) और (ख) उत्पादन का स्तर सामान्यत: संतोषजनक रहा सिवा इसके कि कुछ यूनिटों में मुख्यत: बिजली की कटौती और श्रमिक कठिनाइयों जैसी समस्याओं के कारण लगभग 12% की मामूली कमी रही।

(ग) जब कभी भी बिजली की कमी, श्रमिक कठिनाइयों आदि जैसी समस्याओं की ओर रेल मन्त्रालय का ध्यान दिलाया गया तो इन पर उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित किया गया ताकि तुरन्त कार्रवाई की जा सके। महत्वपूर्ण

मदों की सप्लाई को नियमित रूप से मानीटर किया जाता है ताकि देशीय स्रोतों अथवा जहां अनिवार्य हो आयात द्वारा इनकी पर्याप्त और सामयिक सप्लाई सुनिश्चित की जा सके।

**खाड़ी के देशों में जहाजरानी को बढ़ावा देना**

*246. **श्री गुफरान आजम :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि युद्ध के बाद खाड़ी के देशों में जहाजरानी को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

**नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) :** सरकार खाड़ी के देशों की स्थिति पर नजर रखे हुए है और जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तब उचित कार्रवाई की जाएगी।

**कलकत्ता हावड़ा उपनगरों को जोड़ना**

*165. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय को कुछ वर्तमान लाइनों को बढ़ा कर तथा उनका नवीकरण करके कलकत्ता तथा हावड़ा के उपनगरों को जोड़ने के पांच प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिससे कि कलकत्ता में यातायात की भीड़ को कम किया जा सके;

(ख) क्या भारतीय रेल इंडिया टेक्नीकल एण्ड इकोनामिक सर्विसिज लिमिटेड द्वारा उन पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो रेलवे बोर्ड द्वारा उन पर कब तक निर्णय लिया जायेगा ?

**रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) :** (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**दक्षिण दिल्ली की कालोनियों में गति अवरोधों की व्यवस्था**

2201. **श्री एफ० एच० मोहसिन :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन, लोक निर्माण विभाग के आयोजकों ने राव तुलाराम मार्ग से बाहरी रिंग रोड होकर धौला कुआं, नई दिल्ली के लिए जाने वाली सड़क पर जिसके एक ओर शांति निकेतन एवं आनन्द निकेतन की स्ट्रीट संख्या 2 है और दूसरी ओर साउथ मोती बाग एवं जनक पुरा कालोनियां हैं, गति अवरोधकों की व्यवस्था नहीं की है;

(ख) क्या भारी यातायात होने के कारण सड़क पार करना बहुत ही खतरनाक है;

(ग) क्या 2/22 शांति निकेतन के बाद इस सड़क का लेवल अनेक स्थानों पर नीचा है जिसके परिणामस्वरूप पानी रूक जाता है और पर्यावरण सम्बन्धी खतरा उत्पन्न हो जाता है; और

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त दिशा में इन मामलों को ठीक करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) से (घ) जी, नहीं। इस सड़क पर कोई स्पीड ब्रेकर नहीं बनाए गए हैं। चूंकि इनसे यातायात में रूकावट होती है और गाड़ियों को क्षति पहुँचती है इसलिए नीति के रूप, स्पीड ब्रेकर नहीं बनाये जाते हैं। यह सड़क जोनल मार्ग है। इस पर गाड़ियों के आने जाने वाले भाग की चौड़ाई 22 फीट है। यहां यातायात अधिक नहीं है। इस मार्ग का कोई भाग भूमि के सामान्य स्तर से नीचे नहीं है। फिर भी, दिल्ली प्रशासन इस बात के लिए उपाय कर रहा है कि इस मार्ग पर जल का निकास ठीक होता रहे और यहां पानी नहीं ठहरे।

**टी० बी० अनुसंधान केन्द्र, चेतपेट, मद्रास के कर्मचारियों की मांग**

2202. **श्री समर मुखर्जी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टी० बी० अनुसंधान केन्द्र, चेतपेट, मद्रास, जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का एक एकक है, के कर्मचारियों ने अपनी एक एसोसिएशन बनाई है और एसोसिएशन को मान्यता देने की मांग की है तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक को एक ज्ञापन देकर जोखिम भत्ते और कर्मचारियों की भर्ती और पदोन्नति के लिए भर्ती नियमों को बनाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या मान्यता देने, जोखिम भत्ते और कर्मचारियों की भर्ती और पदोन्नति के नियमों की रूप रेखा तैयार की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन मांगों के सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मन्त्री (श्री बिहार रंजन लास्कर)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह मामला भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के विचाराधीन है।

**भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड (1) के अधिकारी**

2203. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय तथा उससे सम्बन्धित और अधीनस्थ कार्यालयों में भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड-III के पदों पर कितने अधिकारी काम कर रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ ऐसे अधिकारियों को जो एक वर्ष के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं, अल्पावधि प्रशिक्षण एवम् नियुक्ति के लिए शीघ्र ही प्रतिनियुक्ति आधार पर विश्व स्वास्थ्य संगठन, जनेवा, भेज रहा है;

(ग) यदि हां, तो कितने अधिकारियों को भेजा जा रहा है और चयन का ढंग क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि जिन अधिकारियों की उपेक्षा की गई है उनमें से कुछ अधिकारी व्यावसायिक दृष्टि से अत्यधिक उच्च शिक्षा प्राप्त हैं;

(ङ) ऐसी नियुक्तियों पर उन उच्च शिक्षा प्राप्त तथा अपेक्षाकृत कम वय के अधिकारियों को भेजे जाने में प्राथमिकता न देने के क्या कारण हैं; और

(च) एक वर्ष में ही सेवा निवृत्त हो जाने वाले अधिकारियों से सरकार अथवा जनता के हितों को किस प्रकार लाभ पहुँचेगा ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) इस मंत्रालय, इसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में भारतीय सांख्यिकी सेवा के ग्रेड-तीन के पदों पर 9 अधिकारी काम कर रहे हैं। भारतीय सांख्यिकी सेवा के ग्रेड-तीन का एक पद पहली मार्च 1981 से सम्बद्ध कार्यालय में खाली है।

(ख) और (ग) भारतीय सांख्यिकी सेवा के ग्रेड-तीन के केवल एक ही अधिकारी को जनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अल्पावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए नामित किया गया है। पाठ्यक्रम के उद्देश्यों और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित की गई अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर सम्बन्धित अधिकारी इन पाठ्यक्रमों के लिए उपयुक्त व्यक्तियों के नाम का सुझाव देते हैं। इस प्रकार सुझाये गए नामों पर इस मन्त्रालय में एक उच्च स्तरीय चयन समिति द्वारा विचार किया जाता है।

(घ) अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ भारतीय सांख्यिकी सेवा के ग्रेड-दो के अधिकारी के नाम पर भी विचार किया गया था परन्तु उसका चयन नहीं किया गया।

(ङ) यह चयन केवल उपलब्ध उम्मीदवारों की वरिष्ठता को लेकर ही नहीं किया जाता बल्कि उसके लिये उनके पिछले अनुभवों, वर्तमान पदासीनता, सम्बन्धित पाठ्यक्रम के प्रयोजनों आदि को भी देखा जाता है।

(च) विश्व स्वास्थ्य सगठन के इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य किसी परियोजना के अन्तर्गत परिवार नियोजन के काम में आड़े आने वाली सेवा-समस्याओं के अध्ययन के आधार पर किसी ऐसे अनुसंधान प्रस्ताव को विकसित करने के लिए प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना

है। जिसका प्रशिक्षार्थी अपने देश में लौटने पर उपयोग कर सकें। यदि इस प्रस्ताव को सरकार की स्वीकृति मिल जाती है तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के समीक्षा तंत्र द्वारा उसे संतोषजनक समझा जाता है तो उसे विश्व स्वास्थ्य संगठन की तकनीकी और वित्तीय सहायता के लिए विचारा जा सकता है। इस पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए मंत्रालय द्वारा नामित अधिकारियों के ज्ञानार्जन से एक ऐसे उपयुक्त परियोजना प्रस्ताव तैयार करने में मदद मिल सकती है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से कार्यान्वित किया जा सकता हो।

**बाढ़ के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों को क्षति**

2204. **श्री डी० पी० जवेजा :** क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष राष्ट्रीय राजमार्गों की बाढ़ के कारण हुई क्षति का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) बाढ़ से प्रभावित प्रत्येक राज्य को इन राष्ट्रीय राजमार्गों को मरम्मत के लिए कितनी धन-राशि मंजूर की गयी है; और

(ग) किए गए कार्य सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) :** (क) से (ग) बाढ़ से क्षति-ग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मतों के जो अनुमान विभिन्न राज्यों से प्राप्त हुए हैं, उनमें से भारत सरकार ने पिछले वर्ष अर्थात 1.4.80 से 1981 के फरवरी महीने के अन्त तक 879.76 लाख रु० के अनुमान स्वीकृत किए हैं। जहां कहीं आवश्यक है, राष्ट्रीय राजमार्गों को यातायात के योग्य बनाए रखने के लिए सभी सम्भव उपाय किए जा रहे हैं। स्वीकृत अनुमानों के अनुसार कुछ मरम्मत कार्य तो पहले ही पूरे किए जा चुके हैं और शेष पर विभिन्न स्तरों पर काम हो रहा है। राज्यों के नाम राष्ट्रीय राजमार्ग, जिन्हें क्षति पहुँची है और मरम्मत अनुमानों की राशि की सूचना नीचे दी गयी है :—

| राज्य का नाम | राष्ट्रीय राजमार्ग जिन्हें क्षति पहुँची है और उनकी संख्या | बाढ़ से क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मतों के स्वीकृत अनुमानों की राशि |
|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 5 | 47.54 |
| आसाम | 31, 36, 37, 38, 39 | 71.11 |
| बिहार | 30 | 18.28 |
| गुजरात | 8, 8ए, 8बी | 97.70 |
| हरियाणा | 11 | 4.01 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| जम्मू और कश्मीर | 1ए, 1बी | 8.57 |
| कर्नाटक | 4, 4ए, 17, 47, 48 | 95.01 |
| केरल | 17, 47 | 72.36 |
| मध्य प्रदेश | 3, 12 | 4.30 |
| महाराष्ट्र | 3, 4 | 63.63 |
| मणिपुर | 39 | 3.40 |
| उड़ीसा | 5, 6 | 7,76 |
| राजस्थान | 8, 11 | 10.67 |
| उत्तर प्रदेश | 2, 3, 24, 25, 26, 28, 29 | 316.58 |
| पश्चिम बंगाल | 31, 34, 41 | 58.84 |

**चिखलोली में रेलवे स्टेशन**

2205. **श्री आर० के० महालगी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बम्बई पूणे सैक्शन में चिखलोली में एक रेलवे स्टेशन की मांग के संबंध में 17 जुलाई, 1980 या उसके आस-पास चिखलोली ग्राम पंचायत (जिला थाने, महाराष्ट्र) के सरपंच का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) उक्त अभ्यावेदन में मांग के समर्थन में किन-किन मुख्य बातों का उल्लेख किया गया है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

**रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) से (ग) चिखलोली में रेलवे स्टेशन खोलने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन इस प्रस्ताव की जांच हड़ताल पहले की गई थी और आर्थिक दृष्टि से इसे औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

**जलपोत खरीदने के लिए दीर्घकालीन सहयोग परियोजना बनाने हेतु समिति**

2206. **श्री बापू साहिब परुलेकर** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यथार्थवादी आधार पर व्यवसाय की आवश्यकता के अनुसार जलपोत खरीदने के लिए दीर्घकालीन सहयोग परियोजना बनाने हेतु नौवहन और परिवहन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है और यदि हां, तो कब;

(ख) क्या इस प्रकार की समिति की नियुक्ति के लिए नेशनल शिपिंग बोर्ड ने कोई सिफारिश की थी और उक्त समिति नियुक्त करने के क्या कारण हैं तथा समिति के निदेश-पद क्या हैं;

(ग) क्या समिति को रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है और यदि हां, तो उसमें क्या-क्या सिफारिशें की गयी हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो समिति द्वारा रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की आशा है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) जी, हां। समिति 15-9-1980 को नियुक्त की गई थी।

(ख) नौवहन महानिदेशक ने 17-4-1979 को हुई राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड की बैठक में सुझाव दिया था कि एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाये जो वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जहाजों की खरीद करने के लिए दीर्घकालीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी। व्यवसाय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नवें दशक में नौवहन का विकास करने के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार करने के लिए समिति का गठन किया गया है। इस समिति के विचारार्थ विषय अनुबंध में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) उम्मीद है कि समिति अपनी रिपोर्ट एक महीने के अन्दर दे देगी।

**विवरण**

**समिति के विचारार्थ विषय**

नौवहन के विकास तथा अतिरिक्त जहाजों की खरीद के सम्बन्ध में नवे दशक के लिए एक रणनीति तैयार करने के लिए समिति का गठन करना।

भारत सरकार नौवहन के विकास और अपने देश के जहाजों को बहुत महत्व देती है। पिछले सालों में देश ने काफी अधिक संख्या में जहाज खरीदे हैं जो अलग-अलग किस्मों में और अलग-अलग क्षमता के हैं। नौवहन और परिवहन मंत्रालय ने छठी योजना के दौरान कुछ और जहाज खरीदने के बारे में कुछ प्रस्ताव पेश किए हैं। होनावर समिति, राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति और कुछ अन्य समितियों ने इस बात पर जोर दिया है कि देश में नौवहन को मजबूत किया जाए और उसका विकास किया जाए। ऐसे किसी भी विस्तार कार्यक्रम के लिए जरूरी है कि उसका सम्बन्ध व्यापार के ढांचे, यातायात, मौजूदा लाइनर और बल्क व्यापार इत्यादि के साथ जोड़ा जाए। इनके लिए यह भी जरूरी है कि जहाजों की खरीद के सम्बन्ध में समुचित प्रस्ताव तैयार करते समय समन्वित रूप से प्रयास किया जाए। इन प्रस्तावों में जहाजों का साइज और उनकी टाइप इत्यादि का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। इस प्रकार के प्रस्ताव तैयार करते समय राष्ट्रीय टनेज में वृद्धि करने के लिए मात्र जहाजों की खरीद करने के बजाए इस बात का भी

ख्याल रखा जाए कि अन्य संबंधित कारणों के अलावा व्यापार और वाणिज्य के ढांचे में क्या-क्या परिवर्तन हो सकते हैं ;

**जी० आर० पी० के कर्तव्य**

2207. **श्री पी० यादव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न रेल स्टेशनों पर काम कर रहे जी० आर० पी० के निर्धारित कर्तव्य क्या हैं ?

**रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** रेलवे स्टेशनों पर तैनात राजकीय रेलवे पुलिस के कर्मचारियों की ड्यूटियां निम्नलिखित हैं :—

1. रेलवे पुलिस द्वारा ज्ञेय अपराधों का पता लगाना और जांच पड़ताल करना ।
2. रेल अधिनियम 1890 की धारा 132 के अन्तर्गत पूछ-ताछ करना और रिपोर्ट करना ।
3. ज्ञेय मामलों और अन्य मामलों में, जिनमें कानून द्वारा गिरफ्तार करने का अधिकार होता है, दोषियों को गिरफ्तार करना और उन्हें बन्द करना ।
4. रेल अधिनियम के अन्तर्गत ज्ञेय और अज्ञेय अपराधों को न्यायालय में अभियोजित करना ।
5. रेलवे के अधिनस्थ कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों के उत्पीड़न और धौखाधड़ी के सभी मामलों की रिपोर्ट करना ।
6. विशेष चुनिन्दा अधिकारियों और व्यक्तियों को यात्री गाड़ी में सफर करने पर साथ चलना तथा अपराधों की रोकथाम तथा जांच पड़ताल करना सन्देहास्पद व्यक्तियों पर निगाह रखना ।
7. पुलिस के नोटिस में लाए गए सभी प्रकार के विवरणों के रिपोर्ट और शिकायतों को निर्धारित रजिस्टरों में और अपराध पुस्तकों में दर्ज करना ।
8. स्टेशन परिसरों के भीतर विशेष रूप से प्लेट फार्मों, बुकिंग कार्यालयों, प्रतिक्षालयों में और जहां कही स्टेशन अधिकारियों द्वारा विशेष रूप से अपेक्षित समझा जाए, प्रवेश और निकासी गेटों पर यात्री यातायात को नियन्त्रित करना ।
9. स्टेशन कम्पाउंड में वाहन तथा अन्य यातायात को नियन्त्रित करना ।
10. बड़ी यात्री गाड़ियों में व्यवस्था बनाये रखना, भीड़-भाड़ की रोक थाम करना आदि ।

11. स्टेशनों पर यात्रियों से भरी खड़ी गाड़ियों की देखभाल करना।

12. गड़बड़ करते पाये जाने वाले या संक्रामक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को पकड़ना तथा निकम्मे व्यक्तियों और भिखारियों को स्टेशन परिशरों में न रहने देना।

13. टर्मिनल स्टेशनों पर पहुँचने पर सभी खाली सवारी डिब्बों की यात्रियों द्वारा छोड़ी गयी सम्पत्ति के लिए जांच करना और यह देखना कि सवारी डिब्बों की फिटिंगों से छेड़ छाड़ तो नहीं की गई है।

14. गाड़ियों में और स्टेशन परिसरों में मरने वाले व्यक्तियों की लाशों को हटाना और रोगी यात्रियों को अस्पताल पहुँचाना।

**रामपुर-बस्तर राष्ट्रीय मार्ग पर इन्द्रावती नदी पर पुल**

2208. **श्री लक्ष्मण वर्मा :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामपुर बस्तर राष्ट्रीय राजमार्ग पर इन्द्रावती नदी पर पुल का निर्माण करने हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस ऊपरी पुल का निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाएगा ; और

(ग) क्या यह सच है कि इस संबंध में राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को भी पत्र लिखा है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) :** (क) हां।

(ख) पुल के लिए अनुमान जनवरी, 1981 में स्वीकृत किए गए हैं। इसके लिए राज्य के लोक निर्माण विभाग द्वारा टेंडर मंगाने और इन पर निर्णय लेने के बाद ही यह कहा जा सकता है कि निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा।

(ग) नहीं।

**परादीप पत्तन द्वारा उठाई गई हानि**

2209. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि परादीप पत्तन के चेयरमैन ने पत्तन न्यास द्वारा उठाई गई हानि से सम्बन्धित तथ्य को स्वीकार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो गत 3 वर्षों के दौरान कितनी-कितनी हानि हुई और तत्संबंधी कारण क्या हैं, और

(ग) सरकार का इस घाटे को कैसे पूरा करने का विचार है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) जी हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान परादीप पत्तन न्यास द्वारा उठाई गई हानि निम्नलिखित है :—

| | |
|---|---|
| 1977-78 | 2.44 करोड़ रुपये |
| 1978-79 | 3.60 करोड़ रुपये |
| 1979-80 | 3.64 करोड़ रुपये |

उपरोक्त हानि के लिए जिम्मेदार कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) पत्तन के द्वारा लौह अयस्क के यातायात में भारी गिरावट

(2) पत्तन के कर्मचारियों के वेतनमानों तथा मजूरी में प्रायः की जाने वाली वेतन वृद्धि,

(3) अनुरक्षण तथा उत्तरी समुद्री किनारे का रख-रखाव, समुद्री दीवार का अनुरक्षण, निकर्षण तथा गैर शहरी इलाके में स्थित होने के कारण सफाई सुविधाओं की व्यवस्था आदि जो कि गैर लाभकारी है, की व्यवस्था का किया जाना।

(ग) परादीप पत्तन की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए यह आवश्यक है। लौह अयस्यक के निर्यात में वृद्धि की जाए तथा सामान्य माल के उतार-लदान की सुविधाओं में वृद्धि की जाए। इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं :—

(1) अयस्क लदान-उतार संयंत्र में सुधार तथा आशोधन की योजना पर कार्य किया जा रहा है तथा इसके 1983 में पूरा होने पर पत्तन 4 मिलियन टन प्रति वर्ष लौह अयस्क का उतार-लदान कर सकेगी।

(2) एक दूसरी सामान्य माल बर्थ का निर्माण किया जा रहा है।

(3) एक तीसरी सामान्य माल बर्थ के निर्माण के प्रस्ताव को छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है।

**कोयले की ढुलाई**

2210. **श्री के० प्रधानी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयले की ढुलाई में पर्याप्त वृद्धि हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो दिसम्बर, 1980 और जनवरी, 1981 में कोयले की औसत दैनिक ढुलाई की मात्रा कितनी है;

(ग) क्या यह सच है कि बिजली-घरों को कोयले की ढुलाई में भी वृद्धि की गई है; और

(घ) यदि हां, तो बिजली-घरों को कोयले की दैनिक ढुलाई की औसत मात्रा कितनी है ?

**रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) और (ख) जी हां। कोयले का दैनिक औसत लदान जो दिसम्बर, 80 में 9,447 माल डिब्बे था जनवरी, 81 में बढ़कर 9,639 माल डिब्बे हो गया है।

(ग) और (घ) जी हां। बिजलीघरों के लिए कोयले का दैनिक औसत-लदान फरवरी, 1981 में (23 फरवरी तक) बढ़कर 3966 माल डिब्बे हो गया है जबकि नवम्बर, 1980 में इन माल डिब्बों की संख्या 3197, दिसम्बर, 80 में 3533 तथा जनवरी, 81 में 3643 थी।

**कोच निर्माण संयंत्र के लिए विश्व बैंक ऋण**

4211. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे ने एक नये कोच-निर्माण संयंत्र के लिए विश्व बैंक से ऋण लेने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में विश्व बैंक का क्या उत्तर है ?

**रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) और (ख) अभी हाल ही में विश्व बैंक के साथ कुछ प्रारम्भिक विचार-विमर्श हुए हैं। उन्होंने परियोजनाओं में रुचि दिखाई है।

**रेलों पर सामाजिक दायित्व**

2212. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे पर सामाजिक दायित्व सम्बन्धी समिति के मंत्रालय को अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशों सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

**रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी हां।

(ख) भारतीय रेलों पर सामाजिक दायित्व पर उच्चाधिकार समिति की सिफारिशों की मुख्य-मुख्य बातें नीचे दी गई हैं :—

1. रेलों के उन मदों, जिन्हें वे लागत से कम पर ढोती हैं, की माल भाड़ा दरों में वृद्धि करने की अनुमति दी जाये और यदि रेलों को वृद्धि करने की अनुमति नहीं दी

जाती तो केन्द्रीय सरकार द्वारा उनके द्वारा उठायी गयी हानि की प्रतिपूर्ति कर दी जाये ।

2. बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जैसे महानगरों में उपनगरीय गाड़ियों के लिए इकहरी यात्रा रेल किराया बस किराये से कम नहीं होना चाहिए । इन तीन शहरों में मासिक सीजन टिकट किराया, एक माह में 24 इकहरी यात्राओं के हिसाब से निर्धारित किया जाये और एक माह के सीजन टिकट किराया ढाई गुना के आधार पर तिमाही सीजन टिकटों को जारी करने की वर्तमान परिपाटी को तुरन्त समाप्त कर दिया जाये । यद्यपि, सीजन टिकट किराये में यह वृद्धि एक बार ही करना रेलों के लिए संभव नहीं होगा, अतः यह वृद्धि उत्तरोत्तर और धीरे-धीरे की जानी चाहिए तथा पूरी प्रक्रिया को तीन वर्षों की अवधि में पूरा कर लिया जाये । तब तक रेलों को उपनगरीय यातायात से होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति सामान्य राजस्व से की जाये ।

3. पचास किलोमीटर तक दूसरे दर्जे के लिए प्रचालित विशेष किराया सूची समाप्त कर दी जाये ।

4. पहाड़ी स्थानों के लिए दी जाने वाली रियायतों का व्यस्त मौसम में दिया जाना अभी से समाप्त कर दिया जाना चाहिए और यदि कोई पहाड़ी रियायत देनी ही हो तो केवल व्यस्त मौसम के बाद दी जाये ।

5. रियायतें केवल शैक्षिणिक दौरों पर जाने वाले विद्यार्थियों और शिक्षकों को दी जानी चाहिए और तदनुसार विद्यार्थियों को शैक्षिणिक दौरों से भिन्न दी जाने वाली रियायतें वापस ले ली जाएं ।

6. कैंसर और टी० बी० के मरीजों, अंधे व्यक्तियों, अपंग और विकलांग व्यक्तियों कुष्ठ रोगियों, रेड क्रास और नर्सों, पार्टियों और कैम्पों पर जाने वाले एन०सी० सी० और भारत स्काउटों तथा गाइडों को यह रियायतें जारी रखी जायें ।

7. अलाभप्रद शाखा लाइनों को जारी न रखा जाये और रेल मन्त्रालय इस सम्बन्ध में तुरन्त आवश्यक कदम उठाये ।

8. राजकीय रेलवे पुलिस का खर्च सम्बन्धित राज्य सरकारों और रेल मन्त्रालय के बीच आधा-वहन किया जाये ।

9. सैनिक यातायात यात्री सेवाओं और माल सेवाओं दोनों के लिए सामान्य माल भाड़ा दरें प्रभारित की जानी चाहिए ।

10. डाक-तार यातायात की ढुलाई पर रेलों को होने वाली हानि की सम्पूर्ण प्रतिपूर्ति डाक एवं तार बोर्ड द्वारा की जानी चाहिए ।

11. रेलों को घाट उतराई सेवाओं के लिए आर्थिक दृष्टि से संगत दरें निर्धारित की जानी चाहिए और यदि रेलों को ऐसी दरें निर्धारित नहीं करने दिया जाता तो उन्हें इन अलाभप्रद सेवाओं को हटा लेने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि उनके बदले ठेकेदार—चालित सेवाएं चालू की जा सके ।

12. रेलों को अपनी लागत तकनीक में सुधार करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि माल, यात्री और अन्य कोचिंग सेवाओं का मूल्य लागत से कभी भी कम न होने पाये ।

समिति की सिफारिशों को रेल दर जांच समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसने इन पर विचार किया है और अपनी रिपोर्ट में टिप्पणी दे दी है । रेल दर जांच समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन होने पर स्वीकृत सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाएगा ।

**कांगड़ा घाटी रेलवे में हाल्ट स्टेशन**

2213. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांगड़ा घाटी रेलवे में गुलेर तथा ज्वालामुखी रोड रेलवे स्टेशनों के बीच लुंसू में एक हाल्ट/फ्लेग स्टेशन बनाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में स्थानीय जनता का अंशदान क्या है और इस हाल्ट/फ्लैग स्टेशन के किस तारीख तक खुल जाने की सम्भावना है ?

**रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) गुलेर और ज्वालामुखी रोड स्टेशनों के बांच लुनसू में एक हाल्ट स्टेशन निर्माणाधीन है ।

(ख) मिट्टी डालने तथा स्टेशन की इमारत बनाने के लिए स्थानीय लोगों ने श्रमदान किया है। हाल्ट की मार्च, 1982 तक खोलने की योजना है ।

**आसनसोल रेलवे स्टेशन**

2214. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आसनसोल रेलवे स्टेशन के विकास पर गत तीन वर्षों के दौरान, प्रयोजनवार और वर्षवार कुल कितनी राशि व्यय की गयी है ?

**रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : 1978-79 से 1980-81 के पिछले तीन वर्षों के दौरान आसनसोल रेलवे स्टेशन पर सुधार कार्य पर खर्च की गयी कुल रकम का विवरण नीचे दिया गया है :—

(हजार रुपयों में)

| कार्य का विवरण | 1978-79 | 1979-80 | 1980-81 |
|---|---|---|---|
| 1. प्लेट फार्म शेड का विस्तार, शौचालय और मूत्रालयों की व्यवस्था, पानी का प्रबन्ध, विश्रामालय के फर्नीचरों का सुधार/आधुनिकीकरण, चाय के स्टालों का नवीकरण, नये शेड में लकड़ी के बैंन्चों की व्यवस्था करना इत्यादि | 45.50 | 40.81 | 12.00 |
| 2. रूट रिले अन्तर्पार्शन की व्यवस्था | 93.09 | 16.87 | शून्य |
| 3. रेल डाक सेवा के कर्मचारियों के लिए केन्टीन को इमारत की व्यवस्था | 20.15 | शून्य | शून्य |
| 4. स्टेशन इमारत की मरम्मत एवं अनुरक्षण सफेदी तथा रंग-रोगन करना आदि | 57.98 | 22.21 | 48.05 |
| जोड़ | 216.72 | 79.89 | 60.05 |

**उत्कल और नीलांचल एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाया जाना**

2215. **श्री रामचन्द्र रथ** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्कल एक्सप्रेस और नीलांचल एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलने वाली गाड़ियों में बदलने के लिए उड़ीसा के लोगों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन दोनों गाड़ियों को 1981-82 के दौरान प्रतिदिन चलाने का निर्णय लेने वाली है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**तिलकनगर में मुख्य बस अड्डा**

2216. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिलक नगर नई दिल्ली में मुख्य बस अड्डा बनाने के कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा;

(ख) क्या यह सच है कि पश्चिम दिल्ली में मुख्य बस अड्डे के लिए स्थान विगत कई वर्षों से खाली पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना के क्रियान्वित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) नई दिल्ली में तिलक नगर के पास मेन बस टर्मिनल बनाने के बारे में दिल्ली परिवहन निगम का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं होता ।

**दक्षिण पूर्व रेलवे के खुर्दा रोड प्रभाग में गाड़ियों का देर से आना-जाना**

2217. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे के खुर्दारोड प्रभाग में गाड़ियां समय पर नहीं आ-जा रही हैं;

(ख) क्या यह सच है कि खुर्द रोड प्रभाग में बिना टिकट यात्रा करने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है;

(ग) यदि हां, तो सरकार का गाड़ियों के समय पर चलने के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार है; और

(घ) सरकार का बिना टिकट यात्रा करने वालों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है ?

**रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) नवम्बर, 1980 से जनवरी, 1981 के दौरान खोरधा रोड मंडल पर सभी यात्री गाड़ियों का समय-पाबंदी निष्पादन 90 से 95 प्रतिशत के बीच था ।

(ख) जी नहीं ।

(हजार रुपयों में)

| कार्य का विवरण | 1978-79 | 1979-80 | 1980-81 |
|---|---|---|---|
| 1. प्लेट फार्म शेड का विस्तार, शौचालय और मूत्रालयों की व्यवस्था, पानी का प्रबन्ध, विश्रामालय के फर्नीचरों का सुधार/आधुनिकीकरण, चाय के स्टालों का नवीकरण, नये शेड में लकड़ी के बैन्चों की व्यवस्था करना इत्यादि | 45.50 | 40.81 | 12.00 |
| 2. रूट रिले अन्तर्पार्शन की व्यवस्था | 93.09 | 16.87 | शून्य |
| 3. रेल डाक सेवा के कर्मचारियों के लिए केन्टीन को इमारत की व्यवस्था | 20.15 | शून्य | शून्य |
| 4. स्टेशन इमारत की मरम्मत एवं अनुरक्षण सफेदी तथा रंग-रोगन करना आदि | 57.98 | 22.21 | 48.05 |
| जोड़ | 216.72 | 79.89 | 60.05 |

**उत्कल और नीलांचल एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाया जाना**

2215. **श्री रामचन्द्र रथ** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्कल एक्सप्रेस और नीलांचल एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलने वाली गाड़ियों में बदलने के लिए उड़ीसा के लोगों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन दोनों गाड़ियों को 1981-82 के दौरान प्रतिदिन चलाने का निर्णय लेने वाली है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**तिलकनगर में मुख्य बस अड्डा**

2216. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिलक नगर नई दिल्ली में मुख्य बस अड्डा बनाने के कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा;

(ख) क्या यह सच है कि पश्चिम दिल्ली में मुख्य बस अड्डे के लिए स्थान विगत कई वर्षों से खाली पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना के क्रियान्वित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) नई दिल्ली में तिलक नगर के पास मेन बस टर्मिनल बनाने के बारे में दिल्ली परिवहन निगम का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं होता।

**दक्षिण पूर्व रेलवे के खुर्दा रोड प्रभाग में गाड़ियों का देर से आना-जाना**

2217. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे के खुर्दारोड प्रभाग में गाड़ियां समय पर नहीं आ-जा रही हैं;

(ख) क्या यह सच है कि खुर्दा रोड प्रभाग में बिना टिकट यात्रा करने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है;

(ग) यदि हां, तो सरकार का गाड़ियों के समय पर चलने के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार है; और

(घ) सरकार का बिना टिकट यात्रा करने वालों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है ?

**रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) नवम्बर, 1980 से जनवरी, 1981 के दौरान खोरधा रोड मंडल पर सभी यात्री गाड़ियों का समय-पाबंदी निष्पादन 90 से 95 प्रतिशत के बीच था।

(ख) जी नहीं।

(ग) गाड़ियों की समय-पाबन्दी में और सुधार लाने के लिए सभी व्यावहारिक उपाय किये जा रहे हैं।

(घ) खोरधा रोड मंडल पर बिना टिकट यात्रा की समस्या के प्रति रेलवे पूरी तरह जागरूक है। - विभिन्न प्रकार की नियमित तथा अचानक जांच के अतिरिक्त, टिकट जांच कर्मचारियों के भारी दल, सुरक्षा बल, सरकारी रेलवे पुलिस तथा स्थानीय पुलिस कर्मियों के साथ रेलवे मजिस्ट्रेटों की सहायता से व्यापक पैमाने पर जांच की जाती है। इन जांचों को और तेज किया जा रहा है।

**दिन में चलने वाली सलेम-धर्मपुरा यात्री गाड़ी का बंगलौर तक चलाया जाना**

2218. **श्री एम० सुन्दराजन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार दिन में चलने वाली गाड़ी को जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बंगलौर तक बढ़ाने का है ?

**रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : सेलम और बेंगलुरु के बीच चलने के लिए 2 जोड़ी गाड़ियां निर्धारित है। सम्प्रति, सेलम और धर्मपुरा के बीच कोई गाड़ी नहीं चल रही है, अतः उसके विस्तार का प्रश्न नहीं उठता।

**केरल में दोहरी लाइनें**

2219. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में दोहरी लाइन बनाने का प्रस्तावित योजना का विवरण क्या है;

(ख) कुल कितनी लम्बी दोहरी लाइनें बिछाई जाएंगी, और अब तक कितनी लम्बी लाइनें बिछाई गई हैं; और

(ग) प्रस्तावित लम्बाई पर कब तक दोहरी लाइनें बिछाने का कार्य पूरा कर लिये जाने की संभावना है ?

**रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) शेरुवण्णूर-एर्णाकुलम लाइन पर शेष निम्नलिखित तीन टुकड़ों में 3.21 करोड़ रुपये की लागत से दोहरी लाइन बिछाने का काम 1981-82 के बजट में शामिल कर लिया गया है।

1. मुलमुणतुकावु-त्रिचुर (8.98 कि० मी०)

2. इरिंजाल कुडा-चालकुड़ी (6.23 कि० मी०)

3. अंगमालि-अत्वाय (9.12 कि० मी०)

(ख) 87.43 कि० मी० लम्बे शेरुवण्णूर-अल्वाय खंड पर दो टुकड़ों अर्थात मुल्लुकरै-वडक्काचेरी और पुडुकाड इरिंजाल कुडा के बीच कुल 18.5 कि० मी० लम्बे मार्ग को यातायात के लिए खोल दिया गया है। शेरुवण्णूर-मुल्लुकरै, वडक्काचेरी-मुलमुण्णातकावु, त्रिचूर-पुडकाड और चालकुडी-अंमालि अर्थात चार टुकड़ों में : जिनकी कुल लम्बाई 44.6 कि० मी० है, काम प्रगति पर है।

(ग) लगभग तीन वर्ष।

**'पार्टनर्स इन लूट' शीर्षक समाचार**

2220. **श्री एस० एम० कृष्ण :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 फरवरी, 1981 के पैट्रियट नई दिल्ली में 'पार्टनर्स इन लूट' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित 'अराउण्ड दि कैपिटल' लेख की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सफरी रेल कर्मचारी सुपर फास्ट रेलगाड़ियों में बर्थ देने के मामले में यात्रियों को इस तरह ऐंठ कर न केवल रेल विभाग की कीमत पर अपनी जेबें भरते हैं बल्कि प्रतीक्षा सूची में शामिल वास्तविक यात्रियों को भी असुविधा पहुँचाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार सभी मुख्य रेलगाडियों, विशेषकर दक्षिण जाने वाली गाड़ियों में चल रहे उस कदाचार को रोकने के लिए क्या कड़े उपाय करने का है ?

**रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) :** (क) जी हां।

(ख) से (घ) अब तक प्रभावित यात्रियों की ओर से कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं होती, तब तक समाचार पत्रों में, छपे भ्रष्टाचार के तरीकों की जांच करना सम्भव नहीं है। फिर भी, आरक्षित और ऊंचे दर्जे के यानों में चल टिकट परीक्षकों/कंडक्टरों/यान परिचरों के कार्य के बारे में क्षेत्रीय रेलों के साथ-साथ रेलवे बोर्ड के वाणिज्य तथा सतर्कता निदेशालयों द्वारा गाड़ियों पर बार-बार जांच की जाती है। यदि गाड़ी में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों द्वारा कोई अनियमितता की गयी पाई जाती है, तो उस पर तुरन्त कार्रवाई की जाती है।

अंतिम क्षणों में रद्द की गयी शायिकाओं का चल टिकट परीक्षकों द्वारा अपनी मर्जी से आबंटन खत्म करने के लिए प्रत्याशित रद्द होने वाली शायिकाओं के विरुद्ध कुछ प्रतिशत ज्यादा बुकिंग की जाती है। अनुपस्थित बुक किये गये यात्रियों और रद्द हुई शायिकाओं के विरुद्ध चलती गाड़ी में अब प्रतिक्षासूची पर कुछ यात्रियों का आरक्षण पक्का कर दिया जाता है। लम्बी दूरी की गाड़ियों में 14 प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को बैठने के स्थान की व्यवस्था करने के लिए दूसरे दर्जे के शयनयान में एक लम्बी सीट लगाई जा रही है तथा पहले दर्जे के चार शायिकाओं

(ग) गाड़ियों की समय-पाबन्दी में और सुधार लाने के लिए सभी व्यावहारिक उपाय किये जा रहे हैं।

(घ) खोरधा रोड मंडल पर बिना टिकट यात्रा की समस्या के प्रति रेलवे पूरी तरह जागरूक है। - विभिन्न प्रकार की नियमित तथा अचानक जांच के अतिरिक्त, टिकट जांच कर्मचारियों के भारी दल, सुरक्षा बल, सरकारी रेलवे पुलिस तथा स्थानीय पुलिस कर्मियों के साथ रेलवे मजिस्ट्रेटों की सहायता से व्यापक पैमाने पर जांच की जाती है। इन जांचों को और तेज किया जा रहा है।

**दिन में चलने वाली सलेम-धर्मपुरी यात्री गाड़ी का बंगलौर तक चलाया जाना**

2218. **श्री एम० सुन्दराजन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार दिन में चलने वाली गाड़ी को जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बंगलौर तक बढ़ाने का है ?

**रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : सेलम और बेंगलुरु के बीच चलने के लिए 2 जोड़ी गाड़ियां निर्धारित है। सम्प्रति, सेलम और धर्मपुरी के बीच कोई गाड़ी नहीं चल रही है, अतः उसके विस्तार का प्रश्न नहीं उठता।

**केरल में दोहरी लाइनें**

2219. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में दोहरी लाइन बनाने का प्रस्तावित योजना का विवरण क्या है;

(ख) कुल कितनी लम्बी दोहरी लाइनें बिछाई जाएंगी, और अब तक कितनी लम्बी लाइनें बिछाई गई हैं; और

(ग) प्रस्तावित लम्बाई पर कब तक दोहरी लाइनें बिछाने का कार्य पूरा कर लिये जाने की संभावना है ?

**रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) शेरुवण्णूर-एर्णाकुलम लाइन पर शेष निम्नलिखित तीन टुकड़ों में 3.21 करोड़ रुपये की लागत से दोहरी लाइन बिछाने का काम 1981-82 के बजट में शामिल कर लिया गया है।

1. मुलमुणतुकावु-त्रिचुर (8.98 कि० मी०)

2. इरिंजाल कुडा-चालकुड़ी (6.23 कि० मी०)

3. अंगमालि-अत्वाय (9.12 कि० मी०)

(ख) 87.43 कि० मी० लम्बे शेरुवण्णूर-अल्वाय खंड पर दो टुकड़ों अर्थात मुल्लुकरै-वडक्काचेरी और पुडुकाड इरिंजाल कुडा के बीच कुल 18.5 कि० मी० लम्बे मार्ग को यातायात के लिए खोल दिया गया है। शेरुवण्णूर-मुल्लुकरै, वडक्काचेरी-मुलमुण्णातकावु, त्रिचूर-पुडकाड और चालकुडी-अंमालि अर्थात चार टुकड़ों में : जिनकी कुल लम्बाई 44.6 कि० मी० है, काम प्रगति पर है।

(ग) लगभग तीन वर्ष।

**'पार्टनर्स इन लूट' शीर्षक समाचार**

2220. **श्री एस० एम० कृष्ण :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 फरवरी, 1981 के पैट्रियट नई दिल्ली में 'पार्टनर्स इन लूट' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित 'अराउण्ड दि कैपिटल' लेख की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सफरी रेल कर्मचारी सुपर फास्ट रेलगाड़ियों में बर्थ देने के मामले में यात्रियों को इस तरह ऐंठ कर न केवल रेल विभाग की कीमत पर अपनी जेबें भरते हैं बल्कि प्रतीक्षा सूची में शामिल वास्तविक यात्रियों को भी असुविधा पहुँचाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार सभी मुख्य रेलगाडियों, विशेषकर दक्षिण जाने वाली गाड़ियों में चल रहे उस कदाचार को रोकने के लिए क्या कड़े उपाय करने का है ?

**रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) :** (क) जी हां।

(ख) से (घ) अब तक प्रभावित यात्रियों की ओर से कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं होती, तब तक समाचार पत्रों में, छपे भ्रष्टाचार के तरीकों की जांच करना सम्भव नहीं है। फिर भी, आरक्षित और ऊंचे दर्जे के यानों में चल टिकट परीक्षकों/कंडक्टरों/यान परिचरों के कार्य के बारे में क्षेत्रीय रेलों के साथ-साथ रेलवे बोर्ड के वाणिज्य तथा सतर्कता निदेशालयों द्वारा गाड़ियों पर बार-बार जांच की जाती है। यदि गाड़ी में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों द्वारा कोई अनियमितता की गयी पाई जाती है, तो उस पर तुरन्त कार्रवाई की जाती है।

अंतिम क्षणों में रद्द की गयी शायिकाओं का चल टिकट परीक्षकों द्वारा अपनी मर्जी से आबंटन खत्म करने के लिए प्रत्याशित रद्द होने वाली शायिकाओं के विरुद्ध कुछ प्रतिशत ज्यादा बुकिंग की जाती है। अनुपस्थित बुक किये गये यात्रियों और रद्द हुई शायिकाओं के विरुद्ध चलती गाड़ी में अब प्रतिक्षासूची पर कुछ यात्रियों का आरक्षण पक्का कर दिया जाता है। लम्बी दूरी की गाड़ियों में 14 प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को बैठने के स्थान की व्यवस्था करने के लिए दूसरे दर्जे के शयनयान में एक लम्बी सीट लगाई जा रही है तथा पहले दर्जे के चार शायिकाओं

(ग) गाड़ियों की समय-पाबन्दी में और सुधार लाने के लिए सभी व्यावहारिक उपाय किये जा रहे हैं।

(घ) खोरधा रोड मंडल पर बिना टिकट यात्रा की समस्या के प्रति रेलवे पूरी तरह जागरूक है। - विभिन्न प्रकार की नियमित तथा अचानक जांच के अतिरिक्त, टिकट जांच कर्मचारियों के भारी दल, सुरक्षा बल, सरकारी रेलवे पुलिस तथा स्थानीय पुलिस कर्मियों के साथ रेलवे मजिस्ट्रेटों की सहायता से व्यापक पैमाने पर जांच की जाती है। इन जांचों को और तेज किया जा रहा है।

**दिन में चलने वाली सलेम-धर्मपुरा यात्री गाड़ी का बंगलौर तक चलाया जाना**

2218. **श्री एम० सुन्दराजन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार दिन में चलने वाली गाड़ी को जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बंगलौर तक बढ़ाने का है ?

**रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : सेलम और बेंगलुरु के बीच चलने के लिए 2 जोड़ी गाड़ियां निर्धारित है। सम्प्रति, सेलम और धर्मपुरा के बीच कोई गाड़ी नहीं चल रही है, अतः उसके विस्तार का प्रश्न नहीं उठता।

**केरल में दोहरी लाइनें**

2219. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में दोहरी लाइन बनाने का प्रस्तावित योजना का विवरण क्या है;

(ख) कुल कितनी लम्बी दोहरी लाइनें बिछाई जाएंगी, और अब तक कितनी लम्बी लाइनें बिछाई गई हैं; और

(ग) प्रस्तावित लम्बाई पर कब तक दोहरी लाइनें बिछाने का कार्य पूरा कर लिये जाने की संभावना है ?

**रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) शेरुवण्णूर-एर्णाकुलम लाइन पर शेष निम्नलिखित तीन टुकड़ों में 3.21 करोड़ रुपये की लागत से दोहरी लाइन बिछाने का काम 1981-82 के बजट में शामिल कर लिया गया है।

1. मुलमुणतुकावु-त्रिचुर (8.98 कि० मी०)

2. इरिंजाल कुडा-चालकुड़ी (6.23 कि० मी०)

3. अंगमालि-अत्वाय (9.12 कि० मी०)

(ख) 87.43 कि० मी० लम्बे शेरुवण्णूर-अलवाय खंड पर दो टुकड़ों अर्थात मुल्लुकरै-वडक्काचेरी और पुडुकाड इरिंजाल कुडा के बीच कुल 18.5 कि० मी० लम्बे मार्ग को यातायात के लिए खोल दिया गया है। शेरुवण्णूर-मुल्लुकरै, वडक्काचेरी-मुलमुण्णातकावु, त्रिचूर-पुडकाड और चालकुडी-अंमालि अर्थात चार टुकड़ों में : जिनकी कुल लम्बाई 44.6 कि० मी० है, काम प्रगति पर है।

(ग) लगभग तीन वर्ष।

**'पार्टनर्स इन लूट' शीर्षक समाचार**

2220. **श्री एस० एम० कृष्ण :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 फरवरी, 1981 के पैट्रियट नई दिल्ली में 'पार्टनर्स इन लूट' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित 'अराउण्ड दि कैपिटल' लेख की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सफरी रेल कर्मचारी सुपर फास्ट रेलगाड़ियों में बर्थ देने के मामले में यात्रियों को इस तरह ऐंठ कर न केवल रेल विभाग की कीमत पर अपनी जेबें भरते हैं बल्कि प्रतीक्षा सूची में शामिल वास्तविक यात्रियों को भी असुविधा पहुँचाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार सभी मुख्य रेलगाडियों, विशेषकर दक्षिण जाने वाली गाड़ियों में चल रहे उस कदाचार को रोकने के लिए क्या कड़े उपाय करने का है ?

**रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मस्तिकाजुन) :** (क) जी हां।

(ख) से (घ) अब तक प्रभावित यात्रियों की ओर से कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं होती, तब तक समाचार पत्रों में, छपे भ्रष्टाचार के तरीकों की जांच करना सम्भव नहीं है। फिर भी, आरक्षित और ऊंचे दर्जे के यानों में चल टिकट परीक्षकों/कंडक्टरों/यान परिचरों के कार्य के बारे में क्षेत्रीय रेलों के साथ-साथ रेलवे बोर्ड के वाणिज्य तथा सतर्कता निदेशालयों द्वारा गाड़ियों पर बार-बार जांच की जाती है। यदि गाड़ी में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों द्वारा कोई अनियमितता की गयी पाई जाती है, तो उस पर तुरन्त कार्रवाई की जाती है।

अंतिम क्षणों में रद्द की गयी शायिकाओं का चल टिकट परीक्षकों द्वारा अपनी मर्जी से आबंटन खत्म करने के लिए प्रत्याशित रद्द होने वाली शायिकाओं के विरुद्ध कुछ प्रतिशत ज्यादा बुकिंग की जाती है। अनुपस्थित बुक किये गये यात्रियों और रद्द हुई शायिकाओं के विरुद्ध चलती गाड़ी में अब प्रतिक्षासूची पर कुछ यात्रियों का आरक्षण पक्का कर दिया जाता है। लम्बी दूरी की गाड़ियों में 14 प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को बैठने के स्थान की व्यवस्था करने के लिए दूसरे दर्जे के शयनयान में एक लम्बी सीट लगाई जा रही है तथा पहले दर्जे के चार शायिकाओं

वाला एक कम्पार्टमेंट निर्धारित किया जा रहा है। महत्वपूर्ण और सुपरफास्ट गाड़ियों में बार-बार जांच की जाती है और दोषी पाये जाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

**अखिल भारतीय लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के आंदोलन के दौरान हुई रेल दुर्घटनाएं**

2221. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के आन्दोलन के दौरान हुई रेल दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस छोटी सी अवधि में रेल दुर्घटनाओं में हुई वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ग) रेल दुर्घटनाएं न हों, इसके लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**रेल मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) अखिल भारतीय लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के आन्दोलन के दौरान भारतीय रेलों पर 78 रेल दुर्घटनाएं हुई। विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

| | |
|---|---|
| टक्कर | 5 |
| पटरी से उतरना | 64 |
| समपार की दुर्घटनाएं | 8 |
| गाड़ियों में आग | 1 |
| जोड़ | 78 |

(ख) जनवरी और फरवरी, 1981 के दौरान 162 गाड़ी दुर्घटनाएं हुई जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 130 दुर्घटनाएं हुई थी जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

| | जनवरी से फरवरी, 80 | जनवरी से फरवरी, 81 |
|---|---|---|
| टक्कर | 10 | 12 |
| पटरी से उतरना | 100 | 133 |
| समपार की दुर्घटनाएं | 16 | 13 |
| गाड़ियों में आग | 4 | 4 |
| जोड़ | 130 | 162 |

इससे स्पष्ट है कि दुर्घटनाओं में वृद्धि मुख्यत: गाड़ियों के पटरी से उतरने के कारण हुई।

(ग) चूंकि गाड़ी दुर्घटनाओं के कारणों में रेल कर्मचारियों की गलती सबसे बड़ा अकेला कारण रहा है, रेलों के संरक्षा संगठन, गाड़ियों के संचलन से सम्बन्धित कर्मचारियों में संमक्षण सम्बन्धी चेतना उत्पन्न करने के लिए सतत अभियान चला रहीं है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारी नियमों का उल्लंघन नहीं करते और लाघव विधियां नहीं अपनाते जिनसे दुर्घटना होने की आशंका रहती है।

गाड़ियों की जांच तथा सवारी तथा माल डिब्बा डिपुओं में मौके पर जांच को कड़ा कर दिया गया है और रेलपथ के उपयुक्त अनुरक्षण पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। मानवीय तत्व पर निरीता कम करने के लिए पहियों, धुरा और पटरियों, धुरा काउंटरों, रेलपथ परिपथन आदि के लिए परिष्कृत उपायों जैसे पराश्रव्य दोष संसूचकों को उत्तरोत्तर लागू किया जा रहा है।

**लखनऊ डिविजन में सीमाशुल्क अधिनियम का उल्लंघन**

2222. **श्री झारखंडे राय :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ डिविजन में सीमा शुल्क अधिनियम के उल्लंघन के लिए कितने रेल कर्मचारी गिफ्तार किये गए और उनमें से कितनों पर अपराध सिद्ध हुआ या जुर्माना किया गया; और

(ख) जिन कर्मचारियों पर जुर्माना किया गया या जो अपराधी ठहराये गये उनके विरुद्ध क्या विभागीय कार्यवाही की गई ?

**रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) :** (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

**सहायक अधीक्षकों के पद**

2223. **श्री ए० यू० आजमी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी 1981 को उत्तर रेलवे के मुख्यालय में तथा मंडल कार्यालयों में अस्थायी तथा स्थायी दोनों प्रकार के सहायक अधीक्षकों (कार्मिक) के कितने पद थे;

(ख) उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो सहायक अधीक्षक (कार्मिक) के रूप में तीन या चार वर्ष से ज्यादा समय से सेवा में रखे गए हैं लेकिन अभी तक उन्हें स्थायी नहीं किया गया है ;

(ग) उसके कारण क्या हैं और ऐसे मामलों में जहां स्थायी पद खाली है, वह सामान्य अवधि कितनी है जिसके पूरे होने के बाद व्यक्तियों को स्थायी किया जाता है;

वाला एक कम्पार्टमेंट निर्धारित किया जा रहा है। महत्वपूर्ण और सुपरफास्ट गाड़ियों में बार-बार जांच की जाती है और दोषी पाये जाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

**अखिल भारतीय लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के आंदोलन के दौरान हुई रेल दुर्घटनाएं**

2221. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के आन्दोलन के दौरान हुई रेल दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस छोटी सी अवधि में रेल दुर्घटनाओं में हुई वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ग) रेल दुर्घटनाएं न हों, इसके लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**रेल मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) अखिल भारतीय लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के आन्दोलन के दौरान भारतीय रेलों पर 78 रेल दुर्घटनाएं हुई। विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

| | |
|---|---|
| टक्कर | 5 |
| पटरी से उतरना | 64 |
| समपार की दुर्घटनाएं | 8 |
| गाड़ियों में आग | 1 |
| जोड़ | 78 |

(ख) जनवरी और फरवरी, 1981 के दौरान 162 गाड़ी दुर्घटनाएं हुई जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 130 दुर्घटनाएं हुई थी जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

| | जनवरी से फरवरी, 80 | जनवरी से फरवरी, 81 |
|---|---|---|
| टक्कर | 10 | 12 |
| पटरी से उतरना | 100 | 133 |
| समपार की दुर्घटनाएं | 16 | 13 |
| गाड़ियों में आग | 4 | 4 |
| जोड़ | 130 | 162 |

इससे स्पष्ट है कि दुर्घटनाओं में वृद्धि मुख्यत: गाड़ियों के पटरी से उतरने के कारण हुई।

(ग) चूंकि गाड़ी दुर्घटनाओं के कारणों में रेल कर्मचारियों की गलती सबसे बड़ा अकेला कारण रहा है, रेलों के संरक्षा संगठन, गाड़ियों के संचलन से सम्बन्धित कर्मचारियों में संमक्षण सम्बन्धी चेतना उत्पन्न करने के लिए सतत अभियान चला रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारी नियमों का उल्लंघन नहीं करते और लाघव विधियां नहीं अपनाते जिनसे दुर्घटना होने की आशंका रहती है।

गाड़ियों की जांच तथा सवारी तथा माल डिब्बा डिपुओं में मौके पर जांच को कड़ा कर दिया गया है और रेलपथ के उपयुक्त अनुरक्षण पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। मानवीय तत्व पर निरीता कम करने के लिए पहियों, धुरा और पटरियों, धुरा काउंटरों, रेलपथ परिपथन आदि के लिए परिष्कृत उपायों जैसे पराश्रव्य दोष संसूचकों को उत्तरोत्तर लागू किया जा रहा है।

**लखनऊ डिविजन में सीमाशुल्क अधिनियम का उल्लंघन**

2222. **श्री झारखंडे राय :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ डिविजन में सीमा शुल्क अधिनियम के उल्लंघन के लिए कितने रेल कर्मचारी गिफ्तार किये गए और उनमें से कितनों पर अपराध सिद्ध हुआ या जुर्माना किया गया; और

(ख) जिन कर्मचारियों पर जुर्माना किया गया या जो अपराधी ठहराये गये उनके विरुद्ध क्या विभागीय कार्यवाही की गई ?

**रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) :** (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

**सहायक अधीक्षकों के पद**

2223. **श्री ए० यू० आजमी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी 1981 को उत्तर रेलवे के मुख्यालय में तथा मंडल कार्यालयों में अस्थायी तथा स्थायी दोनों प्रकार के सहायक अधीक्षकों (कार्मिक) के कितने पद थे;

(ख) उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो सहायक अधीक्षक (कार्मिक) के रूप में तीन या चार वर्ष से ज्यादा समय से सेवा में रखे गए हैं लेकिन अभी तक उन्हें स्थायी नहीं किया गया है ;

(ग) उसके कारण क्या हैं और ऐसे मामलों में जहां स्थायी पद खाली है, वह सामान्य अवधि कितनी है जिसके पूरे होने के बाद व्यक्तियों को स्थायी किया जाता है;

(घ) क्या यह सच है कि जब कुछ वरिष्ठ सहायक अधीक्षकों (कार्मिक) को छोड़कर कनिष्ठ सहायक अधीक्षकों (कार्मिक) को स्थायी कर दिया गया है, यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और ऐसा कब किया गया; और

(ङ) इन व्यक्तियों को, जिन्होंने पहले ही लम्बे समय तक प्रतीक्षा की है, स्थायी करने में कितना और समय लगेगा ?

**रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) 99 ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता । फिर भी पदधारी स्थायी पद उपलब्ध होने पर, 18 महीने की संतोषजनक सेवा के बाद स्थायी किए जाने का पात्र हो जाता है ।

(घ) और (ङ) 28 स्थायी पदों पर सभी सहायक अधीक्षकों (कार्मिक) को, 2 को छोड़ कर जिनके मामले में गोपनीय रिपोर्टें तथा सतर्कता शाखा की पुष्टियां उपलब्ध नहीं थी, स्थायी कर दिया गया है । उन्हें भी जल्दी ही स्थायी कर दिया जाएगा ।

**तमिलनाडु में विदेशी मिशनों के कार्यालय**

2224. **श्री एन० डेनिस** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं तमिलनाडु में जिनके इस समय अपने निजी कार्यालय हैं; और

(ख) उनमें से ऐसे मिशनों की संख्या क्या है, तमिलनाडु में जिनके अपने निजी आवासीय कार्यालय भवन हैं ?

**विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव)** : (क) तमिलनाडु में निम्नलिखित देशों के कार्यालय हैं :—

1. आस्ट्रिया
2. ब्रिटेन
3. बेल्जियम
4. डेनमार्क
5. फिनलैंड
6. फ्रांस
7. जर्मन संघीय गणराज्य
8. इटली

9. जापान
10. मलयेशिया
11. नीदरलैंड
12. नाईजर
13. नार्वे
14. फिलिपीन्स
15. रोमानिया
16. स्पेन
17. श्रीलंका
18. स्वीडन
19. तुर्की
20. सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ
21. संयुक्त राज्य अमरीका
22. यूगोस्लाविया
23. चेकोस्लोवाकिया

(ख) तमिलनाडु की सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्यों में चार देशों की निजी निर्मित सम्पत्ति है।

**दुर्ग और जबलपुर के बीच 'हाई कोर्ट स्पेशल गाड़ी' का चलाना शुरू किया जाना**

2225. **श्री मुन्दर शर्मा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दुर्ग और जबलपुर के बीच तेज चलने वाली हाई-कोर्ट 'स्पेशल' गाड़ी चलाना शुरू किये जाने के सम्बन्ध में कोई सुझाव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी हां।

(ख) बिलासपुर-कटनी इकहरी लाइन वाले संतृप्त खंड पर लाइन क्षमता के अभाव तथा कोचिंग स्टाक की कमी के कारण चक्करदार मार्ग बिलासपुर और कटनी के रास्ते डूंगरगढ़ और जबलपुर के बीच एक गाड़ी चलाना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।

**पश्चिमपुरी, नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की एक डिस्पेंसरी खोलना**

2226. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री पश्चिमपुरी, नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की एक डिस्पेंसरी खोलने के बारे में 12 जून, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 593 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस क्षेत्र में उक्त प्रयोजन के लिए एक भवन किराये पर लेने में असफल रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को डिस्पेंसरी चलाने के लिए जनता क्वार्टरों के निकट दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम विभाग से एक बना बनाया फ्लैट अधिगृहीत करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त डिस्पेंसरी कहां तथा कब तक खोली जायेगी ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) :** (क) स्थान के लिए दिये गए विज्ञापन के संदर्भ में कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस मामले में शीघ्र निर्णय लिए जाने की सम्भावना है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जनता फ्लैटों में उपलब्ध स्थान उपयुक्त नहीं है।

**'ट्रेन एग्जामिनर' की श्रेणी में 'लीव रिजर्व'**

2227. **श्री सूरज भान :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड द्वारा 'ट्रेन एग्जामिनर' की श्रेणी में 'लीव रिजर्व' की निर्धारित अधिकतम प्रतिशत क्या है;

(ख) भारतीय रेल विभाग में वास्तव उपलब्ध में 'लीव रिजर्व ट्रेन एग्जामिनर' का प्रतिशत का जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह प्रतिशत पर्याप्त है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय करने का प्रस्ताव है ?

**रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :** (क) 25 प्रतिशत।

| | |
|---|---|
| (ख) मध्य | 15 % |
| पूर्व | 16-2/3% |
| उत्तर | 15/12.5 % |
| पूर्वोत्तर | 12.5 % |
| पूर्वोत्तर सीमा | 16-2/3 % |
| दक्षिण | 12.5 % |
| दक्षिण मध्य | 14 % |
| दक्षिण-पूर्व | 12.5 % |
| पश्चिम | 15 % |

(ग) गाड़ी परीक्षक कर्मचारियों का उपयोग गाड़ियों को पास करने की ड्यूटी और मरम्मत लाइनों में मरम्मत संबंधी कार्यों में किया जाता है। वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त समझी जाती है। किन्तु कुछ रेलों पर गाड़ी पास करने की ड्यूटी के सम्बन्ध में कुछ कमी है।

(घ) गैर-परियोजना और प्रशासनिक खर्च को प्रभार्य पदों के सृजन पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध है। किन्तु उन रेलों के लिए जिन्होंने राहत की व्यवस्था करने के लिए छुट्टी एवजी की अतिरिक्त व्यवस्था की मांग की उससे संबंधित मामले पर विचार किया जा रहा है।

**जोलारपेट-होसूर लाइन**

2228. **श्री सी० चिन्नास्वामी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोलारपेड-कृष्णगिरी-होसूर के बीच रेल लाइन बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**देश के आदिवासी क्षेत्रों में विशेष स्वास्थ्य समस्याएं**

2229. **श्री गिरधर गोमांगो :** क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के आदिवासी क्षेत्रों में विशेष स्वास्थ्य समस्याओं का पता करने के लिए उनके मन्त्रालय तथा सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा कोई योजनाबद्ध कार्य किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1979-80 और 1980-81 के वर्षों में सामने आई समस्याओं का मुकाबला करने के लिए क्या प्रभावी कार्यक्रम अपनाए गए और उनके लिए कितनी धनराशि रखी गई;

(घ) इन आदिवासी क्षेत्रों की समस्याओं तथा कार्यक्रमों के सम्बन्ध में उनके मंत्रालय ने राज्यों को क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए; और

(ङ) आदिवासी उप योजना के अन्तर्गत 1979-80 और 1980-81 के वर्षों में राज्यों द्वारा तथा उनके मंत्रालय द्वारा आदिवासी क्षेत्रों के लिए राज्यवार दी गई धनराशि कितनी है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) और (ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप केन्द्रों आदि का व्यापक जाल सा बिछा हुआ है, जिसके जरिये ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ आदिवासी क्षेत्रों में भी चिकित्सा सुविधाएं दी जा रही है। आदिवासी क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप केन्द्रों को खोलने के लिए मानदण्डों में ढील दे दी गई है। ढील दिये गए इन मानदण्डों के अधीन आदिवासी क्षेत्रों में 20,000 आबादी के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 3,000 की आबादी के लिए एक उप-केन्द्र खोला जायेगा, जबकि आदिवासी क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में यह संख्या क्रमश: 50,000 और 5,000 है। इनके अलावा विभिन्न ग्राम स्वास्थ्य योजनाओं के अधीन, जो राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा चलाई जा रही है, आदिवासी क्षेत्रों में उनके कार्यान्वयन में तरजीह और ढील दी जाती है।

(ग) 1979-80 और 1980-81 के दौरान आदिवासी क्षेत्रों में चलाये जा रहे कार्यक्रमों के बारे में एक विवरण 1 में दिया गया है, जिसमें धन का नियतन भी दिखाया गया है।

(घ) जहां कहीं आवश्यक था इस मंत्रालय, गृह मन्त्रालय तथा योजना आयोग द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अधीन उपयुक्त दिशा-निर्देश दे दिये गए हैं।

(ङ) इस सम्बन्ध में एक विवरण 2 में दिया गया है, जिसमें भिन्न-भिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत इस मन्त्रालय द्वारा निर्धारित किये गए धन के अलावा राज्य क्षेत्र में उसके लिए नियत किये गए धन को भी दिखाया गया है।

**विवरण 1**

वार्षिक योजना 1979-80 और 1980-81 के दौरान आदिवासी क्षेत्रों में चलाई जा रही योजना और उसके लिए जुटाये गए प्रस्तावित धन के सम्बन्ध में विवरण

| कार्यक्रम/योजना का नाम | आदिवासी क्षेत्रों में प्रत्याशित व्यय 1979-80 (रुपये लाखों में) | आदिवासी क्षेत्रों में निर्धारित प्रस्तावित धन 1980-81 (रुपये लाखों में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. जन स्वास्थ्य रक्षक योजना | 266.00 | 400.00 |
| 2. बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण और रोजगार। | 117.80 | 153.34 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3. दृष्टि विकार निवारण और दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम | 85.26 | 45.00 |
| 4. टी० बी० नियंत्रण | 17.32 | 17.32 |
| 5. कुष्ठ रोग नियंत्रण | 25.50 | 40.00 |
| 6. सम्भोग जनित रोग-नियंत्रण | 1.43 | 1.66 |
| 7. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (ग्रामीण) | 457.86 | 461.63 |
| 8. फाइलेरिया नियंत्रण | 1.60 | 2.00 |

**विवरण 2**

राज्य और केन्द्रीय क्षेत्रों के अधीन आदिवासी क्षेत्रों के लिए दिया गया प्रस्तावित धन

| क्रम संख्या | राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम | राज्य स्वास्थ्य क्षेत्र (रुपये लाखों में) | | केन्द्रीय क्षेत्र (रुपये लाखों में) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1979-80 | 1980-81 | 1979-80 | 1980-81 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 32.42 | 742.28 | 46.867 | 45.66 |
| 2. | असम | 57.00 | — | 32.050 | 42.49 |
| 3. | बिहार | 200.00 | — | 45.046 | 40.89 |
| 4. | गुजरात | 80.00 | — | 173.702 | 175.57 |
| 5. | हिमाचल प्रदेश | — | — | 9.354 | 11.51 |
| 6. | कर्नाटक | 13.00 | — | 10.125 | 8.69 |
| 7. | केरल | 5.00 | 9.35 | 0.090 | 0.40 |
| 8. | मध्य प्रदेश | 260.00 | 323.18 | 120.794 | 189.55 |
| 9. | महाराष्ट्र | — | 127.33 | 95.458 | 44.69 |
| 10. | मणिपुर | — | — | 21.254 | 27.51 |
| 11. | मेघालय | — | — | 20.673 | 34.39 |
| 12. | नागालैण्ड | — | — | 16.052 | 15.16 |
| 13. | उड़ीसा | 93.41 | 157.70 | 89.815 | 89.39 |
| 14. | राजस्थान | 25.16 | 85.63 | 50.249 | 57.30 |
| 15. | तमिलनाडु | 27.50 | 31.50 | 7.146 | 4.47 |

| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 16. त्रिपुरा | 37.00 | — | 11.192 | 12.40 |
| 17. उत्तर प्रदेश | 2.88 (+ एस०सी०ए०) | 3.57 | 4.520 | 8.31 |
| 18. पश्चिम बंगाल | — | — | 35.380 | 52.80 |
| 19. अरुणाचल प्रदेश | — | — | 35.150 | 61.12 |
| 20. गोवा दमन व दीव | — | — | 1.913 | 1.36 |
| 21. मिजोरम | — | — | 30.980 | 34.71 |
| 22. दादर व नगर हवेली | — | — | 6.596 | 4.02 |
| 23. लक्षद्वीप | — | — | 4.041 | 3.64 |

**रेलवे में अनियमितताएं और दोष**

2230. **श्री नवीन रवाणी**
**श्री रामजी भाई मावाणी**
**श्री के० पी० सिंह देव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ द्वारा हाल ही में रेल विभाग में हो रही बहुत सी अनियमितताओं तथा दोषों आदि की ओर ध्यान दिलाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) और (ख) इंडियन चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री फैडरेशन के अध्यक्ष और कुछ प्रतिनिधियों की रेल मंत्री के साथ 17-1-1981 को एक बैठक हुई थी। उन्होंने औद्योगिक और वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं द्वारा अनुभव की गयी रेल परिवहन की समस्याओं के सम्बन्ध में एक नोट प्रस्तुत किया था। नोट में माल डिब्बों की उपलब्धता, कोयले की ढुलाई, परिवहन में देरी, क्षतिपूर्ति दावों, आदि का उल्लेख किया गया था। इन मामलों पर सरकार पहले से ही ध्यान दे रही है। बंगलादेश को बुक किये गए परेषणों की सुपुर्दगी न किये जाने के दो विशिष्ट मामलों का भी इस नोट में उल्लेख किया गया था। इन दोनों के सम्बन्ध में वर्तमान नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

**राजस्थान के कोटा डिवीजन में रद्द की गई गाड़ियां**

2231. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत**
**श्री चतुर्भुज** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की कमी के कारण राजस्थान के कोटा डिवीजन की आठ रेल गाड़ियां रद्द कर दी गई हैं;

(ख) क्या कोटा-आगरा फोर्ट, कोटा-बीना, कोटा-वरान शटल, कोटा बड़ौदा पार्सल, कोटा-लखनऊ अवध एक्सप्रेस, बड़ौदा-मथुरा पैसेन्जर, सवाई माधोपुर-जयपुर बनाया ईदगाह शटल आदि गाड़ियों के रद्द किये जाने के कारण यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) अकेले कोटा डिवीजन में इन गाड़ियों को रद्द किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन गाड़ियों को कब तक पुनः चलाये जाने की संभावना है ?

**रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) कोयले की कमी के कारण कोटा मंडल पर सात जोड़ी सवारी गाड़ियां और सवाई माधोपुर जयपुर खंड पर एक जोड़ी सवारी गाड़ियां रद्द की गयीं।

(ख) साधारण गाड़ियों को रद्द करना अपेक्षाकृत कम महत्व और कम लोकप्रिय गाड़ियों तक सीमित होता है ताकि यात्रियों को कम से कम असुविधा हो सके।

(ग) गाड़ियां केवल कोटा मंडल पर ही नहीं बल्कि दूसरे मंडलों पर भी रद्द की गयी।

(घ) कोयले के स्टॉक की स्थिति में सुधार होने पर उन सभी गाड़ियों को फिर से चला दिया गया है।

**लारेंस रोड, नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय की स्थापना**

2232. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लारेंस रोड, नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय की स्थापना करने में हो रहे विलम्ब के कारण क्या हैं;

(ख) क्या उनके समीपवर्ती क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कोई होम्योपेथिक और आयुर्वेदिक औषधालय भी स्थित नहीं हैं;

(ग) क्या उनके समीपवर्ती क्षेत्र में प्रसूति और शिशु कल्याण सुविधा/केन्द्र भी विद्यमान नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) लारेंस रोड पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इस क्षेत्र में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों की इतनी संख्या नहीं है कि वहां पर औषधालय खोला जा सके। इस समय इस क्षेत्र के निवासी ये सेवाएं अशोक विहार औषधालय से प्राप्त कर रहे हैं।

(ख) होम्योपैथिक तथा आयुर्वेदिक सुविधाएं देवनगर स्थित केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना को आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक यूनिटें सुलभ कर रही हैं।

(ग) प्रसूति तथा बाल कल्याण सेवाएं सेंट स्टीफन्स अस्पताल तथा वी० एल० कपूर अस्पताल के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

**बंगलादेश राहत कार्यों हेतु सामान के दुरुपयोग की जांच**

2233: श्री रशीद मसूद
श्री राजेश कुमार सिंह } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक भूतपूर्व सतर्कता आयुक्त ने 1971-71 में बंगला देश राहत कार्यों के वास्ते करोड़ों रुपए के मूल्य के सामान के कथित दुरुपयोग की जांच की थी;

(ख) क्या यह सच है कि सतर्कता आयुक्त की रिपोर्ट पेश किये जाने के बाद रेडक्रास प्रबन्ध समिति के सदस्यों में से तीन सदस्यीय समिति की स्थापना सतर्कता आयुक्त के निष्कर्षों की जांच के लिए बनाई गई थी;

(ग) यदि हां, तो सतर्कता आयुक्त के इस बारे में क्या निष्कर्ष थे;

(घ) सतर्कता आयोग के निष्कर्षों के बाद रेड क्रास प्रबन्ध समिति के सदस्यों में से समिति के गठन की आवश्यकता क्यों समझी गई; और

(ङ) आयोग के निष्कर्षों पर समिति के क्या निर्णय थे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ङ) मई, 1978 में तत्कालीन प्रधान मन्त्री के अनुरोध पर भूतपूर्व सतर्कता आयुक्त (श्री पिम्पुटकर) ने अपनी व्यक्तिगत हैसियत से भारतीय रेड क्रास सोसायटी के विरुद्ध कतिपय आरोपों की जांच की थी। न तो यह कोई जांच आयोग था और न उन्होंने यह जांच केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की हैसियत से की थी। भूतपूर्व सतर्कता आयुक्त की यह रिपोर्ट भारतीय रेडक्रास सोसाइटी को अगस्त, 1979 में मिली थी। यह एक ऐसा मामला है जो एक सांविधिक

स्वशासी सोसाइटी से संबंधित है। इस रिपोर्ट के बारे में क्या कार्यवाही की जाए इसका निर्णय करना इस सोसाइटी का काम है।

**कुत्ते के काटे का टीका बनाने वाला कारखाना**

2234. **श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुत्ते के काटे का टीका बनाने वाले कारखाने को पिछले वर्ष आग लग जाने के कारण नुकसान उठाना पड़ा है; और

(ख) इस सम्बन्ध में किस एजेन्सी ने जांच की और उसके क्या परिणाम रहे ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) जी हां। केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली स्थित कुत्ते के काटे का टीका बनाने वाले कारखाने को पिछले वर्ष आग लग जाने के कारण नुकसान उठाना पड़ा है।

(ख) स्थानीय पुलिस अधिकारियों के अलावा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक द्वारा नियुक्त एक समिति ने इसकी जांच की थी। इस समिति ने कुछ एहतियाती उपाय सुझाए हैं जिन्हें कार्यान्वित किया जा चुका है। पुलिस अधिकारियों ने प्रारम्भिक रिपोर्ट पेश कर दी है। इस रिपोर्ट में उन्हें तोड़-फोड़ के कारण आग लगने का कोई सबूत नहीं मिला है। विद्युत शार्ट सरकिट के कारण अथवा वहां रखे किसी उच्च ज्वलनशील रसायन के कारण या किसी अन्य कारण से आकस्मिक आग लगने की संभावना की अभी जांच की जा रही है।

**पारासाला रेलवे स्टेशन**

2235. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिवेन्द्रम डिवीजन के पारासाला रेलवे स्टेशन को मुख्य रेलवे स्टेशन में बदलने के लिए कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

**रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी हां।

(ख) पारशाला हाल्ट स्टेशन को ब्लाक स्टेशन में बदलने के प्रस्ताव की जांच की गयी थी परन्तु अपर्याप्त यातायात के कारण इसका औचित्य नहीं समझा गया।

**धूम्रपान के कारण उत्पन्न रोगों की चिकित्सा पर व्यय**

2236. **श्री छोटूभाई गामित** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धूम्रपान के कारण उत्पन्न रोगों की चिकित्सा पर हुए व्यय का अनुमान लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) फेफड़ों का केन्सर, कोरोनरी हृदय रोग, चिरकारी फुप्फुस अवरोधी रोग, भ्रूण और शिशु मृत्यु दर वृद्धि आदि जैसे धूम्रपान से होने वाले रोगों के इलाज पर किये गए खर्च का विभिन्न संस्थाओं द्वारा कोई अनुमान नहीं लगाया गया है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

**'सी' श्रेणी के (लेवल क्रासिंग गेट)**

2237. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी रेलवे के बीकानेर डिवीजन के ब्लाक स्टेशनों के बीच 'सी' श्रेणी के ऐसे लेवल क्रासिंग की संख्या कितनी है जिनकी सामान्य स्थिति (नार्मल पोजीशन) यह है कि वे सड़क यातायात के लिए खुले नहीं रहते हैं और इसके क्या कारण है;

(ख) क्या बीकानेर डिवीजन के बीकानेर—सरुपसर और मोहन नगर स्टेशनों के बीच फाटक संख्या 24-सी के आर-पार भारी यातायात है और गेट की सामान्य स्थिति यह है कि सड़क यातायात के लिए बन्द रहता है;

(ग) क्या बीकानेर डिवीजन के सरुपसर और मोहन नगर ब्लाक स्टेशनों के बीच फाटक संख्या 24-सी को सामान्य स्थिति में रखने का स्वीकृत प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो क्या कथित ब्लाक स्टेशनों की सामान्य स्थिति स्वीकृत कर दी गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) से (ङ) उत्तर रेलवे के बीकानेर मंडल में ब्लाक स्टेशनों के बीच 'सी' श्रेणी के 165 समपार हैं । प्रचलित नियमों के अन्तर्गत, ऐसे सभी समपारों के गेट आमतौर पर सड़क यातायात के लिए बन्द रखने अपेक्षित हैं । किन्तु इन गेटों को सड़क यायायात को रास्ता देने के लिए, जब आवश्यक और ऐसा करना सुरक्षित समझा जाता है, खोल दिया जाता है । मोहन नगर और जेलसर स्टेशनों के बीच ब्लाक खंड में समपार सं० 24-सी जेलसर स्टेशन की साईडिंग पर स्थित है । इस स्तर के समपार के गेट आमतौर पर सड़क यातायात के लिए बंद रखे जाते हैं । उत्तर रेलवे प्रशासन ने इस स्तर के समपार को गेटों को सामान्य रूप से खुला रखने के प्रस्ताव पर अन्तिम रूप से निर्णय ले लिया है और रेल संस्था

आयुक्त से बातचीत की है। प्रचलित नियमों के अनुसार जैसे ही उनके द्वारा इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया जाएगा, रेल प्रशासन इस मामले में आगे की कार्रवाई शीघ्रता से करेगा।

**केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालय, कस्तूरबा नगर में दवाइयों का न मिलना**

2238. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालय, कस्तूरबा नगर (सेवा नगर) में दवाइयों की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति को ठीक करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ताकि रोगियों को असुविधा न हो और उन्हें उचित दवाइयां उपलब्ध होती रहे ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) :** (क) से (ग) औषधालय में दवाईयों की कोई कमी नहीं है। अलबत्ता कभी कभार कुछेक ऐसी दवाईयों को थोड़े से समय के लिए कमी हो जाती है जिनकी आमतौर पर बाजार में कमी रहती है। लेकिन ऐसी सभी दवाओं के बदले में समान चिकित्सा गुणों वाली अन्य दवाइयां दे दी जाती हैं। जब कभी ऐसी कमी की रिपोर्ट मिलती है, उपयुक्त उपचारी कार्रवाई की जाती है।

**मध्य प्रदेश में पार्वती नदी पर पुल**

2239. **डा० बसंत कुमार पंडित :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर भोपाल और नरसिंहगढ़ के बीच पिलू-खेड़ी में पार्वती नदी पर एक पुल के लिए मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है;

(ख) इस परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पुल का निर्माण-कार्य कब शुरू किया जाएगा; और

(घ) क्या यह सच है कि केवल यही ऐसा मार्ग है जो भोपाल और दिल्ली को जोड़ता है ?

(क) क्या धूम्रपान के कारण उत्पन्न रोगों की चिकित्सा पर हुए व्यय का अनुमान लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) फेफड़ों का केन्सर, कोरोनरी हृदय रोग, चिरकारी फुप्फुस अवरोधी रोग, भ्रूण और शिशु मृत्यु दर वृद्धि आदि जैसे धूम्रपान से होने वाले रोगों के इलाज पर किये गए खर्च का विभिन्न संस्थाओं द्वारा कोई अनुमान नहीं लगाया गया है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

**'सी' श्रेणी के (लेवल क्रासिंग गेट)**

2237. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी रेलवे के बीकानेर डिवीजन के ब्लाक स्टेशनों के बीच 'सी' श्रेणी के ऐसे लेवल क्रासिंग की संख्या कितनी है जिनकी सामान्य स्थिति (नार्मल पोजीशन) यह है कि वे सड़क यातायात के लिए खुले नहीं रहते हैं और इसके क्या कारण है;

(ख) क्या बीकानेर डिवीजन के बीकानेर—सरुपसर और मोहन नगर स्टेशनों के बीच फाटक संख्या 24-सी के आर-पार भारी यातायात है और गेट की सामान्य स्थिति यह है कि सड़क यातायात के लिए बन्द रहता है;

(ग) क्या बीकानेर डिवीजन के सरुपसर और मोहन नगर ब्लाक स्टेशनों के बीच फाटक संख्या 24-सी को सामान्य स्थिति में रखने का स्वीकृत प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो क्या कथित ब्लाक स्टेशनों की सामान्य स्थिति स्वीकृत कर दी गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) से (ङ) उत्तर रेलवे के बीकानेर मंडल में ब्लाक स्टेशनों के बीच 'सी' श्रेणी के 165 समपार हैं। प्रचलित नियमों के अन्तर्गत, ऐसे सभी समपारों के गेट आमतौर पर सड़क यातायात के लिए बन्द रखने अपेक्षित हैं। किन्तु इन गेटों को सड़क यायायात को रास्ता देने के लिए, जब आवश्यक और ऐसा करना सुरक्षित समझा जाता है, खोल दिया जाता है। मोहन नगर और जेलसर स्टेशनों के बीच ब्लाक खंड में समपार सं० 24-सी जेलसर स्टेशन की साईडिंग पर स्थित है। इस स्तर के समपार के गेट आमतौर पर सड़क यातायात के लिए बंद रखे जाते हैं। उत्तर रेलवे प्रशासन ने इस स्तर के समपार को गेटों को सामान्य रूप से खुला रखने के प्रस्ताव पर अन्तिम रूप से निर्णय ले लिया है और रेल संस्था

आयुक्त से बातचीत की है। प्रचलित नियमों के अनुसार जैसे ही उनके द्वारा इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया जाएगा, रेल प्रशासन इस मामले में आगे की कार्रवाई शीघ्रता से करेगा।

**केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालय, कस्तूरबा नगर में दवाइयों का न मिलना**

2238. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालय, कस्तूरबा नगर (सेवा नगर) में दवाइयों की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति को ठीक करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ताकि रोगियों को असुविधा न हो और उन्हें उचित दवाइयां उपलब्ध होती रहे ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) से (ग) औषधालय में दवाईयों की कोई कमी नहीं है। अलबत्ता कभी कभार कुछेक ऐसी दवाईयों को थोड़े से समय के लिए कमी हो जाती है जिनकी आमतौर पर बाजार में कमी रहती है। लेकिन ऐसी सभी दवाओं के बदले में समान चिकित्सा गुणों वाली अन्य दवाइयां दे दी जाती हैं। जब कभी ऐसी कमी की रिपोर्ट मिलती है, उपयुक्त उपचारी कार्रवाई की जाती है।

**मध्य प्रदेश में पार्वती नदी पर पुल**

2239. **डा० बसंत कुमार पंडित** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर भोपाल और नरसिंहगढ़ के बीच पिलू-खेड़ी में पार्वती नदी पर एक पुल के लिए मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है;

(ख) इस परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पुल का निर्माण-कार्य कब शुरू किया जाएगा; और

(घ) क्या यह सच है कि केवल यही ऐसा मार्ग है जो भोपाल और दिल्ली को जोड़ता है ?

**नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) इस पुल के लिए 67.92 लाख रुपये का अनुमान स्वीकृत किया गया है। इस पुल के दोनों ओर की सड़कों के लिए 44.7 लाख रुपए के अनुमान की मंजूरी जारी की जा रही है।

(ग) इसके लिए टेंडर मंगाये गए हैं। इनकी अंतिम तारीख 10.4.1971 है। जब टेंडरों पर कोई निर्णय ले लिया जाएगा तभी इस काम के शुरू होने की तारीख की जानकारी मिल सकती है।

(घ) नहीं। भोपाल और दिल्ली के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए यह सबसे छोटा रास्ता है।

**भारतीय राजदूतावासों द्वारा आमोद-प्रमोद व्यय**

2240. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या विदेश मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में वर्ष 1979-80 के दौरान हमारे प्रत्येक दूतावास द्वारा आमोद-प्रमोद पर कुल कितनी राशि व्यय की गई है; और

(ख) ऐसे व्यय में कमी करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

**विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव)** : (क) विदेश मंत्रालय ने विदेशों में स्थित मिशनों और केन्द्रों में वर्ष 1979-80 के दौरान अतिथि-सत्कार पर लगभग 70 लाख रुपये व्यय किए। इसका मिशन-वार ब्यौरा संलग्न सूची में दिया गया है।

(ख) प्रतिनिधानात्मक अनुदानों में, जिनसे हमारे विदेशास्थ कार्मिक अतिथि-सत्कार करते हैं, 1971 के बाद कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं की गई है। इसलिए विश्वव्यापी मुद्रा-स्फीति के कारण यह राशि अब नितान्त अपर्याप्त है। चूंकि विदेशों में स्थित हमारे राजदूतों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए सरकारी तौर पर अतिथि-सत्कार करने के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराना अनिवार्य है इसलिए मन्त्रालय इस समय प्रतिनिधानात्मक अनुदान हकदारी को युक्ति संगत बनाने और संशोधित करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है जिससे कि विदेशों में हमारे मिशनों की कार्य-कुशलता बढ़ाई जा सके।

विवरण

1979-80 के दौरान विदेश स्थित हमारे मिशनों/केन्द्रों द्वारा अतिथ्य-सत्कार पर किया गया व्यय

| क्रम संख्या | मिशन/केन्द्र का नाम | आतिथ्य-सत्कार व्यय (रुपयों में) |
|---|---|---|
| (क) | राजदूतावास | |
| 1. | आबिदजान | 28,000 |
| 2. | आबू धाबी | 39,000 |
| 3. | अदन | 27,200 |
| 4. | अदीस अबाबा | 44,800 |
| 5. | अल्जीयर्स | 44,600 |
| 6. | अम्मान | 39,000 |
| 7. | अंकारा | 44,300 |
| 8. | एथेन्स | 26,900 |
| 9. | बगदाद | 68,900 |
| 10. | बहरीन | 28,200 |
| 11. | बैंगकाक | 83,600 |
| 12. | बेरूत | 85,500 |
| 13. | बेलग्राद | 68,000 |
| 14. | बर्लिन (जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य) | 39,000 |
| 15. | बर्न | 90,000 |
| 16. | बोगोटा | 17,700 |
| 17. | बान | 1,49,900 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 18. | ब्राजीलिया | 43,000 |
| 19. | ब्रसेल्स | 1,32,000 |
| 20. | बुकारेस्ट | 31,800 |
| 21. | बूडापेस्ट | 24,900 |
| 22. | बुओनस-आयर्स | 53,300 |
| 23. | काहिरा | 64,700 |
| 24. | काराकस | 34,000 |
| 25. | कोनाक्री | 32,500 |
| 26. | कोपेन हेगन | 40,300 |
| 27. | डकार | 38,100 |
| 28. | दमिश्क | 50,000 |
| 29. | डबलिन | 29,000 |
| 30. | हेम | 1,00,000 |
| 31. | हनोई | 46,000 |
| 32. | हवाना | 23,300 |
| 33. | हेलसिंकी | 41,000 |
| 34. | हेमबर्ग | 3,800 |
| 35. | इस्लामाबाद | 1,09,000 |
| 36. | जकार्ता | 47,600 |
| 37. | जेद्दाह | 75,200 |
| 38. | काबुल | 1,07,000 |
| 39. | काठमांडू | 50,000 |
| 40. | खार्तूम | 28,800 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 41. | किन्शासा | 39,800 |
| 42. | कुवैत | 78,700 |
| 43. | लीमा | 25,000 |
| 44. | लिस्बन | 34,200 |
| 45. | मडागास्कर (एनतननरीव) | 37,200 |
| 46. | मैडरिड | 48,000 |
| 47. | माले | 8,200 |
| 48. | मनीला | 23,200 |
| 49. | मपूतो | 36,000 |
| 50. | मेंक्सिको | 50,000 |
| 51. | मोगाडिशू | 25,600 |
| 52. | मास्को | 2,40,000 |
| 53. | मस्कत | 29,000 |
| 54. | ओस्लो | 90,000 |
| 55. | पनामा | 23,700 |
| 56. | पेरिस | 1,50,000 |
| 57. | पीकिंग | 1,28,000 |
| 58. | प्राग | 32,400 |
| 59. | प्यांग यांग | 61,700 |
| 60. | कातार | 37,100 |
| 61. | रबात | 40,600 |
| 62. | रंगून | 54,400 |
| 63. | रोम | 56,000 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | 64. साना | 19,500 |
| | 65. सानित्यागो | 45,000 |
| | 66. सीम्रोल | 23,800 |
| | 67. सोफिया | 60,000 |
| | 68. स्टाकहोम | 71,200 |
| | 69. सूरजाम | 24,600 |
| | 70. तेहरान | 83,900 |
| | 71. टोकियो | 2,15,000 |
| | 72. त्रिपोली | 36,000 |
| | 73. ट्यूनिस | 34,000 |
| | 74. उलन बतोर | 38,000 |
| | 75. वियना | 95,300 |
| | 76. वियन्त्यास | 10,000 |
| | 77. वाशिंगटन | 3,41,000 |
| | 78. वारसा | 28,300 |
| (ख) स्थायी मिशन | | |
| | 79. जेनेवा | 1,63,800 |
| | 80. न्यूयार्क | 2,65,600 |
| (ग) कौंसलावास आदि | | |
| | 81. बसरा | 5,700 |
| | 82. बर्लिन | 20,500 |
| | 83. च्यांगमाइ | 7,000 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | 84. शिकागो | 44,000 |
| | 85. दुबई | 12,000 |
| | 86. जलालाबाद | 6,500 |
| | 87. कन्धार | 6,300 |
| | 88. करांची | 45,200 |
| | 89. खुर्रमशहर | 6,000 |
| | 90. कोवे | 30,800 |
| | 91. मान्डले | 7,300 |
| | 92. मेदान | 5,800 |
| | 93. न्यूयार्क | 89,600 |
| | 94. ओडेसा | 18,500 |
| | 95. पोर्ट सईद | 5,500 |
| | 96. सानफ्रांसिस्को | 37,900 |
| | 97. सिडनी | 8,600 |
| | 98. जाहोदान | 6,000 |
| | 99. जन्जीबार | 13,000 |
| | 100. भारत का प्रतिनिधि थिम्पू | 35,400 |
| | 101. भूटान में भारत का प्रतिनिधि फुंटशिलिंग | 4,300 |
| (घ) हाई कमीशन | | |
| | 102. अकरा | 51,900 |
| | 103. कैनबरा | 46,600 |
| | 104. चिटगांव | 9,000 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 105. | कोलम्बो | 44,800 |
| 106. | ढाका | 1,00,000 |
| 107. | दार-ए-सलाम | 41,000 |
| 108. | जार्जटाऊन | 31,300 |
| 109. | हांगकांग | 50,700 |
| 110. | कम्पाला | 29,600 |
| 111. | कैन्डी | 4,900 |
| 112. | किंग्स्टन | 18,900 |
| 113. | कुआला लम्पुर | 53,600 |
| 114. | लागोस | 66,100 |
| 115. | लिलांग्वे | 22,000 |
| 116. | लन्दन | 5,52,600 |
| 117. | बर्मिंघम | 7,000 |
| 118. | लुसाका | 62,200 |
| 119. | मोम्बासा | 4,400 |
| 120. | नैरोबी | 37,200 |
| 121. | ओटावा | 1,29,000 |
| 122. | पोर्ट लुई | 27,100 |
| 123. | पोर्ट आफ स्पेन | 61,500 |
| 124. | राजशाही | 4,600 |
| 125. | सिंगापुर | 42,200 |
| 126. | सूवा | 42,700 |
| 127. | वेलिंगटन | 24,400 |
| | कुल | 70,43,900 |

**तालचेर रेलवे कालोनी में बाहरी गुण्डों द्वारा सामूहिक बलातकार**

2241. **श्री जार्ज फर्नान्डीस :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान तालचेर रेलवे कालोनी में बाहर के गुन्डों द्वारा सामूहिक बलातकार किये जाने के बारे में आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ असोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल द्वारा कलकत्ता में 25 जनवरी, 1981 को लगाये गये आरोप की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने दोषी व्यक्तियों को पकड़ने और रेल कर्मचारियों के परिवारों की महिलाओं की इज्जत की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकले ?

**रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :** (क) जी हां। फिर भी राज्य पुलिस से पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि इस संबंध में ऐसा कोई मामला उनके पास दर्ज नहीं कराया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**रूट सं० 810 पर अंतिम बस का समय बढ़ाना**

2242. **श्री जितेन्द्र प्रसाद :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि संसद के सत्रों के दौरान केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को रात्रि के समय देर तक बैठना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह भी पता है कि रूट सं० 680 को छोड़ कर, जिस पर रात्रि के 11.35 बजे तक बस मिलती है, उनको 11.00 बजे के बाद सार्वजनिक परिवहन नहीं मिलता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार रूट संख्या 680 की भांति रूट संख्या 810 पर भी अंतिम बस का समय रात्रि के 11.35 बजे अथवा उसके बाद तक करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) :** (क) जी, हां।

(ख) यातायात की आवश्यकता के आधार पर निगम ने केन्द्रीय सचिवालय से 11.00 बजे रात्रि के पश्चात् कुछ रूटों पर देर की रात्रि सेवा की व्यवस्था की है। जिन रूटों पर इन सेवाओं की व्यवस्था की गयी है, वे पुनर्वास तथा अन्य सरकारी कालोनियों तक जाते हैं इन सेवाओं का प्रयोग कार्यालयों में देर से बैठने वाले सरकारी कर्मचारियों द्वारा भी किया जाता है। चूंकि, इन मार्गों पर रात्रि 11.00 बजे के पश्चात् यातायात उपलब्ध होता है अत: रूट सं० 680 तथ

पर ये सेवाएं चलाई गयी हैं। इसके अतिरिक्त रात्रि को देर से ड्यूटी पर कार्य करने वाले यात्रियों के लिए भी उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियमित सेवाएं भी उपलब्ध हैं।

(घ) इस समय, निगम रात्रि 11.05 बजे केन्द्रीय सचिवालय, चर्च रोड से रूट सं० 810 चला रहा है, जो तिलक नगर जाती है। दिल्ली परिवहन निगम की रात में 11.35 बजे सेवा चलाने के लिए कोई भी मांग प्राप्त नहीं हुई है। यदि ऐसी कोई मांग प्राप्त होती है तथा यातायात उपलब्ध है, तब दिल्ली परिवहन निगम द्वारा 11.35 बजे रात्रि की सेवा की व्यवस्था की जा सकती है।

(घ) प्रश्न नहीं होता।

**विदेशी सेवाओं में भिन्न-भिन्न काडर**

2243. स्वामी इन्द्रवेश
श्री राम विलास पासवान
श्री राजेश कुमार सिंह } क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 19 जनवरी, 1981 के "इंडियन एक्सप्रेस" के कास्ट सिस्टम इन फोरन सर्विस" शीर्षक से छपा समाचार देखा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं ?

**विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) :** (क) जी हां।

(ख) और (ग) विदेश मंत्रालय में विभिन्न कारणों से, जो मुख्तया कार्य संबंधी अपेक्षाओं पर आधारित हैं, कई संवर्ग बन गए हैं। बदली हुई परिस्थितियों में इनमें से कुछ संवर्गों का तो औचित्य समाप्त हो चुका है लेकिन कुछ का महत्व वस्तुतः और बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय संवर्ग स्थिति को युक्ति संगत बनाने की आवश्यकता के प्रति सजग है और विभिन्न संभावनाओं की जांच कर रहा है जैसे छोटे संवर्गों को समाप्त करना या उन्हें दूसरे संवर्गों में मिला देना ताकि इस समस्या का आकार-प्रकार कुछ कम हो सके। संवर्ग संरचना को युक्ति संगत बनाते समय मंत्रालय स्वभावतय: प्रशासनिक कार्य-कुशलता और मितव्ययता को ध्यान में रखेगा।

**भारत में मानसिक चिकित्सालयों के कार्यकरण का मूल्यांकन**

2244. श्री छांगुर राम
श्री राम विलास पासवान } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न मानसिक चिकित्सालयों के कार्यकरण के सम्बन्ध में, विशेष रूप से इस प्रकार का कोई मूल्यांकन किया है कि रोगियों का इलाज कैसा किया जा रहा

है, चिकित्सालयों में उन्हें रखे जाने की स्थिति कैसी है और उनके ठीक हो जाने के बाद भी जबकि उन्हें मानसिक चिकित्सालयों में रखे जाने की आवश्यकता नहीं है उन्हें क्यों एकांत में रखा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे और इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस प्रकार का अध्ययन करने की आवश्यकता पर विचार करेगी;

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**शोलापुर-गडग लाइन का बदला जाना**

2245. **श्री के० वी० चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव शोलापुर-गडग लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का है, और

(ख) यदि हां, तो लाइन को बदलने का कार्य कब प्रारम्भ किया जाएगा ?

**रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) इस लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(ख) सर्वेक्षण पूरा होने के बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता है।

**छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में रेलवे लाइनें**

2246. **श्री चित्त महाटा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों के नाम क्या है जहां सरकार छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में रेलवे लाइन बिछाने का है और उनका आधार क्या है, और

(ख) रेल साइनें बिछाने के लिए अनुमानत: कितनी राशि खर्च की जानी है ?

**रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) और (ख) छठी योजना के दौरान नयी लाइनों के लिए 380 करोड़ रुपये (पहले से चल रही योजनाओं के लिए 240 करोड़ रुपये और नयी योजनाओं के लिए 140 करोड़ रुपये) की राशि आवंटित की गयी है। इस आधार पर आंध्र प्रदेश में तेलातुर से पत्तनचेरू तक (8.31 कि० मी०) बड़ी लाइन के रेल सम्पर्क का प्रस्ताव 1981-82 के बजट में रखा गया है जिस पर 2.22 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

निम्नलिखित नयी योजनाओं को छठी योजना में शामिल करने के लिए योजना आयोग के परामर्श से विचार किया जा रहा है :—

| क्र० सं० | परियोजना का नाम | अनुमानित लागत करोड़ रुपये में | 1980-85 में खर्च |
|---|---|---|---|
| 1. | कोरापुट-रायगडा बड़ी लाइन (174.2 कि० मी०) उड़ीसा | 112.10 | 60.00 |
| 2. | जम्मू-ऊधमपुर (40 कि० मी०) जम्मू एवं कश्मीर | 41.00 | 30.00 |
| 3. | जोगीघोपा पुल-असम | 60.00 | 20.00 |
| 4. | करूर-डिंडीगुल-तूतीकोरिन बड़ी लाइन (325 कि० मी०)-तमिलनाडु | 42.86 | 27.78 |

**लाइनों के परिवर्तन का प्राप्त लक्ष्य**

2247. **श्री जैनुल बशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का पिछले बजट में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

**रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) और (ख) जी हां, गुजरात राज्य में वीरमगाम/ओखा/पोरबन्दर आमान परिवर्तन योजना के प्रथम चरण के रूप वीरमगाम से हापा (268 कि० मी०) तक का भाग 17-6-1980 को बड़ी लाइन के यातायात के लिए खोल दिया गया है। सोनपुर-छपरा तक 54 कि० मी० लम्बे अन्य खंड को 14-2-1981 को यातायात के लिए खोल दिया गया है। छपरा-बाराबंकी खंड पर आमान परिवर्तन का काम अच्छी प्रगति पर है और आशा है यह कार्य इस वर्ष के दौरान के विभिन्न चरणों में पूरा हो जायेगा। न्यू बोगाईगांव और गुवाहाटी के बीच समानान्तर बड़ी लाइन बिछाने का काम प्रगति पर है और आशा है यह काम जून, 1982 तक पूरा हो जायेगा।

**तमिलनाडु में पूर्वी तट के साथ-साथ 719.95 किलोमीटर लम्बी सड़क की स्थिति में सुधार करना**

2248. **श्री के० टी० कोसलराम**
**श्री एन० सुन्दरराजन** } : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में पूर्वी तट के साथ-साथ, आर्थिक तथा अन्तर्राज्यीय सुधार योजना के अधीन केन्द्रीय सरकार की सहायता से 4 करोड़ रुपए के निवेश से बनाये गये 38 बड़े तथा छोटे पुलों का कोई उपयोग नहीं हो रहा है क्योंकि उनके जोड़ने के लिए कोई सड़क ही नहीं है;

(ख) क्या वहां तक सर्व-ऋतु सम्पर्क सड़क का निर्माण करके उन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर तस्करी को रोका जा सकता है ताकि वहां चौबीस घंटे लगाई जा सके; और

(ग) यदि हां, तो उक्त 819.95 लम्बे भाग को सुधार कर उसे राष्ट्रीय राजपथ के स्तर का बनाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) चूंकि वह एक राज्य सड़क है अतः इसका संबंध मुख्यतः तमिलनाडू सरकार से है जिनसे ऐसी कोई भी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्व के राज्य राजमार्गों के लिए ऋण सहायता के केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अधीन और केन्द्रीय सड़क निधि से सड़कों के बीच छूटे हुए भागों और पुलों के निर्माण के लिए लगभग तीन करोड़ रुपये तक की धनराशि दी जा चुकी है। इस धनराशि से निर्माण कार्य पूरा करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकार की है जिससे कि तस्करी आदि रोकी जा सके।

(ग) यह सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है इसलिए इसे राष्ट्रीय राजमार्ग के स्तर के रूप में इसमें सुधार करने का प्रश्न ही नहीं होता। यह एक राज्य सड़क है तथा इसके विकास तथा अनुरक्षण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

**आलुओं के लिये बैंगनों का आबंटन करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार का अनुरोध**

2249. **श्री वी० डी० सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य से बाहर आलुओं को ले जाने के लिए बैंगन दिए जाने के लिए अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सरकार बैंगनों की सप्लाई के लिए कब अनुरोध किया गया था और कितने बैंगन मांगे थे;

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई मांग की तुलना में अब तक कितने बैंगन सप्लाई किये गये थे; और

(घ) यदि उत्तर प्रदेश सरकार की मांग पूर्णतया पूरी नहीं की गई है तो उसके क्या कारण है ?

**रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी हां।

(ख) दिसम्बर, 1980 में उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी से अप्रैल, 1981 के दौरान उत्तर प्रदेश से आलू के लदान के लिए 47,405 माल डिब्बों के आबंटन की मांग की थी।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश में आलू यातायात अधिकांशतः व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नहीं। आलू लदान के लिए माल डिब्बों की मांग दिसम्बर, 1980 से शुरू की गयी थी। दिसम्बर, से फरवरी, 1981 (15 तारीख तक) उत्तर तथा पूर्वोत्तर रेलों द्वारा सेवित उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से बडी लाइन के 1537 और मीटर लाइन के 2173 आलू के माल डिब्बे लादे गये। 15-2-1981 को बड़ी लाइन पर 404 और मीटर लाइन पर 7751 मांगें बाकी थीं। इस तर्क पर कि गंतव्य स्थान पर रेक के पहुंचने से मूल्य में कमी हो जायेगी ब्लाक रेकों में आलू लदान के लिए व्यापारियों की अनिच्छा के कारण पूर्वोत्तर रेलवे पर मीटर लाइन पर आलू लदान की मांग पूर्णरूपेण पूरी नहीं की जा सकी। इसके परिणामस्वरूप अब फुटकर यातायात की निकासी की जा रही है। 15-2-1981 को पूर्वोत्तर रेलवे पर बकाया मांगों में से अधिकांश (7751 में से 7660) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के गंतव्य स्थानों के लिए थीं जिसके लिए असम में अशांत स्थिति के कारण लदान पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। लेकिन अनुदेश जारी किये गये है कि जब तक सभी भागों का निपटारा नहीं हो जाता तब तक पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर गंतव्य स्थानों के लिए मीटर लाइन पर प्रतिदिन आलू का एक रेक लादा जाये।

उत्तर प्रदेश से आलू की निकासी करने में रेलें किसी प्रकार की कठिनाई की प्रत्याशा नहीं करती हैं, बशर्ते कि सभी दिशाओं के लिए परेषणों की योजना बनायी जाये और वह केवल एक दिशा की ओर ही केन्द्रित न हो और यह भी सुनिश्चित किया जाये कि जहां तक संभव हो लदान ब्लाक रेकों में किया जाये।

**बुन्डेल स्टेशन पर सुपर फास्ट रेल गाड़ियों के रुकने की व्यवस्था करना**

2250. **प्रो० रूप चन्द पाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास दिल्ली तथा हावड़ा के बीच चलने वाली सुपर-फास्ट गाड़ियों के बन्डेल स्टेशन पर रुकने की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) क्या सरकार के पास पूर्व रेलवे में बुन्डेल स्टेशन पर लम्बी दूरी की गाड़ियों के लिए आरक्षण तथा टिकट खिड़कियों की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है ?

**रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी नहीं।

(ख) आरक्षण और यात्रियों की बुकिंग के लिए पर्याप्त व्यवस्था मौजूद है।

**दिल्ली परिवहन निगम के कार्यकरण के संबंध में एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का प्रस्ताव**

2251. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली परिवहन निगम के कार्यकरण की जांच करने और हानि के कारणों का पता लगाने तथा हानि को रोकने और कम करने के लिए उपाय सुलझाने हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

**बीकानेर रेल स्टेशन का स्थानान्तरण**

2252. **श्री जय नारायण रोट** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने रेल मार्गों की समस्या का समाधान करने के लिए बीकानेर रेल स्टेशन का स्थानान्तरण करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रेलवे स्टेशन को स्थानान्तरित करने का कोई औचित्य नहीं समझा जाता है।

**पतियों द्वारा सिगरेट पिये जाने के कारण पत्नियों को कैंसर**

2253. **श्री एन० ई० होरो**
**श्री के० मालन्ना** } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 जनवरी, 1981 में 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में छपी इस आशय की खबर की ओर दिलाया गया है कि एक बड़े अध्ययन से पता चलता है कि जो पत्नियां धूम्रपान नहीं करती हैं परन्तु जिन्हें उनके पतियों को सिगरेटों के धुएं का सामना करना पड़ता है उनको धूम्रपान न करने वाले पतियों को धूम्रपान न करने वाली पत्नियों की अपेक्षा कहीं अधिक कैंसर होता है; और

(ख) यदि हां, तो देश में धूम्रपान के खतरनाक प्रभावों के बारे में लोगों को चेतावनी देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) जी हां।

(ख) जब अध्ययनों ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिगरेट के धुएं से केन्सर हो जाता है और विशेष रूप से तार तो केन्सरजनक प्रभावों के लिए उत्तरदायी प्रमाणित हो चुका है। यह देखने में आया है कि सिगरेटों में फिल्टरों के उपयोग ने सिगरेट के धुएं के हानिकारक प्रभावों को अत्यधिक कम कर दिया है। तकनीकी विकास महानिदेशालय के अनुरोध पर भारत मानक संस्थान की टोबेको तथा टोबेको प्रोडक्ट्स सेक्शनल कमेटी ने सिगरेट फिल्टर का भारतीय मानक तैयार करने के विषय में काम आरम्भ कर दिया है।

सिगरेट (उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनिमय) अधिनियम, 1975 के अधीन सिगरेट निर्माताओं अथवा इस धंधे में लगे व्यक्तियों को सिगरेट के उन सभी डिब्बों अथवा पैकेटों पर, जो बेचने के लिए रखे गए हैं, स्पष्टरूप से यह सांविधिक चेतावनी अर्थात् 'सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है' लिखनी होगी। यह चेतावनी स्पष्ट रूप से सभी विज्ञापनों पर लिखनी होगी भले ही ऐसे विज्ञापन समाचार पत्रों, प्रकाशनों या होर्डिंग्स या अन्यत्र दिए जायें।

धूम्रपान को कम करने के लिए जो स्वास्थ्य शिक्षा के उपाय किए हैं, वे इस प्रकार है :

(1) केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड के अधीन 9वीं तथा 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए धूम्रपान से स्वास्थ्य को हानियां नामक एक अध्याय रखना,

(2) पुस्तकों तथा जन प्रचार के तरीकों जैसे रेडियो, फिल्म, टेलीविजन आदि के माध्यम से धूम्रपान से हानियों पर जन स्वास्थ्य शिक्षा/प्रचार अभियान।

## गत तीन जनगणनाओं के दौरान जनसंख्या की वृद्धि-दर

2254. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन जनगणनाओं के दौरान देश में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों, धार्मिक अल्प-संख्यकों तथा जनसंख्या के शेष भाग की वृद्धि-दर की प्रतिशतता कितनी-कितनी थी ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) :**

भारत के महापंजीयक से लिये गए और 1951, 1961 और 1971 की जनगणनाओं के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के बारे में जनसंख्या की वृद्धि दरें विवरण-1 में दी गई हैं तथा बड़े-बड़े धार्मिक अल्पसंख्यकों और शेष जनसंख्या का विवरण-2में दिया गया है। पिछड़ी जातियों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

विवरण-1

गत तीन जनगणनाओं के दौरान देश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की वृद्धि-दर की प्रतिशतता का विवरण

| वर्ष | अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या | वृद्धि दर की प्रतिशतता | अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या | वृद्धि दर की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|
| 1951 | 51,349,355* | | 19,216,637* | |
| 1961 | 64,449,275 | +24.85 | 30,130,184 | +56.05 |
| 1971 | 79,995,896 | +24.12 | 38,015,162 | +26.17 |

नोट : *1. (i) चन्द्रनगोर शामिल है (पश्चिम बंगाल की अनुसूचित जनजाति की सूची चन्द्रनगोर पर लागू की गई थी) तथा इसमें जम्मू व कश्मीर, पांडिचेरी व अरुणाचल प्रदेश शामिल नहीं हैं।

(ii) इसमें सिक्किम शामिल नहीं है। सिक्किम के लिए राष्ट्रपति के आदेश में किसी जाति को सूचीबद्ध नहीं किया गया था।

(iii) इन आंकड़ों में मद्रास जिले के लगभग वे 5000 व्यक्ति शामिल हैं जो हरिजन थे किन्तु गलती से उन्हें अनुसूचित जनजाति में दिखाया गया था।

2. (i) 1951 की जनगणना के आंकड़े सांविधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 पर आधारित है।
(ii) 1961 तथा 1971 को जनगणना के आंकड़े अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (संशोधन) आदेश 1956 पर आधारित हैं।

3. प्रतिशत वृद्धि प्रत्येक जनगणना के तुलनात्मक क्षेत्रीय आंकड़ों के आधार पर निकाली गई है।

## विवरण-2

गत तीन जनगणनाओं अर्थात् 1951, 1961 तथा 1971 के दौरान देश में बड़े-बड़े धार्मिक अल्पसंख्यकों की जनसंख्या तथा शेष जनसंख्या का विवरण

| वर्ष | कुल जनसंख्या | धार्मिक अल्पसंख्यक | | | | | | | | | | शेष जनसंख्या | | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | मुसलमान | | ईसाई | | सिख | | बौद्ध | | जैन | | | | |
| | | जनसंख्या | वृद्धि दर की प्रतिशतता | जनसंख्या | वृद्धि दर की प्रतिशतता | जनसंख्या | वृद्धि दर की प्रतिशतता | जनसंख्या | वृद्धि दर की प्रतिशतता | जनसंख्या | वृद्धि दर की प्रतिशतता | जनसंख्या | वृद्धि दर की प्रतिशतता | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1951 | **361,038,090 | 35,414,284 | | 8,392,038 | | 6,219,134 | | 180,823 | | 1,618,406 | | 309,263,405 | | |
| | | | +25.61 | | +27.38 | | +25.13 | | +1670.71 | | +25.17 | | +20.09 | |
| 1961 | *439,234,771 | 46,940,799 | | 10,728,086 | | 7,845,915 | | 3,256,036 | | 2,027,281 | | 368,436,654 | | |
| | | | +30.84 | | +32.58 | | +32.28 | | +17.33 | | +28.49 | | +23.74 | |
| 1971 | 548,159,652 | 61,418,269 | | 14,225,045 | | 10,378,891 | | 3,874,942 | | 2,604,837 | | 455,657,668 | | |

** काल (i) कालम तीन से आगे जम्मू व कश्मीर, पांडिचेरी और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर।

(ii) कालम दो में अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर।

(iii) 1951 में पंजाब राज्य की 268,602 जनसंख्या का धार्मिक ब्यौरा उपलब्ध नहीं था।

* = कालम 3, 5, 7, 9, 11, तथा 13 में अरुणाचल प्रदेश के 38,705 व्यक्ति शामिल हैं जहां अखिल भारतीय जनगणना शेड्यूल की चर्चा की गई थी।

नोट—प्रतिशत वृद्धि की गणना 1951-61 तथा 1961-71 की जनगणनाओं के तुलनात्मक क्षेत्रों के आंकड़ों के आधार पर की गई है।

**नागदा जंकशन से रेलवे की आय**

2255. **श्री सत्य नारायण जटिया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे के नागदा जंकशन, रतलाम जंकशन, इन्दौर और उज्जैन रेलवे स्टेशनों से 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान रेलवे की कुल अर्जित आय क्या है,

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान इन स्टेशनों पर उपलब्ध कराई गई रेल सेवा सुविधाओं (यात्री तथा माल गाड़ी) का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नागदा जंकशन और बिरलापुर गांव पर नागदा और मंडी के बीच यातायात की आवा-जाही की सुविधा के लिए रतलाम जंकशन के रेलवे फाटक पर एक ऊपरी पुल के निर्माण के लिए मंत्रालय को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :** (क) विवरण '1' संलग्न है ।

(ख) सभी चारों स्टेशनों पर बिजली की व्यवस्था कर दी गई है और यात्री तथा माल प्लेट फार्मों पर पर्याप्त संख्या में बत्तियां तथा पंखे लगा दिये गये है । रतलाम, उज्जैन और इन्दौर स्टेशनों को यात्री प्लेट फार्मों पर जल शीतकों की भी व्यवस्था कर दी गई है । नागदा में भी एक जल शीतक लगाया जा रहा है । इन स्टेशनों पर दी गयी अन्य सुविधाओं का विवरण '2' में दिया गया है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

**विवरण-1**

1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान पश्चिम रेलवे के नागदा जंकशन, रतलाम जंकशन, इन्दौर और उज्जैन रेलवे स्टेशनों से हुई कुल आय इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपयों में)

| स्टेशनों का नाम | 1977-78 | 1978-79 | 1979-80 |
|---|---|---|---|
| नागदा | 0.38 | 0.47 | 0.46 |
| रतलाम | 2.37 | 2 38 | 2.67 |
| इन्दौर | 4.20 | 3.95 | 4.35 |
| उज्जैन | 1.34 | 1.45 | 1 43 |

विवरण-2

वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान उज्जैन, रतलाम, इन्दौर और नागदा स्टेशनों पर 'यात्री' और 'माल' के लिए रेलों द्वारा की गयी सुविधा सेवाओं का विस्तृत विवरण।

| क्रम संख्या | दी गई सुविधाओं/ आराम की मदें | उज्जैन | रतलाम | इन्दौर | नागदा |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | प्याऊ | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 2. | पानी के नल | 13 | 15 | 15 | 17 |
| 3. | पानी की ट्रालियां | 6 | 6 | 3 | 3 |
| 4. | जल शीतक | 3 | 6 | 2 | – |
| 5. | प्रतीक्षालय | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 6. | प्रतीक्षालय दूसरे दर्जे के | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 7. | विश्रामगृह | 3 | 3 | 3 | – |
| 8. | डारमेटरी | – | – | 2 | – |
| 9. | यात्री प्लेटफार्मों पर बैंचे | 50 | 55 | 44 | 19 |
| 10. | शौचालय | 23 | 42 | 16 | 6 |
| 11. | मूत्रालय | 14 | 11 | 9 | 2 |
| 12. | स्नानागार | 4 | 19 | 6 | 2 |
| 13. | पुस्तक स्टाल | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 14. | पुस्तक ट्रालियां | 1 | 1 | 1 | – |
| 15. | अल्पाहार गृह | 1 | 1 | 1 | – |
| 16. | अल्पाहार स्टाल्स | 4 | 14 | 5 | 3 |
| 17. | अग्रिम आरक्षण एवं बुकिंग कार्यालय | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 18. | प्लेटफार्मों पर छत डालना | 1 | 6 | 4 | 3 |
| 19. | यात्री प्लेट फार्म | 7 | 6 | 4 | 3 |
| 20. | माल प्लेट फार्म | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 21. | ऊपरी पैदल पुल | 1 | 1 | 1 | 1 |

टिप्पणी : (i) उज्जैन, रतलाम और इन्दौर पर व्यापारियों के लिए प्रतीक्षालयों की व्यवस्था की गयी है।

(ii) इन सभी स्टेशनों पर संचालन क्षेत्रों सहित स्टेशन और माल शेडों तक पहुंच मार्गों की व्यवस्था की गयी है।

**लोकोमैन कर्मचारियों की हड़ताल का इस्पात संयंत्रों की सप्लाई पर प्रभाव**

2256. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के अतिरिक्त अन्य किन रेलों पर लोको कर्मचारियों की हड़ताल का प्रभाव पड़ा है,

(ख) क्या हड़ताल के परिणाम स्वरूप विद्युत तथा इस्पात संयंत्रों की आदानों की सप्लाई में रुकावट आई;

(ग) यदि हां, तो किन-किन संयंत्रों पर प्रभाव पड़ा है; और

(घ) सरकार ने इन संयंत्रों को आदानों की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

**रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) 29-1-81 के शून्य काल से लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन द्वारा सामूहिक अस्वस्थता अवकाश की घोषणा से कुछ एक स्थानों को छोड़कर रेलों के संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

(ख) और (ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**मध्य प्रदेश में रेल लाइनों की लम्बाई**

2257. **श्री कमल नाथ** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र के कुल क्षेत्र और वर्तमान रेल लाइनों की लम्बाई का अनुपात क्या है;

(ख) अनुपात के अन्तराल को पूरा करने हेतु अतिरिक्त रेल लाइनें बिछाने के लिए सरकार क्या कदम उठाना चाहती है;

(ग) विभिन्न राज्यों के बीच इतने बड़े अन्तराल के क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) अपेक्षित ब्यौरा नीचे दिया गया है।

| राज्य | प्रति 1000 वर्ग कि० मी० क्षेत्र में मार्ग कि० मी० |
|---|---|
| मध्य प्रदेश | 12.96 |
| उत्तर प्रदेश | 29.93 |

| 1 | 2 |
|---|---|
| पंजाब | 42.47 |
| हरियाणा | 32.79 |
| बिहार | 30.55 |
| पश्चिमी बंगाल | 42.37 |
| महाराष्ट्र | 17.01 |

(ख) और (ग) रेलवे का विकास राज्य-वार अथवा क्षेत्रवार की धारणा से नहीं आंका जा सकता है। देश की आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया जाता है और योजना आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये सीमित संसाधनों के अन्तर्गत समग्र रेलवे विकास के संबंध में निर्णय लिये जाते हैं। नयी रेलवे लाइनें बिछाने की योजना संबंधित क्षेत्र की परिवहन संबंधी आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है। नयी लाइन परियोजनाओं के संबंध में निर्णय लेने का मार्गदर्शक मापदंड मौजूदा रेलवे किलोमीटरेज की बजाय प्रत्याशित यातायात की पर्याप्तता है।

**असम में गोगीधोपा में प्रस्तावित ब्रह्मपुत्र पुल**

2258. **श्री संतोष मोहन देव :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि असम में गोगीधोपा में ब्रह्मपुत्र पर बनाए जाने वाले प्रस्तावित पुल का ब्यौरा क्या है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) :** असम में जोगीधोपा में ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल का निर्माण करने के लिए भारत सरकार के निर्णय के बाद तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से इस पुल की व्यावहारिकता के बारे में अध्ययन करने और ब्यौरवार जांच और परियोजना की ब्यौरेवार रिपोर्ट तैयार करने के लिए नवम्बर 1680 में 51.640 लाख रुपये का अनुमान स्वीकृत किया गया। यह काम 'राइट्स' नामक कम्पनी को सौंपा गया था। इनसे यह रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। आशा है कि यह 31 मार्च, 1982 तक प्राप्त हो जाएगी। जब परियोजना रिपोर्ट मिल जाएगी और इसकी जांच करने के बाद निर्णय लिया जाएगा तभी इस पुल का ब्यौरा उपलब्ध हो सकेगा।

**उड़ीसा में यूनेस्को द्वारा प्रायोजित ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं**

2259. **श्री अनादि चरण दास :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में ग्रामीणों तथा गन्दी बस्तियों के निवासियों को सीधा लाभ प्रदान करने हेतु संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान और संस्कृति संगठन द्वारा प्रायोजित कुछ ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं शुरू की जाने वाली हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन योजनाओं का विस्तार उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों तक भी किया जाएगा; और

(ग) इन योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की संख्या**

2260. **श्री भीखाभाई** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय में, इसके नियंत्रणाधीन सरकारी उपक्रमों सहित, अधिकारियों की कुल संख्या क्या है;

(ख) इस मंत्रालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की संख्या क्या है;

(ग) आरक्षित दोनों समुदायों में से प्रत्येक के अधिकारियों की प्रतिशतता क्या है;

(घ) क्या आरक्षित रिक्त स्थानों में कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने कोई विशेष द्रुत कार्यक्रम शुरू किया है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों; और

(च) क्या सरकार का विचार इन समुदायों के लोगों की भर्ती के लिए कोई विशेष अभियान शुरू करने का है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) से (ग) नौवहन और परिवहन मंत्रालय, और इसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, तथा इसके नियंत्रण में सरकारी उपक्रमों और अन्य सांविधिक निकायों में अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या और इनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या और इनका प्रतिशत नीचे दिया जा रहा है—

| अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल सं० | इनमें अनुसूचित जाति के अधिकारी और कर्मचारी | अनुसूचित जनजाति के अधिकारी और कर्मचारी | अधिकारियों व कर्मचारियों की कुल संख्या में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1,63,698 | 21,054 | 2,384 | 12.86% | 1.46% |

(घ) से (च) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आरक्षित जगहें जो विगत वर्षों में नहीं भरी गयी हैं, उन्हें तदनुसार भरने की कोशिश की जा रही है।

**मील भत्ता**

2261. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि वेतन के पुनर्गठन के बारे में जुलाई, 1980 में हुआ समझौता और मील भत्ते, जो लोको-रनिंग स्टाफ के वेतन और वर्दी का अंग है, के बारे में अन्य समितियों की सिफारिशें कार्यान्वित नहीं की जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) इन मामलों में कोई समझौता नहीं हुआ था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**सोवियत संघ के साथ हस्ताक्षरित समझौता**

2262. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने तथा सोवियत मंत्री परिषद के प्रथम उपाध्यक्ष श्री इवान आरर्वीपोव ने उन वास्तविक परियोजनाओं के संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं जिनके लिये छठी योजना के दौरान 520 करोड़ रुपये की रूसी सहायता का उपयोग किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं के स्थापना-स्थलों और क्षमताओं सहित अन्य ब्यौरा क्या है ?

**विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नर्रसिंह राव)** : (क) जी, हां। इस प्रोटोकोल में भारत-सोवियत आर्थिक सहयोग की विभिन्न परियोजनाओं पर हुए विचार-विमर्श का सार दिया गया है, जिसमें वे परियोजनाएं भी शामिल हैं जिनके लिए 520 करोड़ रुपये का सोवियत ऋण आबंटित किया जाना है।

(ख) 23 जनवरी, 1981 को जारी किए गए प्रेस नोट में इन परियोजनाओं का विवरण दिया गया है जिसमें उन परियोजनाओं का स्थान और क्षमताएं भी बताई गई हैं, जहां इनके बारे में निर्णय ले लिया गया है। संगत विवरण संलग्न है।

**विवरण**

**भारत सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के संयुक्त आयोग पर 23 जनवरी, 1981 को प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा जारी प्रेस नोट से उद्धरण**

आयोग के अधिवेशन के दौरान दिसम्बर, 1980 के आर्थिक करार में परिकल्पित मोह

धातुकर्म, कोयला, विद्युत तेल आदि जैसे भारतीय अर्थ व्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग के कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए ठोस उपायों पर भी विचार किया गया था।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की स्थापना से सम्बन्धित मामलों की विस्तार से समीक्षा की गयी थी। इसके अतिरिक्त भिलाई इस्पात संयंत्र तथा बोकारो इस्पात संयंत्र के विस्तार और समकक्ष सोवियत संगठनों के साथ सहयोग के प्रश्नों पर विचार किया गया था।

कोयला उद्योग के क्षेत्र में बातचीत 28 लाख टन वार्षिक की क्षमता वाली झांजरा भूमिगत खान और झकांडा विवृत खान से सम्बद्ध रही जिसे प्रथम चरण में 40 लाख टन वार्षिक क्षमता वाले एकीकृत काम्पलेक्स के रूप में विकसित किया जाना है।

तेल अन्वेषण और तेल निकालने के क्षेत्र में, कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में तेल की खोज करने और विद्यमान कुओं से तेल उत्पादन में वृद्धि करने के कई कार्यक्रमों पर विचार-विमर्श किया गया।

एक महत्वपूर्ण परियोजना जिस पर इस आयोग ने विचार-विमर्श किया था वह थी 1000 मेगावाट की क्षमता वाले एकीकृत थर्मल बिजली सयंत्र का निर्माण जिसकी स्थापना सिंघरौली कोयला भंडारों में निगाही कोयला खान में की जानी थी और विस्तार करके जिसकी क्षमता 3000 मेगा-वाट तक बढ़ायी जा सके। इस परियोजना के कार्यान्वयन से सम्बद्ध बातचीत 1981 के पूर्वार्ध में की जायेगी।

सिंचाई के क्षेत्र में सहयोग के जिन कार्यक्रमों पर विचार-विमर्श किया गया था उनमें नहर की संरचना और नहर के अस्तर के निर्माण के लिए पूर्वनिर्मित संघटकों का उत्पादन और बांधों के निर्माण के लिए निर्देशात्मक विस्फोटिक तकनीकी का प्रयोग शामिल है।

**कुरला-थाने मार्ग पर 'फुट ओवर ब्रिज'**

2263. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे में कुरला-थाने के बीच और कुरला-मानखुर्द के बीच रेल मार्ग पर किसी जगह गाड़ियों के लिए या पैदल-यात्रियों के लिए 'फुट ओवर ब्रिज' के निर्माण का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी हां।

(ख) मध्य रेलवे के कुर्ला-थाणे और कुर्ला-मानखुर्द पर ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल और ऊपरी पैदल पुल के निम्नलिखित निर्माण कार्यों को 1981-82 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल दिया गया है :—

**कुर्ला-थाणे खंड :**

1. बिखरोली के पास समपार सं० 16 के बदले 46 लाख रुपये की अनुमानित लागत से ऊपरी सड़क पुल ।

**कुर्ला-मानखुर्द खंड :**

2. कुर्ला और चेम्बूर के बीच समपार सं० 1 के बदले, 82.37 लाख रुपये की अनुमानित लागत से ऊपरी सड़क पुल ।

3. बम्बई छोर पर चेम्बूर स्टेशन पर 10.62 लाख रुपये की अनुमानित लागत से ऊपरी सड़क पुल ।

4. गोवांडी में डाउन दिशा में 8.65 लाख रुपये की अनुमानित लागत से ऊपरी पैदल पुल का विस्तार ।

5. मानखुर्द में 7.52 लाख रुपये की अनुमानित लागत से ऊपरी पैदल पुल ।

रेलों द्वारा राज्य सरकार/स्थानीय निकाय के परामर्श से मध्य रेलवे के कुर्ला-थाणे और कुर्ला-मानखुर्द खंडों पर ऊपरी सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों और ऊपरी पैदल पुलों के निर्माण के निम्नलिखित प्रस्तावों की जांच की जा रही है :—

**कुर्ला-थाणे खंड :**

1. प्रस्तावित सान्ताक्रुज लिंक रोड पर कुर्ला यार्ड स्टेशन के आर-पार ऊपरी पैदल पुल का निर्माण ।

2. विद्याविहार स्टेशन के समीप कि० मी० 17/12-13 पर ऊपरी सड़क पुल का निर्माण ।

3. मुलुन्द रेलवे स्टेशन के उत्तर में समपार सं० 20 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल का निर्माण ।

4. कल्याण छोर पर थाणे में ऊपरी पैदल पुल का निर्माण ।

5. विखरोली और मांडुप के बीच कजंरमार्ग पर समपार सं० 16 के बदले ऊपरी पैदल पुल का निर्माण ।

6. थाटकोपर और विखरोली के बीच समपार सं० 14 के बदले ऊपरी पैदल पुल का निर्माण ।

**कुर्ला-मानखुर्द खंड :**

7. कुर्ला और मानखुर्द के बीच कुमुद स्कूल के समीप कि० मी० 20/4-5 पर ऊपरी पैदल पुल का निर्माण ।

8. चेम्बूर के निकट, शंकर नगर और तिलक नगर को जोड़ने वाले ऊपरी पैदल पुल का निर्माण ।

**वैगनों का उत्पादन**

2264. **श्री तारिका अनवर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1984-85 के दौरान परिवहन रेल की मांग और सप्लाई बीच 30 अरब मीट्रिक टन किलोमीटर के अन्तर का अनुमान लगाया है;

(ख) क्या वैगनों के उत्पादन में 25,000 से 30,000 प्रति टन वर्ष की वृद्धि दीर्घकालीन आर्डर दिये बिना नहीं की जा सकती है; और

(ग) क्या सरकार मांग और सप्लाई के बीच कमी पूरी करने के लिए रेल वैगनों का आयात करने की योजना बना रही है ?

**रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी नहीं, अन्तर, मांग और सप्लाई के बीच नहीं है बल्कि योजना आयोग द्वारा निर्विष्ट लक्ष्यों और साधनों की सुलभता के बीच है ।

(ख) संस्थापित उत्पादन क्षमता पहले से ही 25,000 माल डिब्बे प्रतिवर्ष से अधिक है।

(ग) जी नहीं ।

**केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी० जी० एच० एस०) के कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति के बाद उपदान आदि की अदायगी में विलंब**

2265. **श्री हीरा लाल आर० परमार** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना नई दिल्ली में नवम्बर, 1980 में सेवा निवृत हुए कर्मचारियों की, फार्मसिस्टों सहित, श्रेणी-वार कुल संख्या क्या है;

(ख) क्या उत्पादन, सामान्य-भविष्य निधि तथा अन्य जमा राशियों की उन्हें अदायगी कर दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उपदान आदि की अदायगी में विलंब के क्या कारण हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निरहार रंजन लास्कर)** : (क) फार्मेसिस्ट—1

ड्रेसर —1

(ख) और (ग) फार्मेसिस्ट को निवृत्ति के समय छुट्टी वेतन के बराबर रकम और ड्रेसर को मृत्यु तथा निवृत्त उपदान पहले ही दिया जा चुका है । अन्य भुगतानों में प्रशासनिक कारणों से विलम्ब हो गया है और ये भुगतान शीघ्र किए जाने की सम्भावना है ।

**अन्तर्राष्ट्रीय समुद्रीय सम्मेलन**

2266. क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास में, 11 फरवरी, 1981 से आयोजित किए जा रहे त्रि-दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रमुख सुझाव क्या हैं; और

(ख) उनके संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) और (ख) मद्रास में हुए अन्तर-राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन के सुझाव सरकार को सम्मेलन के कार्यालय से अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

**राजधानी के विभिन्न अस्पतालों में रोगियों को उपलब्ध सुविधाओं की पुनरीक्षा**

2267. **श्री जगपाल सिंह**
**श्री रशीद मसूद**
**श्री राजेश कुमार सिंह** } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान सहित राजधानी के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं की पुनरीक्षा करने के लिए तथा अस्पतालों के आंगनों/बरामदों में बिना उपचार के पड़े रोगियों की दशा से अवगत होने के लिए यदि सरकार ने कोई अवधि निर्धारित की है तो वह क्या है;

(ख) अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं की पुनरीक्षा पहले कब की गई थी और इन सुविधाओं में सुधार के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं;

(ग) सम्बद्ध प्राधिकारियों द्वारा विभिन्न अस्पतालों में गत एक वर्ष के दौरान यदि दौरे किये गये हैं, तो कितनी बार और इन दौरों के परिणामस्वरूप क्या कार्यवाही की गई;

(घ) यदि नहीं, तो सुविधाओं की पुनरीक्षा और बिना उपचार के पड़े रोगियों की हालत की जानकारी देने के लिए अवधि निर्धारित करने को क्यों आवश्यक नहीं समझा गया; और

(ङ) क्या सरकार इन अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने के लिए आने वाले रोगियों के हित में इस प्रकार की समयावधि निर्धारित किये जाने की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निरहार रंजन लास्कर)** : (क) और (ख) इन सुविधाओं की पुनरीक्षा करने के लिए इस समय कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है। फिर भी, अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षक आवश्यकतानुसार अपने-अपने अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं/रोगियों की दशा की पुनरीक्षा करते हैं।

(ग) से (ङ) चिकित्सा अधीक्षक एक वरिष्ठ अधिकारी होता है जो मौके पर उपलब्ध सुविधाओं तथा रोगियों की हालत की निरन्तर पुनरीक्षा करता रहता है।

**यात्री गाड़ियों को दो इंजनों से चलाना**

2268. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे का विचार यात्री गाड़ियों को दो-दो इंजनों से चलाने के प्रस्ताव को प्राथमिकता देने का है और कि नई गाड़ियां चलाने के स्थान पर लम्बी दूरी की गाड़ियों को अधिकाधिक प्राथमिकता दी जायेगी;

(ख) क्या भारतीय रेलवे का विचार पश्चिम रेलवे पर यात्री-गाड़ियों को दो-दो इंजनों से चलाने के कार्य को प्राथमिकता देने का है; और

(ग) यदि हां, तो पश्चिम रेलवे पर किन-किन यात्री गाड़ियों को दो-दो इंजनों से चलाने के लिए प्राथमिकता दी जायेगी ?

**रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी हां, जहां तक लम्बी दूरी की मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों का सम्बन्ध है, ऐसी व्यवस्था करने का विचार है बशर्ते कि इसके लिए साधन उपलब्ध हों और परिचालनिक कठिनाई न हो।

(ख) और (ग) 501/502 पिंक सिटी एक्सप्रेस और 151/152 राजधानी एक्सप्रेस के दोनों सिरों पर इंजन लगाने के प्रस्तावों की जांच की जा रही है और व्यावहारिक होने पर कार्यवाही की जायेगी।

**झाझा लोको द्वारा आमंत्रित की गई निविदा**

2269. **श्री राम विलास पासवान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, 1980 के दौरान पूर्वी रेलवे के अन्तर्गत झाझा लोको द्वारा निविदा आमंत्रित की गयी थी;

(ख) क्या शहरबन्नी श्रमिक सहयोग समिति, मुंगेर (बिहार) की निविदा सबसे कम थी;

(ग) क्या यह भी सच है कि उपर्युक्त सहकारी समिति की निविदा स्वीकार नहीं की गयी थी और उस व्यक्ति की दरें, जिसकी निविदा स्वीकार की गई थी, सहयोग समिति की दरों से काफी ऊंची थीं;

(घ) क्या सरकार ने मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं कि इस तरह की संविदाओं, आदि के मामलों में सहयोग समिति को प्राथमिकता दी जाए; और

(ङ) यदि हां, तो सम्बद्ध अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी हां, झाझा लोको ग्रुप शेडों के कोयला तथा राख सम्हलाई कार्य के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए थे और 29-9-1980 को खोले गये थे।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां। शहरवनी श्रम सहकारी समिति को ठेका नहीं दिया जा सका क्योंकि कार्य-स्थल समिति के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं था। इसके अलावा, झाझा इंजन शेड में, यथा अपेक्षित कार्यरत मौजूदा कोयला कामगरों में से कोई भी कामगार समिति के रोल पर नहीं था। इस समिति को इस किस्म के काम का कोई पिछला अनुभव भी नहीं था। विधिवत गठित एक टेंडर समिति, जिसने रेल प्रशासन के परिचालनिक सहित सभी पहलुओं को ध्यान में रखा, की सिफारिश पर एक व्यक्ति को झाझा में कोयला तथा राख सम्हलाई का काम दिया गया था।

(घ) ऐसे ठेकों के मामले में वास्तविक कामगारों की पंजीकृत वास्तविक सहकारी श्रमिक समितियों को प्राथमिकता दी जाती है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

## भारतीय शिपयार्ड में निर्मित जलपोत

2270. **श्री जेवियर अराकल :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80 और 1980-81 में भारत में किस-किस शिपयार्ड में कितनी-कितनी लागत के कितने-कितने जलपोत बनाए गए;

(ख) वर्ष 1979-80 से उसके बाद की अवधि में भारत में निर्मित प्रत्येक जल-पोत की कुल लागत कितनी-कितनी रही;

(ग) कोचीन शिपयार्ड के काम में प्रगति क्यों नहीं हो रही है; और

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गैर-सरकारी ठेकेदार और भवन-निर्माण करने वाले ठेकेदार जानबूझ कर कार्य में विलम्ब कर रहे हैं और भारी धन-राशि कमा रहे हैं।

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) :** (क) और (ख) नौवहन और परिवहन मंत्रालय के अधीन वे सरकारी शिपयार्डों में से हिन्दुस्तान शिपयार्ड ने 1979-80 में दो कार्गो जहाज और 1980-81 में एक कार्गो जहाज बनाकर तैयार किए और सुपुर्द किए, ये हैं—

| जहाज का नाम | डी० डब्ल्यू० टी० | सुपुर्दगी की तारीख | लागत करोड़ रु० में |
|---|---|---|---|
| 1. जलगोदावरी | 20,914 | 6- 4-1979 | 14.51 |
| 2. जलगोविंद | 20,868 | 5-12-1979 | 15.45 |
| 3. जलगोपाल | 20,850 | 11-9-1980 | 15.58 |

(ग) कोचीन शिपयार्ड की परियोजना रिपोर्ट में जिन मुख्य मशीनों की व्यवस्था की गई है उनमें से तीन क्रेनों की स्थापना का काम पूरा हो चुका है। यह परियोजना 1981-82 तक सभी प्रकार से पूरी हो जाएगी।

(घ) इस प्रकार की कोई रिपोर्ट सरकार को अभी तक नहीं मिली है।

**बंगलौर के लिए परिक्रमा रेलवे**

2271. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर शहर के लिए परिक्रमा रेलवे बनाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उस प्रस्ताव से सहमत हो गई है;

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव किस सीमा तक कार्यान्वित किया जाएगा; और

(घ) उसमें अंतर्विष्ट कुल-व्यय लागत क्या है ?

**रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :** (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

**रेलवे में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पद**

2272. **श्री राम प्यारे पनिका :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे (रेलवे बोर्ड, सम्बद्ध कार्यालय और उत्पादन-एककों सहित) में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों में से बड़ी संख्या में इन जातियों/जन-जातियों के लोग भर्ती/पदोन्नत नहीं किये गए;

(ख) क्या 1975-76 के प्रथम द्रुत कार्यक्रम के आधार पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित कोटे की कमी पूरी करने के लिए कोई कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो यह द्रुत कार्यक्रम कब से शुरू किया जायेगा और 'ए', 'ब', 'सी' और 'डी' ग्रेडों में भर्ती और पदोन्नति के कोटे में 31 दिसम्बर, 1980 को कितनी कमी थी ?

**रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :** (क) 31-3-1980 को भारतीय रेलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यावेदन निम्न प्रकार हैं—

| श्रेणी | कर्मचारियों की कुल संख्या | अनुसूचित जातियां | प्रतिशतता | अनुसूचित जनजाति | प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|
| वर्ग 'क' | 5393 | 419 | 7.8 | 77 | 1.4 |
| वर्ग 'ख' | 5048 | 550 | 10.9 | 114 | 2.3 |
| वर्ग 'ग' | 707034 | 79935 | 11.3 | 16231 | 2.3 |
| वर्ग 'घ' (सफाई वालों को छोड़कर) | 779308 | 137860 | 17.7 | 4552 | 5.3 |
| वर्ग 'घ' (सफाई वाले) | 54588 | 45399 | 83.2 | 862 | 1.6 |

(ख) जी हां।

(ग) 1 अप्रैल, 1981 से रेलों पर 'त्वतरित कार्यक्रम' शुरू किया जा रहा है। उपरि-लिखित प्रतिशतता से यह देखा गया है कि 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' कोटियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों दोनों के अभ्यावेदनों में कमी आई है। प्रतिशतता उपर्युक्त विवरण में दिखाई गयी है। अखिल भारतीय आधार पर अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत की अपेक्षा है।

**पारादीप पत्तन में गाद निकालने का कार्य**

2273. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार कलकत्ता पत्तन के रख-रखाव/गाद निकालने के कार्य संबंधी समूचे खर्च को वहन करती रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कलकत्ता पत्तन पर इस कार्य के लिए औसतन कितना वार्षिक खर्च किया जा रहा है;

(घ) क्या पारादीप पत्तन के ड्रेजर कोणार्क के समुद्र में डूब जाने को ध्यान में रखते हुए, उक्त पत्तन को भी यही लाभ देने का प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इस पत्तन के रखरखाव/गाद निकालने के कार्य को जारी रखने के लिए क्या वैकल्पिक सहायता प्रदान करने की संभावना है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) :** (क) केन्द्रीय सरकार 1968-69 से हुगली नदी के निकर्षण और अनुरक्षण पर कलकत्ता पत्तन न्यास द्वारा किए गए खर्च का 80% वहन कर रही है।

(ख) कलकत्ता पत्तन न्यास की आर्थिक स्थिति की जांच करने के लिए 1967 में सरकार द्वारा नियुक्त एक सदस्यीय समिति (पी० सी० भट्टाचार्य समिति) ने अन्य बातों के साथ यह सिफारिश की थी कि कलकत्ता पत्तन द्वारा नदी के अनुरक्षण और निष्कर्षण पर किए खर्च का 80% सरकार को स्थायी रूप से वहन करते रहना चाहिए। कलकत्ता पत्तन की आर्थिक स्थिति और कार्यों की जांच करने के लिए 1975 में सरकार ने जो दो सदस्यीय समिति नियुक्त की थी उसने भी कम से कम 1983-84 तक पत्तन को उपरोक्त आर्थिक सहायता जारी रखने की सिफारिश की थी।

(ग) नदी के अनुरक्षण और निष्कर्षण पर कलकत्ता पत्तन जो औसत वार्षिक खर्च कर रहा है, वह इस समय 11 से 12 करोड़ रु० तक है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) केवल कलकत्ता पत्तन को, जो एक नदी पत्तन है, हुगली नदी में निष्कर्षण कार्य के लिए सहायता दी जाती है। निष्कर्षण कार्य पर खर्च के लिए किसी अन्य पत्तन को कोई सहायता नहीं दी गयी है।

**हरियाणा एक्सप्रेस को भटिंडा तक बढ़ाया जाना**

2274. **श्री चिरंजीलाल शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार हरियाणा एक्सप्रेस को भटिंडा तक बढ़ाने का है ?

**रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : जी नहीं ।

**1 दिसम्बर, 1980 से 15 फरवरी, 1981 तक की अवधि के दौरान हुई रेल-दुर्घटनाएं**

2275. **श्री नवीन रवाणी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में 1 दिसम्बर, 1980 से 15 फरवरी, 1981 की अवधि के दौरान कुछ रेल दुर्घटनाएँ हुई थीं ;

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक दुर्घटना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्रत्येक दुर्घटना के कारण क्या हैं ;

(घ) मृतक तथा घायल व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है ;

(ङ) दुर्घटना-ग्रस्त प्रत्येक को कितना मुआवजा दिया गया था ; और

(च) इन दुर्घटनाओं के लिए उत्तरदायी-रेल कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) और (ख) 1-12-80 से 15-2-81 तक की अवधि के दौरान भारत की सरकारी रेलों पर 223 गाड़ी दुर्घटनाएँ हुईं । इन गाड़ी दुर्घटनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है : —

| | |
|---|---|
| टक्कर | 16 |
| पटरी से उतरना | 183 |
| समपार पर दुर्घटनाएँ | 19 |
| गाड़ियों में आग | 5 |
| जोड़ : | 223 |

(ग) इन दुर्घटनाओं के कारण नीचे दिये गये हैं :—

| | |
|---|---|
| 1. रेल कर्मचारियों की गलती | 75 |
| 2. रेल कर्मचारियों से भिन्न अन्य व्यक्तियों की गलती | 20 |
| 3. यांत्रिक उपस्करों की खराबी | 69 |
| 4. रेल पथ की खराबी | 8 |
| 5. तोड़-फोड़ | 1 |

| | |
|---|---|
| 6. आकस्मिक | 8 |
| 7. ऐसे कारण जो सिद्ध न हो सके | 2 |
| 8. ऐसे कारणों से जिनको अन्तिम रूप नहीं दिया गया है | 39 |
| जोड़ : | 223 |

(घ) इन दुर्घटनाओं में 63 व्यक्ति मारे जायें तथा 285 जख्मी हुए।

(ङ) अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।

(च) दुर्घटना के लिए दोषी पाये जाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध अपेक्षित अनुशासनिक कारंवाई की जाती है।

**भारतीय दूतावास पर किया गया खर्च**

2276. **श्री राम अवध** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों पर प्रति-वर्ष तथा देश-वार कुल कितने रुपयों का तथा विदेशी मुद्रा का खर्च हुआ है ?

**विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव)** : विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों पर अधिकतर खर्च विदेशी मुद्रा में ही होता है। लेकिन बजट और लेखा के लिए खर्च केवल रुपयों में दिखाया जाता है। विदेशी मुद्रा में होने वाले खर्च का प्रतिशत लगभग 88 है और शेष 12 प्रतिशत भारतीय रुपयों में है।

गत तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान प्रत्येक मिशन के सम्बन्ध में देशवार और मिशनवार वास्तविक खर्च नीचे प्रस्तुत किया गया है। इन तीन वर्षों के दौरान होने वाला कुल खर्च क्रमश: 27.30, 30.86 और 33.58 करोड़ रु० है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2018/81]

**नसबंदी के लक्ष्य में गिरावट**

2277. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रत्येक नसबंदी की औसत लागत में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। क्योंकि जहां एक ओर वेतन बिल में बढ़ोतरी हो रही है वहां दूसरी ओर कार्य-निष्पादन में कमी हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अपनी प्रचार-पद्धति में सुधार करने और कार्यक्रमों के निष्पादन में कुछ मूल परिवर्तन करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) नसबंदी आपरेशनों पर औसत खर्च निम्नलिखित कारणों से बढ़ रहा है :—

(1) स्वास्थ्य परिवार कल्याण और जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराने के लिए अपेक्षित आधारभूत ढांचा तैयार करने पर खर्च में वृद्धि होना ।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन कार्य कर रहे चिकित्सा तथा पराचिकित्सा कार्मिकों के काम-काजी और रिहायशी भवनों पर होने वाले खर्च में वृद्धि ।

(3) कुछ राज्यों में वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन-मानों में संशोधन करने तथा अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की किस्त की मंजूरी देने के फलस्वरूप तथा नसबंदी आपरेशनों के काम में 1977-78 में आई जबरदस्त गिरावट के बाद हो रही उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण ।

(ख) इस कार्यक्रम की आवश्यकताओं तथा स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य के परस्पर मिलान को ध्यान में रखते हुए प्रेरणा सम्बन्धी नीति को निरन्तर अद्यतन बना कर उसमें सुधार लाया जा रहा है ।

## यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन

2278. **श्री चित्त बसु** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में मेड्रिड में 35 राज्यों का एक यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन के क्या परिणाम रहे ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

**विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव)** : (क) यूरोपीय सुरक्षा और सहयोग सम्मेलन मेड्रिड में 11 नवम्बर, 1980 से चल रहा है ।

(ख) यह सम्मेलन अभी चल ही रहा है और इसके परिणाम अभी ज्ञात नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

## पूर्वी तटीय सड़क परियोजना (ईस्ट कोस्ट रोड प्रोजेक्ट) का निर्माण

2279. **श्री पी० राजगोपाल नायडू**
**प्रो० पी० जे० कुरियन** } : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 को मजबूत करने तथा उसके विस्तार हेतु पूर्वी तटीय सड़क परियोजना के निर्माण के सम्बन्ध में एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना के बारे में सरकार का क्या विचार है ;

(ग) क्या सरकार ने इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु विश्व बैंक से सहायता मांगी है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है तथा इस पर विश्व बैंक का क्या दृष्टिकोण है ?

**नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) आंध्र प्रदेश में ईस्ट कोस्ट रोड एक राज्य सड़क है और आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार इसके निर्माण, अनुरक्षण और सुधार आदि सभी कार्यों के लिए मुख्यत: जिम्मेदार है। जहां तक इस सड़क को मजबूत करने के लिए विश्व बैंक से सहायता लेने का प्रश्न है, यह भी मुख्यत: राज्य सरकार का ही मामला है। राज्य सरकार को इस बारे में सीधे वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) से सम्पर्क करने के लिए कहा गया है।

**माल डिब्बों का खाली गमनागमन**

2280. **श्री के० पी० सिंह देव**
**श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लुरी** } : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1979-80 के दौरान दक्षिण पूर्वी रेलवे के माल के डिब्बों के खाली गमनागमन की प्रतिशतता का मूल्यांकन किया है ;

(ख) इससे कितनी हानि हुई ; और

(ग) इस प्रतिशतता में कमी लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) दक्षिण पूर्व रेलवे के बड़ी आमाप खण्डों पर "खाली" माल डिब्बा किलोमीटर का कुल माल डिब्बा किलोमीटर से प्रतिशत 1978-79 में 32 प्रतिशत से घटकर 1979-80 में 29 प्रतिशत हो गया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रत्येक रेल प्रणाली में खाली माल डिब्बों का चलना स्वाभाविक और अपरिहार्य है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि अधिकांश यातायात कहां उपलब्ध है। फिर भी इनके संचलन को इस प्रकार युक्तिसंगत बनाने के लिए इस प्रकार से उपाय किये जा रहे हैं कि खाली माल डिब्बों का संचलन यथा सम्भव न्यूनतम हो।

**लिबिया में काम कर रहे भारतीय मजदूरों की अपील**

2281. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लिबिया में कार्य कर रहे लगभग 100 भवन निर्माण मजदूरों ने उनके मंत्रालय के नाम लिखी दिनांक 25 अक्तूबर, 1979 की एक अपील में अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन किया है तथा उन्होंने अपनी वापसी हेतु अनुरोध किया है :

(ख) यदि हां, तो तथ्य क्या हैं तथा उनकी सहायता के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या उनमें से प्रत्येक ने कानूनी करार के अन्तर्गत अपनी अवधि पूरी कर ली है ; और

(घ) यदि हां, तो उनके स्वदेश वापसी की स्पष्ट इच्छा प्रकट किए जाने के बावजूद उनकी वापसी में विलम्ब क्यों हुआ है ?

**विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव)** : (क) जी, हां।

(ख) कामगारों की तरफ से यह शिकायत मिलने पर कि उनकी नियोक्ता कम्पनी ने उन्हें भुगतान नहीं किया है और उन्हें भारत वापस भेजने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। त्रिपोली स्थित हमारे राजदूतावास ने लीबिया सरकार के विदेश संपर्क ब्यूरो के साथ इस मामले को उठाया था। कामगारों की यह शिकायत स्थानीय सिविल न्यायालयों में भी दाखिल की गई थी। इन न्यायालयों ने 3-12-80 को कामगारों के पक्ष में अपना अन्तिम निर्णय दे दिया। परन्तु, नियोक्ता कम्पनी ने उच्च न्यायालय में इस निर्णय का प्रतिवाद किया, जिसने 25-1-1981 को सिविल न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा और कामगारों को देय भुगतान करने के लिए कम्पनी को निदेश किया। खबर है कि कम्पनी कामगारों को भुगतान करने की व्यवस्था कर रही है।

(ग) जी, हां।

(घ) चूंकि यह मामला स्थानीय न्यायालयों में निर्णयाधीन था, इसलिए कामगारों को भारत वापस भेजने में देरी हुई। अब जबकि कानूनी बाधायें हट गई हैं, कामगारों के शीघ्र ही भारत वापस आ जाने की सम्भावना है।

**मनमाड-औरंगाबाद लाइन**

2282. **श्री काजी सलीम** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य दक्षिण-रेलवे में मनमाड औरंगाबाद रेल लाइन के निरीक्षण से लेकर अब तक कितनी धनराशि खर्च हुई है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) उक्त लाइन की क्या योजनाएं, प्रस्ताव तथा अनुमान है ;

(ग) इस रेल लाइन के कब तक बनने की संभावना है ; और

(घ) इसको शीघ्र पूरा करने के लिए रेलवे द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

**रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) से (घ) पूर्णा के रास्ते मनमाड से सिकन्दराबाद तक मीटर लाइन पहले ही मौजूद है। मनमाड से परभनी और आगे पुर्ली बैजनाथ तक इस खण्ड के भाग का बदलाव एक अनुमोदित निर्माण-कार्य है और पहले चरण में

मनमाड तथा औरंगाबाद के बीच के खण्ड को बदलने का प्रस्ताव है। इस कार्य को पूरा करने की कोई तारीख निर्धारित नहीं की गयी है। यह यातायात की आवश्यकता और धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। 30.92 करोड़ रुपये की कुल लागत में से 31-3-1981 तक 93.93 लाख रुपये खर्च होने की आशा है।

**बम्बई के एक डाक्टर द्वारा दिल को खोलकर शल्य चिकित्सा करना**

2283. **श्री शान्ताराम पोटदुखे :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बम्बई के प्रमुख डाक्टर द्वारा दिल को खोलकर शल्य चिकित्सा किए जाने, जो कम लागत की हृदय रोपण प्रक्रिया है, के बारे में मालूम है ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का कम लागत की हृदय रोपण सुविधाओं वाले सरकारी अस्पतालों में ऐसी यूनिटें शुरू किए जाने का प्रस्ताव है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) :** (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**शोरनुर रेलवे लोको शेड का डीजलीकरण**

2284. **श्री बी० एस० विजयराघवन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अच्छी किस्म के कोयले के अभाव के कारण शोरनूर रेलवे लोको शेड के डीजलीकरण का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार पालघाट डिवीजन में मिनी डीजल इन्जन सेवा आरम्भ करने का है ताकि कोयले के अभाव के कारण उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों से बचा जा सके ?

**रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) :** (क) यातायात के घनत्व और खंड की क्षमता को ध्यान में रखते हुए रेलों में डीजलीकरण किया जाता है। रेलों के उपयोग में आने वाले अपेक्षित किस्म की कोयले की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए एक अलग निरीक्षण संगठन पहले से ही है और शेडवनुर शेड के लिए सप्लाई किया जा रहा कोयला भाप-कर्षण के उपयुक्त है और शेडवणुर का फिलहाल डीजलीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। 1-3-1981 को पालघाट खंड में 4.6 दिन की खपत के लिए कोयला का स्टाफ था और सप्लाई की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है।

**शायिकाओं के आरक्षण में भ्रष्टाचार**

2285. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान रेलवे में वैगनों के आवंटन और शायिकाओं और सीटों के आरक्षण के मामले में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कारगर उपाय किये जा रहे हैं ?

**रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी नहीं। किन्तु कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें माल-डिब्बों के आवंटन और शायिकाओं और सीटों के आरक्षण में भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये हैं।

(ख) भ्रष्टाचार में लिप्त असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को समाप्त करने के लिए रेलों ने अनेक उपाय किये हैं, जिनमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :—

(i) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि माल डिब्बों का आवंटन प्राथमिकता और पंजीकरण की तिथि के अनुसार किया जाता है और विभिन्न स्थानों के लिए कोटे और प्रतिबन्धों का अनुपालन किया जाता है, अधिकारियों और निरीक्षकों द्वारा अक्सर जाँच की जाती है और रेलों के सतर्कता संगठन द्वारा निवारक जाँच की जाती है।

(ii) जब कभी माल-डिब्बों के आवंटन में अनियमितता के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त होती हैं, इनकी भली-भाँति जाँच-पड़ताल की जाती है और किसी कर्मचारी को अनियमितता अथवा कदाचार के लिए उत्तरदायी पाये जाने पर उनके विरुद्ध उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है। यदि, शिकायतों की निवारक जाँच और छान-बीन के दौरान यह पाया जाता है कि अनुपालित प्रक्रिया में कोई कमी है, तो अनियमितताओं और कदाचारों की गुंजाइश को समाप्त करने के लिए प्रक्रियाओं को उपयुक्त रूप से अशोधित कर दिया जाता है।

(iii) इसी प्रकार, रेलों के वाणिज्यिक और सतर्कता स्कन्धों, धोखा-धड़ी निरोधी दस्ते, राजकीय रेलवे पुलिस आदि द्वारा असामाजिक तत्वों और शायिकाओं और सीटों के आरक्षण से सम्बन्धित कदाचारों में ग्रस्त रेल कर्मचारियों की गतिविधियों को समाप्त करने के लिए जांच का काम गहन कर दिया गया है। चूंकि आरक्षण के अनेक अनियमितताएँ मांग और आपूर्ति के बीच अन्तर के कारण उत्पन्न होती हैं, इसलिए, नयी गाड़ियां चलाकर, वर्तमान गाड़ियों में और अधिक डिब्बे लगाकर, उनके चालन क्षेत्र में वृद्धि करके, यातायात की भीड़-भाड़ को कम करने के लिए सप्ताह में एक बार/दो बार चलने वाली गाड़ियों की आवृत्ति बढ़ाकर और उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत महत्वपूर्ण मार्गों पर होलीडे स्पेशल गाड़ियाँ चलाकर, मांग और पूर्ति के बीच अन्तर को कम करने के प्रयास किये गये हैं। इन के अतिरिक्त, आरक्षण प्रक्रियाओं को सुप्रवाही बनाकर और अतिरिक्त बुकिंग खिड़कियां, आरक्षण काउन्टर खोलकर और आरक्षण कार्यालयों के कार्य का समय बढ़ाने जैसे प्रबन्ध करके यात्री जनता को अधिक बेहतर और संतोषजनक सेवा प्रदान करने के अनेक उपाय किये गये हैं।

**उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों को हुई क्षति की मरम्मत के लिए स्वीकृत राशि**

2286. **श्री रास विहारी बहेरा** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों को बाढ़ से हुई हानि के बारे में 27 नवम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1445 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों को हुई क्षति की मरम्मत के लिए और उनके पुनर्निर्माण के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य संत्री (श्री बूटा सिंह)** : सितम्बर, 1980 में उड़ीसा में बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुए राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत इत्यादि के लिए अब तक कुल 23.73 लाख रुपये के बाढ़ क्षति मरम्मत अनुमान और विशेष मरम्मत अनुमान स्वीकृत किए जा चुके हैं। उपरोक्त स्वीकृत राशि में से अब तक 11.44 लाख रुपये दिए जा चुके है। इस बीच बाढ़ क्षति मरम्मत कार्यों के लिए राज्य सरकार से कुछ और अनुमान प्राप्त हुए हैं। इन अनुमानों पर अब कार्यवाही की जा रही है। आगे, जैसे-जैसे नए कार्यों को स्वीकृति दी जाएगी, उसी के अनुसार और धनराशि भी दी जाएगी।

**विदेशों में कुछ फिल्मों के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध**

2287. **श्री कमला मिश्र मधुकर**
**प्रो० रूप चन्द पाल** } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेश मंत्रालय ने तीन फिल्मों पर अर्थात् मणिकौल की एक फिल्म तथा लोक सेन लालवाणी की दो फिल्मों के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध लगा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इन फिल्मों के नाम और उनके कथानक क्या-क्या हैं ; और

(ग) इन पर प्रतिबन्ध लगाने के क्या कारण हैं ?

**विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव)** : (क) जी नहीं। विदेश मंत्रालय ने फिल्म प्रभाग को केवल यह सूचित किया है कि इन फिल्मों का प्रदर्शन सरकारी तौर पर विदेश-प्रचार के लिए सम्भव नहीं होगा, क्योंकि इससे विदेशी दर्शकों के समक्ष भारत की नकारात्मक तस्वीर पेश होगी।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

**दिल्ली में रिंग रेलवे**

2288. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में रिंग रेलवे लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या सर्वेक्षण कर लिया गया है ;

(ग) लाइन को पूरा करने और उसे के यातायात लिए चालू करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ; और

(घ) किन-किन जगहों को इस रेल लाइन से जोड़ा जाएगा ?

**रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) निर्माण-कार्य की समग्र वास्तविक प्रगति 5 प्रतिशत है।

(ख) जी हां।

(ग) इस परियोजना को जून, 1982 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(घ) जो बस्तियां इनसे संबित होंगी वे इस प्रकार हैं :—शकूरबस्ती, तुगलकाबाद, कनाट प्लेस, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, सदर बाजार, पहाड़गंज, किशनगज, सराय रोहिल्ला, पटेल नगर, कीर्तिनगर, मोतीबाग, सरोजनीनगर, लाजपतनगर, और निजामुद्दीन।

## वायरलैस आप्रेटर

2289. **श्री समर मुखर्जी** ; क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के सभी डिवीजनों में जोन-वार, 330-560 रुपये और 425-640 रुपये के वेतनमान में अधिकतर वेतन स्तर पर रुके हुए वायरलैस-आपरेटरों की कुल संख्या कितनी है और जोन-वार ऐसे कितने वायरलैस-आपरेट हैं जो 1 जून, 1981 को वेतन-गतिरोध की स्थिति में पहुंच जायेंगे ;

(ख) क्या यह सच है कि सीनियर वायरलैस आप्रेटर/डब्ल्यू० टी० एस०/आई० डब्ल्यू० टी० का 210-380 रुपये का वही वेतनमान (अधिकृत) था, जो कार्यालयों में मुख्य लिपिक का था ;

(ग) क्या यह सच है कि अब सीनियर वायरलैस आप्रेटर/डब्ल्यू० टी० एस०/आई० डब्ल्यू० टी० का वेतनमान 425-640 रुपये है, जबकि मुख्य-लिपिक का वेतनमान 425-700 रुपये है, हालांकि शिक्षा और तकनीक की दृष्टि से सीनियर वायरलैस आप्रेटर/डब्ल्यू० टी० एस०/आई० डब्ल्यू० सामान्य टी० मुख्य लिपिक से अधिक अर्हता रखते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने सीनियर वायरलैस आप्रेटर/डब्ल्यू० टी० एस०/आई० डब्ल्यू० टी० के 425-640 रुपये के वेतनमान को 425-700 रुपये में बदलने के लिए क्या कार्यवाही की है, ताकि गतिरोध तथा सीनियर वायरलैस आप्रेटर/डब्ल्यू० टी० एस०/आई० डब्ल्यू० टी० और मुख्य लिपिकों के वेतनमान की असमानता दूर हो जाए ?

**रेल मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) जी हां।

(ग) वरिष्ठ बेतार आपरेटरों/बेतार यातायात पर्यवेक्षकों/बेतार यातायात निरीक्षकों और प्रधान लिपिकों को तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित वेतनमान आवंटित

किए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ की जाने वाली ड्यूटी उत्तर दायित्व, भर्ती-अर्हता, पर्यवेक्षक की कोटि पर भी विचार किया गया है ।

(घ) बेतार आपरेटरों/बेतार यातायात पर्यवेक्षकों/बेतार यातायात निरीक्षकों के वेतनमान में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

**नौवहन कम्पनियों के समस्त दायित्वों का निर्धारण करने के लिए मार्ग दर्शी सिद्धान्त**

2290. **श्री बापू साहिब फरुलेकर** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौवहन कम्पनियों के समस्त दायित्वों का निर्धारण करने के लिए कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस आशय के कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं कि इण्डियन स्टीमशिप कम्पनी को, जिसने स्वयं अपनी वित्तीय व्यवस्था करके हाल ही के वर्षों में विदेशों से जलपोत खरीदे थे उनसे सम्बन्धित समरूप दायित्वों से मुक्त रखा जाना चाहिए और क्या राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड ने इस सम्बन्ध में सरकार से कोई सिफारिश की है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) और (ख) जी, हां। संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्त 23-2-1977 को जारी किए गए थे । विवरण में दिया गया है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) चूंकि इण्डिया स्टीमशिप कम्पनी द्वारा मार्च, 1974 से दिसम्बर, 1976 तक की अवधि के दौरान 8 पुराने जहाज खरीदे गए थे तथा पारस्परिक समरूप दायित्वों की नीति फरवरी, 1977 में जारी की गई थी जिसके अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था थी कि संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार पूर्व समरूप दायित्वों की कोई भी छूट नहीं दी जाएगी ।

**विवरण**

(1) विदेश से नया जहाज खरीदने वाली भारतीय नौवहन कंपनी को समान टन भार के जहाज का आर्डर भारतीय शिपयार्ड में देना होगा । यह उपबंध रीफर, आर० ओ० आर० ओ०/लैश/कन्टेनर आदि विशिष्ट जहाजों या 75,000 डी० डब्ल्यू० टी० से काफी अधिक डी० डब्ल्यू० टी० के जहाजों को लागू नहीं होंगे । यह स्पष्ट किया जाता है कि इस खण्ड के प्रयोजन के लिए यदि डी० डब्ल्यू० टी० 1,00,000 से अधिक है तो काफी अधिक डी० डब्ल्यू० टी० माना जाएगा ।

(2) यदि कोई भारतीय जहाज मालिक विदेश से पुराना जहाज खरीद रहा हो तो उसकी समरूपी देयता जहाज की कीमत तक सीमित होगी जो समरूपी देयता पूरी करते हुए आर्डर दिए गए जहाज की कीमत में समायोजित की जानी है।

(3) नौवहन कम्पनी के मामले में उस समय तक कोई समरूपी देयता निर्धारित नहीं की जाएगी जब तक कि उसका टनेज 50,000 डी० डब्ल्यू० टी० से अधिक न हो, या परिचालन के पांच वर्ष पूरे न हो जाएं, इनमें जो भी पहले हो। 50,000 डी० डब्ल्यू० टी० से अधिक के सभी टनेज समरूपी देयता माने जाएंगे।

(4) जहाज खरीदने के लिए अपने अधिकाधिक साधन जुटाने के लिए नौवहन कम्पनियों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से, जहाज-मालिकों द्वारा उपलब्ध किए संसाधनों के अनुपात में समरूपी देयता कम करदी जाएगी। मिसाल के तौर पर, जहाज-मालिक अपने साधनों से यदि जहाज की आधी कीमत की व्यवस्था करता है, तो उसकी समरूपी देयता 50% कम करदी जाएगी और उपरोक्त (2) के अनुसार मूल्य का समायोजन किया जाएगा। परन्तु इससे वह पहले वाली समरूपी देयत चुकाने से मुक्त नहीं देगा।

(5) जहाज मालिक समरूप दायित्व को पूरा करने के लिए उसके द्वारा खरीद किए गए विदेशी जहाज की सुपुर्दगी के छः माह के अंदर भारतीय शिपयार्ड को आर्डर देगा। ऐसा आर्डर उसी दशा में दिया गया माना जाएगा जब कि जहाज मालिक भारतीय शिपयार्ड को पक्का आशा पत्र जारी करेगा जिसको कि वह आर्डर देना चाहता है और अपने समस्त समरूप दायित्व के सम्बन्ध में 50 रुपये प्रति डी० डब्ल्यू० टी० के हिसाब से बयाना जमा करेगा।

(6) यदि कोई शिपिंग कम्पनी एक ही मुस्त में एक से अधिक जहाजों की खरीद करना चाहती है तो उसको प्रत्येक खरीद किए गए जहाज के समरूप दायित्व को इस प्रकार अपेक्षित पैकेज के सम्बन्ध में पूरा करना होगा।

(7) भारतीय शिपयार्डों को दिए गए आर्डरो के जहाजों का मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई मूल्य नीति के अनुसार किया जाएगा।

(8) इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों को लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। जिसमें नौवहन और परिवहन मन्त्रालय, रक्षा उत्पादन, भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्डों के प्रतिनिधि होंगे। सामान्यतः समिति की बैठक तीन माह में एक बार बुलाई जाएगी। यह इस बात को निर्धारित करेगी कि प्रत्येक शिपिंग कम्पनी अमुक शिपयार्ड को कितने जहाजों के आर्डर दे सकती है। यह आर्डर नौवहन और परिवहन मंत्रालय द्वारा तय किए गए मानक डिजाइनों के अनुसार होंगे। यह ऐसे दिए गए आर्डरों की समीक्षा भी करेंगी।

**व्यापारी जहाज अधिनियम, 1958 में संशोधन करने का प्रस्ताव**

2291. **श्री बापू साहिब पल्लेकर** क्या नौवहन और परिवहन, मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार व्यापार जहाज अधिनियम, 1958 में संशोधन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड ने व्यापारी जहाज अधिनियम की धारा 102 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव किया है; और

(घ) किए गए प्रस्ताव क्या हैं और उस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) और (ख) जी हां मर्चेंट शिपिंग ऐक्ट, 1958 में प्रस्तावित संशोधनों की मुख्य-मुख्य बात इस प्रकार हैं :—

1. ऐक्ट में भाग Xवी शामिल करके तेल प्रदूषण के कारण हुई क्षति के लिए मुआवजा देने और उसकी भरपाई करने की नई प्रणाली शुरू करना ।

2. (I) तेल द्वारा समुद्र के प्रदूषण को रोकने के लिए 1954 में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेन्शन के सन्शोधनों को लागू करना जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ने 1969 और 1971 में स्वीकार किया था, और

(II) ऐक्ट के भाग XI ए के स्थान पर कोई अन्य उपबन्ध जोड़कर प्रदूषण उपकर वसूल करने की व्यवस्था करना ।

3. ऐक्ट में भाग XV ए शामिल करके प्रोपल्शन की मशीनों से युक्त मछली पकड़ने की भारतीय नौकाओं के पंजीकरण और नियंत्रण की समुचित व्यवस्था करना ।

4. ऐक्ट को लागू करने से संबंधित आशय को स्पष्ट रूप से लागू करने के लिए ऐक्ट की धारा 2 में संशोधन करना ।

5. ऐक्ट में धारा 411 ए शामिल करके केन्द्रीय सरकार को ऐसे अधिकार देना जिनके अन्तर्गत वह भारतीय नौवहन उद्योग के हितों की अवांछित बाहरी हस्तक्षेप से रक्षा कर सके,

6. पत्तन पर आने वाले जिन जहाजों में माल निर्धारित क्षमता से अधिक भरा हुआ हो, उनके लिए जुर्माने की राशि में वृद्धि करना और प्रस्तावित भाग XIए और XVए के उपबन्धों का उल्लंघन करने पर दण्ड लगाने की व्यवस्था करना,

7. धारा 3 के खण्ड (55) में संशोधन करके 'जलयान' शब्द की दुबारा परिभाषा करना ताकि ऐक्ट में दिए गए इस शब्द की परिभाषा वैसी हो सके जैसी कि इण्डियन पोर्ट्स ऐक्ट 1908 (1908 का 15) और मेजर पोर्ट्स ऐक्ट, 1963 (1963 का 38) में दिए जाने का प्रस्ताव है,

8. धारा 24 में संशोधन करके, खासकर बम्बई, मद्रास और कलकत्ता पत्तनों पर जहाजों के पंजीकरण से सम्बन्धित मामलों पर कार्रवाई करने में समुद्री व्यापार विभाग को होने वाली कठिनाइयों को कम करना,

9. धारा 101 में संशोधन करना ताकि जहाजों के मालिकों या एजेन्टों के लिए यह जरूरी कर दिया जाए कि वे करार के सभी अनुच्छेदों पर हस्ताक्षर करें ताकि मजूरी के भुगतान के सम्बन्ध में करार के अनुच्छेदों द्वारा उन पर जो जिम्मेदारी डाली गई, है, उसे निभाने के लिए और नाविकों के हितों की रक्षा करने से सम्बन्धित उपबन्धों का पालन करने के लिए उन्हें बाध्य किया जा सके,

10. धारा 102 में संशोधन करके उसके कार्यक्षेत्र को सीमित करना ताकि भारतीय पत्तनों पर विदेशी ध्वज पोत केवल उसी राज्य या देश के नाविकों को अपने जहाजों में नियुक्त करे जहां शेष कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं,

11. धारा 105 में संशोधन करके यह व्यवस्था करना कि शिपिंग मास्टर के अलावा जहाज का मास्टर भी सम्बन्धित नाविक रोजगार कार्यालय को कर्मचारियों की नियुक्ति में हुए परिवर्तनों की सूचना दे।

12. धारा 108 में संशोधन करके इस बात की व्यवस्था करना कि जिन पत्तनों पर इण्डियन कन्सुलर अधिकारी नियुक्त नहीं हैं, वहां पर ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति करना जिनकी सहमति ले कर्मीदल के साथ किए गए करार के अनुच्छेदों में आवश्यक संशोधन किए जा सके,

13. ऐक्ट में धारा 130 ए शामिल करके इस बात की व्यवस्था करना कि नाविको के कल्याण के लिए शिपिंग मास्टर के पास जो राशि जमा है और जिसका कोई दावेदार नहीं है, उसका समुचित उपयोग करना,

14. धारा 132(1) में संशोधन करके नाविक और जहाज मालिक के बीच उत्पन्न हुए विवाद की राशि में वृद्धि करना जिसके बारे में विवाद से सम्बद्ध किसी भी पक्ष से आवेदन पत्र आने पर शिपिंग मास्टर उस पर अपना निर्णय दे सकता है

15. धारा 137 (1) में संशोधन करके वह तारीख निर्धारित करना जिससे नाविकों को मन्जूरी देने की जहाज मालिक की जिम्मेदारी शुरू होती है।

16. धारा 141 (3) में संशोधन करके मृत नाविक को देय वेतन का उसके परिवार के मनोनीत सदस्य को भुगतान करने की व्यवस्था करना,

17. धारा 159 (1) में संशोधन करके मृत नाविक को देय वेतन का भुगतान उस व्यक्ति को करने की व्यवस्था करना, जो एडमिनिस्ट्रेटर्ज जनरल ऐक्ट 1963 की धारा 29 के अधीन जारी किया गया एडमिनिस्ट्रेटर जनरल सर्टिफिकेट पेश करे,

18. धारा 160 (1) में संशोधन करके मृत नाविकों की सम्पत्ति, जिसका कोई दावेदार न हो, को बेचकर जो आय हो उसे नाविकों के कल्याण कार्यों पर इस्तेमाल करने की व्यवस्था करना।

19. एक नयी धारा 177 जोड़कर, केन्द्रीय सरकार में नियम बनाने की शक्तियों प्रदान करके जहाजों पर काम करने का अच्छा वातावरण बनाने और दुर्घटनाओं रोकने के सुरक्षात्मक उपाय करने की व्यवस्था करना,

20. धारा 194 के खण्ड (घ) में संशोधन करके मास्टरों और अधिकारियों की छोड़ मारपीट करने वाले नाविकों पर शक्ति लगाने की व्यवस्था करना,

21. धारा 204 परन्तुक जोड़कर, नाविक की पत्नी के हित में इस धारा का प्रवर्तन अपवाद बनाने के लिए व्यवस्था करना,

22. धारा 299 ए में संशोधन करके सर्वेक्षण और सर्टिफिकेशन की योजना के कार्यक्षेत्र के अन्दर 500 टन से कम के माल जहाजों के लिए व्यवस्था करना,

23. एक नई धारा 365 (2) जोड़कर, न्यायालय द्वारा जिसे औपचारिक जांच करने का अधिकार दिया गया हो, बुलाए गए गवाहों को यात्रा और दैनिक भत्ते के भुगतान के लिए व्यवस्था करना,

24. धारा 402 (3) में संशोधन करके कोस्टगार्ड के जहाजों, कमांडरों या ऐसे जहाजों के कर्मीदल को जहाज निकालने के प्रभारों के भुगतान की व्यवस्था करना,

25. अधिनियम में धारा 434 ए जोड़कर प्रत्येक पाल जहाज के कर्मीदल के सदस्यों के अनिवार्य बीमे के लिए व्यवस्था करना,

26. अधिनियम की धारा 74, 87, 175, 2 2, 344, 356 और 435 में संशोधन करके मर्चेंट शिपिंग ऐक्ट, 1958 में उपबन्ध जोड़ना, जिसमें सर्वेक्षकों द्वारा नौवहन उद्योग को उपलब्ध की गई विभिन्न सेवाओं के लिए शुल्क के बारे में नियम बनाने के लिए सरकार को शक्तियां दी गई हों।

27. सेफ्टी कन्वेंशन संबन्धी अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (37) का संशोधन।

28. मर्चेंट शिपिंग ऐक्ट, 1958 की धारा 80 समाप्त करके, भारतीय नौसेना में नौ कार्मिकों के प्रशिक्षण और समुद्री सेवा के लिए उपबन्ध सहित परीक्षा पद्धति के दायरे में नेवल कार्मिकों को लाना।

(ग) और (घ) जी, हां। उपरोक्त भाग (क) और (ख) के क्रम संख्या 10 में धारा 102 के संशोधन के प्रस्ताव का उल्लेख किया गया है। सरकार: उपरोक्त अन्य संशोधनों सहित इस प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है।

**दिल्ली-राजहरा-जगदलपुर रेल लाइन**

2292. **श्री लक्ष्मण कर्मा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली-राजहरा को रेल लाइन द्वारा जगदलपुर से जोड़ने के लिए किए गए सर्वेक्षण

के सम्बन्ध में अनुवर्ती कार्यवाही क्या की जा रही है और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान रेल लाइन के सम्बन्ध में निर्माण कार्य शुरू किए जाने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां तो उपर्युक्त रेल लाइन की किलोमीटरों में लम्बाई क्या है और उसमें अन्तर्विष्ट व्यय क्या है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) दिल्ली-राजहरा-जगदलपुर, (234 किलोमीटर) नयी बड़ी लाइन के निर्माण का प्रस्ताव योजना आयोग को अनुमोदन के लिए भेजा गया गया था । इस परियोजना को 1980-85 के लिए नयी लाइनों के योजना परिव्यय में शामिल नहीं किया जा सका ।

**समेकित परिवार कल्याण और प्रसूति बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम लागू करने का प्रस्ताव**

2293. श्री के० प्रधानी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास छठी योजनावधि के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में किसी समेकित परिवार कल्याण और प्रसूति बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम लागू करने के लिए कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या ऐसे कार्यक्रम उड़ीसा ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू किए जायेंगे ;

(ग) यदि हां तो क्या उपरोक्त कार्यक्रम में सम्मिलित किये जाने के लिये तथा उड़ीसा कुछ जिलों का पता लगाया गया है;

(घ) उड़ीसा के इन जिलों के क्या नाम हैं; और

(ङ) इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां। सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय द्विपक्षी वित्तीय सहायता देने वाली ऐजेन्सियों की आंशिक सहायता से देश के चुनिन्दा भागों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की सेवाओं को मजबूत करने के लिए एक योजना बनाई है ।

(ख) से (घ) उड़ीसा के जिन पांच जिलों को इस योजना के अन्तर्गत लाया गया है, उनके नाम हैं-कटक, गजंम, कालाहण्डी, फूलबनी और पुरी ।

(ङ) भारत सरकार ने उड़ीसा की इस परियोजना को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मंजूरी दे दी है । इस पर कार्य अभी-अभी शुरू हुआ है ।

**रेलवे लाइन के दोनों ओर पड़ी भूमि**

2294. श्री निहाल सिंह : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल लाइनो के दोनों ओर सैंकड़ों एकड़ भूमि अप्रयुक्त पड़ी है

और यदि 'अधिक अन्न उपजाओ' अभियान के अन्तर्गत इस पर काश्त शुरू कर दी जाती है तो उसमें रेल मन्त्रालय को करोड़ों रुपये की आय हो सकती है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी भूमि में से कितनी पर काश्त होती है और कितनी अप्रयुक्त पड़ी है; और

(ग) अप्रयुक्त भूमि पर काश्त शुरू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) से (ग) स्टेशन यार्ड और कालोनियों सहित रेलपथ के दोनों ओर 1,41,634 एकड़ भूमि उपलब्ध है उपर्युक्त में से "अधिक अन्न उपजाओं" योजना के सम्बन्ध में 1,01,614 एकड़ भूमि सीधे रेलों द्वारा और राज्य सरकार की एर्जेसियों के माध्यम से लाइसेंस पर दी गई थी। अब शेष 40,020 एकड़ भूमि का उपयोग नहीं किया जा रहा है जिसमें से अधिकाश भूमि खेती योग्य नहीं है। फिर भी, इस भूमि को खेती योग्य बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

**माल डिब्बों की कीमतों में वृद्धि**

2295. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे ने माल डिब्बों के बनाने वालों को 40 से 45 प्रतिशत मूल्य वृद्धि दी है : और

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा माल डिब्बों की कीमत के प्रश्न के बारे में क्या मुख्य समस्याएं अनुभव की जा रही हैं ?

**रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) 1-4-80 को आधार तारीख मानकर हाल ही में, माल डिब्बों के आर्डरों के लिए स्वीकार किये गये बढ़े हुए मूल्य तथा उससे पहले 1-3-78 को आधार मानकर दिये गये आर्डरों के लिए स्वीकार किये गये बढ़े हुए मूल्य माल डिब्बों की किस्म के अनुसार 43 प्रतिशत से 54 प्रतिशत के बीच भिन्न भिन्न हैं।

(ख) माल डिब्बों के मूल्य विगत में दिये गये आर्डरों के बाद बढ़े हुए मूल्यों और अन्य तथ्यों को ध्यान में रखकर निर्धारित किए जाते हैं। इसलिए मूल्यों में न्याय संगत वृद्धि स्वीकार करने की कोई समस्या नहीं है।

**जालेश्वर स्टेशन पर खड़गपुर-भद्रक यात्री गाड़ी की दुर्घटना**

2296. **श्री राम चन्द्र रथ** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जालेश्वर स्टेशन पर 23 दिसम्बर, 1980 को हुई 205 खड़गपुर-भद्रक यात्री गाड़ी की दुर्घटना के तथ्यों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त दुर्घटना में कितने व्यक्ति घायल हुए; और

(घ) दक्षिण पूर्व रेलवे में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी हां।

(ख) प्रत्यक्ष दुर्घटना कारण उपस्कर की खराबी था ।

(ग) एक व्यक्ति को मामूली चोट आई ।

(घ) गाड़ी परीक्षक कर्मचारियों के कार्यों की अचानक जांच में तेजी लाई गई है तथा रेल पथ और चलस्टाक के उपयुक्त अनुरक्षण की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। गाड़ी परिचालन की ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के गहन प्रशिक्षण, परामर्श तथा मानीटरिंग के अतिरिक्त अनुरक्षण कार्यों में गुणात्मक सुधार लाने के लिए जांच भी की जाती है। असुरक्षित तरीकों तथा लाघव विधियों को पकड़ने के लिए बार-बार अचानक रात्रि निरीक्षण तथा घात लगाकर जांच की जाती है।

**गहरे समुन्द्र में मछली पकड़ने वाले जलपोत प्राप्त करने हेतु जहाजरानी विकास निधि के माध्यम से ऋण देने संबंधी योजना का पुनः शुरू किया जाना**

2297. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलपोत प्राप्त करने हेतु जहाजरानी विकास निधि समिति के माध्यम से आसान शर्तों पर ऋण देने संबंधी योजना को पुनः शुरू करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) और (ख) जी हां, नौवहन विकास निधि (ऋण और अन्य वित्तीय सहायता) नियम, 1981 अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 44(अ) दिनांक 3 फरवरी, 1984 द्वारा अधिसूचित किए जा चुके हैं।

**नियमित न किये गये पोइन्टसमैन**

2298. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई सेन्ट्रल यार्ड (पश्चिमी रलवे) में भारी संख्या में स्थानापन्न पोइन्टसमैन काफी समय से काम कर रहे हैं और उनकी सेवाएं अभी भी विनियमित नहीं की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और सेवाएं विनियमित किए जाने के बिना वे कब से काम कर रहे हैं;

(ग) उनकी सेवाओं को विनियमित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं,

(घ) विनियमित किये जाने में कितना समय लगने की सम्भावना हैं ?

**रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) से (घ) बम्बई सेन्ट्रल यार्ड में 210-270 रुपये के वेतनमान में प्वाइन्ट्समैनों के पदों पर केवल 6 एवजी कर्मचारी काम कर रहे हैं क्योंकि 196-232 रुपये के वेतनमान के नियमित कर्मचारी प्वाइट्मैन के रूप में पदोन्नति पर जाने के इच्छुक नहीं हैं। 196-232 रुपये के नीचले ग्रेड में पद उपलब्ध हो जाने पर इन एवजियों को यथासमय-नियमित कर दिया जायेगा।

**डीजलीकरण के कारण फालतू हुए फायरमैन**

2299. **श्री जो० एम० वनातवाला** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने बांद्रा/परले एकक (बम्बई सेंट्रल डिवीजन, पश्चिम रेलवे) के 'सी' श्रेणी के कई फारमैनों, जो डीजलीकरण किए जाने के कारण फालतू हो गए हैं, को खपा लेने के लिए मार्च, 1980 में अथवा इसके आस-पास आदेश जारी किया था;

(ख) यदि हां, तो 'सी' श्रेणी के फालतु हुए फायरमैनों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या कई फायरमैनों को रेलवे बोर्ड के आदेशों के बावजूद नही खपाया गया है और उन्हें रिवर्ट कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है;

(ङ) क्या ऐसे फायरमैनों जिन्हें खपाया ही नहीं गया है ने दिसम्बर 1980 में धरने का सहारा लिया था;

(च) बोर्ड के आदेशों को लागू न करने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाई की गई है; और

(छ) बोर्ड के आदेशों को तत्परता से लागू करने और प्रशिक्षणार्थी आरक्षित पदों के सृजन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी हां, जुलाई, 80 में।

(ख) 30

(ग) और (घ) इनमें से 13 फायरमैनों को समाहित कर लिया गया है तथा 17 को अभी समहित किया जाना है।

(ङ.) जी हां।

(च) और (छ) जब इन 30 फायरमैनों को ग्रेड 'सी' के अन्तर्गत समाहित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा था तो उसी समय 'सी' ग्रेड के अन्य 260 फायरमैनों को फालतू घोषित कर दिया गया। 'सी' ग्रेड के ये 260 फायरमैन उन व्यक्तियों को मिलाकर हैं जो

आल्योच्य ग्रेड 'सी' के 30 फायरमैनों से वरिष्ठ थे। इसलिए, इन 'सी' ग्रेड के 30 फायरमैनों को इस प्रकार फालतू घोषित किये वरिष्ठ फायरमैनों के दावों की उपेक्षा करके वैकल्पिक कोटियों में समाहित करना संभव नहीं था। अब इन फायरमैनों को आवश्यक प्रशिक्षण देने के पश्चात् पश्चिम रेलवे के अन्य मन्डलों में भाप कर्षण और विद्युत/डीजल कर्षण में भी समाहित करने का निर्णय किया गया है। जिनका उपयोग इस प्रकार से भी नहीं किया जा सकेगा उनकी वाणिज्यिक क्लर्कों/कार्यालय क्लर्कों की कोटियों में सीधी भर्ती वाली रिक्तियों में समाहित करने के लिए जांच-पड़ताल की जायेगी।

**पुरुलिया स्टेशन पर रेल सेवा में व्यवधान**

2300. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 जनवरी 1981 को 10 घन्टे की बंगाल रेल नाकेबन्दी की गई थी जिसके कारण कलकत्ता से लगभग 230 कि० मी० दूर पुरुलिया स्टेशन पर रेल सेवाओं में व्यवधान पड़ था,

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे ने बताया है कि इस नाकेबन्दी से रेलवे की भारी क्षति हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या वर्तमान पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इस नाकेबन्दी का समर्थन किया गया था;

(घ) रेलवे को कितनी कुल क्षति पहुंची है;

(ङ) क्या इस प्रकार के व्यवधान को रोकने के लिए राज्य सरकार ने रेलवे अधिकारियों को सहयोग नहीं दिया; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

**रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) सवारी गाड़ियां और माल गाड़ियां रद्द किये जाने/स्थापन किये जाने के कारण आमदनी में हुए घाटे का अनुमान 25,30,98500 रुपये है।

(ङ) जी नहीं, राज्य सरकार ने सहयोग दिया था।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

**टाटानगर तथा बडमपहाड़ के बीच यात्री गाड़ियां**

2301. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास वर्ष 1981-82 के दौरान देश में और यात्रि-गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान किन-किन राज्यों में ये गाड़ियां चलाई जायेंगी;

(ग) क्या सरकार के पास उड़ीसा में टाटानगर तथा बड़मपहाड़ के बीच एक यात्री गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त प्रस्ताव को चालू वित्त वर्ष के दौरान क्रियान्वित किया जायेगा, और

(ङ) तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हित में माल यातायात की आवश्यकताओं की पूर्ति करने को प्राथमिकता दिये जाने तथा सवारी डिब्बों की कमी के कारण यह विनिश्चय किया गया है कि फिलहाल अतिरिक्त सवारी गाड़ियां चलाने के काम को धीमा रखा जाय। अप्रैल, 81 और अक्तूबर, 1981 में समय-सारणी के संशोधन के समय अतिरिक्त गाड़ियां चलाने, यदि कोई चलाई गयी तो के ब्योरे को अन्तिम रूप दिया जायेगा ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

**केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय, नवीन शाहदरा द्वारा औषधियों और पट्टी बांधने के सामान की खरीद**

2302. श्री निहाल सिंह : क्या स्वास्थ्य और कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या यह सच है कि गत दो-तीन महीनों से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय नवीन शाहदरा-दिल्ली के लाभ प्राप्तकर्ताओं को स्टोर से नावलजीन और ए० पी० सी० जैसी औषधियां प्राप्त नहीं हो रही हैं और वहां पट्टी बांधने का सामान भी उपलब्ध नहीं है और वे इसे बाजार से खरीद रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन महिनों के दौरान उपरोक्त औषधालय द्वारा कितने मूल्य की औषधियां और पट्टी बांधने का सामान खरीदा गया और रोगियों को सप्लाई किया गया ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री, (श्री निहार रंजन लास्कर) :

(क) और (ख) : ए० पी० सी० की केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना फार्मुलरी से हटा दिया गया है। इसीलिए यह केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में नहीं दी जाती है।

दवाइयों की खेप देर से मिलने के कारण कुछ समय के लिए नावलजीन स्टाक में नहीं थी। इसके उपलब्ध न होने के कारण समान चिकित्सीय गुण वाली दवाइयां दी जा रहीं थी। दवाइयों की खेप मिल जाने पर अब नावलजीन औषधालय में दी जा रही है। इस औषधालय में पट्टी बाधने के समान की कोई कमी नहीं हुई है;

(ग) नावलजीन अथवा पट्टी बांधने का कोई समान स्थानीय बाजार से नही खरीद गया था ?

**संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता योजना के अधीन विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिये चुने गये क्षेत्र**

2303. **प्रो० पी० जे० कुरियन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता योजना के अधीन विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रम हेतु कई क्षेत्र चुने गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां पर कार्यक्रम शुरू किया गया है और उक्त कार्य में क्या प्रगति हुई है तथा उसमें कितना वित्तीय परिव्यय निहित है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) :** (क) भारत में (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम) कन्ट्री प्रोग्राम (1.4.79 से 31.3.83 तक) के अन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्र की कोई परियोजना नहीं है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

**दक्षिण रेलवे के खोरेनर-कालीकट प्रभाग में रद्द की गई गाड़ियां**

2304. **श्री जी० एम० बनातवाला :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खोरेनर-कालीकट प्रभाग (दक्षिण रेलवे) में पिछले तीन महीनों में रद्द की गई गाड़ियों की संख्या कितनी है;

(ख) इस रद्दगी के क्या कारण हैं;

(ग) कितने समय के लिए इन्हें रद्द किया गया है; और

(घ) इस प्रभाग में पर्याप्त गाड़ियों के अभाव में यात्रियों को होने वाली कठिनाइयों तथा इसके परिणामस्वरूप यात्रियों में व्याप्त रोष को देखते हुए इन गाड़ियों को शीघ्र पुनः चालू करने और भविष्य में गाड़ियां रद्द न किए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए है ?

**रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) :** (क) और (ख) शेरूवणुर-कालीकट खन्ड भाप कोयले की कमी के कारण तीन यात्री गाड़ियां रद्द की गयी थीं।

(ग) शेरूवाणूर और कणाटूर के बीच 511 कोयम्बतूर-कण्णनूर तथा 62 कण्णानूर-कोयम्बतूर यात्री गाड़ियां क्रमशः 14.1.81 तथा 15.1.81 से रद्द की गयी थी। 513 कोयम्बतूर-कालीकट यात्री गाड़ी 25-1-81 से पूरी तरह रद्द की गयी थी।

(घ) यह सभी गाड़ियां 2.3.81 से पुनः चालू कर दी गयी हैं।

**कारीगर कर्मचारी**

2305. **श्री सूरज भान :** क्या रेल मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ओपन लाईन कैरिज एण्ड वैगन डिपार्टमेंट के कारीगर कर्मचारियों को पदोन्नतियों के मामले में वर्कशापों तथा लोको-शैडों में कार्यरत कारीगर कर्मचारियों के बराबर समझा जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ओपन लाइन कैरिज एण्ड वैगन डिपार्टमेंट से पदोन्नत श्रेणी-तथा उससे ऊपर के अधिकारियों को भी उनकी पदोन्नतियों के मामले मे वर्कशापों तथा 2 लोको-शैडों से पदोन्नत अधिकारियों के बराबर समझा जाता है;

(ग) यदि हां, तो ओपन लाईन कैरिज एण्ड वैगन डिपार्टमेंट में कार्यरत सुपरवाइजरों को भी पदोन्नतियों के मामले में वर्कशापो तथा लोको-शैडों में कार्यरत सुपरवाइजरों के समान क्यों नहीं माना जाता; और

(घ) इस विषमता को दूर करने के लिए सरकार का विचार भविष्य में क्या उपचारात्मक उपाय करने का है ?

**रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) :** (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**ट्रेन एग्जामिनरों का प्रशिक्षण**

2306. **श्री सूरज भान :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्रेन एग्जामिनरों की श्रेणी में भर्ती के स्रोत के प्रत्येक प्रकारों के लिये प्रशिक्षण की कितनी न्यूनतम अवधि रखी गई है;

(ख) भर्ती के प्रत्येक स्रोत के लिए भर्ती सम्बन्धी क्या अन्य शर्तें रखी गई हैं;

(ग) क्या उपरोक्त (क) भाग में उल्लिखित प्रशिक्षण को ट्रेन एग्जामिनर की सेवाओं को नियमित बनाने के लिए अनिवार्य समझा गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो किन परिस्थितियों में ?

**रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) :** (क) और (ख) 40 प्रतिशत रिक्तियां रेल सेवा आयोग के माध्यम से डिप्लोमा धारियों में से सीधी भर्ती द्वारा भरी जाती है और 20

प्रतिशत मध्यवर्ती प्रशिक्षु गाड़ी परीक्षकों के रूप में उन कुशल कारीगरों में से प्रवरण द्वारा भरी जाती हैं जिन्होंने 3 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो तथा वे मेट्रिकुलेट हों तथा उनकी आयु 45 वर्ष से अधिक न हो। उन्हें दो वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**यांत्रिक (मैकेनिकल) विभाग में कनिष्ठ वेतनमान अधिकारी (जूनियर स्केल आफिसर)**

2307. श्री सूरज भान : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलों के यांत्रिकी विभाग में रेल-वार और विभाग-वार अर्थात् कैरिज और वैगन विंग वर्कशाप, लोको एंड डीजल विंग में कनिष्ठ वेतनमान अधिकारियों की कुल संख्या क्या है;

(ख) श्रेणी-II के अधिकारियों से भरे जाने वाले पदों की रेल-वार संख्या क्या है;

(ग) कैरिज और वैगन विंग के पदों पर कार्यरत वर्कशाप, लोको और डीजल विंग के श्रेणी-II के अधिकारियों की तथा वर्कशाप, लोको तथा डीजल विंग के पदों पर कार्यरत कैरिज और वैगन विंग के श्रेणी-II के अधिकारियों की रेल-वार संख्या क्या है,

(घ) भारतीय रेलों के स्थान/डिपो/प्रभाग कौन से हैं, जहां इस समय कैरिज और वैगन विंग के कनिष्ट वेतनमान अधिकारी का पद मंजूर किया गया है; और

(ङ) कैरिज और वैगन विंग में श्रेणी-II के पदों पर कैरिज और वैगन विंग के रेल-वार कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) सूचना इक्ट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**रेल लाइनों के लिए पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाना**

2308. श्री एन० सुन्दर राजन : क्या रेल मन्त्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेल लाइनों के निर्माण के लिए किसी ऐसे पिछड़े क्षेत्र का पता लगाया है जहां पर्याप्त यायायात क्षमता विद्यमान है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे क्षेत्रों के नाम क्या हैं और तत्सम्बन्धी निर्माण कार्यक्रम क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी नहीं। लेकिन, पिछड़े क्षेत्रों में जहां नयी लाइनें बिछायी गयी हैं अथवा बिछायी जा रही हैं, उन स्थानों के नामों

का उल्लेख 20 मार्च 1980 को लोक सभा में श्री अमर राय प्रधान द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं० 1329 के उत्तर में किया गया है ।

**नैमित्तिक श्रमिकों को स्थायी किया जाना**

2309. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान नैमित्तिक श्रमिकों को उनका रेलवे में स्थाई रूप से विलय करके स्थायी करने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रत्येक जोनल रेलवे द्वारा इसके लिए कोई योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक रेलवे में वर्तमान नैमित्तिक श्रमिकों की संख्या क्या है तथा स्थायीकरण सम्बन्धी कार्य के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

**रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) और (ख) प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे में नैमित्तिक मजदूरों को नियमित करने के लिए अवर विभागीय अध्यक्षों की एक समिति संवर्ग समीक्षा करेगी और पदों के सृजन का प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

**विवरण**

| रेलवे | नैमित्तिक मजदूरों की संख्या | नियमित करने की योजना के अन्तर्गत स्वीकृत पदों की संख्या | विचाराधीन प्रस्ताव |
|---|---|---|---|
| मध्य | 40504 | — | 3337 |
| पूर्व | 20832 | 1000 | 7724 |
| उत्तर | 41734 | 56 | 4647 |
| पूर्वोत्तर | 18135 | 2373 | — |
| पूर्वोत्तर सीमा | 10420 | 1169 | 4439 |
| दक्षिण | 35325 | 1469 | — |
| दक्षिण मध्य | 31968 | 917 | — |
| दक्षिण पूर्व | 23007 | — | 4285 |
| पश्चिम | 45348 | 3770 | — |
| उत्पादन यूनिट | 2611 | 974 | — |
| जोड़ | 269884 | 11728 | 24432 |

रिक्तियां होने पर नैमित्तिक मजदूरों को नियमित कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में सभी नैमित्तिक मजदूरों को नियमित करने के सम्बन्ध मे कोई तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती है।

**दिल्ली में सरकारी विश्लेषण द्वारा लिए गए नमूने**

2310. श्री हरिनाथ मिश्र : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में दुकानों से गत छह महीनों के दौरान खाद्य पदार्थों के कितने नमूने लिए गए :

(ख) इस प्रकार लिए गये नमूनों में से कितने नमूने सरकारी विश्लेषक द्वारा मिलावट वाले घोषित किए गए तथा मिलावट करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, गाजियाबाद के कुछ बड़े आदमियों की मिलावट करने वालों के साथ सांठ-गाँठ है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि दिल्ली के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने टिप्पणी की है कि "केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला" द्वारा जाँच के लिए सिफारिश किए गए नमूनों को इस दृष्टि से नष्ट कर दिया गया प्रतीत होता है जिससे मिलावट करने वालों को कानूनी दण्ड से बचाया जा सके ;

(ङ) यदि हां, तो क्या मिलावट करने वालों के विरुद्ध जांच करने में विफल रहे निदेशक के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में अगस्त, 1980 से जनवरी 1981 तक के छह महीनों में भिन्न दुकानों से कुल 606 नमूने भरे गए।

(ख) 606 नमूनों में से 71 नमूने मिलावटी घोषित किए गए हैं और तीन नमूनों के बारे में जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। मिलावट के 71 मामलों में से 18 मामलों में मुकदमा दायर कर दिया गया है और शेष 53 मामलों की तफतीस की जा रही है।

(ग) से (च) दिल्ली प्रशासन के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के निर्णयों की प्रतियां हाल ही में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को मिली हैं, जिनमें मजिस्ट्रेट महोदय ने केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला गाजियाबाद के काम-काज पर प्रतिकूल टिप्पणी की है। इन मामलों की जांच की जा रही है। जांच के पश्चात् इन पर समुचित कार्रवाई की जायेगी।

**पश्चिम बंगाल में परियोजनायें**

2311. श्रीमती गीता मुखर्जी )
श्री पीयूष तिरकी ) : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने ऋषि बंकिम सेतु के उद्घाटन के अवसर पर पश्चिम बंगाल

की जनता को यह सूचना दी थी कि रेलवे ने पश्चिम बंगाल में परियोजनाओं के लिए 250 करोड़ रुपये की राशि नियत की है जिसमें से 95 करोड़ रुपये की लागत का कार्य तो पूरा भी हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त राशि कितनी अवधि के लिए नियत किया गया था, कौन सी परियोजनायें पूरी हो चुकी हैं, कौन-कौन सी परियोनाओं को पूरा करने का विचार है?

**रेल मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मल्लिमार्जुन)** : (क) और (ख) ऋषि बंकिम सेतु के उद्घाटन के दौरान दिये गये भाषण में यह कहा गया था कि मेट्रो रेलवे परियोजना का वास्तविक अनुमान 250 करोड़ रुपये है और इस परियोजना पर अब तक 80 करोड़ रुपये खर्च किया जा चुका है। मार्च 1981 तक 95 करोड़ रुपये की राशि खर्च होने का अनुमान है।

**विभिन्न रेल गाड़ियों पर तैनात सुरक्षा गार्ड**

2312. **श्री गुफरान आजम** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न रेल गड़ियों में तैनात पुलिस सुरक्षा गार्डों को शयन-बर्थ अबंटित की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो उन का कोटा कितना है?

**रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) और (ख) गाड़ियों में ड्यूटी पर तैनात मार्ग रक्षी पुलिस वालों को बैठने की जगह दी जाती है, न कि शयनयान सीटों की संख्या ड्यूटी पर तैनात मार्ग-रक्षियों की संख्या पर निर्भर करती है।

**उड़ीसा में राष्ट्रीय राज मार्ग के विकास के लिए और अधिक धन राशि**

2313 **श्री के० प्रधानी** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य को छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरा करने के लिए और अधिक धन की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या यह सच है कि धन की कमी के कारण उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास पिछले पांच वर्षों में अपेक्षित स्तर के अनुसार नहीं हुआ है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार 1981-82 में उड़ीसा के लिए इस शीर्ष में अधिक धन आवंटित करने पर विचार कर रही है;

(घ) क्या उड़ीसा से गुजरने वाले सभी छः राष्ट्रीय मार्गों का अधूरा कार्य छठी योजना के अन्त तक पूरा होने की संभावना है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

**नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) जी, हां। जहां 1978-83 की

पंचवर्षीय योजना में देश के राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 456 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी, वहां 1980-85 की छठी पंचवर्षीय योजना में इस काम के लिए 660 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं होता। लेकिन, राज्यों के लिए धनराशि का आवंटन इस बात पर निर्भर करता है कि कुल धनराशी कितनी उपलब्ध है और अन्य राज्यों की प्राथमिकताएं क्या हैं।

(घ) उड़ीसा से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के जो कार्य स्वीकृत हो चुके हैं और जो अभी चल रहे हैं, उन सभी को छठी योजनावधि के अन्त तक पूरा करने का विचार है।

(ङ) उन चालू कार्यों की सूची जिन्हें पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है, का विवरण संलग्न है।

**विवरण**

| क्र० सं० | कार्य का नाम | स्वीकृत राशि (लाख रुपये) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5—मील 665/6 से 668/0 तक (रनबोह बाइपास को छोड़कर) सड़क को एक लेन को दो लेनों में चौड़ा करना और उसे मजबूत बनाना। | 53.64 |
| 2. | राष्ट्रीय राजमार्ग 5—मील 645/2 से 649/7 तक सड़क को एक लेन से दो लेनों में चौड़ा करना और उसे मजबूत बनाना। | 20.80 |
| 3. | राष्ट्रीय राजमार्ग 5—कि मी० 297/0 से 322 तक एक लेन की सड़क को मजबूत बनाना। पक्की सड़क को छोड़कर। | 18.93 |
| 4. | राष्ट्रीय राजमार्ग 6—किलोमीटर 408/0 से 428/6 तक और 433/9 से 435/5 तक निचले ग्रेड की सड़क का सुधार करना। | 21 41 |
| 5. | राष्ट्रीय राजमार्ग 5—मंशकुल्या पुल के पहुंचमार्गों का निर्माण | 20.80 |
| 6. | राष्ट्रीय राजमार्ग 5—मील 727/4 से 732/2 तक भुवनेश्वर से खुर्द तक भूमि का अधिग्रहण। | 4.61 |
| 7. | राष्ट्रीय राजमार्ग 43—किलोमीटर 316/745 से 338/0 तक पुलियों का पुनर्निर्माण। | 5.54 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 8. | राष्ट्रीय राजमार्ग 43—किलोमीटर 338/0 से 368/0 तक पुलियों का पुनर्निर्माण । | 5.12 |
| 9. | राष्ट्रीय राजमार्ग 43—किलोमीटर 417/0 से 437/0 तक पुलियों का पुनर्निर्माण । | 7.43 |
| 10. | राष्ट्रीय राजमार्ग 6—मसानी और गुमराह तक संयुक्त पहुंचमार्ग का निर्माण । | 4.20 |
| 11. | राष्ट्रीय राजमार्ग 6—मील 152/3 से 153/0 तक के बीच खतरनाक और अक्सर दुर्घटनाग्रस्त होने वाले स्थालों को हटाना । | 3.09 |
| 12. | राष्ट्रीय राजमार्ग 6—फ्लांग 235/1,6, 238/3-7 और 236/4-6 में खतरनाक और अवसर दुर्घटनाग्रस्त होने वाले स्थलों को हटाना । | 5.58 |
| 13. | राष्ट्रीय राजमार्ग 5—मील 631/2-3 में छोटे पुल के पहुंचमार्ग का निर्माण । | 2.61 |
| 14. | राष्ट्रीय राजमार्ग 42 — राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 का सुधार करना — मील 54/0 से 58/0 तक सडक को चौड़ा करना । | 13.01 |
| 15. | राष्ट्रीय राजमार्ग 42—राष्ट्रीय राजमार्ग 42 का सुधार करना — मील 61/0 से 67/2 तक सड़क को चौड़ा करना । | 21. 3 |
| 16. | राष्ट्रीय राजमार्ग 42—राष्ट्रीय राजमार्ग 42 के 14/5 से 18/2 तक सड़क को चौड़ा करना । | 14.71 |
| 17. | राष्ट्रीय राजमार्ग 43—किलोमीटर 456 से 459 तक कमजोर और तंग पुलियों को दोबारा बनाना । | 2.63 |
| 18. | राष्ट्रीय राजमार्ग 43—किलोमीटर 462 से 465 तक कमजोर और तंग पुलियों को दोबारा बनाना । | 2.53 |
| 19. | राष्ट्रीय राजमार्ग 43—किलोमीटर 449 से 453 तक कमजोर और तंग पुलियों को दोबारा बनाना । | 6.52 |
| 20. | राष्ट्रीय राजमार्ग 43—किलोमीटर 465 से 468 तक कमजोर और तंग पुलियों को दुबारा बनाना । | 3.83 |
| 21. | राष्ट्रीय राजमार्ग 43— किलोमीटर 459 से 462 तक तंग और कमजोर पुलियों को दोबारा बनाना । | 2.61 |
| 22. | राष्ट्रीय राजमार्ग 43—किलोमीटर 479/0-2 और 470/8-10 पर क्षतिग्रस्त पुलियों को दोबारा बनाना । | 0.39 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 23. | राष्ट्रीय राजमार्ग 6—अर्दईनाले के पहुंचमार्ग का निर्माण | 4.94 |
| 24. | राष्ट्रीय राजमार्ग 6—बैतारानी के पहुंचमार्ग का निर्माण | 3.65 |
| 25. | राष्ट्रीय राजमार्ग 5—किलोमीटर 35/2-3,50/8 और 53 पर लैवल क्रांसिंग पर अतिखित स्टाफ की नियुक्ति करना। | 0.39 |
| 26. | राष्ट्रीय राजमार्ग 42—मील 162/0 से 167/0 तक कमजोर और तंग पुलियों का निर्माण। | 2.40 |
| 27 | राष्ट्रीय राजमार्ग 42—मील 130/0 से 136/0 के बीच, मील 130/3-4, 130/5-6, 134/2-3 पर वतिग्रस्त पुलियों का पुनर्निर्माण। | 1.27 |
| 28. | राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 6—मील 150/0 से 159/0 तक कमजोर और तंग पुलियों का निर्माण। | 2.72 |
| 29. | राष्ट्रीय राजमार्ग 42—मील 136/0 से 139/0 तक तंग और कमजोर पुलियों का पुनर्निर्माण। | 5.63 |
| 30. | राष्ट्रीय राजमार्ग 6—बीजू नाले के पहुंचमार्ग का निर्माण। | 4.62 |
| 31. | राष्ट्रीय राजमार्ग 5— मील 665/0 से 668/0 तक रंभा नामक स्थान तक सड़क को चौड़ा करना और मजबूत बनाना (चौड़ाई 18 फुट) | 9.56 |
| 32. | राष्ट्रीय राजमार्ग 5—मील 661/0 से 668/0 तक 15 कमजोर और तंग पुलियों का पुनर्निर्माण। | 6.35 |
| 33. | राष्ट्रीय राजमार्ग 5—676/3-4, 677/0, 677/4-5 और 678/0,1 में चार कमजोर और तंग पुलियों का पुनर्निर्माण। | 1.34 |
| 34. | राष्ट्रीय राजमार्ग 5—643/6-7, 660/1-7, 660/1-5, 660/5-6 और 676/4-5 में 5 कमजोर और तंग पुलियों का पुनर्निर्माण। | 1.30 |
| 35. | राष्ट्रीय राजमार्ग :—किलोमीटर 245 से 255 तक बची शेष सड़क को 7 मीटर तक चौड़ा करना। | 8.81 |
| 36. | राष्ट्रीय राजमार्ग 5—भद्रक बाइपास का सुधार। | 4.73 |
| 37. | राष्ट्रीय राजमार्ग 23—बनारपाल से बीर-मित्रपुर-पल्लाहारा और बारकोटी तक सड़क का सर्वेक्षण और जांच। | 8.72 |
| 38. | राष्ट्रीय राजमार्ग 5—मील 700/0-1 में छोटे पुल के पहुंचमार्ग का निर्माण। | 2.48 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 39. | राष्ट्रीय राजमार्ग 6--मील 138/1-2 में छोटे पुल के पहुंचमार्ग का निर्माण । | 5.45 |
| 40. | राष्ट्रीय राजमार्ग 42– धेनकनाल बाइपास का निर्माण | 51.06 |
| 41. | राष्ट्रीय राजमार्ग 42—धेनकनाल बाईपास पर नालियों का निर्माण | 21.09 |
| 42. | राष्ट्रीय राजमार्ग 5-- रुशिकुल्या पुल के पहुंचमार्ग के बाई ओर यातायात चौक और चुंगीकर वसूली बूथ का निर्माण । | 3.80 |
| 43. | राष्ट्रीय राजमार्ग 6—किलोमीटर 215 से 228 तक तंग और कमजोर पुलियों का पुनर्निर्माण | 1.70 |
| 44. | राष्ट्रीय राजमार्ग 5—राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के निरगुंडी जंक्शन से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 के मील 10/7 तक लिंक रोड पर पक्की पटरियां बनाना । | 2.89 |
| 45. | राष्ट्रीय राजमार्ग 6—किलोमीटर 280/6-से 296/0 तक 4 पुलियों का पुनर्निर्माण । | 2.25 |
| 46. | राष्ट्रीय राजमार्ग 42—किलोमीटर 124/3 से 131/6 तक तंग और कमजोर पुलियों का पुनर्निर्माण । | 3.09 |
| 47. | राष्ट्रीय राजमार्ग 43—किलोमीटर 382/0 से 408 तक और किलोमीटर 417 से 473 तक सड़क का सर्वेक्षण और जांच । | 1.09 |
| 48. | राष्ट्रीय राजमार्ग 43—किलोमीटर 467/0-2 और 466/122 पर कमजोर और तंग पुलियों (संख्या 462 से 477) का पुनर्निर्माण । | 0-64 |
| 49. | राष्ट्रीय राजमार्ग 43– किलोमीटर 335/24 में कमजोर और तंग पुलियों का पुनर्निर्माण । | 0.30 |
| 50. | राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर बूढ़ावलंग स्पिल जोन के किलोमीटर 200/250 में छोटे पुल का विस्तार । | 7.114 |
| 51. | राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर मील 700/0 1में साल शंख नाले पर हाई लैवल पुल का निर्माण | 9.973 |
| 52. | राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर किलोमीटर 199/690 से 200/015 तक हाई लेवल पुल का निर्माण । | 6.958 |
| 53. | राष्ट्रीय राजमार्ग 6 पर किलोमीटर 217/4 में जराईकेल्ला पर छोटे पुल का निर्माण । | 5.187 |
| 54. | राष्ट्रीय राजमार्ग 6 पर किलोमीटर 378 में गुमराह नाले पर हाई लैवल पुल का निर्माण । | 8.524 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 55. | राष्ट्रीय राजमार्ग 6 पर किलोमीटर 376 में वेतरणी नदी पर हाई लेवल पुल का निर्माण । | 19·932 |
| 56. | राष्ट्रीय राजमार्ग 6 पर मील 3 में अरदेई नाले पर हाई लेवल पुल का निर्माण | 11.855 |
| 57. | राष्ट्रीय राजमार्ग 42 पर थनकनाल बाई पास में बरजोर नाले पर हाई लेवल पुल का निर्माण । | 6.196 |
| 58. | राष्ट्रीय राजमार्ग 42 पर मील 170/4-5 में माल तिजोरी पर हाई लेवल पुल का निर्माण । | 37.348 |
| 59. | राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर 376/2-4 में अंवगुडा पर छोटे पुल का निर्माण | 13.029 |
| 60. | राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर किलोमीटर 437/8-10 में कुंडलीगोड्डा पर छोटे पुल का निर्माण । | 11.456 |
| 61. | राष्ट्रीय राजमार्ग 43 में किलोमीटर 391/68 में देवघाटी नदी पर छोटे पुल का निर्माण । | 4.948 |
| 62. | राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर किलोमीटर 435/2-३ में गेलागोड्डा पर छोटे पुल का निर्माण । | 3.389 |

**राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में तूतीकोरिन तिरूनबेली मार्ग**

2314. **श्री ए० नीलालोहिया दसन नाडार** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तूतीकोरिन तिरूनवेली मार्ग का राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में निर्माण करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का विचार इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति देने का है ?

**नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री बूटा सिंह)** : (क) से (ग) टूटीकोरिन तलनेलबेलि मार्ग पहले से ही राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 क घोषित है । इस मार्ग को दो लेनों वाले मार्ग के रूप में चौड़ा करने के लिए प्रस्ताव को छठी पंचवर्षीय योजना (1980-८5) में शामिल करने का विचार है जो अभी तय की जा रही है । यह सारे देश में विभिन्न कार्यक्रमों की आवश्यकता और संसाधनों के उपलब्ध होने पर निर्भर है ।

**गुट-निरपेक्ष देशों के लिए पेट्रोलियम उत्पादों के रियायती मूल्य करने की योजना**

2315. **श्री बी० पी० देसाई** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल का उत्पादन न करने वाले गुट निरपेक्ष देशों को पेट्रोलियम उत्पादों के रियायती मूल्य करने की एक योजना गुट निरपेक्ष सम्मेलन में प्रस्तावित की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्तावों को तेल उत्पादक देशों ने स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) उन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव)** : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठते ।

**लोकोमैनो के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का प्रयोग**

2316. **श्री बी० वी० देसाई**
**श्री के० एम० मधुकर** ) : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी फरवरी 1981 के दौरान रेलवे लोकोमैनो ने हड़ताल की थी और सरकार मजबूर होकर पहली बार उनके विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करनी पड़ी;

(ख) यदि हां, तो राज्य वार कितने लोकोमैनो को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया; और

(ग) क्या लोकोमैनो की सभी यूनियनों ने हड़ताल की थी या उनमें से कुछ एक ने ही ?

**रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) से (ग) जैसा कि रेल मन्त्री द्वारा 17.2.81 को संसद में दिए गए स्वप्रेरित बयान में पहले बताया जा चुका है कि भारतीय रेलों के कुछ क्षेत्रों में लोको रनिंग कर्मचारियों के एक वर्ग द्वारा सामूहिक रूप से सिक रिपोर्ट करके काम रोकने का गैर कानूनी तरीका अपनाया गया।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 (2) के प्रावधानों के अनुसार केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार यदि यह समझती है कि यदि किसी व्यक्ति को राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध काम करने अथवा जन व्यवस्था के अनुरक्षण के विपरीत काम करने अथवा जनता के लिए अनिवार्य सप्लाई और सेवाओं के अनुरक्षण में व्यवधान डालने से रोकने आदि के लिए आवश्यक हो तो ऐसे व्यक्ति को अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द करने के लिए आदेश दे सकती है। रेल कर्मचारी भी प्रायः जनता की तरह इस कानून से बंधे हैं । रेलवे कर्मचारी के लोकोमैन होने के कारण कार्रवाई नहीं की गई थी ।

खाड़ी के देशों में भारतीयों की समस्याएं ।

2317. श्री सतीश अग्रवाल )
श्री के०राममूर्ति ) : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
श्री के० एन० शेजवलकर )

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 फरवरी 1981 के इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया कि केटेलाइटीज सोसाइटी ने केन्द्र सरकार का ध्यान खाड़ी के देशों में काम कर रहे भारतीयों की उन असमर्थताओं की ओर आकृष्ट किया है जिनको केन्द्र सरकार उपेक्षा करती आ रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त एसोसिएशन ने बताया है कि अन्य देशों में कार्य कर रहे भारतीयों से विषम, खाड़ी के देशों में कार्यरत भारतीय अपने कार्य स्थल पर भूमि नहीं खरीद सकते और भारत सरकार भी उन्हें वहां अपना व्यवसाय स्थापित करने की अनुमति नहीं देती है जब तक कि वह विशिष्ट मदों के लिए उन्हें ऐसी मन्जूरी न दे दे ; और

(ग) क्या सरकार ने इन भारतीयों की अन्य असमर्थताओं की भी जांच की है और उन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

विदेश मन्त्री(श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां। कुवैत केरल मुस्लिम सांकृतिक केन्द्र ने प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष को एक पत्र लिखा था जिसमें खाड़ी के देशों में रहने वाले भारतीयों को पेश आने वाली समस्याओं का जिक्र किया गया था। खाड़ी के देशों में रहने वाले भारतीयों की अवहेलना किए जाने को कोई प्रश्न नहीं है। भारत सरकार अपने मिशनों के माध्यम से स्थानीय कानून और विनियमों को ध्यान में रखते हुए इस बात को पूरी तरह सुनिश्चय करती है कि खाड़ी के देशों में रहने वाले सभी भारतीयों के हितों के प्रति आवश्यक ध्यान दिया जाए।

(ख) जी नहीं ।

(ग) कुवैत केरल मुस्लिम सांस्कृतिक केन्द्र के पत्र में जिन विभिन्न मसलों को उठाया गया था, उन्हें यथा सम्भव अनुकूल कार्रवाई के लिए सम्बन्धित विभागों को ध्यान में लाया गया है।

बैलगाड़ियों का आधुनिकीकरण

2318. श्री सतीश अग्रवाल : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है कि पशुओं द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों से देश में कुल कितना माल लाया ले जाया जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि 1980 के अन्त में दिल्ली में आयोजित किए गए औद्योगिक मेले में राजस्थान पंडाल में, एक ऐसी उन्नत किस्म की पशु चालित गाड़ी (ए डी वी एस) का

प्रदर्शन किया गया था जो अधिक भार खींच सकती है और जिसमें ब्रेक थे, कंधे पर ठीक से रखे जाने वाला जुआ (योक) और संकेत देने वाले साधन थे;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे पशु चालित वाहन (ए डी वी एस) को लोक प्रिय बनाने के लिए कोई कदम उठाए हैं जिससे बैल गाड़ी को अधिक भार खींचने में मदद मिलेगी और बैलों को भी आराम मिलेगा, और

(घ) क्या सरकार ने बैलगाड़ी को आधुनिक बनाने के लिए उपाय किए हैं ?

**नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) जी, हां। देश के ग्रामीण क्षेत्रों के सम्बन्ध में ।

(ख) प्रश्न नहीं होता । व्यापार मेला प्राधिकरण ने सूचित किया है कि 1980 के अन्तिम दिनों में उसने प्रगति मैदान में किसी भी औद्योगिक मेले का आयोजन नहीं किया था ।

(ग) और (घ) : हालांकि ए डी वी टायरों से बैलगाड़ियों द्वारा और अधिक बोझ लाने ले जाने में मदद मिलती है लेकिन ये टायर कच्चे ऊबड़ खाबड़ या दल-दल वाले इलाकों में उपयुक्त नहीं पाये गये हैं । इसलिए सरकार ठोस पहियों और ए डी वी टायर लगी बैलगाड़ियों के लिए परिष्कृत डिजाइन तैयार कर रही है ।

## कम्प्यूटर से रेल आरक्षण

2314. **श्री सतीश अग्रवाल**
**श्री एन० ई० होरो**
**श्री एन० के० शेजवलकर**
**श्री के० मालन्ना** : क्या रेल मन्त्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय द्वारा रेल आरक्षण तथा वैगनों की आवाजाही के लिए कम्प्यूटर प्रणाली शुरू किए जाने के लिए सर्वेक्षण पहले ही किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) वैगनों तथा यात्री गाड़ियों में सीटों के आरक्षण में इस कम्प्यूटर प्रणाली से किस प्रकार से मदद मिलेगी; और

(घ) रेलवे में इन कार्यों पर लगे श्रमिक दल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

**रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) और (ख) समग्र रूप से प्रारम्भिक अध्ययन को छोड़कर, इस तरह का कोई विस्तृत सर्वेक्षण अभी तक नहीं किया गया है ।

(ग) इससे चलस्टाक के बेहतर उपयोग में मदद मिलेगी, और दक्ष प्रबन्धकीय नियंत्रण के लिए सामयिक और सही आंकड़े मिल जायेंगे ।

(घ) इस सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

**सिलीगुड़ी में रेलवे फाटक पर ऊपरी पुल**

2320. श्री अमर राय प्रधान : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सिलीगुड़ी (नार्थ फ्रन्टियर रेलवे) पर वर्तमान रेलवे फाटक के स्थान पर प्रस्तावित सड़क के ऊपरी पुल के विस्तृत डिजाइन, नक्शों तथा प्राक्कलनों को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां,तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण है और इस पर अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य सरकार ने विस्तृत आरेखण नहीं भेजे हैं ताकि रेलवे पहुंच मार्ग तथा पुल संरचना के लिए योजनाओं तथा मिले-जुले अनुमानों को पूरा किया जा सके। प्रस्तावित ऊपरी पुल के लिए रिहायसी तथा कार्यालय क्षेत्र वाली निजी और रेलवे की भूमि का अधिग्रहण करना होगा। रेलवे तथा राज्य सरकार मामले की जांच कर रही है, इस समय यह कहना संभव नहीं है कि योजनाओं तथा अनुमान को कब तक अन्तिम रूप दिया जायेगा ।

**लोकोमैनों की अनिवार्य सेवा निवृत्ति**

2321. श्री अमर राय प्रधान )
श्री के० ए० राजन )
श्री पी० एम० सईद )
श्री चित्त महाटा ) : क्या रेल मन्त्री यह बतानें की कृपा करेंगें कि :
श्री सुभाष यादव )
श्री एन० ई० होरो )
श्री ए० के० राय )

(क) लोको कर्मचारियों की हड़ताल में भाग लेने के परिणामस्वरुप अनिवार्य रूप से सेवा निवृत किए गए लोको कर्मचारियों की संख्या कितनी है और उसके क्या कारण हैं।

(ख) उन्हें फिर से सरकारी सेवा में बहाल करने के लिए क्या सरकार का विचार उनके मामलों पर पुन: विचार करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मन्त्री श्री केदार पान्डे) : 30 वर्ष की अर्ह सेवा के पश्चात् या 55 वर्ष की आयु हो जाने पर कर्मचारियों के मामलों की आवधिक समीक्षा के अन्तर्गत समय पूर्व निवृत्ति की गयी है। कर्मचारियों को सेवा निवृत्त करने का निर्णय सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए उनके कार्य निष्पादन के रिकार्ड पर आधारित होता है। समय से पूर्व सेवा निवृत्तियों के सही आंकड़े मालूम किये जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिये जायेंगे।

(ख) और (ग) यदि कोई समय से पूर्व सेवा निवृत्त कर्मचारी इन नियमों से प्रभावित होता है और उसके द्वारा अभ्यावेदन किया जाता है तो नियमों में उस पर विचार किये जाने की व्यवस्था मौजूद है।

**रेलवे का लेखा विभाग**

2322. श्री ज्योतिर्मय वसु : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि लगभग तीस वर्षों से रेलवे विभाग में बहुत से उप शीर्षों में कर्मचारी उसी ग्रेड में हैं और वे काफी अर्से पूर्व अपने वेतनमान के अधिकतम तक पहुंच गये हैं लेकिन पदोन्नति के अवसरों का तो कहना ही क्या है उन्हें कम से कम वार्षिक वेतन वृद्धि के रूप में किसी प्रोत्साहन मिले बिना किसी शिकायत के वे अपना काम कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सरकार को सबहेड की कोटि में उद्धृता के बारे में जानकारी थी। उन्हें राहत देने के उद्देश्य से सरकार ने 26-2-81 से रु० 550-750 के वेतनमान का सेलेकशन ग्रेड लागू किया है। वर्तमान नियमों और पदों की उपलब्धता के अनुरूप निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करने पर सब हेड ऊंचे वेतनमान के पदों पर पदोन्नति पाने के पात्र हैं। उन्हें अपने बेहतर भविष्य के लिए लेखा विभाग की पुनर्संरचना योजना के अन्तर्गत विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए दो विशेष अवसर भी प्रदान किये गये हैं।

**पश्चिम बंगाल में अन्तर्देशीय जल परिवहन योजना**

2323. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के लिए उन अन्तर्देशीय जल परिवहन परियोजनाओं का विवरण क्या है जो छठी पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वित हेतु सम्मिलित की गई है;

(ख) प्रत्येक परियोजना की कुल अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कैसे पूरा किया जा रहा है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) भारत

सरकार की छठी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित पश्चिम बंगाल की अन्तर्देशीय जल परिवहन की चालू परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

| क्रम संख्या | परियोजनाओं का ब्यौरा | कुल अनुमानित लागत (लाख रुपये) |
|---|---|---|
| 1. | हल्दिया और फरक्का के बीच अन्तर्देशीय जल परिवहन सेवाएं चालू करना । | 250.00 |
| 2. | सुन्दरवन में जल सर्वेक्षण करना | 200.00 |
| 3. | कलकत्ता और हावड़ा के बीच हुगली नदी में फेरी सेवा चलाने के लिए फेरी जहाज खरीदना और जेट्टियों का निर्माण करना । | 207.53 |
| 4. | नजात और कोसावा में जेट्टियों का निर्माण करना | 3.67 |

उपरोक्त क्रम संख्या 2 में उल्लिखित योजना की लागत में सुन्दरवन के अलावा देश के अन्य मुख्य जलमार्ग भी शामिल हैं ।

भारत सरकार की छठी पंचवर्षीय योजना में पश्चिम बंगाल सरकार सम्बन्धी कोई भी नई योजना शामिल नहीं की गई है ।

उपरोक्त सूची में, केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता की योजना शामिल नहीं है । इस निगम की सेवाएं पश्चिम बंगाल तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अन्य राज्यों में भी सेवा चलाता है ।

उपरोक्त सूची में वे योजनाएं भी शामिल नहीं हैं जो पश्चिम बंगाल की सरकार की छठी पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित अन्तर्देशीय जल परिवहन के बारे में है ।

(ग) प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर में तालिका के क्रम संख्या 1 और 2 में उल्लिखित योजनाएं केन्द्रीय योजनाएं हैं और उनका पूरा खर्च सरकार उठायेगी ।

उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या 3 और 4 में उल्लिखित योजनाएं केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं हैं और केन्द्रीय सहायता की नवीनतम पद्धति के अनुसार शेष बचे खर्चे का केवल 50 प्रतिशत भारत सरकार ऋण के रूप में देगी और बाकी 50 प्रतिशत राज्य सरकार अपने संसाधनों से पार करेगी । केन्द्रीय सहायता की पद्धति में आसोधन करने से पूर्व 1978-79 तक खर्च 100 प्रतिशत ऋण के रूप में भारत सरकार ने दिया ।

### राज्यों में मनोरोग के मामले

2324. श्री अर्जुन सेठी )
श्री छोटू भाई गामित ) : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में मनोरोग के मामलों के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(ग) मानसिक रोगों में हो रही वृद्धि को रोकने हेतु नियमित और सतत अभियान चलाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ; और

(घ) प्रारम्भिक चरणों में ऐसे मामलों का पता चलाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रन्जन लास्कर)** : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

**पशुपतिनाथ एक्सप्रेस का देरी से चलना**

2325. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या रेल मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) पशुपतिनाथ एक्सप्रेस से नरकलगंज और प्लेजाघाट के बीच यात्रा कर रहे यात्रियों को रेल के विलम्ब से चलने के कारण वर्ष 1980 के दौरान प्रातः की स्टीमर सेवा का लाभ प्राप्त करने से कितनी बार वंचित रहे;

(ख) इस गाड़ी के प्लेजाघाट स्टेशन पर समय पर पहुंचने को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

**रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकाजुर्न)** : (क) 1980 के दौरान 203 दिन 77 अप पशुपति एक्सप्रेस गाड़ी स्टीमर सेवा से मेल नहीं ले सकी ।

(ख) इस गाड़ी के समय पालन में सुधार लाने के लिए होस पाइप काटने तथा वक्यूम में गड़बड़ी पैदा करने की शरारतों को रोकने के लिए राज्य सरकार प्राधिकारियों के सहयोग से संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

**कोटा-चित्तौड़ रेल लाइन**

2326. **श्री अशोक गहलोत** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोटा-चित्तौड़गढ़ रेल लाइन का निर्माण आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, यो उक्त निर्माण कार्य के कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है, और

(ग) उस पर कितना व्यय किए जाने की सम्भावना है ?

**रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकाजुर्न)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग) कोटा से चित्तौड़ गढ़ और उससे आगे नीमच तक नयी बड़ी लाइन के निर्माण को 1980-81 के बजट में 41.09 करोड़ रुपये की लागत से शामिल किया जा चुका है। प्रस्तावित लाइन का अन्तिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण प्रगति पर है।

निर्माण शुरू करने के लिए 100 लाख रुपये की आवश्यकता प्रमाण पत्र की स्वीकृति दी जा चुकी है इस परियोजना के पूरा होने में लगभग पांच वर्ष का समय लगेगा बशर्ते कि पर्याप्त धन उपलब्ध हो।

सवाई माधोपुर-जयपुर लाइन

2327. श्री अशोक गहलोत : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सवाई माधोपुर से जयपुर तक बड़ी रेल लाइन बिछाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा कब तक निर्णय किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) इस पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) जी नहीं। लेकिन 1973 में दिल्ली अहमदाबाद आमान परिवर्तन के सर्वेक्षण के सन्दर्भ में, जिस पर योजना आयोग के परामर्श से पहले ही अलग से विचार किया जा रहा है, इस खंड (लम्बाई 132 कि० मी० तथा लागत 20 करोड़ रुपये) के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण किया गया था। दिल्ली-अहमदाबाद मुख्य लाइन के आमान परिवर्तन के बाद जयपुर-सवाई माधोपुर मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के बारे में यथोचित विचार किया जायेगा।

रेल सुरक्षा विशेष बल के उप-निरीक्षक

2328. श्री दयाराम : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल सुरक्षा विशेष बल बटालियन संख्या 6 के अनेक रक्षक/ वरिष्ठ रक्षक/मुख्य रक्षक, सहायक उप —निरीक्षक और उप निरीक्षक सुरक्षा निदेशालय और रेल बोर्ड की सुरक्षा शाखाओं के अधिकारियों के साथ कम कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उसकी संख्या कितनी है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जब लोग रेलवे बोर्ड में काम कर रहे होते हैं तब इन्हें बटालियन में ड्यूटी पर दिखाया जाता है, जबकि वे अनेक वर्षों से सुरक्षा निदेशालय में काम कर रहे हैं;

(घ) इस दुरुपयोग के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इनमें से बहुत से रक्षक महा-निरीक्षक रेल सुरक्षा बल रेल सुरक्षा विशेष बल के उप-महा-निरीक्षकों/उप महा-निरीक्षक/ डकैती निवारक अधिकारियों के साथ काम कर रहे हैं; और

(च) क्या वे अपने निवास पर अर्दली रखने के हकदार हैं;

(छ) रेल सुरक्षा विशेष बल की बटालियन संख्या 6 की एक स्टाफ कार केवल महा-निरीक्षक/रेल सुरक्षा बल तथा अन्य अधिकारियों के इस्तेमाल के लिए है और बोर्ड के कार्यालय में सरकारी कार्यों के लिए कौन सी स्टाफ कारें उपलब्ध हैं; और

(ज) क्या उक्त कार के पेट्रोल बिल का भुगतान रेल सुरक्षा विशेष बल की बटालियन संख्या 6 द्वारा किया जा रहा है?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क)और(ख) रेल सुरक्षा विशेष बल, दया बस्ती दिल्ली के सहायक—उप निरीक्षक तक के विभिन्न पदों के केवल 8 कर्मचारी दिन प्रति दिन के सरकारी कार्यों के निष्पादन में रेलवे बोर्ड की सुरक्षा निदेशालय में सहायता कर रहे हैं। रक्षकों का चपरासियों के बदले मुख्यत: गोपनीय और तात्कालिक पत्रों को लाने ले जाने के लिए संदेशवाहक के रूप में उपयोग किया जा रहा है जबकि अन्य कर्मचारियों का उपयोग उप महा-निरीक्षक/ रे० सु० वि० ब० के कार्यालय में होता है जो कि पदेन अपर निदेशक सुरक्षा और रेल सुरक्षा विशेष बल के प्रधान अधिकारी हैं और उनका वेतन और भत्ते उनके साथ रेल भवन में कार्यरत अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों के साथ उसी शीर्ष में प्रभारित होते हैं जिसमें रेल सुरक्षा विशेष बल के अन्य खर्च प्रभारित होते हैं।

(ग) जी नहीं। उनकी ड्यूटियां उनके वास्तविक कार्यस्थल पर ही दिखाई जा रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) जी हां। अर्दलियों को उन रे० सु० ब० रे० सु० बि० ब० के अधिकारियों के घरों पर तैनात किया जाता है जो रे० सु० ब० के राजपत्रित अधिकारियों के मानक के अनुसार इसके पात्र होते हैं।

(छ) जी हां। स्टाफ कार का उपयोग सरकारी ड्यूटी के लिए इस सम्बन्ध में प्रचलित अनुदेशों के अनुसार महानिरीक्षक। रेल सुरक्षा बल उप महा निरीक्षक रेल सुरक्षा विशेष बल तथा अन्य अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

(ज) जी हां।

### माल डिब्बों की वापसी

2329. श्री दया राम शाक्य : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला खानों, बन्दरगाहो तथा इस्पात यन्त्रों आदि में माल डिब्बों के लदान में विलम्ब के कारण माल डिब्बों की वापसी लम्बी हो जाती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कोयला खानों, बन्दरगाहों आदि पर माल डिब्बों के

लदान में विलम्ब को खत्म करने के लिए कोई तरीके निकाले हैं जिससे कि माल डिब्बों की वापसी के समम को कम किया जा सके और गाड़ी सेवा का अधिकतम उपयोग किया जा सके ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) अनुमत समय के भीतर माल डिब्बों की लदान सुनिश्चित करने के लिए संबंधित एजेन्सियों के साथ निकट का सम्पर्क रखा जा रहा है । अनुमत छूट अवधि से आगे माल डिब्बों को रोके रखने के लिए विलम्ब शुल्क भी लिया जाता है ।

**लखनऊ-सोनपुर लाईन को बड़ी लाईन में बदलना**

2330. श्री दयाराम शाक्य : क्या रेल मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे में सोनपुर-चुपड़ा कचेरी और लखनऊ सोनपुर छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलन का कार्य इस बीच पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इन लाइनों की कब तक चालू होने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सोनपुर-छपरा कचहरी खण्ड, बाराबकी से समस्तीपुर की मुख्य आमान परिवर्तन की योजना का भाग है । समस्तीपुर से छपरा (166 कि० मी०) खण्ड से पहले ही मीटर लाइन से बड़ी लाइन म बल दिया गया है और इसे यातायात के लिए खोल दिया गया गया है । छपरा से बाराबकी तक क शेष खण्ड में कार्य प्रगति पर है और इसे 1981 के दौरान विभिन्न चरणों में खोलने का कार्यक्रम बनाया गया है । बाराबकी से लखनऊ तक के खण्ड पर पहले ही बड़ी लाइन विद्यमान है ।

**समस्तीपुर-रकसौल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना**

2331. श्री दया राम शाक्य : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समस्तीपुर रकसौल, लखनऊ-कानपुर, सीतापुर-बुडानेल और माऊ शाहगंज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए इस बीच सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो बड़ी लाइन में बदलने का कार्य कब तक शुरू होने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) 1. समस्तीपुर-रक्सौत : मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा दोनों के रास्ते समस्तीपुर से रक्सौल तक के खण्ड को मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलने के लिए एक प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण पहले ही किया जा चुका है । इस सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप समस्तीपुर मुजफ्फरपुर खण्ड को पहले ही बड़ी लाइन में परिवर्तित कर दिया गया है संगौली के रास्ते मुजफ्फपुर-रक्सौल-वगहा मीटर खण्ड के आमान परिवर्तन के लिए एक प्रारम्भिक एवं यातायात पुर्नमूल्यांकन प्रगति पर है । परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने तथा बोर्ड कार्यालय में इसका

मूल्यांकन कर लिए जाने के बाद आमान परिवर्तन का काम शुरू किए जाने के बारे में अन्तिम निर्णय लिया जायेगा बशर्ते योजना आयोग की स्वीकृति तथा संसाधन उपलब्ध हो जायें ।

2. **लखनऊ-कानपुर :** पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा कानपुर-लखनऊ बाराबकी खण्ड पर मीटर लाइन की सुविधाएं समाप्त करने के लिए एक इन्जीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण के दौरान मीटर आमान की जगह बड़े आमान की व्यवस्था करने की सम्भावना की भी जांच की गयी थी । इस सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप बाराबंकी-मलहौर के बीच मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने तथा बाराबंकी समस्तीपुर आमान परिवर्तन की योजना के भाग के रूपो में मलहौर और लखनऊ के बीच अतिरिक्त बड़ी लाइन के निर्माण की योजना पहले ही अनुमोदित कर दी गयी है और कार्य प्रगति पर है ।

जहां तक लखनऊ-कानपुर खण्ड में मीटर आमान की सुविधाओं को समाप्त करने तथा इसके बदले बड़ी लाइन की व्यवस्था का सम्बन्ध है, वित्तिय संसाधनों की भारी तंगी तथा पहले से जारी कार्यों को पूरा करने के लिए भारी खर्च के कारण इस आमान परिवर्तन को आस्थगित करने का निश्चिय किया गया है ।

3. **सीतापुर-बुढ़बल :** इस खण्ड के आमान परिवर्तन के लिए इंजीनियर एवं यातायात सर्वेक्षण पहले ही पूरा हो चुका है रेलवे से कतिपय वैकल्पिक प्रस्तावों की जांच करने तथा पंजाब और हरियाणा से पूर्वोत्तर सीमा रेलवे तक थूमाल यातायात के संचालन को ध्यान में रखते हुए वित्तिय फलितार्थों में संशोधन करने को भी कहा गया है । योजना तथा विकल्प के संशोधित वित्तीय मूल्यांकन की सावधानी पूर्वक जांच करने के बाद इस मामले में अन्तिम निर्णय लिया जायेगा ।

4. **मऊ शाहगंज :** रेलवे बोर्ड को परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है । इस लाइन के आमान परिवर्तन के प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए योजना आयोग को भेज दिया गया है । इस परियोजना को 1980-85 के "यातायात सुविधाओं के लिए योजना परिव्यय के अन्तर्गत नहीं रखा जा सका ।

### भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध

2332. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को बढ़ावा देने के लिए कोई उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान सरकार ने हमारी पहल पर अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंहराव) :** (क) सरकार ने भारत और पाकिस्तान के

सम्बन्धों को सुधारने की दिशा में जनवरी, 1980 से कई उपाय किए हैं जैसे उच्च स्तरीय वार्ता, व्यापार और आर्थिक विनिमय, सांस्कृतिक और जनता के जनता से सम्पर्क ।

(ख) और (ग) हमने अपनी ओर से यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हम शिमला समझौते की भावना के अनुरूप पाकिस्तान के साथ अपने सम्बन्धों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया को सुदृढ़ और व्यापक बनाने के लिए कृतसंकल्प हैं । हमें पूरी आशा है कि पाकिस्तान सरकार भी ऐसा ही करेगी और द्विपक्षीय आधार पर तथा आपसी समझौते की भावना से मतभेदों को दूर करने की प्रवृति जारी रखेगी ।

## बेहतर रेल मार्ग (ट्रेक)

2333. **श्री गुफरान आजम** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत सी नई रेल गाड़ियों को चलाने के परिणामस्वरूप रेल यातायात में हुई भारी वृद्धि के लिए सरकार का विचार बेहतर रेल मार्ग (ट्रैक) उपलब्ध कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो रेल मार्ग की बेहतरी के लिए आबंटन का ब्यौरा क्या है और वर्ष 1980 में कितनी रेल गाड़ियां बढ़ाई गईं और आगामी पांच वर्षों के दौरान मेल लाइनों पर कितने नये मार्ग उपलब्ध कराये जायेंगे ?

**रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) आवश्यक समझे जाने पर भारी धुरा भार और अधिक गाड़ियों के चलाये जाने सहित विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए रेल पथ का सुदृढ़ीकरण/बदलाव/नवीकरण किया जाता है ।

वर्ष 1980 के दौरान कुल 83 नयी अनुपनगरीय गाड़िया चलायी गयी हैं ।

(ख) छठी पंच वर्षीय योजना के दौरान अर्थात् 1980-85 में रेल पथों के सुदृढ़ीकरण बदलाव/नवीकरण के लिए 500 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है । वर्ष 1981-82 के लिए छठे पंचवर्षीय योजना का दूसरा वर्ष है, रेल पथ के नवीकरण के लिए 110 करोड़ रुपये (शुद्ध) बढ़ाने का विनिश्चय किया गया है । यह 1980-81 के शुद्ध परिव्यय से 40 करोड़ रुपये अधिक है ।

## विशाखापत्तनम और हैदराबाद के बीच अधिक संख्या में रेल गाड़ियां चलाया जाना

2334. **श्री के० ऐ० स्वामी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बढ़ती हुई औद्योगिक गतिविधियों तथा जनसंख्या के विकास के कारण तटवर्ती भाग में रेलों की बढ़ती हुई आवश्यकता के बारे में जानकारी है ; और

(ख) विशाखापत्तानम और हैदराबाद के बीच यात्रियों की मांग को पूरा करने के लिए सरकार की क्या योजना है ?

**रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी हां ।

(ख) चल स्टाक की कमी के कारण वालतेरु और हैदराबाद के बीच अतिरिक्त सवारी गाड़ियां चलाना व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

**परिवार नियोजन कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता**

2335. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को परिवार नियोजन कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है;

(ख) परिवार नियोजन योजना को क्रियान्वित करने के लिए वर्ष 1980 में विभिन्न राज्यों को कितनी कितनी वित्तीय सहायता दी गयी और प्रत्येक राज्य संबंधी पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है; और

(ग) छठी योजना में विभिन्न राज्यों को परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए कितनी-कितनी धनराशि का नियतन किया गया है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम एक केन्द्र-प्रायोजित योजना है, जिसका सारा खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है और जिसे राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों के जरिए कार्यरूप दिया जाता है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को जो धन आबंटित किया जाता है उसका उपयोग ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रेरणा और सेवाओं का आवश्यक आधारभूत ढांचा तैयार करने, कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का भुगतान करने, परिवार नियोजन के तरीके अपनाने वालों को मुआवजे देने तथा सामग्री, उपकरणों और परिवहन की व्यवस्था करने के लिये किया जाता है। इस सम्बन्ध में 1980-81 के लिये भिन्न-भिन्न राज्यों तथा छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के प्रारूप में जितना धन नियत किया गया है, वह संलग्न विवरण में दिखाया गया है।

**विवरण**

छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) तथा 1980-81 के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए राज्यों को आबंटित किए गए धन का विवरण।

(रुपये लाखों में)

| क्रम सं० | राज्य | आबंटन 1980-81 | छठी पंचवर्षीय योजना का अस्थायी परिव्यय (1980-85) |
|---|---|---|---|
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 1154.72 | 7600.00 |
| 2. | असम | 240.22 | 1500.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 3. | बिहार | 813.77 | 7800.00 |
| 4. | गुजरात | 666.42 | 5000.00 |
| 5. | हरियाणा | 210.66 | 1800.00 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 98·811 | 1450.00 |
| 7. | जम्मू व कश्मीर | 125.65 | 550.00 |
| 8. | कर्नाटक | 535.04 | 4000.00 |
| 9. | केरल | 465.16 | 3000.00 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 716.61 | 5800.00 |
| 11. | महाराष्ट्र | 844.33 | 7000.00 |
| 12. | मणिपुर | 39.57 | 300.00 |
| 13. | मेघालय | 26.32 | 158.53 |
| 14. | नागालैंड | 10.94 | 200.00 |
| 15. | उड़ीसा | 532.21 | 4800.00 |
| 16. | पंजाब | 289.20 | 2000.00 |
| 17. | राजस्थान | 545.15 | 3600.00 |
| 18. | सिक्किम | 15.07 | 100.00 |
| 19. | तमिलनाडु | 778.75 | 6000.00 |
| 20. | त्रिपुरा | 27.66 | 150.00 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 1965.65 | 12500.00 |
| 22. | पश्चिम बंगाल | 602.52 | 4000.00 |
| | योग : | 10743.98 | 79308.53 |

**ग्रिधनी और झाड़ग्राम के बीच नया स्टेशन**

2336. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के ग्रिधनी और झाड़ग्राम के बीच एक नये रेलवे स्टेशन के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) दक्षिण पूर्व रेलवे के गिडनी और झाड़ग्राम स्टेशनों के बीच हाल्ट स्टेशन खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दूसरे दर्जे के लिए पर्वतीय रियायत

2337. श्री सत्य गोपाल मिश्र )
श्री तारिक अनवर ) : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
श्री हीरालाल आर० परमार )

(क) क्या सरकार ने 1 फरवरी 1981 से रेलों में दूसरे दर्जे के लिए पर्वतीय रियायत को खतम करने का निर्णय किया था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों की यात्रा करने वाले दर्शकों के लाभ के लिए क्या कदम उठाये हैं?

रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) जो व्यक्ति छुट्टी बिताने पहाड़ों पर जाते हैं वह अपेक्षाकृत उच्च आय वर्ग के होते हैं और वे अपनी रेल यात्रा के लिए सामान्य किराया देने में भली प्रकार समर्थ होते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेल लाइन विस्तार कार्यक्रम

2338. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे अपनी योजना में नई रेल लाइनों सहित लाइन विस्तार कार्यक्रम को किस तरह की प्राथमिकता देती है;

(ख) यदि हां, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में रेल लाइन विस्तार कार्यक्रम और नई रेल लाइनों पर हुए अलग खर्चे का तथा इनमें से प्रत्येक योजना के कुल व्यय की तुलना में क्या अनुपात है ;

(ग) क्या देश के पिछड़े क्षेत्रों का आर्थिक विकास सुनिश्चित करने की दृष्टि से इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नई रेल लाइनों का निर्माण भी शुरू किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उन नई रेल लाइनों के क्या नाम हैं जो 10 वर्ष के दौरान इस आधार पर निर्मित की गई है अथवा निर्णणाधीन अथवा शुरू किए जाने के लिए विचराधीन पड़ी हुई है?

रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) नयी लाइनों सहित रेलों के समग्र विकास के लिए धन की उपलब्धता को देखते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण रखा जाता है। इस प्रकार, रेल पथ का विस्तार कोई अलग योजना शीर्ष नहीं है। यातायात सुविधाएं और 'नयी लाइनें' दोनों योजना शीर्षों के अन्तर्गत निर्माण कार्यों को रेल पथ विस्तार कार्यक्रम के रूप में माना जा सकता है।

5. योजना अवधियों के दौरान कुल खर्च से यातायात सुविधाओं और नयी लाइनों पर किये गये खर्चे का अनुपात नीचे प्रतिशत में दिया गया है :—

| योजना | यातायात सुविधाएं | नयी लाइनें |
|---|---|---|
| पहली | उपलब्ध नहीं | 7.9 |
| दूसरी | 16.6 | 7.5 |
| तीसरी | 19.0 | 12.6 |
| चौथी | 15.8 | 4.7 |
| पांचवी | 14.9 | 5.3 |

छठी योजना में कुल नियतन में से यातायात सुविधाओं के लिए 9.4% और नयी लाइनों के लिए 7.5 प्रतिशत की व्यवस्था की गयी है।

(ग) राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को समग्र रूप से देखते हुए योजना आयोग के परामर्श से नयी लाइनों का निर्माण हाथ में लिया जाता है ये लाइनें पिछड़े क्षेत्रों के विकास में भी सहायक होंगी।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

| क्रम सं० | विवरण | रेलवे | लम्बाई कि० मी० में |
|---|---|---|---|
| | I. 1970-71 से अब तक निर्मित नयी लाइनें | | |
| 1. | मोरका (सिंगरौली)-मिल्ली (ओबरा) रेल सम्पर्क (ब० लाइन) | उत्तर | 57.56 |
| 2. | थुरमित्ता-सरायगढ़ (मयतिमाही (मीटर लाइन) | पूर्वोत्तर | 11.71 |
| 3. | कटनी-मोरवा (सिंगरौली) (ब० लाइन) | मध्य | 254.14 |
| 4. | जम्मू-कठुआ (ब० लाइन) | उत्तर | 3.19 |
| 5. | मंगलूर-हसन रेलवे निर्माण (मीटर लाइन) चरण 1 मंगलूर-पनसवूर मिश्रित आमान लाइन/मीटर लाइन | दक्षिण | 25.86 |
| 6. | कटक-पारादीप रेल सम्पर्क (व० लाइन) | दक्षिण पूर्व | 84.31 |
| 7. | डाबला-सिंहाना (मीटर लाइन) | पश्चिम | 32.95 |
| 8. | सरायगढ़-राघोपुर-प्रतापगंज (मीटर लाइन पुनःस्थापन | पूर्वोत्तर | 23.00 |

| क्रम सं० | विवरण | रेलवे | लम्बाई कि० मी० में |
|---|---|---|---|
| 9. | प्रतापगंज-कारबिसगंज लाइन (मीटर लाइन) का पुनःस्थापन | पूर्वोत्तर | 36.25 |
| 10. | साबरमती-गांधी नगर (ब० लाइन) | पश्चिम | 27.85 |
| 11. | पठानकोट-जोगिन्दर नगर खण्ड गोलरे और जवावाला शहर (छोटी लाइन) के बीच रेलवे लाइन (छोटी लाइन) का संरेखन | उत्तर | 24.8 |
| 12. | डलमऊ-दरियापुर (लाइन) उखाड़ी गयी लाइन को पुनः बिछाना | उत्तर | 24.62 |
| 13. | झंझारपुर-लौकाहा बाजार (मीटर लाइन) | पूर्वोत्तर | 43.89 |
| 14. | कतरनियांघाट-कोड़ियालाघाट (मीटर लाइन) | पूर्वोत्तर | 29.30 |
| 15. | हसन और सकलेशपुर (मीटर लाइन) | दक्षिण | 42.64 |
| 16. | मंगलूरू और सुब्रामन्या रोड (मीटर लाइन) | दक्षिण | 92.20 |
| 17. | तोरनागालु–मुडुकुलपेन्टा (ब० ला०) | दक्षिण | 24.00 |
| 18. | पासकुडा हल्दिया (ब० ला०) | दक्षिण पूर्व | 10.18 |
| 19. | गुना-मक्सी (ब० ला०) | पश्चिम | 193.48 |
| 20. | गोहाना-पानीपत (ब० ला०) उखाड़ी गयी लाइन को पुनः बिछाना | उत्तर | 39.71 |
| 21. | दिल्ली शाहदरा-बागपत रोड़ खण्ड (ब० ला०) | उत्तर | 33.083 |
| 22. | बागपत रोड़ से शामली (दिल्ली शाहदरा–सहारनपुर) (खण्ड का भाग) (ब० ला०) | उत्तर | 55.52 |
| 23. | बगहा बलिमकीनगर रोड़ खण्ड (मीटर ला०) | पूर्वोत्तर | 9.135 |
| 24. | दुर्ग से मरोदा (ब० ला० तक नया नया रेल सम्पर्क | दक्षिण पूर्व | 12.66 |
| 25. | कल्याणी से कल्याणी टाउन शिप (ब० ला०) तक ब्रांच लाइन का निर्माण | पूर्व | 5.146 |
| 26. | सकलेशपुर-सुब्रामन्य रोड़ (घाट खण्ड) (मीटर लाइन) | दक्षिण | 86.56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 27. | तिरुवनंतपुरम सेंट्रल नागरकोविल (71.05 कि०मी०) और नागर को दल कन्या कुमारी (15.51 कि० मी०) नयी बड़ी ला० | दक्षिण | 86.56 |
| 28. | रोहतक से भिवानी तक एक नये बड़े लाइन के सम्पर्क का निर्माण | उत्तर | 30.00 |

II. पिछड़ क्षेत्रों में पड़ने वाली निम्नलिखित रेलवे लाइनों का निर्माण प्रगति पर है

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | आप्ता-राहो व लाइन | मध्य | 62.00 |
| 2. | पिम्पलकोटी तक वानी-छावड़ा (ब० ला०) | मध्य | 63.00 |
| 3. | रामपुर-नयी हल्दवानी (ब० ला०) | पूर्वोत्तर | 78.4 |
| 4. | हसनपुर सकरी (मी० लाइन) | पूर्वोत्तर | 74.4 |
| 5. | छितौनी-बगहा (मी० ला०) | पूर्वोत्तर | 28.41 |
| 6. | जाखपुरा-दैतारी (ब० ला०) | दक्षिण पूर्व | 33.5 |
| 7. | बडियाड-कपड़वंज-मोडासा (ब० ला०) | पश्चिम | 105.14 |
| 8. | गुवाहाटी बर्नीहाट (ब० ला०) | पू० सीमा | 24.82 |
| 9. | धर्मनगर-कुमार घाट (मी० ला०) | पू० सीमा | 33.55 |
| 10. | बलीपारा-मातुकपोंग (मी० ला०) | पू० सीमा | 33.46 |
| 11. | सिलचर-जीरीबाय (मी० ला०) | पू० सीमा | 50.70 |
| 12. | अथगुरी-तुली (मी० ला०) | पू० सीमा | 17.07 |
| 13. | लालाघाट-मैंरावी (मी० ला०) | पू० सीमा | 48.77 |
| 14. | भद्राचलम-मानुगुरु (ब० ला०) | द० मध्य | 52.00 |

III. निर्माण कार्य हाथ में लेने के लिए बकाया रेलवे लाइनें

कोई नहीं

**केरल की पासपोर्ट एम्पलाइज एसोशिएशन द्वारा अभ्यावेदन**

2339. श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल की पासपोर्ट एम्पलाइज एसोसिएशन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर सरकार द्वारा पहले ही क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इस पर सरकार द्वारा और क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) एसोसिएशन के पत्र की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। [ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए एल० टी० 2019/81]

(ग) और (घ) इस अभ्यावेदन में उठाए गए मुद्दों पर सरकार ने पहले ही विचार कर लिया था। केरल राज्य के पासपोर्ट कार्यालयों के कर्मचारियों की संख्या वित्त मन्त्रालय की स्टाफ निरीक्षण यूनिट द्वारा यथा निर्धारित स्तर लाने के लिए ही निम्नश्रेणी लिपिकों के ये स्थानांतरण करने की आवश्यकता हुई थी। जिन कुल 11 निम्नश्रेणी लिपिकों के स्थानांतरण के आदेश हुए थे उनमें से 8 को मानवीय आधार पर वहीं बने रहने की अनुमति दे दी गई है और उनकी जगह 8 अन्य लिपिकों को स्थानांतरण के आदेश दिए गए हैं। सरकार ने केरल राज्य में निम्नश्रेणी लिपिकों का स्थानांतरण फिलहाल रोक दिया है और कार्यभार से सम्बन्धित आंकड़ों के आधार पर इन कार्यालयों में स्टाफ की स्थिति की समीक्षा की जा रही है।

**अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह से मुख्य भूमि तक भाड़े की दरें**

2340. श्री के० टी० कोसलराम : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछड़े हुए अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के विकास के लिए उन उद्योगपतियों को कम भाड़ा दरों का प्रस्ताव किया गया था जो इन दूर दराज के द्वीपसमूहों में लकड़ी पर आधारित उद्योग स्थापित करना चाहते थे;

(ख) क्या सरकार ने अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह से मुख्य भूमि तक के भाड़े में वृद्धि का एक तरफा निर्णय ले लिया है; और

(ग) तो क्या इससे अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह का औद्योगिक विकास पर प्रभाव पड़ेगा?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) परिवहन सहायता स्कीम, 1971 के अधीन, चुने हुए रेल-हैंड/पत्तन और औद्योगिक यूनिट से तैयार माल के निर्यात और कच्चे माल के आयात के लिए एक औद्योगिक यूनिट द्वारा परिवहन पर किए गए खर्च का 50% सरकार सहायता के रूप में देती है। यह योजना 1-12-1976 से अण्डमान निकोबार द्वीपसमूहों को लागू की गई है और मुख्य भूमि पर "मद्रास पत्तन" केन्द्रीय स्थल के रूप में माना गया है।

(ख) अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूहों से मुख्य भूमि को ढोए गए माल की भाड़ा दरें इण्डियन कोस्टल कान्फ्रेंस निर्धारित करती है, भारतीय नौवहन निगम जिसका एक सदस्य है।

काफ्रेंस ने 13-2-1979 से मैच प्लिन्ट्स की मौजूदा भाड़ा दर प्रतिमीट्रिक टन 224.20 रुपये से बढ़ाकर 501.80 रुपये कर दी थी। कान्फ्रेन्स की सभी सदस्य कम्पनियों ने ये दरें लेना शुरू कर दीं सिवा भारतीय नौवहन निगम के जो प्रति मी० टन 147.37 रुपये की कम दर ही लेता रहा। परिचालन लागतों में अत्यधिक वृद्धि को देखते हुए भारतीय नौवहन निगम ने 1-1-1981 से मैच प्लिन्ट्स पर भाड़ा दर बढ़ाकर प्रति मी० टन 224.20 रुपये कर दी है।

(ग) मैच प्लिन्ट्स की ढुलाई के लिए अन्य नौवहन कम्पनियों द्वारा पहले ही से वसूल की जा रही 501.80 रुपये की अधिक भाड़ा दर को देखते हुए भारतीय नौवहन निगम की प्रति मी० टन 224.20 रुपये की कम दर से द्वीपसमूहों के लकड़ी पर आधारित उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ने की कोई सम्भावना नहीं है।

**वर्ष 1987-80 की अवधि के दौरान ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए**

**धनराशि का आंवटन**

2341. श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978 से वर्ष 1980 तक प्रतिवर्ष राज्यवार, ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए कुल कितनी-कितनी धनराशि का आंवटन किया गया था; और

(ख) क्या धनराशि का आंवटन राज्यों की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है अथवा इसके लिए कोई अन्य मानदण्ड अपनाया जाता है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) :

(क) विभिन्न ग्राम स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए जितने धन की व्यवस्था की गई है उसका विवरण अनुबंधक 'क' में दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०-2020/81]

(ख) केन्द्र आमतौर पर धन का नियतन जनसंख्या के आधार पर करता है। ग्राम स्तर से लेकर ब्लाक स्तर तक ग्राम स्वास्थ्य सेवाओं का मूलभूत ढाँचा जनसंख्या के मानदण्डों पर आधारित होता है। केन्द्रीय सहायता भी राज्यों द्वारा बताए गये कार्यक्रम की स्वीकृति से सम्बन्धित होती है।

**उड़ीसा में रेल सेवा आयोग**

2342. श्री रामचन्द्र रथ<br>श्री गिरिधर गोमांगो ) : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास उड़ीसा में दक्षिण पूर्व रेल सेवा आयोग की एक शाखा खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसके लिए कोई स्थान चुन लिया गया है;

(ग) उक्त प्रस्ताव को सम्भवतः कब तक क्रियान्वित कर दिया जायेगा; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) रेल सेवा आयोगों के और कार्यालय खोलने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ।

**राख और कोयले के लदान आदि का काम करने वाले श्रमिक**

2343. श्री ए० के राय : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन रेलवे में डिवीजनवार ऐसे श्रमिकों की संख्या क्या है जो राख और कोयले के लदान आदि का काम करते हैं,

(ख) इन श्रमिकों को न्यूनतम मजूरी भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत न लाये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि इन श्रमिकों को उतनी ही न्यूनतम मजूरी दी जायेगी जो रेलवे द्वारा दी जाती है; और

(घ) चूंकि ये श्रमिक रेलवे में नियमित स्वरूप का कार्य करते हैं, इसलिए इन श्रमिकों को नियमित सेवा में खपाने के लिए सरकार की क्या नीति है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सूचना इकटठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) और (ग) भारतीय रेलों पर भाप रेल इंजन शेडों में कोयला और/अथवा राख सम्हलाई में नियुक्ति, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अन्तर्गत सूची बद्ध नियुक्ति नहीं है और इस प्रकार केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित सांविधिक न्यूनतम मजूरी दरें ऐसे श्रमिकों पर लागू नहीं होती हैं । करार की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों को अपने श्रमिकों को उसी दर पर मजूरी देनी पड़ती है जो आस पास के क्षेत्रों में उसी प्रकार के काम के लिए श्रमिकों को दी जाती है ।

(घ) चूंकि रेल इन्जन शेडों में कोयला और राख सम्हलाई के काम में श्रमिकों को पूर्णकालिक नियमित श्रमिकों के रूप में लगे रहने की आवश्यकता नहीं होती है और वर्तमान भाप कर्षण को उत्तरोत्तर कम किया जा रहा है इसलिए इन श्रमिकों को नियमित रेल सेवा से समाहित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

**पतरातू डीजल शैड से डीजल इन्जनों का बाहर निकलना**

श्री ए० के० राय : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 दिसम्बर, 1980 से 15 जनवरी, 1981 तक डीजल शैड पतरातू से प्रति-दिन कितने डीजल इंजन बाहर निकले;

(ख) डीजल शैड, पतरातू में श्रेणी चार के कर्मचारियों की संख्या वास्तव में कितनी कम है और ये कमियां किस किस तारीख से हैं;

(ग) इस शैड में आये नये डीजल इंजनों का ब्योरा क्या है और इंजनों की संख्या में हुई वृद्धि के अनुपात में श्रमिकों की मंजूरी किस किस तारीख को दी गई;

(घ) 4 जनवरी, 1981 से 10 जनवरी, 1981 तक कर्मचारियों द्वारा उनके निर्धारित कार्य के अनुसार किये गये कार्य का ब्योरा क्या है; और

(ङ) रेलवे सर्वेंट्स डी० ए०ड ए० रूल्स 1968 के नियम 14(2) के अन्तर्गत सीधे हटाये गये कर्मचारियों पर क्या आरोप लगाये गये थे ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पतरातू डीजल शैड से 1-12-80 से 15-1-81 की अवधि के दौरान रेल इंजनों का दैनिक औसत निकास 8.3 था।

(ख) शेड कर्मचारियों के प्रतिरोधात्मक रवैये के कारण पिछले 2-3 वर्षों से चतुर्थ श्रेणी की 112 रिक्तियां चली आ रही हैं।

(ग) पतरातू शेड में अप्रैल 80 से दिसम्बर, 80 तक की अवधि के दौरान 11 नये रेल इंजन रखे गये थे। अतिरिक्त कर्मचारियों की मंजूरी 6-1-81 को दी गयी थी।

(घ) चूंकि कुछ कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं आये, इसलिए प्रतिदिन 8.5 रेल इंजनों की सामान्य औसत की तुलना में 4-1-81 से 10-1-81 की अवधि के दौरान केवल 7 रेल इंजन तैयार किए गये।

(ङ) दो कर्मचारियों को इसलिए बर्खास्त कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने जानबूझकर अन्य कर्मचारियों को उकसा कर तथा उत्तेजित करके गाड़ी सेवाओं के सामान्य संचालन को अत्यधिक अस्त व्यस्त कर दिया था। वे धृष्ट थे और उन्हें काम करने के इच्छुक कर्मचारियों में आतंक का वातावरण पैदा कर दिया था। उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी जिसमें अनुशासन और अधीन नियमों के अन्तर्गत जांच करना सम्भव न हो सका।

**मध्य प्रदेश में रेल लाइनें**

2345. श्री कमल नाथ : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पर्याप्त रेल लाइन सुविधाओं के बिना किसी भी राज्य में कोई विकास कार्य नहीं किया जा सकता ;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्र और वर्तमान रेल लाइन की लम्बाई के कुल किलोमीटरों के बीच भारी अन्तर के क्या कारण हैं ; और

(ग) मध्य प्रदेश में नई रेल लाइनें बिछाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) रेलवे के विकास की कल्पना राज्य-वार या क्षेत्र-वार आधार पर नहीं की जा सकती देश की आवश्यकताओं का मूल्यांकन तथा समस्त विकास का विनिश्चय योजना आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये सीमित ससाधनों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। नयी रेलवे लाइनों की योजना सम्बंधित क्षेत्र की यातायात सम्बन्धी आवश्यकताओं से सम्बद्ध होती है। ऐसे क्षेत्रों में जहां प्राकृतिक संसाधन बड़े पैमाने पर आमतौर से उपलब्ध होते हैं, वहां नए उत्पादन केन्द्रों के विकास तथा आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए समेकित योजना तैयार की जानी चाहिए क्योंकि नई रेलवे लाइनें ऐसी विकास योजनाओं का मूल आधार होती हैं।

(ख) और (ग) सभी भारतीय रेलों में कुल मिलाकर रेल पथ की लम्बाई 60933 कि० मी० है जिसमें से मध्य प्रदेश में रेल पथ की लम्बाई 5739 किलोमीटर है। वास्तविकता यह है कि मध्य प्रदेश दूसरा राज्य है जिसमें किलोमीटर के हिसाब से रेल मार्ग की लम्बाई सबसे अधिक है, पहला स्थान उत्तर प्रदेश का आता है जहां रेल मार्ग की कुल लम्बाई 8811 कि० मी० है। मध्य प्रदेश में प्रति 1000 वर्ग कि० मी० क्षेत्र के लिए मार्ग किलोमीटर की लम्बाई 12.96 कि० मी० है जब कि अखिल भारतीय औसत प्रति 1000 वर्ग कि० मी० के लिए 18.53 कि० मी० है।

मध्य प्रदेश में नई रेलवे लाइनें बिछने के लिए रेल मन्त्रालय द्वारा किए गए उपाय :—

1. केरेला रोड-जयन्त बड़ी लाइन (33 कि० मी०) का निर्माण जिसका कुछ भाग मध्य प्रदेश में होगा तथा कुछ भाग उत्तर प्रदेश में केरेला रोड से काकड़ी (23 कि० मी०) खण्ड का निर्माण कार्य 31 मार्च 1981 तक पूरा करने का लक्ष्य है तथा काकड़ी से जयन्त (10 कि० मी०) के शेष खण्ड का 1 वर्ष बाद।

2. मध्य प्रदेश में चालू सर्वेक्षण :

   (क) शिवपुरी, ग्वालियर तथा भिंड के रास्ते गुना इटावा बड़ी लाइन (अधिकतर मध्य प्रदेश में तथा आंशिक रूप से उत्तर प्रदेश में) (335) (कि० मी०)

   (ख) ललितपुर-सिंगरौली बड़ी लाइन (445 कि० मी०) (अधिकतर मध्य प्रदेश में तथा आंशिक रूप से उत्तर प्रदेश में)

   (ग) बरवाडीह-करोंजी बड़ी लाइन (154 कि० मी०), आंशिक रूप से मध्य प्रदेश में तथा आंशिक रूप में बिहार में।

3. 1981-82 के बजट में प्रस्तावित नये सर्वेक्षण :
   धमतारी के रास्ते रायपुर से बालोद तक बड़ी लाइन (125 कि० मी०)

4. प्रस्तावित लाइनें जिन्हें छठी योजना (1980-85) के योजना परिव्यय में शामिल नहीं किया जा सका।

ढल्ला-राजहरा जगदलपुर बड़ी लाइन (234 कि०मी०

भारत पाक सम्बन्ध

2346. प्रो० मधु दण्डवते : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान के विदेश मन्त्री ने 7 जनवरी, 1980 को इस्लामाबाद में घोषणा की थी कि विदेशी शक्तियों द्वारा हस्तक्षेप के खतरे के विरुद्ध पाकिस्तान ने भारत के साथ मैत्री चाही थी और वह पूरे क्षेत्र को मजबूत बनाना चाहता था ;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेश मन्त्री ने आक्रमण न करने, हस्तक्षेप न करने प्रभुसत्ता, समानता अच्छे पड़ोसी होने और भारत पाक मैत्री के आधार के रूप में पाकिस्तान और भारत तथा समग्र रूप से क्षेत्र के हितों के बारे में समान दृष्टिकोण का सुझाव दिया है और इन दो देशों के बीच सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिए किसी वार्ता का प्रस्ताव किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इन प्रस्तावों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क)और(ख) बताया जाता है कि पाकिस्तान के विदेश मन्त्री श्री आगाशाही ने 7 जनवरी को इस्लामाबाद में अपने वक्त में पी० टी० आई० के० संवाददाता को यह कहा कि भारत पाक मैत्री के बार में तथा विदेशी शक्तियों के हस्तक्षेप के खतरे से बचने के लिए इस सम्पूर्ण क्षेत्र को सुदृढ़ करने के बारे में प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की इच्छा का पाकिस्तान पूर्ण समर्थन करता है ।

बताया जाता है कि उन्होंने यह भी कहा कि यह एक दूसरे पर आक्रमण न करने, अहस्तक्षेप समान सम्प्रभुता अच्छी प्रतिवेशिता और पाकिस्तान एवं भारत के साथ ही इस समूचे क्षेत्र के हितों के प्रति समान दृष्टिकोण के आधार पर होना चाहिए । बताया जाता है कि उन्होंने यह भी कहा है कि हम अपने-अपने दृष्टिकोणों को सद्भावपूर्ण बनाने के उद्देश्य से बात चीत करने को हमेशा तैयार हैं ।

(ग) पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों को सुधारने के बारे में सरकार की नीति सुविदित है । हमने अपनी ओर से यह पूर्णत: स्पष्ट कर दिया है कि हम शिमला समझौते की भावना के अनुसार पाकिस्तान के साथ अपने सम्बन्धों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया को सुदृढ़ और व्यापक बनाने लिए कृतसंकल्प हैं । हमारी हार्दिक आकांक्षा है कि पाकिस्तान सरकार विश्वास पैदा करने के उपायों में हमारा साथ देगी और क्षेत्रीय सद्भाव, शान्ति तथा स्थायित्व कायम करने के उद्देश्य से आपसी मतभेदों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाने की स्वस्थ परम्परा का निरन्तर अनुसरण करेगी ।

**प्रमुख पत्तन पर अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार**

2347. श्री भीखाभाई : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रमुख पत्तनों की कुल संख्या कितनी है और कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से प्रत्येक पत्तन पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की, श्रेणी वार, प्रतिशतता क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि तूतीकोरिन और मंगलौर जैसे नये पत्तनों के आरम्भ में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को भर्ती नहीं किया गया;

(घ) क्या यह सच है कि सभी प्रमुख पत्तनों पर कर्मचारियों को सभी श्रेणियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों की संख्या बहुत कम है; और

(ङ) क्या पिछली कमी को पूरा करने के लिए भर्ती करने का कोई द्रुत कार्यक्रम चलाया जाएगा ?

**नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)**: (क) भारत में 10 बड़े पत्तन हैं तथा उनके कर्मचारियों की कुल संख्या 1,08,220 है।

(ख) नवीनतम सूचना देने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) कुछ कर्मचारियों की श्रेणी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों की निर्धारित प्रतिशतता में कमी हुई है।

(ङ) ऐसे द्रुत कार्यक्रम का कोई विचार नहीं है। परन्तु आरक्षित पदों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों की भर्ती के प्रयास जारी हैं।

विवरण

भारत में 15-2-81 के अनुसार बड़े पत्तनों पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की प्रतिशतता

| क्रम संख्या | पत्तन मा का नाम | अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का प्रतिशत | | | | अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का प्रतिशत | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | Iv | I | II | III | Iv |
| 1 | बम्बई | 4.38 | — | 8-35 | 19.4 | 0.88 | — | 1·96 | 0.46 |
| 2 | कलकत्ता* | 5.44 | 3.80 | 6.14 | 14.5 | 0.93 | 1.90 | 0.38 | 0.40 |
| 3 | कोचीन | 7.82 | 9.52 | 10.32 | 9.29 | — | 1.58 | 3.24 | 12.02 |
| 4 | कांडला | 1.50 | 82.13 | 5.56 | 19.25 | — | — | 2.59 | 4.82 |
| 5 | मद्रास | 9.30 | 10.00 | 13.29 | 23.00 | 1.4 | — | 1.38 | 2.10 |
| 6 | मामुंगांव | 1.20 | 2.56 | 2.46 | 5.04 | — | — | 1.26 | 0.75 |
| 7 | न्यू मंगलौर | 16.66 | 2.70 | 12.73 | 15.40 | — | 1.35 | 3.66 | 3.30 |
| 8 | परादीप | 2.50 | 1.00 | 7.00 | 14.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.50 |
| 9 | टूटीकोरिन | 8.51 | 4.00 | 12.93 | 26.08 | — | — | 1.86 | 4.81 |
| 10 | विशाखापत्तनम | 11.11 | 10.77 | 11.50 | 19.40 | 1.17 | — | 1.56 | 2.80 |

* 1-1-1981 को दी गई सूचना के अनुसार स्थिति ।

पत्तन न्यासों के चेयरमैनों के पद

2348. श्री भीखा भाई : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान चेयरमैनों में से कोई चेयरमैन जनता में से लिया गया है;

(ख) एक पत्तन न्यास के चेयरमैन के चयन सम्बन्धी प्रक्रिया क्या है; और

(ग) क्या इस चयन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति से संबन्धित किसी व्यक्ति को कोई अवसर दिया गया है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल : (क) नहीं।

(ख) बड़े पत्तन न्यासों के अध्यक्षों के पद सांविधिक पद हैं । इनके अधिकारी को मंत्रीमण्डल की नियुक्ति समिति के अनुमोदन के आधार पर नियुक्त किया जाता है ।

(ग) हां ।

लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के 1975 में सेवा निवृत हुए श्रेणी 4 के कर्मचारी

2349. श्री भीखाभाई : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के 1975 से सेवा के निवृत्त हुए श्रेणी 4 के कर्मचारियों की वर्ष वार संख्या कितनी है ;

(ख) उनमें सेवा निवृत्ति की आयु से पूर्व सेवा निवृत्त किए जाने वालों की संख्या कितनी है ;

(ग) उन्हें सेवा निवृत्त की तारीख से पहले बिना किसी ठोस आधार के सेवा निवृत्त करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इसके क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है या की जा रही है ?

स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री : (श्री निहार रन्जन लास्कर) : (क) वर्षवार संख्या नीचे दी गई है :

| | |
|---|---|
| 1975 | 6 |
| 1976 | 6 |
| 1977 | 8 |
| 1978 | 6 |
| 1979 | 9 |
| 1980 | 3 |

(ख) उनमें से दो कर्मचारी 1977 में सेवा निवृत्त हुए।

(ग) डाक्टरी आधार पर।

(घ) इन मामलों पर पहले ही निर्णय हो चुका है।

**लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति से पहले पूर्ण वेतन तथा भत्तों की अदायगी न करना**

2350. श्री भीखाभाई : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, नई दिल्ली के सेवा निवृत्त होने वाले श्रेणी 4 के उन कर्मचारियों की पिछले तीन वर्षों में वर्षवार संख्या कितनी है जिन्हें सेवा निवृत्ति पूर्व वेतन तथा भत्तों की पूर्ण अदायगी नहीं की गई हैं ; और

(ख) इसके क्या कारण हैं और उनके रोके गए वेतन तथा भत्तों की उन्हें कब तक अदायगी कर दी जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार लास्कर) :

(क) 1978 में केवल एक मामले में।

(ख) संबंधित कर्मचारी से कुछ रकम वसूल की जानी है जिसके लिए उसे अनेक बार कहा जा चुका है। जैसे ही बकाया रकम का भुगतान कर देगा, उसे वेतन दे दिया जायेगा।

**तमिलनाडु में अखबारी कागज के मिलों को कोयले की सप्लाई**

2351. श्री के० राममूर्ति : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या रेलवे ने तमिलनाडु में अखबारी कागज के उस प्रस्तावित मिल के लिए जिसका साम्य पूंजी में विश्व बैंक हिस्सेदार होने के लिए समस्त हो गया है, 1000 टन कोयला प्रति दिन ले जाने का वचन दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कितने वैगनों की आवश्यकता होगी ; और

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए वैगनों की अपेक्षित संख्या को प्राप्त करने के लिए कोई प्रबन्ध किए गए हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रस्तावित अखबारी कागज सर्वे कागज संयंत्र को चीनी मिलों द्वारा खोई भेजे जाने हेतु रेले इन चीनी मिलों और कागज संयंत्रों को 4 लाख मिट्रिक टन की वार्षिक अनुमानित आवश्यकताओं के निमित कोयला ढोने के लिए सहमत हो गई है ;

(ख) प्रतिदिन लगभग 40 से 45 बड़ी लाइन के माल डिब्बे।

(ग) इस यातायात की ढुलाई के सम्बन्ध में रेलवे कोई कठिनाई महसूस नहीं करती है।

इस काम के लिए कागज संयंत्र प्राधिकरण में कोयला केवल भूमि की स्थापना करने तथा अनुरक्षण के लिए सहमति प्रकट की है।

**उत्प्रवासी संरक्षण के विरुद्ध शिकायतें**

2352. श्री जगपाल सिंह )
श्री रशीद मसूद ) : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
श्री राजेश कुमार सिंह )

(क) क्या उत्प्रवासियों और पर्यटकों की ओर से, क्षेत्रीय पारपत्र अधिकारी के अधीन कार्यरत उत्प्रवासी संरक्षक कार्यालय द्वारा उन्हें परेशान किये जाने के विरुद्ध बार-बार शिकायतें प्राप्त होती रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1980 के दौरान कितनी तथा किस-किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई ;

(ग) क्या सरकार ने उक्त शिकायतों के बारे में कोई जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी नहीं,

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

**बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में वृद्धि**

2353. श्री जगपाल सिंह : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो महीनों के दौरान बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी और उसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस अवधि के दौरान बिना टिकट यात्रा करने वाले कितने यात्री पकड़े गए ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) यह अनुमान लगा लेना कि बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है तथ्यों से सिद्ध नहीं होता है क्योंकि नवम्बर और दिसम्बर, 1980 के महीनों के दौरान बुकिंग खिड़की से टिकटों की बिक्री में 1979के इन्हीं महीनों की तुलना में 217 लाख टिकटों की वृद्धि हुई है।

(ग) नवम्बर और दिसम्बर, 1980 के महीनों के दौरान 405298 व्यक्ति बिना टिकट या अनुपयुक्त टिकटों पर यात्रा करते पाये गये थे।

सम्मान सूचक कार्ड पास

2354. श्री जगपाल सिंह : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों तथा संस्थानों के नाम तथ पते क्या हैं जिन्हें मार्च, 1980 से फरवरी, 1981 की अवधि के दौरान सम्मानसूचक पास जारी किये गये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि पास ऐसे व्यक्तियों को भी जारी किए गए हैं जो निर्धारित मार्गनिदेशों के अन्तर्गत नहीं आते हैं ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है तथा इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) एक सूची संलग्न है। ग्रथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 2021/81।

(ख) और (ग) मानार्थकार्ड पास रेल मन्त्री के व्यक्तिगत अनुमोदन से जारी किए जाते हैं। मार्गनिर्देक सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक अनुरोध पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है।

दिल्ली परिवहन निगम की ठेके पर चलने वाली बसों के भाड़े में वृद्धि

2355. श्री जगपाल सिंह : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम ने ठेके पर दी जाने वाली अपनी बसों और स्कूलों को किराए पर दी गयी बसों का भाड़ा दिया है;

(ख) यदि हां, तो दरों में कितनी वृद्धि की गयी है, और

(ग) इस वृद्धि करने के क्या कारण है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) . (क) जी, हां। विशेष किराये पर दी गई और स्कूलों के लिए दी गई बसों की दरों में 1-1-81 से संशोधन कर दिया गया है।

(ख) संशोधन से पहले और संशोधन के बाद की दरें इस प्रकार हैं :—

| किराए की विशेष दरें | 1-1-1981 से पहले की दरें | 1-1-1981 से लागू संशोधित दरें |
|---|---|---|
| 1. प्रतिकिलोमीटर प्रभार | 2.60 रुपये | 3.50 रुपये |
| 2. प्रति घंटा बस खड़ी करने का प्रभार | 20.00 रुपये | 20.00 रुपये |
| 3. एक बुकिंग कराने के लिए न्यूनतम प्रभार | 60.00 रुपये | 80.00 रुपये |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 4. रात 11 बजे से सुबह 6 बजे के बीच बस खड़ी करने का प्रभार | 15.00 रुपये | 15.00 रुपये |
| | स्कूलों को दी गई बसें | |
| 1. प्रति किलोमीटर किराया प्रभार | 2.00 रुपये | 2.50 रुपये |
| 2. बच्चों के लिए डबल डेकर गाड़ी प्रति किराया प्रभार | 2.40 रुपये | 3.00 रुपये |

(ग) परिचालन लागत में वृद्धि होने के कारण किराये की दरों में वृद्धि करनी पड़ी।

**वैस्ट्रन एक्सप्रैस और डीलक्स एक्सप्रैस में और अधिक द्वितीय श्रेणी की वातानुकूलित बोगियां**

2356. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वैस्टर्न एक्सप्रैस और डीलक्स एक्सप्रैस के साथ द्वितीय श्रेणी की और अधिक वातानुकूलित बोगियां जोड़ी जायेंगी ?

**रेल मन्त्रालय मे उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : लम्बी दूरी की लोकप्रिय मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में दूसरे दर्जे के वातानुकूल शयनयानों की व्यवस्था दूसरे दर्जे के वातानुकूल शयनयानों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर एक कार्यक्रमवृद्ध आधार पर की जा रही है। इन गाड़ियों में और अधिक दूसरे दर्जे के वातानुकूल शायनयानों की व्यवस्था करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, जब कभी अतिरिक्त सवारी डिब्बे उपलब्ध होंगे, ऐसी ही अन्य भागों के साथ-साथ इस पर भी विचार किया जायेगा।

**अस्थायी श्रमिक**

2357. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुख्य अभियन्ता (निर्माण) कश्मीरी गेट मिन्टों ब्रिज के अन्तर्गत 120 दिन से ज्यादा अवधि से कार्य कर रहे अस्थायी मजदूरों की सेवायें 14 दिसम्बर, 1980 से समाप्त कर दी गयी हैं जिसके फलस्वरूप उनके परिवारों को भूखों मरने का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन मजदूरों की संख्या क्या है जिनकी सेवायें समाप्त कर दी गयी हैं तथा उनकी संख्या क्या है जिन्हें पुनः काम पर ले लिया गया है।

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव उन्हें पुनः काम पर लेने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) कार्य पूरा होने पर, 63 कनिष्ठ नैमित्तिक श्रमिकों की जिनमें से 21 ने 120 दिन से अधिक सेवा पूरी कर ली थी, सेवाएं समाप्त कर दी गयी थी। इनमें से किसी की भी पुनर्नियुक्ति नहीं की गयी है। उनकी पुनर्नियुक्ति काम की उपलब्धता और उनकी वरिष्ठता पर निर्भर करती है।

**एक पुराने टैंकर का एक कैटल 'कैरियर' में परिवर्तन**

2358. **डा० वसंत कुमार पंडित** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1976 में शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने कैटल कैरियर के विशिष्ट उद्देश्य से एक संयुक्त शिपिंग कंम्पनी स्थापित करने के लिए तंजानिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे;

(ख) क्या शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक पुराने टैंकर को 1.90 करोड़ रुपये की लागत से एक कैटल कैरियर में परिवर्तित कर दिया है;

(ग) क्या तंजानिया शिपिंग अधिकारियों ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया क्योंकि पोत तकनीकी आधार पर उपयुक्त नहीं था और इसका गलत ढंग से निर्माण किया गया था और सयुक्त कम्पनी की स्थापना को रद्द कर दिया;

(घ) क्या इस लेन-देन की जांच करवाई गई है और ड्यूटी पर लापरवाही बरतने के दोषी व्यक्तियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है जिसके कारण शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया को भारी हानि उठानी पड़ी; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय नौवहन निगम ने एक टैंकर को पशुवाही जहाज के रूप में बदलवाया। इस पर 1.58 करोड़ रुपये खर्च हुए।

(ग) तंजानिया नौवहन प्राधिकरण ने समुद्र उद्यम स्थापित करने के वचन को थोंड़े कारणों के आधार पर अस्वीकार किया था और इसकी पृष्ठभूमि में जहाज की प्राविधिक रूप से अनुपयुक्तता कारण नहीं थी। टैंकर ख़ास तौर से पशुवाही जहाज के रूप में बदलवाया गया था और यह जहाज भारत और पश्चिम एशिया की खाड़ी/लाल सागर तक कुछ एक बार आया-गया भी था।

(घ) और (ङ) यह सौदा व्यापारिक दृष्टि से किया गया था। तनजानिया के अधिकारियों द्वारा अस्वीकृत हो जाने के कारण यह लागू नहीं हो सका। कोई भी जांच नहीं की गयी। लेकिन वाणिज्य लेखा परीक्षा के निदेशक ने इस सौदे की प्रतिकूल आलोचना की है और इसे अपनी रिपोर्ट में शामिल किया है।

**बंदरगाहों पर कन्टेनरों से माल के उतारने-चढ़ाने की सुविधाएं**

2359. **डा० बसन्त कुमार पण्डित** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल निर्यात कन्टेनरों में माल के निर्यात का प्रतिशत क्या है;

(ख) क्या सरकार निर्यात के लिए बड़े पैमाने पर कन्टेनरों में माल के निर्यात के लिए कोई योजना बना रही है, जिससे कि इसे सस्ता बनाया जा सके तथा जल्दी भेजा जा सके;

(ग) यदि हां, तो अगले तीन वर्षों के दौरान निर्धारित किए गए लक्ष्यों का पूर्वानुमानित प्रतिशत क्या है;

(ग) क्या हल्दिया जो कन्टेनरों के लिए पूरी तरह से सुसज्जित टर्मिनल है, ने अपनी अधिष्ठापित क्षमता का मुश्किल से 10 प्रतिशत उपयोग किया है;

(ङ) क्या महत्वपूर्ण घटकों तथा उतारने चढ़ाने के उपकरणों तथा पर्याप्त संपर्क सड़कों के अभाव के कारण हल्दिया में माल की मासिक औसत दर नगण्य है; और

(च) यदि हां, तो हल्दिया तथा अन्य बंदरगाहों पर जो कन्टेनरों में माल को चढ़ाने-उतारने में सक्षम है सभी उपकरणों से सज्जित करने के लिए सरकार की क्या योजना है ?

**नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) सामान्यत: यह ब्रेक बल्क कारगों होता है जिसे देश से कन्टेनरों के द्वारा निर्यात किया जाता है। कुल ब्रेक बल्क निर्यात कारगों की अपेक्षा कटेनरयुक्त कारगों की प्रतिशतता संलग्न विवरण में दिखाई गई है।

(ख) और (ग) सरकार ने कन्टेनर यातायात में वृद्धि को देखते हुए विभिन्न पत्तनों पर कण्टेनर धरा-उठाई की सुविधाओं की व्यवस्था करने की योजना तैयार की है। परन्तु निर्यात माल के कन्टेनरीकरण को निर्यात कर्ताओं द्वारा हाथ में लिया जाएगा। चूंकि निर्यात माल का कन्टेनरीकरण विभिन्न बातों पर निर्भर करता है, यह व्यवहार्य नहीं है कि लक्ष्यों को निर्धारित किया जा सके। परन्तु पत्तनों से किए जाने वाले कुल कन्टेनर यातायात की दोनों आयात तथा निर्यात 1981-82 के दौरान निम्नलिखित रूप से सम्भावना है :—

| | |
|---|---|
| हल्दिया | 1.5 लाख टन |
| बम्बई | 11.8 लाख टन |
| मद्रास | 5.78 लाख टन |
| कोचीन | 1.31 लाख टन |

(घ) 1980-81 के दौरान हल्दिया ने 1000 टी ई यूज (20 फुट यूनिटों के समतुल्य) धरा उठाई की, जो कि इसकी क्षमता का 20% है।

(ङ) हल्दिया में कन्टेनर यातायात में लगातार वृद्धि हुई है। यहां पर अवस्थापनात्मक सुविधाओं में कुछ कमियां है। तदनुसार, छठी योजना के दौरान पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

(च) छठी योजना में पत्तनों पर कन्टेनरों के लदान उतार सुविधाओं में सुधार/सृजन करने के लिए प्रस्ताव रखे गए हैं। हल्दिया टर्मिनल पर सुविधाओं में सुधार, बम्बई, मद्रास तथा कोचीन पत्तनों द्वारा कन्टेनर लदान-उतार उपस्करों की खरीद तथा मद्रास पत्तन पर कन्टेनर टर्मिनल की व्यवस्था के लिए व्यवस्था की गई है।

विवरण

| पत्तन का नाम | वर्ष | कूल ब्रेक बल्क निर्यात की अपेक्षा कन्टेनरीकृत निर्यात माल की प्रतिशतता |
|---|---|---|
| 1. हल्दिया कलकत्ता | 1978-79 | 46% |
| | 1979-80 | 63% |
| | 1980-81 | 85% |
| | (जनवरी, 1981 के अंत तक) | |
| 2. बम्बई | 1978-79 | 8.2% |
| | 1979-80 | 15.1% |
| | 1980-81 | 26.6% |
| | (जनवरी, 1981 के अंत तक) | |
| 3. मद्रास | 1978-79 | 1.24% |
| | 1979-80 | 5.91% |
| | 1980-81 | 11.66% |
| | (जनवरी, 1781 के अंत तक) | |
| 4. कोचीन | 1977-78 | 4.1% |
| | 1978-79 | 9.1% |
| | 1979-80 | 26.0% |
| 5. विशाखापत्तनम | 1978-79 | कुछ नहीं। |
| | 1979-81 | कुछ नहीं। |
| | 1980-81 | कुछ नहीं। |

| | | |
|---|---|---|
| 6. कांडला | यथोक्त | यथोक्त |
| 7. मार्मुगाओं | यथोक्त | यथोक्त |
| 8. परादीप | यथोक्त | यथोक्त |
| 9, मंगलौर | 1978-79 | 0.75% |
| | 1979-80 | 0.42% |
| | 1980-81 | 1.34% |
| | (जनवरी, 1981 के अंत तक) | |
| 10. ततकोरिन | 1978-79 | कुछ नही। |
| | 1979-80 | कुछ नहीं। |
| | 1980-81 | 9% |
| | (जनवरी, 1981 के अंत तक) | |

**लखनऊ डिवीजन में गाड़ियों का देर से चलना और अपराध की घटनाओं में वृद्धि**

2361. **श्री रशीद मसूद :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार लखनऊ डिवीजन में चलती गाड़ियों में अपराध की घटनाओं में वृद्धि और बिना टिकट यात्रा करने आदि के साथ-साथ, गाड़ियों के चलने में समय की पाबन्दी के मामले में सम्पूर्ण रेल व्यवस्था की दक्षता में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1980 के अन्तिम छः महीनों के दौरान वर्ष 1979 की इसी अवधि की तुलना में गाड़ियों के चलने में समय की पाबन्दी सम्बन्धी दक्षता में गिरावट, अपराध, जंजीर खींचने बिना टिकट यात्रा करने आदि के मामलों में वृद्धि की तुलनात्मक प्रतिशतता क्या है ; और

(ग) स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

**रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) :** (क) से (ग) उत्तर और पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में चलने वाली सभी सवारी गाड़ियों की समय पाबन्दी में 1980 के अन्तिम 6 महीनों के दौरान 1979 की तदनुरूपी अवधि की तुलना में खतरे की जंजीर खींचने, बदमाशों द्वारा होज पाइप अलग करने की बढ़ती हुई घटनाओं, आन्दोलनों, बाढ़ आदि के कारण मामूली गिरावट आयी है जिसका ब्योरा नीचे दिया गया है :—

**समय न खोने वाली गाड़ियों का समय पालन प्रतिशत**

| महीना | उत्तर रेलवे | | पूर्वोत्तर रेलवे | |
|---|---|---|---|---|
| | 1979 | 1980 | 1979 | 1980 |
| जुलाई | 83.8 | 79.5 | 85.2 | 66.9 |
| अगस्त | 86.5 | 75.8 | 87.4 | 71.0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| सितम्बर | 88.9 | 68.7 | 88.5 | 69.3 |
| अक्तूबर | 84.6 | 77.2 | 91.4 | 76.2 |
| नवम्बर | 87.2 | 75.1 | 26.2 | 72.7 |
| दिसम्बर | 86.4 | 80.0 | 85.0 | 69.5 |

गाडियों को समय पर चलाने के लिए सभी स्तरों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। परिहार्य रूकोनियों को तुरन्त ठीक कर दिया जाता है और गाड़ियों के चालन में सुधार लाने के लिए उपचारात्मक/दंडात्मक कार्यवाही की जाती है।

1980 के अन्तिम 6 महीनों के दौरान उससे पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अनधिकृत रूप से खतरे की जंजीर खींचने की घटनाओं में उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में 19 प्रतिशत और पूर्वोत्तर रेलवे में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा बिना टिकट यात्रा में मामूली वृद्धि हुई। 1980 के अन्तिम 6 महीनों के दौरान उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में बिना टिकट यात्रा के 22,231 मामलों का पता चला जबकि उससे पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 16,279 मामलों का पता चला। (पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल से सम्बन्धित सूचना इकट्ठी की जा रही है) ऐसी असामाजिक गतिविधियों को रोकथाम के लिए बारम्बार जांचें की जाती हैं और राज्य सरकारों के साथ निकट सम्पर्क बनाये रखा जाता है।

लखनऊ मंडल में अपराध की घटनाओं से सम्बन्धित तुलनात्मक स्थिति इस प्रकार हैं।—

| | उत्तर रेलवे | | पूर्वोत्तर रेलवे | |
|---|---|---|---|---|
| | 1979 | 1980 | 1979 | 1980 |
| हत्या | 1 | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| लूटपाट | 11 | 1 | 2 | 5 |
| डकैती | 2 | 2 | 1 | 1 |
| यात्रियों के समान की चोरी | 161 | 157 | 49 | 35 |

इस स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित निवारक उपाय किये गये हैं:

(1) सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा महत्त्वपूर्ण गाड़ियों में रात के समय राजकीय रेलवे पुलिस के सशस्त्र रक्षकों को तैनात किया जाता है।

(2) स्टेशनों, प्लेटफार्मों और प्रतीक्षा हालों में गश्त लगाना।

(3) अपराधियों एवं बदनाम व्यक्तियों पर नजर रखना।

(4) पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा रात्रि गाड़ियों की जांच।

(5) भीड़ स्टेशनों पर पुलिस टुकड़ियां तैनात करना ।

(6) राज्य सरकारों के अपराध जाच ब्यूरों के विशेष दस्तों द्वारा महत्वपूर्ण मामलों की छानबीन की जाती है ताकि इन मामलों के लिए जिम्मेदारी अपराधियों की पकड़ा जा सके ।

(7) गलियारेदार डिब्बों के दरवाजों की रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बन्द रखा जाता है ।

(8) चल टिकट परीक्षकों/परिचरों और कंडक्टरों को अनुदेश हैं कि वे अधिकृत व्यक्तियों को डिब्बों में और विशेष रूप से आरक्षित डिब्बों में न घुसने दें ।

**दिल्ली परिवहन निगम के जाली टिकट**

2362. श्री राम प्यारे पनिका : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम के कुछ जाली टिकट पकड़े गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) से (घ) आठ जनवरी, 1981 को सवेरे 6.50 बजे श्री जयप्रकाश, बैज नं० 11280 नाम का कंडक्टर श्री निर्मल कुमार दास, बैज नं० 8342 नाम के एक दूसरे कंडक्टर द्वारा पकड़ा गया जब वह ब्याला गांव के बस स्टाप पर जाली टिकट बेच रहा था । श्री निर्मल कुमार दास श्री जयप्रकाश को दिल्ली परिवहन निगम के हरिनगर बस डिपो पर ले गया जहां के ड्यूटी अफसर ने जनकपुरी पुलिस स्टेशन को इस बारे में इत्तला दी और इसके बाद पुलिस ने 530 जाली टिकट अपने कब्जे में ले लिए । कंडक्टर जयप्रकाश को तुरन्त गिरफ्तार कर लिया गया और इस केस को सेक्शन 468/471/474 आई० पी० सी० के अधीन एक एफ० आई० आर० नं० 9 में दिनांक 8 जनवरी, 1981 को दर्ज किया गया । ये टिकटें एक मिनी बस आपरेटर की थी जो दिल्ली परिवहन निगम से अलग राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा सीधे जारी किए गए परमिट के आधार पर अपनी बस चलाता है । इस बात को कंडक्टर जयप्रकाश ने पुलिस को दिए अपने लिखित बयान में स्वीकार किया है । इसके बाद इस कंडक्टर को जमानत पर छोड़ दिया गया । दिल्ली परिवहन निगम ने श्री जयप्रकाश को आठ फरवरी, 1981 से अर्थात जिस दिन उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ था, निलम्बित कर दिया है ।

**यमुना पार क्षेत्र में नकली दवाइयां बनाने वाला कारखाना**

2363. **श्री राम प्यारे पनिका :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के यमुना पार के क्षेत्र में एक ऐसे कारखाने का पता चला है, जो मशहूर कम्पनियों के ट्रेड नाम में औषधियों का निर्माण कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस कारखाने के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि, नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते ।

**मानसिक रोगों के संबध में अध्ययन**

2364. **श्री छोतू भाई गामित :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस बात का अध्ययन करवाया गया है कि आमतौर पर किस आयु वर्ग में मानसिक रोग अधिक होते हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) :** सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

**वर्ष 1981-82 के दौरान चलाई जाने वाली नई रेलगाड़ियों की संख्या**

2365. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981-82 के दौरान कितनी नई रेलगाड़ियां चलाई जायेंगी और उसका जोन-वार ब्योरा क्या है ?

**रेल मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) :** राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हित में माल-भाड़ा यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उच्च प्राथमिकता की मांग को देखते हुए तथा दूसरी ओर सवारी डिब्बों की कमी के कारण फिलहाल अतिरिक्त सवारी गाड़ियां चलाने का काम धीमा करने का विनिश्चय किया गया है । अतिरिक्त गाड़ियां चलाने के ब्यौरे को, यदि कोई ऐसा प्रस्ताव हुआ तो, अप्रैल, 81 और अक्तूबर, 81 में समय सारणियों में संशोधन करते समय अन्तिम रूप दिया जायेगा ।

**हरियाणा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र**

2366. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयं सेवक योजना के अधीन कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चल रहे हैं; और

(ख) वर्ष 1981 के दौरान हरियाणा में ऐसे कितने केन्द्र खोले जायेंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रन्जन लास्कर) : (क) हरियाणा में जन स्वास्थ्य रक्षक योजना को 62 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चलाया गया है ।

(ख) 1981-82 के दौरान शेष 27 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भी जन स्वास्थ्य रक्षक योजना को चलाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

**आदित्यपुर रेलवे स्टेशन पर आग लगना**

2367. श्री चिरन्जी लाल शर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 17 जनवरी, 1981 दक्षिण पूर्व रेलवे के आदित्यपुर रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग में आग लगने से रेलवे को कितनी हानि हुई; और

(ख) उक्त अग्निकांड के क्या कारण थे और क्या इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी की गयी है ?

रेल मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) आदित्यपुर रेलवे स्टेशन पर 16-17-1981 की उपद्रवी भीड़ द्वारा लगायी गयी आग में क्षति का अनुमान लगभग 5 लाख रुपये लगाया गया है ।

(ख) आदित्यपुर रेलवे स्टेशन के समपार गेट पर 77 अप उत्कल एक्सप्रेस से धक्का लग जाने पर क्षेत्रीय प्रोद्योगिक संस्थान, आदित्यपुर के प्रोफेसर श्री राजकुमार पाठक की आकस्मिक मृत्यु के कारण उपद्रवी भीड़ ने रेलवे स्टेशन और रेलपथ पर आक्रमण कर दिया और रेल सम्पति को आग लगा दी । पुलिस द्वारा अब तक 4 व्यक्ति गिरफ्तार किये गए हैं ।

**इस्टर्न कोल लि० प्रतिदिन 2000 वैगन**

2368. श्री तारिक अनवर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल प्राधिकारी इस्टर्न कोल लि० को कोयले के परिवहन के लिए प्रतिदिन 2000 वैगनों की सप्लाई करने के लिए सहमत हो गया था;

(ख) क्या उन्होंने प्रतिदिन 2000 वैगनों के स्थान पर प्रतिदिन 1750 वैगनों की सप्लाई की है; और

(ग) सरकार द्वारा इस्टर्न कोल लि० को पर्याप्त मात्रा में वैगनों की पर्याप्त सप्लाई कब तक किए जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) ई० सी० एल० सहित सभी कोयला कम्पनियों को माल डिब्बा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूर्णरूपेण पूरा करने के लिए रेलों ने योजना बनायी है। यद्यपि कुछ क्षेत्रों में माल डिब्बों की समूची आवश्यकताएं पूरी की जा रही हैं, फिर भी, ई० सी० एल० में कुछ कमी है जिसे शीघ्र ही पूरा करने का प्रस्ताव है।

## मैट्रोलाजीकल बेलून फैक्ट्री

2369. श्री ए० नीलालोहिथा दसन नाडार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह कानकारी है कि मैट्रोलोजीकल बैलून फैक्ट्री हिन्दुस्तान लेटेक्स, त्रिवेन्द्रम से सम्बद्ध होकर कार्य कर रही थी; और

(ख) यदि हां तो उस फैक्ट्री के मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रन्जन लास्कर) : (क) जी, हां। हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम मुख्यतया रबड़ के गर्भ निरोधकों का निर्माण करता है। वैसे, इनकी त्रिवेन्द्रम स्थित फैक्टरी में मौसमी गुब्बारे बनाने का संयन्त्र भी है।

(ख) दिसम्बर, 1978 से मौसमी गुब्बारे बनाने वाले संयन्त्र का काम बन्द पड़ा है।

## कोयले के परिवहन विषयक सलाहकार समिति

2370. श्री के० पी० सिंह देव
श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी) : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कोयले के परिवहन विषयक सलाहकार समिति को पुनर्गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो समिति का नया गठन क्या है;

(ग) क्या इस छोटे तथा बड़े दोनों उपभोक्ताओं को इस पर प्रतिनिधित्व प्राप्त है और यदि हां तो किस अनुपात में, और

(घ) समिति द्वारा बड़े एवं छोटे क्षेत्रों के औद्योगिक प्रयोजनों के लिये कोयले के अलग-अलग वितरण हेतु किन मानदंडों का पालन किया जा रहा है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कोयले के परिवहन पर कोई सलाहाकार समिति नहीं है। इसलिए इसके पुनर्गठन का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

**माल डिब्बों की मांग और पूर्ति**

2371. श्री के० पी० सिंह देव )
श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी) : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि आगामी तीन वर्षों के दौरान माल डिब्बों की मांग और पूर्ति में भारी अन्तर रहने की सम्भावना है जिसके परिणामस्वरूप सरकार को इनका आयात करने के लिए विवश होना पड़ेगा;

(ख) क्या सरकार ने इस स्थिति का पूर्वानुमान लगा लिया है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी कमी होने की सम्भावना है और कितने माल डिब्बे का आयात किया जायेगा तथा आन्तरिक उत्पादन को बढ़ाकर माल डिब्बों की कितनी कमी को पूरा कर लिया जायेगा ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) माल डिब्बों के लिए मांग पंचवर्षीय योजना अवधि के आधार पर निर्धारित माल डिब्बों की खरीद से परिलक्षित होती है। 1980-85 की अवधि के दौरान चालू छठी पंचवर्षीय योजना में चौपाहियों के हिसाब से 1,00,000 माल डिब्बे खरीदने की व्यवस्था की गयी है । वर्षानुवर्ष के आधार पर माल डिब्बे खरीदने की योजना वार्षिक योजनाओं में धन-राशि के नियतन के आधार पर तैयार की जाती है । वर्ष 1980-81 के लिए चौपाहियों के हिसाब से 13,000 माल डिब्बे खरीदने की व्यवस्था की गयी है और 1981-82 के लिए इसे बढ़ाकर 18,000 माल डिब्बे कर दिया गया है । छठी पंचवर्षीय योजना के शेष तीन वर्षों में शेष मात्रा मे माल डिब्बों की खरीद करने की व्यवस्था की जायेगी बशर्ते इसके लिए पर्याप्त धन आबटित किया जाये । रेलवे माल डिब्बों के उत्पादन के लिए वार्षिक स्थापित क्षमता चौपाहियों के हिसाब से लगभग 28,000 माल डिब्बों की है और यह क्षमता स्वदेशी स्रोतों से मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है । अतः आयात करने का प्रश्न नहीं उठता ।

**सोनगढ़ स्टेशन पर उपरिपुल**

2372. श्री छीतू भाई गामित : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे कि सूरत भूसावल लाईन स्थित सोन को रेलवे स्टेशन पर एक उपरिपुल निर्मित करने का निर्णय किया गया था;

(ख) उक्त परिपुल संभवतः कब निर्मित हो जायेगा और उस पर कितना खर्च होगा; और

(ग) इसके शीघ्र निर्णय के लिए रेलवे द्वारा उठाये गये उपायों का ब्योरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सोनगढ़ रेलवे स्टेशन पर ऊपरी पैदल पुल के विस्तार का काम 2.40 लाख रूपये की अनुमानित लागत से 1981-82 के निर्माणकार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है । इस काम को 1981-82 में, शुरू करने और मार्च 1984 तक पूरा हो जाने की संभावना है ।

**अमरीका में भारतीय छात्र की गिरफ्तारी**

2373. श्री तारिक अनवर )
श्री हीरालाल आर० परमार ) : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरिका में एक भारतीय छात्र को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि इस छात्र को इस मामले में गलत ढंग से फंसाया गया है और उसे अमरीका में कोई कानूनी सहायता प्राप्त नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो अमरीका में इस युवक की सहायता के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है' ?

**विदेश मंत्री(श्री पी०वी० नरसिंह राव)**:(क) श्री भरत कुमार पटेल नामक एक व्यक्ति को, जो 1976 में यू० एस० ए० में विद्यार्थी वीसा पर आया था, ऐसेक्स काउंटी कोरेक्शन सैन्टर वेस्सी सिटी द्वारा नजरबंद कर दिया गया है । यह पता नहीं है कि अभी भी विद्यार्थी वीसा पर है या नहीं ।

(ख) और (ग) यह नहीं लगता कि श्री पटेल को फंसाया गया है। उन्हें चोरी करने और बैंक में पर्याप्त रकम न होने पर भी चैक जारी करने के कई आरोपों पर पकड़ा गया है। स्थानीय प्राधिकारियों ने उसके लिए कानूनी सहायता का प्रबंन्ध किया था, लेकिन यह उससे सन्तुष्ट नहीं था। इसलिए भारत के प्रधान कोंसलावास ने श्री पटेल के हितों की पैरवी करने के लिए गुजराती समाज के माध्यम से एक भारतीय अटार्नी का प्रबन्ध किया है। कोंसलावास के अधिकारियों के अलावा गुजराती समाज के प्रधान और अटार्नी भी उससे मिलने जाते हैं और उसे सुधार केंन्द्र और मानसिक चिकित्सालय में सामान्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं ।

**उगांडा सरकार द्वारा गारंटी किये गये 10 वर्षीय बांडों का भुगतान**

2374. **श्री तारिक अनवर** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उगांडा सरकार द्वारा वर्ष 1965 में भारत-मूल गैर निवासियों को जारी किये गये 10 वर्षीय बांडों के भुगतान के बारे में सरकार की नीति तथा टिप्पणी क्या हैं ; और

(ख) गैर-निवासी भारतीयों को उनके बांडों की राशि वापस दिलवाने के लिए अपना दायित्व निभाते हुए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

**विदेश मंत्री (श्री पी० नरसिंह राव)** : (क) और (ख) श्रीमान्, भारत सरकार यह चाहती है कि 1965 में गैर-आवासी भरतीय द्वारा खरीदे गए उगांडा सरकार के बांडों को भुना कर उनसे प्राप्त धन की पूरी राशि देश प्रत्यावर्तित कर दी जाए ।

1965 में उगांडा सरकार के बांडों में गैर-आवासी भारतीयों द्वारा लगायी गई पूंजी के दावों को और उनकी अन्य परिसम्पतियों के दावों को हमने 1972 में उगांडा सरकार के साथ

उठाया था। सरकार के अनवरत प्रयत्नों के बाद भारत से एक उच्चधिकार प्रति निधिमंडल ने मुआवजे के प्रश्न पर विचार-विमर्श करने के लिए 25-10-1975 से 19-11-1075 तक कम्पाला की यात्रा की । 1972 में उगांडा से निष्कासित भारतीय राष्ट्रकों द्वारा छोड़ी गई जायदाद तथा परिसम्पतियों, जिनमें ऐसे स्टाक तथा प्रतिभूत्तियां भी शामिल हैं, जिनकी अवधि पूरी हो चुकी है और जिन्हें निरुद्ध लेखे में रख दिया गया है, के मुआवजे के भुगतान के बारे में समझौता हुआ था। ऐसे स्टाक तथा प्रतिभूतियां जिसकी अवधि मूल्यांकन समिति द्वारा मूआवजे की स्वीकृति के समय पूरी नहीं हुई थी अथवा जिसकी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी थी, के बारे में मुआवजा सम्बम्धी समझोते में यह व्यवस्था की गई है कि यथासमय उगांडा सरकार के उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ उक्तराशि की 'निकासी तथा देश प्रत्यावर्तन' का मामला उठाया जाना चाहिए।

इस प्रवधान के अनुसार कम्पाला स्थिति भारत का हाई कमीशन उन दावों के बारे में कार्रवाई करता रहा है जिन्हें राजनीतिक सूत्रों के माध्यम से निपटाना है। अमीन सरका अनिर्णीत दावों को हल किये जाने के प्रश्न पर टालमटोल की नीति अपनाती रही। हाई कमीशन के निरन्तर दबाव के बाद अमीन सरकार अनिर्णीत दावों के प्रश्न पर एक मंत्रीमडलीय ज्ञापन-पत्र जारी करने पर सहमत हुई। लेकिन इसी बीच अमीन सरकार सत्ता से हट गयी और गत दिसम्बर तक वहाँ की स्थिति अस्थिर थी। दिसम्बर, 1980 में आम चुनावों के बाद नई सरकार का गठन किया गया है, जिसने इस प्रश्न पर रचनात्मक ढंग से विचार करने के स्पष्ट संकेत दिये हैं। हाई कमीशन उगांडा के नए प्राधिकारियों के समक्ष इस मामले को उठा रहा है।

**नरकटियागंज दरभंगा-पहलेजा घाट एक्सप्रेस का कमटौल में रुकना**

2375. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी लोगों द्वारा नरकटियागंज-दरभंगा-पलेजा घाट एक्सप्रेस गाड़ी के कम-टौल रुकने की मांग की जा रही है;

(ख) क्या स्थानीय यात्रियों और गौतम कुंड अहित्यास्थान आदि ऐतिहासिक स्थानों के तीर्थ यात्रियों के हित में इस गाड़ी का रुकना आवश्यक नहीं है;

(ग) क्या कमटौल (पूर्वीतर रेलवे के समस्तीपुर प्रभाग के अन्तर्गत) इस गाड़ी का रोकने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या कारण है ?

**रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :** (क) से (ग) जी नहीं।

(घ) कामतौल से बछवाड़ा, हाजीपुर, सोनपुर और महेन्द्रू घाटी तक यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 77 अप/78 डाउन नरकटियागंज दरभंगा पहलेजाघाट एक्सप्रेस को कामतौल स्टेशन में ठहराव के औचित्य के लिए काफी कम है।

## चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए रेलवे क्वार्टर

2376. श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा नई दिल्ली में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये कुल कितने रेलवे क्वार्टर हैं;

(ख) क्या यह सच है कि अधिकांश क्वार्टरों में छत के पंखे नहीं लगाये गये हैं हालांकि पंखे लगाने का निर्णय तीन वर्ष पहले कर लिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो सभी क्वार्टरों में पंखे कब तक लगा दिये जाने की आशा है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री ( श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली और नयी दिल्ली में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए रेलवे क्वार्टरों की कुल संख्या 4319 है ।

(ख) दिल्ली और नयी दिल्ली रेलवे कालोनियों में अब तक 1064 क्वार्टरों में छत के पंखों की व्यवस्था की गयी है ।

(ग) शेष क्वार्टरों में कब तक पंखें लगा दिये जायेंगे यह बताना संभव नहीं है क्योंकि यह दिल्ली नयी दिल्ली क्षेत्र सहित समस्त उत्तर रेलवे में इस कार्य के लिए अपेक्षित रकम की तुलना में धन की उपलब्धता पर निर्भर होगा ।

## समस्तीपुर दरभंगा लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

2377. श्री वीरेन्द्र झा : क्या रेल मन्त्री नई मुजफ्फरपुर-दरभंगा लांइन के बारे में 27 नवम्बर, 1980 के तारांकित प्रश्न संख्या 145 के उत्तर तथा उस पर 5 दिसम्बर, 1980 को हुई आधे घंटे की चर्चा के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में 1980 के लिए नई रेल लाइनें खोलने तथा मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने के क्या विशिष्ट प्रस्ताव हैं तथा इसके लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है ;

(ख) क्या समस्तीपुर दर भंगा लाइन को बड़ी लाइन में बदलने तथा सकरी हसनपुर नई लाइन बनाने के लिए ठीक समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या उन्होंने पिछले बिहार के दौरे के समय रेल लाइनों स्टेशनों तथा क्षेत्रीय कार्यालय आदि के विकास के बारे में अनेक घोषणाएं की थीं, और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सोनपुर से छपरा तक का आमान परिवर्तन कार्य पहले ही पूरा हो चुका है और इसे 5-2-81 से यातायात के लिए खोल दिया गया है ।

(ख) जी नहीं। संसाधनों की तंगी के कारण।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) बिहार के विकास के लिए 1981-82 के बजट में निम्नलिखित नए सर्वेक्षण शामिल किए गए हैं।

1. वासुकिथ के रास्ते देवगढ़ से दुमका तक (83 कि०मी०) नयी बड़ी लाइन सम्पर्क के लिए प्रारम्भिक इन्जीनियरी तथा यातायात सर्वेक्षण।

2. रांची से हजारी बाग टाउन से हजारी बाग रोड से गिरीडीह (223 कि० मी०) तक नयी बड़ी लाइन सम्पर्क के लिए प्रारम्भिक इन्जीनियरी तथा यातायात सर्वेक्षण।

3. लालमटिया से खलगांव (26 कि० मी०) तक प्रारम्भिक इन्जीनियरी तथा यातायात सर्वेक्षण।

4. माधुपुर से दुमका तक नयी लाइन सम्पर्क के लिए प्रारम्भिक इन्जीनियरी तथा यातायात सर्वेक्षण।

5. सेंथिया और खाना (65 कि० मी०) के बीच दोहरी लाइन बिछाने के लिए इन्जीनियरी तथा यातायात सर्वेक्षण

6. पटना के नजदीक गंगा नदी पर प्रस्तावित रेल पुल के सबन्ध में इन्जीनियरी और यातायात सर्वेक्षण।

7. मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी (66 कि० मी०) तक नई लाइन रेल सम्पर्क के लिए प्रारंभिक इन्जीनियरी तथा यातायात सर्वेक्षण।

**सकरी-हसनपुर लाइन**

2378. श्री भोगेन्द्र झा : क्या रेल मन्त्री सकरी-हसनपुर लाइन के बारे में 27 नवम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1498 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सकरी हसनपुर नई लाइन के नियंत्रण कार्य के लिए संशोधित प्राक्कलन इस बीच प्राप्त हो गये हैं और इनकी मन्जूरी दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या उपरोक्त परियोजना के लिए बिहार सरकार द्वारा मिट्टी के काम की लागत दी जा चुकी है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) इस लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में अद्यतन इन्जीनियरी अनुमान जल्दी ही, प्राप्त होने वाला है और इसकी मन्जूरी मिल जाने पर पूर्वोत्तर रेलवे निर्माण कार्य शुरु करेगी।

(ख) बिहार सरकार ने इस परियोजना के लिए केवल मुफ्त भूमि दी है।

'केयर' को भारत में कार्य करने की अनुमति

2379. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'केयर' को भारत में लाने अथवा कार्य करने की अनुमति देने के बारे में विदेश मन्त्री कहां तक सम्बद्ध है और क्या प्रधान मन्त्री अथवा विदेश मन्त्रालय में किसी व्यक्ति द्वारा इण्डियन एक्सप्रेस, स्टेट्समेन अथवा किसी अन्य पत्र के सम्पादकों को क्या कभी कोई सन्देश अथवा निदेश दिया गया था अथवा जारी किया गया था जिसमें 'केयर' के विरुद्ध दिल्ली न्यायालय में चल रही कानूनी कार्यवाही की रिपोर्ट के प्रकाशित न करने के बारे में सुझाव दिया गया था; और

(ख) क्या पी० एल० 480 के अन्तर्गत उपहार में दिए गए साधनों तथा उसके वितरण और अमरीकी स्वैच्छिक एजेंसियों के कार्यों अथवा इससे सम्बन्धित गतिविधियों के बारे में अधिकार और दायित्व के बारे में भारत सरकार ने अमरीकी सरकार के साथ कोई करार किया है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी नरसिंह राव): (क) 'केयर' जो कि अमरीकी अस्थानी लाभ न कमाने वाला एक स्वयं सेवा संगठन है और संसार के कई देशों में काम कर रहा है, 6 मार्च 1950 को सम्पन्न एक भारत केयर करार के अन्तर्गत भारत में काम करता है जिस पर भारत सरकार की ओर से विदेश मन्त्रालय के सचिव ने हस्ताक्षर किए हैं।

दिल्ली के किसी न्यायालय में 'केयर' के खिलाफ किसी मुकदमें की कोई बात प्रेस से नहीं कही गई है।

(ख) जी हां। पी० एल० 480 के अन्तर्गत दान में दी जाने वाली चीजों का वितरण करने वाली अमरीकी स्वतन्त्र सेवी एजेन्सियों का कार्य संचालन 5 दिसम्बर, 1968 को भारत और अमरीका की सरकारों के बीच सम्पन्न एक करार के अन्तर्गत किया जाता है।

माधव नगर सांगली लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

2380. श्री आर० के० महालगी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण मध्य रेलवे में माधव नगर और सांगला के बीच की छोटी लाइन को बड़ी

लाइन में बदलने के बारे में कितनी प्रगति हुई है कितनी राशि खर्च की गई है और क्या-क्या वास्तविक लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं;

(ख) यदि अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) परियोजना कब तक पूरी की जाने की सम्भावना है ?

**रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) से (घ) मिरज से सांगली तक 7.77 कि० मी० सम्पर्क का पुनःस्थापन तथा पुराने माधवनगर स्टेशन की मुख्य लाइन पर लाना अनुमोदित कार्य है। इन निर्माण कार्यों के अनुमान विचाराधीन हैं। संसाधनों की तंगी के कारण कोई लक्ष्य तिथियां निर्धारित नहीं की गई हैं।

**'रनिंग' भत्तों विषयक समिति**

2381. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'रनिंग' भत्तों विषयक समिति ने अप्रैल 1980 में अपना प्रतिवेदन दे दिया था और जुलाई 1980 से वेतनमानों के पुनर्वर्गीकरण पर सहमति हो गयी थी; और

(ख) यदि हां, तो उसे कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

**रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) और (ख) रनिंग भत्ता समिति की रिपोर्ट, जो कि अप्रैल, 1980 में प्राप्त हुई थी, पर कार्यवाही की जा रही है। वेतनमानों की पुनः संरचना करने के बारे में कोई समझौता नहीं हुआ था।

**यात्री डिब्बों का निर्माण**

2382. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या रेल मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-1979 और 1980 में कितने यात्री डिब्बे बनाये गये;

(ख) वर्ष 1981 और 1982 में कितने डिब्बे बनाये जायेंगे;

(ग) भारतीय रेलों में प्रयोग हेतु यात्री डिब्बों की कमी के क्या कारण हैं; और

(घ) यात्री डिब्बों की वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) :

(क)

| 1978 | 1979 | 1980 |
|---|---|---|
| 1049 | 962 | 1035 |

(ख)

| 1981 | 1982 |
|---|---|
| 1108 | 1320 |

(ग) और (घ) सवारी डिब्बों की मांग अतिरिक्त गड़ियां चलाने और वर्तमान गाड़ियों में अधिक डिब्बे लगाने पर निर्भर करती है। ये दोनों बातें विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता पर जैसे टर्मिनल और खण्डीय क्षमता आदि पर काफी निर्भर करती है। इन बातों को ध्यान में रखकर सवारी डिब्बों की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा किया जाता है सिवाय उस समय के जब कि गुण्डागर्दी अथवा अन्य कारणों से सवारी डिब्बे क्षतिग्रस्त कर दिये जाते हैं।

तथापि छठी योजना अवधि के दौरान सवारी डिब्बों के निर्माण से बढ़ते हुए सवारी यातायात की आवश्यकताओं को पूर्णरूप में पूरा नहीं किया जा सकेगा।

एक सेक्शन से दूसरी सेक्शन में स्थानान्तर

2383. श्रीमति लाल हंसदा : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल मन्त्रालय से दिनांक 4 अगस्त, 1971 के पत्र सं० ई(एन जी) II,71/टी आर 19, 13 जनवरी, 1975 के पत्रांक ई (एन जी) II 74/टी आर-20 और 4 मई, 1975 के पत्रांक ई (एन जी) 75 टी आर 10 द्वारा आश्वासन दिया था कि कार्यकुशलता बनाये रखने तथा कदाचार और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए दक्षिण रेलवे के मुख्यालय तथा मन्डल कार्यालयों की कार्मिक तथा गैर कार्मिक शाखाओं के सभी लिपिकों का हर पांच वर्ष में एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में स्थानान्तरण किया जायेगा;

(ख) क्या यह भी सच है कि मद्रास मंडल की कार्मिक शाखा में सिगनल और दूरसंचार तथा अभियांत्रिक शाखाओं में सी० एस० आई/ई/मद्रास एग्मोर (गैर कार्मिक शाखा) और दक्षिण रेलवे में डी एस टी ई/डब्ल्यू ताम्बरस (वरिष्ठ लिपिक कार्मिक शाखा) में काम कर रहे संवर्ग लिपिकों को पांच वर्ष के बाद भी उन्हीं अनुभागों में रखा गया है ?

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) जिला सिगनल स्पर्श दूर संचार इन्जीनियर/निर्माण/ताम्बरस सहित मद्रास मंडल में सिगनल एवं दूरसंचार तथा यांत्रिक शाखाओं के कार्य से सम्बद्ध कार्मिक शाखा का कोई लिपिक 5 वर्ष से अधिक समय तक उसी विभाग में नहीं रखा जाता।

बहरहाल स्थापना सम्बन्धी मामलों से सम्बद्ध एक गैर-कार्मिक शाखा लिपिक उपरोक्त कार्यालय में कर्मचारी सम्बन्धी कार्यों के मामलों के निपटान के लिए उपयुक्त गैर-कार्मिक लिपिक के उपलब्ध न होने के कारण मुख्य सिगनल निरीक्षक मद्रास एगम्बूर के कार्यालय में 5 वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहा है। दक्षिण रेल प्रशासन को इसे तुरन्त बदलने के लिए कहा गया है। किसी प्रकार की धोखाधड़ी या कदाचार की रिपोर्ट नहीं मिली है।

**प्रधान मन्त्री के विशेष दूतों का पेट्रोलियम निर्यातक देशों का दौरा**

2384. श्रीमती माधुरी सिंह : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री के विशेष दूतों ने पिछले 6 महीनों में विभिन्न पेट्रोलियम निर्यातक देशों के दौरे किए थे ; और

(ख) उचित मूल्यों पर तेल सप्लाई की निश्चित मात्रा की उपलब्धता के बारे में किए गए विशेष दूतों के प्रयासों के क्या परिणाम निकले ?

**विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव)** : (क) और (ख) जी, हां। प्रधान मन्त्री के दूतों ने हाल ही में इराक, संयुक्त अरब अमीरात, वेनेजुएला, इन्डोनेशिया, नाइजीरिया ईरान और सऊदी अरब सहित कई पेट्रोलियम निर्यातक देशों का दौरा किया। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से विकासशील तेल आयातक देशों को तीन श्रेणियों में बांटने के बारे में जो विचार कर रहा है उसके संदर्भ के बारे में भारत की स्थिति स्पष्ट की जाए। तेल सप्लाई की निश्चित मात्रा की उपलब्धता और द्विपक्षीय हित के मामलों पर भी बातचीत हुई। इसके फलस्वरूप भारतीय दृष्टिकोण को कहीं अच्छी तरह समझा गया है परन्तु, दुर्भाग्यवश ईरान-इराक युद्ध के कारण पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, अपने प्रस्तावों को अन्तिम रुप देने और तेल निर्यातक विकासशील देशों की समस्याओं को कम करने के लिए निर्दिष्ट उपाय करने में असमर्थ रहा है।

**बड़ी संख्या में अफगान शरणार्थियों का आगमन**

2385. श्री बी० डी० सिंह
प्रो० अनिल कुमार मेहता ) : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अफगान शरणार्थियों का आगमन जारी है और गत कुछ महीनों में बहुत से लोग भारत पहुंच गए हैं;

(ख) यदि हां, तो भारत में आज तक आये अफगान शरणार्थियों की संख्या कितनी है ; और

(ग) इन शरणार्थियों के साथ निपटने के लिए सरकार ने यदि कोई नीति बनाई है तो वह क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) अफगान राष्ट्रिक पहले की तरह अपने वैध यात्रा दस्तावेजों पर बराबर भारत की यात्रा करते रहे हैं। भारत सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि उनमें कोई शरणार्थी भी हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**अपने उत्पादन में मिलावट करने वाली फर्म**

2386. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह आरोप लगाया गया है कि बहु-राष्ट्रीय विदेशी कम्पनियों की (हिन्दुस्तान लीवर, ब्रिटानिया बिस्कुट, केडबरी इन्डिया, ग्लैक्सो लेबोरेटरीज ब्रुक बांड इन्डिया तथा लिपटन्स इन्डिया नामक उप कम्पनियां अपने उत्पादों में मिलावट कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) यह सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर शीघ्र ही रख दी जायेगी।

**मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथों के लिए आवंटित राशी का उपयोग**

2387. श्री गुफरान आजम : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में 1978, 1979 और 1980 के दौरान राष्ट्रीय राजपथों के लिए आवंटित धनराशी राज्य द्वारा पूरी तरह व्यय की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान कितनी राशी का उपयोग किया गया; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं, और उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

(ग) केन्द्रिय सरकार समय-समय पर खर्चे की समीक्षा करके संबंधित राज्य सरकारों को उचित उपाय करने के लिए लिखती है, ताकि यदि कोई कमी हो तो उसे पूरा किया जाए जिससे उन्हें दी गई धन राशी का पूरा प्रयोग करना सुनिश्चित हो सके।

विवरण

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण पर 1980-81 में अब तक किया व्यय और दी गई धनराशी तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के अनुरक्षण और विकास पर किया गया नियतन और वास्तविक व्यय दिखाने वाला विवरण

(लाख रुपये)

| वर्ष | राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास | | राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण और मरम्मत | |
|---|---|---|---|---|
| | अन्तिम नियतन | वास्तविक व्यय | अन्तिम नियतन | वास्तविक व्यय |
| 1977-78 | 600.00 | 600.62 | 135.04 | 135.69 |
| 1978-79 | 556.00 | 549.32 | 161.87 | 160.79 |
| 1979-80 | 570.00 | 577.01 | 181.17 | 222.97 |
| 1980-81 | 570.00 | 272.01 | 201.36 | 133.55 |
| | (नियतन) | (12/80 तक) | (अब तक दी गई धनराशी) | (12/80 तक) |

नौवहन महानिदेशालय के सेवा के दौरान मर गए अथवा डाक्टरी आधार पर अयोग्य घोषित किये गए कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार

2388. श्री अनवर अहमद : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के नौवहन महानिदेशालय के सेवा के दौरान मर गये अथवा डाक्टरी आधार पर अयोग्य घोषित किये गए कर्मचारियों के आश्रित बच्चों को इस निदेशालय में रोजगार दिया जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे बच्चों की अब तक संख्या क्या है जिन्हें रोजगार उपलब्ध कराया गया है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन बच्चों की उपयुक्त निदेशालय में चयन तो किया जाता है किन्तु उन्हें नौकरी में नियुक्ति नहीं दी जाती; और

(घ) यदि हाँ, तो उन बच्चों को जिन्हें रोजगार उपलब्ध कराया गया है, नौकरी में कब तक लिया जाएगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी हाँ।

(ख) दो अर्थात्

(i) भूतपूर्व चपरासी श्री एस० एस० फकीर का जो सेवावधि में मर गये थे, लड़का श्री ए० आर०/सुलेमान 20-8-73 से वाचमैन नियुक्त किया गया।

(ii) श्री डी० वी० कुंडले, स्टाफ कार ड्राईवर का जो सेवा निवृत्त होने पर मर गये थे, लड़का श्री डी० कुंडले हमाल के पद पर 5 अप्रैल, 1974 से नियुक्त किया गया।

(ग) इनका चुनाव किया गया और इन्हें नौकरी पर विधिवत् लगाया गया।

(घ) प्रश्न नहीं होता।

**दक्षिण मध्य रेल सेवा आयोग का अध्यक्ष**

2389. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या रेलमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने श्री के० एस० तिलक को दक्षिण-मध्य रेल सेवा आयोग के अध्यक्ष पद से 1 जनवरी, 1981 से हटा दिया गया है, जबकि इनकी अवधि पूरी होने में $1\frac{1}{2}$ वर्ष का समय शेष था;

(ख) क्या, सरकार का ध्यान 5 फरवरी, 1981 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि श्री तिलक का बर्खास्तगी जनता प्रशासन के दौरान नियुक्त किए गए ऐसे सभी अधिकारियों को बदलने के लिए रेल मंत्रालय की एक बड़ी योजना का एक हिस्सा है;

(ग) क्या श्री तिलक की बर्खास्तगी समाचार पत्र द्वारा तथाकथित योजना का एक हिस्सा है, और यदि नहीं तो उसके क्या कारण है; और

(घ) जनता शासक के दौरान विभिन्न रेलों में नियुक्त किए गए गैर-सरकारी अधिकारियों के नाम क्या है तथा उन्हें किन पदों पर लगाया गया था ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं। नियुक्ति की शर्तों के अनुसार, श्री के० एस० तिलक की सेवाएं एक महीने के नोटिस के बदले एक महीने का वेतन तथा भत्ते देकर 9-1-81 से समाप्त कर दी गयी थी।

(ख) जी हाँ। किन्तु इस समाचार में कोई तत्व नहीं है।

(ग) जी नहीं। श्री तिलक की नियुक्ति जन-हित में समाप्त की गयी थी।

एक विवरण संलग्न है।

**विवरण**

उन गैर-सरकारी अधिकारी के नाम और पद, जिन्हे जनता शासन के दौरान विभिन्न रेलों पर नियुक्त किया गया था।

| क्र० सं० | गैर-सरकारी अधिकारी का नाम | पद जिस पर नियुक्त थे |
|---|---|---|
| | सर्वश्री | |
| 1. | के० एस० तिलक, भूतपूर्व संसद सदस्य | अध्यक्ष भूतपूर्व रेलवे सेवा आयोग मद्रास/सिकन्दराबाद। |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2. | शंकरराव खरात, उपकुलपति, मराठवाड़ा विश्वविद्यालय | अध्यक्ष, रेल सेवा, आयोग, बम्बई । |
| 3. | एम० पी० के० मेनन, सेवा-निवृत, अपर निदेशक, रेलवे बोर्ड | अध्यक्ष, रेल सेवा आयोग मद्रास |
| 4. | पी० के० पटनायक, सेवा-निवृत, अपर सचिव, लोक सभा | अध्यक्ष, रेल सेवा आयोग, कलकत्ता । |
| 5. | भवेन्द्र नाथ सैकिया, सचिव, गोहाटी विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय भाषा में पाठ्य पुस्तकें तैयार करने वाला समन्वय आयोग | अध्यक्ष रेल सेवा आयोग गौहाटी । |
| 6. | एन० शेषाचलम, सेवा निवृत्त, मुख्य परिचालन, अधीक्षक दक्षिण रेलवे । | सदस्य, रेल दर अधिकरण, मद्रास । |
| 7. | पी० सी० जैन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अर्थ शास्त्र के सेवा निवृत्त प्रोफेसर | सदस्य, रेल दर अधिकरण, मदास । |
| 8. | प्रो० एस०एन० जैदी, भूतपूर्व निदेशक, औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केन्द्र लखनऊ | भारतीय रेलों पर विष विज्ञान और पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए अ० अ० एवं मा० संगठन, लखनऊ में अवैतनिक सलाहकार । |
| 9. | एस० एम० सीकरी, भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायधीश | अध्यक्ष, रेल दुर्घटना जांच समिति । |
| 10. | मुरली मनोहर जोशी, संसद सदस्य, लोक सभा | सदस्य, रेल दुर्घटना जांच समिति । |
| 11. | खुर्शीद आलम खां, संसद सदस्य, राज्य सभा | सदस्य रेल दुर्घटना जांच समिति । |
| 12. | बागाराम तुलपुले, दुर्गापुर इस्पात के भूतपूर्व महाप्रबंधक तथा राष्ट्रीय संरक्षा परिषद् के भूतपूर्व अध्यक्ष । | सदस्य रेल दुर्घटना जांच समिति । |
| 13. | डा० एच० के० परांजये, सदस्य, एम० आर० टी० पी० सी० | अध्यक्ष रेल दर जांच समिति । |

(नोट : प्रश्न के भाग (घ) के प्रयोजन के लिए सेवा निवृत्त कार्मिकों को गैर सरकारी अधिकारी माना जाना चाहिए ।)

मैसर्स वाईमैन मोर्डन इंडिया लिमिटेड द्वारा दायर किये गये दावे के मुकदमें

2390 श्री आर० के० महालगी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स वाईमैन मोर्डन इंडिया लिमिटेड द्वारा वर्ष 1971 से 1973 के बीच मध्य रेलवे के विरुद्ध थाणे न्यायालय (जिला महाराष्ट्र) में लगभग 24 एक ही प्रकार के दावे के मुकदमें दायर किये गये थे;

(ख) क्या यह सच है कि सुनवाई के समय यह निर्णय किया गया था कि कसौटी के रूप में केवल तीन मुकदमों की सुनवाई की जाये और दोनों पक्ष शेष सभी लम्बित मामले में इन मुकद्मों में निर्णय लागू करने को सहमत हुए;

(ग) क्या यह सच है कि जिन तीन मुकदमों में सुनवाई हुई थी उन का निर्णय मैसर्स वाईमैन मोर्डन के पक्ष में हुआ और रेलवे द्वारा दायर की गई अपीलें बम्बई उच्च न्यायलय द्वारा फरवरी, 1978 में बर्खास्त कर दी थी;

(घ) क्या यह सच है कि इस सब के बावजूद, रेलवे ने तीन अपीलों के बारे अथवा अन्य 21 लम्बित मामलों में कोई अदायगी नहीं की है;

(ङ) न्यायलय के निर्णय के अनुसार अदायगी करने में अत्याधिक विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(च) अब आगे विलम्ब किये बिना लम्बे समय से लम्बित दावों के निपटने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : ) (क) जी हां।

(ख) किसी भी पार्टी द्वारा यह वचन नहीं दिया था कि न्यायालय द्वारा विचार किए जा रहे मामलों के सम्बन्ध में न्यायालय का फैसला सभी मामलों के लिए उन पर बाध्यकारी होगा

(ग) जी, हां।

(घ) से (च) न्यायालय द्वारा निर्णित तीन मामलों के संबध में भुगतान कर दिया गया है शेष 21 मामले न्यायाधीन है।

साउथ एवेन्यु सी० जी० एच० एस० औषधालय में दवाओं की अपर्याप्त सप्लाई

2391. श्री राम अवध : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साउथ एवेन्यू स्थिति सी० जी० एच० एस० औषधालय में पिछले एक वर्ष से दवाओं की पर्याप्त सप्लाई नहीं होती है; और

(ख) यदि हां, तो लम्बे समय से चली आ रही स्थिति में सुधार के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) दवाइयों की खेपों के देर से पहुंचने अथवा बाजार में दवाइयों की आम कमी होने के कारण कुछेक दवाइयों की कभी-कभार कमी होने के अलावा साउथ एवेन्यू स्थित औषधालय में किसी दवाई की कमी नहीं है। वैसे, फार्मुलरी में शामिल की गई किसी दवा की कमी के बारे में जब भी रिपोर्ट मिलती है तो उसे प्राप्त करने के उपचारी उपाय किए जाते हैं।

**रेलों के वित्तीय मानक**

2392. श्री चित्त बसु : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० एच० के० परांजये की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा रेलों के वित्तीय मानकों की जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति ने वर्तमान मानकों में कुछ कमियां बताई हैं;

(ग) यदि हां, तो ये कमियां क्या हैं; और

(घ) उन्हें दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेलवे माल भाड़ा, किराये तथा अन्य प्रभारों के ढांचे की जांच करने के लिए डा० एच० के० परांजये की अध्यक्षता में रेल दर जांच समिति गठित की गयी थी। इस समिति ने माल भाड़ा तथा किराये की दरें निर्धारित करने से सम्बन्धित रेलवे की वित्तीय व्यवस्थाओं से सम्बन्धित कई पहलुओं की जांच की थी।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

**इस्लामी सम्मेलन**

2393. श्री चित्त बसु : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में तैफ में हुए इस्लामी सम्मेलन में यरुसलम के मामले में इजराइल का पूर्ण आर्थिक बहिष्कार करने के लिए आह्वान किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जनवरी 1981 में हुई इस्लामी शिखर सम्मेलन में स्वीकृत अन्तिम विज्ञप्ति से यह प्रतीत होता है कि सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों ने इजराइल का आर्थिक बहिस्कार करने की मांग की। इस विज्ञप्ति के संगत अंश में कहा गया है कि : "इजराइल की अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचाने के लिए इस्लामी राज्यों की पूरी आर्थिक

क्षमता और प्राकृतिक साधनों का उपयोग किया जाय, इजराइल को वित्तीय, आर्थिक और राजनैतिक समर्थन बंद किया जाय, फिलिस्तीनी जनता के पक्ष में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति परिवर्तित की जाय और फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन का समर्थन किया जाय।"

(ख) भारत सरकार ने इस्लामी शिखर सम्मेलन द्वारा जारी की गई अन्तिम विज्ञप्ति के संकल्पों को नोट किया है।

**भागलपुर में अंधा बनाये जाने वाली घटनाओं पर बी० बी० सी० फिल्म**

2394. श्री तारिक अनवर
श्री हीरा लाल आर० परमार
श्री अमर राय प्रधान : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भागलपुर में अंधा बनाये जाने वाली घटनाओं पर बी० बी० सी० ने फिल्म बनाने का प्रस्ताव किया था ;

(ख) क्या बी० बी० सी० ने इस सम्बन्ध में भारत सरकार की अनुमति मांगी थी ;

(ग) उन क्षेत्रों तथा व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिस पर फिल्म बनाने की अनुमति मांगी गई थी; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन की जो टेलिविजन टीम महात्मा गांधी पर विशेष दूरदर्शन चित्र तैयार करने के उद्देश्य से 10 जनवरी के आस-पास भारत आई थी, उसने आवेदन करने के समय यह सूचित किया था कि वह भागलपुर में कैदियों को अंधे किए जाने की घटना पर एक विशेष दूरदर्शन चित्र बनाना चाहती है। परन्तु उस समय इस संबंध में कोई ब्यौरा नहीं दिया गया था।

(घ) 21 जनवरी, को इस दल को यह सूचित किया गया कि भागलपुर की इस घटना को पश्चिम के प्रचार माध्यमों द्वारा बहुत ज्यादा प्रकाशित तथा प्रदर्शित किया जा चुका है और इन घटनाओं के बारें में अब और प्रकाशित तथा प्रदर्शित करने से, भारत का अत्यधिक नकारात्मक प्रचार होगा, जिससे बचा जा सकता है। इसके बाद बी० बी० सी० की इस टीम ने स्वयं ही भागलपुर की इस घटना पर चित्र न बनाने का निर्णय लिया, जबकि पहले उसने इसे तैयार करने की योजना बनाई थी।

**दिल्ली फार्मेसी परिषद द्वारा पंजीकृत व्यक्ति**

2395. श्री निहाल सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली फार्मेसी परिषद द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कितने व्यक्तियों को पंजीकृत किया गया है और किन नियमों के अन्तर्गत;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली में ऐसे गैर-सरकारी फार्मेसी स्कूल चल रहे हैं जो आयुर्वेदिक, ऐलोपैथिक और होम्योपैथिक औषधि प्रणाली में पंजीकरण करने का काम कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा करने में उनके द्वारा किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है ?

**स्वास्थ्य और परिवार/कल्याण राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) दिल्ली फार्मेसी परिषद ने फार्मेसी अधिनियम, 1948 के अधीन पिछले तीन वर्षों में निम्नलिखित व्यक्तियों को पंजीकृत किया है :—

1978 —पंजीकृत किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या : 405 [धारा 32 (ख) के अधीन —212, धारा 32 (2) के अधीन 193]

1979 —पंजीकृत किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या : 547 [सभी व्यक्ति धारा 32(2) के अधीन]

1980-81—पंजीकृत किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या 275 [सभी व्यक्ति धारा 32 (2) के अधीन]

(ख) ऐसा कोई मामला दिल्ली प्रशासन के ध्यान में नहीं आया है ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

## पुणे स्टेशन

2396. **श्री आर० के० महालगी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन का ध्यान दैनिक तरुण भारत,पुणे (महाराष्ट्र) के 16 तथा 17 सितम्बर,···1980 के संस्करणों में रेलवे कर्मचारियों तथा रेल यात्रियों द्वारा पुणे स्टेशन पर अनुभव की जा रही असुविधाओं के बारे में डा० ए० डी० लेले, विधायक, महाराष्ट्र के दो लेखों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो रेल प्रशासन की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) उक्त लेखों में उल्लिखित प्रत्येक शिकायत एवं सुझाव पर क्या कार्रवाई की गई है अथवा की जानी है; और

(घ) यदि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है तो उनके बारे में क्या कठिनाइयां हैं ?

**रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) जी हां ।

(ख) लेख में उल्लिखित मुख्य मुद्दों पर मध्य रेल प्रशासन ने पहले ही आवश्यक कार्रवाई कर दी है ।

(ग) एक विवरण संलग्न है

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

| उठाये गये मुद्दे | | की गई कार्रवाई |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | प्लेटफार्मों पर धुलाई योग्य एप्रेन लाइन नं० 3 और 4 | प्लेटफार्म लाइन न० 4 पर एप्रेनों की व्यवस्था है। धन की उपलब्धता होने पर अन्य प्लेटफार्मों पर धुलाई योग्य एप्रेनों की व्यवस्था करने पर विचार किया जायेगा। |
| 2. | बुकिंग कार्यालय आदि में अप्रर्याप्त स्थान | वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त समझी जाती है। धन की उपलब्धता होने पर पुनः व्यवस्था करने पर विचार किया जायेगा। |
| 3. | नकदी ले जाते समय रेलवे सुरक्षा बल द्वारा सुरक्षा | वर्तमान व्यवस्था काफी अच्छी समझी जाती है। |
| 4. | वी० आई० पी० साइडिगों पर शौचालय की सुविधाएं | गलत उपयोग के डर से कार्रवाई करना ठीक नहीं समझा गया। |
| 5. | कुलियों के लिए शेड सुविधाएं आदि | एक छतदार शेड की व्यवस्था करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। |
| 6. | अल्पहार गृहों में अल्पहार की मदों और कर्मचारियों की अपर्याप्तता | वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त समझी जाती है। |
| 7. | टिकट जांच करने वाले कर्मचारियों की अपर्याप्तता | इस समय, टिकट जांच करने की व्यवस्था पर्याप्त समझी जाती है। |
| 8. | कर्मचारियों को वेतन के भुगतान करने में कमी | कर्मचारियों के लिखित रूप में देने से चैक द्वारा भुगतान करने की व्यवस्था की जा सकती है। |
| 9. | पूछताछ घर में अपर्याप्त प्रबन्ध | एक अतिरिक्त डाक एवं तार फोन और अतिरिक्त पूछताछ लिपिक की व्यवस्था करने पर विचार किया जा रहा है। |
| 10. | हमालों के लिए वार्दियां | वर्तमान वर्दी विनियमों के अनुसार हमाल वर्दी पाने के हकदार नहीं हैं, लेकिन यानान्तरण शेडो में काम करने वाले हमालों को सुरक्षात्मक कपड़ों के रूप में ऊनी जर्सी दी जाती है। आराम कक्ष की व्यवस्था करने पर विचार किया जा रहा है। |

| 1 | 2 | |
|---|---|---|
| 11. | अनुरक्षण कर्मचारियों के पास अपर्याप्त सामान | प्रत्येक गाड़ी परिक्षक डिपों में अनुरक्षण स्टाक के लिए नियमित उपाय के रूप में अपेक्षित फालतू पुर्जों का स्वीकृत सुरक्षित भंडार रहता है। अन्य मदें विशेष मांग पर प्राप्त की जाती हैं और पर्याप्त मात्रा में स्टाक कर ली जाती हैं। स्टाक की गई मदों की पुनः प्रतिपूर्ति की नियमित प्रक्रिया है और आपात स्थिति में ये मदें नियन्त्रण कार्यालयों में गाड़ी परीक्षकों की सहायता से भंडार अथवा समीपस्थ सवारी और माल डिब्बा डिपुओं से भी सप्लाई की जाती हैं। कुछ ऐसे अवसर होते हैं जहां व्यापार/ठेकों की चूक के कारण कुछ मदें स्टाक में उपलब्ध नहीं होती, लेकिन अन्य डिपों से तत्काल सहायता ली जाती है। रेलपथ के अनुसरण के लिए प्रयोग लाया जाने वाला रेलपथ का सामान प्रत्येक रेलपथ निरीक्षण के पास पर्याप्त मात्रा में रहता है। स्टाक की नियमित रूप से प्रतिपूर्ति कर ली जाती है। प्रायः सामान की कोई कमी नहीं है। |
| 12. | रनिंग रूमों को सज्जित करना | रनिंग रूम पर्याप्त रूप से सज्जित। |
| 13. | टाडीवाला कर्मचारी कालोनी को पहुंच मार्ग | वर्तमान व्यवस्थाएं पर्याप्त समझी जाती है। |

रेलवे बुक स्टाल

2397. **श्री कमला मिश्र मधुकर :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलों में बुक स्टाल रखने के लिए एकाधिकार प्राप्त तथा बेरोजगार स्नातकों आदि को समान माना जाता है यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या रेलवे का प्रस्ताव बिना किसी पूर्व अनुमति के पांच बुक स्टालों से आगे बेरोजगार स्नातकों के समूह/सोसायटियों/संगठनों/साझेदारी के किसी अनुरोध पर विचार करने का है; और

(ग) क्या यह सच है कि तत्कालीन रेल मन्त्री ने 22 मार्च, 1974 को 1974-75 के लिए अनुदान की मांगों के दौरान लोक सभा में इस बात की पुष्टि की थी कि वहां एकाधिकार यूनिटों के स्थान पर बेरोजगार स्नातकों का समूह होना चाहिए ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं। कोई भी एकाधिकार धारक नहीं है।

(ख) जी हां इस नीति पर पुनर्विचार किया गया है और क्षेत्रीय रेलों को मन्त्रालय का अनुमोदन प्राप्त किये बिना, बेरोजगार स्नातकों की सहकारी समितियों और एसोसिएशनों तथा सहकारी समितियों के वास्तविक कार्यकर्त्ताओं/बेन्डरों को पांच से अधिक बुक स्टाल आंवटित करने के अधिकार दिये गये हैं।

(ग) तत्कालीन रेल मन्त्री ने इस बात को दोहराया था कि बुक स्टालों का आंवटन करते समय बेरोजगार स्नातकों को तरजीह दी जाएगी। इस नीति का अनुपालन किया जा रहा है।

अवतार नगर रेलवे स्टेशन के यात्रियों की कठिनाइयां

2398. प्रो० सत्यदेव सिंह : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के छपरा और सोनपुर रेलवे स्टेशनों के बीच अवतार नगर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की कठिनाइयां दूर करने और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उनको जन सभा का एक संकल्प प्रस्तुत किया गया था;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जाँच की गई थी और यूनिट द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर जन सभा की मांग को अस्वीकार कर दिया गया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस स्टेशन का विकास करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जन सभा से कोई संकल्प प्राप्त नहीं हुआ था। किन्तु, माननीय सदस्य से उस समाचार की एक प्रति, जो आर्यावर्त, पटना में छपा था, प्राप्त हुई थी।

(ख) और (ग) अवतार नगर की फ्लैग स्टेशन की क्रासिंग स्टेशन में बदलने के प्रस्ताव की जांच की गई थी किन्तु परिचालनिक दृष्टि से उसका औचित्य नहीं पाया गया। वर्तमान यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस फ्लैग स्टेशन पर पर्याप्त कर्मचारी हैं और यहां आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।

कोयले की तस्करी

2399. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि कोयला पटसन के थैलों में भरा जाता है और उसके

बाद हजारों टन में रेल वैगनों पर चढ़ाया जाता है और मिट्टी के नाम पर इसकी तस्करी की जाती है;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि दक्षिण पूर्वी रेलवे तथा पूर्वी रेलवे के अनेक रेलवे स्टेशनों में इस कोयले की तस्करी की जा रही है; और

(ग) रेल प्राधिकारियों से तस्करों को कोयले के इतने वैगन कैसे प्राप्त हो र हेहैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कार्मिक निरीक्षक

2400. श्री समर मुखर्जी : क्या रेल मन्त्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दक्षिण रेलवे में 425-640 रुपये के वेतनमान वाला कार्मिक निरीक्षक का पद केडरेतर चयन पद के रूप में वर्गीकृत है और चयन में आरम्भिक ग्रेड में कनिष्टतम लिपिक के नाम पर भी विचार किया जाता है जबकि अन्य रेलों में यह पद केडर चयन पद के रूप में वर्गीकृत है तथा चयन में अगले निचले ग्रेडों के वरिष्टतम उम्मीदवारों के नाम पर ही विचार किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इस असंगति को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे में 425-640 रु० के वेतनमान मेंकार्मिक निरक्षक के पद के लिए चयन में प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के बारे में कर्मचारियों से शिकायतें प्राप्त होने पर सक्षम अधिकारी ने चयन बोर्ड की सिफारिश स्वीकार नहीं की तथा न चुने गए उम्मीदवारों के लिए मौखिक परीक्षा दूसरी बार ली गई; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय रेल प्रतिष्ठान संहिता के नियम 212(क) के अनुसार नया चयन बोर्ड बना कर नये सिरे से चयन लिपिक परीक्षा न लिए जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां। लेकिन नियम के अन्तर्गत दूसरी रेलों से समानता की आवश्यकता नहीं है।

(ख) इसमें कोई विसंगति नहीं है।

(ग) और (घ) अनन्तिम पैनल के प्रकाशित होने पर, शिकायतें मिली थीं कि मौखिक परीक्षा में कुछ वरिष्ठों की उपेक्षा कर दी गयी है। महाप्रबन्धक ने अपने अधिकारों के अन्तर्गत मौखिक परीक्षा का पुनरीक्षण करने का आदेश दिया था जो किया जा चुका है और अब अन्तिम पैनल अधिसूचित कर दिया गया है।

———

## विशेषाधिकार आदि के प्रश्न के बारे में

**कुछ माननीय सदस्य उठ खड़े हुए।(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया बैठ जाइये । मैं एक-एक करके आपकी बात सुनूंगा । **(व्यवधान)** मैं एक-एक करके अनुमति दूंगा ।

**प्रो० के० के० तिवारी** (वक्सर) : महोदय, मैंने श्री ज्योतिर्मय वसु के विरुद्ध उनके द्वारा दिए गये एक वक्तव्य के बारे में एक विशेषाधिकार की सूचना दी है···

**अध्यक्ष महोदय :** वह मेरे विचाराधीन है···मैंने तथ्य मंगाये हैं ।

**प्रो० के० के० तिवारी :** कैसा विचार ?

**श्री एडुआर्डो फैलीरो** (मारमागाओ) : कितने समय तक ?

**प्रो० के० के० तिवारी :** **उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है···(व्यवधान)

**श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** (कलकत्ता-दक्षिण) : क्या···शब्द संसदीय है ?

**श्री एडुआर्डो फैलीरो :** गत दिवस इस सदन में यह कहा गया था कि इस सदन के एक सदस्य ने अर्थात् श्री ज्योतिर्मय बसु ने चीन के विदेश मन्त्री को सूचना दी है ।···

**अध्यक्ष महोदय :** इस पर विचार हो रहा है···(व्यवधान)

**श्री एडुआर्डो फैलीरो :** एक संसदीय समिति नियुक्त की जानी है । आपने क्या किया है ? **(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय :** अब नहीं । मैं इस पर विचार करूंगा । यह मेरे विचाराधीन हैं । मैं इसे देखूंगा ।

**श्री एडुआर्डो फैलीरो :** यह कितने समय तक विचाराधीन रहेगी ?

**श्री ज्योतिर्मय बसु** (डायमंड हार्बर) : मैं एक व्यक्तिगत वक्तव्य देना चाहूंगा । मैंने विदेश मन्त्री को एक पत्र लिखा था···(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** अनुमति नहीं है···(व्यवधान) मुझे कुछ नहीं कहना है ।

**श्री ज्योतिर्मय बसु :** महोदय, आप इस पर ध्यान दीजिए । जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है वह नियम 353 का उल्लंघन करती है···

**अध्यक्ष महोदय :** बसु जी, मैं इस पर आपसे स्पष्टीकरण देने के लिए कहूंगा ।··· **(व्यवधान)** देखिए, यह कोई सही तरीका नहीं है । मैं अनुमति नहीं दे सकता···(व्यवधान)*मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।···(व्यवधान) कृपया बैठ जाएं । मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलत न किया जाए । श्री यादव ।

---

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया ।

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया

**श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** (मधेपुर) : बीकानेर मेल में डकैतियों और हत्याओं के समाचार प्रकाशित हुए हैं।···

**अध्यक्ष महोदय** : उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।···यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** (बम्बई उत्तर-पूर्व) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 353 का उल्लंघन हुआ है। हम सब यहां बैठे थे और श्री तिवारी अभी खड़े हुए और श्री ज्योतिर्मय बसु को···पुकारा**

यह तो स्पष्ट रूप से असंसदीय है(**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस पर विचार करूंगा।

**प्रो० मधु दण्डवते** (राजापुर) : कृपया इसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दीजिये। (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया बैठिए। मैं रिकार्ड में देखूंगा। यदि इसमें कोई बात असम्मानजनक हुई तो मैं इसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दूंगा···मैं इसे देखूंगा।

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : महोदय क्या किसी को** कहना संसदीय है ?

**अध्यक्ष महोदय** : मैं अपना विनिर्णय दे चुका हूं···मैं रिकार्ड देखूंगा···(**व्यवधान**)

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : आप किसी को** कैसे कह सकते हैं ? आप इसे कैसे सह सकते हैं ? क्या आपने इसे नहीं सुना ? (**व्यवधान**)*

**अध्यक्ष महोदय** : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में नहीं जा रहा है।

**श्री के० मायाण्डेवर** (डिन्डिगल) : मेरा एक सामान्य सा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा दिए गए भाषण में, माननीय सदस्य तथा अन्य माननीय सदस्यों के बीच वाग्युद्ध में, इस सदन के एक बहुत ही वरिष्ठ और जिम्मेवार सदस्य ने उन्हें** पुकारा। मैं यह जानना चाहता हूं·····

**अध्यक्ष महोदय** : जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, कोई भी अपमानजनक बात कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं की जायेगी।

**श्री के० मायातेवर** : उन्होंने उन्हें ** कहकर पुकारा है। (**व्यवधान**) यह असंसदीय भाषा है।

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया बैठ जाइये। अगर अपशब्द बोलने से बात बनती तो लोग पता नहीं कितनी बात बना लेते। इससे कोई बात नहीं बनती। जो सच्चाई है सच्चाई रहेगी। जो सच्चाई नहीं है वह सच्चाई नहीं हो सकती। मुझे तथ्यों को देखना होगा। मुझे उनका पता लगाना

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

होगा । जो कुछ भी किसी सदस्य के लिए अपमानजनक है उसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** उठ खड़े हुए । (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : बसु जी, कृपया बैठ जाईये ।

**श्री कमलनाथ** उठ खड़े हुए ।

**अध्यक्ष महोदय** : कमलनाथ जी, मैं अपना विनिर्णय दे चुका हूं। आप इस सदन को उत्तेजित करने का प्रयास क्यों करते हैं ? (व्यवधान)

**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : अध्यक्ष जी, आज के अखबारों में खबर छपी है···

**अध्यक्ष महोदय** : खबरें तो छप सकती हैं । (व्यवधान) यह मेरे और श्री शास्त्री के बीच की बात है ।

**श्री कमलनाथ** (छिंदवाड़ा) : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं ।

**अध्यक्ष महोदय** : कोई निवेदन नहीं सुना जायेगा । मैं श्री शास्त्री को अनुमति दे चुका हूं ।

**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : इस तरह की खबरें आ रही हैं कि फारेन एक्सचेंज का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है ।

**अध्यक्ष महोदय** : आपको इसके बारे में कोई प्रस्ताव लाना होगा । इस तरह नहीं चलेगा । आप इसे इस सदन में नहीं उठा सकते हैं । इसकी अनुमति नहीं है ।

**श्री देवीलाल** (सोनीपत) : अध्यक्ष जी, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है ।(व्यवधान)

**श्री रामविलास पासवान** (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, हरियाणा में किसानों पर जुल्म ढह रहा है । एक किसान को पुलिस द्वारा मार दिया गया है···

**अध्यक्ष महोदय** : कोई दूसरा तरीका अपनाइये जिससे आप यहां किसानों की बात उठा सकें ।

**श्री जार्ज फर्नान्डीस** (मुजफ्फरपुर) : एक किसान ने तीन हजार रुपया गोबर गैस प्लांट के लिए कर्जा लेकर वापिस नहीं किया । उसकी गिरफ्तारी हुई और पुलिस लाकअप में मार दिया गया । यह कल की घटना है । आप इस पर विचार नहीं करेंगे तो किस पर विचार करेंगे ?

केवल 3000 रुपये के लिए उन्होंने कल जेल में एक किसान की हत्या कर दी । (व्यवधान)

**श्री कमलनाथ** : यह विशेषाधिकार का मामला है । इससे सदन में आकोश फैल रहा है । मेरा आपसे निवेदन है कि आप शीघ्रता से निर्णय दें । यह एक भावात्मक मामले से सम्बद्ध है । (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया बैठ जाइये । इसकी अनुमति नहीं है ।

**श्री देवीलाल** : एक किसान पर तीन हजार का कर्जा गोबर गैस प्लांट का था, पुलिस के लाक-अप में उसको मार दिया गया···

**अध्यक्ष महोदय** : यह स्थगन प्रस्ताव नहीं है। किसी भी बात की अनुमति नहीं है।

**श्री जार्ज फर्नान्डीस** : प्रश्न किसी स्थगन प्रस्ताव का नहीं है। आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं यह नहीं कहता कि आप एडजर्नमेंट मोशन को स्वीकार ही करें लेकिन जब ऐसी घटनायें इस देश में घटती जा रही हैं तो इस सदन में तुरन्त उसपर चर्चा होनी चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : जब ठीक ढंग से कोई मोशन आयेगा तभी कुछ हो सकता है।

**श्री जार्ज फर्नान्डीस** : फिर हम आपसे मिलकर बात कर लेंगे। (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : अब पत्र सभापटल पर रखे जायेंगे। श्री नरसिंह राव।

---

## सभा पटल पर रखे गए पत्र

### पारपत्र अधिनियम के अधीन अधिसूचना

**संसदीय कार्य और निर्माण तथा आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह)** : मैं अपने सहयोगी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

"पारपत्र अधिनियम, 1967 की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत पारपत्र नियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 11 दिसम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 691 (ङ) में प्रकाशित हुए थे तथा उनका एक शुद्धि-पत्र जो दिनांक 7 फरवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 50 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।" [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 1998/81] (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : पाटिल जी, आप अपने लोगों पर नियन्त्रण क्यों नहीं रखते ?

### डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम और वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम के अधीन अधिसूचना

**नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 की धारा 8क के अंतर्गत बम्बई डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 31 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 384 में प्रकाशित हुई थी। [ग्रन्थालय में रख गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 1999/81]

(2) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत नौवहन विकास निधि (ऋण तथा अन्य वित्तीय सहायता) नियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 3 फरवरी, 1981 के

भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 44 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2000/81]

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटासिंह)** : मैं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 9 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग (स्थायी पुलों के प्रयोग के लिये शुल्क) संशोधन नियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 5 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० आ० 11 (ङ) में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2001/81]

**केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, तस्कर और विदेशी मुद्रा दल-साधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम और औषधीय और प्रसाधन निर्मितयां (उत्पाद शुल्क) अधिनियम के अधीन अधिसूचनाएं।**

**वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकट रामन)** मैं अपने सहयोगी श्री मगनभाई बारोट की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (दो) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (पांचवां संशोधन) नियम, 1981 जो 21 फरवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 206 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (छठा संशोधन) नियम, 1981 जो दिनांक 21 फरवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 207 से प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2002/81]

(2) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 79 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 26 फरवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा दिनांक 13 नवम्बर, 1980 की अधिसूचना संख्या 254-सीमाशुल्क के अधिक्रमण में रूसी रूबल को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को रूसी रूबल में बदलने की पुनरीक्षित विनियम दर के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2003/81]

(3) तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 की धारा 26 की उपधारा (3) के अंतर्गत समपहृत सम्पत्ति के लिए अपीलीय न्याय-धिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 15 नवम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1977 में प्रकाशित हुए थे।

(4) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2004/81]

(5) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 91 (ङ) से 128 (ङ) और सा० सां० नि० 130 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति जो दिनांक 1 मार्च, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा लोक सभा में 28 फरवरी, 1981 को वित्त मंत्री द्वारा घोषित अप्रत्यक्ष करों संबंधी बजट प्रस्तावों के संदर्भ में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में परिवर्तनों और छूटों के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2005/81]

(6) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 131 (ङ) से 166 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति जो दिनांक 1 मार्च, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा लोक सभा में 28 फरवरी, 1981 को वित्त मंत्री द्वारा घोषित अप्रत्यक्ष करों संबंधी बजट प्रस्तावों के सन्दर्भ में सीमाशुल्क परिवर्तनों और छूटों के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2006/81]

(7) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सातवां संशोधन) नियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 1 मार्च, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 129 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2007/81]

(8) औषधीय और प्रसाधन निर्मितयां (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1955 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत औषधीय और प्रसाधन निर्मितयां (उत्पाद शुल्क) संशोधन नियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 1 मार्च, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 167 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2008/81]

**आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग के गठन के बारे में सरकारी संकल्प।**

**रक्षा मन्त्रालय में ज्यरा मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल)** : मैं आर्थिक प्रशासन सुधार

आयोग के गठन के बारे में दिनांक 5 मार्च, 1981 का सरकारी संकल्प संख्या 6/3/1/81—सी० ए० बी० सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2039/81]

**श्री हीरालाल आर० परमार** (पाटव) : अध्यक्ष महोदय, मैं गुजरात के बारे में यहां पर 17 तारीख को कह चुका हूं। मैं डिस्ट्रिक्ट प्लेस में रहता हूं, जहां एक लाख की आबादी है, जहां कलैक्टर है, जहां डी० एल० पी० है···

**अध्यक्ष महोदय** : यह सवाल तो ऐसे नहीं उठेगा।

**श्री हीरालाल आर० परमार** : मेरे खिलाफ वहां आन्दोलन चल रहा है। मेरा मकान और दुकान सब जला दिया।

**अध्यक्ष महोदय** : परमार साहब, ऐसे कोई सवाल नहीं उठेगा। कोई बात करके मोशन दीजिए, मैं उसको कर दूंगा।(**व्यवधान**)···परमार साहब, आज शाम को छः बजे डिवेट होगी। उस वक्त जो आपकी मर्जी हो बोल सकते हैं। आप क्यों नहीं समझते हैं—बोर्ड पर जो लिखा होता है उसको पढ़कर आते हैं या नहीं ? (**व्यवधान**)

**श्री कमल नाथ** (छिंदवाड़ा) : श्रीमान्, मैं नियम 225 के पैरा 3 का उल्लेख करता हूं जिसमें निम्न प्रकार कहा गया है :

> "परन्तु यह और भी कि अध्यक्ष का विषय की अविलम्बनीयता के सम्बन्ध में समाधान हो जाये तो वह प्रश्नों के निबटाये जाने के बाद बैठक के दौरान किसी भी समय विशेषाधिकार प्रश्न उठाये जाने की अनुमति दे सकेगा।"

**अध्यक्ष महोदय** : अनुमति नहीं दी जाती है।

**श्री हरिकेश बहादुर** (गोरखपुर) : अध्यक्ष जी, "जनवार्ता" के सम्पादक को बुरी तरह से पीटा गया···

**अध्यक्ष महोदय** : इसको आप नियम 377 में दीजिए।

**श्री रशीद मसूद** (सहारनपुर) : अध्यक्ष महोदय, कल कहा गया था कि मेरा स्थगन प्रस्ताव विचाराधीन है···

**अध्यक्ष महोदय** : आ जाएगा।(**व्यवधान**)** मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।(**व्यवधान**)

**श्री एडुआर्डो फैलीरो** (मरमागाओ) : श्रीमान्, माननीय सदस्य के व्यवहार की जांच करने के लिए एक संसदीय समिति को नियुक्त करने की मांग करता हूं। उस पर आपका क्या निर्णय है ?

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, नहीं, कुछ नहीं। यह विचाराधीन है।

---

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

## वित्त मंत्री द्वारा दी गई कुछ जानकारी के बारे में निदेश 115 के अधीन सदस्य द्वारा वक्तव्य

**प्रो० मधु दण्डवते** (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निदेश 115 के अधीन निम्नलिखित वक्तव्य देता हूं :

"सदस्यों द्वारा 23 फरवरी, 1981 को जीवन बीमा निगम (संशोधन) विधेयक 1981 के पुरःस्थापन का विरोध करते हुए उठाये गये मुद्दों का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री श्री आर० वेंकटरामन ने सभा को बताया था कि जीवन बीमा निगम के श्रेणी तीन और श्रेणी चार कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते के भुगतान के मामले में सरकारी कर्मचारियों और सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के समान नहीं बल्कि रिजर्व बैंक के कर्मचारियों के समान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में चार अंकों की वृद्धि के लिए 15.80 रुपये की अधिकतम सीमा पर भत्ता दिया गया है।

वित्त मंत्री का यह वक्तव्य गलत और गुमराह करने वाला है। जीवन बीमा निगम के श्रेणी तीन और श्रेणी चार के कर्मचारियों के मामले में अधिसूचना द्वारा नियत किया गया मंहगाई भत्ता रिजर्व बैंक के श्रेणी तीन और श्रेणी चार कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते के बराबर नहीं होगा, जिसके लिए अधिकतम सीमा 15.80 रुपये नहीं बल्कि 25.30 रुपये है।

वस्तुतः जीवन बीमा निगम के श्रेणी तीन और श्रेणी चार के कर्मचारियों का प्रस्तावित नया भत्ता राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के भत्ते, जो कि अधिकतम 15.80 है, के समान होगा। इसलिये मैं वित्त मंत्री से स्थिति स्पष्ट करने तथा 23 फरवरी, 1981 को सभा में अपने पहले के गुमराह करने वाले वक्तव्य को सही करने के लिए एक वक्तव्य की मांग करता हूं।"

**वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन)** : सम्मानित सदस्यों को वह संदर्भ याद होना जिसमें मैंने जीवन बीमा निगम के तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते की अधिकतम सीमा का उल्लेख किया था।

मैं विभिन्न क्षेत्रों में इस समय लागू मंहगाई भत्ते की विभिन्न दरों के बारे में मोटे तौर पर सभा को बता रहा था अर्थात् बहत से सरकारी क्षेत्र के संगठनों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में एक पाइंट की वृद्धि पर 1.30 रुपये देने का औद्योगिक मंहगाई भत्ता सूत्र लागू होता है जो प्रत्येक 4 पाइंट की वृद्धि के लिए 5.20 रुपये आता है। सरकारी कर्मचारियों के मामले में मंहगाई भत्ते की दर 1.50% है और भारतीय रिजर्व बैंक तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में मंहगाई भत्ते की दर चार पाइंट की वृद्धि के लिये 1.58% भत्ता है जो सबसे अधिक है।

चूंकि भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों में मंहगाई भत्ते की दर समान ही है, यानी कि प्रत्येक 4 पाइंट की वृद्धि हो जाने पर 1.58 प्रतिशत है, इसलिये मैंने अपने उत्तर में दोनों को एक साथ रखा था। इस से माननीय सदस्यों को ऐसा लगा कि मंहगाई भत्ते की 15.80 रुपए की अधिकतम सीमा भारतीय रिजर्व बैंक पर भी लागू होती है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के 1099 रुपए तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ते की

[ श्री आर० वेंकटरामन ]

अधिकतम सीमा 15.80 रुपए है। चूंकि जीवन बीमा निगम के तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों का अधिकतम वेतन 920 रुपये है इसलिये मैंने अपने वक्तव्य को उसी श्रेणी तक सीमित रखा।

**श्री सुनिल मैत्रा** (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : वित्त मंत्री महोदय, यह गलत वक्तव्य है। यह वाद-विवाद करने की बात नहीं है। मैं आप से अपील कर रहा हूं। इस पर विचार कीजिए। आप को गलत जानकारी दी गई है।

**श्री आर० वेंकटरामन** : आखिरकार हमें अनुदेश मिल चुके हैं। मुझे अनुदेश मिल चुके हैं। और मैं कहता हूं कि 1100 रु० तक रिजर्व बैंक के कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ता 15.80 रु० की अधिकतम राशि तक विर्धारित किया गया है। जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों का अधिकतम वेतन 920 रु० है। इसलिए रिजर्व बैंक के कर्मचारियों को देय अधिकतम मंहगाई भत्ता उनको दिया गया है।

**श्री सुनिल मैत्रा** : रिजर्व बैंक के कर्मचारियों का 1099 रु० का वेतन वर्तमान मूल वेतन का 90% मिलने के बाद हुआ है।

**श्री आर० वेंकटरामन** : आप एक अन्य स्पष्टीकरण की मांग कर सकते हैं और मुझे आगे अवसर मिलेगा। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया कोई वाद-विवाद न कीजिए।

**श्री आर० वेंकटरामन** : मैं अपना वक्तव्य पूरा करूंगा। (व्यवधान) आप आगे स्पष्टीकरण का भी मांग कर सकते हैं।

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** (बम्बई उत्तर पूर्व) : आप को किस से अनुदेश मिला ?

**श्री आर० वेंकटरामन** : रिजर्व बैंक से।

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : रिजर्व बैंक से ? आपके लिए शर्म की बात है···

**श्री आर० वेंकटरामन** : श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी एक वकील नहीं है। श्री सोमनाथ चटर्जी एक वकील हैं। उसे मालूम हो जायेगा कि 'अनुदेश प्राप्त करने' का अर्थ 'जानकारी प्राप्त करना' है। उसे मालूम नहीं है; वह एक वकील नहीं है; इसलिए वह पूछ रहे हैं।

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : मैं एक वकील नहीं हूं। मैं एक सांसद हूं। मैं संसद की गरिमा बनाये हुए हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : वकीलों की निन्दा करने का प्रयास मत कीजिए।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : केवल मंत्रियों को अनुमति है; परन्तु फैलीरों सरकारी दीर्घा में जा चुके हैं और अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और विषय की जानकारी कर रहे हैं जो नियमों के विरूद्ध है। (व्यवधान)

**श्री आर० वेंकटरामन** : मुझे वक्तव्य समाप्त करने दें। आप दूसरा निदेश 115 भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारी बोनस या अनुग्रह पूर्वक अदायणियों के पात्र नहीं है। चूंकि मेरे वक्तव्य से माननीय सदस्यों को ऐसा प्रतीत हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक के 1100 रु० से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते को भी 15.80 रु० की अधिकतम राशि तक सीमित कर दिया गया है। मैं वक्तव्य के उस भाग को ठीक करना चाहूंगा। धन्यवाद।

**श्री सुनील मैत्रा :** श्रीमान् क्या मुझे अनुमति है ?

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया लिखित रूप में दीजिए श्री वेंकटरामन, अब हम मद सं० 7 को लेते है।

---

## अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1980-81

**वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) :** मैं वर्ष 1980-81 के बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

---

## अनुदानों की अतिक्ति मांगें (सामान्य), 1977-78

**वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) :** मैं वर्ष 1977-78 के बजट (सामान्य) के सम्बन्ध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

जीवन बीमा निगम अधिनियम के संबंध में अध्यादेश की उद्घोषणा करना जिन परिस्थितियों में आवश्यक हो गया मैं उनको स्पष्ट करने के लिये कुछ तथ्यों को सभा के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा।

**अध्यक्ष महोदय :** आपने विवरण को सभापटल पर रखना है।

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :** (बम्बई उत्तर-पूर्व) : श्रीमान, वह इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं।

**श्री आर० वेंकटरामन :** मेरा निवेदन है कि मैं सभा के समक्ष कुछ तथ्य रखना चाहूंगा।

**अध्यक्ष महोदय :** हम उस पर सामान्य वाद-विवाद कर सकते हैं। यह ठीक है।

---

## अनुदानों को अतिरिक्त मांगे (सामान्य), 1978-79

**वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) :** मैं वर्ष 1978-79 के बजट (सामान्य) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मागों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ श्री आर० वेंकटरामन ]

यह अनुदानों की अतिरिक्त मांगों के बारे में है जिन्हें लोक लेखा समिति द्वारा प्रमाणित किया गया है और उस पर कोई वाद-विवाद नहीं होना है क्योंकि इसकी स्वीकृति प्रदान की जा चुकी हैं और इसलिए इसे पेश किया गया समझा जाए ।

**अध्यक्ष महोदय :** अब नियम 377 के अधीन मामले ।

---

## नियम 377 के अधीन मामले

### (एक) मध्य प्रदेश में जावरा और महेन्द्रपुर रोड स्थित चीनी कारखानों द्वारा किसानों को बकाया राशि का भुगतान

**श्री सत्यनारायण जटिया** (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के जावरा तथा महेंद्र पुर रोड के शक्कर कारखानों ने किसानों को उनके गन्ने की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है तथा मिल की और कर्मचारियों का पिछला वेतन और भत्ते बाकी हैं। सरकार ने जब मिलों का अधिग्रहण किया था तब यह घोषणा की थी कि किसानों को उनके गन्ने की बकाया राशि का इसी वर्ष भुगतान किया जायेगा, किन्तु अब शक्कर कारखानों ने उत्पादन बन्द कर दिया है। क्षेत्र में खांडसारी मिलें चालू हैं। अब भी किसानों के खेतों में गन्ना खड़ा है। प्रदेश में सभी शक्कर कारखानों पर गन्ने की खरीद का भाव एक समान नहीं है। बरलोई को सहकारी शक्कर कारखानों ने गन्ने की अधिक कीमत का भुगतान किया है जबकि अन्य कारखानों पर भाव कम कर दिये गये हैं। किसानों को उपयुक्त मूल्य देकर कारखाने 15 दिन और चलाये जा सकते हैं और उत्पादन बढ़ाया जा सकता है।

अतएव मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि किसानों की बकाया राशि का ब्याज सहित भुगतान शीघ्र किया जाय तथा कर्मचारियों को उनका पिछला वेतन और भत्ते का भुगतान करने की व्यवस्था करें ।

### (दो) पश्चिमी बंगाल में डाक सामग्री का अभाव

**श्री सत्यगोपाल मिश्र** (तामलुक) : श्रीमान, टिकट, पोस्ट-कार्ड, अन्तर्देशीय-पत्र, लिफाफें आदि जैसी डाक सामग्री की भारी कमी के कारण पश्चिम बंगाल के लोग कुछ समय से बड़ी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। लोगों को डाक सामग्री की तलाश में इधर-उधर जाना पड़ता है। विभिन्न डाकघरों में डाक सामग्री की बिक्री करने वाले कर्मचारी प्रभारी भी डाक सामग्री की अनुपलब्धता से उत्पन्न लोगों की शिकायतों का सामना करते हैं। कई अभ्यावेदन सम्बन्धित प्राधिकारियों को पहले ही भेजे जा चुके हैं परन्तु उनका कोई परिणाम नहीं निकला है।

इसलिये मैं, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार से आग्रह करता हूं कि बिना किसी और विलम्ब के डाक सामग्री की पर्याप्त सप्लाई की जाय ।

## (तीन) महाराष्ट्र के पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों की स्थापना की आवश्यकता

**श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** (अमरावती) : अध्यक्ष महोदय, आज तक जो लघु उद्योग तथा इंडस्ट्रीज खोली गयी हैं, वे मुख्य रूप से पहाड़ी और पिछड़े इलाकों में नहीं हैं जबकि इन क्षेत्रों में वाणिज्यिक उपयोग के लिए कच्चा माल बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है। इस समय यह सामान बाहर भेजा जा रहा है और इससे उन क्षेत्रों का आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है तथा स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र के तौर पर महाराष्ट्र के मेलघाट जैसे कई पिछड़े इलाकों से 'तिखाड़ी' घास, जिससे सौंदर्य प्रसाधनों के लिए सुगंधित तेल निकाला जाता है तथा माचिस और लकड़ी की अन्य बहुत सी वस्तुएं बनाने में कमी आने वाली सलाई और अन्य किस्म की लकड़ी बाहर भेजी जाती है। यदि इन क्षेत्रों में उपलब्ध होने वाले सामान के उपयोग के लिए इन्हीं क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाओं के साथ लघु उद्योग खोले जाएं तो उनसे इन क्षेत्रों का आर्थिक विकास हो सकेगा और स्थानीय लोगों को इन उद्योगों में रोजगार मिल सकेगा।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह इस संबंध में समुचित कदम उठाये।

## (चार) बाढ़ नियन्त्रण कार्यों के लिए उड़ीसा को सीमेन्ट के अतिरिक्त आवंटन की आवश्यकता

**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** (भुवनेश्वर) : उड़ीसा को दिये जाने वाले सीमेन्ट की तिमाही आवंटन की मात्रा को 1980 की पहली तिमाही के 1,23,400 मीटरी टन से घटाकर 1980 की चौथी तिमाही में 81,400 मीटरी टन कर दिया गया है। कई पुल और पुलिया वह गये थे। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में अधिकांश सरकारी और गैर-सरकारी भवन गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गये थे। बाढ़ से हुई क्षति को पूरा करने के लिए उड़ीसा को कम से कम तदर्थ आधार पर सीमेन्ट के आवन्टन की तत्काल आवश्यकता है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे सीमेन्ट नियंत्रक को यह निदेश दें कि बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई इमारतों की मरम्मत के लिए राज्य के दो सीमेन्ट कारखानों से उड़ीसा को सीमेन्ट की अतिरिक्त मात्रा तत्काल आवंटित करें और उड़ीसा को दिए जाने वाले सीमेन्ट की मात्रा में कटौती न करें क्योंकि आन्ध्र सीमेन्ट को पुरी और कटक जैसे स्थानों पर लाने में बहुत अधिक खर्च बैठता है।

## (पांच) पटना शहर में पीने के पानी की समस्या

**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : अध्यक्ष महोदय, "पटना में पेय जल संकट"।

पटना नगर बिहार की राजधानी है। चल रहे जनगणना अभियान के बाद उसकी जन-संख्या सात लाख से अधिक हो जाने का अनुमान है। शहर का विकास भी तेजी के साथ हो रहा है।

नगर के विकास के साथ-साथ उसकी समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं जिनके निराकरण की

[ श्री रामावतार शास्त्री ]

ओर सरकार का ध्यान या तो आकृष्ट नहीं हो पा रहा है या धनाभाव के कारण वह कुछ कर सकने में असमर्थ हैं। समस्याओं में पेयजल का संकट सबसे बड़ी समस्या है। नहाने-धोने की बात तो दूर रही पीने के लिए भी लोगों को पानी नहीं मिलता। गर्मी के दिनों में तो नागरिकों में कुहराम मच जाता है और लोगों को पानी की तलाश में दूर-दूर का चक्कर लगाना पड़ता है, फिर भी आवश्यकता के अनुसार पानी नहीं मिल पाता। कभी-कभी तो विरोधस्वरूप घड़ा फोड़ो अभियान भी चल पड़ता है।

बांकीपुर और पटना सिटी दोनों क्षेत्रों के दर्जनों मुहल्लों में पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। इनका कारण आर्थिक है। धन के अभाव बड़े-बड़े नलकूप और टंकियों की व्यवस्था नहीं हो पाती। पटना वाटर बोर्ड ने इस समस्या के समाधान के लिए बिहार सरकार से साढ़े चार करोड़ रुपये की मांग की है। राज्य सरकार ने इसके लिए भारत सरकार से अनुदान देने का अनुरोध किया है। मेरा अनुरोध होगा कि पटना नगर मे जल की व्यवस्था के लिए सरकार को शीघ्रातिशीघ्र राज्य सरकार को मदद भेजनी चाहिए ताकि पेय जल की उचित व्यवस्था की जा सके।

(छः) पालेकर पंचाट को लागू करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता

**श्री अशोक गहलोत** (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, पालेकर न्यायाधिकरण की घोषणा हो जाने के बावजूद भी अभी तक बड़े-बड़े अखबार उससे बचने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय काम में ला रहे हैं। अगर सरकार के द्वारा इसे अविलम्ब लागू करने के लिए कड़े कदम नहीं उठाये गये तो आने वाले समय में इनके लागू करने के वास्तविक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पायेगी। संवाददाताओं के विभिन्न संगठनों ने भी इस प्रकार की मांग का समर्थन करते हुए त्रिपक्षीय समिति बनाने की मांग की है। जिसमें अखबार व समाचार एजेन्सियों के संवाददाताओं के प्रतिनिधि, अखबारों के प्रबन्धक के प्रतिनिधि व केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि हों। जो पालेकर एवार्ड के न्यायसंगत क्रियान्वयन को देख सकें क्योंकि जब से इस एवार्ड की घोषणा हुई है बड़े-बड़े अखबारों ने अपने कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार की परेशानियों में डालना प्रारम्भ कर दिया है। इसके शिकार विशेष रूप से अंशकालिक संवाददाता हो रहे हैं जो कि इन अखबारों में 20-25 वर्ष से कार्य करते आ रहे हैं।

यह आश्चर्य की बात है कि जब सरकार की तरफ से पालेकर एवार्ड लागू कर इन अनुभवी, परिश्रमी अंशकालीन संवाददाताओं को अपने जीवन पर्यन्त किये गए परिश्रम का प्रतिफल मिलने का प्रश्न तो अलग रहा, इन बड़े अखबारों के प्रबन्धकों ने बिना कारण बताए ही इनकी छंटनी शुरू कर दी है जिससे पूरे देश भर के दूर-सुदूर में बैठे अंशकालिक व अन्य संवाददाताओं में घोर निराशा व्याप्त हो रही है।

माननीय श्रम मंत्री जी से निवेदन है कि वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट में अविलम्ब आवश्यक संशोधन करने की कार्यवाही प्रारम्भ करें जिससे पालेकर एवार्ड के कारण बड़े अखबार के प्रबन्धकों द्वारा अंशकालिक व अन्य को निकालने की प्रक्रिया से रोका जा सके व उन्हें पुनः नियुक्ति दी जाकर उनको न्याय दिलाया जाये। जिनसे आने वाले समय में इस उद्योग में और भी प्रतिभावान लोग आकर्षित हो सकें।

(सात) बुरहानपुर के बुनकरों को उनके शक्तिचालित करघों के लिए कर-चिन्ह परमिट करना

**श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर** (खण्डवा) : अध्यक्ष महोदय, बुरहानपुर (मध्यप्रदेश) के 150 परिवारों ने निर्धारित समय के पश्चात् टैक्सटाईल्स कमिश्नर बम्बई को टैक्स मार्क परमिट (पावरलूम) के आवेदन देने से उन्हें टैक्स मार्क परमिट नहीं मिला है। स्थानीय सेन्ट्रल एक्साइज अधिकारी पावरलूम नहीं चलाने दे रहे हैं। पावरलूम वाले गरीब हैं और कर्जे में दबे हुए हैं। उनके पावरलूम बिकने की नौबत आ गई है। वे भयभीत हैं अतः वित्तमंत्री एवं वाणिज्य मंत्री महोदय राहत पहुंचाएं, यह निवेदन है।

(आठ) राजस्थान के सागवाड़ा कस्बे में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करने का शीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता

**श्री भीखाभाई** (बांसवाड़ा) : मैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की एक शाखा अपने निर्वाचन क्षेत्र सागवाड़ा राजस्थान में खोले जाने के बारे में अपने पहले निवेदन को एक बार फिर दोहरा रहा हूं। वह क्षेत्र एक पिछड़ा क्षेत्र है और वहां के निवासी मुख्यतः अनुसूचित जन-जातियों के हैं। यद्यपि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक फसल उगाने वाले क्षेत्रों की भरमार है और मूंगफली प्रचुर मात्रा में उगाई जाती है, यहां बैंकिंग सुविधायें नगण्य हैं। सागवाड़ा शहर की जनसंख्या भी 15,000 है और ग्रामीणस्वरूप वाले किसी भी बैंकिंग उद्यम के लिए पर्याप्त रहेगी, इसके अलावा, इससे शहर के वर्तमान लघु उद्योग एककों को वह सहायता मिल जायेगी जिसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। बैंक की ऐसी शाखा से ग्रामीण और पारम्परिक दस्तकारों को भी लाभ पहुंचेगा।

इसलिए, मैं वित्त मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले में तत्काल निर्णय लें।

(नौ) आगरा में रक्षा शस्त्रास्त्रों की कथित बरामदगी

**श्री राजेश कुमार सिंह** (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, आगरा में 24 फरवरी को मोती कटरा में एक गोदाम में सेना के बम विस्फोट के कारण दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, कई व्यक्ति घायल हुए, जिनकी स्थिति शोचनीय है। जांच के दौरान सेना के शक्तिशाली बम, विस्फोटक पदार्थों बन्दूकों, रायफलों के पुर्जे, एयर फोर्स, नेवी और थल सेना के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली सामग्री, कई क्विन्टल राकेट, 84 बोरों में रखे हुए बमों तथा अन्य रक्षा सामग्री आदि बरामद हुए हैं। ये समान अब भी मोती कटरा की घनी वाली आबादी वाले इलाके में पड़ा हुआ है। जन-जीवन को इससे भारी खतरा पैदा हो गया है। रक्षा सामग्री की चोरी में रक्षा कर्मचारियों के भी हाथ होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। सरकार से निवेदन है कि इन बमों को घनी आबादी से हटाकर किसी बड़ी दुर्घटना को होने से रोकें एवं इसकी जांच कर सदन के सज्ञान में लाएं।

(दस) दिल्ली में जूनियर डाक्टरों की हड़ताल को टालने के उपायों की आवश्यकता

**श्री राम विलास पासवान** (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा दिल्ली के जूनियर डाक्टरों के साथ किए गए समझौते के फलस्वरूप जूनियर डाक्टर फेडरेशन आफ दिल्ली के द्वारा

[ श्री रामविलास पासवान ]

5-3-81 को बोट क्लब पर एक दिन का धरना एवं भूख हड़ताल की जा रही है। फेडरेशन ने यह भी धमकी दी है कि यदि उनके समझौते का पालन सही ढंग से अविलंब नहीं किया जाता है तो वे सीधी कार्रवाई करने को मजबूर होंगे। डाक्टरों के 58 दिन की हड़ताल के बाद एक लिखित समझौते के अनुसार डाक्टरों की समस्याओं का समाधान निकाला गया था। जूनियर डाक्टरों ने आरोप लगाया है कि उनके समझौते का सही ढंग से पालन नहीं किया जा रहा है। उदाहरणस्वरूप डाक्टरों से सप्ताह में 48 घंटे के बजाए 70 से 100 घंटे तक काम कराया जा रहा है। कोई भी नई पोस्ट हड़ताल के बाद उनके काम के घंटे कम करने के लिए नहीं बढ़ाई गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार जो 177 पोस्ट बढ़ाई गई हैं वह गलत है तथा पिछली सरकार के निर्णय के द्वारा एडहाक बेसिस पर पहले से ही डेढ़ साल से काम कर रहे डाक्टरों को वर्तमान सरकार द्वारा रेगुलराइज कर दिया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि समझौते के अनुसार डाक्टरों के काम के अधिकतम 48 घंटे निश्चित किए गए थे। कमेटी की रिपोर्ट में जूनियर डाक्टरों के वेतन के संबंध में अभी तक कुछ घोषित नहीं किया गया है। समझौते के अनुसार रेजिडेंसी समाप्त करने के बाद समाप्त करने के बाद सरकारी नौकरी शुरू करने पर डाक्टरों को एडवांस इंक्रिमेंट दिए जाने चाहिए, वे नहीं दिए जा रहे हैं। सरकारी नियम के अनुसार रेन्ट फ्री आवास के लिए डाक्टरों को उनकी बेसिक पे पर 25 प्रतिशत दिया जाना चाहिए जबकि उन्हें सिर्फ 15 प्रतिशत ही हाउस रेन्ट दिया जा रहा है। जूनियर डाक्टरों को हड़ताल में भाग लेने की वजह से दण्डित किया जा रहा है। हड़ताल में भाग लेने वाले सीनियर रेजिडेंटों की सालाना तरक्की दो महीने विलंब से दी गई है और एडहाक सीनियर रेजिडेंट डाक्टरों को रेगुलर नहीं किया जा रहा है। छुट्टियों के बारे में किए गए समझौते का भी उल्लंघन किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि सरकार अविलंब समझौते का सही ढंग से पालन करे ताकि जूनियर डाक्टरों की सीधी कार्रवाई से होने वाली किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।

## (ग्यारह) श्री तजाई एम० करुणानिधि, संसद सदस्य की हाल ही की गिरफ्तारी के बाद जेल में उनके साथ किया गया व्यवहार

**श्री के० मायातेवर** (डिन्डिगल) : तमिलनाडु के हमारे एक माननीय सदस्य श्री तजाई एम० करुणानिधि, संसद सदस्य को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है। मुझे यह जानकारी मिली है कि श्री तजाई एम० करुणानिधि के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जा रहा है जो एक संसद सदस्य के साथ किया जाना चाहिए। यहां तक कि पीने के पानी जैसी प्राथमिक सुविधायें भी नहीं दी जा रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकारियों ने कानून अपने हाथ में ले लिया है और यह घोषणा की है कि ये पानी आदि तभी देंगे जब उनकी इच्छा होगी। मैं यह अनुरोध करूंगा कि केन्द्रीय सरकार इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करे क्योंकि यह एक संसद सदस्य का मामला है।

**श्री अटल बिहारी बाजपेयी** (नई दिल्ली) : यह बहुत गंभीर मामला है। नियम 377 के अधीन इसका केवल उल्लेख करने से काम नहीं चलेगा। हम चाहेंगे कि मंत्री महोदय एक वक्तव्य दें।

**अध्यक्ष महोदय** : पहले इसे निपटाया जाना है।

**श्री के० मायातेवर** : मैंने ध्यानाकर्षण नोटिस दिया था लेकिन उसे नियम 377 के अधीन स्वीकार किया गया है। मैंने इसकी एक प्रति मंत्री महोदय को दी है।

**अयक्ष महोदय** : वह इसकी जांच कर लेंगे।

**प्रो० मधु दण्डवते** : नियम 377 के अधीन उठाये गये किसी भी मुद्दे का संबंधित मंत्री ने कभी भी उत्तर नहीं दिया है।

**श्री राम विलास पासवान** (हाजीपुर) : मिनिस्टर जवाब देते ही नहीं है और न ही हम लोगों को जवाब आता है। जरा इसको भी आप देखें।

**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : कभी भी जवाब आ जाता है हमेशा नहीं।

**(बारह) कटिहार जूट मिल्स के कर्मचारियों द्वारा कथित आंदोलन**

**श्री हरिकेश बहादुर** (गोरखपुर) : देश के विभिन्न भागों में जूट मिलों के कमचारियों की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। जब ये मजदूर अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन करते हैं तो उसे दबाने के लिए पुलिस अत्याचार का सहारा लिया जाता है। कटिहार जूट मिल के मजदूर चार महीने से आंदोलन पर हैं। लगभग दो सौ मजदूर गिरफ्तार भी किए गए हैं तथा श्रमिक नेताओं पर पुलिस-अत्याचार मिल मालिकों की साजिश से किया जा रहा है। भारत के श्रम मंत्री ने लगभग दो माह पूर्व मुझे बताया था कि वे इस मामले को देखेंगे किन्तु अभी तक उक्त मामले का कोई समाधान नहीं निकल सका है। अतः मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि उक्त मामले में सरकार शीघ्र हस्तक्षेप कर समस्या का समाधान निकलवाने का प्रयास करे तथा श्रमिकों पर अत्याचार बन्द किया जाए।

## रेल बजट, 1981-82—सामान्य चर्चा—जारी

**रेल मंत्री (श्री केदार पांडे)** : मान्यवर, हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि इस सदन में 55 माननीय सदस्यों ने बहस में भाग लिया और रेलवे बजट पर अपने विचार प्रकट किए। मैं उन माननीय सदस्यों तथा दूसरे माननीय सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूँ और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करता हूं कि उनकी कीमती राय, उनके कीमती विचार मुझे मिल सके जो मेरे लिए गाइड लाइंज हो सकते हैं।

शुरू में ही मैं यह कह देना चाहता हूं कि रेलवे की जो बात है इसको राजनीति से जरा ऊपर रखा जाए।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** (नई दिल्ली) : कितना ऊपर ?

**श्री केदार पांडे** : जितना आप समझें।

इस देश की अगर आर्थिक स्थिति को अच्छा करना है, आर्थिक विकास भारत का करना है तो उस हालत में इस देश का एग्रो इंडस्ट्रियल बेस मजबूत होना चाहिए। बिना इसको मजबूत

किए इस देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी। अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी बात करते हैं तो उसके लिए रॉमैटीरियल चाहिये, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको ढोने की व्यवस्था होनी चाहिये। इन सब के लिए तो रेल की जरूरत है, गुड्स ट्रेन की जरूरत है। और अगर अन्न काफी पैदा हुआ तो ढोने के लिए भी रेल के पास जाना है। इसी तरह से फर्टिलाइजर्स की अगर जरूरत है, अभी साढ़े तीन लाख टन फर्टिलाइजर्स हमने एक जगह से दूसरी ढोया है, उसके लिए भी रेल चाहिये। इसलिये भारत की इकोनामिक एक्टिविटी का नर्व सेन्टर इंडियन रेलवेज है, और इस बारे में दो मत नहीं हैं। जितने माननीय सदस्य हैं सब इसको मानते हैं। यह हमारा लक्ष्य है, हम चाहते हैं कि गरीबी दूर हो जाय। गरीबी दूर करने का प्रेस्क्रिप्शन समाजवाद छोड़कर और कुछ नहीं है। अगर समाजवाद इस देश में लाना है तो उसके लिए भी फिर रेल के पास जाना है। और इस देश का अगर नेशनल इंटेग्रेशन चाहते हैं तो फिर रेल के पास आइये।

हमें इस बात की खुशी है कि इस सदन में पहले जो हमारे रेल मंत्री थे वह लोग मौजूद हैं—बाबू जगजीवन राम जी, माननीय दण्डवते जी बैठे हुए हैं, माननीय कमलापति त्रिपाठी जी यहां नहीं हैं। और जितने रेल मंत्री हुए उनका मैं आदर करता हूं, रिगार्ड जाहिर करता हूं क्योंकि उन्होंने देश की खिदमत की है और रेल चलाई है। और मेरा भी उसमें सहयोग है यद्यपि उतना पुराना नहीं जितना बाबू जगजीवन राम का है, लेकिन हम 1942 ब्राण्ड के फ्रीडम फ़ाइटर हैं और उसके बाद से हम इसी में लगे हुए हैं। यह इसका इतिहास है, बड़े लोग रेल मंत्री बने माननीय लाल बहादुर शास्त्री, श्री एस० के० पाटिल, माननीय दंडवते जी, इन सब का कंट्रीब्यूशन है, इस लिये सब के प्रति आदर प्रकट करता हूं।

उस दिन जो मैंने बजट स्पीच दी कुछ बातें कहीं। जब बजट बनता है तो उसके पहले करेन्ट ईयर का परफारमेंस कहा जाता है, और उसमें कोई परफार्मेंस की बात अगर हुई तो उसमें कोई घमंड की बात या कोई कर्टसी की कमी की बात नहीं है। अगर किसी को इसलिए तकलीफ हुई तो मैं आदरपूर्वक कहना चाहता हूं कि मेरा ऐसा कोई इंटेशन नहीं था। इससे उसके बारे में अब कोई बात नहीं होनी चाहिये। लेकिन इंटेंशन बिल्कुल क्लीयर है। परफ़ारमेंस बताना पड़ा है करेंट ईयर का। जिसको कहते हैं रिवाइज्ड एस्टीमेट्स आफ दी करेंट ईयर। तो यह तो कहना ही पड़ेगा, तब बजट की बात कहेंगे। अगर प्रोसीजर ठीक से न हो तो बजट उगता नहीं है। इसी सिलसिले में मैंने कहा, और कोई खास बात नहीं है।

दूसरी बात यह कि फेयर और फ्रेट में सरचार्ज अगर कुछ बढ़ा तो यह बात ठीक है कि कोई आदमी नहीं चाहता कि यह बढ़े। यह अप्रिय बात जरूर है। लेकिन प्रेक्टिकल बात क्या है यह माननीय दंडवते जी और बाबू जगजीवन राम जी बतायेंगे। यह एक कमर्शियल अन्डरटेकिंग है और इसमें उपाय ऐसा करना चाहिये कि जितनी हमारी इन्कम हो उसके अलावा टैक्स बढ़ाने की जरूरत न पड़े। ऐसा हमारा परफारमेंस हो कि हम नहीं मांगें लोगों से, इसी से काम निकल जाय। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। जो हमने रेल फेयर और फ्रेट बढ़ाया है उससे 356 करोड़ रु० की राशि मिलती है। उसमें अगर देखा जाये तो 3 ही आइटम्स पर 307 करोड़ रुपया खर्च हो जाता है। वह क्या हैं? रेलवे एम्पलाईज 17 लाख हैं उनका डी० ए० ही देख लीजिए, इसके अलावा कोयले का दाम बढ़ा है, फ्यूल का दाम बढ़ा है। इन सबको अगर मिलाते हैं और इन्हीं को हिसाब में रखते हैं तो 356 करोड़ की जो आमदनी सरचार्ज से होने वाली है, उसमें से

[ श्री केदार पाण्डे ]

307 करोड़ तो इसी में चला जायेगा, बाकी बचता ही क्या है ? इसलिये मेरे लिए यह लाजमी रहा कि इसे बढ़ा लें ।

दो ही सूरतें होती हैं, एक तो अगर कोई डैफिसिट हो जाये तो जनरल बजट से पैसा मांगूं और वह पैसा टैक्स-पेअर पर लगेगा, सारे समाज पर लगेगा या उन लोगों से थोड़ा पैसा मांग लूं जो रेल पर चढते हैं या सामान ढोते हैं। दोनों में तर्कयुक्त बात क्या है, बुद्धिमानी की बात क्या है ? इसलिए मैंने कहा कि 307 करोड़ रुपया थोड़ा सा है, मैंने उसको उसी से पूरा किया है। दो ही सूरतें थीं, या तो रेलवे बजट को डैफिसिट बजट बनाते, अब 11.42 का सरप्लस है, इसको हम डैफिसिट कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी । लेकिन क्या यह ठीक होता ?

जब हम रेलवे को कमर्शियल अंडरटेकिंग मानते हैं तो थोड़ा बिजनेस प्वाइन्ट आफ व्यू से भी सोचना चाहिये और जो रेल पर चढ़ें या माल ढोयें और पैसा कमायें, तो उनसे कुछ क्यों न मांगूं ?

**एक माननीय सदस्य** : जरूर मांगिये ।

**श्री केदार पांडे** : कहीं भी लोकप्रियता के खिलाफ बात नहीं है, लेकिन लोगों को बताने की जरूरत है क्योंकि बहुत सी बातों की जानकारी आम जनता को नहीं है। मैं इस सदन के द्वारा हिन्दुस्तान की जनता से कहना चाहता हूं कि इससे घबड़ाने की बात नहीं है। इसमें भी जिनके पास ज्यादा पैसा है, वही एयर-कंडीशन से चलते हैं, सो ऐसे बिजनेसमैन होते हैं, वही माल ढोते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, उन पर तो हमने 15 परसेंट बढ़ाया है ।

अब दूसरी बात है जो हमारे माननीय सदस्यगण हैं, इन सदन के या राज्य-सभा के, उनमें एक गलतफहमी हो गई है कि उनको तो फर्स्ट-क्लास का फेयर एलाउड है, आज तक वह एयर-कंडीशन सैकिड क्लास में उसी फेयर में चलते थे, इसमें अब थोड़ी विषमता हो गई है । मैं सदन के सामने आश्वासन देता हूं कि उसमें कोई विषमता नहीं होगी, वह जैसा चलते थे, उसी तरह से चलेंगे ।

**एक माननीय सदस्य** : बस खत्म हो गई बात ।

**श्री केदार पांडे** : इसलिये किसी के मन में घबराहट नहीं होनी चाहिए । शास्त्री जी को भी नहीं घबराना चाहिये । (व्यवधान)

इसलिये अब माननीय सदस्य चाहे फर्स्ट क्लास में चले या एयरकंडीशन्ड सैकिड क्लास में चलें, जैसे चलते थे, वैसे ही चलेंगे, इसमें कोई घबराहट की बात नहीं है ।

**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : सैकिड क्लास का हुआ ?

**श्री केदार पांडे** : सैकिड क्लास की बात जो अब तक हुई है, उसमें यही है कि 150 किलो मीटर तक नो सरचार्ज । इससे ऊपर 10 परसेंट है । यह तो आप जानते ही हैं कि कितने लोग इसके शिकार नहीं बनते । 92 परसेंट हिन्दुस्तान के लोगों पर इससे कोई असर नहीं पड़ता है । इफैक्ट नहीं होता है । बाकी सिर्फ 8 परसेंट की बात रह जाती है ।

**प्रो० मधु दंडवते** (राजापुर) : अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बताना चाहता हूं क्योंकि वही सूत्र लेकर आप चर्चा कर रहे हैं। आपने कहा कि रेलवे कमर्शियल आंडरटेंकिंग है।

**श्री केदार पांडे** : यंस।

**श्री मधु दंडवते** : मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि यह सिर्फ कमर्शियल अंडरटेंकिंग ही नहीं है, यह कमर्शियल-कम-सोशल-यूटिलिटी आर्गेनाइजेशन है।

**श्री केदार पांडे** : मेनली यह कमर्शियल अंडरटेंकिंग है। कुछ सोशल अर्जेज हैं, कुछ सोशल ओब्लीगेशन्स हैं, यह भी मैं मानता हूँ लेकिन टाप प्रायर्टी की बात हो तो फ्रेट-औरिएन्टेड ट्रैफिक पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, उससे आगे भी काम कर सकते हैं। (**व्यवधान**)

**श्री समर मुखर्जी** (हावड़ा) : इससे अन्य वस्तुओं के मूल्य भी बढ़ जायेंगे।

**श्री केदार पांडे** : 1000 किलोमीटर की बात करते हैं। अगर चलने में एडीशनल चार्ज को कैल्कुलेट करें तो उससे 1 पैसा पर के० जी० फूडग्रेन्स पर बढ़ोतरी होती है, जिसमें चावल गेहूँ और अन्य चीजें आती हैं। हमने फ्रेट बढ़ाया है 15 परसेंट। उसमें फूडग्रेन्ज पर 1 पैसा पर के० जी० फर्टीलाइजर पर डेढ़ पैसा पर के० जी० और 2 पैसे से कम पर लिटर केरोसीन आयल पर बढ़ाया है। जितना कम हम कर सकते थे उतना कम हमने किया है।

जब प्रो० मधु दंडवते रेल मंत्री थे, उस वक्त उन्होंने महसूस किया कि इसमें कुछ सुधार की जरूरत है, पैसे की जरूरत है। सुझाव देने के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई। डा० परांजये उसके चेयरमैन थे। उस कमेटी की रिपोर्ट भी आई और उसको भी हमने गौर से देखा है। अगर हम उस कमेटी की सिफारिश को लागू कर दें, तो क्या होगा ? —फ्रेट 25 परसेंट बढ़ जायेगा। मैंने तो वह नहीं किया। जब माननीय सदस्य रेल मंत्री थे, तब उन्होंने ही यह कमेटी बनाई थी। इसलिए सबसे पहली बात तो मैं यह चाहूंगा कि प्रो० दण्डवते से हमें फुल सपोर्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि यह कमेटी उन्हीं की क्रीएशन है। इस बीच एक ऐसी घटना घट गई कि वह यहां नहीं रहे और वहां चले गये।

**प्रो० मधु दण्डवते** : महोदय, वह एक रेल दुर्घटना थी।

**श्री केदार पांडे** : मुझे आशा है कि वह हमें पूरी मदद देंगे।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या उन्हें दोबारा रेल पर बिठायेंगे ?

**श्री केदार पांडे** : वह इस बजट को सपोर्ट करें और रेलों को चलाने में मदद करें और सहयोग दें। (**व्यवधान**) मैं आशा करता हूँ कि श्रीमती दण्वते भी सहयोग देंगी। जब पतिदेव सहयोग देंगे, तो पत्नी कहां जायेंगी, हालांकि दोनों माननीय सदस्य हैं, दोनों के व्यक्तित्व को मैं अलग-अलग मानता हूं।

**प्रो० मधु दंडवते** : महोदय, वह मेरी बंधुआ मजदूर नहीं हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : वे इकट्ठे न हो, इसीलिए हमने उन्हें अलहदा-अलहदा बिठा रखा है।

**श्री केदार पांडे** : उस परांजपे कमेटी की सिफारिश के मुताबिक हमने काम नहीं किया। इसीलिए हमने सिर्फ 15 परसेंट, 12 परसेंट और 10 परसेंट बढ़ाया है।

**श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** (कलकत्ता दक्षिण) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : बाद में देखेंगे। माननीय सदस्य बैठ जायें।

**श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : मैं केवल एक प्रश्न करना चाहता हूँ।

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे कई औरों को भी अनुमति देनी पड़ेगी।

**श्री सत्यासाधन चक्रवर्ती** : (व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आप भी मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं, वे भी मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं। (व्यवधान)*

**श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : *

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य बैठ जायें।

**अध्यक्ष महोदय** : आप उनसे अनुदेश क्यों लेते हैं ? आप उनसे अनुदेशों की आशा क्यों करते हैं ? यह हीन भावना क्यों है ? मंत्री महोदय बोलना जारी रखें।

**श्री केदार पाण्डेय** : बहुत से माननीय सदस्यों ने नयी लाइन मांगी है, खास कर उन्होंने इस बात पर काफी जोर दिया है कि जो पिछड़े इलाके हैं उन में रेल जानी चाहिए। उसी में कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जैसे हिमाचल प्रदेश हैं, मध्य प्रदेश है, राजस्थान भी है, बहुत सी जगह ऐसी बात है लेकिन एक बात मैं आप से कह देना चाहता हूं, मैं उन के साथ सहमत हूं कि यह सब होना चाहिए, मगर हमारी भी कठिनाई है। बिना पैसे के तो काम चलेगा नहीं। पैसा चाहिए। हिसाब-किताब मैं आप को बता देता हूं क्योंकि आप ही तो सर्वसत्ताधारी यहां पर हैं, आपकी आज्ञा से ही काम होगा। उसके मुताविक मैं कहना चाहता हूं कि छठी पंचसाला योजना के लिए 11 हजार करोड़ रुपये हम ने मांगे थे लेकिन हम को मिला 5100 करोड़···

**एक माननीय सदस्य** : और आप चुप रहे ?

**श्री केदार पाण्डेय** : नहीं, हम ने इस के लिए भी लड़ाई की, लेकिन क्या करें ? कमजोर हम नहीं रहे। इतना कमजोर हम को मत समझिए।··· (व्यवधान)···

5100 करोड़ हम को मिला और वह भी पांच साल के लिए मिला। इस बजट ईयर में 45 करोड़ रुपया इस पर खर्च करना है न्यू लाइन्स के लिए। उस में भी जो प्रोजेक्ट्स पहले से चल रहे हैं वह हैं और नयी लाइन्स भी हैं। यह सब मिला कर इतना कम पैसा उस के लिए है। कुल 380 करोड़ रुपया सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान में इस के लिए है जिस में से 1981-82 में 45 करोड़ खर्च करना है। यह हमारी कठिनाई है। हमारी भी इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा हम इस में काम करें, नई लाइन्स बिछायें और खास कर बैकवर्ड एरियाज में जाएं।

*कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

अपनी बजट स्पीच में जो भी लाइन्स मैंने आप को बतायी हैं वह सब आपको याद हैं, उन को दोहराने की जरूरत नहीं है। उस में खास कर छोटा नागपुर ऐरिया में जो आदिवासी इलाका है, ऐसी जगह मैं समझता हूं लाइन जानी चाहिए और वह हम करना चाहते हैं। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि नंगल तलवाड़ा जो लाइन है यह वहां की बहुत आवश्यक लाइन है और मैं चाहता हूं कि वह बने। उस में बात यह है कि नंगल तलवाड़ा जो लाइन है इसका एक इतिहास है। स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र जी जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने उस का श्रीगणेश कर दिया था। उस वक्त का सिस्टम था कि प्लानिंग कमीशन से पूछने की जरूरत नहीं थी, मंत्री को अधिकार था कि घोषणा कर दे और उसकी शुरूआत कर दी जाए। लेकिन बाद में इस स्थिति में परिवर्तन हो गया। अब हम बिना प्लानिंग कमीशन के ग्रीन सिगनल के कोई काम कहीं नहीं कर सकते। इसलिए नंगल तलवाड़ा जो लाइन है जिस की घोषणा स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्र ने की थी उस के बारे में हम जांच पड़ताल करवा रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी सर्वेक्षण पूरा हो और उस की कार्यवाही हो सके। हिमाचल प्रदेश के माननीय सदस्य ने बहुत बड़ी आवाज उस के लिए उठायी थी और उन का कहना सही है···(व्यवधान)···हमारी हिफाजत और आप की हिफाजत दोनों की उसमें है।

तामिलनाडु के बारे में बात कही गई। बहुत हल्ला हुआ तामिलनाडु में। उस में माननीय सदस्य तो कह ही चुके हैं, मैं भी कह देता हूं, हम ने इस बात का निश्चय किया है कि करूर-डिंडीगल-मदुराई-तूतीकोरिन जो लाइन है इस को हम इस बजट हैं इन्कलूड करे।

**श्री के० मायातेवर** (डिन्डिगल) : मैं अपनी पार्टी की ओर से और तामिलनाडु के लोगों की ओर से प्रधान मंत्री और रेल मंत्री का धन्यवाद करता हूं।

**श्री रामावतार शास्त्री** : केवल अपनी पार्टी और तमिलनाडु के लोगों की ओर से ही क्यों? सबकी ओर से क्यों नहीं?

**श्री के० मायातेवर** : सारे देश के लोगों की ओर से। मद्रास से ताम्बरम तक उपनगरीय प्रणाली को छोटी लाइन से बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के लिए सर्वेक्षण का काम मद्रास के महा-नगरीय परिवहन संगठन को सौंपा गया है। यह कार्यालय ज्यों का त्यों रहेगा और इसे उस स्थान से हटाया नहीं जायेगा और हम इस कार्य को आगे बढ़ायेंगे।

**अध्यक्ष महोदय** : कितना वक्त लगेगा?

**श्री केदार पाण्डे** : हाफ एन आवर और लगेगा।

**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है। यह सदन की आम इच्छा है। कृपया बोलना जारी रखें।

**श्री केदार पाण्डे** : इसके बाद मध्य प्रदेश की बात है। ललितपूर टु बांदा वाया छतरपुर से—इस लाइन का हम सर्वे कराने जा रहे हैं। दूसरी लाइन है ललितपुर छतरपुर से लेकर सिंगरौली—इसका भी सर्वे चल रहा है। इस तरह से मध्य प्रदेश, तमिलनाडू और हिमाचल प्रदेश की बात तो हो गई।

[ श्री केदार पांडे ]

अब मैं गेज कनवर्जन की बात पर आना चाहता हूं। मीटर गेज को ब्राड गेज में कनवर्ट करने के लिए बहुत सारी डिमाण्ड्स आई हैं। वाजपेयी जी ने एक बात कही थी, वे इस समय यहां पर नहीं है उनको होना चाहिए था, उन्होंने हमारी तारीफ की और कहा कि काफी आपने हिम्मत की कि आप मीटर गेज को ब्राड गेज में जल्दी कनवर्ट नहीं करना चाहते। कारण इसका यह है कि अभी इस देश में मीटर गेज और ब्राड गेज का रेशियो 50:50 है और हर जगह से मांग है कि मीटर गेज को कन्वर्ट किया जाए।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** (डायमंड हार्बर) : इसका कारण क्या है ?

**श्री केदार पाण्डे** : कारण यह है कि एक गलत साइकालोजी लोगों के दिमाग में आ गई है। यही मीटर गेज जापान में भी है जहां 150 किलोमीटर की रफ्तार तक गाड़ियां चलती हैं लेकिन हमारे पास उतने साधन नहीं हैं। दूसरे इस मीटर गेज को ब्राड गेज में बदलने में अरबों-खरबों रुपया लगेगा और उतना रुपया हमारे पास है नहीं। इसके अलावा मीटर गेज के कन्वर्जन पर रुपया लगाने से अच्छा यह होगा कि हम नयी लाइनें बनवा दें। बैकवर्ड एरियाज में जहां पर रेलवे लाइन नहीं है, अच्छा होगा वहां पर नई लाइन डाल दी जाए। लेकिन डिपाण्ड यही होती है कि मीटर गेज को कन्वर्ट किया जाए। परन्तु उसके लिए हम पैसा कहां से लायें ? जो कन्वर्जन का काम चल रहा है उसको हम पूरा करना चाहते हैं। साथ ही हम यह भी देख रहे हैं कि मीटर गेज को किस तरह से एफीशिएन्ट बनाया जाए जिससे हम ज्यादा से ज्यादा फ्रेट ढो सकें। इसकी जांच-पड़ताल भी हम कर रहे हैं। अगर जरूरत होगी तो जापान की टीम को भी बुला सकते हैं।··· (**व्यवधान**) ···ब्राजील से भी हो सकता है। अभी-अभी हमारे यहां 50 परसेंट मीटर गेज है जिसकी तुलना हम जापान और ब्राजील से ही कर सकते हैं। हमने मीटर गेज के कन्वर्जन को रूल आउट भी नहीं किया है लेकिन फिलहाल मीटर गेज को हम ब्राड गेज नहीं करना चाहते। मैं समझता हूं यह बुनियादी बात है जिस पर सभी को सहमत होना चाहिए। दूसरे अगर हम ब्राड गेज करना भी चाहें तो लाचारी है, उसके लिए हमारे पास पैसा नहीं है। फिर जहां न ब्राड गेज है और न मीटर गेज है पहले उसको हमें देखना चाहिए। जहां पर हमने यह काम शुरू कर दिया है उसको तो पूरा करना है। क्योंकि हमारा पैसा अगर लगा है तो उसका रिटर्न भी आना चाहिए। इस वक्त जो हमने शुरू किया है, वह 250 किलोमीटर है, जिसको कि हम करना चाहते हैं और इस बारे में हमारी नीति है कि हम इसको कर दें।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि अभी हिन्दुस्तान की जनता को इंडियन रेल्वेज के बारे में जो साइकोलॉजी है, वह है पैसेंजर आरिएन्टेड ट्रेफिक और इसकी वजह से हो यह मांग होती है कि हमको यहां ट्रेन दीजिए, वहां ट्रेन दीजिए। इस वजह से इतनी ट्रेन हो गई है कि गुड्स के लिए ट्रेक खाली नहीं रहता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि टॉप प्रायोरिटी हमें फ्रेट को देनी चाहिए और फिर पैसेंजर ट्रेफिक को देनी चाहिए एक नम्बर पर फ्रेट ओरिएन्टेड साइकोलॉजी डवेलप होनी चाहिए और दूसरे नम्बर पर पैसेंजर ओरिएन्टेड साइकोलॉजी डवेलप होनी चाहिए। लेकिन हर जगह आप ट्रेनों की मांग कर रहे हैं, इसलिए जब तक

मांग कर रहे हैं, इसलिए जब तक हम फ्रेट को नहीं बढ़ायेंगे, तब तक पैसा नहीं आयेगा तो काम कैसे चलेगा। मैं कहना चाहता हूं कि यदि हम एक मिलियन टन चीज गुड्स ट्रेन में ढोते हैं तो 8.5 करोड़ का फायदा होता है। दूसरी बात यह है कि अगर हम इस देश का इन्डस्ट्रोयलाइजेशन चाहते हैं, तो फ्रेट ओरिएन्टेड साइकोलॉजी के बिना इस देश का इन्डस्ट्रीयलाइजेशन नहीं हो सकता और गरीबी दूर नहीं होगी। पेट में अन्न नहीं रहे और तन पर वस्त्र नहीं रहे और ट्रेन में घुमा कीजिए, तो उससे तो कुछ नहीं होने का है।

यह बात भी सही है कि हमारे हिन्दुस्तान की रोड्स इतनी अच्छी नहीं है, जिसको वजह से लोगों को जाना पडता है। मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन जाना लाजमी हो तो जाइए, ट्रेवल करना लाजमी हो तो कीजिए, लेकिन जब तक ज्यादा ट्रेक को खाली नहीं रखेंगे तब तक ह गुड्स को ढोह नहीं सकते हैं। अभी तक गुड्स ट्रेन की जो साइकोलॉजी है, वह है धीरे-धीरे चलने की। माल-ट्रेन में कौन बैठेगा, क्योंकि माल ट्रेन धीरे-धीरे चलती है, उसके मायने पहले ही आपने लगा लिया। जब पैसेंजर ट्रेन में मेल है, एक्सप्रैस है और न जाने क्या-क्या है, तो क्या गुड्स ट्रेन में मेल एक्सप्रैस नहीं होना चाहिए, उसको तेजी से नहीं चलना चाहिए। इतना कमाने वाली ट्रेन और अर्निंग रेशो है 70 और 30 का। 70 फ्रेट से, माल ढोने से और 30 पैसेंजर से। यदि हम इसमें और तेजी करें तो धन बढ़ेगा।

आप जानते हैं कि जनरल-बजट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी तारीफ की है—रेलवे परफार्मेंस की और उसके साथ-साथ यह भी कहा कि कन्ट्री का जो इन्फ्रा-स्ट्रक्चर है, वह रास्ते पर आ गया है। इन्फ्रा-स्ट्रक्चर के मायने हैं—पावर हाउसेस, सीमेंट प्लान्ट, स्टील प्लान्ट—ये सब ठीक से चल रहे हैं। कोयले को कमी नहीं है। जो सामान बनता है, उसको ढोते हैं।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : उनको डिवीडेंड मिलेगा या नहीं—यह बता दीजिए।

**श्री केदार पाण्डे** : अब आगे कमाई करेंगे, तो हो जाएगा। बुनियादी बात यह है कि हमारी साइकोलॉजी फ्रेट ओरिएन्टेड साइकोलॉजी होनी चाहिए।

**प्रो० एन० जी० रंगा** : (गुंटूर) सड़क यातायात का विकास नहीं हो रहा है।

**श्री केदार पाण्डे** : रोड ट्रेफिक भी डवेलप होना चाहिए और गुड्स ट्रेफिक भी डवेलप होना चाहिए, लेकिन पैसेंजर ट्रेन के बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं खुद भी संतुष्ट नहीं हूं। हमने गुड्स लोडिंग को काफी डवेलप किया है। आज हम 32 हजार वैगन परडे लाद रहे हैं, जब कि पहले हम 26 हजार वैगन लादते थे। आज कोयला हम 10 हजार वैगन्स से ज्यादा लाद रहे हैं और पावर के लिए 3,900 तो दे रहे हैं, सब मिलाकर 10 हजार प्रतिदिन लादते हैं। इसमें हमारा सब इन्फ्रा-स्ट्रक्चर काम कर रहा है, इसलिए पहले से हम संतुष्ट हैं, लेकिन उसके साथ-साथ मैं आप लोगों की बात से सहमत हूं कि पैसेंजर ट्रेन में पंकच्युलिटी नहीं आ सकी है और इस में सफलता नहीं पाई है। इस पर मैं ज़ोर दूंगा कि यह भी हो।

हम लोगों ने बहुत से आन-गोइंग-प्राजेक्ट्स बैकवर्ड एरियाज में रखे हैं—जैसे रामपुर—

[ श्री केदार पाण्डे ]

हल्दवानी, बीबी नगर-नालगोंडा, नार्थईस्टर्नरिजन में—गौहाटी-बर्नीहाट, धर्मनगर-कुमारघाट, बलीपारा-मालुकपोंग, आदि । ये सब बैकवर्ड एरियाज़ हैं जिनमें ये प्रोजेक्ट्स चलेंगे ।

बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि कुछ जोन्ज और डिवीजन्ज बढ़ाये जायें । मैंने अपनी बजट स्पीच में इस बात की घोषणा की है कि मैं इस सम्बन्ध में एक हाई-पावर्ड कमेटी बनाने जा रहा हूं । यह कमेटी इस बात का अध्ययन करेगी कि इण्डियन रेल्वेज में जितने जोन्ज और डिवीजन्ज हैं—उनमें कहां पर बढ़ाना चाहिये और कहां पर नहीं बढ़ाना चाहिये । आप जानते हैं कि इस समय रेल्वे में 9 जोन्ज और 53 डिवीजन्ज हैं । इस बात का अध्ययन किया जायगा कि इनको कैसे माडर्नाइज़ किया जाय, जहां-जहां सैन्ट्रलाइजेशन है क्या उसको डीसेन्ट्रलाइज किया जाय—इन सारे सवालों पर उस कमेटी में विचार होगा । यह ठीक है कि इस काम पर कुछ खर्चा होगा, लेकिन उस खर्चे को हम वहन करेंगे । हमारा लक्ष्य यही है कि रेल्वे एडमिनिस्ट्रेशन एफिशियेन्ट हो । अगर यह एफिशियेन्ट और अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा तो हमारी जितनी आशायें हैं उन पर पानी पड़ जायगा । रेलवे की आज की जो स्थिति है वह बहुत पुरानी है, नई स्थिति के मुताबिक इसमें सुधार करने की जरूरत है और इसी दृष्टि से इस कमेटी को बनाने जा रहे हैं ।

**श्रीमती गीता मुखर्जी** (पंसकुरा) : मैंने जिस स्टेशन के लिये आप से कहा था उसका क्या हुआ ?

**श्री केदार पांडे** : उस पर हम विचार करेंगे ।

हमसे नई ट्रेन्ज की मांग बहुत की जाती है । हम कुछ ऐसी पालिसी बनाने जा रहे हैं कि इस समय जो ट्रेन्ज चलती हैं उनमें कुछ स्पेस बढ़ायें, कुछ डिब्बे जोड़ दें तथा एक इन्जिन के बदले उनमें दो इन्जिन लगा दिये जायं जिससे उनके ढोने की शक्ति बढ़ जाये । आप जानते है—अभी हाल में हमने 'के० के० एक्सप्रेस' का उद्घाटन किया—उसमें डबल-हैडेड इन्जिन लगाया गया है और 14 कोचेज के स्थान पर 21 कोचेज लगा दी गई है । वहां पर दो ट्रेन्ज हो सकती थी, लेकिन हमने कहा कि एक ही ट्रेन रहने दी जाय और इन्जिन दो जोड़ दिये जायं ।

आज मैं एक घोषणा भी करता हूं—भटिण्डा से दिल्ली—एक ट्रेन गंगा नगर से और दूसरी फिरोजपूर से—दो ट्रेन्ज आती हैं । ये दोनों ट्रेनें भटिण्डा में आकर मिलती हैं । हमने कहा है कि ऐसा क्यों न हो कि भटिण्डा में दोनों ट्रेन्ज में अधिक कोचेज जोड़ दिये जायं और जो ट्रेन भटिण्डा से चले उसमें दो इंजिन जोड़ दिये जायं । हम चाहते हैं कि लोगों की साइकालोजी ऐसी बने कि हम से नई ट्रेन न मांगी जाय, बल्कि यह कहें कि एकामोडेशन बढ़ा दें, दो इन्जिन जोड़ दें इससे खर्चा भी कम होगा, इकानामिकल रहेगा और लोगों की जरूरत भी पूरी हो जायेगी । इसीलिये इस नई नीति की मैंने आज जानबूझ कर घोषणा कर दी है ।

एक मांग आई है चेतक एक्सप्रेस के बारे मे स्वर्गीय राणा प्रताप सिंह जी का घोडा' चेतक' था और वह घोडा काफी तेज था लेकिन यह जो चेतक एक्सप्रेस है, इस की चाल उस घोड़े की चाल

जैसी नहीं है, यह धीरे-धीरे चलती है और हमारे माननीय मोहन लाल सुखाड़िया जी ने बड़े जोरों से और राजस्थान के हमारे दूसरे माननीय सदस्यों ने यह विचार रखा है कि यह गाड़ी 'चेतक' की तरह से चले।

**अध्यक्ष महोदय :** चेतक एक्सप्रेस को 'चेतक' बना दो।

**श्री केदार पांडे :** जी हां, चेतक एक्सप्रेस को 'चेतक' बनाएं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि डीजल इन्जन के बिना तो यह होगा नहीं लेकिन एक बात कह दूं कि गुड्स ट्रेनों में सामान ढोने के लिए हमें डीजल इन्जन लगाने होते हैं और हमारे पास डीजल इंजनों की कमी है। तो भी राजस्थान की बात है और राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि अब किसी तरह से, इधर-उधर से इन्तजाम करके, गुड्स ट्रेन वेगन कम भी ढोयें, लेकिन यह काम करना चाहिए और चेतक एक्सप्रेस को 'चेतक' बनाना है।

उसी तरह से राजधानी एक्सप्रेस की बात है।···(**व्यवधान**)···आप थोड़ा पेशेंस रखिये। राजधानी एक्सप्रेस जो है वह कलकत्ता और दिल्ली के बीच चलती है। इसमें भी हम चाहते हैं कि 33 परसेन्ट एकोमोडेशन और बढ़ाई जाए और इसको हम देखेंगे।

**एक माननीय सदस्य :** पड़ौसी प्रदेश उत्तर प्रदेश को भी देखिये।

**श्री केदार पांडे :** मैं राजस्थान की बात करता हूं, हिमाचल प्रदेश की करता हूं, तमिलनाडु की बात करता हूं, तो हम पर यह चार्ज कैसे आएगा। इसलिए आप इस बात को समझिये। हम चाहते हैं कि जो राजधानी एक्सप्रेस है, उसमें 33 परसेन्ट स्पेस हम बढ़ायें। ···(**व्यवधान**)··· राजधानी एक्सप्रेस कलकत्ता से दिल्ली आती है और 16 मार्च से यह लागू हो जाएगा और राजधानी एक्सप्रेस में 33 परसेन्ट स्पेस बढ़ेगी। इसमें यह है कि जितनी हमारी कोचेज हैं, उनमें एक-तिहाई कोचेज और जोड़ दें। इस तरह से जो क्राउडिंग ट्रेनों में होती है, उसको हम कम करेंगे। इसको कम करने का एक तरीका तो यह होता है कि हम दो-चार ट्रेनें ओर दे दें और दूसरा यह है कि जो एगजिस्टिंग ट्रेनें हैं, उनमें और स्पेस बढ़ा दें और उनमें एक-दो इन्जन और लगा दें। यह हमारी नई नीति है, पहले ऐसा नहीं होता था इस काम को करने के लिए। अब इतनी ज्यादा ट्रेनें कहां से लायें और वे कैसे चलेंगीं। यह भी जरूरी है कि हमारा ट्रेक खाली रहे ताकि गुड्स ट्रेनें सामान ढो सकें। खाली यात्री गाड़ियां ही बढ़ाते जाएं और गुड्स ट्रेनों को चलने का मौका न मिले, तो फिर हमारी कमाई कम हो जाएगी, और जब वह कम हो जायेगी तो फिर समाजवाद कैसे आएगा। समाजवाद इसी से आता है। इसके बिना यह नहीं हो सकता और मैं जो यह बात कहता हूं यह मजाक में नहीं कह रहा हूं क्योंकि 'भूखे भजन न होय गोपाला, यह लो अपनी कण्ठी-माला'। अगर यह नहीं किया जाता है, तो गरीबी से आप देश को बचा नहीं सकते हैं। अगर गरीबी दूर करनी है, तो यही एक तरीका है और दुनिया में कहीं कोई दूसरा तरीका नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि यही रेलें हैं जिनसे हमें समाजवाद लाना है। शास्त्री जी से हम सहमत हैं और वे इसमें हमारी मदद करें।···(**व्यवधान**)

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे प्रो० मधु दंडवते जी ने एक बात यह कही

[ श्री केवार पाण्डे ]

थी 'कल्पना तथा अन्वेषण शक्ति का अभाव'। मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि शायद हमको यह कम मिली हो लेकिन 1980-81 का जो बजट पेश हुआ था, उसमें उन्होंने यही फ्रेज इस्तेमाल किया था। यह शगुन है या तकियाकलाम है उनको इस तरह का फ्रेज इस्तेमाल करने का कि इन्नोवेशन की कमी है या इमेजीनेशन की कमी है। हो सकता है कि हममें कुछ कमी हो लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि हम लोग एक नई नीति पर चल रहे हैं और हममें इमेजीनेशन है। इसका यह सुबूत है कि हमने ज्यादा ट्रेनों का नम्बर नहीं बढ़ाया बल्कि जो एग-जिस्टंग ट्रेनें हैं उनमें ही एकोमोडेशन को बढ़ा रहे हैं डबल इंजन लगाकर। तो यह इमेजीनेशन नहीं है तो क्या है? यह भी तो इमेजीनेशन है।

आपने इन्नोवेशन की बात कही। नेशनल ट्रान्सपोर्ट पालिसी कमेटी की सिफारिश है।

यह इमेजीनेशन तो है। हम जो गुड्स ट्रेन भेजते हैं। 2,200 टेन्स का एक रेक बनता है। अब हमारा इरादा 7,500 टन्स का है। इस तरह से इस देश में हम 7,500 के रेक्स चलायेंगे। यह इमेजीनेशन नहीं तो क्या है? इस बारे में मुझे यह कहना है।

हमें 5,100 करोड़ रुपया सिक्सथ फाइव इयर प्लान के लिए मिला है। उसमें से 2,492 करोड़ रुपये हम रिनुअल और रिप्लेसमेंट में खर्च करेंगे। इस तरह से टोटल का 49 परसेंट हम खर्च करेंगे। आपने पोएन्टेडली यह कहा था कि रिनुअल और रिप्लेसमेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं। आप यह सोचें कि हम ट्रेन चलायें और रिनुअल और रिप्लेसमेंट की तरफ ध्यान न दें तो हमारी ट्रेन नहीं चल सकती हैं, सारा ट्रेक धंस जाएगा। मैं उसके लिए प्रो० मधु दंडवते को बधाई देता हूं।

मैं एक उदाहरण देता हूं कटिहार से माल्दा का। वहां एक ट्रेन चलती है। उसके बारे में अभी हाल में लोक सभा या राज्य सभा में क्वेश्चन आया था। उस ट्रेक में 40 फ्रेक्चर हैं। अगर ट्रेक में फ्रेक्चर रहें और आप कहें कि हमें और ट्रेन दो और मेहनत करो तो पहले तो हम ट्रेक को ठीक करेंगे तभी हम उस पर ट्रेन चला सकेंगे। इसीलिए हम 1 करोड़ 88 लाख रुपया इसके लिए खर्च करने जा रहे हैं। रिनोवेशन करना इकोनोमिकल है, बुद्धिमानी की बात है, दूरदर्शिता की बात है। नवीकरण और परिवर्तन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अगर इस देश में रेलवे को चलाना है, रेलों को बढ़ाना है तो इसकी बहुत जरूरत है। इसीलिए हमने 5,100 करोड़ रुपये में से 2,492 करोड़ रुपया इसके लिए रखा है। यह 49 परसेन्ट बनता है।

उसी तरह से 1-4-80 को हमारे पास 4,913 किलोमीटर रूट इलेक्ट्रिफाइड था। आप मोडरेनाइजेशन की बात कह रहे थे। अब इसमें देखिये कि हमारे पास इलेक्ट्रिफाइड लाइन 4,913 किलोमीटर है। यह सात परसेंट हैं। अब सिक्सथ फाइव इयर प्लान में 2,800 किलोमीटर रूट इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए हम जोड़ने जा रहे हैं। रेलवे के इतिहास में अभी तक 4,913 किलोमीटर रूट इलेक्ट्रिफाइड हुआ है। हम सिक्सथ फाइव इयर प्लान में एक्जिसटिंग रूट किलोमीटर का कम-से-कम 57 परसेंट रूट और इलेक्ट्रिफाई करने जा रहे हैं। इस तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन में

भी हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। यह इमेजीनेशन नहीं है तो क्या है ? (व्यवधान) हमको फेक्ट्स तो कहने चाहिए। (व्यवधान)

उसी तरह से सोशल बर्डन की बात आपने कही। कमेटीज का रेफरेन्स दिया। आपने नेशनल ट्रांसपोर्ट इंकवायरी कमेटी के बारे में कहा। उसकी रिकमण्डेशन्स को आपने रेफर कर दिया था। उसके बारे में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। रेल ट्रैफिक्स कमेटी के बारे में आपने जो कमिटमेंट किया था, उसको भी आनर करने जा रहे हैं। क्योंकि आप भी एक सामाजिक कार्यकर्त्ता हैं, देश के लोगों में आपका स्थान है। आपने जो अच्छी बात कही है उसको हमें मानना चाहिए। आप अच्छी बात कहें और हम नहीं मानें यह तो ठीक नहीं होगा। (व्यवधान) यह तो मैं आपकी रिकमण्डेशंस को दोहरा रहा हूं, उन्हें मान रहा हूं। (व्यवधान)

उसी तरह से हाई रेटिड ट्रेफिक रूट की बात कही गयी। इसमें दंडवते जी अप टू डेट नहीं हैं ऐसा मालूम होता है। हमने नवम्बर, 1980 तक 88.62 लाख टन हाई रेटिड ट्रेफिक किया और पिछले साल इस अवधि में 83.87 लाख टन हुआ था जबकि दंडवते जी मिनिस्टर थे। यह फेक्ट्स हम आपको बता रहे हैं। यह कोई डेप्रिकेट करने की बात नहीं है, किसी के प्रति द्वेष की भावना की बात नहीं है। हमें यही कहना है कि इसमें भी हम आगे बढ़े हैं।

दूसरी बात उन्होंने कही कि 1977-78 का जो वर्ष था वह शायद हाएस्ट एवर ओरिजिनेटिंग टनेज का वर्ष था। ऐसा उन्होंने बताया है। मैं कहता हूं कि शायद उसमें कुछ गलती हुई है। वास्तविकता तो यह है कि 1976-77 में 212.6 मिलियन टन हमने कैरी किया, जबकि श्रीमती इन्दिरा गांधी हिन्दुस्तान की प्रधानमंत्री थीं, उस समय का यह फिगर है, यह हाइएस्ट फिगर था।

**प्रो० मधु दण्डवते** : कृपया अपने आंकड़ों को सही कर लीजिए। हम कार्य निष्पादन को न केवल कुल टन ढुलाई से मापते हैं, बल्कि टन-किलोमीटरों तथा सवारी-किलोमीटरों से भी मापते हैं। कृपया अपने आंकड़ों की जांच कर लीजिए।

**श्री केदार पांडे** : मैं टनेज की बात करता हूं, रूट किलोमीटर्स की बात नहीं कर रहा हूं। टनेज में 212.4, यह हाइएस्ट फिगर था। यह इण्डियन रेलवे के इतिहास में हाइएस्ट फिगर था, उस वक्त जबकि आप लोग पावर में नहीं थे। (व्यवधान)

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जहां तक पंक्चुएलिटी की बात है, केटरिंग की बात है, मैं खुद मानता हूं कि अभी हमको सफलता नहीं मिली है। माननीय सदस्य यहां बैठते हैं, इस सदन से बढ़कर कोई सदन हिन्दुस्तान में नहीं है, इस सदन के सामने बिल्कुल सत्य बोलना चाहिए। और यह सत्य बात है कि अभी पंक्चुएलिटी और केटरिंग का काम, सफाई का काम अभी तक ठीक से सुधरा नहीं है और मैं इस हाउस को आश्वासन देता हूं कि मैं इसको करके रहूंगा और बहुत जल्दी करूंगा।

उसी तरह से आप कहते हैं जैसा कि श्री बाजपेयी जी ने भी कहा कि आप तो कहते हैं कि आप डीलाइजेशन करेंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे और तब भी कोयले की खपत बढ़ती जा रही

[ श्री केदार पाण्डे ]

है। बात यह है कि हमारे पास 7 हजार से अधिक स्टीम इंजिन्स हैं। बहुत से ओवर एज हो चुके हैं उनकी जरूरत आज के कांटेक्स्ट में नहीं है। इस तरह से 500 इंजिन्स को आफ द ट्रेक कर देंगे, उनके लिए एक ट्रेक बना देंगे, जब भी हम डीलाइजेशन करें, इलेक्ट्रिफिकेशन करें, इसके संबंध में हमने एक बात इसी सदन में बताई थी कि स्टीम इंजिन चलता है स्टीम कोल से, कुकिंग कोल से तो चलता नहीं। स्टीम कोल की रिक्वायरमेंट है 3,100 वैगन्स पर डे, रेलवे में खपत है 1450 वैगन्स पर डे। अब जब और इंजिन्स हटायेंगे तो कोयले की खपत में और अधिक कमी आएगी। छटी योजना में जब 2800 रूट किलोमीटर्स का इलेक्ट्रिफिकेशन कर देंगे तो बहुत से इंजिन छंट जाएंगे।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : पहले तो आप कैप्टिव पावर्स···। (व्यवधान)

**श्री केदार पांडे** : कैप्टिव पावर्स की बात हम करते हैं और आपका यह एक अच्छा सुझाव है। हमें खुशी होती है।

एक बात और वाजपेयी जी ने कही कि व्हील एण्ड एक्सल्स की क्या पोजीशन है? अभी तक पोजीशन यह है कि व्हील एण्ड एक्सल हम इम्पोर्ट करते हैं। केवल दुर्गापुर में इसकी इंस्टाल्ड कैपेसिटी 40,000 व्हील्स एण्ड एक्सल्स की और अभी 1981-82 में हम फोर कास्ट करते हैं कि 22,500 हमको चाहिएं। इसके लिए हम बंगलौर में भी एक फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हम ज्यादातर इम्पोर्ट पर आश्रित हैं। सरकार चाहती है कि जहां तक हो सके इम्पोर्ट न किया जाए और सारा सामान देश के अन्दर ही बनाया जाए और इस तरह कदम भी उठाए जा रहे हैं, क्योंकि धन उसी देश का बढ़ता है जिसका इम्पोर्ट कम और एक्सपोर्ट अधिक हो। यही इकनामिक रूल है। हम भी यही चाहते हैं कि इम्पोर्ट कम-से-कम करें और सब देश में बनाएं। इसलिए इसकी जरूरत हमें महसूस होती है।

श्रीमती सुशीला गोपालन ने एक बात कही है कि कनफ्रन्टेशन की नीति आपकी है।

**श्रीमती सुशीला गोपालन** (अलप्पी) : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगी कि वह 1973 के समझौते को कब क्रियान्वित करने जा रहे हैं?

**श्री केदार पांडे** : मैं झगड़ालू एकदम नहीं हूं।

**श्रीमती सुशीला गोपालन** : यह टकराव है क्योंकि···महोदय मैं आपकी सुरक्षा चाहती हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं।

**श्री केदार पांडे** : मैं झगड़ा पसन्द नहीं करता।

**श्रीमती सुशीला गोपालन** : खड़ी हुई। (व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल न किया जाये। अब मत बोलिये।

**कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

**श्री केदार पांडे** : मैं चाहता हूं सबको साथ लेकर चलूं। शास्त्री जी आपके साथ मैं कभी झगडता हूं ? आप तो मेरे परम मित्र हैं। हम दोनों पटना सिटी के हैं। यह बात दूसरी है कि आप उधर बैठे हैं और मैं इधर।

**श्री समर मुखर्जी** : खड़े हुए (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : मैं अनुमति नहीं देता। श्री मुखर्जी कृपया व्यवधान मत डालिए।

**श्री केदार पांडे** : जब मैंने काम को सम्भाला तो कुछ सुधार करना भी शुरू किया। मैं क्या करूं ? लोको रनिंग स्टाफ के लोग पांच जनवरी को हड़ताल पर चलेंगे। जब सुधार कर रहे थे जब उन्होंने हड़ताल कर दी।

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, महोदय। कृपया बैठ जाइये। (**व्यवधान**)**

**श्री केदार पांडे** : हम क्या करें ? एज एन एम्प्लायर, हमने एम्प्लायर के धर्म का पालन किया। जो हमें करना चाहिए था हमने किया। आप लोग ही कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को चुस्त होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को मुझे चुस्त करना है तो इंडिसिप्लिन को तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं।

**श्रीमती सुशीला गोपालन** : खड़ी हुईं। (**व्यवधान**)**

**अध्यक्ष महोदय** : कोई प्रश्न नहीं। अनुमति नहीं दी गई है। मेरी अनुमति के बिना जो कुछ भी कहा जाएगा, कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा। (**व्यवधान**)**

**श्री केदार पांडे** : रेलवे एम्प्लायीज हमारे हैं। अपने एम्प्लायीज के साथ हमारी मुहब्बत है। मैं रिवेंजफुल आदमी नहीं हूं। लेकिन जो एम्प्लायर का धर्म है उसको तो देखना ही पड़ता है। बुनियादी तौर से मैं ट्रेड यूनियनिस्ट हूं, मजदूर कार्यकर्त्ता हूं। आपकी हमदर्दी अगर मजदूर क्लास के साथ है तो मैं घातक नहीं बनूंगा। मैं एक कदम आगे चलने वाला हूं। लेकिन रेलों को भी तो मुझे चलाना है, माल और पैसेजर्स को भी तो ढोना है। मैंने अपने धर्म का पालन किया है। मेरी बदले की भावना नहीं है। हर किसी को कान्स्टीट्यूशनल तरीके से अपनी डिमांड्ज को रखना चाहिए।

कैज्युअल लेबर का जहां तक ताल्लुक है बारह हजार को हम लोगों ने रेग्युलर एम्प्लायमेंट दे दिया है। चौबीस हजार को हम जल्दी ही यह बैनीफिट देने जा रहे हैं। ग्रुप डी में जो लोग हैं या क्लास फोर हैं और वर्कशाप्स में जो काम करते हैं उनको भी हम बैनिफिट देंगे, कैंटीन स्टाफ जो है उसको भी रेग्युलर रेलवे पर्सनल स्टेटस देंगे।

माननीय सदस्यों ने कहा कि इतने ज्यादा रेट बढ़ा दिए हैं और उस पर कुछ सोचा जाना चाहिए। आपकी बात का असर मुझ पर हुआ है। मैं कुछ कंसेशन दे रहा हूं, थोड़ा-सा दे रहा हूं।

** कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

[ श्री केदार पांडे ]

मैंने अपने बजट भाषण में कहा था कि तीन तरह की कमोडिटीज को, जो 15 परसेंट सरचार्ज है, उससे एग्जेम्प्ट करते हैं। यह हैं साल्ट, तारकोल और फायरवुड। मेडिसिन को भी मैंने इसमें जोड़ लिया है जिसके कारण 4 लाख रुपये की हमको कमी होगी। अगर लोग खुश हों तो हों इसको माफ करने में कोई एतराज नहीं है। उसके बाद मिल्क को ऐग्जेम्प्ट कर दिया और जो वेजिटेबिल्स हैं उसमें पोटेटो, अनियन इसको भी जब गुड्स ट्रैफिक करते हैं तो इसको 15 परसेंट से घटाकर 10 परसेंट कर दिया है। फिर वेजिटेबिल्स इनक्लूडिंग पोटैटो, अनियन, वीटल नट्स, पान, मेडिसिन बुक्ड एज पार्सल ट्रैफिक उस पर 5 परसेंट सरचार्ज करेंगे।

**श्री जो० एम० बनातवाला** (पोन्नानी) : पान के साथ-साथ वीटल नट्स भी हैं ?

**श्री केदार पांडे** : अभी तो पान ही है।

इसके अलावा बजट स्पीच में कहा था कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनको 50 परसेंट कंसेशन मिलता है, लेकिन अब उसको मैंने बढ़ाकर 75 परसेंट कर दिया है।

**श्री वीरभद्र सिंह** (मंडी) : ऐपिल्स के बारे में आपने क्या किया ?

**श्री केदार पांडे** : सुनिये, सेकेण्ड क्लास के लिए सुपर फास्ट सप्लीमेंटरी चार्ज 3 रुपये के बजाय 2 रुपये रहेगा। स्कीपर चार्जेज जो बजट में 8 रुपये, 5 रुपये, 5 रुपये थे उसको भी मैंने 5 रुपये, 5 रुपये कर दिया है, यानी पहली नाइट का भी पांच और दूसरी नाइट का भी 5 रुपये और तीसरी नाइट मुफ्त।

अब मैं कामन मैन की बात करता हूं जिनकी तादाद 92 परसेन्ट है। हमने कहा था कि 150 किलोमीटर के बाद 10 परसेंट होगा। अब इसको बढ़ाकर 200 किलोमीटर तक कर दिया है। यानी 200 किलोमीटर तक यात्रा करने पर कोई सरचार्ज नहीं और 200 किलोमीटर के बाद सैकेण्ड क्लास के लिए बजाय 10 परसेंट के 5 परसेंट कर दिया है। तो यह तो आप मानेंगे कि आप लोगों की बात का असर पड़ा है। इन कन्सेशनों से मैं समझता हूं आप सभी लोग खुश होंगे, सबके चेहरे हंसते हुए दिखाई पड़ते हैं। मुझे अगर आप मौका देंगे और अपना सहयोग देंगे ठीक से गुड्स ट्रेन चलाऊं, पैसेंजर ट्रेन चलाऊं और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाकर आगे की बात सोचूं।

**श्री तपेश्वर सिंह** (विक्रमगंज) : मंत्री जी, आरा और सासाराम लाइन का सर्वे जल्दी कराइये।

**श्री केदार पांडे** : सुनिये, मुझे कहने दीजिए।

मान्यवर, समाप्त करने से पहले मुझे एक बात और याद आ गई और वह यह कि बजबज से नानकाना लाइन का सर्वे करा रहे हैं और प्लानिंग कमीशन के पास गया हूं। उस पर भी ध्यान देंगे और उसको मैं कराने की कोशिश करूंगा।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश में जो हमारे रेलवे के कर्मचारी और अधि-

कारी हैं, उनके सहयोग से ही मैं काम करता हूं। उनका पूरा सहयोग हमको मिला है और हमारे जो बोर्ड के चेयरमैन हैं, मेम्बर्स हैं, कुछ लोगों ने उनको व्हाइट एलीफैन्ट कहा, मैं समझता हूं कि जो नया बोर्ड बना है, इसने कमाल का काम किया है और बहुत अच्छा काम किया है। रेलवे कर्मचारियों का पूरा सहयोग मुझे मिला है। मैं इसी नतीजे पर आया हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे भी मुझे पूरा सहयोग मिलता रहेगा।

---

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजकर 40 मिनट म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2 बजकर 45 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

## जीवन बीमा निगम (संशोधन) अध्यादेश, 1981 के बारे में सांविधिक संकल्प तथा जीवन बीमा निगम (संशोधन) विधेयक

**उपाध्यक्ष महोदय :** अब हम मद 11 और 12 पर एक साथ विचार करेंगे। इनपर विचार करने हेतु, 4 घंटे का समय नियत किया गया गया है। श्री इन्द्रजीत गुप्त संकल्प पेश करेंगे।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (बशीरहाट) : महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प पेश करता हूं :

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 31 जनवरी, 1981 को प्रख्यापित जीवन बीमा निगम (संशोधन) अध्यादेश, (1981 का अध्यादेश संख्या 3) का निरनुमोदन करती है।"

**वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन)** : महोदय, मैं विधेयक पर विचार किये जाने का प्रस्ताव पेश करूंगा। उसके पश्चात हम पूरा वाद-विवाद कर सकते हैं।

मैं प्रस्ताव करता हूं..... (व्यवधान)

**श्री जी० एम० बनातवाला** (पोन्नानी) : महोदय, यह उचित प्रक्रिया नहीं है। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने पहले बोलना है और उसके पश्चात मंत्री महोदय विधेयक के बारे में प्रस्ताव पेश करेंगे।

**श्री आर० वेंकटरामन :** वाद-विवाद में तो सदैव सभी भाग ले सकते हैं। मैं पहले विधेयक पेश करूंगा और.....

**श्री जी० एम० बनातवाला :** आदर पूर्वक मैं यह कहना चाहता हूं कि यह उचित प्रक्रिया नहीं है।

**उपाध्यक्ष महोदय :** जिस प्रक्रिया का पालन किया जाता है वह यह है कि वह संकल्प को पेश करेंगे और बोलेंगे और तब आप विधेयक को पेश करेंगे।

**प्रो० मधु दंडवते** (राजापुर) : हमें कोई आपत्ति नहीं है। सामान्यतया वैसी प्रक्रिया नहीं है। निरनुमोदन का प्रस्ताव पेश करने वाला व्यक्ति ही सदैव बोलता है।

**श्री आर० वेंकटरामन** : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने सोचा था कि मैं विधेयक पेश कर सकता हूँ और बोल सकता हूँ और वह उत्तर दे सकते हैं।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : महोदय, इस अध्यादेश के बारे में बोलने से पूर्व मुझे कृपया इस अध्यादेश की पृष्ठ भूमि को संक्षेप में दोहराने की अनुमति दी जाये। इसे समझना बहुत ही आवश्यक है।

महोदय, एक समझौते के द्वारा जिस पर 24 जनवरी 1974 को हस्ताक्षर किये गये थे, जीवन बीमा निगम और इसके कर्मचारियों के बीच भारत सरकार की पूरी स्वीकृति से एक करार किया गया था। मैं यह बताना चाहता हूं कि हस्ताक्षर करने के समय तत्कालीन वित्त मंत्री और तत्कालीनी श्रम मंत्री दोनों उस अवसर पर मौजूद थे। महोदय, इस करार के अनुसार बोनस से संबंधित अंश में यह बताया गया था कि कर्मचारियों की कुल वार्षिक वेतन का केवल 15 प्रतिशत तक बोनस बिना किसी भेद भाव और बिना किसी अधिकतम सीमा के बोनस के रूप में उन्हें दिया जायेगा। यह करार आपात काल आने तक लागू रहा। आपात काल के दौरान भारत सरकार ने इस सभा में एक विधेयक पेश किया और इसे पारित करके 1974 के इस करार को रद्द कर दिया। आपात काल के पश्चात् कर्मचारियों ने अपील की और आपात काल के दौरान पास किये गये इस अधिनियम को उच्चतम न्यायालय के 7 न्यायाधिशों की एक पीठ द्वारा 21 फरवरी, 1978 को रद्द कर दिया गया। मैं इस समय निर्णय को उद्धृत नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें काफी अधिक समय लग जायेगा, किन्तु मैं उसका उल्लेख संक्षेप में करूंगा कि उस निर्णय में, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश श्री बेग के अनुसार आपात काल के दौरान पारित इस अधिनियम से संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है जिस में बताया गया है कि सभी नागरिकों के बीच कोई भेद-भाव नहीं किया जायेगा और कानून की दृष्टि से सब समान होंगे। उनके अनुसार यह विधेयक जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के विरुद्ध एक भेद-भाव है। दूसरे, न्यायमूर्ति बेग का यह विचार था कि यह अधिनियम अनुच्छेद 43 के, जो निदेशक तत्वों के बारे में है, भी विरुद्ध है और उन्होंने यह विचार भी व्यक्त किया कि अनुच्छेद 43 को देखते हुए कर्मचारियों के वेतन को मनमाने ढंग से कम नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि यह बोनस लाभशुदा बोनस नहीं था, प्रत्युत गैर-लाभ शुदा बोनस था। उन्होंने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 31 के अन्तर्गत यह बोनस, जैसाकि यह समझौते के समय था अथवा गैर-लाभशुदा बोनस था, बनता है अथवा इसमें सम्पत्ति का एक तत्त्व है, वेतन का एक भाग है और एक कर्मचारी का वेतन उसकी सम्पत्ति का एक भाग होता है, यही सम्मानित न्यायालय की व्याख्या थी और इस अधिनियम को, जो मनमाने ढंग से बोनस को कम करता है, कायम रखा नहीं जा सकता।

जब 7 न्यायाधीशों की पीठ ने यह निर्णय दिया तब जीवन बीमा निगम ने क्या किया। उन्होंने तुरन्त ही कुछ अधिसूचनाएं जारी कर दी जिन के द्वारा 1974 के समझौते को समाप्त कर

दिया गया। इन अधिसूचनाओं के विरुद्ध कर्मचारी पुनः न्यायालय में गये अर्थात् वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय अथवा इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में गये। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इन अधिसूचनाओं को पुनः रद्द कर दिया। उसके विरुद्ध जीवन बीमा निगम ने अपील की। 10 नवम्बर, 1980 को जीवन बीमा निगम द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध दायर की गई अपील को उच्च न्यायालय द्वारा पुनः रद्द कर दिया गया। इसी बीच जीवन बीमा निगम की ओर से एक पुनरीक्षण याचिका दायर की गयी थी और कर्मचारियों की ओर से मान-हानि याचिका दायर की गयी और ये दोनों याचिकाएं उस समय अनिर्णीत पड़ी हुई थीं।

10 नवम्बर, 1980 के नवीनतम निर्णय के अनुसार हम ने देखा है कि सरकार ने इस अध्यादेश का आश्रय लिया है। जैसा कि हम पुरःस्थापित किये जाने के समय चर्चा कर रहे थे, कि जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम की परिधि से निकाला जा रहा है। हम मामले पर उच्चतम न्यायालय के समक्ष काफी अधिक चर्चा की गयी थी और तर्क वितर्क किये गये थे। मैं केवल संक्षेप में सभा को उस बारे में याद दिलाऊंगा कि न्यायाधीश श्री कृष्ण अय्यर ने अपने निर्णय में क्या कहा था। मैं उसे उद्धृत करता हूं। "केवल वह विषय जिस के परिणामस्वरूप यह मुकदमा शुरू हुआ और जो पक्षों के बीच झगड़े की जड़ है, निगम और इसके कर्मचारियों के बीच एक औद्योगिक विवाद है···

**एक माननीय सदस्य :** अधिकारी भी कर्मचारी बन जाते हैं ?

**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** उन्होंने यह भी कहा है कि अध्ययन करने के बाद मैंने यह निष्कर्ष निकाला है कि यदि तुलना की जाये तो पता चलता है कि कर्मचारियों और निगम के बीच एक समझौते को समाप्त करना औद्योगिक विवाद के अन्तर्गत आ जाता है। जहां औद्योगिक विवाद अधिनियम एक विशेष विधान है और जीवन बीमा अधिनियम तक सामान्य विधान है। अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तकों और निर्णयों द्वारा सामान्य सूत्र को लागू कर देने से हमारे मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं रह जाता है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, जो कि एक विशेष विधान हैं, जीवन बीमा अधिनियम पर, जो केवल एक सामान्य कानून है, हावी है।

उन्होंने एक अन्य स्थान पर यह भी कहा कि उनके विचार में औद्योगिक विवाद अधिनियम विशेषकर कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच औद्योगिक विवादों के लिए एक विशेष विधान है और जीवन बीमा निगम अधिनियम एक सामान्य विधान है जिसमें कर्मचारियों के विवादों के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। हालांकि यह एक विशेष विनियमन तो हो सकता है जिसके द्वारा निजी बीमा व्यापार के अधिग्रहण करने को अधिनियमित किया गया हो।

न्यायमूर्ति अय्यर ने यह भी कहा कि उनके लिये यह सोचना कठिन है जहां समूचे औद्योगिक क्षेत्र को, जिसमें नगरपालिकाओं, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान परिषदों और इस प्रकार की अन्य संस्थाओं को शामिल किया गया है औद्योगिक विवाद अधिनियम द्वारा औद्योगिक विवादों के नाजुक क्षेत्र में विनियमित किया गया है, वहां संसद निगम के लिए, जिसमें एक तरफा तौर से श्रमिकों की मांगों की अवहेलना की जा सकती है एक अच्छी व्यवस्था करती। अतः इस मामले में

[ श्री इन्द्रजीत गुप्त ]

न्यायालय ने बहुत ही स्पष्ट रूप से निर्णय दिया है। मैं एक और उद्धरण पढ़ता हूं। केन्द्रीय सरकार के निदेशों के अध्यधीन जीवन बीमा निगम अधिनियम के अंतर्गत निगम के कर्मचारियों की सेवा शर्तों को, जिनमें बोनस की अदायगी अथवा गैर-अदायगी शामिल है, विनियमित करने की शक्तियां चाहे जो कुछ भी हों, वे एक सामान्य अधिनियम से उत्पन्न होती है और उस विशेष विधान को समाप्त अथवा नष्ट नहीं कर सकतीं या उसका स्थान नहीं ले सकतीं जो कि विशेष रूप से कर्मचारियों और उन के बीच औद्योगिक विवादों को निपटाने के लिए बनाया गया है। इस प्रकार अन्य प्रश्नों पर मेरे विचारों की कोई आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने सही निष्कर्ष निकाला है और मैं इस निर्णय का समर्थन करता हूं। इसलिए मैं निगम को निर्देश देता हूं....."

न्यायाधीश अय्यर ने सरकार को यह भी निर्देश दिया था कि वह 1974 के समझौते के अनुसार अपने दायित्वों को पूरा करे और एक आदर्श नियोक्ता की तरह अपने और अपने कर्मचारियों के बीच सेवा शर्तों के बारे में एक उचित समझौते के लिए बातचीत शुरू करे ताकि जीवन की वर्तमान परिस्थितियों, न्याय के सिद्धान्तों और संविधान के चौथे भाग में निहित सिद्धान्तों के प्रति यथार्थ एवं समान रूप से सम्मान करें।

न्यायाधीश श्री पाठक का भी यही विचार था कि जीवन बीमा निगम अधिनियम द्वारा औद्योगिक अधिनियम के उपबन्धों की उपेक्षा नहीं की जा सकती।

मेरे लिये यह आवश्यक नहीं है कि मैं आप को याद कराऊं कि आप मजदूर संघ के एक पुराने नेता हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं मजदूर संघ का नेता तब था जब मैं बहुत छोटा था।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : औद्योगिक विवाद अधिनियम में 'कर्मचारी" की परिभाषा में जीवन बीमा निगम के कर्मचारी निश्चित रूप से आ जाते हैं।

औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुच्छेद में (कर्मकार) का लक्षण निम्न प्रकार से दिया गया है :

> "कर्मकार" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो कोई कुशल या अकुशल, शारीरिक, पार्यवेक्षणिक, तकनीकी या लिपिकीय काम भाड़े या ईनाम के लिए करने के लिए किसी उद्योग में नियोजित है, चाहे नियोजन के निबन्धन अभिव्यक्त हों या विवक्षित।"

अब पूर्ण ईमानदारी के साथ मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 9 क में एक अन्य प्रावधान किया गया है। जो इस प्रकार है :

> "कोई भी नियोजक, जो किसी कर्मकार को लागू सेवा की शर्तों में कोई तबदीली करने की प्रस्थापना करता है—

(क) ऐसे कर्मकार को, जिस पर ऐसी तबदीली का प्रभाव पड़ना सम्भाव्य हो, प्रस्थापित तबदीली की प्रकृति की विहित रीति से सूचना दिये बिना, अथवा

(ख) ऐसी सूचना देने के इक्कीस दिन के भीतर ।

इसमें आगे कहा गया है :

"यदि यह राय हो कि औद्योगिक स्थापनों के किसी वर्ग को या किसी औद्योगिक स्थापन में नियोजित कर्मकारों के किसी वर्ग को धारा 9क के उपबंधों का लागू होना उससे संबद्ध नियोजकों पर ऐसा प्रतिकूल प्रभाव डालता है कि इस प्रकार लागू किये जाने से सम्पृक्त उद्योग पर गंभीर प्रतिक्रिया होगी और यह कि लोकहित ऐसा अपेक्षित करता है, जहां समुचित सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि उक्त धारा के उपबंध औद्योगिक स्थापनों के उस वर्ग को या किसी औद्योगिक स्थापन में नियोजिक कर्मकारों के उस वर्ग को लागू नहीं होंगे"

अधिनियम इसके बारे में स्पष्ट है। 'कर्मगार' के लक्षण के अन्तर्गत जीवन बीमा निगम के कर्मचारी भी आते हैं और सरकार ने किसी भी समय कोई ऐसी अधिसूचना जारी नहीं की है जिसमें कहा गया हो कि धारा 9 क जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है और न ही सरकारकोई ऐसा विधेयक लाई है जिसके अन्तर्गत औद्योगिक विवाद अधिनियम में कोई ऐसा संशोधन किया गया हो, जिसमें यह प्रावधान हो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों पर लागू नहीं किया जायेगा। ऐसी कुछ भी कार्यवाही उन्होंने नहीं की है। परन्तु उन्होंने चोरी-छिपे एक अध्यादेश जारी किया है, और वह भी गलत तरीके से, जिसके माध्यम से वह जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम इसके कार्य क्षेत्र से बाहर करने का प्रयास कर रही है, जो पूर्णतया गैर-कानूनी है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने कहा है; और मैं भी यही कहना चाहता हूं कि वह ऐसा नहीं कर सकते हैं।

मुख्य प्रश्न यह नहीं है कि इस कटौती का परिणाम क्या होगा। इसमें संदेह नहीं है कि जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों में इसके कारण बहुत अधिक असंतोष व्याप्त है और ऐसा होना स्वाभाविक ही है क्योंकि उनके बोनस, महंगाई भत्ते तथा अन्य उपलब्धियों में बहुत अधिक कटौती की जा रही है।

आज प्रात: हमने यहां इस बात पर चर्चा भी की कि भारतीय रिजर्व बैंक या अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि में दिये जा रहे महंगाई भत्ते की उन्हें दिये जा रहे महंगाई भत्ते के साथ तुलना क्या है। परन्तु अभी मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना है। अभी उसका प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि सरकार ने इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई है। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। वह एक सामान्य उपयोग की बात है। परन्तु यह तक ऐसी बात नहीं है। जो केवल जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों से सम्बद्ध ही है। आज इसका सम्बन्ध केवल जीवन बीमा निगम से है। कल इसका सम्बन्ध किसी ओर से भी हो सकता है, बात तो केवल यह है कि एक बार इस प्रक्रिया के आरम्भ होने की है।

मैं संविधान के अनुच्छेद 360 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं।

[ श्री इन्द्रजीत गुप्त ]

मेरे विचार में इस प्रकार की आर्थिक आपात स्थिति की उदघोषणा अभी तक इस सभा के सामने नहीं आयी है । यदि ऐसी कोई बात हो, यदि देश भर में आपात कालीन स्थिति की घोषणा हो तो केवल यह सरकार ही सरकारी आदेश द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन कम कर सकती है, अन्यथा मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं किया जा सकता ।

मैं आपको याद दिलाता हूं कि अनुच्छेद 360 में कहा गया है :

यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिससे भारत अथवा उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यय संकट में है तो वह उद्घोषणा द्वारा उस बात की घोषणा कर सकेगा ।

और फिर इसमें कहा गया है :

"उस कालावधि में, जिसमें कि खंड (1) में वर्णित कोई उद्घोषणा प्रवर्तन में रहती है संघ की कार्यपालिका शक्ति किसी राज्य को वित्तीय औचित्य संबंधी ऐसे सिद्धान्तों का पालन करने के लिए निदेश देने तक, जैसे कि निदेशों में उल्लिखित हों तथा ऐसे अन्य निदेश देने तक, जिन्हें राष्ट्रपति उस प्रयोजन के लिए देना आवश्यक और समुचित समझे, विस्तृत होगी ।"

"(ख) उस कालावधि में, जिसमें कि इस अनुच्छेद के अधीन निकाली गई उद्घोषणा प्रवर्तन में है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के सहित, संघ के कार्यों के संबंध में सेवा करने वाले व्यक्तियों के सब या किसी वर्ग के वेतनों और भत्तों में कमी के लिए निदेश निकालने के लिए राष्ट्रपति सक्षम होगा "

आर्थिक आपात स्थिति की इन शक्तियों के अन्तर्गत राष्ट्रपति भारतीय संघ में काम करने वाले प्रत्येक वर्ग के कर्मचारी के वेतन, भत्ते, बोनस आदि को कम कर सकता है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इन शक्तियों के उपयोग किये बिना ही वे जिस कार्यवाही करने का प्रयास कर रहे हैं वह सर्वथा संविधान का उल्लंघन है । यदि वे ऐसा करना चाहते हैं तो वे आर्थिक आपात स्थिति की उद्घोषणा क्यों नहीं करते ? हम काफी समय से यही कहते आये हैं और संदेह व्यक्त करते हैं कि किसी आर्थिक व सामान्य आपात स्थिति की घोषणा किये बिना ही वे अन्य छल कपट वाले तरीके अपनाकर कई ऐसे काम कर रहे हैं । जिसके लिये आपात स्थिति का होना जरूरी है ।

अब इस अध्यादेश तथा यदि विधेयक पास होता है तो अधिनियम का प्रभाव यही होगा कि उच्चतम न्यायालय के बाध्य निर्णयों की अवहेलना की जायेगी । संसद की शक्तियों को घटाकर राष्ट्रपति की शक्तियों को बढ़ावा दिया जा रहा है ।

यह अध्यादेश संसद सत्र शुरू होने से 15 अथवा 16 दिन पहले तथा संसद अधिवेशन बुलाने सम्बन्धी समन जारी होने के बाद जारी किया गया । उन्हें सिद्ध करना है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की तुरंत आवश्यकता थी । संविधान में तुरंत आवश्यकता जैसे शब्दों का

उपयोग किया गया है। अभी तक जो कुछ उन्होंने कहा और किया है उससे उन्हें यह सिद्ध करने श्रेय नहीं मिला कि इसकी तुरंत आवश्यकता थी।

मैं इस बात को विस्तार से नहीं कहूंगा कि अध्यक्ष महोदय ने कई बार सार्वजनिक तौर से संसद सत्र शुरू होने से पहले अधिक से अधिक अध्यादेश जारी करने सम्बन्धी नीति पर अपनी चिन्ता तथा सहमति प्रकट की है। मेरे विचार में अध्यक्ष महोदय के ये विचार औचित्यपूर्ण हैं तथा इनका सरकार पर किंचित मात्र के प्रभाव नहीं पड़ा।

हम सब इस बात से चिंतित हैं कि इससे एक ऐसा मार्ग प्रशास्त हो रहा है जिसके द्वारा वेतन में कमी की जायेगी और सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों की वेतन वृद्धि पर रोक लगेगी। आज जीवन बीमा निगम के साथ ये व्यवहार हो रहा है और कल किसी और संस्था के साथ किया जा सकेगा।

वास्तव में क्या हुआ है ? श्री वेंकटरामन ने उस दिन सभा में कहा था कि विपक्ष अथवा कर्मचारी अथवा मजदूर संघ ने उच्चतम न्यायालय के आदेश को गलत समझा है।

23 फरवरी को श्री वेंकटरामन ने इस सभा में कहा था :

"उन्होंने अर्थात् महान्यायवादी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि वह 15 अप्रैल तक बोनस दे देंगे। यदि आपको गुमराह किया गया है तो इसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूं। यदि आप इसे पढ़कर कुछ और अर्थ लेते हैं तो यह आपकी गलती है।"

उन्होंने 13 जनवरी को भी यह कहा था :

"यह वही तारीख है जिसे आपने कहा था कि महान्यायवादी ने वचन दिया था कि वह बोनस देंगे।"

"बोनस" शब्द पर चिन्ह लगाइये। उन्होंने यह नहीं कहा कि वे बोनस देंगे।

उन्होंने कहा कि वे 15 अप्रैल 1981 से पहले न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे। श्री वेंकटरामन ने यहां यही कहा था जैसे कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अर्थ जरूरी तौर पर 'बोनस अदायगी' न हो। उन्होंने इस प्रकार की व्याख्या करनी चाही थी। शीघ्र ही कर्मचारी···

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (जादवपुर) : मैं वहां उपस्थित था। न्यायालय ने पूछा कि "आप कितना समय चाहते हैं', और महान्यायवादी ने कहा, '15 अप्रैल'। वह केवल अदायगी के ही लिये था। मामला अदायगी का ही था।

**वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन)** : यह ठीक नहीं है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : मैं उपस्थित था।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : अब मुझे पूरा करने दीजिए।

**श्री आर० वेंकटरामन** : मेरे पास महान्यायवादी का वह वक्तव्य है जिसे न्यायालय ने स्वीकार किया है ।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : न्यायालय ने कहा था कि "आप कितना समय चाहते हैं ?" (व्यवधान) मुझे बहुत खेद है कि वित्त मंत्री—मैं व्यक्तिगत रूप से उनके विरुद्ध नहीं हूँ—को सरकार ने गुमराह किया है ।

**श्री आर० वेंकटरामन** : मैं न्यायालय के सभी आदेश पढ़ता हूँ ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : श्री वेंकटरामन सभा में आपके वक्तव्य के बाद, जैसे कि आप जानते हैं, कर्मचारी स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए फिर न्यायालय में गये । 26 फरवरी को न्यायालय ने क्या आदेश दिया ? कृपया सुनिये कि वह क्या कहते हैं···

**श्री आर० वेंकटरामन** : मेरे पास एक प्रति है ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : "जब महान्यायवादी ने जीवन बीमा निगम की ओर से इस न्यायालय के 10 नवम्बर 1980 के निर्णय में दिये गये आदेश के बारे में वक्तव्य दिया तो हमने उनके कहने का यह अर्थ लिया कि 15 अप्रैल से पहले जिस बात का पालन करना है वह यह है कि निर्णय के उस भाग जिसके अन्तर्गत जीवन बीमा निगम, कर्मचारियों को बोनस देने के लिए बाध्य है, का पालन···

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : प्रत्येक ने इसको गलत समझा हो ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : न्यायधीशों तथा औरों ने महान्यायवादी को गलत समझा । फिर वे आगे कहते हैं :

> "यह निस्संदेह सच है कि इस न्यायालय के 10 नवम्बर 1980 के आदेश में जीवन बीमा निगम को यह छूट दी गई थी कि वह या तो नये समझौते द्वारा 1974 के समझौते को समाप्त करवायें···" उन्होंने वैसा नहीं किया ।
>
> "···या उस बारे में औद्योगिक पंचाट प्राप्त करें···"
>
> उन्होंने वैसा नहीं किया ।
>
> "···लेकिन महान्यायवादी के वक्तव्य के समझौते से हमने इस प्रकार की छूट का उपयोग नहीं किया । हमने इतना ही समझा कि 10 नवम्बर, 1980 के निर्णय के अदायगी सम्बन्धी भाग का पालन निर्णयाधीन समीक्षा याचिका के निर्णय के बाद किया जायेगा ।"
>
> सचमुच बहुत ही दुखदायी मामला है···

**श्री आर० वेंकटरामन** : न्यायालय ने महान्यायवादी के बारे में जो कुछ कहा है, कृपया उसे पढ़ें । क्या मैं इसमें आपकी सहायता कर सकता हूँ ?

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : आप उत्तर देंगे ही । दुर्भाग्यवश, उच्चत्तम न्यायालय ने अनुभव किया

कि महान्यायवादी के वक्तव्य के बारे में जो स्पष्ट प्रभाव उन पर पड़ा उसके स्पष्ट उल्लेख के अतिरिक्त वे इस समय कोई भी राहत नहीं दे सकते थे। अपने आदेश के अन्तिम पैराग्राफ में उन्होंने कहा है कि यह वास्तव में करुणाजनक बात है :

"मामला इस स्पष्टीकरण के साथे समाप्त हो जाना चाहिए···"

**श्री आर० वेंकटरामन** : कृपया स्पष्टीकरण पढ़िए।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (बासीरहाट) : "···चूंकि विद्वान महान्यायवादी द्वारा दिए गए वक्तव्य से हम जो समझ पाये हैं तथा उपर्युक्त वक्तव्य के माध्यम से महान्यायवादी हमें जो कुछ कहना चाहते हैं उसे रिकार्ड करने पर हमारे विचार से जो राहत मांगी गई है वह नहीं मिल सकती है। "हम यह मानते हैं कि यह न्यायालय किसी संसद सदस्य द्वारा सदन में दिये गये वक्तव्य में शुद्धि नहीं कर सकता है।"

यह संसद सदस्य भारत सरकार के वित्त मंत्री महोदय हैं जो कि इस जीवन बीमा निगम के लिए उत्तरदायी हैं और जिन्होंने पांच दिन पहले इस सदन में अपना बजट प्रस्तुत किया है, वह केवल संसद के सदस्य ही नहीं हैं। उच्चतम न्यायालय का यह विचार है।

साथ ही मुझे उस मुद्दे को भी स्पष्ट कर देना चाहिए, और मुझे आशा है कि श्री वेंकट-रामन इसे जानते है कि जब 10 नवम्बर का फैसला, उच्चतम न्यायालय ने कि दिया था—मेरे पास उनके द्वारा दिये गए सब आदेश की प्रमाणित प्रति हैं···

**प्रो० मधु दण्डवते** (राजापुर) : महोदय, यह एक ऐतिहासिक घटना है।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : निम्नलिखित आदेश दिया गया था :

"माननीय न्यायमूर्ति श्री वी० आर० कृष्ण अय्यर और माननीय न्यायमूर्ति श्री आर० एस० पाठक ने अपील को रद्द करते हुए और अन्तरण के मामले की अनुमति देते हुए अलग-अलग परन्तु सहमति पूर्ण निर्णय दिए··· माननीय न्यांयमूर्ति श्री ए० डी० कौशल ने अपील की अनुमति देते हुए और अन्तरण के मामले को रद्द करते हुए एक अलग और असम्मत निर्णय दिया।

बहुमत निर्णय जिसमे प्रथम, द्वितीय और तृतीय प्रतिवादियों की अपील को लागत सहित रद्द किया गया है और 1979 की अन्तरण याचिका संख्या-1 को लागत सहित जो कि याचिका-कार को द्वितीय प्रतिवादी को देनी है, मंजूर किया गया है मिसिल में रखा गया है।"

दोनों पर दिये गये निर्णय मिसिल में रखे गये हैं और निर्णय तथा आदेशों का प्रतिवेदन किया जाना है। न्यायालय ने निम्नलिखित अगला आदेश दिया :

"इस न्यायालय ने दिनांक 22-11-1978 को एक आदेश दिया है जिसमें निम्नलिखित निर्देश दिया गया है···"

[ श्री इन्द्रजीत गुप्त ]

और उसके बाद मैं दिनांक 22. 11. 78 के आदेश से यह उद्धरित करता हूँ :

"परन्तु, यदि याचिका कर्त्ता अपील हार जाता है तो याचिका कर्त्ता को वोनस तथा जिस से यह देय है तबसे उस पर 120% वार्षिक की दर से ब्याज भी देगा।"

और आगे यह आदेश दिया गया है :

"चूंकि यह बंधनकारी है अतः इसे अपीलकर्ता क्रियान्वित करेगा।"

**कुछ माननीय सदस्य :** चूंकि यह बंधनकारी है।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** उन्होंने यह आदेश 11 नवम्बर को दिया। इसके बाद यह अपीलकर्त्ता अपनी अपील हार गया है :

"यदि वह अपनी अपील हार जाता है तो उसे लागत खर्च देना होगा क्योंकि यह बंधनकारी है।"

महोदय, स्पष्टरूप से दिए गये इस अखण्डनीय निर्णय से अब वे इस पिछले दरवाजे से घुसने पर उतर आए हैं। अतः वेंकटरामन महोदय सचमुच मैं नहीं जानता कि क्या कहा जाए। कुछ भी हो, बाद में इसके अच्छे परिणाम रहेंगे। भविष्य में आप इस देश के कर्मचारियों और कामगार वर्गों को अपने विरुद्ध एक होने में सहायता दे रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है···

**एक माननीय सदस्य :** यदि माननीय सदस्य···

**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** मैं नहीं झुकता।···

**एक माननीय सदस्य :** कुछ शिष्टाचार बरतिये।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** मेरे पास वैसा शिष्टाचार नहीं है। जब आपकी सरकार कुछ शिष्टाचार बरतेगी तो, मैं भी शिष्टाचार बरतूंगा···(व्यवधान) मैं हार नहीं मान रहा हूं। आप मुझे चुप कराना चाहते हैं ? ···मैं हार नहीं मान रहा हूं। आप भी बोले जब आपको बोलने का मौका मिले।

इसके अतिरिक्त मैं एक और बात का उल्लेख करना चाहूंगा। वेंकटरामन महोदय, क्या मैं आपको याद दिलाऊं कि 16 फरवरी, 1981 को जीवन बीमा निगम की ओर से न्यायालय में एक शपथपत्र दाखिल किया गया था और इस शपथपत्र में यह स्पष्टरूप से लिखा है कि माननीय

महान्याय वादी महोदय का वक्तव्य केवल उस तिथि से सम्बंद्ध हैं जिस तक भुगतान किया जाना है— इसमें भुगतान करने और भुगतान न करने के प्रश्न पर विचार नहीं किया गया है। उन्होंने समय की मांग की थी और एक तारीख देने की मांग की थी। इसलिए 15 अप्रैल की तारीख दी गई थी और दूसरे पक्ष ने इसका विरोध नहीं किया था। अब वेंकटरामन महोदय यहां आकर कहते हैं कि उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि वे भुगतान करेंगे। महोदय यहां वह अखण्डनीय साक्ष्य है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने इसे क्या समझा है और कैसे उन्होंने इसे स्पष्ट किया है।

मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि यह प्राथमिक रूप से बोनस या महंगाई भत्ता या और और किसी अन्य बात की मात्रा का प्रश्न नहीं है। प्रश्न तो यह है कि यह अध्यादेश जारी करने की शक्ति का भारी दुरुपयोग है। यह तो देश के सर्वोच्च न्यायालय की अवज्ञा है। मैं नहीं जानता कि कौन सा मुंह लेकर वे ऐसा कर रहे है जबकि वे हमें प्रतिदिन हमें यहीं बताते रहते हैं कि इस देश में लोकतन्त्र स्वतन्त्र न्यायपालिका पर ही टिक सकता है। परन्तु जब न्यायपालिका अपनी स्वतन्त्रता प्रकट करती है कि और सरकार के विरुद्ध और कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय देती है तो, निस्सन्देह न्यायपालिका की इस स्वतन्त्रता को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। फिर, निस्सन्देह उन्हें इस प्रकार के अध्यादेश जारी करके न्यायपालिका की उपेक्षा करनी चाहिये। वास्तव में यह सामूहिक सौदेवाजी के अधिकार पर आक्रमण है। यह औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन मान्यता सामूहिक सौदेवाजी के श्रमिक संघ के अधिकार पर आक्रमण है।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हम इस अध्यादेश और विधेयक का यदि इसे पारित किया जाता है तो विरोध करेंगे और इसमें हम अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे, न केवल इस सदन में नहीं —क्योंकि यहां आपका अत्यधिक बहुमत है—परन्तु इसका बाहर भी विरोध किया जायेगा।··· (व्यवधान) हां, हां, बाहर। मैं तो केवल लोगों की बात कर रहा हूं। बाहर तो मैं आपसे बात नहीं करता, वहां पर तो हम लोगों के पास जाते हैं··· (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया शान्त रहिए। एक न एक दिन हम सबको ही जनता के पास जाना पड़ेगा। आप इस पर विवाद क्यों करते हैं ?

**श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** (कलकत्ता दक्षिण) : क्या वे लोगों से डरते हैं ?·· (व्यवधान) आप लोगों से डरते हैं।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** अन्त में, मैं उस भाग के मिथ्या तर्कों पर विचार करूंगा जो कि इस अध्यादेश को न्यायसंगत ठहराने के लिए दिए गए हैं तथा जो कि तथाकथित आर्थिक या वित्तीय आधारों पर दिये गये हैं।

मैं जानता हूं कि इस व्याख्यात्मक विवरण में जिसे परिचालित किया गया है, उसमें उन परिस्थितियों के बारे में बताया गया है जिनमें इस अध्यादेश को विधान में बदलने की आवश्यकता हुई है। श्री वेंकटरामन का कहना है :

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

"भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने कर्मचारियों के साथ समय-समय पर विभिन्न करार, समझौते और अनुबन्ध किए हैं उनसे उनके वेतन-ढांचे में गम्भीर विकार उत्पन्न हो गया है। इससे उनकी सेवा की शर्तों में अन्तर-संगठनात्मक और अन्तः-संगठनात्मक विसंगतियां उत्पन्न हो गई हैं।"

और इसलिए वे एक ऐसी विचित्र समान समन्वित राष्ट्रीय वेतन नीति प्रस्तुत कर रहे हैं जिसे वे अचानक ही जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की कीमत पर लागू करना चाहते हैं। एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिसमें कर्मचारियों के सभी वर्ग परस्पर विरोधी मांगे कर रहे थे और निगम पर अनुचित वित्तीय खर्चे का भार पड़ रहा था जो पालिसीधारकों के हित में नहीं था। स्थिति की आवश्यकता को यह जरूरी हो गया था कि लोकहित में उपचारात्मक कार्यवाही तुरन्त की जाए।" संसद का सत्र शुरू होने तक यानि कि 16 दिन तक वे प्रतीक्षा कर सकते थे। इस विधेयक के शुरू में कहा गया है :

"भारतीय जीवन-बीमा निगम और इसके पालिसी-धारकों के हितों के रक्षार्थ औ प्रशासन सम्बन्धी व्यय पर नियन्त्रण करने के लिए यह आवश्यक है कि सेवा की औरर शर्तों में शीघ्रातिशीघ्र संशोधन किया जाये।"

मैं केवल एक बात और कहना चाहता हूं। उन्होंने हाल ही में हमारे पास काफी सामग्री परिचालित की है। जीवन बीमा निगम के प्रतिवेदन हैं और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के काम के बारे में तीन भारी भरकम खण्डों में प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। यदि आप इन्हें पढ़ने का थोड़ा कष्ट करोगे तो आप को मालूम हो जायेगा कि उनके पास काफी मात्रा में सामग्री और सरकारी आंकड़े हैं।

**प्रो० के० के० तिवारी** (बक्सर) : क्या आपने उनका अध्ययन कर लिया है।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : जी हां, मैंने उनका अध्ययन कर लिया है। जीवन बीमा निगम में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या 36,389 है। ये आंकड़े जीवन-बीमा निगम के 23 वें प्रतिवेदन में लिए गए हैं। कृपया इसका अध्ययन कीजिए। उनकी संख्या 36,389 हैं, 4,000 तथा उससे अधिक दूसरे प्रथम श्रेणी के अधिकारी हैं और 6,000 तथा इससे अधिक द्वितीय श्रेणी के अधिकारी हैं जबकि 7,000 और उससे अधिक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं। जैसा कि आप मालूम कर सकते हैं कि तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या 36,389 है जो सबसे अधिक है जिसके बारे में देश में विद्वेषपूर्वक प्रचार किया जा रहा है कि जीवन बीमा के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को वेतन भारत के संयुक्त सचिवों से अधिक मिल रहा है। (**व्यवधान**) सभी का यह कहना है कि इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसकी कैसे अनुमति दी जा सकती है जबकि जीवन बीमा निगम का एक लिपिक सरकार के एक संयुक्त-सचिव से अधिक वेतन लेता है ? यह अजीब बात है। ये लोग यह कह रहे हैं। स्वाभाविकरूप से लोग उस पर विश्वास करते हैं जो समाचार-पत्रों में प्रकाशित हो जाता है। इन कहानियों को समाचार-

पत्रों में छपवाया जाता है। इसलिए श्रीमान्, मैं अभी यह बताना चाहूंगा कि मैं उस व्यक्ति को चुनौती देता हूं जो इसका खंडन करे। तृतीय श्रेणी के कर्मचारी की कुल औसत आय—केवल मूल वेतन नहीं और न न्यूनतम स्तर पर वेतन अथवा अधिकतम स्तर पर वेतन 1,400 रु० प्रति-माह आता है न कि 3,400 रु० जैसा कि व्यापकरूप से प्रचार किया जा रहा है, यानि वे उन्हें संयुक्त सचिव से अधिक मिल रहा है। यदि वे 1,400 रु० प्रति माह अपने कुल वेतन के रूप में अर्जित कर रहे हैं, तो क्या यह कुछ कहना निरर्थक नहीं है कि आप इस प्रकार के विधेयक से बीमा पालिसी धारकों को लाभ पहुंचायेंगे। मैं यह बताना चाहूंगा कि ये बड़ी मजेदार बातें हैं। जीवन बीमा निगम अपने कार्यकरण का मूल्यांकन प्रीमियम आय में वेतन के अनुपात तथा प्रीमियम आय में नवीकरण व्यय के अनुपात के अनुसार करता है। इन दोनों मामलों में आपको उन आंकड़ों से मालूम हो जायेगा जो हमें भेजे गये हैं, कि 1978-79 में प्रीमियम आय वेतन का अनुपात 14.65 प्रतिशत था परन्तु 1979-80 में यह कम होकर 13.64 रह गया। इसलिए, प्रीमियम आय की तुलना में वेतनों का अनुपात कम हो रहा है। इन दो वर्षों में नवीकरण सम्बन्धी व्यय का अनुपात भी 15.4 प्रतिशत से घट कर 13.01 प्रतिशत रह गया है। जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को किस लिये सजा मिलनी चाहिए जबकि कुल प्रीमियम आय के अनुपात में कर्मचारियों का खर्च नहीं बढ़ रहा है। बल्कि घट रहा है और नवीकरण सम्बन्धी व्यय भी कम हो रहा है। श्रीमान् इतनी बड़ी क्या जरूरत थी जिसके लिए आप जीवन बीमा निगम में महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार के कुछ उपाय करना चाहते हैं?

अब हम कर्मचारियों के हिस्से अर्थात् कर्मचारियों, 'फील्ड' कर्मचारियों आदि के वेतनों पर जीवन बीमा निगम की कुल आय की तुलना में विचार करेंगे। 1979-80 में जीवन बीमा निगम की 1,297,98 करोड़ रु० की कुल आय की तुलना में कर्मचारियों का कुल वेतन 119.8 करोड़ रुपये था। इसका अर्थ यह है कि वेतन जीवन बीमा निगम की कुल आय का 9.23 प्रतिशत बनता है। इसलिए श्रीमान्, तथाकथित अर्थव्यवस्था तथा वित्तीय कठिनाइयों के आधार पर दिए जा रहे ये सब नकली और झूठे ठेकों से इस मामले में कुछ नहीं होने वाला है। असली बात तो यह है कि सरकार ने सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से वेतन स्थिरीकरण की नीति लागू करने का निर्णय किया है। वह यह सब संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन कर सकते थे। यदि उनकी हिम्मत थी तो वे देश के सम्मुख आकर घोषणा करते कि वे आर्थिक आपात स्थिति की घोषणा करने जा रहे हैं। वह उन्होंने नहीं किया है। ऐसी आपात स्थिति का प्रभाव अध्यादेश के जरिये से व्यवहार रूप में चोरी-चोरी डाला जा रहा है। इसलिए यह एक अनैतिक अध्यायदेश है जिसके द्वारा न केवल संसद, औद्योगिक विवाद अधिनियम की उपेक्षा की जा रही है अपितु देश में उच्चतम न्यायपालिका, अर्थात् उच्चतम न्यायालय की भी उपेक्षा की जा रही है।

अन्त में मैं केवल यह कहना चाहूंगा और एक चीज को समझने के लिए सरकार से निवेदन करता हूं। यदि वे सरकारी क्षेत्र को बढ़ाना चाहते हैं और मजबूत बनाना चाहते हैं तो उन्हें याद रखना चाहिए कि औद्योगिक सम्बन्ध नामक एक चीज है जो सरकारी क्षेत्र के लिए बड़ी

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

महत्वपूर्ण है। मैं प्रबन्ध में मजदूरों की भागीदारी के बारे में बातचीत नहीं कर रहा हूं और ये बड़े-बड़े दावे वर्षों से किये जा रहे हैं और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने इस बात को खुद माना है। मैं उसके सम्बन्ध में बातचीत नहीं कर रहा हूं। मैं रोजमर्रा के औद्योगिक सम्बन्धों, विधिवत किए गए समझौता की मर्यादा, पंचाटों, सामूहिक समझौतों तथा उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालयों की मर्यादा के बारे में बातचीत कर रहा हूं। यदि आप इस प्रकार की किसी बात का पालन करने के इच्छुक नहीं हैं तो आप देश को खतरे का संकेत दे चुके हो और यदि व्यापक औद्योगिक अशान्ति फैल जाती है तो उसके लिए किसे दोष दिया जायेगा। क्या इस तरीके से सरकारी क्षेत्र की प्रगति होगी।

श्रीमान्, इस समझौते में जो व्यवस्था है, उससे यह पता नहीं लगता है कि 1974 के समझौते से जीवन बीमा निगम के कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है या आय घट रही है या नवीकरण सम्बन्धी व्यय बढ़ रहा है या बीमा पालिसी धारकों की संख्या में कमी आ रही है। यदि ऐसा हुआ होता तो उन्होंने अपने मामले पर तर्क पेश किये होते परन्तु सच्चाई तो यह है कि स्थिति इसके विपरीत है।

श्रीमान्, हर तरह से यह अध्यादेश पूर्णत: आधार रहित, बे बुनियादी तथा बिना किसी औचित्य के है, बल्कि औद्योगिक अशान्ति को स्थाई रूप से भड़काया जा रहा है। इसलिए मैं इस विधेयक का पूर्णत: विरोध करता हूं और सभा से इसका निरनुमोदन करने की मांग करता हूं और वे उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर ध्यान दें जिसने उनको आदर्श नियोक्ता की तरह व्यवहार करने, नया समझौता करने, अपने कर्मचारियों से बातचीत करने तथा लोकतांत्रिक औद्योगिक सम्बन्ध तंत्र तथा विधि के निर्धारित मानकों के भीतर व्यवहार के लिए कहा है। जंगल के कानून से शासन करने का प्रयास मत कीजिए जिसका अर्थ है कि ताकतवर कमजोर को दबाता है। यह जंगल का कानून है : जो ताकतवर होगा वह कमजोर को खत्म कर देगा, जो कमजोर है उसे ताकतवर खत्म कर देगा। आप ताकतवर हैं, क्योंकि सत्ता आपके हाथों में है। इसलिए आप कमजोर कर्मचारियों को समाप्त करना चाहते हैं। श्री वेंकटरामन, इस जंगल के कानून को मत अपनाइये। इस कानून का आदर कीजिए क्योंकि यह उच्चतम न्यायालय तथा स्वयं आपके दूसरी संविधि संस्थाओं ने अपनाया है। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं क्योंकि इसका अन्तिम परिणाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। (व्यवधान)। यदि आप सरकारी क्षेत्र में सौहार्द औद्योगिक सम्पर्क बनाना चाहते हो तो उन समझौतों पर दृढ़ रहिये जो आपने किये हैं। उनका उल्लंघन न कीजिए। मुझे संदेह है कि क्या आपको अभी ज्ञान प्राप्त होगा। कभी-कभी आपको स्पष्ट हो ही जाता है जब देश में कोई मुसीबत पैदा हो जाती है। यदि आप उससे बचना चाहते हैं तो मैं आप से इस अविवेचित तथा अशुभ विधेयक पर पुन: विचार करने तथा वापिस लेने का नम्र निवेदन करता हूं। भविष्य में यह अशुभ होगा, मुझे यह कई .... क्योंकि कर्मचारी वर्ग इसे सहन नहीं करेंगे। उस सम्बन्ध में मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं। धन्यवाद।

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री वेंकटरामन।

**श्री आर० वेंकटरामन** : शुरू में मैं कुछ बातों को स्पष्ट करना चाहूंगा (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप विचार किये जाने हेतु प्रस्ताव पेश कर सकते हैं।

**श्री आर० वेंकटरामन** : मैं पेश कर चुका हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप पुनः पेश कर सकते हैं।

**श्री आर० वेंकटरामन** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव पेश किया गया :

"कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

**प्रो० मधु दण्डवते** : श्रीमान्, मैं प्रक्रिया के बारे में जानना चाहूंगा। सामान्यरूप से अतीत में यह हुआ है। जो सदस्य निरनुमोदन प्रस्ताव देता है वह पहले बोलता है। उसके बाद वाद-विवाद में अन्य हस्तक्षेप करते हैं। अन्त में वित्त मंत्री बोलता है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : उन्होंने विचार करने का प्रस्ताव पेश कर दिया है।

**प्रो० मधु दण्डवते** : वह बाद-विवाद का उत्तर अन्त में देंगे।

**श्री आर० वेंकटरामन** : मैं अन्त में सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब विचार किए जाने के बाद प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ संशोधन है। अब इनको पेश किया जा सकता है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (जादवपुर) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पर 30 जून, 1981 तक राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाए।" (9)

**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पर 13 जुलाई, 1981 तक राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाए।" (10)

**उपाध्यक्ष महोदय** : पेश किए गए दोनों प्रस्ताव तथा ये दोनों संशोधन सभा के समक्ष हैं।

**श्री सुनील मैत्रा** (कलकत्ता-उत्तरपूर्व) : आपके हक के लिए 14 मिनट का समय है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : चूंकि यह एक असाधारण विधेयक है इसलिए असाधारण समय दिया जाए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह आप देखेंगे जब आप पीठासीन होंगे।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : (डायमंड हार्बर) : वह सभा में जीवन बीमा निगम यूनियन का प्रतिनिधित्व करते हैं। (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री ज्योतिर्मय बसु, मैं उन्हें आपसे पहले जानता हूं।

**श्री सुनील मैत्रा** : श्रीमान्, में 1974 में जीवन बीमा निगम के प्रबन्धकों के साथ बातचीत करने वाले व्यक्तियों में से एक था। इस बातचीत के परिणामस्वरूप 24 जनवरी, 1974 को समझौता हुआ था। तत्कालीन वित्त मंत्री श्री वाई० बी० चह्वाण तथा तत्कालीन श्रम मंत्री श्री रघुनाथ रेड्डी ने वाद-विवाद में भाग लिया। प्रबंधकों तथा कर्मचारियों के बीच छः महीने की लम्बी बातचीत के बाद अन्ततः समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद जीवन बीमा निगम के निदेशक मंडल ने इसका अनुमोदन कर दिया था। बाद में भारत सरकार के वित्त विभाग ने भी इसका अनुमोदन कर दिया था।

**(श्री हरिनाथ मिश्र पीठासीन हुए)**

वित्त मंत्री द्वारा पेश किये गये इस विधेयक के पुरःस्थापन से इस समझौते को समाप्त किया जा रहा है। अब इस विधेयक की प्रथम पंक्ति में यह कहा गया है :—

> "जबकि भारतीय जीवन बीमा निगम और पालिसी धारकों के हितों को सुनिश्चित करने के लिये ···"

इसलिए यह विधेयक पुरःस्थापित किये जाने का प्रयास किया जाता है। मैं आपका ध्यान 1974 के समझौते की प्रस्तावना की ओर दिलाना चाहूंगा।

1974 के समझौते की प्रस्तावना में इस प्रकार कहा गया है :

> ····· चूंकि निगम ने जुलाई, 1973 और जनवरी, 1974 के बीच की अवधि में उक्त एसोसिएशनों के साथ वार्तायें की थीं जिनमें पालिसीधारकों और समाज के प्रति निगम के दायित्वों सहित विभिन्न मामलों के बारे में विचारों का निःसंकोच और स्वतंत्र आदान-प्रदान हुआ था ····

इसलिए जब समझौता हुआ था तो जीवन बीमा निगम के प्रबन्धकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों, दोनों ने ही पालिसीधारकों और जीवन बीमा निगम के हितों के बारे में विचार किया था और केवल उसके बाद ही समझौते पर हस्ताक्षर किये थे बाद में जिसका अनुमोदन वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भी कर दिया गया था। अब स्थिति की विडंबना यह है कि आज फिर उन्हीं पालिसीधारकों और जीवन बीमा निगम के हितों की रक्षा के नाम में उन सारे समझौते को रद्द करने का प्रयास किया जा रहा है। वस्तुतः जब आप यह कहते हैं कि इस विधेयक के जरिये आप जीवन बीमा निगम और उसके पालिसीधारकों के हितों की रक्षा करना चाहते हैं तो क्या आपके कहने का अभिप्राय यह है कि इस समझौते के होते हुए पालिसीधारकों के

हितों को क्षति पहुंच रही है और उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ? यदि आप तथ्यों को देखें तो वस्तुत: पालिसीधारकों के हितों की रक्षा इसी समझौते के परिणामस्वरूप ही हुई थी ।

1957 में तृतीय श्रेणी के एक कर्मचारी को 276 पालिसीधारकों की सेवा करनी पड़ती थी । 24 जनवरी, 1974 को समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे । 1974-75 में एक कर्मचारी को 474 पालिसीधारकों की सेवा करनी पड़ती थी । 1979-80 में जीवन बीमा निगम के तृतीय श्रेणी के प्रत्येक कर्मचारी 607 पालिसीधारकों की सेवा करता था । इसका अर्थ हुआ कि तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की उत्पादकता में वृद्धि हुई है । 1957 में तृतीय श्रेणी का कर्मचारी 276 पालिसीधारकों की सेवा करता था । 1979-80 में वह 607 पालिसीधारकों की सेवा करता था । मैं माननीय वित्त मंत्री से यह पूछना चाहूंगा कि क्या वह अब भी यही तर्क देना चाहेंगे कि जीवन बीमा निगम और पालिसीधारकों के हितों का ध्यान नहीं रखा जा रहा था ।

1974-75 में, जब इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, पालिसियों की कुल संख्या 1,87,45,000 थी । 1979-80 में पालिसियों की कुल संख्या बढ़कर 2,20,39,000 हो गई थी । क्या आप यह कह सकते हैं कि पालिसीधारकों के हितों का ध्यान नहीं रखा जा रहा था ? जीवन बीमा निगम में 1974-75 में तृतीय श्रेणी के कुल कर्मचारियों की संख्या 37,974 थी और 1979-80 में उनकी संख्या घटकर 36,389 रह गई । फिर भी माननीय वित्त मंत्री यही तर्क देंगे कि कर्मचारियों द्वारा पालिसीधारकों के हितों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इसीलिए कर्मचारियों के वेतन, उनके हितों, उनके बोनस, मंहगाई भत्ते आदि को इस विधेयक की पुर:-स्थापना के माध्यम से भारत सरकार के अन्य कर्मचारियों की बराबरी पर लिया जाना है। विधेयक में यह भी कहा गया है :

> .... प्रशासन के खर्च पर नियंत्रण रखने के लिए यह आवश्यक है कि निगम के कर्मचारियों और एजेंटों पर लागू होने वाली शर्तों को शीघ्र संशोधित किया जाना चाहिए ...

इससे स्पष्टत: यही लगता है कि ऐसी धारणा बनायी जा रही है जैसे कि जीवन बीमा निगम की लागत में वृद्धि हो रही है, और निगम के व्यय में वृद्धि हो रही है ।

मेरे माननीय मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किये हैं । मैं भी आपके समक्ष कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं । 1974-75 में, जब आपने कर्मचारियों के साथ एक समझौता किया था, नवीनीकरण व्यय का अनुपात जीवन बीमा निगम की नवीनीकरण प्रीमियम आय का 18.97 प्रतिशत था । 1979-80 में यह घटकर 13.01 प्रतिशत रह गया । इसका क्या अर्थ है ? क्या लागत बढ़ रही है ? यह घट रही है । यदि आप जीवन बीमा निगम की कुल आय की तुलना में, इसके कुल व्यय को देखें तो व्यय का यहाँ केवल अर्थ है वह कमीशन जो आप जीवन बीमा निगम के एजेंटों को देते हैं, वह डाक्टरी फीस जो आप बीमाकृत व्यक्तियों की डाक्टरी जाँच करने के लिए डाक्टरों को देते हैं, तथा डाक-टिकटों, टेलीफोन बिलों, भाड़े

[श्री सुनील मैत्रा]

आदि पर खर्च की गई राशि । 1974-75 में जीवन बीमा निगम का कुल व्यय इसकी कुल आय का 22.59 प्रतिशत था । 1979-80 में यह घटकर 16.54 प्रतिशत रह गया । और यदि आय वर्ष 1974-75 में, जब हमने जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के साथ समझौता किया था, वेतन के कारण होने वाले व्यय को देखें तो इन खर्चों का कुल आय से अनुपात केवल 13.48 प्रतिशत था । बाद के वर्षों में यह व्यय घटकर 12.97 प्रतिशत, 10.26 प्रतिशत, 10.57 प्रतिशत, 10.02 प्रतिशत रह गया और गत वर्ष अर्थात् 1979-80 में, जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं । यह घटकर 9.20 प्रतिशत रह गया । इसलिए, जब आप यह कहते हैं इस विधेयक के जरिये आप लागत पर नियंत्रण रखना चाहते हैं, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या लागत बढ़ रही है या घट रही है । यदि आप गत पांच वर्षों के आंकड़ों को देखें तो एक साधारण व्यक्ति भी यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि लागतें घट रही हैं । इस स्थिति में उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के पहले पैरा में आपने यह किस प्रकार कहा है कि लागत को नियत्रित करने के लिए आप यह विधेयक ला रहे हैं ? इसमें कुछ तो वास्तविकता होनी चाहिए । इसलिए, मैं यह निवेदन करता हूं कि इस विधेयक का उद्देश्य न केवल गलत समझ में आता है बल्कि इसमें ऐसी बात कही गई है जो वास्तविकता से बहुत परे हैं ।

जब 31 जनवरी को यह अध्यादेश जारी किया गया था तो वित्त मंत्रालय द्वारा संवाददाताओं को कुछ कहानियां सुनाई गई थीं । एक कहानी, जिसका श्री इन्द्रजीत गुप्त ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, यह थी कि जीवन बीमा निगम के कुछ श्रेणी-तीन के कर्मचारी 3412 रु० प्रतिमास ले रहे हैं । और यह बताया गया है कि इसमें समयोपरि भत्ते की राशि शामिल नहीं है । मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री अपने उन अफसरों से, जो उन्हें इस सम्बन्ध मे विवरण देते रहे हैं । यह बतायें कि जीवन बीमा निगम में कितना समयोपरि भत्ता दिया जाता रहा है । समाचारपत्रों आदि के जरिये आप यह प्रचार करते रहे हैं कि यह समयोपरि भत्ता 30, 40 या 50 करोड़ रुपये वार्षिक बैठेगा लेकिन यह कोई नहीं जानता कि वास्तविक आंकड़े क्या हैं । ऐसा ही अभियान बैंक कर्मचारियों के खिलाफ भी चलाया गया है । किसी संस्था के कर्मचारियों के सम्बन्ध से जब आप यह कह सकते हैं कि यह वेतन समयोपरि भत्ते के अलावा है तो जनता के दिमाग में एकदम यह धारणा बनेगी कि समयोपरि भत्ता 20, 30 या 50 करोड़ रुपये तो अवश्य होगा । लेकिन आपने वास्तव में कितना अदा किया है ? 1974-75 में जब आपने जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के साथ समझौता किया था, समयोपरि भत्ते का कुल बिल 1,15,61,755 रु० था । बाद के वर्षों में यह घट कर47,74,710 रु०, 2,83,065 रु० रह गया और 1978-79 में यह 3,07,665 रु० था जिसमें से 2,24,866 रु० चतुर्थश्रेणी के कर्मचारियों, ड्राइवरों आदि को दिया गया था चेयरमैन, मंत्री, वित्त विभाग के अफसरों आदि के कारण ऐसा हुआ था, जो विभागों से जाते हैं और ड्राइवरों को 11.00 बजे तक या 1.00 बजे तक उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ती है । यह व्यय केवल आप लोगों के कारण हुआ है ।

यह किसी दूसरे के कारण नहीं किन्तु जीवन बीमा निगम में उच्च पदाधिकारियों, मंत्रियों तथा वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के कारण है । आपके लिए 2 लाख रुपये की राशि

समयोपरि भत्ते के रूप में अदा की गयी। जब वित्त मंत्रालय ने प्रैस को बताया कि जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते के अतिरिक्त 3412 रुपये की राशि का भुगतान किया जा रहा है तो उनकी बड़ी कृपा होती यदि वह संसद और देश को बताते कि जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को कितनी राशि समयोपरि भत्ते के रूप में दी गई है। धोके की भी कोई हद होती है। लोगों की नजर में कर्मचारियों की हंसी करना और उन्हें गिराना नैतिक दृष्टि से उचित नहीं हैं क्योंकि कर्मचारियों के दृष्टिकोण का प्रैस प्रचार नहीं करना चाहता है साथ ही जब कर्मचारी अपना बचाव करने की स्थिति में नहीं हैं तो क्या कर्मचारियों की आलोचना करना उचित है ?

पालिसीधारकों के हितों की रक्षा की आवश्यकता की दृष्टि से विधेयक को न्यायोचित ठहराया गया है। जीवन बीमा निगम को पलिसीधारकों के धन का न्यासी माना गया है और सरकार अपने आपको इसका पहरेदार समझती है। सरकार की क्या भूमिका है ? दावों के निपटान को ही लीजिए। मैं भारत सरकार द्वारा नियुक्त ईरा सेझियान समिति के उस प्रतिवेदन को उद्धृत करना चाहता हूं जिसमें की गई सिफारिश के आधार पर आप आज जीवन बीमा निगम के टुकड़े कर रहे हैं। ईरा सेझियान समिति कहती है :

> "जीवन बीमा निगम ने गत 10 वर्षों में दावों के निपटान में काफी सुधार किया है और इसका कार्यनिष्पादन प्रमुख भारतीय कम्पनियों के काम की तुलना में राष्ट्रीयकरण से पहले की अपेक्षा काफी अच्छा रहा है।"

श्री बरोट कृपया नोट कीजिए कि दावों के निपटान के सम्बन्ध में ईरा सेझियान समिति कहती है कि इसका काम प्रमुख भारतीय कम्पनियों की तुलना में राष्ट्रीयकरण से पूर्व की अपेक्षा अच्छा रहा है यहां तक कि यूनाइटेड इन्श्योरेंस कम्पनियों की तुलना में भी अच्छा रहा है।

यह जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के कार्यनिष्पादन की स्थिति है। जहां तक उनके विरुद्ध शिकायतों का सम्बन्ध है। वर्ष 1974-75 में प्रति 1,000 पालिसियों के हिसाब से उनका अनुपात 2.65 बैठता है, 1979-80 में यह अनुपात घट कर 0.95 रह गया। ईरा सेझियान समिति ने सरकार को अपने प्रतिवेदन में इस प्रकार उल्लेख किया है 1974-75 में जब हमने समझौता किया था तो उस समय जीवन बीमा निधि 3033.79 करोड़ रुपये थी और 1979-80 में यह निधि 5818.09 करोड़ रुपये थी। पालिसीधारकों को 1974-75 में बोनस अर्थात् इंडोमेंट पालिसी के लिए 17.60 रुपये दिये गये। 1979-80 में जीवन बीमा निगम ने 24.80 रुपये दिए और पहली जनवरी, 1980 से 24.80 रुपये की राशि के अतिरिक्त प्रति एक हजार पालिसियों पर 3 रुपये 'टर्मिनल' बोनस की घोषणा की गई। 1974-75 में व्यपगत का अनुपात 5.4 प्रतिशत था, 1979-80 में यह घट कर 3.8 प्रतिशत रह गया। 1974-75 में बीमा-किस्त से आय 511.24 करोड़ रुपये थी जो 1979-80 में बढ़ कर 875.37 करोड़ रुपये हो गई।

अब हम सरकार की भूमिका पर आते हैं। कुल कितनी निधि निवेश की गई है ? वे खर्चे की बात करते हैं। खर्चे का प्रश्न केवल पालिसीधारकों के हितों की सुरक्षा के सन्दर्भ में ही

[श्री सुनील मैत्रा]

पैदा होता है। क्या भारत सरकार की नीति से पालिसीधारकों का हित साधन होता है? 1974-75 में जीवन बीमा निगम की कुल निवेश की गई निधि 2803.20 करोड़ रुपये थी और 1979-80 में यह राशि 5,747.51 करोड़ थी। इस निवेश में से 31-3-1975 को मूल्यांकन अधिशेष 181.50 करोड़ रुपये था। 31-3-79 को मूल्यांकन अधिशेष की राशि 372.94 करोड़ रुपये थी। इसमें से जीवन बीमा निगम अधिनियम के अनुसार 95 प्रतिशत पालिसीधारकों को जाना चाहिए और 5 प्रतिशत सरकार को जाना चाहिए।

1-9-1956 में जीवन बीमा निगम के गठन के समय सरकार ने इसमें 5 करोड़ रुपये की राशि का निवेश किया था। आप देखिए, 5 करोड़ रुपयों का निवेश किया गया था।

**एक माननीय सदस्य** : कुल ? क्या यह निवेश की गई कुल राशि है ?

**श्री सुनील मैत्रा** : जी हां, यह कुल राशि है। और पिछले दो वर्षों में भारत सरकार ने 70 करोड़ रुपये मूल्यांकन अधिशेष के रूप में वापस ले लिए हैं। आपने 70 करोड़ रुपये वापस ले लिए हैं। (**व्यवधान**)

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (जादव पुर) : वे भूखे हैं।

**श्री सुनील मैत्रा** : मुझे इसे आपके सामने रखने दीजिए। आप कहते हैं कि आप पालिसीधारकों के हितों की रक्षा करते हैं। जनता को भारतीय बीमा निगम में निवेश करना चाहिए? उन्हें बैंकों, यूनिट ट्रस्ट या अन्य निवेश कम्पनियों में निवेश करके उतना ही धन मिल सकता है जितना वे जीवन बीमा निगम से प्राप्त करते हैं। (**व्यवधान**)

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : कहीं भी निवेश करने पर।

**श्री सुनील मैत्रा** : फिर आप कहते है कि जीवन बीमा निगम समाजोन्मुख संगठन है। यह एक संस्था है जिसे भारत सरकार ने भारत की आम जनता की सेवा करने के लिए बनाया है। मैं कहना चाहूंगा कि यह एक व्यापारिक संगठन है और इसे व्यापारिक सिद्धान्तों पर ही चलाया जाना चाहिए। दूसरी ओर 31-3-1980 तक आपका निवेश 5,740 करोड़ रुपये था अर्थात्, आपने 7 करोड़ रुपये जमानत तथा 74 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र में तथा सहकारी क्षेत्र में 14 प्रतिशत निवेश किया था। इसके बदले में क्या मिला ? इससे 7 प्रतिशत लाभ हुआ जबकि बैंकों में 15 और 17 प्रतिशत के लगभग आय होती। जीवन बीमा निगम में केवल 7 प्रतिशत ही लाभ हुआ, क्योंकि कुल निवेश का 85 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूतियों तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र एकाकों में निवेश के लिए वापस जा रहा है। इसलिए आज आप पालिसीधारकों के हितों की देखभाल करने का भार कर्मचारियों पर डाल रहे हैं। मेरा निवेदन है कि कर्मचारी पालिसीधारकों की यथा संभव सेवा करते रहे हैं, परन्तु भारत सरकार पालिसीधारकों को लूटती रही है। एकमात्र बात यह है, . . . . पर आते हुए। (**व्यवधान**)

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : उन्हें अधिक वेतन देने के लिए कहिए। (**व्यवधान**)

**श्री सुनील मैत्रा** : मैं पहले ही कह चुका हूं कि मूल्यांकन अधिशेष ज्यादा है। (**व्यवधान**) अब 23 तारीख के श्री वेंकटरामन के कथन, जब विधेयक प्रस्तुत किया गया था, तथा उस पर हुई चर्चा को देखा जाए। श्री वेंकटरामन ने कुछ टिप्पणियां की थीं। एक महान्यायवादी द्वारा वचन दिये जाने के अभिप्राय के सम्बन्ध में थी। इस पर श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा ठीक ही कहा गया था। अतः मैं इस बात पर नहीं जा रहा हूं। दूसरी बात, जिसका उल्लेख किया गया था, उच्च न्यायालय द्वारा बोनस देने के लिए कहे जाने के बारे में थी। उस समय, मैंने कहा था कि उच्चतम न्यायालय कहता है : 'बोनस दें'। (**व्यवधान**)

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : शब्द थे "कह थे"। (**व्यवधान**)

**श्री सुनील मैत्रा** : इस सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय ने दो आदेश जारी किए थे। (**व्यवधान**)

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : जब तक अंग्रेजी के शब्दों का अपना कोई अर्थ नहीं रहता। (**व्यवधान**) एक आदेश 10 नवम्बर को दिया गया था।

पिछले वर्ष मैंने श्री एच० एम० पटेल को बताया था कि हमें उच्चतम न्यायालय से ऐसा आदेश मिलेगा और हमें मिला। इस बार भी हमें यही आदेश मिलेगा। (**व्यवधान**)

**एक माननीय सदस्य** : आप हार गए हैं। (**व्यवधान**)

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : नहीं। हम नहीं हारे हैं। आपकी सरकार हार गयी है। (**व्यवधान**)

**सभापति महोदय** : श्री मैत्रा, कृपया आप अपनी बात पूरी कीजिए। (**व्यवधान**)

**श्री सुनील मैत्रा** : मैं पूरी कर रहा हूं। (**व्यवधान**)

**वित्त मन्त्री (श्री वेंकटरामन)** : इस सब के लिए मेरे पास उत्तर है। (**व्यवधान**)

**सभापति महोदय** : श्री चटर्जी, क्या आप यह समझते हैं कि श्री वेंकटरामन सदा के लिए वित्त मंत्री रहेंगे ? (**व्यवधान**)

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : यदि उनकी सरकार रहती है तो उन्हें वित्त मंत्री रहना चाहिए। वह एक अच्छे व्यक्ति हैं। (**व्यवधान**) परन्तु हम चाहते हैं कि सरकार पूरी तरह से समाप्त हो जाये।

**श्री सुनील मैत्रा** : 10 नवम्बर, 1980 को उच्चतम न्यायालय द्वारा दो आदेश पारित किए गए। वित्त मंत्री ने उनमें से एक आदेश को पढ़ कर सुनाने की कृपा की। परन्तु वह दूसरे आदेश को पढ़ना भूल गए। दूसरा विशिष्ट आदेश था—200 प्रतिशत विशिष्ट था—और उस आदेश में अभ्यर्थी को, इस मामले में जीवन बीमा निगम, न केवल बोनस देने के लिए कहा गया था अपितु इसमें निगम को 12% वार्षिक ब्याज सहित बोनस देने के लिए भी कहा गया था।

[श्री सुनील मैत्रा]

दो वर्ष का बोनस पहले ही देय है। यह विधेयक लाया गया है और वित्त मंत्री ने 23 फरवरी को एक वक्तव्य दिया था। आज भी मुझे विश्वास है कि वह उच्च न्यायालय के आदेश को नहीं मानेंगे और उनके दल के सदस्य जीवन बीमा निगम का बलि के बकरे के रूप में प्रयोग करेंगे। श्री वेंकटरामन के वायदे के लिए मैं 1978 में टाटा परामर्शदात्री सेवा द्वारा प्रकाशित एक समाचारपत्र उद्धृत करूंगा। मैं किसी पत्रिका या विपक्ष की किसी पत्रिका से उद्धरण नहीं दे रहा हूं। इसके अनुसार :

> सरकार का विचार है कि जीवन बीमा निगम के कर्मचारी पालिसीधारकों के हितों को जोखिम में डाल रहे हैं।

महोदय, यह काफी बड़ा है ;. मैं इसे नहीं पढ़ूंगा।

**सभापति महोदय** : जैसा आप समझते हैं वैसा इसका सारांश बतादें।

**श्री सुनील मैत्रा** : वे कहते हैं, आप जीवन बीमा निगम कर्मचारियों को और जीवन बीमा निगम को बलि का बकरा बना रहे हैं। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। जीवन बीमा निगम कर्मचारियों का वेतन इतना अधिक नहीं हुआ है जैसा कि समाचारपत्रों में दिखाया गया है। समाचारपत्रों में कर्मचारियों के विरुद्ध खबरें छपी हैं। ऐसा टाटा परामर्शदात्री सेवा का कहना है। इसलिए मैं इस प्रश्न पर पुनः आ रहा हूं। जहां तक मंहगाई भत्ते का सम्बन्ध है, आपने पूछा था, "जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को विना निगम के कर्मचारियों को विना किसी अधिकतम सीमा के मंहगाई भत्ता क्यों दिया जाना चाहिए ?" आपने 24 जनवरी, 1974 को मेरे साथ एक समझौता किया था। आपने मुझे 175-585 रुपये का ग्रेड दिया था। आधार वर्ष 1960 मानते हुए, यह 22 वर्ष का ग्रेड है। 24 या 25 वर्ष बाद जब मुझे 585 रुपये मिलते हैं, 1960 के आधार के अनुसार ही 585 रुपये का मूल्य भी दिया जाना चाहिए। यदि 1 60 के 100 रुपयों का मूल्य पिछले वर्ष 411 रुपये होना है, तो 1960 के मूल्यों के अनुसार 585 रुपये मूल्य कितना होगा ? इसलिए आपको मुझे 585 रुपये का कम-से-कम चार गुना देना पड़ेगा। केवल तभी आप 1960 के मूल्यों के अनुसार 585 रुपयों के मूल्य की गारन्टी लेंगे या सुरक्षित रखेंगे। आप तर्क दे सकते हैं तथा कह सकते हैं, "मैं यह केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों या राज्यों के सरकारी कर्मचारियों या किसी अन्य को नहीं दे रहा हूं।" चूंकि दूसरों को धोखा देना और इससे वंचित करना आपके लिए संभव है, तो जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को भी इससे वंचित करने का यह कोई तर्क और कारण नहीं है।

जहां तक बोनस का सम्बन्ध है, उस दिन भी मैंने इसका संकेत देने का प्रयत्न किया था। आपने कहा था, "जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को बोनस अधिनियम के क्षेत्र से बाहर क्यों रखा जाना चाहिए ? 1600 रुपये से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को बोनस क्यों मिलना चाहिए जब कि अन्य विभागों में उन्हें बोनस नहीं मिल रहा है ;" मैं आपको बता दूं। उदाहरण के लिए रिजर्व बैंक के कर्मचारियों को लीजिए।

उनको 12.1/2%, न्यूनतम 60 रुपये और अधिकतम 150 रुपये प्रतिमाह की दर से मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है, जबकि जीवन बीमा निगम के कर्मचारी अपने मूल वेतन का केवल 10%, न्यूनतम 22 रुपये और अधिकतम 28 रुपये प्रतिमाह, की दर से प्राप्त करते हैं। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन मात्र 2.50 रु० प्रतिमाह देने पर आप केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के पूरे परिवार को चिकित्सा सुविधा देते हैं। जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को आप पूरे वर्ष में केवल 100 रुपये देते हैं। अत: जब आप बोनस के सम्बन्ध में बात करते हैं तो सम्पूर्ण समझौते के सम्बन्ध में बात कीजिए। केवल बोनस और महंगाई भत्ते पर ही बात मत कीजिए और तब इसे दूसरों से अलग करने का प्रयास कीजिए। न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने अपने निर्णय में कहा था कि समझौते पर समग्ररूप से विचार किया जाना चाहिए। यह समझोता आदान-प्रदान नीति पर आधारित था। हमने मकान किराया भत्ता, नगर पूर्ति भत्ता चिकित्सा के सम्बन्ध में हमें कुछ रियायतें दीं। आपने हमें बोनस और मंहगाई भत्ते के सम्बन्ध में रियायतें दीं। इसी तरह सामूहिक सौदेबाजी होती है। श्री बरोट ने एक बार मुझे बताया था कि वे मजदूर नेता थे। मुझे पता है कि श्री वेंकटरामन भी मजदूर नेता थे। अत: आप जानते हैं कि सौदेबाजी कैसे होती है। इसी तरह मजदूर संघ सौदेबाजी करते हैं। इसी तरह हमने 1974 में सौदेबाजी की थी। जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों से यह रियायत छीन लेना अनाचार तथा अनैतिक होगा। जीवन बीमा निगम के कर्मचारी अपने हक को छीना जाना कभी पसन्द नहीं करेंगे। 1976 में आपने प्रयास किया था परन्तु असफल रहे। 1978 में जनता पार्टी ने प्रयास किया था परन्तु असफल रही। 1980 में आप पुन: असफल होंगे। जीवन बीमा निगम के कर्मचारी 11 और 12 तारीख को हड़ताल करेंगे। जब तक यह कहना समाप्त नहीं हो जाता तब तक वे लड़ते रहेंगे।

इन शब्दों के साथ, मैं आपके विधेयक का पुरजोर विरोध करता हूं और श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प का समर्थन करता हूं।

**श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : सभापति जी, मैं इस स्टेच्युट्री रिजोल्युशन का जो कि मूव किया गया है, विरोध करता हूं और लाइफ इन्श्योरेंस कारपोरेशन ऐक्ट (अमेंडमेंट) बिल का हृदय से समर्थन करता हूं।

सभापति जी, मैं एक बात चाहता था कि ये जो हमारे बड़े अच्छे नेता हैं जो कि आज 44 हजार आदमियों की वकालत कर रहे हैं, ये जरा हिन्दुस्तान की 65-70 करोड़ जनता के सामने जा कर यह आवाज उठाते . . .

**एक माननीय सदस्य** : हम उठाते हैं।

**श्री मूलचन्द डागा** : अगर आपका भाषण इस बारे में वोट क्लब पर होता तो मैं बड़ा खुश होता। आप जो यहां बोलने वाले लोग हैं, वे जरा हिन्दुस्तान की हालत को समझ लेते। आज देश के अन्दर कितनी विसंगतियां हैं। उन विसंगतियों को दूर करने के लिए आपकी तरफ से

[श्री मूल चन्द डागा]

आवाज उठनी चाहिए थी। आपकी आवाज उठनी चाहिए थी कि इस देश में वेज पालिसी बननी चाहिए।

जब यहां से फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बारे में यहां भाषण दिया, एक स्टेटमेन्ट ले लिया तो उसमें क्या कहा—

"जीवन बीमा निगम के तृतीय श्रेणी के कर्मचारी तथा भारत सरकार के संयुक्त सचिव के अपने ग्रेड में मासिक परिलब्धियाँ इस प्रकार हैं :

| | मूल वेतन | महंगाई भत्ता | बोनस | कुल योग |
|---|---|---|---|---|
| जीवन बीमा निगम की तृतीय श्रेणी का कर्मचारी | 920 | 2042 | 444 | 3406 |
| भारत सरकार का संयुक्त सचिव | 2750 | 450 | — | 3200" |

जो इण्डिया का ज्वाएन्ट सैक्रेट्री है उसके पूरे एमोल्युमेंट्स 3200 रुपये हैं और हमारे क्लास थ्री के जो एम्पलाईज लाइफ इन्श्योरेंस कारपोरेशन के हैं उनका महीन का एवरेज 3,406 रुपये है। यह स्टेटमेंट फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने यहाँ रखा है। जब सेंट्रल पे कमीशन की रिपोर्ट रखी गई, उसमें पेज 38 पर मैं आपको बताता हूं कि उसका परपज क्या था—

आर्थिक दृष्टि से सक्षम कुल जनसंख्या में भारत में वेतनभोगी तथा मजदूरी प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या का प्रतिशत अन्य उन्नत देशों की तुलना में बहुत कम है। दूसरे भारत में वेतनभोगी और मजदूरी प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या में सरकारी कर्मचारियों का प्रतिशत अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक है। भारत सरकार की दोहरी भूमिका है। वह न केवल देश के शासन और विकास तथा जनता के उत्थान के लिए ही उत्तरदायी है अपितु जहाँ यह नियोजक के रूप में भूमिका अदा करती है वहाँ अपने कर्मचारियों के सन्तोष, कार्यक्षमता तथा मनोबल के लिए भी उत्तरदायी है। .... भारत सरकार अपनी विकासात्मक भूमिका को भुलाकर और जनता को हानि पहुंचाकर अपनी वेतन व मजदूरी नीति निर्धारित नहीं कर सकती। भारत में गरीबी कहाँ तक है तथा इसका संकेत देते हुए बहुत सा साहित्य हाल ही में प्रकाशित हुआ है। अतः यह अपेक्षा की जाती है कि सरकार सावधानीपूर्वक इस पर कार्यवाही करेगी जिससे वर्तमान असमानताएँ, सामाजिक तनाव नहीं बढ़ेगा।

यह तीसरे वेतन आयोग, 1973 के पृष्ठ 38 से लिया गया है। हम लोगों को सोचना होगा। जब लाइफ इन्श्योरेंस कारपोरेशन में काम करने वालों की तन्खवाहों में और अन्य संस्थानों में काम करने वालों की तन्खवाहों में और पब्लिक सेक्टर में काम करने वालों की तन्खवाहों में विसंगतियां होंगी, अन्तर होगा तो आप समझ सकते हैं कि लोगों में अशांति और आक्रोश की भावना जागेगी।

आज आप देखेंगे कि पालिसीधराकों की क्या हालत है। सन् 1956 के अंदर यह एक एक्ट

फोर्स में आया और आज 18 गुना काम बढ़ गया है, लेकिन खर्चा वही 25 से 31 परसेंट चला आ रहा है। जब काम इतना बढ़ गया है तो खर्चा अब कम होना चाहिए।

हमारे विपक्ष के साथी कुछ लोगों को खुश करने के लिए यहां पर इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन यह एक वाजिब कदम है, मजबूत कदम है, सही कदम है और इसकी हम सबको तारीफ करनी चाहिए। मैं यह चाहता था कि आप भी इसकी तारीफ करते। आपको पालिसी-धारकों का कोई ध्यान नहीं है। हम लोगों का शोषण होता रहे, आपको कोई परवाह नहीं है।

हमारा प्रीमियम कब तय किया गया था? हमारा प्रीमियम तय किया गया था जब हमारी औसत ऐज 32 वर्ष थी, आज हमारी औसत ऐज 50 वर्ष है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि गांवों की तरक्की होनी चाहिए और दूसरी तरफ आप इस तरह की बात कर रहे हैं।

एक बात जरूर है कि जिन लोगों ने मोशन मूव किया है, उन्हें चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में अपने वकील को ब्रीफिंग कर दें। उनको जो बताना था उन्होंने बता दिया है। लेकिन 1974 में जो डिसिजन हुआ था वह क्या था यह मैं आपको बताना चाहता हूं।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : आपको ये सब सूचनाएँ किसने दीं?

**श्री मूल चन्द डागा** : मेरे पास मेरे अपने पत्र हैं।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : वित्त मंत्री ने नहीं दिए।

**श्री मूलचन्द डागा** : मैं किसी मंत्री के पास कभी नहीं जाता।

**सभापति महोदय** : श्री डागा स्वयं एक वकील हैं।

**श्री मूल चन्द डागा** : मैं उद्धृत करता हूं :

> "कर्मचारियों और निगम के मध्य एक समझौता था जिसका उच्चतम न्यायालय द्वारा समर्थन किया गया तथा वास्तव में जिसने पिछले नवम्बर में नियमानुसार बोनस अदा करने के लिए जीवन बीमा निगम को निदेश दिया .... फिर उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि 1974 का समझौता तब तक लागू रहना चाहिए जब तक उसके स्थान पर कोई नया समझौता, निर्णय या उपयुक्त कानून नहीं आ जाता।"

वित्त मंत्री जी ने देश की हालत को पहचान कर, देश की नब्ज को पहचान कर, समय की आवाज को पहचान कर इस बिल को रखा है और आपको इसका स्वागत करना चाहिये। आप ट्रेड यूनियनिस्ट हैं। पब्लिक में जाकर आप क्या कहेंगे? यह कहेंगे कि 44 हजार लोगों की वकालत करने की आपने हिम्मत दिखाई है और जो करोड़ों की तादाद में गरीब देश में हैं उनकी चिन्ता आपको नहीं है? पालिसी होल्डर्ज के शोषण को भी आपको देखना चाहिए। आर्डिनेंस जब आया तो आपने इलाहाबाद वगैरह में रिट दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर दी।

[श्री मूल चन्द डागा]

ऐसा आपने क्यों किया ? आप देखें कि प्रापर्टी राइट तो जनता पार्टी ने खत्म कर दिया है। जब वह राइट खत्म हो गया तो बोनस पर जो राइट था वह भी खत्म हो गया उस रूप मे। जब आर्टिकल 31 खत्म हो गया तो यह भी खत्म हो गया। इण्डस्ट्रियल डिसप्यूट्स एक्ट के नीचे आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। भरपेट आप वहां इन लोगों की वकालत करलें, थर्ड और फोर्थ क्लास की वकालत कर लें लेकिन अन्त में आप उसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि देश बड़ा है, ये 44000 लोग देश से बड़े नहीं है। भारत के लोगों की हालत को आप देखें। जितने हमारे ये प्रतिष्ठान हैं इनकी हालत को आप देखें। छोटे से दायरे में ही आप अपने आपको सीमित न कर लें। . . . एल० आई० सी० में खर्चा बढ़ गया है, काम उसका अच्छा नहीं हैं। एरा सेजियन कमेटी की रिपोर्ट है उसको आप देखें। जो काम किया गया हैं वह मेरी राय में सही है। अगर शास्त्री जी को शक हो तो वह भूख हड़ताल करके देख लें कि कितने लोग उनके साथ आते हैं।

**सभापति महोदय** : शास्त्री जी इतने दुबले पतले हैं और आपको उन पर दया करनी चाहिये।

**श्री रामावतार शास्त्री** : 20-20 और 25-25 दिन तक मैंने अंग्रेजों के जमाने में भूख हड़ताल की है। कांग्रेस के राज में भी मैंने 1948 में भूख हड़ताल की है।

**श्री मूल चन्द डागा** : मैं आपके सामने पेपर्ज के कमेंट्स भी रखना चाहता हूं। ट्रिब्यून ने यह लिखा था :

जीवन बीमा निगम के वेतन बिल की बढ़ती हुई राशि न केवल इस संस्था के लिए चिन्ता की बात है अपितु समाज पर उसके पड़ने वाले भार तथा उसके परिणामस्वरूप पालिसीधारियों को चिर-प्रतीक्षित लाभों से वंचित रखना है, जिनका कि कर्मचारियों की अपेक्षा उस पर अधिक दावा है, सरकार जनता की सेवक है, सेवक, को मालिकों से अधिक संरक्षणात्मक अधिकार प्राप्त होते हैं। जिन्होंने यह स्टेचरी रेजोल्यूशन मूव किया है वह बोलने के लिए तो बोल गए हैं लेकिन रात को जब सोचेंगे और विचार करेंगे तो इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि उन्होंने गुनाह किया है। गवर्नमेंट का कदम बिल्कुल सही है और मैं इसकी ताईद करता हूं। सही वक्त पर उठाया गया यह कदम है। पिछड़े हुए लोगों की तरफ, खेतिहर मजदूरों की तरफ, वांडिड लेबर की तरफ भी हम को ध्यान देना होगा। उनकी तनख्वाहों को हमें नहीं देखना है।

इन शब्दों के साथ मैं इस स्टेचरी रेजोल्यूशन का विरोध करता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं।

**श्री जार्ज फर्नान्डीस** (मुजफ्फरपुर) : सभापति महोदय, हमने श्री डागा का भाषण बड़े गौर से सुना और उन्होंने अपना भाषण को समाप्त करते हुए यह कहा कि सरकार का कदम सही है और उसका समर्थन होना चाहिए। सबसे पहले वित्त मंत्री को और श्री डागा दोनों को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जो एल० आई० सी० कर्मचारियों के साथ समझौता हुआ था, जिसको

आप अध्यादेश के द्वारा समाप्त करना चाहते हो, वह समझौता भी आपकी ही सरकार ने किया था। तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार क्या उस समझौते को करते समय जिसमें वेतन बढ़ गया, मंहगाई भत्ता बढ़ गया, बोनस का फैसला हो गया, अलग-अलग चीजों के फैसले हो गये, लगातार 15-20 साल की क्लेक्टिव बारगेनिंग के चलते हुए वह फैसले हैं जिनको आज मिटाने का काम आप कर रहे हो, और खास तौर पर जिस मुद्दे को आज मिटाने के लिए इस अध्यादेश को ला कर अपने निर्णयों का ऐलान किया है, वह तो आपने ही मन्जूर किया था। आपकी सरकार के वित्त मंत्री उसमें थे, श्रम मंत्री थे, एल० आई० सी० के चेयरमैन, सम्बन्धित अफसर उसमें बैठे थे, और अन्त में सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल द्वारा स्वीकार करने के बाद यह समझौता कर्मचारियों के संगठनों के साथ किया था और फिर आज हम सुन रहे हैं कि सरकार ने जो कदम उठाया है वह बिल्कुल ही सही है। यानी वकालत जरूर हो जाय। मगर यह भी तो समझ लीजिये कि जो कह रहे हो खुद के ही विरोध में कह रहे हो, क्योंकि आज अगर यह जो सरकार कर रही है वह सही है तो आप यह कह रहे हो कि पहले जो किया था वह गलत था, वह मूर्खता थी। उस समय बिना सोचे, बिना समझे अपनी समस्याओं को बगैर अंदाज किए हुए आप समझौता करने के लिये गये थे। तो इसलिये सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार आज जो अध्यादेश लायी है उसके समर्थन में हमारे मित्र श्री डागा चाहे जो कुछ कहें और वित्त मंत्री चाहे जो जवाब देने का प्रयास करें, मगर हकीकत यह है कि सिर्फ एल० आई० सी० का वेतन क्या है, उसकी स्थिति क्या है इसके साथ जुड़ा हुआ मामला नहीं है बल्कि इस देश के श्रमिकों के बारे में एक नई नीति को देश के सामने आज पेश करने का आप काम कर रहे हैं।

कम से कम हमारे जैसे लोगों के मन में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिये क्योंकि पिछले तीन महीनों का, उसके पहले का नहीं, पिछले तीन महीनों का इतिहास देखें। एक तरफ अध्यादेश लाये एल० आई० सी० कर्मचारियों के बारे में, उधर आपने लोको कर्मचारियों को पहले संघर्ष में ढकेल देने का काम किया और उसके बाद तोड़ने का काम किया। इस पर कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिये, इस मसले पर हमने बहुत कोशिश की। उन कर्मचारियों ने अपने संघर्ष को वापस लेने का काम तो जरूर किया है, लेकिन अगर उसकी समूची परिस्थिति का अध्ययन कोई भी करने के लिये बैठे तो यह बात स्पष्ट हो जायगी कि पिछले 3 महीने में देश के रेलवे के उन लोको कर्मचारियों को पहले संघर्ष में ढकेल देने का काम सरकार की ओर से हो गया, और उसके बाद उनको मार-मार कर खदेड़ने का और सैकड़ों लोगों को नेशनल सीक्योरिटी एक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तार करने का काम हुआ। असत्य इसमें कोई बात नहीं है क्योंकि सदन में मंत्री लोग कह चुके हैं कि हमने गिरफ्तार किया है, मंत्री लोग कह चुके हैं कि हमने कर्मचारियों को नौकरी से हटाने का काम किया है। जैसे फरवरी तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया, कितनों को हटाया गया इसकी जानकारी है। तो एक तो वहां पर आपने काम किया।

बंगलौर में क्या हो रहा है, उसको हम देख ही रहे हैं। यहां वित्त मन्त्री जी अपनी बात को रखेंगे (व्यवधान) हां, हां, बंगलौर की चर्चा करने में तकलीफ आपको होगी, लेकिन एक

[श्री मूल चन्द डागा]

ऐसी अद्भुत चीज वहां हो रही है, अद्भुत घटना घट रही है जिसका कुछ अंदाज हमें नहीं हो सकता है। आज की स्थिति में हमारे दोस्त श्री इन्द्रजीत गुप्ता ने कहा कि एमर्जेन्सी की जरूरत नहीं है, बिना इमर्जेन्सी आप ऐसे कामों को आज कर रहे हैं जो पहले एमर्जेन्सी के माध्यम से करते थे।

बंगलौर में कर्मचारियों ने शहर में अपनी एक आम-सभा करने के लिये इजाजत मांगी चिक लाल बाग में लेकिन उनको यह इजाजत नहीं मिली। आपको आश्चर्य होगा कि कल शाम को समूचे चिक लाल बाग को बारब्ड वायर से बंद करने का काम हो चुका है ताकि कोई अन्दर न घुस सके। यह काम बंगलौर में हो चुका है। कल शाम 7 बजे से लेकर आज सुबह 7 बजे तक बंगलौर की पुलिस, पी० डब्ल्यू० डी० और अन्य ठेकेदार के कर्मचारियों को लगाकर उस मैदान को बारब्ड वायर से ऐसे करा जा रहा है जिससे वहां कोई मीटिंग करने के लिए जा न सके।

वहां 71 दिन से हड़ताल चल रही हैं और वहां कर्मचारियों की और पब्लिक सैक्टर की जो स्थिति है, उससे 150 करोड़ का प्रोडक्शन समाप्त हो गया, 35 करोड़ कर्मचारियों का वेतन नष्ट हो गया, लेकिन सरकार की दमन नीति का सामना आज वह कर्मचारी कर रहे हैं। उनके वेतन के बारे में यह नहीं हो सकता है, जो एल० आई० सी० कर्मचारियों के बारे किया गया है, लेकिन वहां आज दमन चल रहा है।

इसलिए जब एल० आई० सी० के अध्यादेश की चर्चा हो रही है तो सिर्फ इस अध्यादेश को एल० आई० सी० कर्मचारियों के वेतन तक ही नहीं रखना चाहिए। हम तो पिछली बार जब आप इस कानून को पेश करने का काम कर रहे थे, तो हम विरोध कर रहे थे। आपका ज्वायन्ट सैक्रेटरी आज इतना परेशान है कि वह सोचता है कि वह सोचता है एल० आई० सी० के बाबू को ज्यादा वेतन मिलता है। मेरा कहना है कि अगर एल० आई० सी० के बाबू को ज्यादा वेतन मिलता है, तो वह अपनी नौकरी छोड़े और जायें एल० आई० सी० में। यहां काहे के लिए झक मार रहा है। छोड़े नौकरी और जाये एल० आई० सी० में और एच० एम० टी० में भर्ती हो, क्यों यहां ज्वायन्ट सैक्रेटरी बनता है? लेकिन अखबारों के माध्यम से और रेडियो के माध्यम से एक ऐसा माहौल बनाने का काम करेंगे कि ज्वायन्ट सैक्रेटरी को कम वेतन मिलता है और एल० आई० सी० के बाबू को ज्यादा मिलता है। हमने पिछले बार आंकड़े रखे थे कि 35 हजार कर्मचारियों में से 600 के बारे में आप जो बात कहते हैं, वह सिद्धान्ततः लागू हो सकती है, लेकिन असल में यह सिर्फ 4 लोगों के लिए लागू है, इन चार लोगों वाली बात को लेकर आप 21 हजार कर्मचारियों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और ज्वायन्ट सैक्रेटरी की इज्जत भी घटाने का काम आप कर रहे हैं। उसकी इज्जत को मत घटाओ, उसको ज्वायन्ट

सैक्रेटरी बना रहने दो, एल० आई० सी० में बाबू बनने के लिए प्रेरित मत करो। आप हकीकत को क्यों छोड़े जा रहे हैं? गलत बातों को सही बनाकर यहां पर क्यों रखते हैं?

सवाल आज मुख्यतः सरकार की मजदूर सम्बन्धी नीतियों का है। सरकार के दमन को कहां तक लोग बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, कहां तक बर्दाश्त की गई लोगों की तरफ से, कब और कहां पर मुकाबला हो जायेगा, इसको आज यह सरकार आहिस्ते-आहिस्ते जांच करने के प्रयास में लगी हुई है और मजदूरों के बारे में यह नीति बहुत ही स्पष्ट हो चुकी है। आप उन मुद्दों की चर्चा करेंगे जिस पर पिछली बार काफी लम्बी बात हो चुकी है, हमारे दो साथी उन मुद्दों पर बोल चुके हैं।

जहां तक आंकड़े का सवाल है, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर मंत्री महोदय का यह कहना है कि एल० आई० सी० में खर्चा बहुत हो गया और इस पर रोक लगाने की बात है तो फिर एक एल० आई० सी० की जगह 5 एल० आई० सी० करने का क्या कारण है?

**एक माननीय सदस्य** : काम ठीक नहीं है।

**श्री जार्ज फर्नान्डीस** : काम ठीक नहीं है? मैं कारण बताता हूं। एक चेयरमैन-मैनेजिंग डायरेक्टर की जगह 5 लोगों को काम मिलेगा, 5 बड़े लोगों को, 10 लोग जो बोर्ड आफ डायरेक्टर्स हैं, उनकी जगह 50 का इन्तजाम किया जायेग। 100-150 जो बड़े अफसर है, सीनियर एग्जीक्यूटिव्ज हैं, उनकी जगह पर 5 गुना लोगों की और संख्या बढ़ेगी और जो ज्वायन्ट सैक्रेटरी आज बड़ी चिन्ता में हैं, उनको दो-दो लोगों को बोर्ड में जगह मिलेगी। इसका कारण बहुत सीधा है। हिन्दुस्तान में ऊंचे स्थान पर बैठे हुए, व्यवस्था को चलाने वाले लोग यह अच्छी तरह से जानते हैं कि अपने आप को कैसे बनाये रखना है।

**सभापति महोदय** : इसका उद्देश्य डीसेंट्रलाइजेशन भी तो हो सकता है।

**श्री जार्ज फर्नान्डीस** : यह डीसेंट्रालाइजेशन नहीं है, यह तो प्रालीफरेशन है। इसका विकेन्द्रीयकरण से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह नौकरशाही है तथा इस देश में इसकी अपने आप वृद्धि होती रहती है। अब तक उनकी यही स्थिति है।

**प्रो० मधु दण्डवते** : पारकिन्सन विधि।

**श्री जार्ज फर्नान्डीस** : जहां तक ऊपर के लोगों का सम्बन्ध है, एक की जगह पांच का इन्तजाम हो जायेगा। मगर वित्त मंत्री बतायें कि क्या नीचे के कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी। नहीं बढ़ेगी। जितने चपरासी हैं, उतने ही रहेंगे। जितने बाबू हैं, उतने ही रहेंगे। क्लास फोर, क्लास थ्री और क्लास टू के जितने लोग हैं, उतने ही रहेंगे। लेकिन जिन मुट्ठी भर लोगों को व्यवस्था का आधार माना जाता है, इस निर्णय के द्वारा उनके लिए पांच गुना ज्यादा जगहें हो जायेंगी।

पैसा ज्यादा खर्च होगा या कम? मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जब वह पांच कम्पनियां बनायेंगे, तो कर्मचारियों पर ज्यादा खर्च होगा या बड़े लोगों पर ज्यादा खर्च

[श्री जार्ज फर्नान्डीस]

होगा। अभी हमारे मित्र, श्री सुनील मैत्रा ने बताया है कि कैसे ओवरटाइम का पैसा बनाया जाता है। कार चलाने वाले लोग कलकत्ता, बम्बई जैसे स्थानों पर पहुंच गए—डायरेक्टर, ज्वायंट सैक्रेटरी और मंत्री महोदय पहुंच गये। यह ओवरटाइम का हिसाब है। मंत्री महोदय याद रखें कि अगले साल ओवरटाइम ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि अब ज्यादा बोर्ड आफ डाइरेक्टर्ज के लोग, ज्यादा चेयरमैन ज्यादा मैनेजिंग डायरेक्टर और ज्यादा ज्वायंट सैक्रेटरी घूमेंगे।

**सभापति महोदय** : वे सुपरवाइज करने के लिए जाते होंगे।

**श्री जार्ज फर्नान्डीस** : यह हिस्सा-मारू व्यवस्था है। उसमें ऊँचे स्तर पर जो लोग बैठे हुए हैं, उनके द्वारा अपना हिस्सा मारने का काम होता है। इसलिए पैसा बचाने का और इस अध्यादेश का रत्ती भर रिश्ता नहीं है, यह बात मैं यूथ कांग्रेस के वयोवृद्ध सदस्यों को बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं। (**व्यवधान**)

हम लोग आपस में बहस कर सकते हैं कि हिन्दुस्तान में एक वेतन नीति होनी चाहिए या नहीं। हम भी इस सरकार में रहे हैं। श्री मधु दंडवते और मैं सरकार में रहे हैं। उस सरकार में रहते हुए हम लोगों ने भी इस बात पर चर्चा छेड़ी कि एक वेतन नीति देश में होनी चाहिए। एक कमेटी भी बनी थी, जिस पर बड़ा हल्ला भी हुआ था। भूतलिंगम कमेटी उसका नाम था। उस कमेटी की तरफ से कुछ बातें हुई थीं।

**सभापति महोदय** : बूथलिंगम या भूतलिंगम ?

**श्री जार्ज फर्नान्डीस** : जैसा भी आप समझें। इस मामले में आपकी राय को मैं स्वीकार कर लूंगा।

मुझे मालूम है कि मंत्री महोदय या शायद हमारे जूनियम मिनिस्टर इस पर बोलेंगे। ये लोग बड़े गुस्से और जोश के साथ बोलते हैं—पता नहीं दिल से बोलते हैं या गले से बोलते हैं। भूतलिंगम कमेटी ने यह चर्चा जरूर की कि कुछ लोगों का वेतन बहुत ज्यादा हो और कुछ लोगों का वेतन बहुत कम हो, इस स्थिति की खत्म करना चाहिए। मगर उस कमेटी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इस स्थिति को खत्म करने का यह तरीका नहीं है कि ऊपर के लोगों के वेतन को नीचे लाने का काम किया जाये, वेज-कट किया जाये।

**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मणिभाई डारोट)** : आपने इसे क्रियान्वित नहीं किया। इसे क्रियान्वित करना आपका काम था।

**श्री जार्ज फर्नान्डीस** : हम कितना कर पाये, कितना नहीं कर पाये, यह आपके साथ एक अलग बहस का विषय है। उस पर हम लोग बहस कर सकते हैं।

आज देश भर में यह गलतफहमी फैलाई जा रही है कि कुछ कर्मचारियों के हाथ में बहुत पैसा है, गांवों के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं। लोग हाई वेज आइलेंड्ज की बात कहते हैं। लेकिन हमारे जैसे लोग जब इस प्रश्न पर चर्चा करते हैं, तो वे न सिर्फ वेतन में बराबरी की बात कहते हैं, बल्कि सारी अर्थ-व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था में गैर-बराबरी को समाप्त करने की बात कहते हैं। हां भाई, काहे को आप टाटा से इतनी मुहब्बत रखते हो . . (**व्यवधान**) . . चाहे जिस पर

आकर पढ़ो न, काहे के लिए हम से मुंह लगाने की बात करते हो। आपके बस का नहीं है हम से मुंह लगाना . . . (व्यवधान) . . . . उनको छोड़ो, वहां बैठे हुए लोगों को छोड़ो। आपके बस का नहीं है। हमसे बहस करना आपके बस का नहीं है। काहे के लिए उलझन चाहते हो ? . . . (व्यवधान) . . .

सभापति महोदय, अगर आपको वेतन की चर्चा करनी है, कुछ लोगों का अधिक वेतन है, कुछ लोगों का कम है, वेतन में बराबरी की अगर चर्चा करनी है तो एक राष्ट्रीय वेतन नीति पर आप चर्चा कीजिए। मैं वित्त मंत्री से कहूंगा, काबिल आदमी हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, मैं उनसे आज यह प्रार्थना करूंगा कि वह राष्ट्रीय वेतन नीति पर चर्चा करने के लिए सामने आ जायें। . . . (व्यवधान) . . . उस पर बहस हो जाय। जब राष्ट्रीय वेतन नीति पर आप बहस करेंगे तो उसमें सिर्फ वेतन पर ही नहीं बल्कि समूचे खर्च की भी नीति पर आपको चर्चा करनी होगी।

**सभापति महोदय** : अभी तो सीमित क्षेत्र है।

**श्री जार्ज फर्नान्डीस** : नहीं, सभापति महोदय, यह तो राष्ट्र की तमाम समस्याओं को देखने का सवाल है, उसको देखने का ढंग है और वेतन का मामला, कर्मचारियों का मामला, किसानों का मामला, गरीबों का मामला, इन सारे मामलों पर आप चर्चा करेंगे तो इसको कुल राष्ट्रीय नीतियों के साथ छोड़े बगैर आप कभी चर्चा नहीं कर सकते हैं। . . . . (व्यवधान) . . .

**सभापति महोदय** : यह तो सब लिंक्ड हैं।

**प्रो० मधु दंडवते** : वे भी पढ़े-लिखे हैं। श्रीमान्।

**श्री जार्ज फर्नान्डीस** : मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं, मंत्री जी जो ये विधेयक लाये हैं इन विधेयकों के पीछे और जो श्रमिकों के ऊपर इस देश में एक हल्ला चल रहा है, शोषित लोगों पर जो एक बड़ा हल्ला चल रहा है, इन हल्लों के पीछे पैसा जहां-जहां से सरकार के हाथ में लेने का काम हो सकता है वह लेने का का प्रयास है लेकिन उसे खर्च कहां करेंगे ? 700 करोड़ रुपया खर्च करेंगे एशियन गेम्स पर। जुटाएंगे कहां से ? एल० आई० सी० कर्मचारियों के बारे में फिक्र है मगर दिल्ली में एयर कंडीशंड स्विमिंग पूल बनेगा, एयर कंडीशड स्टेडियम बनेगा। यह सारा जो सिलसिला होगा क्या इस पर . . . (व्यवधान) . . .

सभापति महोदय, एक बात यह है कि कुछ लोग आदत के बहुत ही बिगड़े हैं . . . . (व्यवधान) . . .

**आचार्य भगवान देव** : जब यह स्वयं मंत्री थे . . . (व्यवधान) . . .

**श्री जार्ज फर्नान्डीस** : सभापति महोदय इन माननीय सदस्य को अगर कोई खास परेशानी हो तो एकबार हमारे साथ उनकी बहस करवा दीजिए। लेकिन यह नहीं हो सकता है कि हर बार और बार-बार इस माननीय सदन में एक सदस्य हमेशा बहस छेड़ने का प्रयास करें. (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : क्यों न करें ? . . .

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)

**श्री जार्ज फर्नान्डीस** : अध्यक्ष महोदय, एक बार इस व्यक्ति को आप समझाइए।

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया व्यवधान न डालें ।

**श्री जार्ज फर्नान्डीस** : नहीं, यह सिर्फ इन्ट्रप्शन की बात नहीं है । मैं कितने भी व्यवधानों के लिए तैयार हूं । यह व्यवधान का प्रश्न नहीं है । कुछ शालीनता नाम की भी चीज होती है कुछ गरिमा होती है यदि माननीय सदस्य है, तो मैं एक को पहचान सकता हूं जो ऐसा करने योग्य नहीं है ।

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया व्यवधान न डालें ।

**श्री जार्ज फर्नान्डीस** : कुछ सीमा भी होती है । मैं चिरकाल से इसका सामना कर रहा हूं । परन्तु कुछ सीमा होती है । मैं उन्हें इस प्रकार अपने ऊपर हमला करने की अनुमति नहीं दूंगा ।

इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह बात कह रहा था कि पैसे जुटाने का काम आपको करना है और पैसा बचाने का और तरीका वह खोज रहे हैं लेकिन कहां इस पैसे को वह डालेंगे ? एक तो यह पैसा आप का जायगा 700 करोड़, उसके लिए पैसा जुटाएंगे और फिर बात करेंगे हाई वेज आइलैंड्स की । अगर उसकी बात करनी है तो यह जो आब्सीन ऐण्ड वल्गर एक्सपेंडीचर के आइलैंड्स हैं, जो फाइव स्टार होटल का आपका कल्चर है, 595 रुपये सिंगिल रूम टैरिफ और 24 रुपयें फार ए कप आफ टी, यह जो आपका सारा सिलसिला है इस पर भी आपको हल्ला करना होगा । इस पर हल्ला नहीं करेंगे, इसको और बढ़ाने के लिए, इस शहर में शायद दस और फाइव स्टार होटल खड़े करने के लिए जगह देने का और उसके लिए पैसे देने का काम यह करेंगे और कर्मचारियों के वेतन के बारे में बहस छेड़ेंगे, तो बड़े अदब के साथ मैं कहना चाहता हूं, वह बात चल नहीं पाएगी, उसमें कामयादी हो नहीं पाएगी ।

इसके साथ-साथ यह जो अध्यादेश के माध्यम से और अब आने वाले कानून के माध्यम से कर्मचारियों के बुनियादी हकों पर, कर्मचारियों के बुनियादी अधिकारों पर सरकार ने हल्ला बोला है, उन पर कुठाराघात किया है, उसके सिलसिले में मैं सरकार को इशारा करना चाहूंगा— मैं आशा करता हूं और कोई इसको समझे न समझे लेकिन वित्त मंत्री जी जरूर समझ पायेंगे— जैसा कि श्री इन्द्रजीत गुप्त ने भी कहा है कि अगर आप इस कुठाराघात से हिन्दुस्तान के तमाम मजूदरों के आन्दोलन को तोड़ने या मिटाने का खयाल लेकर चले हैं तो इसमें आपको कभी कामयाबी नहीं मिलेगी । हिन्दुस्तान के तनाम मजदूरों का आन्दोलन आगे और भी मजबूत होगा । अगर हिन्दुस्तान के श्रमिकों और शोषित लोगों को जुटाने का एतिहासिक काम आप करना चाहें तो हम आपका स्वागत करेंगे लेकिन यह जो आपकी चुनौती है यह सिर्फ एल० आई० सी० के कर्मचारियों के लिए ही नहीं है बल्कि हिन्दुस्तान के समूचे श्रमिकों के लिए है । आपकी इस चुनौती को स्वीकार करके न सिर्फ आपके इस विधेयक का विरोध और श्री इन्द्रजीत गुप्त जी के प्रस्ताव का हम समर्थन करते हैं बल्कि हम आपको चेतावनी भी देना चाहते हैं कि इस अध्यादेश और विधेयक के विरोध में इस सदन में जो लड़ाई होगी वह तो शाब्दिक लड़ाई ही होगी, यहां पर हम इसका विरोध करेंगे ही साथ ही इस सदन के बाहर भी लड़ाई तीव्रता के साथ लड़ी जाएगी और वह आपको भारी पड़ेगी जिससे आप उठ नहीं पायेंगे ।

यही इशारा देकर मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और श्री गुप्त के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

**प्रो० मधु दंडवते** : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूँगा कि देश के समक्ष उपस्थित इस विकट समस्या का पूरी तरह समाधान होना चाहिए। इस समस्या के बहुत से पहलुओं का संबंध जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के साथ है। परन्तु उनकी व्यापक शाखाएं हैं तथा मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करें क्योंकि समस्या बहुत व्यापक है।

मैं उन व्यक्तियों में से हूँ जो यह मानते हैं कि इस देश में कार्मिक वर्ग के लोगों तथा व्यापार कार्य में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए एक तर्कसंगत और समेकित वेतन नीति होनी चाहिए। इस बारे में कोई मतभेद नहीं है। परन्तु फिर भी ऐसे ढंग होते हैं जिनके द्वारा तर्कसंगत और समेकित वेतन नीति तैयार की जा सकती है। जब तक आप देश के संगठित श्रमजीवी वर्ग तथा श्रमजीवी कृषकों के साथ बातचीत अथवा चर्चा या परामर्श नहीं करेंगे, तब तक आप कोई तर्कसंगत समेकित वेतन ढांचा तैयार नहीं कर सकते। जब तक आप यह नहीं करते, देश में वेतनों की असमानताएं दूर नहीं हो सकती। इसलिए इस समस्या के समाधान के लिए एक अत्यन्त रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाना आवश्यक है। आप अध्यक्ष पीठ पर विराजमान हैं, आपको याद होगा कि भारत सरकार ने दो दिन पहले स्वर्गीय श्री मावलंकर, जो कि लोक सभा के पहले अध्यक्ष थे, यथा जिन्हें पंडित नेहरू लोक सभा के पिता कहा करते थे, की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है।

**श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : श्रीमान्, जर्मन गणतांत्रिक संघ के राष्ट्रपति यहां पर विराजमान हैं। हमें उनका स्वागत करना चाहिए।

**प्रो० मधु दंडवते** : बहुत थोड़े से मामले ऐसे होते हैं जिनमें हमारी सत्तारूढ़ दल से पूरी सहमति होती है। यह एक उसी तरह का मामला है।

**अध्यक्ष महोदय** : कम से कम हमारे पास ऐसे अवसर तो होते हैं।

**प्रो० मधु दंडवते** : मैं चाहता हूं कि आप कभी-कभी उन्हें आमंत्रित करते रहा करें।

**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है।

**प्रो० मधु दंडवते** : मैं यह बताने की चेष्टा कर रहा था कि यदि एक समेकित वेतन ढांचा नीति अपनानी है तो उसके लिए व्यापक सहमति की आवश्यकता है। विधेयक में कुछ प्रशंसनीय उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है जिनका संबंध प्रशासन की लागत पर नियंत्रण रखने से है जो कि भारत के जीवन बीमा निगम तथा उसके पालिसीधारियों के हित में है जिनके प्रीमियम की आय का निगम न्यासी है।

अतः बीमा-धारियों के हित में भी सुरक्षा अवश्य की जानी चाहिए, मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि जब 1974 में द्विपक्षीय समझौता हुआ था, उस समझौते में एक प्रस्तावना शामिल थी। समझौते की उक्त प्रस्तावना आपके स्वीकृत उद्देश्यों के अनुरुप है। उस उद्देश्य की क्रियान्विति का आपका ढंग गलत है। 1974 के समझौते में इस प्रकार कहा गया था :

[ प्रो० मधु दंडवते ]

जबकि निगम ने उसके ऐसोसिएशन के साथ जुलाई 1973 से जनवरी 1974 के समय के बीच बातचीत की हैं, जिनमें विभिन्न मामलों पर, जिनमें निगम का पालिसीधारियों एवं समाज के प्रति दायित्व भी सम्मिलित है, स्वतंत्र एवं खुले रूप में बातचीत हुई है।

श्रीमान्, इस प्रस्तावना के साथ ही वास्तव में समझौता हो गया था। इस अध्यादेश को जारी करने में शीघ्रता क्यों की गई, जबकि संसद की बैठक होने वाली थी और इसी संदर्भ में मुझे लोक सभा के पिता, भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री मावलंकर जी की याद आती है। वह अध्यादेशों के बहुत विरुद्ध थे।

श्रीमान्, आप भी अध्यादेशों के बहुत विरुद्ध हैं तथा कई बार आपने टिप्पणी की है कि जब संसद का सत्र होने वाला है, तो सरकार द्वारा बहुत से अध्यादेशों को लाया जाना उचित नहीं है। इसलिए, श्रीमान ऐसा अध्यादेश लाने की कतई कोई आवश्यकता नहीं थी।

श्रीमान्, 1974 के समझौते की इस विशिष्ट प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि बीमाधारियों के हितों का ध्यान पहले से ही कार्मिक संघों, एवं सरकार के मस्तिष्क में विद्यमान था। इस विधेयक द्वारा जीवन बीमा निगम की 25 वर्ष की परम्परा टूट जायेगी। परम्परा क्या रही है। बातचीत द्वारा द्विपक्षीय समझौते करने की परम्परा रही है। अब इस परम्परा को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया गया है। इस परम्परा को समाप्त करने से आप संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को समाप्त कर रहे हैं। इसके द्वारा मिलकर लाभ प्राप्त करने की शक्ति को नष्ट किया जा रहा है सामूहिक सौदेबाजी कर्मचारी संघ के माध्यम से ही की जाती है। हमारा संविधान देश की जनता को स्वतंत्र कार्मिक संघ एवं संगठन बनाने का अधिकार देता है। पोलैंड जैसे देश में भी कर्मचारी अपने संघों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए खुले संघर्ष हेतु मैदान में उत्तर आये हैं। संघों एवं संगठनों का निर्माण सौदेबाजी करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। उनका निर्माण उत्सव मनाने वाले क्लबों के रूप में नहीं किया जाता। वे देश में कर्मचारियों के हित में समझौते करने वाले एजेंट होते हैं तथा जबकि आपका संविधान संगठित एवं स्वतंत्र संघों एवं संगठनों के निर्माण का अधिकार देता है, आप मिलकर लाभ प्राप्त करने के अधिकार को इस अध्यादेश द्वारा समाप्त नहीं कर सकते। मंत्री महोदय द्वारा लाया जा रहा विधेयक सामूहिक रूप से लाभ प्राप्त करने के अधिकार को नष्ट करने की चेष्टा है तथा इससे संघ एवं संगठन बनाने के मौलिक अधिकार को भी नष्ट करने की चेष्टा की जा रही है। इस बात पर उसको ध्यान देने की आवश्यकता है।

श्रीमान्, 1974 में हुए समझौते में यह पूरी तरह स्पष्ट किया गया था कि समझौता एकमुश्त करार है तथा बोनस समझौते के समय इन सभी पहलुओं पर विचार किया गया था। यह बात पूरी तरह स्पष्ट कर दी गई थी कि यह एकमुश्त करार है। बोनस के अधिकार के बदले में कर्मचारी कुछ लाभ छोड़ने को तैयार होंगे इसलिए इसे एकमुश्त करार माना जाता है। दुर्भाग्य से वर्तमान विधेयक द्वारा उस एकमुश्त करार की भावना को ही नष्ट किया जा रहा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने स्पष्ट किया है कि लाभ रहित 15 प्रतिशत बोनस का एक पहलु था।

यह पहला अवसर नहीं है जब वे इस प्रकार का अध्यादेश ला रहे हैं। श्रीमान्, आपको वे दिन याद होंगे जबकि आपात काल के दौरान देश की स्वतन्त्रता को नष्ट किया जा रहा था तथा कार्मिक वर्ग के अधिकारों को नष्ट किया गया था। उस समय भी उन्होंने ऐसी ही हरकतें की थीं तथा उन्होंने सभी समझौतों को समाप्त करना चाहा था। बाद में वह मामला उच्चतम न्यायालय में पहुंचा तथा उन्होंने कहा कि सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम की सीमा का उल्लंघन कर रही है। आप ऐसे कानून ला रहे हैं जो कि संविधान द्वारा दी गई शक्ति से परे हैं तथा इसके परिणाम-स्वरूप आपको उच्चतम न्यायालय में पराजय का सामना करना पड़ेगा, परन्तु फिर भी सरकार ऐसा करने से भी नहीं रुकती है। सरकार केवल मौखिक रूप से ही स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करती है, परन्तु उसका व्यवहार उसके बिल्कुल विपरीत है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आप के विरुद्ध एक निर्णय दिया। आप उच्चतम न्यायालय में गए।

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोट)** : आप ने अपील की थी।

**प्रो० मधु दंडवते** : उच्चतम न्यायालय में आप गये थे। आप इस निर्णय को बदलवाना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या ? उच्चतम न्यायालय ने कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय दिया। आप ने एक पुनरीक्षा याचिका दायर कर दी। आप ने कहा है कि चूंकि किसी ने अवमान का मामला न्यायालय में दायर किया, इस लिए आप को विवश होकर पुनरीक्षा याचिका दायर करनी पड़ी। यदि आप यह मानते हैं कि हमें अवश्य ही न्यायपालिका के निर्णय का मान करना चाहिए, तो आप पुनरीक्षण याचिका के लिए अवमान कार्यवाही की सुनवाई को बहाना नहीं बना सकते (**व्यवधान**)। एक और पहलू भी है। मैं इसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सरकार 'उच्च वेतन द्वीपों' के बारे में कहती रही है। सरकार कहती है कि वेतन ढांचे को शीघ्र तर्क संगत बनाना होगा।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान एक तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं। कृपया उस अवधि के दौरान उपलब्ध की गयी प्रगति को देखिए जब इस समझौते को तैयार किया जा रहा था। यह स्थिति 31-3-75 से 31-3-80 के बीच की है। निगम का नया कारबार 3100 करोड़ रुपये से बढ़-कर 7906 करोड़ रुपया का हो गया। यदि आप का गणित कमजोर नहीं है और यदि आप प्रति-शतता का हिसाब लगायें, तो यह वृद्धि 255 प्रतिशत बैठती है। इसलिए इस समझौते के सम्पन्न होने के पश्चात् कार्य की इन शर्तों की पेशकश करने के पश्चात् भी, बोनस का प्रस्ताव करने के पश्चात् और इस अध्यादेश को लाने से पूर्व भी आप देखेंगे कि नए कारबार में 255 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस का श्रेय समूचे तंत्र, जीवन बीमा निगम के सभी कर्मचारियों को जाता है कि वे इस प्रकार का व्यापार प्राप्त करने में सफल हो पाये हैं। अतः, आप का यह तर्क, कि आप पालिसी धारकों के हित में इस विधान को ला रहे हैं, सही नहीं है।

महोदय, मेझियान समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं और कुछ ठोस प्रस्ताव तथा वैकल्पिक सुझाव भी दिये हैं। आप को सुझाव दिया गया है कि पालिसीधारकों के हितों की सुरक्षा करना आप के लिए किस तरह सम्भव होगा। इसलिए आप कृपया इन सभी सुझावों पर विचार कीजिए।

[ प्रो० मधु दण्डवते ]

कृपया मजदूर संघ संगठनों तथा संघों के प्रतिनिधियों के साथ मिल बैठकर बातचीत कीजिए। यदि आप आप इस प्रकार के त्रिपक्षीय बैठक करते हैं तो आप ऐसे समाधान ढूंढने में सफल होंगे जिन के द्वारा सेक्रियान समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित किया जा सकता है। एक ओर कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जा सकती है तो दूसरी ओर पालिसीधारकों के हितों की रक्षा की जा सकती है। दुर्भाग्य है कि पालिसीधारकों के हित की रक्षा जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के हितों की उपेक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं। यह श्रमिक वर्ग विरोधी रवैया है। इस विधेयक की एक बहुत ही खतरनाक बात यह है कि आप बिल्कुल नयी परम्परायें स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। आप जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से निकाल देने का प्रयास कर रहे हैं। आप औद्योगिक विवाद अधिनियम के समूचे अधिकार क्षेत्र को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। और यदि आप ऐसा करते हैं, तो श्रमिक वर्ग आन्दोलन का समूचा आधार ही ढह जायेगा। अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों एवं मजदूर संघ आन्दोलनों में त्रिपक्षीय तथा द्विपक्षीय विचार-विमर्शों की स्वीकृत परम्परा का पालन किया जाता है। अतः जैसा कि आप सदैव कहते हैं कि हमारी विदेश नीति को द्विपक्षीय नीति बनाना ही होगा, इसी तरह जहां तक श्रमिक वर्ग आन्दोलन का सम्बन्ध है और जहां तक समेकित वेतन नीति का सम्बन्ध है, हमें इस पर चर्चा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों तथा श्रमिक वर्ग के नेताओं के साथ मिल बैठ कर करनी ही होगी। केवल इस प्रकार की द्विपक्षीय चर्चायें ही आपको उचित एवं न्यायसंगत परिणाम दे पायेंगी। और इसलिए यदि आप ने उचित परिणाम प्राप्त करने हैं, तो आप को इस नीति का पालन करना होगा।

और आखिर में मैं एक बात पर जोर देना चाहता हूं। श्रमिक वर्ग आन्दोलन के क्षेत्र में यह एक बहुत बड़ा खतरा है जो मंडरा रहा है। यदि आप इस अध्यादेश को स्वीकृत होने देते हैं और यदि आप इस विधेयक को अधिनियम बनने देते हैं तो आज यह जीवन बीमा निगम है परन्तु कल सरकारी क्षेत्र की इकाइयों के अन्य क्षेत्र भी हो सकते हैं जिन्हें इस प्रकार के विधानों के अंतर्गत लाया जा सकता है। अतः. मैं सरकार को यह बताना चाहता हूं कि कृपया इन दमनकारी विधानों को, जिनसे आपके पहले से क्षतिग्रस्त दृष्टिकोण को और क्षति पहुंचेगी, वापस ले लीजिए। अपनी छवि सुधारने की कोशिश कीजिए। यदि आप बातचीत विचार-विमर्श और वाद विवाद के मार्ग का अनुसरण करने की बजाय संघर्ष का मार्ग का अनुसरण करते हैं, तो आप किसी भी समस्या का समाधान करने में समर्थ नहीं हो पायेंगे। एक समस्या से आप अन्य सैकड़ों समस्यायें पैदा कर लेंगे। आप समस्याओं का समाधान करने की बजाय देश के विकास के मार्ग में और नई समस्यायें पैदा करते जायेंगे। मुझे आशा है कि सरकार देश की अर्थव्यवस्था को अन्ततः नष्ट करने वाले इस प्रकार के अविवेकपूर्ण मार्ग का अनुसरण नहीं करेगी।

विभिन्न विभागों के अध्यक्षकों और विभिन्न सरकारी उपक्रमों के अध्यक्षों ने कहा है कि वह अपना प्रशासन श्रमिक वर्ग के साथ टकराव करके नहीं अपितु श्रमिक वर्ग के सहयोग से चलाना चाहते हैं। परन्तु यहां सदन के समक्ष आप जो कुछ लाये हैं, वह सहयोग का नहीं अपितु टकराव का प्रतीक है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह टकराव का रास्ता अपनाने की अपेक्षा सहयोग का रास्ता अपनायें। यदि विरोधी पक्ष की ओर से सहयोग का रास्ता अपनाने

के लिए किसी आश्वासन की आवश्यकता है, तो मैं मजदूर संघों की ओर से आपको आश्वासन दे सकता हूं मजदूर तथा अन्य मजदूर संघ अपनी मजूरी सम्बन्धी समस्याओं के समाधान के लिए सदा ही सहयोग तथा शांति का रास्ता अपनाते रहेंगे और वह देश की अर्थ-व्यवस्था को नष्ट किये बिना ही ऐसा करते रहेंगे।

**श्री जेवियर अराकल** (एर्नाकुलम) : श्री मानजी, माननीय वित्त मंत्री द्वारा जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। 23 फरवरी, 1981 को जब यह विधेयक पुरःस्थापित किया गया था उस ममय भी विरोधी पक्ष के सदस्यों द्वारा यही तर्क प्रस्तुत किये गये थे। श्रीमानजी, आज मध्याह्न पश्चात् कुछ सदस्यों द्वारा जो भाषण दिये गये, मैं उन्हें ध्यानपूर्वक सुन रहा था। मैं यह समझ पाया हूं कि उन्होंने कोई नये तर्क नहीं दिये हैं। जो प्रश्न उन्होंने उठाए थे, उनका उत्तर स्पष्ट रूप से वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर देते समय पहले ही दे दिया था। इसके बावजूद भी यदि विरोधी पक्ष के सदस्यों को संतोष नहीं हुआ तो अब उनके समक्ष यही विकल्प रह गया है कि वह सदन से बहिर्गमन कर जायें।

श्री मानजी, मैं देख रहा हूं कि श्री सोमनाथ चटर्जी सदन से बाहर जा रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वह पांच मिनट के लिए सदन में बैठ जायें क्योंकि मैं सदन का ध्यान कुछ ग्हुत ही महत्त्वपूर्ण बातों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इसलिए मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह बैठ जाये तथा मेरी बात सुनें।

**[श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए।]**

सभापति महोदय, मेरे लिए यह वहुत खुशी की बात है कि आप इस समय पीठासीन है। श्रीमान, मैं केरल राज्य के बिजली कर्मचारियों तथा केरल राज्य सरकार के बीच हुए करार का उल्लेख कर रहा था। करार के अनुसार राज्य सरकार को 1 करोड़ रुपये से अधिक रुपया कर्मचारियों को देना है। अब केरल में मुख्य मंत्री कहते हैं कि वह करार को क्रियान्वित नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें यह धनराशि राज्य सरकार के खजाने से देनी पड़ेगी। अब मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि अब उन्हें इस सदन में इस विधेयक को चुनौती देने का क्या नैतिक अधिकार है। अतः विरोधी पक्ष के किसी भी सदस्य को इस विधेयक को चुनौती देने का नैतिक या कानूनी अधिकार नहीं है। मैं सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के श्रमिक तथा औद्योगिक क्षेत्र दोनों में ही निरन्तर अनुशासन की मांग करता रहा हूं। मुझे इस बात का गर्व है कि यह सुझाव देने वाला पहला व्यक्ति मैं ही था कि हड़तालों तथा तालाबंदी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिये। श्रीमान, यह प्रसन्नता का विषय है कि विभिन्न क्षेत्रों के कर्मचारियों की मजूरी के बीच समानता लाने के लिए यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है। क्या आप यह नहीं समझते कि अब देश के विभिन्न क्षेत्रों के कर्मचारियों की मजूरी के बीच समानता लाने के प्रश्न पर विचार करने का समय आ गया है। अब आप यदि इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं तो फिर आपसे यह आशा कैसे की जा सकती है कि आप वामपंथी विचारधारा का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकते हैं?

**सभापति महोदय** : आप कृपया इधर-उधर की बातों की ओर ध्यान दिये बिना, अपना भाषण जारी रखिये।

**श्री जेवियर अराकल** : श्रीमान, अभी तक उनमें से किसी ने भी समझदारी की बात नहीं की है। आपकी एक विचार धारा है और और आप कहते हैं कि मजूरी आय तथा लाभ के ढांचे में किसी प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए परन्तु यहां आकर आप कहते हैं कि यह विधेयक पारित क्यों किया जा रहा है। मैं विचारधारा को तो समझ सकता हूं परन्तु आप प्रचार क्या करते हैं और बाहर क्या कहते हैं, इसे समझ पाना कठिन है। परन्तु यहां खड़े होकर मैं यही कहना चाहता हूँ कि विरोधी पत्र वाले बहुत कमजोर है और उन्हें यह भी मालूम नहीं है कि वह किसके बारे में बात कर रहे हैं।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मैं श्री मधु दण्डवते से ही पूछना चाहता हूँ कि क्या हमने उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के आधार पर ही संविधान में संशोधन नहीं किया था ? हमने ऐसा किया है, उदाहरणार्थ भूमि सुधार अधिनियम इसलिए तो पारित किया गया था। अनेक ऐसे निर्णय हैं जिनके आधार पर हमारे संविधान और अन्य कानूनों में संशोधन किया गया है। यदि आवश्यक हो तो कानून में संशोधन करना संसद का विशेषाधिकार तथा परम कर्त्तव्य है और उसे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। सरकार के अन्य दोनों अंगों अर्थात् कार्यपालिका तथा न्यायापालिका को सभा की इच्छा को मानना होता है। यही हम यहां कहने जा रहे हैं।

**एक माननीय सदस्य** : बिना इस तथ्य की ओर ध्यान दिये कि यह अच्छा है या बुरा।

**श्री जेवियर अराकल** : लोगों ने इस बात का निर्णय काफी सोच समझकर ही किया है कि देश के लिए अच्छा क्या है और आप इस बात को जानते हैं कि आपको उन तक जाने का अवसर नहीं मिलेगा।

देश में अनुशासित अर्थ-व्यवस्था तथा देश की मंजूरी प्रणाली को दृष्टिगत रखते हुए, इस विधेयक को लाना अनिवार्य ही था और इसीलिए मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

**श्री हरिकेश बहादुर** (गोरखपुर) : सभापति महोदय, यह विधेयक श्रमिक-विरोधी विधायक है और सरकार इसे ऐसे ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रही है जो सभी प्रकार के सामाजिक तथाश्रमिक न्याय के मापदण्डों के विपरीत है। आरम्भ से ही गलत रास्ता अपनाया गया है। जैसे किप्रो० मधु दण्डवते ने वताया, संसद का पत्र आरम्भ होने के कुछ ही समय पहले, यह अध्यादेश जारी किया गया था। वास्तविकता में ऐसा करना सभी संसदीय मूल्यों के विरुद्ध था, परन्तु सरकार को तो संसदीय मूल्यों तथा अन्य ऐसी चीजों से कोई सरोकार नहीं है। वह केवल लोकतंत्र की बातें ही करते हैं परन्तु वास्तविकता यह है कि वह सम्पूर्ण लोकतांत्रिक ढांचे को नष्ट करने तथा उसे पूर्णतया तहस नहस करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को पहले जो लाभ दिये गये हैं, उन्हें देने के लिए सरकार से किसने कहा था ? वह सभी लाभ कांग्रेस सरकार द्वारा ही उपलब्ध करवाये गए थे और कर्मचारी इतने लम्बे समय तक उनका लाभ उठाते रहे हैं। अब आप उन्हें वापिस लेने का प्रयत्न कर रहे हैं। आपने ऐसा केवल इसलिए किया था कि आप उस समय उससे राजनीतिक लाभ उठाना चाहते

थे इसलिए आपने कर्मचारियों को कुछ लाभ दे दिये। अब आप संपूर्ण स्थिति को अलग ढंग से न्यायोचित ठहराने का प्रयत्न कर रहे हैं। व्यवहारिक वास्तविकता यह है कि जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के साथ वह न्याय नहीं किया जा रहा है जिसके कि वे हकदार हैं। जीवन बीमा निगम के कर्मचारी अत्याधिक समर्पण की भावना से कार्य करते रहे हैं और उन्होंने बहुत लगन से देश की सेवा की है और हमारी अभी व्यवस्था उनके कार्य तथा कृत्यों से सुदृढ़ हुई है। अब सरकार द्वारा इन कर्मचारियों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है, उसका हर समझदार व्यक्ति द्वारा विरोध किया जाना चाहिए। जो लोग इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, बुद्धिमान नहीं हैं। युक्ति संगत मंजूरी ढांचे की हर व्यक्ति वकालात कर रहा हैं। परन्तु सरकार ऐसा नहीं कर रही है। अनेक स्थानों पर श्रमिकों द्वारा न्याय की मांग की जा रही है, परन्तु उन्हें न्याय नहीं दिया जा रहा है। बंगलौर में अनेक प्रमुख सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन किया जा रहा है। उन्हें न्याय नहीं दिया जा रहा। यदि आप उन्हें लाभ देना चाहते हैं, तो अवश्य दीजिए परन्तु जो लाभ उन्हें पहले ही दिये जा चुके हैं, उन्हें वापिस मत लीजिए।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक मुद्रा स्फीति तथा मूल्य वृद्धि को नहीं रोका जाता तब तक और जब तक यह सुनिश्चित नहीं किया जाता कि मुद्रा-स्फीति को कैसे नियन्त्रण में लाया जा सकता है, तब तक श्रमिकों को उचित लाभ नहीं होगा क्योंकि इस समस्या का कारण अन्ततः तो मूल्य-वृद्धि ही है। इसके परिणाम स्वरूप लोग चाहते हैं कि उनकी मजूरी तथा वेतन में वृद्धि की जाये। परन्तु इस सम्बन्ध में सरकार पूर्णतया असफल रही है। आये दिन मूल्यों में वृद्धि हो रही है। अतः समाज के प्रत्येक वर्ग द्वारा मजूरी तथा वेतन में वृद्धि के लिए आन्दोलन किया जा रहा है। यदि आप बोनस आदि नहीं देना चाहते तो आपको कम से कम यह तो देखना ही चाहिए कि मूल्यों में वृद्धि न हो और मुद्रा स्फीति न हो। इसके साथ ही आप को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि श्रमिकों को आवास, चिकित्सा शिक्षा तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाये। बिना सुविधाएं उपलब्ध करवाये, आप को वह लाभ वापिस नहीं लेने चाहिए जो कि उन्होंने कठिन परिश्रम के बाद अर्जित किये हैं। इसलिए, मैं विधेयक का विरोध करता हूं और वित्त मंत्री से इसे वापिस लेने का अनुरोध करता हूं तथा चाहता हूं कि वह इसे ओर आगे न बढ़ाये। इस विधेयक के माध्यम से जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के साथ घोर अन्याय किया जा रहा है।

**श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर** (खंडवा) : माननीय इन्द्रजीत गुप्त द्वारा रखे गये प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूं और जीवन बीमा निगम (संशोधन) विधेयक, 1981 का समर्थन करता हूं। जीवन बीमा हमारे जीवन में एक आवश्यक वस्तु हो गई है और उसी तरह से हो गई है जिस प्रकार से रोटी, कपड़ा और मकान है। आदमी सोचता है बुढ़ापे में उसको इसकी राशि मिल जाए या मृत्यु के पश्चात् उसके परिवार को कुछ मिल जाए। इस वास्ते वह कुछ न कुछ बचाकर इसमें लगाता है और इस प्रकार से आने वाले भविष्य का सामना करने की वह कोशिश करता है।

मैं विरोधी दल के माननीय सदस्यों के भाषणों को सुन रहा था। श्री इन्द्रजीत गुप्त और श्री जार्ज फर्नान्डीस बहुत जोरों से कह रहे थे कि संसद के साथ-साथ बाहर भी हम निपट लेंगे। डागा जी ने ठीक कहा है और मैं भी दोहराता हूं कि इनकी हिम्मत नहीं है कि ये भारत के करोड़ों

[ श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर ]

लोगों के साथ सड़कों पर निपट सकें। करोड़ों पालिसीहोल्डर इस ओर निगाहें लगाए बैठे हैं कि कब उनकी पालिसियां पकती हैं और कब उनको पैसा मिलता है और कब वे अपने परिवार के लोगों के काम में उस पैसे को लाते हैं। उनके सामने आप जरूर हार जाएंगे। भाषणों के बल पर ही आपको टिकना नहीं चाहिये और विरोध के लिए विरोध की जो भावना है इसको त्याग देना चाहिए। मेरी उनसे बड़ी विनम्र प्रार्थना है कि राष्ट्रीय महत्व के बहुत से प्रश्न हैं जिन पर हम सबको एक होकर विचार करना चाहिए और एकमत से काम करना चाहिए। देश एक संकट में से होकर गुजर रहा है। आर्थिक संकट भी हमारे देश पर है। इसका एक कारण यह है कि पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स को आयात करने में हमारा बहुत सा पैसा बाहर चला जाता है। इनफ्लेशन पर भी हमको काबू पाना है। इनफ्लेशन और बहुत सा पैसा बाहर जाने के कारण आम आदमी को आज बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और ये बढ़ती जा रही है। इस वास्ते विरोधी दलों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि कम-से-कम ऐसे कदम जो उठाये जा रहे हैं, इनका तो इनको विरोध नहीं करना चाहिए और इनका तो समर्थन करना चाहिए।

जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण 1 सितम्बर, 1956 को हुआ। इसकी चार प्रमुख आशाएं और लक्ष्य निर्धारित किये गए थे। पहला, देश में बिखरे हुए वित्तीय साधनों को पंचवर्षीय योजना के लिए एकत्र किया जाना और इस दृष्टि से बीमा व्यवसाय का यथासम्भव प्रसार हो। दूसरा, नवीन जीवन व्यवसाय में गुणात्मक सुधार किया जाना, तीसरी, बीमा व्यवसाय में सुदक्षता लायी जाना और चौथी पालिसीधारियों को बेहतर सुविधायें उपलब्ध हों। आज हम जीवन बीमा निगम के रजत जयन्ती वर्ष में विचार कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने कहा ऐसी क्या जल्दी थी जो यह बिल लाना पड़ा कानून का रूप देने के लिये ? मैं कहना चाहता हूं कि रजत जयन्ती वर्ष में हम अपने कार्यों का मूल्यांकन करते हैं और वही आदमी सफल होता है जो अपनी गलतियों और कठिनाइयों का मूल्यांकन करे। वही पार्टी सफल होती है जो जनता को दिये गये वायदों का मूल्यांकन करे। हम देखें कि जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण के बाद इस देश की जनता ने एल० आई० सी० से क्या पाया और उसके माध्यम से देश की सरकार जनता को क्या देना चाहती है। इस बात का मूल्यांकन होना बहुत आवश्यक है। ईरा सेक्रियन कमेटी ने जो भारी भरकम रिपोर्ट दी है उसमें कहा है कि 1956 से राष्ट्रीयकरण के बाद निगम में जो लाभ हुआ वह कर्मचारियों की वेतन वृद्धि से बराबर हो गया। उसी रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की की संख्या आवश्यकता से बहुत अधिक है, तथा 1960 से 1977-78 तक प्रति व्यक्ति वेतन लागत उपभोक्ता मूल्य सूची की तुलना में 80 प्रतिशत से अधिक है। कर्मचारियों की संख्या मुख्यत: तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की अधिक है। जीवन बीमा महंगी और अकुशल पंचकार्ड प्रणाली का प्रयोग करता है जिसे विश्व के अन्य सभी देशों ने त्याग दिया है। कर्मचारियों का इन पिछले वर्षों में वेतन निरन्तर बढ़ता रहा और प्रबन्ध में कुल व्यय का इसका भाग 1961 में जहां 37.51 प्रतिशत था 1977-78 में बढ़कर 45.21 प्रतिशत हो गया। समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि यदि लोगों को बीमा पालिसियों से इन क्षेत्रों में अपना धन बचाने से रोकना है, तो निगम की सारी क्रिया-प्रणाली में भारी परिवर्तन होना चाहिये।

उसमें यह भी है कि जो इतना बड़ा वेतन एल० आई० सी० कर्मचारियों को देते हैं, जो देश के करोड़ों लोगों की बहुत बड़ी बचत की देखभाल ट्रस्ट्री के रूप में करते हैं, उसका दायित्व होता है कि उसके पास जो सम्पत्ति है उसका कुशलता से संरक्षण करे और बढ़ाये। परन्तु हम देखते हैं कि आज एल० आई० सी० से बहुत लोग हटते जा रहे है और आज यह बढ़े हुए वेतनों के कारण ओर दबाव की राजनीति के कारण पालिसीहोल्डर्स परेशान हैं। यूनियनों और एसोशियेशन्स और उनके नेताओं द्वारा जैसे माननीय जार्ज फर्नान्डीस और इन्द्रजीत गुप्ता जी कह रहे थे कि हम बाहर निपट लेंगे, यही कारण है कि पालिसीहोल्डर्स परेशान हैं, जबकि उनको आशा थी कि नेशनेलाइजेशन के बाद उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार को काफी पैसा मिलेगा। किन्तु राजनीति के चक्कर में आज एल० आई० सी० आ गई है, इसलिये मेरा निवेदन है कि राजनीति की दुकानदारी को दूर रखिये और देश के पालिसी होल्डर्स को जो अपेक्षाएं थीं उनको मिलने दीजिए। आज कोई अगर 5,000 रु० की पालिसी 15 साल के लिए लेता है तो उसको 6,000 रु० का प्रीमियम चुकाना पड़ता है और उतना ही उसको मैच्योरिटी पर मिलता है। जबकि यदि एफ० डी० आर० में या नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स कोई खरीदता है तो सात साल में उसका पैसा डबल हो जाता है। आज एल० आई० सी० के जो शहरी वेतन भोगी लोग हैं या टैक्स की बचत करने वाले व्यवसायी लोग हैं केवल इन्हीं दो वर्गों का इसमें इन्टरेस्ट रह गया है। बाकी आम आदमी, दूसरे आदमी एल० आई० सी० से दूर भागने लगे हैं, आज पालिसीहोल्डर को बचत नहीं है, कुछ नहीं मिलता है। बहुत से प्रगतिशील देशों में इन्फलेशन के कारण पुनर्मूल्यांकन होता है और जब पालिसीहोल्डर को पैसा रिटर्न होने वाला होता है, नव इन्फ्लेशन के अनुसार पैसा मिलता है, परन्तु हमारे यहां वह बात नहीं है।

मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि भले ही आज नहीं, तो कल इस तरफ वह जरूर विचार करें कि जिस प्रकार इन्फ्लेशन बढता है, उसी तरह से पालिसी होल्डरों के हित और लाभ भी बढ़ते जायें।

जो बिल आज लाया गया है, इसमें दो बातें हैं। एक तरफ तो कर्मचारियों के वेतन का प्रश्न है दूसरी ओर एजेंट अभी श्री जार्ज फर्नान्डीस बड़े जोर से बोल रहे थे, उनको भाषण की कला आती है, वह लेबर लीडर रहे हैं, परन्तु वास्तविकता को इस प्रकार से जोर से कहकर झुटला नहीं सकते हैं कि एक तरफ तृतीय श्रेणी के कर्मचारी को जब वह अधिकतम ऊंचाई पर जाता है तो उसको बराबर 3,400 रु० मिलता है ओर दूसरी ओर हमारे ज्वायन्ट सैक्रेटरी को 3200 रु०।

**श्री सुनील मैत्रा** : 3400 रुपये कैसे मिलता है ?

**श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर** : तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को मिलता है, कैसे मिलता है, यह मैं बताता हूं। 920 रुपये मूल वेतन मिलता है, 2052 रु० मंहगाई भत्ता मिलता है 450 रु० बोनस मिलता है और इस प्रकार से 3,412 रुपये वेतन उसको मिलता है और इससे ज्यादा ही मिलता है। दूसरे हमारे ज्वायन्ट सैक्रेटरी को 3,200 (व्यवधान) आपके बोलने से कुछ नहीं होगा, जो सत्य है वह सत्य होगा।

मैडिकल और दूसरी सुविधाओं की मैं गिनती नहीं करता। हां, एक आक्रोश होगया है,

[ श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर ]

देश के पब्लिक सैक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों में फरस्ट्रेशन हो गया है। प्राइवेट सैक्टर में काम करने वाले कर्मचारी भी हैं, उनमें एक तरह का फरस्ट्रेशन, असन्तुलन बढ़ गया है। एक तरफ कर्मचारी अपनी एसोसियेशन, राजनीति और दुकानदारी की मारफत अपने जोर पर आप अपनी तनख्वाहें बढ़ाते जा रहे हैं, बराबर आप बढ़ाते ही जा रहे हैं, हर बार बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी आपको संतोष नहीं है। कौन-सा साल ऐसा गया है, जब आपने आन्दोलन न किया हो ? 1956 से लेकर आज तक कौन सा साल ऐसा गया है ?

**श्री सुनील मैत्रा** : करेंगे।

**श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर** : करेंगे तो पिटेंगे भी, जनता माफ नहीं करेगी। इस बिल में दूसरी तरफ एजेन्ट की बात भी कही गई है। एल० आई० सी० के एजेन्ट को पहले प्रीमियम पर 25 प्रतिशत कमीशन मिलती है। यह कितनी बड़ी राशि होती है, परन्तु क्या होता है ? इसका आपको भी अनुभव होगा, मुझे भी अनुभव है और एल० आई० सी० के आफीसर्स को भी इसका अनुभव है कि वह 25 प्रतिशत पहला कमीशन वह एजेन्ट खुद नहीं लेता है वह पालिसी होल्डर को लालच देता है कि यह 25 प्रतिशत कमीशन तुम ले लो और पालिसी करा लो, चाहे उसकी कैपेसिटी उतना प्रीमियम देने की हो या न हो। इस तरह से कितनी पालिसी लैप्स होती हैं, यह मैं बताता हूं :

सन् 1958 में 5.1 परसेंट,

सन् 1964 में 8.2 परसेंट,

सन् 1974-75 में 30.1 परसेंट,

सन् 1975-76 में 29.2 परसेंट और

सन् 1976 में 10 अरब 7 करोड़ की पालिसी लैप्स हुई।

इस तरह से पालिसी होल्डर्स का पैसा बेकार जाता है जो अपनी मेहनत की कमाई में से बचत करता है।

**श्री सुनील मैत्रा** : परसेंटेज बताओ ? किसके कारण हुआ ?

**श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर** : यह एजेन्ट के कारण हुआ है। एजेन्ट पालिसी लेने वाले को लालच देते हैं, तुम बीमा करवा लो। वह लालच में बीमा करवा लेता है और किश्तें भर नहीं सकता है। **(व्यवधान)**

इन पालिसीज के लैप्स होने का सबसे बड़ा जिम्मेदार एजेन्ट है, जो अपना कमीशन पालिसी-होल्डर को देकर बीमा करता है, जबकि पालिसी-होल्डर बाद में प्रीमियम की अदायगी नहीं कर पाता है। मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि जिन एजेन्ट्स द्वारा कराई गई पालिसीज लैप्स होती हैं उन्हें दण्ड देना चाहिए, उन पर कुछ जुर्माना करना चाहिए और उनसे पैसा वसूल

करना चाहिए, क्योंकि वे आम लोगों को फुसलाकर बीमा करते हैं, जो बाद में हैं। (व्यवधान)

माननीय विरोधी सदस्य ग्रामीणों, छोटे लोगों, मजदूरों और किसानों की लेकिन क्या वे यह सोचने के लिए तैयार हैं कि बीमाधारी लोगों को बीमे पर क्य है ? वे सिर्फ उन चालीस हजार कर्मचारियों की बात सोचते हैं, ताकि वे उनकी सकें। हिन्दुस्तान की जनता ने श्रीमती इन्दिरा गांधी को चुनकर यहां भेजा है। सिर्फ सरकार की आलोचना करने की गलती ढूंढ़ रहे हैं, मौका खोज रहे हैं। जा पहले कभी भी किसानों के हित की बात नही की है। किसानों का आन्दोलन ह रेल की पटरी पर बैठ गए। लेकिन इन बातों से इन्हे कोई लाभ नहीं होने वाला की जनता अब इनके भुलावे में नहीं आएगी। एक बार वह आ गई थी, लेकिन खुल चुकी है।

एल० आई० सी० के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं 31.8 परसेंट थे और 1974-75 में 30.48 परसेंट। जब सितम्बर, 1956 को नेशन तो उस वक्त 245 कंपनियां थीं। जब एल० आई० सी० के रूप में एक संस्था बनी स्ट्रेटिव एक्सपेंसिज कम होने चाहिए थे। लेकिन वे इतने ज्यादा हो गए कि अ बर्दाश्त के बाहर हो गये। इस स्थिति को सुधारने के लिए इस बिल को लाना श्यक है।

निरन्तर सौदेबाजी के कारण बीमा कर्मचारियों को लाभ हो रहा है। हम के खिलाफ नहीं हैं। कर्मचारी भी श्रीमती गांधी के साथ हैं। यह समझना विपक्ष है कि यदि वे जोर से बोलेंगे, तो कर्मचारी उनके साथ हो जायेंगे। कर्मचारी हमा उनकी वाजिब मांगों के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। मजे की बात यह है कि आरोप लगाते हैं और विरोध के लिए राष्ट्रीय वेतन नीति बनाने की बात करते ह की जनता ने इन्हें टाइम दिया था, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके। वे सिर्फ बहस करते हैं, कोई ठोस काम नहीं करना चाहते हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी चाहती हैं कि हिन्दुस्तान के लोगों की आर्थिक दशा स समाज के सबसे निचले असंगठित वर्ग के लोगों की तरफ ध्यान दिया जाये। आज पालिसी-होल्डर असंगठित है। उनकी कोई यूनियन नहीं है अगर व्यापारियों, अधिकारी लोगों की तरह उनको भी कोई यूनियन या ऐसोसियेशन होती, तो माननीय सदस्यों का विरोध करने की हिम्मत न होती।

आज चूंकि एक एसोसिएशन आप के हाथ में है, इस कारण आप उसका न उठा रहे हैं। आज देश बहुत आर्थिक संकट में है। इस संकट के साथ त्याग की भा अन्दर होनी चाहिए चाहे वह हम हों चाहे एल० आई० सी० के वर्कर हों। मैं आ विरोधी दल के सदस्यों से कहना चाहूंगा कि इस समय वे झगड़े की बात को छोड़ें, बात को छोड़ें और जो लक्ष्य हमने देश की जनता के लिए निर्धारित किए हैं उनको

[ श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर ]

वह हमारे साथ सहयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रसाद की कुछ पंक्तियां श्री वेंकटरामन जी के लिए कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा :

असंख्य कीर्त्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाह सी।
सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी॥
अराति सैन्य सिन्धु में सुबाड़वाग्नि से जलो।
प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो॥

**श्री चित्त बसु** (बारसाट) : मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा प्रस्तुत निरनुमोदन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और स्वाभाविक ही है कि मैं विधेयक का विरोध करूं।

वित्त मंत्री ने विधेयक में इसके उद्देश्यों का जिक्र किया है। जैसे कि वित्त मंत्री ने कहा इसका उद्देश्य जीवन बीमा निगम के मंजूरी ढांचों को सुधारना तथा इसके प्रबन्ध के व्यय को नियंत्रित करना और अंत में पालिसी धारियों के हितों की रक्षा करना है।

इस समय मैं इस टिप्पणी तक ही सीमित रहूंगा कि प्रबन्ध व्यय को नियंत्रित करने तथा पालिसी धारियों के हितों की रक्षा करने सम्बन्धी उद्देश्य केवल कागजों में ही हैं। वस्तुतः इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक निष्ठा और पर्याप्त नीतिपरक उपायों का अभाव है। मुख्य उद्देश्य जीवन बीमा निगम के मजूरी ढांचे को सुधारना है। मैं भी इस बारे में अपने विचार प्रकट करता यदि प्रश्न केवल जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के मजूरी ढांचे के पुनर्निमाण तथा युक्तिसंगत करने से सम्बन्धित होता। इससे हमारे देश के श्रमजीवी वर्ग की विभिन्न महत्वपूर्ण समस्यायें जुड़ी हैं।

उस पर चर्चा करने से पहले, मैं विधेयक के उन मूल उद्देश्यों का पता लगाने की कोशिश करूंगा जो स्पष्ट न होकर अस्पष्ट हैं। विधेयक का मूल उद्देश्य उच्चतम न्यायालय के निर्णय को रद्द करना है। विधेयक को पुरःस्थापित किए जाने के समय मैंने कुछ संविधानिक पहलुओं की चर्चा की थी और कहा था कि इस अध्यादेश ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय को रद्द कर दिया है। जब मैं इसे पुरःस्थापित करने का विरोध कर रहा था तो वित्त मंत्री ने अपने विचार प्रकट करते हुए मुझसे कहा था कि मैं उच्चतम न्यायालय के वास्तविक निर्देश को सही ढंग से उद्धृत नहीं कर रहा हूँ। आज मैं वैसा ही कर तुहा हूँ जिसे मेरे विचार में वे स्वीकार करेंगे। उन्होंने 23 फरवरी को पुरःस्थापन के समय हमारे प्रश्नों के उत्तर देते हुये कहा था :

> 'न्यायालय के निदेश ने यह नहीं कहा कि "बोनस का भुगतान करो। उन्होंने केवल इतना कहा कि यह करार तब तक वरकरार रहेगा जब तक इसमें किसी समझौते, न्यायनिर्णयन या विधान द्वारा रूखभेद नहीं किया जाता।

उन्होंने उच्चतम न्यायालय के निर्णय का एक साधारण अर्थ लिया अर्थात बोनस अथवा कानून; बोनस अथवा निर्णयादेश; बोनस अथवा नया समझौता। उन्होंने उच्चतम न्यायालय के निर्णय से यही साधारण अर्थ लिया था।

उन्होंने क्या किया ? उन्होंने दूसरे समझौते का इन्तजार नहीं किया; उन्होंने दूसरे निर्णया-देश का इंतजार नहीं किया । इसका कारण केवल यही है कि इनका दल उस पक्ष में बहुमत में हैं, केवल इतना ही है कि वहां कुछ **ऐसे लोग बैठे हैं···

**श्री आर० वेंकटरामन** : मैं विरोध करता हूँ । ये ** शब्द का उपयोग नहीं कर सकते । (व्यवधान)

**श्री चित्त बसु** : ** मेरे विचार में आप नहीं हैं । ** शब्द असंसदीय नहीं है ।

**सभापति महोदय** : मैं इस पर विचार करूंगा । यह अश्लील है । आप इसका उपयोग क्यों करते हैं ?

**श्री चित्त बसु** : यह सलाह का प्रश्न नहीं हैं, यह माननीय सदस्य के अधिकार का प्रश्न है । क्या आप कह सकते हैं कि ** एक असंसदीय शब्द है ?

**सभापति महोदय** : आप ऐसे शब्दों का उपयोग करने में गौरव क्यों अनुभव करते हैं ?

**श्री आर० वेंकटरामन** : यह सदस्य के लिए अनादरपूर्ण है (व्यवधान)

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : आप शब्दकोष देखें ।

**श्री चित्त बसु** : आप इसे काट नहीं सकते ।

अतः उन्होंने पहले अध्यादेश और फिर विधेयक लाने का सुगम रास्ता ढूंढ़ा ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : इस विधेयक से काम नहीं चलेगा, इन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम का संशोधन करना चाहिए ।

**श्री चित्त बसु** : उन्होंने उस रास्ते को नहीं अपनाया ।

उन्होंने उच्चतम न्यायालय के निर्णय को उद्धृत नहीं किया और सभा को इसकी सूचना नहीं दी । इसे उद्धृत किया जा चुका है । उनके लाभार्थ मैं उच्चतम न्यायालय के 22-11-80 के दूसरे निदेश को उद्धृत करना चाहता हूं जो इस प्रकार है :

> "लेकिन यदि याचिकादाता की अपील अस्वीकार होती है तो याचिकादाता देय तिथि से 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित बोनस अदा करेगा । इसे अपीलकर्त्ता कार्यान्वित करेगा क्योंकि यह अनिवार्य है ।"

अतः मेरा कहना है कि उन्होंने सभा को उचित ढंग से सूचित नहीं किया, उन्होंने उच्चतम न्याया-लय के निर्णय के सही अर्थ को नहीं पढ़ा ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : उन्होंने इसे पढ़ा ।

**श्री चित्त बसु** : फिर तो मुझे किसी सख्त शब्द का उपयोग करना पड़ेगा । वे सभा को गुमराह करना चाहते थे ।

---

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : श्री वेंकटरामन हर चीज पढ़ते हैं।

**श्री चित्त बसु** : अतः वे हमसे चालाकी बरतना चाहते हैं।

**श्री आर० वेंकटरामन** : कृपया मेरे उत्तर की प्रतीक्षा कीजिए।

**श्री चित्त बसु** : उच्चतम न्यायालय ने स्वयं इसका अर्थ दिया है। मैं उद्धृत करता हूं :

"मुख्य न्यायाधीश ने अपने 26 फरवरी के आदेश में लिखा है :

"जब विद्वान महान्यायवादी ने जीवन बीमा निगम की ओर से इस न्यायालय के 10 नवम्बर, 1981 के निर्णय में दिये गये आदेश के बारे में ध्यान दिया तो हमने उनके कहने का यह अर्थ लिया कि 15 अप्रैल से पहले जिस बात का पालन करना है वह है निर्णय का वह भाग....."

—कानून नहीं, न्यायादेश नहीं, दूसरा समझौता नहीं....

"....जिसके अन्तर्गत जीवन बीमा निगम कर्मचारियों को बोनस देने के लिए बाध्य है....."

यह है उसका अर्थ।

**श्री आर० वेंकटरामन** : आप आगे क्यों नहीं पढ़ते ?

**श्री चित्त बसु** : आगे पढ़ने के लिए क्या है ? क्या यह पर्याप्त नहीं है ? क्या यह काफी नहीं है ?

**श्री आर० वेंकटरामन** : आप आगे पढ़ने की बात मुझ पर छोड़िये।

**श्री चित्त बसु** : क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय का अर्थ पढ़ना पर्याप्त नहीं है ? अतः मूल उद्देश्य उच्चतम न्यायालय के निर्णय को रद्द करना है।

उन्होंने जो रुख अपनाया है वह बहुत खतरनाक है। इस रुख से श्रमजीवी वर्ग सम्बन्धी दो बड़ी-बड़ी प्रवृत्तियों का जन्म होता है, जो बहुत ही स्पष्ट और तीखी हैं। प्रवृत्तियां यह हैं कि सरकार संयुक्त सौदेबाजी के सिद्धान्त को नकारने के लिए कटिबद्ध है। मैं अभी कह रहा था कि सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम की आधारशिला को ही नष्ट करने के लिये कृतसंकल्प है। मैं सीधे-सादे शब्दों में कहना चाहता हूं कि सरकार ने देश के श्रमजीवी वर्ग से संघर्ष करने का रास्ता अपना लिया है।

मंत्री द्वारा अपनाये गये रुख का सही अर्थ यही है। निस्संदेह उन्हें सरकार की ओर से बोलना है। जहां तक मेरी अपनी बात है मेरे दिल में इनके विरुद्ध कोई भी बात नहीं है। यह सरकार की नीति है, देश के श्रमजीवी वर्ग के साथ संघर्ष की नीति।

आप इसके परिणामों को समझ सकते हैं। परिणाम ये हैं कि सरकार के लिए उच्चतम न्यायालय को मानना जरूरी नहीं है। सरकार के लिए किसी समझौते तथा न्यायादेश को स्वीकार

करना जरूरी नहीं है । सरकार, बहुमत के कारण, उच्चतम न्यायालय के निर्णय, न्यायाधिकरण के किसी निर्णय और किसी त्रिपक्षीय समझौते को रद्द कर सकती है । सरकार वेतन जाम ही नहीं बल्कि वेतन कटौती की नीति अपनाना चाहती है ।

श्रमिक वर्ग के समक्ष मुख्य प्रश्न यह है कि सरकार ने वेतन-कटौती और वेतन स्थिर करने का मार्ग अपना लिया है और उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सरकार द्विपक्षीय स्तर पर हुए समस्त करारों तथा उच्चतम न्यायालय के सभी निर्णयों तथा सभी अधिनिर्णय पंचाटों को नकार सकती है और नकारती रहेगी । सरकार का यही रुख है । यह रवैया समस्त श्रमिक-वर्ग के लिए खतरनाक है ।

केवल इतना ही नहीं, श्रमिक-वर्ग के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्णय का कोई अर्थ नहीं है । यह उनका बचाव नहीं कर सकता है । यदि श्रमिक वर्ग को द्विपक्षीय करारों को करने का अवसर नहीं प्राप्त होता, यदि उन्हें किसी प्रकार के अधिनिर्णय पंचाट प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध नहीं होता तो फिर श्रमिक-वर्ग के लिये अपने हितों के बचाव के लिए, अपने हितों के रक्षार्थ और अपने हितों के साधन के लिए कौन-सा अन्तिम उपाय है ? श्रमिक वर्ग के पास अन्तिम उपाय है । अन्तिम हथियार है हड़ताल और इसलिए सरकार समस्त श्रमिक वर्ग को हड़ताल के अन्तिम हथियार को हाथ में लेने की दिशा में धकेल रही है ।

आप यह भी जानते हैं कि सरकार श्रमिक वर्ग के उस अधिकार को भी दबाना चाहती है अर्थात् हड़ताल के अन्तिम अधिकार को समाप्त करना चाहती है । राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो उनके पास है । कुछ राज्य सरकारों ने तो कानून बनाकर पहले से ही हड़तालों पर पाबन्दी लगा दी है और यहां उपस्थित कुछ सदस्यों ने हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग की है मुझे याद है कि श्री अराकल ने हड़तालों पर पूर्ण पाबन्दी की मांग को लेकर बड़ी वाकपटुता की मांग की है । अतः ऐसा रवैया इन्होंने अपना रखा है । उनका निश्चित रवैया है "श्रमिक वर्ग पर प्रहार ।" उनका रवैया है सामूहिक सिद्धान्त के मौलिक अधिकार की उपेक्षा करना । वे तो औद्योगिक विवाद अधिनियम के उस मूल आधार की उपेक्षा या समाप्ति चाहते हैं जिस पर आज हमारे औद्योगिक संबंध स्थित हैं ।

अतः सरकार की ओर से यह बड़ा ही खतरनाक कदम है ।

प्रधानमंत्री महोदया से जब 2 फरवरी को बंगलौर में जीवन बीमा निगम के संशोधन विधेयक की सार्थकता पर टिप्पणी करने के लिए कहा गया तो उन्होंने बताया है कि इस अध्यादेश में तो कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है ।

ठीक है, उनकी ओर से इसमें कुछ भी महत्त्वपूर्ण नहीं है । आपकी ओर से कुछ भी नहीं है । परन्तु हमारी ओर से यह बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है, बहुत ही महत्त्वपूर्ण और बहुत ही खतरनाक है तथा बहुत ही अनिष्टकारी है । आपको यह मालूम होना चाहिए क्योंकि उन्होंने और उनकी सरकार ने टकराव का मार्ग चुना है । श्रीमती इन्दिरा गांधी और उनकी सरकार श्रमिक वर्ग के आन्दोलन को समाप्त करने का दृढ़ संकल्प किए हुए हैं और वे उस मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं । इसलिए उनके लिए और उनकी सरकार के लिए इसका कोई महत्व नहीं है । परन्तु हमारे लिए

[ श्री चित्त बसु ]

जो जनता के इस पक्ष में हैं, सदन की इस ओर बैठे हुए हैं, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है, बहुत ही खतरनाक है और अनिष्टकारी है तथा इसका बाहर और भीतर हर तरह से विरोध करना है और इसके विरुद्ध लड़ाई लड़नी है। अतः इस विलम्बित अवस्था में भी मैं अपील करूंगा कि उन्हें सद्-बुद्धि आये जिससे कि आप यह सुनिश्चित कर सकें कि औद्योगिक सम्बन्धों में और आगे बिगाड़ न हो और अधिक उत्पादन हो और देश में उत्पादकता के लिए आवश्यक वातावरण पैदा किया जा सके और उत्पादन और उत्पादकता की वृद्धि करने की सरकारी नीति को फलीभूत करने हेतु श्रमिक वर्ग का सहयोग उसे दिलाने के लिए आवश्यक वातावरण बनाया जाये। अतः मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और इस स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

**सभापति महोदय** : श्री दण्डपाणि दो-तीन मिनट तक बोलेंगे।

**प्रो० मधु दण्डवते** (राजापुर) : महोदय, वे इस मामले में तटस्थ रहना चाहते हैं।

**श्री सी० दण्डपाणि** (पोल्लाची) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक के महत्त्व पर अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहूंगा। महोदय इस मामले में तीन बातें हैं। प्रथम, श्रमिक का हित, द्वितीय, लोक हित और तृतीय स्वयं सरकार का भी हित है। अतः जहां तक विकासशील देशों में रहने वाले लोगों का सम्बन्ध है, हमें अधिक महत्त्व प्रथमतः सरकार को देना है और इसके बाद जनता को। अतः महोदय, इस विधेयक में इस आशय के जो कुछ संशोधन शामिल किये गए हैं कि सरकार को जनता का न्यासी होना चाहिए, एक बहुत अच्छी बात है। जहां तक जीवन बीमा निगम का सम्बन्ध है, यह सरकार द्वारा नियन्त्रित एक वित्तीय संस्थान है, जिसका निस्सन्देह, वित्त पोषण जनता से होता है। सरकार का यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व और अधिक बढ़ जाता है कि जनता के धन का सही ढंग से उपयोग हो और वह भी विकास कार्यों में लगे।

महोदय, यहां हमारे मित्रों ने कई बातें कही हैं। मैं उन सभी बातों को नहीं उठाऊंगा क्योंकि यहां उल्लिखित बहुत-सी बातें तकनीकी बातें हैं। परन्तु जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं जनता के सम्मुख उपस्थित समस्याओं के बारे में मैं बहुत चिन्तित हूं और किसी अन्य बात से मैं चिन्तित नहीं हूं। परन्तु महोदय, सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात जिस पर यहां प्रकाश डाला गया है वह है निर्णय। इसी सदन में जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, कई अवसरों पर हम पहले भी इस प्रश्न पर चर्चा कर चुके हैं कि सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है—अर्थात् संसद सर्वोच्च है या न्यायपालिका सर्वोच्च है ? हमें अपने अनुरूप, अपनी सुविधा के लिए तर्क नहीं देना चाहिए, अपितु सिद्धान्तों और परम्पराओं के अनुसार तर्क देने चाहियें। हमें यह कहना चाहिए कि आया न्यायालय सर्वोच्च है, न्यायपालिका सर्वोच्च है या संसद सर्वोच्च है।

**एक माननीय सदस्य** : श्रीमती इन्दिरा गांधी सर्वोच्च हैं।

**एक माननीय सदस्य** : संसद सर्वोच्च है।

**श्री सी० टी० दण्डपाणि** : महोदय, जहां तक श्रमिक वर्ग का सम्बन्ध है, हमारे मंत्री

महोदय भी स्वयं मजदूर संघ के नेता थे। वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने तमिलनाडु में परिवहन उपक्रमों का राष्ट्रीयकरण किया। अतः उन्हें श्रमिकों और प्रबन्धकों की कठिनाइयों की जानकारी है। यही कारण है कि जैसा कि जीवन बीमा निगम की और अच्छी सेवा के लिए श्री एरा सेझीयान ने अपने प्रतिवेदन में बहुत-सी बातों को लागू करने की जो सिफारिश की है, उसी के अनुसरण में इसको पांच क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया है और महोदय, मैं इसका स्वागत करता हूं।

महोदय, जहां तक श्रमिक शक्ति का सम्बन्ध है, श्रमिक शक्ति भिन्न है। आजकल निम्न स्तर के भी श्रमिक हैं। इसमें आकस्मिक श्रमिक, प्रशिक्षु आदि जैसे असंगठित क्षेत्र भी हैं और ऐसे लाखों श्रमिक हैं। उदाहरण के लिए डाक-तार विभाग में विभागेतर कर्मचारियों को केवल 100 रुपये प्रति मास वेतन दिया जाता। केवल यही नहीं, डाक-तार विभाग में ही ऐसे कर्मचारी भी हैं जो बीमा का काम कर रहे हैं परन्तु उन्हें कम वेतन दिया जा रहा है। इस प्रकार का भेद-भाव दूर होना चाहिए। हमारी राज्य सरकार भी केन्द्रीय सरकार से यह मांग कर रही है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनों में समानता होनी चाहिए। राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी उतना ही वेतन मिलना चाहिए जितना कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलता है। इसी प्रकार अन्य राज्य भी यही मांग करते रहे हैं।

परन्तु आजकल जो श्रमिक समाज के सबसे निचले स्तर पर हैं उन्हें न तो नियोक्ताओं से और न ही सरकार से कोई लाभ नहीं मिल रहा है क्योंकि बहुत से श्रमिक संघों के नेता उन मजदूरों के पास नहीं जाते जो कि समाज में सबसे निचले स्तर पर हैं, उदाहरण के लिए आकस्मिक मजदूर हैं। उनको संगठित करने वाला कोई नहीं है। उनकी ऐसी स्थिति है। श्रमिक संघ के नेताओं से तो जीवन बीमा निगम और बैंकों जैसे संगठित क्षेत्र ही लाभ उठाते हैं।

मैं श्रमिक संघ के एक बड़े नेता द्वारा लिखित एक लेख से उद्धृत करना चाहता हूं क्योंकि आजकल श्रमिक संघ एक सेवा-एजेन्सी बनती जा रही है। इसे मैं 27 जुलाई, 1980 के सन्डे से उद्धृत कर रहा हूं।

**प्रो० मधु दण्डवते** (राजापुर) : क्या आप सन्डे को बृहस्पति वार को उद्धृत कर सकते हैं?

**श्री सी० टी० दण्डपाणि** : मैं उद्धृत करता हूं :

> "वे दिन लद गये जब श्रमिकों के लिए संघर्ष मानव मूल्यों के लिए संघर्ष के समान था। संघों के श्रमिकों के समर्थक के सिद्धान्त ने संघों को सेवा एजेन्सियों ने स्थान ले लिया है।"

यह कथन और किसी का नहीं बल्कि भूतपूर्व केन्द्रीय मन्त्री तथा श्रमिक संघ के एक नेता जार्ज फर्नान्डीस का है। मैं इस परिच्छेद को अपने श्रमिक संघ के नेताओं को प्रस्तुत करना चाहूंगा।

**सभापति महोदय** : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

**श्री सी० टी० दण्डपाणि** : अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं केवल एक बात कहना

[ श्री सी० टी० दण्डपाणि ]

चाहता हूं। जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, मैं एक बात पर जोर देना चाहता हूं। यदि सरकार समस्त वेतन ढांचे को सुधारना चाहती हैं तो यह सभी वर्गों के लिए, जिसमें शीर्षस्थ अधिकारी भी सम्मिलित हों, किया जाना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है और मैं मन्त्री महोदय का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्रतिकूल बातें नहीं कही हैं।

इन शब्दों के साथ मैं मन्त्री महोदय द्वारा प्रस्तुत किए गये विधेयक का स्वागत करता हूं।

**श्री आर० वेंकटरामन** : सभापति महोदय, अधिकांश वाद-विवाद उसी ढंग का रहा है जैसा कि यह गत अवसर पर रहा था। इस वाद-विवाद में बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली वक्ताओं ने भाग लिया, जिसमें शुरूआत मेरे प्रिय मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्ता ने की। उसके बाद प्रो० मधु दण्डवते, श्री जार्ज फर्नान्डीस बोले जो दर्शक दीर्घा को सम्बोधित करते रहे, श्री चित्त बसु और मैं अपने मित्र श्री डागा को तो भूल ही नहीं सकता·····

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : उन्होंने भी तो दर्शक दीर्घा को सम्बोधित किया।

**प्रो० मधु दण्डवते** : हमने वेतन की बात की थी।

**श्री आर० वेंकटरामन** : तर्क में मुख्यतः इस बात पर जोर दिया गया है कि सरकार ने उच्चतम न्यायालय को दिये गए अपने वचन का उल्लंघन किया है। 10 नवम्बर 1980 को उच्चतम न्यायालय ने जो यह आदेश जारी किया मेरे विचार से उसके बारे में कोई विवाद नहीं है।

अर्थात् स्वीकृत रिट याचिका इस बात के लिए स्वीकार की जाती है कि जीवन बीमा निगम को एक रिट याचिका जारी की जाएगी जिसमें उसे बोनस सम्बन्धी 1974 के समझौते की शर्तों को उस समय तक क्रियान्वित किये जाने के निदेश दिये जाएंगे जब तक कि उसके स्थान पर कोई नया समझौता, औद्योगिक पंचाट अथवा संगत विधान नहीं बनाया जाता है।

यह उच्चतम न्यायालय का आदेश है। न्यायाधीश ने निर्णय के दौरान जो भी कहा हो उसका अर्थ उस न्यायालय की डिक्री नहीं है···

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : दूसरे आदेश के बारे में क्या है ?

**श्री आर० वेंकटरामन** : मैं उन सबका निपटान कर दूंगा। चूंकि आप वकील नहीं हैं। अतः आप इसे समझ नहीं पाये हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने न्यायमूर्ति वी० आर० कृष्ण आयर द्वारा व्यक्त किए गये कुछ विचारों पर विश्वास किया। हम तीसरे न्यायाधीश ने जो अन्य विचार व्यक्त किए हैं उनसे भी अवगत हैं। उसने अपनी असहमति प्रकट की थी। जब आपके पास औपचारिक तथा अन्तिम आदेश हैं तो कई न्यायाधीशों द्वारा व्यक्त विचारों की छानबीन करना जरूरी और ठीक नहीं है। और अन्तिम और औपचारिक आदेश यह था कि बोनस सम्बन्धी समझौता उस समय तक लागू रहेगा जब तक कोई

नया समझौता औद्योगिक पंचाट या संगत विधान पारित नहीं हो जाता है। यह अन्तिम स्थिति है और यही नहीं बल्कि किसी भी न्यायाधीश ने कहीं पर भी यह नहीं कहा है·····

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : अध्यादेश कोई विधान है।

**श्री आर० वेंकटरामन** : अध्यादेश कोई विधान नहीं ? संविधान पढ़िये।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : 'नये विधान' का अर्थ यह नहीं है। इसका अर्थ औद्योगिक विवाद अधिनियम को संशोधित करना है।

**श्री आर० वेंकटरामन** : आप कुछ भी कहिये, मूलपाठ यह है। मैं आपके समक्ष मूल पाठ रख रहा हूं।

**श्री चित्त बसु** : दूसरे आदेश के बारे में क्या है ?

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : मेरे पास यहीं पर प्रमाणित प्रतिलिपि है।

**श्री आर० वेंकटरामन** : जो भी न्यायाधीश ने कहा हो, वह अन्तिम स्थिति है।

अब हम 13 जनवरी के दूसरे आदेश को लेते हैं···

**श्री सुनील मैत्रा** : 11 नवम्बर को एक दूसरा आदेश दिया गया था।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या मैं इसे सभा पटल पर रखूं ? श्रीमान्, ऐसा प्रतीत होता है कि उनके पास यह नहीं है।

**सभापति महोदय** : वह उसका उल्लेख कर रहे हैं।

**श्री आर० वेंकटरामन** : मैं इससे अपने ढंग से निपट लूंगा। श्रीमान्, उसके बाद 13 जनवरी, को न्यायालय के अन्तिम तथा औपचारिक आदेश में यह कहा गया है :

> "भारतीय जीवन बीमा निगम की ओर से पेश होने वाले विद्वान् महान्यायवादी ने हमारे सामने एक बयान दिया है कि 10 नवम्बर, 1980 को अपने निर्णय में न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश का 15 अप्रैल, 1981 से पहले पालन किया जाएगा।"

श्रीमान्, आदेश का यह संगत भाग है और जिस आदेश के बारे में मैंने कहा है वह आदेश 11 नवम्बर, 1980 का है।

उच्चतम न्यायालय में कुछ कार्यवाही वृतान्त होते हैं जिन्हें 'उच्चतम न्यायालय के कार्यवाही वृतान्त का अभिलेख' कहा जाता है। वे उच्चतम न्यायालय के निर्णय नहीं हैं। वे उच्चतम न्यायालय के डिक्री नहीं हैं। वे उच्चतम न्यायालय के आदेश नहीं हैं। उच्चतम न्यायालय में सुविख्यात वकील मेरे मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी जानते हैं कि यहां पर वही बात है जो 'उच्चतम न्यायालय के कार्यवाही वृतान्त के अभिलेख' के नाम से जानी जाती है। कार्यवाही वृतान्त के अभि-

[ श्री आर० वेंकटरामन ]

लेख में लिपिक जिसे न्यायालय-मास्टर कहते हैं वह बयान के रूप में प्रस्तुत करता है। इस संबंध में बयान इस प्रकार है :

"22-11-78 को इस न्यायालय ने एक आदेश दिया है जिसमें निम्नलिखित निदेश दिया गया है :

'यदि याचिकादाता अपील में हार जाता है तो याचिकादाता को देय तिथि से 12% वार्षिक दर से ब्याज समेत बोनस की राशि देनी होगी। चूंकि यह अनिवार्य है अतः अपीलकर्ता इसे क्रियान्वित करेगा।'

इसलिए, श्रीमान्, यह उच्चतम न्यायालय का आदेश नहीं है।.....

**श्री सुनील मैत्रा** : जी नहीं, यह उच्चतम न्यायालय का आदेश है।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : श्रीमान्, मुझे इसे सभा पटल पर रखने की अनुमति दीजिए।

**श्री आर० वेंकटरामन** : इसे सभा पटल पर रखिये। मेरे पास फोटोस्टेट प्रतिलिपि है। मैं इसका प्रयोग करने जा रहा हूं।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : यह प्रमाणित प्रतिलिपि है··· (**व्यवधान**)। श्रीमान्, केवल कार्यवाही वृतान्त के अभिलेख का प्रश्न नहीं है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बारे में कुछ व्याख्या की गई है।

**श्री आर० वेंकटरामन** : लिपिक द्वारा हस्ताक्षर किये गये 'उच्चतम न्यायालय के कार्यवाही वृतान्त के अभिलेख' शीर्षक को देखने की कृपा कीजिए।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : मेरे पास पूरा निर्णय नहीं है। इसमें केवल आदेश वाला भाग है।

**श्री आर० वेंकटरामन** : जी हां, न्यायालय-मास्टर या लिपिक द्वारा हस्ताक्षर किया गया। मैं इस बात की भी व्याख्या करूंगा कि क्यों··· (**व्यवधान**) मुझे इस बात को भी अवश्य स्पष्ट करना चाहिए कि यह गलती कैसे हुई। स्पष्टतः न्यायाधीशों ने वही सोचा जो कि उन्होंने 26 फरवरी को विद्वान् महान्यायवादी ने उपर्युक्त बयान दिया कि वह 15 अप्रैल से पहले न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे। इस बात के सिवाय उसने कुछ नहीं कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम की ओर से न्यायालय के 10 नवम्बर, 1980 के निर्णय का पालन 15 अप्रैल, 1981 से पूर्व किया जाएगा। हमने उस फैसले का यही अर्थ लगाया था। (**व्यवधान**) मैंने श्री सोमनाथ चटर्जी को भी यह कहते हुए सुना है कि उन्होंने भी यही समझा।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या मैं स्पष्टीकरण की मांग कर सकता हूं ? मुझे मालूम है कि वह क्या कहने वाला है।

**श्री आर० वेंकटरामन** : आप उस समय तक क्यों नहीं प्रतीक्षा करते हो जब तक मैं जो कहना चाहता हूं कह लेता हूं। आप स्पष्टीकरण क्यों चाहते हो ?

बात यह है कि उच्चतम न्यायालय ने इसे समझा। ऐसा वे कहते हैं। श्री चटर्जी भी इसे समझ गये। इसलिये वह उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों के साथ है और वह उनके साथ रहने

के पात्र भी हैं (व्यवधान) प्रत्येक व्यक्ति के लिए मेरे साथ रहना सम्भव नहीं है। वस्तुतः चटर्जी साहब, यदि मैं राजनीति में नहीं रहता तो मैं भी किसी के साथ होता। (व्यवधान)

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : मात्र एक मिनट के लिए। 13 फरवरी का वह आदेश कर्मचारियों की मानहानि याचिका पर दिया गया था जिसमें मानहानि के आदेश की मांग की गई थी क्योंकि जीवन बीमा निगम भुगतान नहीं कर रहा था। वह मानहानि याचिका झगड़े की जड़ थी। जीवन बीमा निगम ने पुनरीक्षण आवेदन-पत्र दिया है और उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रभावी होने से स्थगन के लिए मांग की गई है। दोनों का नाम सूची में था। उच्चतम न्यायालय ने मानहानि आवेदन-पत्र पर एक आदेश दिया है। उनके आदेश के अनुपालन को छोड़कर यह कुछ भी हो सकता है। आदेश लिखित में मांगा गया था। जीवन बीमा निगम की याचिका रद्द कर दी गई थी।

**श्री आर० वेंकटरामन** : वह स्पष्टीकरण चाहते थे। परन्तु वह भाषण दे रहे हैं।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : मैं कह रहा हूं कि आदेश मानहानि याचिका पर दिया गया था।

**श्री आर० वेंकटरामन** : मैं यही कहता रहूंगा। वे बाद का आधा भाग नहीं पढ़ेंगे। वास्तव में मैंने उनसे दूसरा भाग पढ़ने के लिए कहा था परन्तु उन्होंने 'ना' कर दी। मैं इसको पढ़ूंगा। जैसा कि मैंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 26 फरवरी के अपने आदेश में कहा है कि 'निस्सन्देह यह सही है कि आदेश 10 नवम्बर, 1980 को इस न्यायालय ने दिया था।' जीवन बीमा निगम के पास वह विकल्प था कि या तो 1974 के इस समझौते का नये समझौते से अधिक्रमण करा ले या इस विषय पर औद्योगिक पंचाट प्राप्त कर लें (व्यवधान)। वे पहले आदेश में कह चुके हैं कि यह दूसरे समझौते, दूसरे औद्योगिक पंचाट या संगत विधान से किया जा सकता है। परन्तु हमारे विचार से प्रशासन द्वारा ऐसे विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाना था। यह न्यायालय का अपना विचार था। न्यायालय ने इसे एक भिन्न बात माना। परन्तु महान्यायवादी ने इसे अलग ढंग से बताया।

जब आप महान्यायवादी के बयान की बात करते हैं तो महान्यायवादी और उच्चतम न्यायालय ने यह कहा :

> "जब जीवन बीमा निगम की ओर से 13 जनवरी, 1981 को विद्वान महान्यायवादी ने यह विशेष बयान दिया तो उनके दिमाग में जो था वह यह था कि जैसा कि नवम्बर, 1980 के निर्णय में निदेश दिया है, अर्हताओं के अध्यधीन कर्मचारियों को बोनस 15 अप्रैल, 1981 से पहले दिया जायेगा और राशि की मात्रा आदेश में बताये गए ढंग से तथा उस पुनरीक्षण याचिका पर, जिस पर विचार किया जाना है, दिए गए निर्णय के अनुसार तय की जाएगी।"

इसलिए, यह विचाराधीन था। 10 नवम्बर, 1980 के इस आदेश के अनुसार यह या तो किसी नए समझौते बातचीत या निर्णय या संगत विधान से किया जाना था।

अब श्रीमान्, श्री जार्ज उच्चतम न्यायालय के निर्णय तथा इसनिष्कर्ष का प्रतिकार कर रहे हैं। हम इस बात को नहीं मान सकते हैं कि महान्यायवादी को आज यह कहने का कोई अधिकार

[ श्री आर० वेंकटरामन ]

नहीं है कि वास्तव में 13 जनवरी, 1981 को उनका हमें बताने का इरादा था। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो महान्यायवादी अब कहते हैं वह यह है कि उनका अभिप्राय 10 नवम्बर, 1980 के आदेश में एकरूपता लाने का था। यदि वह कहते हैं कि उसका कहने का यही अर्थ है—तो हम इसे इन्कार नहीं कर सकते हैं। न्यायालय में गलतफहमी भी हो सकती है। मैं उच्चतम न्यायालय के प्रति महान आदर की भावना रखता हूं। शायद उन्होंने यह समझा कि महान्यायवादी ने कहा है कि वह भुगतान करेंगे। महान्यायवादी के पक्ष द्वारा विषय की जानकारी दिए जाने पर उन्होंने शायद यह कहा कि मेरा अभिप्राय 15 ता० से पूर्व आदेश का अनुपालन करना है। अनुपालन कई तरीकों से होगा, इस मामले में ऐसा हो सकता है विशेष मात्रा के साथ एक विधान लायें और 15 तारीख से पहले भुगतान कर दें यह भी उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन होगा। इसलिए यह कहना ठीक ही है कि हमने जो कुछ किया है वह उच्चतम न्यायालय के निर्णय को रद्द करता है या उच्चतम न्यायालय के विपरीत जा रहा है या उससे इस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय तथा कार्यपालिका के बीच विवाद है। इसके पढ़ने से किसी भी न्यायालय में यह तर्क दिया जा सकता है। महान्यायवादी का बयान उच्चतम न्यायालय के द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद उच्चतम न्यायालय के सामने दिये गए वचन को सरकार द्वारा न निभाये जाने का प्रश्न नहीं उठता है। हमें इस विधान को लाने का प्रश्न नहीं उठता है। हमें इस विधान को लाने का हमें पूरा अधिकार है। कानूनी पहलू की यही स्थिति है।

अब मैं परिलब्धियों का प्रश्न लूंगा। मैं उद्देश्यों और कारणों के कथन में कह चुका हूं कि प्रशासन के खर्च बढ़ रहे हैं। मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करूंगा।

1959 में एक प्रतिलिपि पर प्रशासनिक लागत 12.45 रुपये थी। 1969-70 में यह 23.57 रुपये तक बढ़ गई और 1978-79 में प्रति पालिसी प्रशासनिक लागत 42.03 रुपये हो गई। अब आप आसानी से देख सकते हैं कि प्रशासनिक लागत किस प्रकार बढ़ी। मैं फिर से यह कहता हूं कि प्रशासनिक लागत ही है जिसमें वृद्धि हुई है।

साथ ही मेरे मित्र ने कहा कि जीवन निर्वाह सूचकांक में वृद्धि के साथ-साथ मजदूरी में वृद्धि नहीं हुई है। मैं इस पर भी कहूंगा। 1960 में जीवन निर्वाह.....

**प्रो० मधु दंडवते** : जब आप प्रशासनिक स्तर की बात करें, तो मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां तक नवीकरण खर्च के अनुपात का संबंध है यह कम हुआ है।

**श्री आर० वेंकटरामन** : नवीकरण के संबंध में यह कम हो सकता है, परन्तु वसूली की लागत में यह खर्च बढ़ा होगा। आपको किसी पालिसी पर आने वाली कुल प्रशासनिक लागत को लेना होगा। हम वेतन के प्रश्न को ही लें। 1960-61 से 1978-79 तक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 100 से 332 तक वृद्धि हुई है जबकि श्रेणी-III के कर्मचारी के वेतन 1960-61 के 100 से बढ़कर 1978-79 में 640 हो गया। क्या आप कह सकते हैं कि जीवन निर्वाह सूचकांक में वृद्धि के

साथ इसमें वृद्धि नहीं हुई। मैं मजदूरी का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करूंगा। जीवन बीमा निगम में प्रारम्भिक नियुक्ति में एक व्यक्ति को 1567 रुपये मिलेगा। राष्ट्रीयकृत बैंक में उसी श्रेणी-III में प्रारम्भिक नियुक्ति में 1204 रुपये मिलेगा। केन्द्रीय सरकार के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को 1144 रुपये मिलेगा।

**श्री सुनील मैत्रा** (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : आप पुनः वही काम कर रहे हैं। मैं इसे चुनौती दे रहा हूं। (व्यवधान)

**वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन)** : उन्हें दो-तिहाई मिलेगा (व्यवधान)। यह प्रमाण है कि सत्य से ठोस पहुंचती है। आई० ओ०सी० में यह 1138 है। बी० एच० ई० एल० में यह 1905 है। मेरे पास अन्य आंकड़े भी हैं। मैं उनका उल्लेख नहीं करूंगा।

**(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

मैं दो मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। **मेन स्ट्रीम** के वार्षिक अंक में एक बहुत जाने-माने मजदूर नेता ने यह लिखा है। वह कह रहे थे कि उन प्रतिष्ठानों का जहां ऊंची मजदूरी है विकास हो रहा है। और उन्होंने कहा है :

> "खादी तथा ग्रामीण उद्योग आयोग में अकुशल श्रमिक को, जहां फाइलों को बकेला जाता है, 300 रुपये से अधिक मिल रहा है और मजदूर संघ समर्थक होने के नाते इस बात के लिए उत्सुक हैं कि खादी तथा ग्रामीण उद्योग के कर्मचारियों को बोनस मिले जब कि हमारे ध्यान में यह कभी नहीं आयेगा कि खादी श्रमिक को अधिक अच्छी मजदूरी मिले पर हमारा ध्यान कभी नहीं जाएगा।"

**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : वह मजदूर नेता कौन है ?

**श्री आर० वेंकटरामन** : आपने पूछा कि वह मजदूर नेता कौन हैं ? वह हैं श्री जार्ज फर्नान्डीस।

मैं अनुरोध करता हूं कि सभा द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए। धन्यवाद !

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री इन्द्रजीत गुप्त। आप अपना भाषण आरम्भ कर सकते हैं, आप कल तक जारी रख सकते हैं। आप अपना उत्तर आरम्भ कीजिए। आप दो मिनट ले सकते है। आप कल जारी रख सकते हैं।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (बसीरहाट) : महोदय, मैंने वित्त मंत्री के उत्तर को ध्यान पूर्वक सुना। वह काफी लम्बे समय से हम से वायदा कर रहे हैं कि वह कुछ ऐसा करने जा रहे थे जो बड़ा भारी परिवर्तन जायेगा। मैं तो कहूंगा कि उनका उत्तर एक अपकर्ष है क्योंकि उन्होंने उन्हीं निर्णयों और आदेशों की अपनी व्याख्या दी है जिसका हम तमाम अपराह्न में उल्लेख कर रहे थे।

मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि कैसे उच्चतम न्यायालय के सभी जाने-माने न्यायाधीशों ने कैसे उसका जो महान्यायवादी ने उन्हें कहा गलत अर्थ लगाया क्या उनमें इतनी विचार करने की

[ श्री इन्द्रजीत गुप्त ]

शक्ति नहीं है तथा क्या वे इतने मूर्ख हैं कि वे महान्यायवादी के कथन को समझ नहीं सके ? और महोदय, 16 फरवरी को जीवन बीमा निगम की और से प्रस्तुत किए गए हजफ नामें में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि सारे मामले में विवाद केवल तारीख निश्चित करने के प्रश्न के बारे में था न कि भुगतान के बारे में यह 16 फरवरी के हलफनामे में था। यदि यह धारणा नहीं थी तो मैं यह नहीं समझ सकता कि वह तारीख के विषय में इतने चिन्तित क्यों हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री इन्द्रजीत गुप्त। आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं। अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे। श्री बारोट।

---

## सभा पटल पर रखे गये पत्र—जारी

### सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना

**वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन)** : महोदय, मैं श्री मगनभाई बारोट की ओर से सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 22-सीमाशुल्क (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 5 मार्च, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा डैडबर्ट मैंगनेसाइट को मूल सीमाशुल्क से मूल्यानुसार 40 प्रतिशत से अधिक छूट देने के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए एन० टी० संख्या 2045]

**उपाध्यक्ष महोदय** : हम अगले मद नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा पर आते हैं।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली)** : इससे पहले कि आप नियम 193 के अन्तर्गत गुजरात पर चर्चा आरम्भ करें मैं आपका ध्यान एक रिपोर्ट जो मुझे मिली है, की ओर दिलाना चाहूंगा कि धौला कुंआ में शान्त छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आपने लिख कर नहीं दिया है।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : मैं लिख कर कैसे दे सकता हूं ? आप गृह मंत्री से पूछ सकते हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हमें नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा करना है।

**प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर)** : लाठी चार्ज पर भी, वे लिख कर नहीं देते हैं।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : आप गुजरात के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। दिल्ली के विषय में क्या विचार है ? दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई राज्य विधान सभा नहीं है। यह संघ राज्य क्षेत्र है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा। श्री राजदा।

---

# गुजरात में कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के बारे में चर्चा

**श्री रतन सिंह राजदा** (बम्बई दक्षिण) : महोदय, मुझे बड़े दुख के साथ अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर अर्थात् गुजरात में उत्पन्न गम्भीर स्थिति पर बोलना पड़ रहा है।

महोदय, पिछले दिन सम्पूर्ण विपक्ष ने आपसे अनुरोध किया था और मांग की थी कि स्थिति इतनी गम्भीर है कि पूरी सभा एक मूक दर्शक बन कर नहीं रह सकती। और सभा को गुजरात में उत्पन्न अत्यधिक गम्भीर और खतरनाक स्थिति पर चर्चा करनी चाहिए। दुर्भाग्यवश, उस समय इस महान सभा के चालीस मूल्यवान मिनट नष्ट हो गए थे क्योंकि सरकार ने यह निर्णय लेने में चालीस मिनट लगा दिए थे कि इस समस्या पर चर्चा की जानी चाहिए या नहीं।

महोदय, यदि भारत का एक भाग जल रहा हो, यदि वहां आगजनी हो, लूट-मार हो, प्रति दिन हिंसा हो तथा यदि बहुमूल्य नौजवानों की क्षति हो रही हो, देश के सर्वोच्च विधान मण्डल के रूप में और देश के चुने हुए जिम्मेदार प्रतिनिधियों के नाते तो हम मूक दर्शक बन कर नहीं रह सकते।

दिसम्बर के महीने से गुजरात में स्थिति ने बहुत गम्भीर रूप ले लिया था। यह स्थिति बी० जे० मेडिकल कालेज अहमदाबाद में स्नातकोत्तर मेडिकल पाठ्यक्रम में स्थानों के आरक्षण के संबंध में एक साधारण बात के कारण पैदा हुई थी। वहां नेत्र विज्ञान पाठ्यक्रम में दो स्थान थे और जब विद्यार्थी वहां प्रवेश लेने गए तो उन्हें बताया गया कि वे दोनों स्थान आरक्षित हैं और उन्हें नहीं दिए जा सकते। यदि स्थिति को आरम्भ में ही चतुराई से सुलझा लिया जाता तो पूरे राज्य में आग भभक उठी है, जिसके अन्य राज्यों फैलने का डर है, पैदा ही नहीं हुई होती। दुर्भाग्यवश, किसी ने भी स्थिति को गम्भीरता से नहीं लिया और अब साम्प्रदायिक दंगे पूरे गुजरात राज्य में भड़क गये हैं। इस देश के सभी राष्ट्र भक्त और वे सभी लोग, जो संविधान और लोकतांत्रिक सिद्धान्तों में निष्ठा रखते हैं, आरक्षण के इस प्रश्न की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से भली-भांति अवगत हैं। एक संवैधानिक प्रावधान है जो हमारे निदेशक सिद्धान्तों में दिया गया है और यह राष्ट्र पिता का स्वप्न था कि हर एक की आंख से आंसू को पौंछ दिया जाए। यह राष्ट्र पिता ही थे जिन्होंने अनुसूचित जन-जातियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कड़ा संघर्ष किया। यहां तक कि उन्होंने अपने पूरे जीवन की बाजी लगा दी और इसी प्रश्न पर पूना में 21 दिन तक अनशन किया।

हम में से प्रत्येक यह जानता है कि राष्ट्र पिता समाज के कमजोर वर्गों, विशेष कर हरिजनों और आदिवासियों के हितों की रक्षा करने तथा उन्हें शरण देने के विषय में कितने चिन्तित थे। जब गुजरात में एक साधारण बात पर यह मामला आरम्भ हुआ था तो उस समय न गुजरात के विद्यार्थियों के दिमाग में यह बात नहीं थी और न ही हरिजनों के दिमाग में ही ऐसी हिंसा की कोई बात थी। परन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जिस प्रकार स्थिति के सम्बन्ध में कार्यवाही की उससे कुछ और अधिक किया जाना चाहिए था। यदि राज्य सरकार ने थोड़ी चतुराई, थोड़ी

[ श्री रतनसिंह राजदा ]

विचारशीलता, थोड़ी कुशलता से काम लिया होता तो ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं हुई होती। उन विद्यार्थियों की मांगें आखिर क्या हैं ? आरम्भ में विद्यार्थियों ने कुछ सुझाव दिए थे। वे सुझाव भी आरक्षण विरोधी नहीं थे। विद्यार्थियों के दिमाग में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई थी; "हालांकि हमारे पास योग्यता है, फिर भी हमें कुछ अधिकार नहीं दिये जा रहे हैं, हालांकि हमने उच्च शिक्षा प्राप्त की है फिर भी हमें मेडीकल कालेज में प्रवेश नहीं मिलता है।" यदि गुजरात के किसी नेता ने विद्यार्थियों को, जो हमारे बच्चे हैं, समझाने का प्रयत्न किया होता और उन्हें समझाया होता कि यह हमारी एक संवैधानिक व्यवस्था है, और हम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, आदिवासियों आदि को प्रदत्त आरक्षण तथा सुरक्षा से मुंह नहीं मोड़ सकते तथा यह हमारी राष्ट्रीय नीति है, तो स्थिति यहां तक नहीं पहुंचती। यदि किसी ने तुम्हें यह बताया होता : "हम तुम्हारे साथ बैठने तथा कोई समाधान ढूंढने और कोई तरीका निकालने के लिए तैयार हैं ताकि योग्यता को मान्यता दी जाये और साथ ही स्नातकोत्तर कालेजों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों को आरक्षण देने के मूल सिद्धान्तों को भी बनाया रखा जा सके। यदि उन्होंने कहा होता कि वे एक साथ बैठकर बातचीत करेंगे और कोई निर्णय लेंगे," और इस विषय में आरम्भ में ही पहल की होती, तो मेरा विनम्र निवेदन है कि स्थिति ने इतना घृणित रूप नहीं लिया होता। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं किया गया।

इसके बाद हमने मांग की थी कि गृह मंत्री द्वारा यहां एक वक्तव्य दिया जाना चाहिए। गृह मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य की एक प्रति मेरे पास है। इस सभा तथा गुजरात में भी सरकार द्वारा विपक्षी दलों से सहयोग की मांग करने के बारे प्रतिदिन कहा जाता है। इस वक्तव्य में श्री वेंकटसुब्बया ने क्या कहा था ? एक आरोप लगाया गया था कि गुजरात में स्थिति इस लिए बिगड़ी है कि कुछ राजनीतिक दल तथा असन्तुष्ट समाज विरोधी तत्व आरक्षण समाप्त करने आदि के मामले में बहके हुए छात्रों की भावनाओं को उत्तेजित कर रहे हैं। अनुकूल वातावरण तैयार करने का तरीका यह नहीं है। हम कहते हैं कि यह एक राष्ट्रीय संकट है और एक राष्ट्रीय समस्या है। यह कोई तरीका नहीं है कि सारे विपक्षी दलों पर आरोप लगाया जाये और विपक्षी बेंचों पर अंगुली उठाई जाए और फिर उनसे सहयोग मांगा जाए। मैं सरकार से विनती करूंगा कि कम-से-कम इस स्थिति में उन्हें अवसर के अनुसार कार्य करना चाहिए, समाज के सभी वर्गों से अपील करनी चाहिए और विपक्षी सदस्यों तथा सभी विपक्षी दलों से सच्चे दिल से सहयोग लेना चाहिए।

गुजरात में स्थिति राजनीतिक दलों के नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। दोनों पक्षों के लोग अत्यधिक उत्तेजित हो गए हैं और वे राजनीतिक नेताओं को सुनने के लिए तैयार नहीं है दुर्भाग्य से गुजरात में कोई ऐसा प्रभावशाली नेता नहीं है जो दोनों पक्षों के छात्रों को कुछ कह सकें या सलाह दे सकें।

**श्री चित्त बसु** (बारसाट) : श्री मकवाना हैं।

**एक माननीय सदस्य** : श्री मोरारजी देसाई कहां है ?···(**व्यवधान**)

**श्री रतन सिंह राजदा** : दुर्भाग्य से गुजरात में कोई ऐसा प्रभावशाली नेतृत्व नहीं है, जिसकी बात समाज के सभी वर्गों द्वारा सुनी जाये । यह बहुत दुःखद बात है कि वह गुजरात जिसकी महान परम्पराएं और सहनशीलता उदाहरण रहे हैं तथा महात्मा गांधी का वह गुजरात, जिसमें सामाजिक आर्थिक सम्बन्धों में सहनशीलता ही सदा व्याप्त रही है, आज वहां समस्त में आगजनी, लूट और हिंसा फैली हुई है; और युवकों के बहूमूल्य जीवन की क्षति हुई है । जहां तक ताजे आंकड़ों का संबंध है 30 से अधिक मूल्यवान जानें जा चुकी हैं ।

हम स्थिति को कैसे सुधारें ? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब यह आन्दोलन आरम्भ हुआ था, तो विद्यार्थियों को बात-चीत के लिए बुलाने की बजाय गुजरात सरकार द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया गया जिसमें अन्य पिछड़े वर्गों को कहा गया कि वे और आरक्षणों की मांग करें । ऐसी बातें स्थिति को और बिगाड़ती हैं । आरक्षण के सिद्धान्त को माना गया है । कोई भी सद्‌बुद्धि व्यक्ति इसके विरुद्ध नहीं है । मैं यह बार-बार कहूंगा । जहां तक मेरी जनता पार्टी का संबंध है, बहुत बार यह कहा गया है कि आरक्षण के सिद्धान्त पर कटिबद्ध है । हम चाहते हैं कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाए । (**व्यवधान**) कृपया अपने विवेक की आवाज सुनें । हमें दलगत भावनाओं से ऊपर उठना होगा । यह मामला दलीय विचारों से परे हैं । मैं आपको दलगत दृष्टिकोण से संबोधित नहीं कर रहा हूं । मैं जनता पार्टी का दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूं । हमने कई बार घोषणा की है कि संविधान में प्रतिस्थापित आरक्षण सिद्धान्त का पालन करना होगा और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की रक्षा करनी होगी ।

साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चक्षु विज्ञान संबंधी कोर्स के लिए दो स्थान थे, विद्यार्थियों को बताया गया कि वे स्थान आरक्षित हैं और उन्हें नहीं दिए जा सकते हैं । इसके बाद स्थिति का संचालन गलत तरीके से किया गया । इससे कटुता उत्पन्न हो गई । तब वहां कोई जाति-गत या साम्प्रदायिक भावना नहीं थी । विद्यार्थी अधिकारियों के पास गए और मुख्य मंत्री के पास भी गए और कहा कि जहां तक इन आरक्षणों का संबंध है, चाहते हैं कि स्नातकोत्तर मेडिकल पाठ्य-क्रम में समान नीति अपनाई जानी चाहिए ।

हम सभी जानते हैं, और मैं समझता हूं कि इह ओर के सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि केवल 9 राज्यों में स्नाकोत्तर स्तर पर मेडिकल कालेजों में स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था है । यह पूरे भारत में नहीं है । बाकी राज्यों में ऐसा आरक्षण नहीं है । हमें तथ्यों को ज्यों का त्यों लेना चाहिए और तब स्थिति का विश्लेषण करना चाहिए । वे विद्यार्थी आरम्भ में मांग कर रहे थे, कि वे समान नीति चाहते हैं । ऐसा सरकार की तरफ से होना चाहिए ।" उन 9 राज्यों में आरक्षण संबंधी प्रावधान समान नहीं हैं । उसमें विरोधाभास है । इसलिए विद्यार्थियों ने एक समान नीति की मांग की । उन्होंने आगे कहा, "हम आरक्षण के विरोधी नहीं हैं; परन्तु हम उस तरीके के विरोधी हैं जिस तरीके से आरक्षण नीति कार्यान्वित की जा रही है ।" सभी जानते हैं कि सत्ता-धारी दल के नेता तथा इस सभा का प्रत्येक सदस्य स्वयं को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का मसीहा कहता है । वे सदा ही स्वयं को अनुसूचित जन-जातियों तथा अनुसूचित

[ श्री रतनसिंह राजदा ]

जन-जातियों का मसीहा कहते हैं। वे समझते हैं कि दूसरे सभी लोग अनुसूचित जातियों के विरुद्ध है और उन्हें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने या उनके विषय में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रधान मंत्री प्रायः ऊंचे-ऊंचे शब्दों में वक्तव्य देती हैं, जो राजनीति से प्रेरित होते हैं तथा जिनका उद्देश्य उनकी पार्टी के लिए लाभ प्राप्त करना होता है और यह एक मूल कारण है, जिन्हें बार-बार दोहराया जाता है (व्यवधान)।

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया व्यवस्था बनाए रखें। प्रत्येक को बोलने का अवसर दिया जाएगा। (व्यवधान)

**श्री रतन सिंह राजदा** : मैं केवल निष्पक्ष रूप से जैसी स्थिति है, उसका विश्लेषण कर रहा हूं। यदि यह आपके लिए रुचिकर नहीं लगता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। (व्यवधान) जब हम समाज के किसी वर्ग की बात करते हैं तो किसी राजनीतिक दल कोई एक वर्ग तथा कोई एक विशेष दल स्वयं उनके मसीहा होने का दावा करते हैं जैसे कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विषय में बात करना उनका ही एकाधिकार हो। वे उस प्रचार को राजनीतिक दल के लाभ के लिए प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। तब अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के हितों की रक्षा करने के लिए हमारे संविधान में जो व्यवस्था है वह खतरे में पड़ जाती है और सत्ताधारी दल के इस रवैये से ऐसा वातावरण तैयार किया गया है जिसने पहले ही वातावरण को दूषित कर दिया है।

अब मैं मांग करना चाहूंगा और माननीय गृह मंत्री से जानना चाहूंगा कि विद्यार्थियों ने चार मांगें रखीं और एक चार सूत्री फार्मूला सरकार के समक्ष रखा था। यहां पर सभा में वक्तव्य देते हुए विपक्षी नेताओं और विपक्षी दलों के विरूद्ध आरोप लगाए गए हैं परन्तु सभा को चार सूत्री फार्मुले के बारे में नहीं बताया गया, जो कि विद्यार्थियों ने दिया था। किसी ने भी यह नहीं बताया। सभा को यह जानने का अधिकार है कि वह सूत्र क्या था। उसका क्या हुआ ? (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : सूत्र पर आइए। (व्यवधान)

**श्री रतनसिंह राजदा** : आपने इस मामले में क्या कार्रवाई की है ? बातचीत चल रही थी। हमें सूचित नहीं किया गया। जहां तक इस चार-सूत्री फार्मूले का सम्बन्ध है, सभा को विश्वास में नहीं लिया गया। (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

**श्री रतनसिंह राजदा** : जैसा मैंने कहा है, वे चाहते थे कि एक समान नीति हो। यह केवल 9 राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है। यह एक बात थी। दूसरे, उन्होंने आरक्षण की बजाय आरक्षण क्रियान्वियन पद्धति का विरोध किया था। कुछ राज्यों में कूपांक दिए गए तथा कुछ राज्यों

में कृपांक नहीं दिए गये। तब उन्होंने राजनीतिक उद्देश्यों की बात की थी जिसका उन्होंने विरोध किया। (व्यवधान)

मुझे यही मालूम हुआ है। यदि यह बात सत्य नहीं है तो मैं उसेमें शुद्धि के लिए तैयार हूं। जहां तक मेरा विचार है, कुछ भी नहीं बताया गया था। (व्यवधान)

**गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बया)** : आपने बताया कि क्रियान्वयन पद्धति का उन्होंने विरोध किया। वह पद्धति क्या है ? कृपया आप हमें बताइए। कृपया सभा को भी इस विषय में बताइए। (व्यवधान)

**श्री जी० एम० बनातवाला** (पोन्नानी) : वे उसका पता लगाएंगे।

**श्री रतनसिंह राजदा** : जब मैंने कहा, "जिस पद्धति से उसे क्रियान्वित किया गया है," तो सबसे पहले जब आप इसका राजनीतिक लाभ उठाते हैं उसकी मैंने पहले ही व्याख्या कर दी है। प्रधान मंत्री तथा सत्ताधारी दल के सभी नेता केवल अनुसूचित जातियों तथा गैर-अनुसूचित जातियों के बीच कटुता पैदा कर रहे हैं। इस प्रकार आप इसे क्रियान्वित कर रहे हैं। (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

**श्री रतनसिंह राजदा** : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के हितों की रक्षा करने की भावना का जो संविधान में स्पष्ट उल्लेख है, उसे आप किस प्रकार क्रियान्वयन कर रहे हैं, और कैसे आप इस का राजनीतिक लाभ उठा रहे हैं, यही मेरा आरोप है। और यह काम करने का गलत ढंग के कारण सवर्णों और हरिजनों की बीच कटुता पैदा हो गई है और समाज के किसी भी जिम्मेदार नेता को ऐसा नहीं करना चाहिए। (व्यवधान) क्या आप मुझे सुनने की कृपा करेंगे ? (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि किसी व्यक्ति को ध्यान में रखे बिना आप इस मामले पर विचार व्यक्त करें तो आपका भाषण अच्छा रहेगा।

**श्री रतनसिंह राजदा** : मैंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं आप सबसे इन मामले पर विचार व्यक्त करने को कहूंगा।

**श्री पी० वेंकटसुब्बैया** : इन्होंने क्या समाधान सोचा है ?

**डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी** (बम्बई दक्षिण) : आप सरकार में हैं और आपको समाधान निकालना हैं। यह हमारा काम नहीं है। (व्यवधान)

**श्री मनीराम बागड़ी** (हिसार) : अगर आप पहले हमारी बात मान लेते, इस पर डिस्कशन करवा लेते, तो इतनी आग न लगती।

**उपाध्यक्ष महोदय** : हमारी चर्चा द्वारा कोई समाधान निकलना चाहिए। इससे वहां की स्थिति और नहीं बिगड़नी चाहिए। मैं चाहूंगा कि प्रत्येक माननीय सदस्य इस ढंग से बोले कि स्थिति और अधिक न बिगड़े। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य आवेश में न आयें। आवेशपूर्ण

[ उपाध्यक्ष महोदय ]

भाषण जरूरी नहीं है। इस समस्या के दो पहलू नहीं हैं। समूची सभा को इस पर चर्चा करनी चाहिये। इस मामले में हमें व्यक्तियों को तथा राजनीति को नहीं लाना चाहिये। (व्यवधान)

**श्री रतनसिंह राजदा** : यदि सरकार शुरू ही से गुजरात की कानून और स्थिति की ओर ध्यान देती तो वह इतनी न बिगड़ती। सरकार ने इस समस्या का सामना सोच समझ कर नहीं किया जिसके फलस्वरूप डाक्टरों और वकीलों ने जलूस निकाले जिनमें से दो हजार के करीब गिरफ्तार हुए। जब इन समाज और जनमत के नेताओं को गिरफ्तार किया गया और जब बहुत से लोग गिरफ्तार हुए तो उन लोगों को भी आंदोलन में घसीटा गया जिनको इससे सहानुभूति नहीं थी। वहां एस० आर० पी०, सी० आर० पी० आदि पुलिस बल थे और गोली चली। निर्दोष लोग मरे। निर्दोष लोगों की मृत्यु के कारण वे लोग भी आंदोलन में आने लगे जिनको पहले इससे कोई भी हमदर्दी नहीं थी। अब यह एक अग्निकांड बन गया है।

अब स्थिति ऐसी है कि सरकार इसे स्वयं नहीं सम्भाल सकती। यदि सरकार इस मामले में सचमुच चिंतित है तो इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि अहमदाबाद में हर वर्ग के लोगों—हरिजनों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लोगों, चिकित्सक विद्यार्थियों, अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद के सदस्यों, चिकित्सा परिषद् के नेताओं—को वार्ता के लिए बुलाया जाये। जब तक ऐसा नहीं होता उस समय तक समस्या का समाधान नहीं निकल सकेगा। इसके साथ-साथ सरकार को सच्चे मन से सभी राजनैतिक दलों का सहयोग लेना होगा। सभी राजनैतिक दल उपद्रव नहीं पैदा करना चाहते, हिंसा नहीं भड़काना चाहते बल्कि सच्चे मन से सहयोग देना चाहते हैं। सरकार को उन्हें दोषी नहीं ठहराना चाहिए बल्कि समाधान ढूंढने के लिये उनके साथ विचार करना चाहिए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप दोनों को वैसा नहीं करना चाहिये।

**श्री रतनसिंह राजदा** : यह स्थिति व्युत्क्रम के कारण है। लेकिन सरकार की ओर से भी दो मत सुनने को मिल रहे हैं। जब आसाम की स्थिति के बारे में ज्ञानी जेलसिंह हमारे वयोवृद्ध राजनेता श्री मोरारजी देसाई को मिलने गये तो उसी के साथ-साथ श्री मकवाणा ने श्री मोरारजी देसाई की निन्दा शुरू कर दी और वक्तव्य जारी किये। सरकार के मंत्रियों के काम करने का यह कोई तरीका नहीं है। इसका मूल कारण, जैसे कि सब जानते हैं और जैसे कि इस सभा में चर्चा भी की गई और जिसके बार में मैंने भी कहा था, यह है कि श्री मकवाणा और गुजरात के मुख्यमंत्री के बीच एक आपसी झगड़ा है। (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : इसी कारण मैंने कहा कि इससे व्यक्तियों को सम्बद्ध न करें।

**श्री रतनसिंह राजदा** : इसी एक बड़े कारण से उपद्रव पैदा हुआ है और फैला है। (व्यवधान) मैं चिल्लाने से नहीं डरूंगा। श्री मकवाणा ने गुजरात में कुछ बयान दिये हैं। (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह इनका विचार है। उन्हें इसके बारे में कहने दीजिए। मंत्री उत्तर देंगे। आप चिंता क्यों करते हैं ? आपके मंत्री उत्तर देने में सक्षम हैं।

श्री मकवाणा ने गुजरात के बारे में कुछ वक्तव्य दिये। अब प्रधान मंत्री का पहला कर्त्तव्य इस बात का ध्यान रखना होगा कि श्री मकवाणा और श्री माधवसिंह सोलंकी वार्ता के लिए इकट्ठे बैठें। उन्हें गुजरात ही के लिए इकट्ठा नहीं बैठना चाहिये बल्कि सारे राष्ट्र के लिए क्यों कि यह आग समूचे राष्ट्र में फैल सकती है आप इसमें क्यों रुचि लेते हैं ? यह इनके दल का अंदरूनी मामला है।

**श्री रतनसिंह राजदा** : गुजरात में आग लगी है। सत्तारूढ़ दल नीरो की तरह खेल रहा है जबकि गुजरात जल रहा है। प्रधानमंत्री और जेलसिंह को दिल्ली में नीरो की तरह खेलना नहीं चाहिए और उन्हें बयान नहीं जारी करने चाहिए। इसी कारण ये सब बातें मैंने सच्चे मन से कही हैं। हमें उनकी पार्टी के झगड़ों से कुछ भी सरोकार नहीं है। चूंकि यह सरकार की समूची नीति से सम्बन्धित है जिससे गुजरात की स्थिति प्रभावित होती है, इसलिए उन्हें एक स्थान पर बैठकर एक ही आवाज से बात करनी चाहिए। यदि ऐसा हो जाए तो स्थिति शीघ्र सुधर सकती है। कम से कम उन्हें एक आवाज में बोलना सीखना चाहिये। उसी दृष्टिकोण से मैंने ऐसा कहा है। ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे दोनों पक्षों में व्याप्त असुरक्षा की भावना दूर हो जाये। यह विश्वास का संकेत है जिसे समूची समस्या को हल करने के लिए दूर करना पड़ेगा। सरकार को आरक्षण के प्रश्न की समूची स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाना चाहिये। यदि एक ऐसा राष्ट्रीय आयोग गठित किया जाये तो यह सारे मामले के गुणावगुणों की छानबीन करे (**व्यवधान**)।

**श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या मैं एक स्पष्टीकरण मांग सकता हूं ? इन्होंने एक राष्ट्रीय उपयोग के बारे में पूछा है, उन्हें स्पष्ट करना चाहिये कि क्या वे आरक्षण नीति पर विचार करने हेतु एक राष्ट्रीय आयोग चाहते हैं या इसके कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय आयोग चाहते हैं।

**श्री रतनसिंह राजदा** : जहां तक आरक्षण के प्रश्न का सम्बन्ध है। मैं इसे बहुत ही स्पष्ट कर चुका था। मैं यह कह चुका हूँ कि हम अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण हेतु वचनबद्ध हैं। इस बारे में कोई संदेह नहीं।

यह कहने के बाद मैं सभा के सभी वर्गों से निवेदन करूंगा कि वे एक होकर एक आवाज में बोले और गुजरात के भाईयों की रक्षा के लिए सामने आये, वहां के अग्निकांड को शांत करे और लोगों में विद्यमान असुरक्षा की भावना को मिटायें। यदि वैसा हो जाये, तो गुजरात ही नहीं बल्कि सारे देशवासी हमें आशीर्वाद देंगे।

**श्री मोहन लाल सुखाड़िया** (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात के मसले पर यहां एक गंभीर चर्चा सदन करने जा रहा है। इस मौके को किसी राजनैतिक लाभ उठाने का या आक्षेप-प्रत्याक्षेप करने का न मान कर, मैं समझता हूं कि अगर इस सदन के अन्दर बहस इस प्रकार की हो कि जिस बहस का प्रभाव गुजरात के अन्दर अच्छा हो और जो आन्दोलन चल रहा है वह रुके और वहां शांति से सारी समस्या का हल हो तब तो इस सदन के अन्दर इस बहस करने का, मैं समझता हूं अच्छा परिणाम निकलेगा।

[ श्री मोहनलाल सुखाड़िया ]

आज कोई भी इस बात से इंकार कर के नहीं चलता है कि हमारे विधान बनने से भी पहले जब देश की अजिादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी उस मौके पर हम लोगों ने पूज्य बापू के नेतृत्व में शेड्युल्ड कास्ट्स और शेड्युल्ड ट्राइब्स के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के कदम उठाने की प्रतिज्ञा की थी और इसीलिए अपने विधान में हमने रिजर्वेशन का प्रावधान किया है। विधान में जो रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है उस के अनुसार एक प्रदेश में ही नहीं, करीब-करीब सभी प्रदेशों के अन्दर, इस पर अमल किया जा रहा है। एक जगह और दूसरी जगह के बीच में कुछ भेद हो सकते हैं लेकिन जहां तक रिजर्वेशन की नीति का प्रश्न है, उसके बारे में मैं समझता हूं कि कोई भी राष्ट्रीय विचारधारा का व्यक्ति और खास तौर से वे व्यक्ति जो कि जो भी देश के अन्दर राष्ट्रीय आन्दोलन हुए, उनसे सम्बन्धित रहे हैं, इंकार कर के नहीं चल सकते।

गुजरात सरकार के समक्ष जब यह बात सामने आयी तो सब से पहले यह सवाल उठाया गया कि बेकलांग को भी रिजर्वेशन के साथ में जोड़ दिया जाता है,। उसी से ज्यादा दिक्कतें पैदा होती हैं। मेरी जानकारी के अनुसार, 14 फरवरी 1981 को वहां की सरकार ने फैसला किया कि बेकलांग वाली बात को हटा दिया जायेगा लेकिन रिजर्वेशन के सम्बन्ध में कोई भी समझौता कर के नहीं चला जा सकता है। विद्यार्थियों की तरफ से कुछ और बातें उठायी गयीं जैसे आवासी प्रणाली लागू करना, एम० एस० सी० चिकित्सा पाठ्यक्रम समाप्त करना, होस्टल सुविधायें उपलब्ध करना। इन चीजों के बारे में सरकार ने एक कमेटी स्थापित की यह विश्वास दिलाया कि हम इन मसलों को इस कमेटी को सौंपते हैं और कमेटी इन मामलों पर जो कुछ रिकमण्डेशन करेगी उनके ऊपर गंभीर रूप से विचार कर के इनका रास्ता निकाला जायेगा। इसी प्रकार गुजरात सरकार की तरफ से इस बात की भी बराबर कोशिश की गयी कि कोई ऐसा रास्ता निकल सके कि जिससे शांति स्थापित हो सके। फिर 25 जनवरी के रोज, जो एक एक्शन कमेटी थी, उसके साथ समझौता किया गया और उसमें यह फैसला किया गया कि अनुसूचित जाति, जन जाति तथा पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित स्थानों का उपयोग करने हेतु योग्य विद्यार्थियों के लिये अतिरिक्त सीटें उपलब्ध करने के लिये फार्मूला बनाया जाये। जिससे मेरीटोरियस विद्यार्थियों को अगर नुक्सान होता हो तो उसको भी बेलेंस्ड करने की कोशिश की गयी। लेकिन बाद में उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया और उसको भी मान्यता नहीं दी गयी।

उपाध्यक्ष जी, जैसा कि आप पत्रों में पढ़ते हैं, उससे तो यह बात मालूम पड़ती है कि रिजर्वेशन के मूल सिद्धान्त पर तो कोई समझौता करके गुजरात सरकार नहीं चल सकती और उस पर समझौता करने का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। अगर रिजर्वेशन के सवाल को छोड़कर और कोई ऐसा प्रश्न हो तो उस पर समझौता करने की गुजरात सरकार ने हमेशा पहल की है और किसी भी प्रश्न पर ना कर के नहीं चली है।

मैं ऐसा समझता हूं कि जो प्रश्न आज वहां पर खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वहां पर आगजनी, लूटपाट हुई है और करीब 25 लाख रुपये की प्रापर्टी समाप्त हो गयी है, 28 के करीब

झगड़ों के अन्दर जानें गयी हैं, आज कोई भी इस बात को नहीं चाहेगा और खास तौर से, मैं यह समझता हूं कि गुजरात प्रदेश जहां हमारे देश के रहनुमा पूज्य बापू ने जन्म लिया, जहां इन संस्कारों को एक प्रोत्साहन मिला, जहां पर यह समझा जाता रहा कि यह गांधीवादी सिद्धांतों पर चलने वाला प्रदेश है, जहां पर; जबकि दूसरी जगहों पर राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर्स उद्घाटन करने के लिए गए; वहां गांधी जी के अनन्य भक्त रविशंकर महाराज जी से उद्घाटन कराया गया और यह आशा की गयी कि यह प्रदेश गांधी जी के मार्ग पर चलने की बात कर के चलेगा, वहां पर ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। चाहे प्राहिविशन की पालिसी हो, चाहे और दूसरी बातें हों, चाहे कोई भी वहां पर गवर्नमेंट आयी हो, सभी यह प्रयत्न कर के चली हैं कि बापू के सिद्धांतों पर चला जाये। लेकिन जो कुछ आज गुजरात के अन्दर हो रहा है, मैं समझता हूं कि किसी भी राजनीतिक पार्टी, जैसा कि पिछली बार यहां पर मैंने कहा भी था, उसके लिए इस प्रश्न पर सोचने का सवाल नहीं उठता है। अंदर की कुछ भावनाएं हैं, कुछ कारणों से ये समस्याएं सामने आई हैं और उन्होंने एक भयानक रूप धारण किया और एक क्लाज-वार की भयंकर स्थिति पैदा हो गई है। मैं समझता हूं कि उसको जल्दी से जल्दी शांत करना, एकता और शांति के मूल सिद्धांत और जो चीजें हमने तय की हैं, उनके लिए अत्यंत आवश्यक है इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए ही कोई बात करनी चाहिए। जो राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखने वाले व्यक्ति हैं वे इन परिस्थितियों से लाभ उठाने की बात नहीं करते। अगर इन परिस्थितियों से लाभ उठाने की कोशिश की जाएगी तो आज एक जगह ऐसी बात है कल दूसरी जगह है तो इस तरह से हम देश की एकता को समाप्त कर देंगे, इसका अंत नहीं है। पहले ही हमारे देश में सांप्रदायिकता, जातिवाद और कई ऐसी चीजें दुर्भाग्यवश पैदा हो गई हैं, जिनका रोका जाना अत्यंत आवश्यक है। इनके कारण देश में बिखराव की स्थिति पैदा हो गई है। कहीं एक प्रदेश के रहने वालों और दूसरे प्रदेश के लोगों के बीच, कहीं शेड्यूल कास्ट-शेड्यूल ट्राइब्स और अन्य जातियों के बीच इस तरह की बातें पैदा हो गई हैं। इन चीजों को रोकने के लिए सख्ती से, समझदारी से, मेलजोल से कदम उठाने की आवश्यकता होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से ढिलाई बरती जा रही है, इन चीजों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मुझ से पहले बोलने वाले वक्ता मुझे माफ करें, मुझे सुनकर अफसोस हुआ। मैं पहले समझ रहा था कि वे दर असल में इस बात को खासतौर से कहना चाहते हैं, लेकिन आपने तो कमीशन बैठाने की बात कह दी। (व्यवधान)

**श्री रतनसिंह राजदा :** मैं चाहता हूं·····(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय :** वह नहीं मान रहे हैं। अतः आप नहीं बोल सकते।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह उनके कहीं मकवाना जी और मुख्य मंत्री के बीच क्या रिश्ते हैं इनका जिक्र किया। मैं यह उम्मीद करके चलता था कि इस विषय को गंभीरता से लिया जाएगा और कल जो पत्रों में आएगा उससे यह लगेगा कि सारा सदन एक मत से यह चाहता है कि वहां पर शांति स्थापित हो। एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से उन लोगों पर क्या असर

[ उपाध्यक्ष महोदय ]

पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि इन सब चीजों को ध्यान में रखकर बात करना सबसे महत्वपूर्ण है बा-मुकाबला इसके कि हम छोटी-मोटी बातों का लाभ उठाने की कोशिश करें।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि गुजरात के अंदर कोई बड़े नेता नहीं हैं। मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है। वहां पर मोरारजी भाई हैं, हीतू भाई हैं, बाबू भाई हैं, कई लोग वहां पर हैं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि गुजरात में नेतृत्व की कमी है। आज आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे कठिन मौके पर नेतृत्व को साफ कहना चाहिए, उसमें साफ कहने की हिम्मत होनी चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के समय जब देश जल रहा था, नोवाखाली में आग लगी हुई थी, उधर अलवर और भरतपुर जल रहा था। ऐसे समय में महात्मा गांधी आजादी के जलसों को छोड़कर नोवाखाली चले गए और विनोबा भावे जी दूसरे स्थानों पर चले गए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यह समय नहीं है कि मकवाना जी और मुख्य मंत्री जी के क्या रिश्ते हैं इसकी चर्चा की जाये आपकी पार्टी के पास वहां इन चीजों को संभालने के लिए नेतृत्व मौजूद हैं और आप सब मिलकर उन हालातों को सुधारें, इसकी आज आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा नहीं मानता कि सरकार की तरफ से किसी भी वर्ग विशेष को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी तंत्र या कोई भी सरकार लाठी बरसाना या गोली चलाना नहीं चाहती। केवल मजबूरी की हालत में ही यह करना पड़ता है और जो हालत आज पैदा हो रहे हैं उनको रोकना आज सबके लिए अत्यन्त आवश्यक है और उस लिहाज से इन प्रश्नों के ऊपर विचार करके हम कोई रास्ता निकालें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पर कोई लंबा-चौड़ा भाषण देना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि यह सदन इस प्रकार की स्थिति बनाए, जिससे यह मालूम हो कि यह सदन वहां पर शांति चाहता है और वहां पर सबसे अपील करता है कि वे इन चीजों को समाप्त करें अगर कोई छोटी-मोटी बातें हैं तो उनको आपस में बैठकर हल करने का प्रयत्न करें, जिससे शांति का वातावरण पैदा हो।

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री सोमनाथ चटर्जी।

**श्री रतनसिंह राजदा** (बम्बई दक्षिण) : एक स्पष्टीकरण करना है। माननीय सदस्य ने जो अभी-अभी बोले थे, मेरे द्वारा कही गई बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। मैंने तो यह कहा था कि कमजोर वर्गों के लोगों के विरुद्ध पुलिस, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस आदि द्वारा किये गये अनुचित बल प्रयोग और अत्याचारों के विरुद्ध तक जांच आयोग का गठन किया जाये।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (जादवपुर) : श्री उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने दल की ओर से, अपेक्षित पूरी गम्भीरता से इस वाद विवाद में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं और मुझे इस बात

में संदेह नहीं है कि इस सभा के सही ढंग से सोचने वाले सभी वर्ग इस मामले को यह समझकर उस पर विचार करेंगे और चर्चा करेंगे कि यह एक बड़ा राष्ट्रीय मामला है जिसका आज देश सामना कर रहा है। यह एक बहुत ही नाजुक मामला है और इससे लगभग सारे गुजरात पर प्रभाव पड़ा है। जैसा कि माननीय मंत्री, श्री पी० वेंकट सुब्बय्या ने अभी उस दिन कहा है, मेरा विश्वास है कि एक जिले को छोड़कर गुजरात के सभी जिले प्रभावित हैं।

एक प्रश्न के संबंध में, जिसने राज्य को लोगों का सीधा विभाजन कर दिया है और न केवल उसी राज्य में ही, प्रत्युत इसमें बहुत घातक रूप से फैलने की क्षमता है और यदि समाज के अधिक समझदार तत्वों एवं सरकार द्वारा इसकी रोकथाम करने के लिए प्रभावी पग नहीं उठाये गये, तो यह सारे देश के लिए एक बहुत ही गम्भीर मामला बन जाएगा। अतः जब हम देखते हैं कि एक प्रश्न ने लोकतांत्रिक लोगों की एकता को प्रभावित किया है, और इसके परिणामस्वरूप राज्य में सामाजिक और आर्थिक जीवन लगभग पूरी तरह विघटित हो गया है, तो हम उस मामले पर अत्याधिक गम्भीरता से विचार करते हैं। मैं इसे पूरी तरह स्पष्ट करना चाहता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई भी व्यक्ति स्वप्न में भी इससे भिन्न बात नहीं सोचेगा कि मेरा दल आरक्षण उपबन्धों को न केवल संविधान में ही प्रत्युत देश के कानूनों में भी रखे जाने का पूरी तरह समर्थन करता है।

अब यदि हम उस समय व्याप्त परिस्थिति पर विचार करें जब संविधान के निर्माता संविधान के अर्थात् देश के मूल कानून बनाये जाने पर विचार कर रहे थे, तब उन्होंने आवश्यक रूप से देश में व्याप्त उस स्थिति की ओर ध्यान दिया था, जिसके अन्तर्गत इस देश के लोगों के एक बहुत बड़े वर्ग को न केवल आर्थिक रूप से पद दलित स्थिति में रखा जा रहा था और आर्थिक रूप से शोषण किया जा रहा था, अपितु पिछले कई वर्षों से जातिवाद की एक ऐसी पद्धति भी विकसित हो गयी थी जो लोगों के बीच विभाजन की दरार उत्पन्न कर देश को खोखला बना रही थी। दुर्भाग्यवश लोगों को बहुत बड़े वर्गों को, जिन्हें अनुसूचित जनजातियां कहा जाता है, इस देश में साम्राज्यवादियों द्वारा अपनायी गई नीतियों के परिणामस्वरूप गरीबी की रेखा से बहुत नीचे रखा जा रहा था जिससे एक सामान्तवादी ढांचा पनप गया था। यह स्वीकार किया गया कि इस देश के बदकिस्मत भाइयों और बहनों को, जिन्हें न केवल आर्थिक लाभों से प्रत्युत मानवीय सभ्य व्यवहार से भी वंचित रखा जा रहा था। कुछ न्यूनतम सुरक्षा प्रदान की जानी आवश्यक थी। अतः यह बिल्कुल अनुकूल और उचित ही है जिसकी व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 16 (4) में की गई है कि कम से कम सरकारी नौकरियों के मामले में सरकार और संसद को उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करने के प्रयोजन से कानून अधिनियमित करने का अधिकार प्राप्त हो। और चूंकि सरकार सबसे अधिक नौकरियों को देनी वाली संस्था है और वर्तमान व्यवस्था के अधीन इस देश में सबसे अधिक नौकरियों की व्यवस्था सरकार ही करेगी अतः हरिजनों, अनुसूचित जनजातियों आदि आदि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं उनका आरक्षण अवश्य किया जाना चाहिए।

संविधान का एक उपबन्ध है जिस पर भरोसा किया जाता है। यदि मुझे इस सिद्धांत अर्थात

[ श्री सोमनाथ चटर्जी ]

संविधान के अनुच्छेद 335 के विन्दकों द्वारा गलत न समझा जाए तो मैं यह कह सकता हूं और यह अनुच्छेद 335 है। इस अनुच्छेद में बताया गया है कि आरक्षण के सिद्धांत को लागू करते समय प्रशासन की कार्यकुशलता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस तर्क के आधार पर कि प्रशासन की कार्यकुशलता को बनाये रखता है कुछ मांगें की गई हैं और यदि मैं पुनः कहूं कि कुछ निहित स्वार्थ वाले लोग यह कह रहे हैं कि पदोन्नतियों के मामले में प्रशासन में कार्यकुशता बनाये नहीं रखी जा सकती, तो मुझे गलत न समझ लिया जाए। इसके प्रति उठाई गई छोटी आपत्तियों में एक यह भी है। परन्तु, मैं थोड़ी देर बाद इसके बारे में बोलूंगा।

मैं उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लेख कर रहा था जिसे सम्भवतः अनेक माननीय सदस्यों को पढ़ने का समय नहीं मिला होगा या ऐसा करने की उनकी रुचि नहीं रही होगी। मैं इसकी ओर मानवीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करूंगा।

परन्तु हमें अवश्य ही एक बात यहां और अभी समझ लेनी चाहिए। यह मत सोचिये कि मैं केवल आलोचना करने की खातिर ही ऐसा कह रहा हूँ। मैं केवल तथ्य रख रहा हूँ। आज 30 वर्षों के आरक्षण के पश्चात भी स्थिति यह है कि इस समस्या का गम्भीर रूप से समाधान नहीं हो पाया है। हमने आरक्षणों की व्यवस्था की थी। हमने उन्हें इधर-उधर कुछ नौकरियां देने का प्रयास किया था। परन्तु क्या हम इस मामले में ईमानदार हैं? क्या हम कह सकते हैं कि हमने इस समस्या का समाधान कर लिया है? क्या दूसरे पक्ष का कोई माननीय सदस्य, मैं एक दल-गत झगड़े के रूप में नहीं पड़ना चाहता हूँ, ईमानदारी से यह कह सकता हूँ कि उसने हरिजनों अथवा अनुसूचित जनजातियों अथवा लोगों के पिछड़े वर्गों की समस्या का समाधान कर दिया है। दुर्भाग्यवश यह समस्या बढ़ती जा रही है। यह स्थिति की वास्तविकता है।

अतः इसका समाधान क्या है? हमारे संविधान के निर्माताओं ने यह सोचा था कि आरक्षण को हमेशा कायम नहीं रखा जाएगा। आपको याद होगा कि जब विधान मण्डलों में लोकसभा के प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर विचार किया गया था, तो शुरू में आरक्षण को दस वर्षों के लिए रखा गया था। अब इसे 30 वर्षों के लिए कर दिया गया है। इसके पश्चात इसे बढ़ाकर 40 वर्ष तक कर दिया गया है। हम प्रति दस वर्षों के लिए आरक्षण की अवधि को बढ़ाते चले आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्थिति हल होने की बजाए बिगड़ती जा रही है।

इसका एक समाधान है। हमें इस देश के अपने सामाजिक-आर्थिक ढांचे में कुछ मूलभूत परिवर्तन करने हैं। अन्यथा, इन लोगों का किसी प्रकार उद्धार नहीं किया जा सकेगा। वे भी हमारे समाज का ही एक अंग हैं। आप केवल आरक्षण करके ही भविष्य में सदैव के लिए उनका उद्धार नहीं कर सकते। यदि आप इस देश के सामाजिक-आर्थिक ढांचे में मूलभूत परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, तो आप इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। हम जानते है कि आप वैसा नहीं कर सकते। कठिनाइयां मौजूद हैं। 30 वर्षों से इस देश में एक सामाजिक-आर्थिक पद्धति को

विकसित किया गया है, पोषित किया गया है और जारी रखा गया है। हमने लोगों में लोगों के बीच असमानताओं को और व्यापक बना दिया है। आज वैसी स्थिति है।

इस समय मैं उस विशिष्ट मामले के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस संबंध में कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए हालांकि आप उन आरक्षणों का पूरी तरह समर्थन कर रहे हैं। हम देश के नागरिकों के एक वर्ग को कुछ विशिष्ट विशेषाधिकार कुछ न्यूनतम विशेषाधिकार, देने के निर्णय का समर्थन करना जारी रखेंगे। इसके साथ ही, मैं यह बताना चाहता हूँ कि स्थिति में वास्तविक रूप से क्रांतिकारी परिवर्तन करना होगा, हमें वर्तमान सामाजिक-आर्थिक पद्धति में परिवर्तन करना होगा। जब तक वैसा नहीं कर लिया जाता, तब तक, मैं जानता हूं कि इस आरक्षण को जारी रखना होगा।

कुछ अधिक नौकरियों की व्यवस्था करने में ही इस समस्या का समाधान निहित है। कई प्रश्न उठाये जा रहे हैं। माननीय सदस्य श्री सुखाडिया ने इस बात का उल्लेख किया था। यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अपेक्षित प्रत्याशी उपलब्ध नहीं हैं तो रिक्त स्थानों को एक वर्ष आगे के लिए ले जाने की भी समस्या है।

फिर 'आगे ले जाने' के सिद्धान्त का अनुसरण किया गया है। यदि एक वर्ष तक भी प्रत्याशियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होती है, तो उसे अगले वर्ष के लिए "आगे ले जाया" जाता है। कई बार ऐसा हुआ है। कई बार 45% था, तो कई बार 50% तथा कई बार 55% भी रहा है। एक वर्ष तक के लिए, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों आदि के लिए भर्ती आरक्षित रखी गई क्योंकि उपयुक्त प्रत्याशी उपलब्ध नहीं थे।

इसके बाद प्रश्न यह आता है कि क्या आरक्षण का यह कोटा भर्ती के समय ही बनाये रखा जाना चाहिये या पदोन्नति के समय पर भी इसे बनाये रखा जाना चाहिए ? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम यह महसूस करते हैं कि ऐसा पद्धोन्नति के मामले में भी किया जाना चाहिए क्योंकि हमारे देश में इन लोगों को ऐसे अवसरों से पूर्णतया वंचित रखा गया है। यदि इसके करने से रास्ते में कुछ कठिनाइयां हो तो हमें एक साथ बैठकर बातचीत द्वारा उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। परन्तु 'आगे ले जाने' वाले सिद्धान्त के अनुरूप ही, इस सिद्धांत का अनुसरण भी किया जाना चाहिए। केवल मात्र यह कहना कि इससे अन्य लोगों को नौकरी नहीं मिल सकेगी क्योंकि यह 'आगे ले जाने' का सिद्धांत विद्यमान रहेगा, परन्तु जिस प्रकार बकाया राशि एकत्रित हो जाती है, उसी प्रकार आरक्षण भी एकत्रित हो जायेगा; यही सिद्धांत तो बनाया गया है; इसलिए अन्य वर्गों के लोगों को इससे हानि नहीं होगी। श्रीमान जी, इसलिए मैं सभी को, केवल अपने यहां बैठे मित्रों को ही नहीं, बाहर के लोगों को भी बता देना चाहता हूं कि इससे अन्य वर्ग के लोगों को किसी प्रकार की हानि होने वाली नहीं है, लोगों को इस प्रकार की भ्रामक मृग-तृष्णा का शिकार नहीं होना चाहिए। यह मृग-तृष्णा दी है कि यदि आरक्षण नहीं होगा तो देश के सभी बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल जायेगा। उन्हें प्रर्याप्त मात्रा में रोजगार नहीं मिल सकता क्योंकि रोजगार के

[ श्री सोमनाथ चटर्जी ]

लिए अधिक अधिक लोग आगे आ रहे हैं जबकि रोजगारों की संख्या काफी कम है। इसलिए यदि आरक्षण जारी भी रहें तो भी देश के बेरोजगार लोगों को पर्याप्त रोजगार मिलने वाला नहीं है। इसलिए यह हमारा कर्त्तव्य है जिन्हें उनका अधिकार नहीं दिया गया है, जिनका शोषण किया जाता रहा है, तथा सदियों तक निरन्तर जिनका दमन किया जाता रहा है उन्हें कम से कम यह अधिकार दिया ही जाना चाहिए।

श्रीमान जी, हाल ही के उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय में बहुत ही प्रसिद्ध न्यायाधीश—मुझे खेद है कि वह सेवा निवृत हो गये हैं—ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि जहां तक ऊंचे पदों का सम्बन्ध है, सम्भवत: यह रेल आरक्षण का मामला था, मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय, इस निर्णय के बारे में जानते हैं। न्यायाधीश कृष्णा आयर ने कहा :

"चूंकि हमारा समाजिक ढांचा धर्म तन्त्रता पर आधारित है इसलिए समाज के उच्च वर्ग के लोग ही वास्तविक कलैक्टर है, निम्न स्तर के लोग नहीं। स्पष्ट है कि अनुच्छेद 16 (4) का उद्देश्य सरकारी सेवा में अधिक हरिजनों को सफाई कर्मचारियों के रूप में भर्ती करने का नहीं था अर्थात् उसका उद्देश्य तो उन्हें अधिकारियों तथा बड़े-बड़े अफसरों के पदों के लिए भर्ती करवाना भी था जिससे कि प्रशासनिक शक्ति पर बड़े तथा छोटे दोनों का एक-सा अधिकार हो सके और जिससे कि एक अनुकूल तथा एकीकृत समुदाय बनाया जा सके।"

श्रीमान जी, यह हमारा निवेदन है। इसलिए केवल यह कह देना कि रेलवे में सफाई वाले चतर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में सबसे अधिक अनुसूचित जातियों के सदस्य हैं, समस्या का समाधान नहीं हो जाता। इसलिए हमारा निवेदन है कि इन सदस्यों को, तो बनाये ही रखना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि इसे सही ढंग से क्रियान्वित किया जाये।

श्रीमान जी, यह भी कहा गया है कि इन लोगों को नौकरियों में अनुपात के अनुसार नहीं लिया गया है। श्रीमान जी, इन आंकड़ों की एक स्थान पर एकत्रित करवाने सम्बन्धी निर्णय में, सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में उपलब्ध करवाये गये आंकड़ों का उस मामले में उल्लेख करते हुए कहा है :

"केन्द्रीय सरकार द्वारा जो तालिका उपलब्ध करवाई गई है, उसमें दर्शाया गया है श्रेणी प्रथम के कर्मचारियों में अनुसूचित जातियों के सदस्यों को लगभग 7 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया गया है, श्रेणी दो में 9.5 प्रतिशत तथा श्रेणी तीन में 11.1 प्रतिशत को तथा यहां तक कि श्रेणी चतुर्थ में (सफाई वालों को छोड़ कर) 18 प्रतिशत को लिया गया है। हरिजन तथा अन्य समुदायों के लोग ऐसी नौकरियों अपमानजक समझते हैं। अत: सफाई कर्मचारियों में 85 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। ऐसा उन्हें प्रतिनिधित्व देने के लिए नही किया गया है, अपितु ऐसा इसलिए हुआ कि इस प्रकार की आवश्यकता पूर्ण नौकरियों के लिए अन्य जातियों के लोग आगे ही नहीं आते थे।

योग्य न्यायाधीश ने आगे उल्लेख करते हुए अपनी टिप्पणी में बताया :

"विवरण में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं, वह हमने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदनों में से लिये हैं,तथा निष्कर्ष रूप में उनसे यह स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जनजातियों के लोगों को सिविल सेवाओं में अनुपात के अनुसार नौकरियां प्रदान करने में अभी काफी समय लगेगा। दूसरी तथा तीसरी श्रेणी की समग्र केन्द्रीय सेवाओं में इनकी संख्या 3.84 प्रतिशत से 7.37 प्रतिशत है और 9.27 प्रतिशत से 12.55 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के तथा 6.37 प्रतिशत से 1.03 प्रतिशत तथा 1.47 प्रतिशत से 3.11 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के लोग हैं···"

"···यद्यपि उनकी पात्रता क्रमशः 15% तथा 7½% है। 33 वर्ष के लम्बे अर्से के बाद शोषित वर्ग के हरिजनों तथा गिरीजनों के बारे में की गई कितनी मार्मिक टिप्पणी है।"

देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो खेद तथा दुःख व्यक्त किया गया है; जब न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न निर्णय हेतु आया कि क्या संवैधानिक ढांचे के अनुसार 50 प्रतिशत आरक्षण किया जाये या नहीं, तो उस समय हमारे न्यायाधीशों द्वारा यह खेद तथा दुःख व्यक्त किया गया।

जहां तक गुजरात का सम्बन्ध है, मैं इनका पता लगाने का प्रयत्न कर रहा हूं; यदि मेरे आंकड़े ठीक न हो तो उन्हें ठीक कर दीजिगा। स्नाकोत्तर डाक्टरी कोर्सों में किये गये 25 प्रतिशत के आरक्षण, में से गत छः वर्षों के दौरान केवल 5 प्रतिशत या उससे भी कुछ कम के आरक्षण का उपयोग किया गया है। मुझे यह आंकड़े किसी पुस्तक में मिले थे। इसीलिए मैंने कहा था कि यदि मेरे आंकड़े गलत हो तो उन्हें ठीक कर दिया जाये। प्रोफेसरों, सहायक प्रोफेसरों, अध्यापकों आदि के 737 पदों में से केवल 22 पदों को ही अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के सदस्यों से भरा गया जबकि उनका कोटा 25 प्रतिशत का था। वहां इस प्रकार की निन्दनीय स्थिति बनी हुई है। यह कहना वहां तक ठीक है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्नाकोत्तर स्तर की डाक्टरी कक्षाओं में आवश्यकता से अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया है? इसीलिए यह आन्दोलन आरम्भ हुआ। अब क्या हो रहा है? जिसे आरम्भ में केवल एक स्नाकोत्तर स्तर से मैडिकल कालेज के छात्रों का आन्दोलन समझा जा रहा था, वह अब सम्पूर्ण राज्य में फैल गया है। यद्यपि गुजरात के मुख्य मंत्री ने आन्दोलन के नेताओं तथा मैडिकल छात्रों और कुछ राजनीतिक नेताओं के साथ, बातचीत की, परन्तु फिर भी जो कुछ हुआ—वह इस प्रकार है जिसे मैं आज के 'स्टेट्समैन' से उद्धृत कर रहा हूं :

"जब बैठक अभी चल ही रही थी, तो गुजरात की आरक्षण-विरोधी समिति ने प्रत्येक क्षेत्र में से आरक्षण को दूर करने की मांग करते हुये, एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि यदि डाक्टरों-छात्रों का सरकार के साथ समझौता हो जाता है और वह अपना आन्दोलन निलम्बित कर देते हैं, तो भी हमारा यह संघर्ष जारी रहेगा।"

स्थिति इतनी गंभीर है। अब क्या देखने को मिला है? हमारे नेता श्री समर मुखर्जी अहमदाबाद

[ श्री सोमनाथ चटर्जी ]

गये थे। इस दुर्भायवश वह पूर्व निर्धारित किसी अन्य महत्वपूर्ण कार्यवश यहां उपस्थित नहीं है। मुझे उनसे यह मालूम हुआ है कि वहां हरिजनों पर व्यापक रूप से आक्रमण किये गये हैं तथा उन्हें सताया जा रहा है; यहां तक कि ऐसे क्षेत्रों में जहां कि इस मामले का कोई सम्बन्ध नहीं था ; वहां हरिजनों पर जानबूझ कर आक्रमण किये गये हैं; ऐसा लगता है कि हरिजनों तथा अन्य कमजोर वर्ग के लोगों पर सुव्यवस्थित ढंग से आक्रमण किये गये हैं। हरिजनों पर पुलिस द्वारा भी अत्याचार किया गया है। आजकल हमें अपने देश में ऐसा देखने को मिल रहा है। श्रीमानजी, आपको मालूम ही है कि मुरादाबाद में पुलिस द्वारा किस प्रकार की भूमिका निभाई गई। वह भी आपस में बंट गये। त्रिपुरा में क्या हुआ ? वहां भी वैसा ही हुआ। पुलिस, कानून जो कि कानून और व्यवस्था को बनाये रखने के लिए है, वह ही क्षेत्रीय समस्याओं, पक्षपात पूर्ण मामलों तथा साम्प्रदायिक आधार पर बंट गई। जहां पुलिस में एक वर्ग के लोगों का बहुल्य हो तो दूसरे वर्ग को शिकार बनाया ही जाता है और गुजरात में यही हुआ। पुलिस के खिलाफ गंभीर शिकायतें तथा आरोप लगाये गये हैं क्योंकि उन्होंने दलित लोगों को और अधिक परेशान किया···

**उपाध्यक्ष महोदय** : सामान्यत: अल्प-कालीन चर्चा एक घंटे के लिए होती है। मैं इस संबंध में सभा का मत जानना चाहता हूं। मैं समय निर्धारित करना चाहता हूं।

**कुछ माननीय सदस्य** : रात 9 बजे तक।

**उपाध्यक्ष महोदय** : हम 9 बजे के बाद नहीं बैठेगें। यदि प्रत्येक सदस्य 10 मिनट से अधिक समय न ले, तो हम इसे पूरा कर लेंगे।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : इसमें सरकार को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। विरोधी दलों का पुलिस पर नियंत्रण नहीं है। मैं एक राजनीतिक मुद्दा प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहा हूं। परन्तु सरकार अपने इस दायित्व से विमुख हो सकती कि कानून और व्यवस्था बनाये रखने का काम उसी का है।

मैं इस बात को जानता हूँ कि हम यहां पर किसी राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति पर विचार नहीं कर सकते। लेकिन अध्यक्ष महोदय ने इस चर्चा की अनुमति देने की कृपा की है और हम कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा नहीं कर रहे, जो लगभग हर राज्य में एक जैसी होती है बल्कि उन प्रश्नों पर विचार कर रहे हैं जो वहां चल रहे आंदोलन से पैदा हुये हैं। यदि पुलिस किसी वर्ग विशेष का पक्ष लेती है तो यह एक गम्भीर बात है। हमारा यह अनुभव है कि अब तक पुलिस देश के अन्य भागों में जाति रही है और लोगों को जाति और साम्प्रदायिकता के आधार पर विभक्त करती रही है। अब भी ऐसी ही स्थिति पैदा हो गयी है। चिकित्सक विद्यार्थियों ने एक आन्दोलन चलाया जिसने अब आरक्षण विरोधी मांग के आंदोलन का रूप धारण कर लिया

है। इन बातों को ध्यान में रखते हुये हम सरकार से मारा करते हैं कि इस बारे में कोई सख्त कार्यवाही की जाए ·····(व्यवधान) महोदय, यह भारत की संसद है···(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय :** ये सब बातें कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नही होंगी। हम एक गम्भीर भाषण सुन रहे हैं·····कृपया अपना भाषण जारी रखें।

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** यदि सत्तारुढ़ दल के माननीय सदस्य इस प्रकार पेश आ रहे हैं तो हमें उनकी नीयत के बारे में संदेह होता है। यदि सरकारी पक्ष अपने सदस्यों को नियंत्रित नहीं कर सकता और यदि ऐसे मामलों में उनकी प्रतिक्रिया इस प्रकार की है तो इससे सिद्ध होता है कि वे इस मामले को कितना महत्व देते हैं·····

**श्री पी० बेंकटसुब्बया :** हम इस चर्चा को गम्भीरता, प्रतीष्ठा और गरिमा के साथ चलाना चाहते हैं।

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** मैं खत्म करने जा रहा था···

मैं मंत्रियों से भी अनुरोध करता हूँ—उनमें से सभी यहां उपस्थित हैं—कि वे वहां की सरकार को इस बारे में प्रभावित करें कि नजरबंदी कानूनों के भेदभावपूर्ण प्रयोग उस समय तक लाभदायक सिद्ध नहीं होगा जब तक कि लोग यह न अनुभव करें कि कानून चलाने वाले अधिकारी निष्पक्ष होकर काम करेंगे और लोगों को परेशान नहीं किया जायेगा और कोई भी अत्याचार नहीं किये जायेंगे क्योंकि कमजोर वर्ग इसका शिकार हो रहे हैं और उन्हें अधिक संख्या में परेशान किया जा रहा है। मैं यह नहीं कह रहा कि कोई भी अत्याचार नहीं किये अथवा अनुसूचित जन-जाति के लिये कोई कठिनाईयां पैदा नहीं की गयी। यदि कोई सच्ची शिकायतें हों तो उनकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिये लेकिन यह देखना जरूरी है कि पुलिस अथवा सरकार अथवा प्रशासनिक मशीनरी पक्षपातपूर्ण रवैया न अपनाये। जिन्होंने—हरिजनों ने इस मामले में कष्ट भोगे हैं उन्हें हुई क्षति के मुआवजे सहित उचित संरक्षण दिया जाना चाहिये। और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार की घोषणा का किया जाना अनिवार्य है। आप अन्य राज्यों को देखने के बजाय अपने आपको टटोलिये। कृपया ऐसा कीजिये। यदि किसी राज्य में ऐसा होता—अन्य राजनैतिक दलों द्वारा शासित राज्यों में ऐसा होता तो क्या होता ? अतः यह बात शर्मनाक है कि ऐसे देश में यह सब हो रहा है जिसने महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति को पैदा किया। आपको इस बात के लिये भी शर्म अपनी चाहिये कि ऐसा उन राज्यों में हो रहा है जहां आपका शासन है। क्या वे लज्जित हैं ? हम बहुत चिंतित हैं। हम चर्चा के लिये सामग्री एकत्र नहीं कर रहे हैं।

अतः मैं मांग करता हूं कि मुआवजे की अदायगी के लिये घोषणा की जाये। ऐसी धारणा भी है कि कुछ समय से समाचार पत्र सनसनीखेज समाचार प्रकाशित करते आ रहे हैं। मेरे नेता

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[ श्री सोमनाथ चटर्जी ]

को ऐसी शिकायत मिली है कि कुछ समाचारपत्र—मैं राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र नहीं कहता—सनसनीखेज समाचार प्रकाशित कर रहे हैं।

अतः सभा से देश के हर व्यक्ति, सभी बुद्धिमान को अपील की जानी चाहिये—केवल मेरे अथवा मेरे दल से नहीं—कि हम एक ऐसा वातावरण तैयार करें जिससे हम सामान्य स्थिति कायम कर सकें जिसमें लोगों को बातचीत के लिये अपने सामने बिठा सकें और समस्याओं को इस तरह सड़कों पर, हिंसा, आगजनी और लूट के सहारे न हल करें। यह हमारी अपील है। मुझे आशा है कि श्री मकवाना मुझे गलत नहीं समझेंगे। वे इस समस्या के बारे कुछ भावुक हैं। श्री राजदा ने कहा है कि गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री मकवाना वहां एक अंतरंग मित्र की तरह काम कर रहे हैं।

आप इसके अर्थ को समझिये। वहां भी इसी से समस्या पैदा हो रही है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या यह शब्दावली कानूनी है ?

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : कानूनी रूप से उपयुक्त कानूनी शब्दावली।

मैंने किसी का नाम नहीं लिया क्योंकि आप यहां बैठे थे। इस प्रकार की धारणा इसलिए बनी है क्योंकि समाचार पत्र ऐसा कहते हैं। आंदोलन शुरू होने के बाद जो कुछ हुआ वह इस प्रकार है। विधान सभा के कुछ माननीय विधायकों ने कुछ सार्वजनिक बयान दिये थे जो उस पक्ष के हैं जो मुख्य मंत्री को अयोग्य और असमर्थ कहते हैं। इसके कुछ परिणाम निकले।

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री चटर्जी, आपने अभी कहा है कि स्थानीय समाचार पत्रों ने कुछ सनसनीखेजपूर्ण समाचार प्रकाशित किये हैं। इसका कारण भी नहीं हो सकता है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : उन्हें वैसा कहने दीजिये। ये इसे अस्वीकार नहीं कर सकते। हम समझते हैं कि इनके दल को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है जिसके कारण भी एक समस्या पैदा हो रही है। मेरे पास एक ज्ञापन है जिससे सिद्ध होता है कि 30 दिसम्बर के मुख्य मंत्री के सामने कुछ मांगें रखी गयीं। ऐसा प्रतीत हुआ कि 9 जनवरी तक लगभग सभी मांगें स्वीकार की गयीं। अब कठिनाई यह है कि 9 जनवरी को कैरी-फारवर्ड सिस्टम को समाप्त किया गया। अदला-बदली अथवा अनुपयुक्त आरक्षित सीटें समाप्त की गयी या इन्हें समाप्त करने की मांग की गयी। अतिरिक्त सीटें बनानी पड़ी। आवश्यकता पड़ने पर, इन्हें बनाया भी गया। लेकिन आपने समाज के अन्य वर्गों की सलाह नहीं ली। ज्योंहि इन चिकित्सक विद्यार्थियों ने चार मांगें कीं, तो सरकार ने उन्हें तत्काल स्वीकार कर लिया। इससे लोगों के मन में एक बड़ा संदेह पैदा हुआ। ज्योंही विद्यार्थियों ने अपनी मांगें रखीं तो सरकार ने उन्हें 15 दिनों के अंदर स्वीकार कर लिया। आपने आरक्षण समाप्त करने अथवा कैरी-फारवर्ड समाप्त करने के लिये अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों की सलाह नहीं ली।

क्या यह कोई समाधान है ? हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। मैं जानता हूं कि जब भावनायें उमड़ती हैं तो वहां समझदार लोग काम नहीं कर सकते। ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों के कुछ वर्ग, जो इस आंदोलन को तेज करके लाभ उठाना चाहते हैं, के बीच कुछ राजनैतिक दल अथवा ग्रुप अथवा ऐसे लोग हैं जो लोगों के बीच विभाजन पैदा करना चाहते हैं। यह भी सम्भव है कि सत्तारुढ़ दल में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ लोगों को हटाकर तथा उनका स्थान लेकर एक अस्थायी लाभ उठाना चाहते हैं। सम्भवतः ऐसी बातें हो रही हों। इसीलिये लोगों को भय भी है। यह बहुत ही गम्भीर बात है। इस प्रकार की परिस्थिति का यदि आप सुदृढ़ता से सामना न करें तो आप समस्या का समाधान नहीं कर सकते। एक भूतपूर्व संसद सदस्य ने जारी किये गये एक ज्ञापन में कहा है :

"चिकित्सा विद्यार्थी गुजरात के मुख्य मंत्री को मिले थे और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में आरक्षण करने सम्बन्धी अपना वक्तव्य दिया है कि उन्होंने यह कहा कि "आपकी मांगें न्यायोचित तथा उचित है; हमारा दिल भी दुखी है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं ? आरक्षण कोटा जनता सरकार द्वारा बनाये गये आरक्षण नियमों के अनुसार निश्चित किया गया था। आप जनता सरकार की नीति के कारण नुकसान भोग रहे हैं।"

इतना सुनने पर भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूभाई पटेल ने इस आशय का एक वक्तव्य जारी किया कि आरक्षण-नीति को राज्यपाल के शासन के दौरान 1975 में अपनाया गया था।

आयुर्विज्ञान-छात्र जब मुख्यमंत्री महोदय से मिले तो उन्होंने उनकी पीठ थपथपाई। वे आगे कहते हैं :

"हरिजन प्रतिनिधि स्वास्थ्य और पूर्ति मंत्री, श्री मनोहरसिंह जादेजा से मिले और उनके द्वारा पदों के अगले वर्षों तक भरने की नीति को रद्द किए जाने का विरोध किया। उन्होंने भभककर कहा "मैं जादेजा राजपूत हूं—दरबार राजकुमार। मेरे शब्द बदले नहीं जा सकते हैं।" उसके बाद हरिजन नेता और आयुर्विज्ञान छात्र मुख्यमंत्री श्री माधवसिंह सोलंकी से मिले और उनसे आगे ले जाये जाने वाले पदों को रद्द करने वाले सरकारी आदेशों को वापिस लेने का निवेदन किया। उन्होंने कहा "आपकी ओर से न ही तो कोई गम्भीर आन्दोलन हो रहा है और न ही कोई हलचल दिखाई दे रही है। मैं क्या कर सकता हूं ? मुझे आन्दोलन को दूसरी ओर से भी सुनना है और आज्ञा पालन करना है। आन्दोलन के बिना किसी को भी अच्छे भविष्य की आशा नहीं करनी चाहिए।"

यह तो स्थिति है। मैं साक्षात्कार के समय तो उपस्थित नहीं था परन्तु मैं उस ज्ञापन से पढ़ रहा हूं जो मुझे संसद के एक जिम्मेदार भूतपूर्व-सदस्य से प्राप्त हुआ। महोदय मैं उन छात्रों से और उन सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं जो गुजरात में हो रहे आन्दोलन में भाग ले रहे हैं। मैं यह समझता हूं कि उनमें कोई मतभेद नहीं है।

सभी राजनीतिक दलों की ओर से मैं उन लोगों से निवेदन करता हूं—वे चाहे जहां कहीं भी हों—कि वे तुरन्त आन्दोलन को निलम्बित करके उसे वापिस ले लें और बातचीत शुरू कर

[ श्री सोमनाथ चटर्जी ]

दें। मुझे विश्वास है कि मुख्यमन्त्री महोदय ने सभी राजनीतिक दलों को आमन्त्रित किया होगा। कुछ राजनीतिक दलों ने उसमें भाग लिया था और कुछ ने नहीं।

**श्री पी० वेंकट सुब्बैया** : इस ज्ञापन से उद्धरण देकर आप स्थिति को हल करने में सहायता नहीं कर रहे हैं। मेरा विचार था कि आप कोई संयत भाषण करने वाले हैं, परन्तु जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, उनसे स्थिति के सुधरने में सहायता नहीं मिलेगी।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : इसे व्यापक रूप में प्रसारित किया जा रहा है और वह भी एक भूतपूर्व सांसद के हस्ताक्षरों के अधीन। इसलिए, यह मत सोचिए कि दूसरों को इसका पता नहीं है। यदि यह बात सही नहीं है तो इसका खण्डन करने का यही अवसर है। मैं आपको वह अवसर प्रदान कर रहा हूं।

महोदय, मेरा आप सबसे आपसी बातचीत करने का निवेदन है। हो सकता है यहां-वहां समझौता करने की आवश्यकता हो। आरक्षण नीति को यथास्थिति रखते हुए इस बात पर हम सबको सहमत होना है कि इसे आगे चालू रखना है या नहीं; क्या नई सीटों को जमा करते जाना है या उनका सृजन करना है। इस समस्या को तो हल करना ही होगा। संसद से यह अपील बाहर जाने दो और मेरा सरकार से निवेदन है कि इस मामले को अपेक्षित गम्भीरता से लिया जाए। आपकी अनुमति से, मैं अपनी बात न्यायमूर्ति अय्यर के निर्णय से कुछ पंक्तियां पढ़कर समाप्त करूंगा। यह हम सबके लिए सहायक रहेगी।

> "आर्थिक रूप से पिछड़े हुए और सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग, वास्तव में 'निर्धन-वर्ग' के लोग हैं तथा उन्हें पर्याप्त जोर डालकर, आर्थिक-व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए संयुक्त रूप से कार्यवाही करनी चाहिए और अनुच्छेद 38 को जीवित सच्चाई बनाना चाहिये। विद्यमान आर्थिक व्यवस्था में सामाजिक न्याय दिलाने के लिए की गई संयुक्त कार्यवाही को इन दो वर्गों के बीच का मनोमालिन्य कमजोर बनाता है। सच्चाई यह है कि रोजगार का बाजार दयनीय रूप में एक म्यूजिकल चेयर व्यवसाय बनकर रह गया। जब मानव को भूखों मरना पड़ता है तो अपने कमजोर वर्ग के भाइयों के लिए उनकी सहानुभूति गायब हो जाती है। जैसा कि इन रिट-याचिकाओं से प्रतिबिम्बित है, देश की समस्याओं का सच्चा समाधान लाखों लोगों के लिए विकास कार्यों को बढ़ावा देने में है, न कि भारतीय जीवन के सर्वाधिक कमजोर क्षेत्र के उस निवाले को भी हड़प लेने में हैं जिसका उसे न्यायसंगत अधिकार है। प्रशासन को भी अच्छी तरह याद होगा कि यदि इस स्थिति को अनुच्छेद 38 के अनुकूल नहीं बनाया जाता है तो लम्बे धैर्य के पश्चात् भारतीय लोगों को निराशा से खतरा उत्पन्न हो जायेगा।"

महोदय, मैं माननीय न्यायाधीश के विचार से सहमत हूं और मैं कहता हूं कि जब तक ऐसा नहीं कर दिया जाता, हमें समस्या को हल करने के उत्तम प्रयास शीघ्रातिशीघ्र करने चाहियें। धन्यवाद।

***श्री उत्तमभाई एच० पटेल*** (बलसार) : अध्यक्ष महोदय, गुजरात में आरक्षण के नाम पर आज जो आंदोलन चल रहा है वह हमारे देश और समग्र मानव जाति के लिए खेदजनक और शर्मनाक है। संसद ने इसकी जो निन्दा की है वह उचित ही है।

आज गांधी जी के गुजरात में जो हिंसा का तांडव हो रहा है, उसको यदि बुद्धिमानी से रोका नहीं गया, तो वह सारे देश को वर्ग संघर्ष की ओर ले जायेगा। क्या हमें इस प्रकार की परिस्थिति पैदा करने में दिलचस्पी होगी ?

मैं सभी राजनीतिक दलों से निवेदन करता हूं कि वे इस प्रकार की संकुचित मनोवृत्ति वाले आन्दोलनों के प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से साझेदार न बनें और अपनी नीति को स्पष्ट करें। हाथी के दांतों की तरह करनी और कथनी में भेदभाव न बरतें।

आज देश की एकता सुदृढ़ करने की तथा गरीबी से लड़ने की विशेष आवश्यकता है। ऐसे समय में हमें अपनी बुद्धि और बल के इस प्रकार के उल्टे प्रदर्शन करने की क्या आवश्यकता है ?

अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित आंकड़ों से यह स्पष्ट हो जाता है कि गुजरात में चल रहे इस आंदोलन में कितना क्या तथ्य है :

1. मेडिकल कालिजों में प्रोफेसर्स के 106 पद हैं। इनमें से अनुसूचित जनजाति को एक ही पद दिया गया है।
2. एसोसिएट प्रोफेसरों के 101 पदों में से अनुसूचित जाति को एक पद दिया गया है।
3. असिस्टेंट प्रोफेसर्स के 293 पदों में से अनुसूचित जाति को 5 पद दिए गये हैं।
4. ट्यूटर 237 हैं, जिनमें से अनुसूचित जाति के 15 तथा अनुसूचित जनजाति के 2 हैं। कुल 737 स्थानों में से अनुसूचित जाति के 22 और अनुसूचित जनजाति को 2 स्थान प्राप्त हैं।

इन आंकड़ों से आंखें खुल जाती हैं। इस हालत में गुजरात सरकार का आरक्षण की व्यवस्था जारी रखने का फैसला कितना उचित है। वह आप जान सकेंगे। इसके अलावा सरकार ने और भी जो अन्य उदारता व्यक्त की है, वह सराहनीय है।

इतिहास बताता है कि भूतकाल में कथित सज्जन ने एकलव्य भील होने के कारण उसका अंगूठा काट लिया था। क्या इस युग में ऐसी भूल कोई करेगा ?

**श्री सूरजभान** (अम्बाला) : उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ी कन्ट्रोवर्सी की बात है। लोग वाल्मीकि को डाकू कहते हैं, हम इसके लिए एतराज करते हैं। मेहरबानी करके ऐसी बात मत कीजिए।

---

* गुजराती में दिए गए मूल भाषण का हिन्दी रूपान्तर।

**श्री उत्तमभाई एच० पटेल** : आप समझे नहीं हैं। मैं गुजराती में "वालिया भील" बोला हूं।

कहा जाता है कि कम नम्बर पाने वाला व्यक्ति डाक्टर कैसे बन सकेगा ? लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कि एक "वालिया" भील वाल्मीकि ऋषि बन सकता है और रामायण भी लिख सकता है। इस बात को भी हमें याद रखना होगा।

जब हम स्वय शीशे के मकान में रह रहे हों तो क्या उस समय दूसरे के घर पर पत्थर फेंकना हमारे लिए उचित माना जाएगा ?

मैं आंदोलनकारियों से यह अपील करूंगा कि कृपया वे इस सोते सांप को जगाकर क्रोधित करने की भूल न करें।

श्रमजीवियों के सहयोग के बिना केवल बुद्धि और धन से उन्नति नहीं हो सकती।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहूंगा कि क्या अव्यवस्था, आगजनी, पथराव करना, निर्दोषो की पिटाई करना, हत्याएं करना यह सब अच्छे लोकतन्त्र के लक्षण हैं। इस समय सरकार को अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना ही होगा। गुजरात सरकार ने भी इसके बारे में उचित रवैया अपनाया है।

आखिर में मैं आशा करूंगा कि हमारी प्रधानमन्त्री के अनुरोध को ध्यान में रखकर तथा गुजरात के मुख्यमन्त्री की उदारता को देखते हुए गुजरात की बुद्धिमान जनता तथा वहां का छात्र वर्ग अपना आन्दोलन वापस ले लेंगे।

आखिर में, मैं इस सदन के सभी दलों से भी निवेदन करूंगा कि वे सब आम सहमति से आंदोलनकारियों को अपना हिंसक आंदोलन वापस लेने की अपील करें। धन्यवाद।

ईश्वर अल्ला तेरे नाम,
सब को सन्मति दे भगवान।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रत्येक माननीय सदस्य 10 मिनट से अधिक समय नहीं लेगा।

**श्री रामविलास पासवान** (हाजीपुर) : जी नहीं, अभी आधा घंटे बोले हैं दूसरे माननीय सदस्य।

**उपाध्यक्ष महोदय** : हमने सदन का समय केवल 9 बजे रात तक बढाया है। मैं किसी भी सदस्य को 10 मिनट से अधिक बोलने का समय नहीं दूंगा। मुझे तो हर सदस्य को समय देना है? यदि आप 10 मिनट में अपना भाषण समाप्त नहीं कर लेते तो मैं दूसरे सदस्य को बुला लूंगा।

**श्री मनीराम बागड़ी** (हिसार) : 10 बजे तक बैठ जाएं।

**श्री रामविलास पासवान** : आप पहले सुनते जाइये। आप हिन्दी तो समझते नहीं हैं। हम रात के बारह बजे तक बैठ सकते हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं आपकी हिन्दी समझ रहा हूं, परन्तु हमने यह निर्णय कर लिया है कि हम 9 बजे के बाद नहीं बैठेंगे ।

**श्री रामविलास पासवान :** उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे एक साथी ने दिया है कि गुजरात में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो प्रोफेसर्स हैं, उनकी कितनी संख्या है। वहां पर जो रिजर्वेशन की पालिसी है, आप के माध्यम से मैं सदन को बतला दूं कि वहां पर जितनी पापूलेशन है, उसमें मात्र 7 परसेन्ट शेड्यूल्ड कास्ट्स है और उसके लिए शेड्यूल्ड कास्ट्स की सीटें केवल 7 परसेन्ट रिजर्वड हैं, 14 परसेन्ट रिजर्वड हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए और 10 परसेंट सीटें बैकवर्ड क्लासेज के लिए रिजर्वड हैं । इस तरह से कुल मिलाकर 31 परसेन्ट सीटें रिजर्वड हैं और इन 31 परसेंट सीटों में से, जैसा कि अभी हमारे एक साथी ने कहा है, केवल 5 परसेंट अभी तक पूरी हो पाई हैं । 31 परसेंट में केवल 5 परसेंट हुई हैं यानी 26 परसेंट सीटें बकाया पड़ी हैं ।

इस आन्दोलन की शुरूआत कैसे हुई ? यदि इस आन्दोलन की पृष्ठभूमि में आप जाएं और कहानी के रूप में उसके तथ्यों को पढ़ लें, तो मंशा साफ झलक जाएगी की इस आन्दोलन के पीछे कौन तत्व हैं और किन का हाथ इस आन्दोलन के पीछे है। आन्दोलन की शुरूआत 8 जनवरी से पहले होती है । लेकिन आन्दोलन असली शेप लेता है 8 जनवरी को । 8 जनवरी, 1981 को मेडिकल कालेज के छात्र गुजरात के स्वास्थ्य मन्त्री को मेमोरेण्डम देते हैं और धमकी देते हैं कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी गईं, तो हिंसा पर उतारू हो जाएंगे । गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री को 8-1-81 को मेमोरेण्डम दिया गया और 9-1-81 को "केरी फारवर्ड" की पालिसी को खत्म कर दिया, बिना सोचे-समझे । आन्दोलनकारियों का इससे मन बढ़ा और जब मन बढ़ा तो मेडिकल कालेज के छात्रों ने मुख्य मंत्री को 14-1-81 को मेमोरेण्डम दिया और 14-1-81 के मेमोरेण्डम के सामने मुख्य मंत्री झुक गये और मुख्य मत्री ने शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की रिजर्वड पोस्टों में जो इन्टरचेन्ज होता था, उसको भी खत्म कर दिया । इस तरह से आन्दोलनकारियों ने जब दो-दो किले फतेह कर लिये, तो फिर वे आगे बढ़े । 4 किलों में से जब दो किले फतेह हो गये, तो उसके बाद मुख्य मंत्री ने, जैसा हमारे साथी बतला रहे थे, चटर्जी साहब बतला रहे थे, उनको शाबासी दी और कहा, वाह बहादुरो, एकदम बढ़ते चलो, घबड़ाने की कोई बात नहीं है ।

**श्री अहमद मौहम्मद पटेल** (भड़ौंच) : उन्होंने मेमोरेण्डम में से कोट किया है जो गलत भी साबित हो सकते हैं ।

**श्री रामविलास पासवान :** जब आपका मौका आएगा, तो आप कहिएगा, सारी बात कहियेगा लेकिन अभी हमारी बात सुनिये । यहां पर केवल शेड्यूल्ड कास्ट्स का मामला ही नहीं है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का मामला भी है, बैकवर्ड कम्यूनिटीज का भी मामला है, सबका मामला जुड़ा हुआ है और निशाना हरिजनों को लगाया है लेकिन कहां तक मामला बढ़ेगा, वह भी बतलाऊंगा, आप शान्तिपूर्वक सुनिये । मुख्य मंत्री ने उनको शाबासी दी और उसके बाद मेडिकल कालेज के छात्रों ने 26-1-81 को सभा की और उस दिन के बाद से हरिजनों के घरों को आग लगाना शुरू हो जाता है । यह बात सही है कि वहां का जो एक लोकल पेपर, स्थानीय पेपर था, उसने बजाय

[ श्री रामविलास पासवान ]

यह कहने कि मेडिकल छात्रों ने हरिजनों के घर में आग लगाई और पुलिस वहां चुपचाप देखती रही, इसके बजाय उसने उलटा प्रचार करना शुरू कर दिया कि हरिजन लोगों ने अटेक किया और उसके बाद फायरिंग हुई, लाठीचार्ज हुआ और पुलिस ने गोली चलाना शुरू किया।

आप उपाध्यक्ष महोदय, समझ सकते हैं कि सारे देश में हरिजनों की पापुलेशन सात परसेंट है। जिनकी संख्या इतनी हो और किसी भी गांव में हरिजनों के दो-चार घर मिलेंगे, क्या वे किसी पर अटेक करने की हिम्मत करेंगे, क्या वह हिंसा करने की कार्यवाही करने की हिम्मत करेंगे? यहां पर तरह-तरह की बातें कह दी जाती हैं कि हमारा डिपार्टमेंट भी सही हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन भी सही हो सकता और पुलिस भी सही हो सकती है। आप देखिए कि इतनी कम संख्या में होने वाले लोग और यह जानते हुए कि वे कम संख्या में हैं, क्या वे ऐसी हिम्मत कर सकते हैं? हमारे मकवाना जी, ज्ञानी जैल सिंह जी यहां पर भाषण दे देंगे लेकिन हमारी प्रधान मंत्री हाथी पर चढ़कर बेलछी चली गयीं लेकिन वे गुजरात क्यों नहीं गयीं? (**व्यवधान**) आप सब लोग तालियां बजा रहे हैं, लेकिन मैं स्पष्ट कह रहा हूँ।

**श्री पी० वेंकटसुबैय्या** : आप फिर कुछ दोषारोपण कर रहे हैं, इससे हमारे सदस्य भड़क जायेंगे··· (**व्यवधान**)

**श्री राम विलास पासवान** : विरोधी दल के लोगों की बातों का जवाब देने का आपको काफी मौका मिलेगा। बाद में आपके गृह मंत्री जी बोलेंगे और आप भी काफी लोग बोलेंगे। इस लिए मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि शांति से मेरी बातों को सुनें। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि बेलछी में जब घटना घटी थी तो हम लोगों ने अपने गृह मंत्री और प्रधान मंत्री के ऊपर अटेक किया था और कांग्रेस के लोगों ने भी किया था। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों पर यह तोहमत लगायी गई। वर्तमान प्रधानमंत्री जी वहां पर हाथी पर चढ़ कर गयीं और अभी अहमदाबाद में··· (**व्यवधान**)

**श्री पी० वेंकट सुबैय्या** : वे तो केवल सत्ताधारी दल को दोष दे रहे हैं, न कि वाद-विवाद में कोई उपयोगी योगदान कर रहे हैं।

**श्री रामविलास पासवान** : क्या हम प्रधान मंत्री के बारे में नहीं बोल सकते हैं? अगर मैं गलत बात कह रहा हूँ तो आप बोलिये। मैंने इतना ही कहा है कि पिपरा में घटना घटी, उसमें 18 हरिजनों को जिंदा जला दिया गया, कफल्ता में 16 हरिजन जला दिए गए, सिंहभूम जिले के गुहा में 15 आदिवासी जला दिये गये, करसुआ में 6 हरिजन जला दिये गये। यहीं वोट क्लब पर बोलते हुए पिछली सभा में मैंने इस प्रश्न को उठाया था और इस सदन में भी उठाया था।

**आचार्य भगवान देव** (अजमेर) : ये गुजरात के ऊपर बात करें। इनकी गाड़ी पटरी से उतरती जा रही है।

**श्री रामविलास पासवान** : उनके पास इंजिन ही नहीं तो गाड़ी कैसे चले ।

**आचार्य भगवान देव** : आपकी गाड़ी तो पटरी से उतर गयी है । (**व्यवधान**)

**श्री रामविलास पासवान** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि बहुत से लोग सदन के बाहर बोण्डेड लेबर होते हैं लेकिन सदन में हम लोग कम से कम बोण्डेड लेबर नहीं बनते । (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि इतनी बड़ी घटना घटने के बाद प्रधानमंत्री जी को वहां जाना चाहिए था । अगर कोई सदस्य कहे कि नहीं जाना चाहिए था तो यह उनकी राय हो सकती है । लेकिन आरक्षण का मामला उठे, उस पर इतना क्राइसिस हो और प्रधानमंत्री जी नहीं जाएं तो क्या कहा जा सकता है । ** इससे हम लोगों को सोचना पड़ता है ।

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह)** : महोदय किसी सदस्य के लिए इतना बोलना बहुत बड़ी बात है । अपने भाषण के अन्तिम भाग में उन्होंने जो कुछ कहा है मुझे उस पर गम्भीर आपत्ति है ।

**श्री पी० वेंकट सुब्बैया** : मुझे इस पर गहरी आपत्ति है । यह तो प्रधान मन्त्री महोदया के विरूद्ध कपटपूर्ण आरोप हैं । इन शब्दों को कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाना चाहिये । (**व्यवधान**)

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं कार्यवाही वृतांत का पारायण करूंगा और उसके बाद निर्णय लूंगा।

**श्री पी० वेंकट सुब्बैया** : इस वाद-विवाद को ऊंचे आधार पर होना चाहिये था । तो सत्ता-धारी दल और प्रधान मन्त्री महोदया पर दोषारोपण कर रहे हैं । वे कोई समस्या को हल करने में सहायता नहीं पहुंचा रहे हैं··· (**व्यवधान**)

**श्री बूटा सिंह** : हर चीज की एक सीमा होती है और इसकी** भी सीमा है··· (**व्यवधान**) उन्हें अपनी बात बड़ी गम्भीरता पूर्वक कहानी चाहिये··· (**व्यवधान**)

**उपाध्यक्ष महोदय** : नियम 353 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी सदस्य निन्दा-जनक या अभिशंसी प्रकृति का आरोप नहीं लगाएगा । मैं कार्यवाही वृतान्त को देखूंगा । और यदि अपकीर्ति या अभिशंसा का कोई आरोप लगाया गया है तो मैं उस पर ध्यान दूंगा (**व्यवधान**) ।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है (**व्यवधान**)।

**उपाध्यक्ष महोदय** : पासवान जी, कृपया···उनका व्यवस्था का प्रश्न है । (**व्यवधान**)**

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : असंसदीय है । 'असमीचीन' संसदीय शब्द है । अतः श्री बूटासिंह को अपनी बात को भी ठीक करना चाहिये ।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया ।

**श्री बूटा सिंह** : हरेक बात की एक सीमा होती है। माननीय सदस्य की टिप्पणी का अंतिम भाग बिल्कुल असमीचीन है। इसलिए इसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाना चाहिये। (**व्यवधान**)

**श्री पी० वेंकट सुब्बैया** : यह नहीं है*** यह तो···*** की ओर बढ़ रहा है।

**श्री मनीराम बागड़ी** (हिसार) : मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि इस विषय को गंभीरता से लिया जाए। मैं माननीय सदस्य से भी प्रार्थना करता हूं कि वे टू दी प्वाइंट बोलें। इस विषय को हंसी में लेना उचित नहीं है, इसको गंभीरता से लिया जाए।

**श्री रामविलास पासवान** : उपाध्यक्ष जी, मैं बड़ी गंभीरता से विषय को ले रहा हूं और मैं सभी माननीय सदस्यों की, माननीय बूटा सिंह जी की व अन्य सदस्यों की इज्जत करता हूं··· (**व्यवधान**)

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया बैठ जाएं।

**आचार्य भगवान** :**

**श्री मनीराम बागड़ी** :**

**श्री रामविलास पासवान** :**

**उपाध्यक्ष महोदय** : कुछ भी कार्यावाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाए। (**व्यवधान**)** कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

**श्री पी० वेंकट सुब्बैया** : मैं बागड़ी जी का बड़ा सम्मान करता हूं। वे अपने सहकार्मियों को नियन्त्रण में रखने का प्रयास कर रहे हैं और उनमें गम्भीरता का मादा भर रहे हैं। (**व्यवधान**) परन्तु यहां दुर्भाग्य की बात यह है कि सहकर्मी उनकी बात नहीं सुनेंगे। सारी मुसीबत तो यही है।

**श्री रामविलास पासवान** : उपाध्यक्ष जी मैं कह रहा था कि इस मामले पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाए। मैंने मकवाना जी का भाषण भी राज्य सभा में सुना है। आप कहते हैं कि पालिटिकल पार्टी का हाथ है। हम कहते हैं कि किसी का भी हाथ हो, लेकिन जब सरकार आपकी है, स्टेट में भी आपकी सरकार है तो जवाबदारी भी आपकी है और आपकी ड्यूटी है कि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों वोट क्लब पर आरक्षण के विरूद्ध आमरण-अनशन किया गया।

मैंने पिछली लोक सभा में यही प्रश्न उठाया था और कहा था कि यह मामला बढ़ने वाला है। यहीं आप इसको रोकें। लेकिन रोका नहीं गया। उसके बाद एस० टी० सी० एक डिपार्ट है।

***अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यावाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

**कार्यावाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

वहां लोग बिल्ले बांध कर गए जिन पर यह लिखा था कि वह हरिजन है, वह आदिवासी है, जाति के आधार पर यह चमार है या वाल्मीकि है। उन लोगों को लेकर मैं मकवाना जी के पास गया था। मैंने उनको कहा था कि यह बीमारी दिल्ली में फैल रही है इसको आप रोकें। उन्होंने वहां के चेयरमैन चटर्जी या कौन थे उनको फोन किया था, आई० जी० को भी किया था। मेरा कहने का मतलब यह है कि यह शुरुआत है और इस तरह की चीजें व्यापक पैमाने पर चल रही हैं। गुजरात में भी यही हुआ है। गुजरात के मुख्य मंत्री का दायित्व था कि इसको रोकते। स्वास्थ्य मंत्री के सम्बन्ध में उन्होंने कुछ कहा है। मैं नहीं कहना चाहता कि वह सही है या गलत है। लेकिन यह ठीक है कि पुलिस का इन हरिजनों के प्रति जो रोल रहा है वह बिल्कुल गलत रहा है। पुलिस ने जिन्होंने इन लोगों पर जुल्म किया है, उनका साथ दिया है।

मैं सुझाव देना चाहता हूं। पुलिस फोर्स जो प्रोटेक्शन देती है शैड्यूल्ड कास्ट्स ट्राइब्ज और वीकर सैक्शंज को उस में यदि इनके लोग की पोस्ट्स पर नहीं बिठाए जाएंगे जैसा आपने कहा भी है तो किसी भी दिन इस तरह की घटनाएं और भी तेजी से होने लग सकती है। अपर क्लास और लोअर क्लास में तो यह चीज बाद में होगी लेकिन जो प्रशासन में बैठे हुए हैं वे बगावत करवा देंगे। इसके उदाहरण आपको मिल भी रहे हैं। जगह-जगह रायट्स हो रहे हैं, आरक्षण विरोधी आन्दोलन चल रहे हैं। इस वास्ते इस चीज को आप गम्भीरता से लें। यह मामला आरक्षण का नहीं है, संरक्षण का है। देश में मुट्ठी भर लोग जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपना कब्जा जमाए बैठे हैं उनके चंगुल से देश को किस तरह से मुक्त कराया जा सकता है यह आपको सोचना होगा। यहीं से यह मामला शुरू होता है। ज्ञानी जी जिस कम्युनिटी से आए हैं भीतर से वह यह सब जानते हैं। बूटा सिंह जी, मकवाना जी, शंकरानन्द जी, शिव शंकर जी मैं समझता हूं सब इस वास्तविकता को मंजूर करते हैं। किस तरफ की धारा आप कहाना चाहते हैं इसके बारे में आपको साफ होना होगा—

**उपायध्क्ष महोदय :** आप किस प्रकार की बात चाहते हैं ?

**श्री रामविलास पासवान :** मैं ऐसी बात चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जिस जाति की जितनी संख्या है उसके मुताबिक उसके वास्ते रिजर्वेशन कर दिया जाए, जिस की दो प्रतिशत है उसके वास्ते दो, जिसकी 5 प्रतिशत है उसके वास्ते 5 और जिसकी 10 प्रतिशय है उसके वास्ते दस प्रतिशत का रिजर्वेशन कर दिया जाए। जाति के मुताबिक यह हो जाना चाहिए। मैंने जब मेरी अपनी सरकार थी तब भी यहां पर यह कहा था कि जो जमीन के अन्दर गर्म पदार्थ हैं यदि उनको शैन: शैन: निकाल कर जमीन को उन से मुक्त नहीं किया गया तो एक दिन ज्वालामुखी फूटेगा और तब कोई भी नहीं बच सकेगा। हरिजनों को आप इतना कमजोर न समझें। अगर उनकी जायज मांगों को नहीं माना गया तो एक दिन वे लोग यह मांग करना शुरू कर देंगे कि जो मुट्ठी भर ऊंची जाति के लोग हैं उनके लिए आरक्षण कर दिया जाए और तब आप उनको नहीं रोक सकेंगे। यह चीज नहीं चल सकती है।

इस वास्ते आप समस्या को गम्भीरतापूर्वक लें। डिवाइड एंड रूल की पालिसी आपको नहीं अपनानी चाहिए। कोई तत्त्व अपनाता है तो आप उस पर अंकुश लगाएं। पहले हरिजन को गोली मारो, फिर आदिवासी को और फिर पिछड़ों को, यह नीति है इसको आप छोड़ें।

[ श्री रामविलास पासवान ]

यह तर्क दिया जाता है कि हम सूटेबल नहीं हैं। जब अंग्रेज यहां थे तब कितने लोग सूटेबल थे आप कहते हैं कि मैं बहुत क्वालिफाइड हूं, योग्य हूं लेकिन तब आप में से एक पुलिस इंस्पेक्टर के पद के लिए भी योग्य नहीं था। अंग्रेज चले गए तो रातों रात सब योग्य हो गए आई० जी०, सैक्रेटरी, पुलिसकमिश्नर, चीफ सैक्रेटरी आदि सब पदों के लिए। आप देखें कि हम लोगों को आपने जहां कार्य भार सौंपा है क्या हम उसको बखूबी अदा नहीं कर रहे हैं ? कहां हम सूटेबल नहीं रहे हैं। हर काम को हम लोगों ने एफिशेटली सम्भाला है। पहले हमें कहा जाता था कि उपलब्ध नहीं है और अब कहा जाता है कि सूटेबल नहीं है। मैं कहता हूं कि ये जो शब्द हैं, योग्य, उपलब्ध या सूटेबल इनको डिक्शनरी में से निकाल दिया जाए, कब तक हम पिसते रहेंगे ? एडमिनिस्ट्रेशन की डिक्शनरी में से इनको निकाल दिया जाना चाहिये।

बिहार में भी इस लड़ाई की शुरूआत हुई थी। एक तरफ बंदूक राइफल वाले और दूसरी तरफ निहत्थे हरिजन और आदिवासी लोग, यह लड़ाई इस देश में चलने वाली नहीं है। हमने तो कहा था कि हरिजनों, आदिवासियों को आप आर्म्स की ट्रेनिंग दीजिये, हथियार उनको दीजिये और कांस्टेबिल, फौज में सैनिक बनाइये, तब जा कर के उनका प्रोटेक्शन होगा।

आपने समझौता क्यों किया ? क्यों आपने मांगें मानी मेडिकल छात्रों की ? क्यों आप कह रहे हैं कि उनकी जायज मांगों को मानने को तैयार हैं ? कोई अगर कहता है कि कांस्टीट्यूशन जला दो तो क्या आप उसको मान लेंगे ? चार मांगें थीं छात्रों की, आपको एक भी नहीं माननी चाहिये थी और स्टेट ऐडमिनिस्ट्रेशन को आदेश देना चाहिए था कि यदि यह गड़बड़ी फैलायें तो उनसे अच्छी तरह तुम निपटो। लेकिन ऐसा न करके स्वास्थ्य मंत्री राज्य के आये और उनकी मांगें मान लेते हैं, मुख्य मंत्री मान लेते हैं। और जब ऐसा हुआ तो उनका मन बढ़ता चला गया। आज गुजरात में है कल को दूसरी जगह भी ऐसा होगा। 60 परसेंट हरिजनों, जनजातियों के लोगों को गोली मारी जाए। मैं पूछता हूं कि क्या उन 60 परसेंट लोगों के मां बाप नहीं हैं, उनके बीवी बच्चे नहीं हैं। इसलिये इस प्रश्न को आप गम्भीरता से लीजिये। आज हमारी लाइफ असुरक्षित है, ट्रेजरी बैंचेज के सदस्यों के घर पर पथराव होता है। माननीय ज्ञानी जी आप गृह मंत्री हैं, आप के राज्य मंत्री उसी प्रदेश के हैं और वहां इस तरह की घटना घटे। मैं कहता हूं कि आपको इसी मसले पर वहां की सरकार को तुरन्त बर्खास्त कर देना चाहिये। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपका आन्तरिक झगड़ा कितना भी हो, यह महामारी दूसरी जगह भी फैलेगी। आप इस बीमारी को फैलने से रोकिये। चाहे किसी की गलती हो लेकिन जवावदेही तो आपके ऊपर है क्योंकि आप का प्रशासन है, सरकार है। आप उस सरकार को एकदम बर्खास्त कीजिए।

**उपाध्यक्ष महोदय :** बोलने के लिये विपक्ष के भी बहुत सदस्य हैं।

**श्री रामविलास पासवान :** मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। आप क्या हस्तक्षेप कर रहे हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं आप को नियंत्रित कर सकता हूं। आप अधिक समय नहीं ले सकते हो।

**श्री रामविलास पासवान :** मैं समाप्त कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहूंगा इधर-उधर माननीय मकवाना जी और गृह मंत्री पर न छोड़ें, बल्कि प्रधान मंत्री वहां जायें, जिनसे बात करनी हो बात करें। और अविलम्ब सरकार आज इस सदन में घोषणा करे कि रिजर्वेशन के इशू पर, अनुसूचित और जनजाति के सवाल पर किसी भी तरह से किसी के साथ समझौता नहीं होगा। स्पष्ट रूप से आज बतलाइये।

यह सारा का सारा मामला क्यों फैला ? आपने बैकवर्ड क्लासेज कमीशन बनाया लेकिन उसकी रिपोर्ट सदन में नहीं रख रहे हैं। आप हरिजनों, आदिवासियों और पिछड़े हुए लोगों के रिजर्वेशन की पौलिसी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर तैयार कीजिये। और अगर नहीं करेंगे तो मैं कहता हूं कि हरिजन, पिछड़े ओर कमजोर वर्ग के लोग अब सोये हुए नहीं हैं। एक समय आयेगा जब वह कहेंगे जो मुट्ठी भर लोग हैं तुम गोल हो जाओ, नहीं तो हमको गोल करो। इसलिए इस पर गम्भीरतापूर्वक सोचिये। और यह समस्या जितनी दूर तक बढ़ चुकी है उसके प्रति सभी माननीय सदस्यों की हमदर्दी है, चाहे वह किसी भी पक्ष के क्यों न हों, कोई नहीं चाहता कि यह स्थिति और विस्फोटक बने। इसलिए आप इस में हस्तक्षेप करें।

**श्री हरीशचन्द्र सिंह रावत** (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, अभी इस सम्मानित सदन में अपने देश की गम्भीरम समस्या के संदर्भ में कई विद्वान सदस्यों की बातें सुनीं। मैं अपने संदर्भ में बड़ा शंकावान हूं कि इस गम्भीरम विषय पर क्या योगदान दे पाऊंगा। लेकिन आज से कुछ दिन पहले अखबारों में एक खबर छपी थी कि एक डकैत महिला ने एक जाति विशेष के कई लोगों को गोली से भून दिया और इसी तरीके की कई खबरें छुटपुट ढंग से हमारे सामने आती हैं कि कहीं जाति के आधार पर और कहीं धर्म के आधार पर लोग लड़ते हैं और आज जो गुजरात में हो रहा है, मेरी मनोधारणा है, मेरी मान्यता है कि वह इसी तरीके की गलत भ्रामक तौर पर सोचते हैं उनके करने की परम इतिश्री है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि क्या हमारा भारत वह भारत है जहां महावीर ने जीव-दया का सिद्धान्त, बुद्ध ने परम सहिष्णुता का सिद्धान्त, महात्मा गांधी ने दरिद्र नारायण और हरिजन उद्धार की बात कही थी ?

यह एक कटु सत्य है कि आज जो हमारे समाज की व्यवस्था है वह बरसों से शोषण पर आधारित रही है और एक ऐसी वर्ण-व्यवस्था पर आधारित रही है जिसका मूल उद्देश्य कुछ लोगों को दबाकर कुछ को मजबूत करने का था। जब तक हम अपने समाज की इस अतीत की मूल धारा को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम लाख अपने संविधान में, अपने देश की आजादी के बाद जो हमने संकल्प किया है कि हम सामाजिक न्याय देंगे, समता और प्रजातंत्र के आदर्श को पृथ्वी पर उतारेंगे, उसको हम सार्थक रूप में धरती पर नहीं उतार सकते।

आज जो कुछ गुजरात में हो रहा है, उसको अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में सोचेंगे, जिस

[ श्री हरीशचन्द्र सिंह रावत ]

तरीके से हमारे मित्र ने अपनी बातों में उसको जाहिर करने की कोशिश की है तो मैं समझता हूं कि हम इस समस्या के साथ न्याय नहीं करेंगे और उन लोगों के साथ भी जो इस समस्या से पीड़ित हैं।

हमें चाहिये कि हम देखें और इस बात को सोचें कि जो लोग आज रिजर्वेशन के सवाल को उठा रहे हैं जो लोग आज हरिजनों को मार-पीट रहे हैं, वह अपने साथ भी न्याय नहीं कर रहे हैं। वह हरिजनों को दबाकर अधिक दिनों तक इस सामाजिक व्यवस्था को नहीं चला सकेंगे और समाज को एकीकृत नहीं कर सकते, इस देश को एक नहीं कर सकते हैं। यह तो एक ऐसे जंगल की आग है जो आज एक भाग को जला रही है, कल सारे हिन्दुस्तान को जलायेगी। जो लोग आज समाज के एक वर्ग को पीड़ित कर रहे हैं, तो कल दूसरे को भी करेंगे। यदि आज हरिजन पीड़ित हैं तो कल बड़ी जाति के लोग भी पीड़ित होंगे। आज मुसलमान पीड़ित हैं तो कल हिन्दू भी इससे नहीं बच सकते हैं।

मेरा निवेदन है कि जिस तरीके से हमारे परम विद्वान सदस्य हमारे बड़े नेता श्री सुखाड़िया जी ने कहा है कि जरूरत इस बात की है कि हम सब लोग, यह सदन उन लोगों से, जो लोग गलतियों से या भ्रमवश इस आग को फैला रहे हैं, इस घृणा की लहर को ताकत दे रहे हैं, उनसे अपील करें कि उनमें सद्बुद्धि आ जाये। हमारे सम्मानित सदस्यों ने जिन्होंने बहस की शुरुआत की, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बहस प्रारम्भ की लेकिन कुछ राजनीतिक लाभ लेने का लोभ जहां उनके मन में आया तो उन्होंने कुछ प्रश्नों को यहां पर रखा। उसी में वह अपने रास्ते से भटक गये।

मैं उन्हीं से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि उन्होंने हमसे जो पूछा कि क्या गुजरात में कोई नेता नहीं रह गया है, आज से कुछ साल पहले गुजरात में एक छोटा-सा आन्दोलन चला, लेकिन उसी को बहाना बनाकर वहां के एक गांधीवादी नेता ने कहा कि अहिंसात्मक तरीके से आमरण अनशन कर के जब तक वहां की विधान सभा भंग नहीं की जायेगी, तब तक मैं अपने जीवन की आहूति दे दूंगा, लेकिन उठूंगा नहीं। बाद में विधान-सभा भंग भी की गई, लेकिन आज वह गांधीवादी नेता कहां हैं, मैं राजदां जी से पूछना चाहता हूं, कि कहां उनके गांधीवादी नेता सो गये हैं, क्या उनको आज अपना गांधीवाद याद नहीं आ रहा है, जब गांधी जी का घर गुजरात चल रहा है ? बजाये हमसे सवाल पूछने के अगर राजदां भी अपने परम नेता से पूछ लेते तो मैं समझता हूं कि उनकी बात का उत्तर उनको स्वयं मिल जाता ? (**व्यवधान**)

सम्मानित सदस्य जादवपुर ने इस बात को कहा कि कांग्रेस के 30 साल के शासनकाल में हरिजनों के लिए कुछ नहीं हुआ। मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं। ऐसी बात नहीं है। इन पिछले सालों में कुछ ऐसा करने की कोशिश की गई कि आज उसी का परिणाम है कि हरिजन अपनी सामाजिक परिभाषाओं व मान्यताओं को बदलने के लिए कमर कसकर उठ खड़ा हुआ है।

आज आप देखते हैं कि हरिजन का जो मनोबल बढ़ा है, उसका श्रेय मैं नहीं लेना चाहता, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन यदि किसी को वह श्रेय जाता है तो वह कांग्रेस को जाता है क्योंकि कांग्रेस ने स्वतन्त्रता से पहले भी और बाद में भी, चाहे नेहरू जी के नेतृत्व में, चाहे इंदिरा जी के नेतृत्व में या लालबहादुर जी के नेतृत्व में इस बात को रखा व कड़ाई से इस महान सिद्धान्त पर अमल करवाया।

**श्री मनीराम बागड़ी** : महात्मा गांधी ने तो नहीं किया।

**श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत** : हमने हरिजनों और कमजोर वर्ग को सहारा देने की नीति और उन्हें आगे बढ़ाने की नीति को अपनाया। इस लिए नहीं कि हम उनके वोट प्राप्त करना चाहते हैं, बल्कि इस लिए कि हम समझते हैं, हमारी दृढ़ धारणा है, हमारी पार्टी का सिद्धान्त है कि जब तक समाज में कुछ लोग दबे हुए और पिछड़े हुए रहेंगे, तब तक यह राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है, यह राष्ट्र मजबूत नहीं हो सकता है, यह प्रजातंत्र समृद्धिशाली नहीं हो सकता है।

जब हम देखते हैं कि जगह-जगह कहीं साम्प्रदायिक दंगे और कहीं जातिगत दंगे हो रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि न केवल इसमें हमारे देश के कुछ भटके हुए लोगों का हाथ है, बल्कि कुछ ऐसे भी तत्व हो सकते हैं, जिनका हित हिन्दुस्तान को समृद्ध देखने में नहीं है। हमें इन तत्वों के बारे में भी सोचना है।

कुछ दिन पहले मैंने सी० जी० के रेड्डी साहब की एक किताब पढ़ी थी। उन्होंने यह लिखा है कि जनता पार्टी में बहुत दिनों तक एक सज्जन मंत्री रहे, मैंने उनके इशारे पर कई विदेशी एजेन्सीज के साथ बातचीत की और उनके जरिये बहुत-सा पैसा और बहुत से साधन हम यहां लाये, और हमने बहुत-सी ऐसी एजेन्सीज को उनके जरिये से मदद दी, जो कांग्रेस की सत्ता को पलट सकते हैं। उन्होंने तो अपनी तारीफ में इस बात को कहा, लेकिन मुझे शंका होती है कि जैसे आसाम के विषय में गांधी पीस फाउंडेशन के विषय में लोगों को शंका है, उसके क्रिया-क्लाप के विषय में शंका है, उसी तरह की बहत सी ऐसी एजेन्सीज हो सकती हैं, जो जगह-जगह इस तरह के जातिगत और साम्प्रदायिक संगठनों को, और इस तरह के काम करने वाले लोगों को, पनाह दे रहीं हों। हो सकता है कि उनके इशारे पर और उनके पैसे के बल पर गुजरात सरीखा आन्दोलन हो रहा है।

मैं यह बात आरोप के रूप में नहीं कह रहा हूं। आज हम लोग सत्ता में हैं, इस लिए यदि मेरा आरोप है, तो मेरे अपने आप पर है। सरकार को दृढ़ता के साथ पता लगाना चाहिए, खोजना चाहिए, कि कहीं इस तरह की एजेन्सीज तो आपरेट नहीं कर रही है। यदि इस तरह की एजेन्सीज को कुछ राजनैतिक दलों का प्रश्रय मिल रहा हो, या कुछ लोगों का सहयोग उनको मिल रहा हो, तो हम को देश की जनता के सामने उन लोगों को लाना चाहिए। हमें उनको बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें सीधे तौर पर देश के लोगों को बताना चाहिए कि किस तरह की कार्यवाहियां ये लोग कर रहे हैं।

एक दो बातें मैं इस आन्दोलन के संदर्भ में कहना चाहता हूं। मैं नहीं समझता कि मेरी

[ श्री हरीशचन्द्र सिंह रावत ]

इस बात से सभी लोग इससे सहमत होंगे, लेकिन पहले यह मेरी अपनी व्यक्तिगत राय थी कि प्रोमोशन में जो रिजर्वेशन है, एक तो उस पालिसी से ज्यादा लाभ नहीं होता है। लेकिन (व्यवधान)

**श्री रामविलास पासवान** : कैसे ? (व्यवधान)

**श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत** : जो लोग हरिजन को दबाना चाहते हैं, जो लोग हरिजन को उसका ड्यू शेयर नहीं देना चाहते हैं, यह व्यवस्था उनको ताकत दे रही है, क्योंकि हम तर्क के आधार पर उसको सिद्ध करने में उतने मजबूत नहीं हैं, जितने नौकरियों में प्रवेश के संदर्भ में हैं। (व्यवधान)

**पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह)** : यह कांग्रेस की पालिसी नहीं है। (व्यवधान)

**श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत** : मैंने अपनी व्यक्तिगत राय थी ऐसा कहा है।

**वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मगन भाई बारोट)** : हरीश इसे बन्द करो।

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : ऐसी बात मत उठाइये जिससे विशेषाधिकार का हनन हो।

**श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत** : मैंने कहा है कि मैं व्यक्तिगत तरीके से महसूस करता था। (व्यवधान) मुझे पूरी बात तो कहने दीजिए।

मैंने पहले कहा है कि जिस बात को मैं महसूस करता था, मैं उस बात को यहां पर रख रहा हूं। इस बात के प्रोज एंड कॉज पर गंभीरता के साथ विचार करने के बाद ही मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। मैं अपने तौर पर सोचता था, मेरे व्यक्तिगत विचार थे कि प्रोमोशन में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तर्क के आधार पर उसको उतना सिद्ध नहीं कर सकते हैं। (व्यवधान) लेकिन आज जिस तरीके से कुछ तत्त्व स्थिति का फायदा उठाने को आमादा हैं, जिस तरीके से कुछ लोग आज सिचुएशन को एक्सप्लायट करना चाहते हैं, यदि कहीं मेरी यह बात जो पिछले मेरे मन में थी, इसको सरकार मानती तो हो सकता है कि उन लोगों का जो गलत दिशा में सोचते हैं जो हरिजनों को दबाना चाहते हैं, उन का उस से मनोबल बढ़ता। लेकिन मैं तो इस बात के लिए सरकार को साधुवाद दूंगा कि जिस तरीके से इंस्ट्री के संबंध में रिजर्वेशन की पालिसी स्ट्रिक्टली सरकार लागू करती है, वैसे ही उस ने प्रोमोशन के सन्दर्भ में भी रिजर्वेशन की पालिसी रखी है और इस को स्ट्रिक्टली लागू करना चाहिए क्योंकि यही एक तरीका उन तत्वों को दबाने का है।··· (व्यवधान)···मैं यह नहीं समझ पाता कि माननीय सदस्य हंस क्यों रहे हैं ? माननीय सदस्य बागड़ी जी ने बड़ी अजीब सी कसम हम लोगों को दी है, इसलिए मैं अपने सम्मानित प्रतिपक्ष के साथियों के साथ हंस नहीं सकता हूं। मैं यहीं पर इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि किसी तरीके से भी हो इस स्थिति को समाप्त करें। जो राजनैतिक दल किन्हीं अव्यक्त कारणों से इस स्थिति से फायदा उठाना चाहते हैं वह भी न राष्ट्र के हित में और समाज के हित में इस

से अपने को अलग करें और सम्मानित सदस्यों से भी मेरी व्यक्तिगत अपील है कि जो वर्तमान स्थिति गुजरात के अंदर है वह अकेले किसी सरकार के कंट्रोल करने की बात नहीं है, सब लोग उस में सक्रिय रूप से कन्धे से कन्धा मिला कर उस स्थिति को शांत करने में सहयोग जब तक नहीं देंगे तब तक स्थिति शांत नहीं हो सकेगी। इसलिए सभी का इस में सहयोग होना चाहिए। इसी में हमारे राष्ट्र का और हमारा सब का कल्याण है।

**गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बया)** : मैं इसे सरकार की ओर से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो भी माननीय सदस्य ने व्यक्त किया है वह केवल व्यक्तिगत राय है। यह सरकार की राय नहीं है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : वह पहले कह चुके हैं कि यह उसकी व्यक्तिगत राय है। **(व्यवधान)**

श्री वेंकट सुब्बया ने कहा हैं कि यह उनकी व्यक्तिगत राय है।

**श्री सी० टी० दंडपाणि** (पोल्लाची) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस चर्चा में बड़े दुख के साथ भाग लेना चाहूँगा। अपने दल द्रविड़ मुनेत्र कषगम की ओर से मैं आरक्षण तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा पिछड़े वर्गों के सुधार के बारे में अपने दल की नीति बताना चाहूँगा।

श्रीमान, मुझे इस संकल्प के लाने के लिए प्रस्तावक को अवश्य धन्यवाद देना चाहिए परन्तु इसके साथ ही उन्होंने जनता पार्टी की नीति को समझने में मेरी मदद की है।

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : आप मेरे से समझिए ?

**श्री सी० टी० दण्डपाणि** : प्रस्तावक से।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप प्रस्तावक नहीं हैं।

**श्री सी० टी० दण्डपाणि** : मैं आरक्षण के मामले में जनता पार्टी की डोलायमान स्थिति को समझता हूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि आरक्षण के मामले में इस दल की बिल्कुल भी कोई नीति नहीं हैं और एक ही समय पर भिन्न-भिन्न सदस्यों के भिन्न-भिन्न मत है। इन सब बातों को कहने में मुझे बड़ा खेद होता है। साथ में मैं गुजरात आंदोलन के बारे में कहना चाहूँगा। गुजरात का आंदोलन कोई ऐसा आंदोलन नहीं है जो अचानक फूट पड़ा हो। इस देश के हरिजनों तथा आदिवासियों के विरुद्ध सुनियोजित षड़यंत्र चल रहा है। कतिपय निहित स्वार्थ व्यक्ति, हरिजनों के विरुद्ध है। वे इस आंदोलन के पीछे छुपे हुए हैं। पहले अवसरों पर भी कुछ राजनैतिक दलों ने विशेषतः आरक्षण के बारे में हरिजनों के हितों के विरुद्ध दृढ़धारणा बना ली है और वक्तव्य दिये हैं। जब जनता पार्टी सत्ता में थी मेरे मित्रों को वास्तविकतायें स्वीकारनी चाहिए---उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बात का विरोध करते हुए आरक्षण समाप्त कर दिया कि लोकदल के नेता श्री अर्जुन सिंह डोरा, जो मध्य प्रदेश में लोकदल का नेता है, ने अपना पद को छोड़ दिया है। यह समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था।

[ श्री सी० टी० दण्डपाणि ]

इसके बाद शिमला जिले के भारतीय जनता पार्टी के संयोजक श्री राधारमण शास्त्री, विधायक ने खुले रूप से यह वक्तव्य दिया, 'उन्होंने सरकार से अनुरोध किया···'

**श्री अटल बिहारी बाजपेयी** : कौन-सी सरकार ?

**श्री सी० टी० दंडपाणि** : "···जाति के आधार पर सरकारी सेवाओं में आरक्षण किया जाए।"

**श्री अटल बिहारी बाजपेयी** : वहां कोई संयोजक नहीं है। हमारे पास जनता द्वारा विधिवत निर्वाचित समितियां हैं। समाचार पत्र की खबर गलत है।

**श्री सी० टी० दण्डपाणि** : यह समाचार 8 अगस्त, 1980 के 'ट्रिब्यून' का है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नेता, उस दल के महासचिव श्री राजेन्द्र सिंह ने, "अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों और पिछड़े वर्गों के रोजगारों के लिए आरक्षण नीति के पुनरीक्षण के लिए" दलील दी है। यह दिनांक 16.2.81 के हिन्दुस्तान टाइम्स समाचार-पत्र में प्रकाशित हुई है।

इसलिए मैं राजनैतिक दल निहित स्वार्थों के साथ हरिजनों तथा आदिवासियों के विरुद्ध सुनियोजित ढंग से एक अभियान चला रहे हैं।

बड़े दुख के साथ मैं एक अन्य महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। आंध्र प्रदेश में एक फिल्म आई है। मैंने "**नंगा सत्यम्**" "**कटु सत्य**" नामक फिल्म को देखा। इस फिल्म का उद्देश्य आरक्षण की नीति का विरोध करना था। यह दिखाई गई थी। इसके साथ ही मुझे यह कहते हुए बड़ा दुख है कि इस फिल्म पर राष्ट्रपति-पुरस्कार दिया गया था। सरकार को इस मामले पर ध्यान देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस फिल्म को वापस लिया जाए।

जहां तक इस विषय का संबंध है, मुझे भारत सरकार को इस मामले को निपटान करने में दिलचस्पी लेने के लिए बधाई देनी चाहिए। यहां पर बहुत से लोग, मेरे कुछ मित्रों ने भी आरक्षण, योग्यता के आधार पर पदोन्नतियों आदि के बारे में बहुत सी बातें कहीं हैं। "योग्यता" और "दक्षता" ही जीवन के एकमात्र उद्देश्य हैं। वे किसी व्यक्ति की सम्पत्ति नहीं है। बहुत बार मैं अनुच्छेद 335 के बारे में संविधान में संशोधन करने के लिए सरकार से अनुरोध कर चुका हूँ। अनुच्छेद 335 इस प्रकार हैं :

> "संघ या राज्य के कार्यों से सशक्त सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में प्रशासन-कार्यपटुता बनाए रखने की संगति के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के सदस्यों के दावों का ध्यान रखा जाएगा।"

इसलिए, "प्रशासन-कार्यपटुता बनाए रखने की संगति के अनुसार ठीक ये शब्द प्रयोग करके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के सुयोग्य व्यक्तियों को रोजगार तथा अन्य अधिकारों से वंचित

किया जा चुका है। मैं चाहूँगा कि सरकार इसमें संशोधन करें। हमारे मित्र तथा प्रस्तावक पहले ही इसका उल्लेख कर चुके हैं वह पहले ही इसको स्पष्ट कर चुके हैं कि यह केवल इसी कारण से हुआ है कि दो छात्र गुजरात गये और उन्होंने दो स्थानों की मांग की। इसके अतिरिक्त, मैं यह कहना चाहूँगा कि बी० जे० मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य को वह बात नहीं कहनी चाहिए थी। इसका कारण यही है। स्नातकोत्तर छात्रों के लिए मेडिकल कालेज में स्थानों की कुल संख्या केवल 22 है। 22 स्थानों में से एक स्थान एक अनुसूचित जाति के छात्र से एक आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ था। प्रधानाचार्य को इस छात्र को प्रवेश से इंकार नहीं करना चाहिए था क्योंकि यह केवल एक स्थान का प्रश्न है। परन्तु यह कार्यवाही कुछ अन्य असंगत कारणों से हुई। प्रधानाचार्य ने प्रवेश देने से इंकार करने के लिए कुछ न कुछ तर्क कल्पित कर लिया। मुझे मालूम है कि कुछ लोग वहां गये हैं। परन्तु तो भी प्रधानाचार्य ने इंकार कर दिया। उसके बाद यह आंदोलन शुरू हो गया।

हमारे मित्रों ने तथा श्री सोमनाथ चटर्जी ने 'आगे ले जाने' की मांग के बारे में बातचीत की है। उसको गुजरात सरकार ने समाप्त कर दिया है। गुजरात सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसीलिए चिकित्सा-छात्रों तथा तथाकथित डाक्टरों ने कानून और व्यवस्था को अपने हाथों में ले लिया। अब राज्य सरकार आंदोलनकारियों को शांत करने का प्रयास कर रही है। राज्य सरकार ने उनकी कुछ मांगें स्वीकार कर ली है। परन्तु छात्रों की कुछ मांगों को मानने से इंकार कर दिया। एक साथ ही कुछ मांगें स्वीकार कर ली गई हैं और कुछ मांगों को मानने से इंकार कर दिया गया यह दुखद स्थिति बनी हुई है और आंदोलन जारी है।

विभागों तथा कालिजों में रिक्त स्थानों का समायोजन सरकार द्वारा किया जाता है। इस बात की भी मांग की जा रही है कि वे हरिजनों को नहीं दी जानी चाहिए। सरकार ने उसे मान लिया है। आंदोलनकारी इस निर्णय से संतुष्ट नहीं थे।

गैर-हरिजन छात्रों ने मांग की कि योग्य छात्रों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। मैं आप से पूछना चाहता हूँ : मान लीजिए 100 स्थान हैं। लगभग 1,000 योग्य छात्र आवेदन-पत्र भेजते हैं। ऐसी स्थिति में क्या कार्यवाही की जाती है ? आप केवल 100 व्यक्तियों का चयन कर सकते हैं। आप 1,000 छात्रों के कैसे स्थान दे सकते हो ? इन 1,000 छात्रों के लिए क्या प्रावधान है। इस लिए मैं यह समझने में असमर्थ हूँ कि गुजरात में डाक्टरों को यह वचन कैसे दिया गया कि प्रतिभाशाली छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। सरकार ऐसा कैसे कर सकती है ? इस आश्वासन के कारण भी आंदोलन हो गया है।

इसी प्रकार विषयों के चयन के बारे में है मैं जानना चाहता हूं कि विषयों के चयन के बारे में यह क्या बेहूदापन है ?

**एक माननीय सदस्य :** यह असंसदीय शब्द है।

**श्री सी० टी० दण्डपाणि** (पोल्लाची) : यह संसदीय शब्द है यदि यह असंसदीय भी है तो भी मैं इस पर दृढ़ हूँ। यह बेहूदापन है। विषयों का चयन कैसा है ? केवल अनुसूचित लोगों को

[ श्री सी० टी० दण्डपाणि ]

ही विषयों को चुनने का अधिकार है। यह हरिजनों के लिए नहीं है। इसका परिणाम यह है कि हरिजनों को कालेजों से निकाल दिया गया है। गैर-हरिजनों तथा कथित उच्च जातियों के लोगों को प्रवेश दिया गया है। यह स्थिति है। जैसाकि आपने कहा, केवल एक छात्र ने 22 स्थानों में से एक स्थान के लिए आवेदन किया है। उस एक छात्र को भी अनुमति नहीं दी गई। आंदोलन का उद्देश्य क्या है ? वे पूरे राज्य से हरिजन समुदाय को हटा देना चाहते हैं। इस आंदोलन के पीछे बहुत से लोग हैं। किसी ने श्री मकवाना का नाम लिया था। मैं ऐसा नहीं समझता। यदि ऐसी बात भी है तो वे एक दल से संबंध रखते हैं और वे मामले को सुलझा सकते हैं। वे उत्तरदायी नहीं हैं। वहां कुछ शक्तियां काम करती हैं। वे इन आंदोलनों के लिए उत्तरदायी हैं। मैंने पहले भी बताया था कि वहां कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हरिजनों के विरुद्ध ये आंदोलन करा रही हैं। मुझे यह कहना है कि यह कोई सामान्य मामला नहीं हैं।

महोदय, अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं कहता हूँ कि यह कोई सामान्य मामला नहीं है। यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसके विषय में देश के प्रत्येक नागरिक को महसूस करना चाहिए। अमरीका में भी आरक्षण है। मेरे मित्र ने कहा है कि इसकी कोई सीमा होनी चाहिए, इसका आधार आर्थिक अग्रेतर विकास होना चाहिए, कुछ शब्दजाल रचा गया है। यह ठीक नहीं है। जब तक जाति प्रणाली चलेगी इस प्रणाली को भी जारी रखना होगा। महोदय यही मेरी मांग है। परन्तु इसके साथ ही, मेरे राज्य के, पूरे राज्य के हरिजनों के मन में आजकल एक विश्वास है। उन दिनों में हरिजनों के मन में आशंका थी। इसलिए हरिजनों ने इस सरकार के पक्ष में मतदान किया। हरिजनों के मन में आशंकाएं थीं। अब उनमें विश्वास हुआ है कि एक नेता है जो हमें सुनता है। आज भी मैं बता रहा हूं। यदि वर्तमान नेतृत्व ने हरिजनों के साथ न्याय नहीं किया तो, कोई भी शक्ति, कोई भी नेता हरिजन समुदाय के साथ न्याय नहीं कर सकता। इसलिए जहां तक इस समस्या का सम्बन्ध है, मैं यह कहकर बताना चाहूंगा कि आन्दोलनकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई सभी छः मांगों को सरकार मान ले या स्वीकार कर ले। इस समय पर उन डाक्टरों, तथाकथित आन्दोलनकारियों को अपना आन्दोलन वापस ले लेना चाहिए तथा राज्य सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी प्रकार की गलतफहमी या झगड़ा या संघर्ष, हत्या या अन्य कोई ऐसी बात न होने दें। कुछ भी ऐसा नहीं होना चहिए। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस मामले पर तत्काल विचार करे।

**श्री जयदीप सिंह** (गोधरा) : उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात राज्य तथा वहां की वर्तमान स्थिति के विषय में हो रही चर्चा को मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा था। यह एक गम्भीर स्थिति है तथा मैं समझता हूँ कि यह अच्छी बात है कि हम आज यहां इस मामले पर विचार-विमर्श कर रहे हैं क्योंकि अब समय आ गया है कि इस देश में हम एक बार सदा के लिये इस विशिष्ट प्रश्न के विषय में निर्णय कर लें।

तथापि, महोदय, इस पर आने से पूर्व, मैं कहना चाहता हूं कि श्री राजदा को जिन्होंने यह संकल्प प्रस्तुत किया है, इस तथ्य के संबंध में थोड़ी और अधिक सूचना प्राप्त करनी चाहिए थी

क्योंकि यह पूर्णतया तोड़ी मरोड़ी हुई थी तथा ऐसा लगता है कि जो भी सूचना उन्होंने एकत्र की थी वह बिलकुल प्रामाणिक नहीं थी सर्वप्रथम तो यह आन्दोलन इसलिए आरम्भ हुआ क्योंकि छात्रों ने एक विशिष्ट प्रकार की मांग रखी थी। वे चाहते थे कि मेडिकल कालेज की स्नातकोत्तर कक्षाओं में आरक्षण समाप्त किया जाए। उन्हें निश्चित और स्पष्ट तौर पर बताया गया था कि आरक्षण बिलकुल समाप्त नहीं किया जा सकता है, परन्तु यदि उन्हें कुछ अन्य रियायतें, कुछ अन्य सुविधा या चीजें उपलब्ध कराई जा सकती हैं, तो उनके बारे में विचार किया जा सकता है, जिसके परिणाम-स्वरूप उन्होंने बात-चीत की। इस बातचीत के दौरान, इसे आगे ले जाने के प्रश्न तथा परस्पर परिवर्तनीय आरक्षणों के प्रश्न पर चर्चा की गई थी।

मैं एक माननीय सदस्य की यह बात सुनकर आश्चर्य चकित हूं कि सरकार ने किसी भी मांग को क्यों स्वीकार किया ? आखिरकार सरकार को युक्तियुक्त होना पड़ता है। चाहे कोई भी सरकार हों यदि वह अनुभव करती है कि पद-दलित, पिछड़े लोगों के संबध में विचार करने की आवश्यकता है, उन्हें सहायता की आवश्यकता है, तो इसे यह भी सोचना होता है कि इस कारण-वश जहां कहीं भी अन्य योग्य व्यक्ति नुकसान उठा रहे हैं, उनको भी राहत पहुंचाने के लिए कुछ-न-कुछ किया जाना चाहिए। चूंकि कुछ आरक्षण दिया जावा है तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इससे दूसरों का अहित हो। यदि ऐसे कुछ विरोधाभास हैं, तो यह सरकार के अधिकार क्षेत्र में है कि इस प्रश्न के संबंध में उसे कोई निणय लेने का भी पूरा अधिकार है। इसलिए, इसने यह छोटी सी रियायत दी, जिसे उसने तकसंगत माना और मैं नहीं समझता कि इस विशिष्ट पहलू पर सरकार के अधिकार को चुनौती क्यों दी गई है ? यह हरिजन विरोधी होने का मामला बिलकुल भी नहीं है। इसके विपरीत, पूरे भारत में यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस दल पिछड़े वर्गों की ओर बहुत झुका हुआ है, केवल पिछड़े वर्गों की सहायता कर रहा है और किसी दूसरे की नहीं। अतः मैं नहीं समझता कि इस प्रकार का कोई आरोप हमारे ऊपर लगाया जा सकता है। निःसन्देह, यह आरोप उन्हीं लोगों द्वारा लगाया गया है जो अन्यथा असन्तुष्ट हैं और स्थिति का राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं।

वास्तव में जो कुछ हुआ है वह यह है। मैं इस वक्तव्य से भी सहमत नहीं हूं कि यह पूरे गुजरात में व्यापक रूप से फैला हुआ आन्दोलन है। यह आरम्भ में कई जिलों में शुरू हुआ था परन्तु इस समय यह अहमदाबाद और बड़ोदा के बीच के कुछ क्षेत्र तथा कुछ आस पास के क्षत्रों में ही है। यह केवल इसी क्षेत्र में है जहां पर मेडिकल छात्रों का प्रश्न था। क्या मैं यहां बैठे हुए सज्जनों से जो गुजरात में अपने दलों का नेतृत्व कर रहे हैं, से पूछ सकता हूं कि अब अन्य लोग आन्दोलन में क्यों शामिल हो रहे हैं तथा उन्हें इससे क्या मिलने की आशा है ? उदाहरणार्थ, कुछ दिन हुए बैंकों के कर्मचारी इसमें शामिल हो गए; जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों ने इसमें शामिल होने की धमकी दी और अन्य सरकारी कर्मचारियों ने भी इसमें शामिल होने की धमकी दी। वे ऐसा करके चिकित्सा छात्रों की किस प्रकार सहायता करेंगे ? शायद उनकी योजना और भी गहरी है।

सम्भवतः, यह एक क्रूर योजना है और यदि सरकार ने इस रियायत को मान लिया तो

[ श्री जयदीप सिंह ]

भविष्य में इन सेवाओं तथा जीवन बीमा निगम, बैंक तथा ऐसी अन्य सेवाओं में भी जहां आरक्षण है, आरक्षण समाप्त करने के लिये दबाव डाला जायेगा। यह एक गम्भीर प्रश्न है जिस पर मेरे विचार में हम सभी को इस तथ्य की ध्यान में रखते हुए विचार करना पड़ेगा कि यह प्रश्न देश के भविष्य से सम्बन्धित है केवल गुजरात से ही सम्बन्धित नहीं है क्योंकि यह एक ऐसा प्रश्न है जो जिसका अन्ततः प्रत्येक व्यक्ति पर प्रभाव पड़ेगा।

आज माननीय सदस्य श्री पासवान ने एक जोशीला भाषण दिया। मेरे विचार में इस प्रकार का भाषण स्थिति सुधारने के लिये सहायक सिद्ध नहीं होगा। इसे सचमुच एक जोशीला भाषण कहा जा सकता है। लेकिन मेरे विचार में इस समय जोशीले भाषण की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज ऐसे भाषण की आवश्यकता है जिससे लोग शांत हो जायें, आपस में लड़ें नहीं··· (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह उनके बोलने का आम तरीका है। (व्यवधान)

**श्री जयदीप सिंह** : आखिर सरकार को कौन कैसे दोषी ठहरा सकता है। यदि वहां लोक दल या भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो वे भी वैसा ही करते क्योंकि यदि कुछ लोगों का गिरोह आकर किसी दुकान को लूटने या जलाने या मकान को जलाने लग जाये और किसी की बात न सुने तो सरकार के पास गोली चलाने के अलावा और क्या रास्ता है। लेकिन प्रश्न यह है, वे ऐसा क्यों कर रहे हैं और हम उन्हें ऐसा करने से कैसे रोकने जा रहे हैं। सरकार को कानून और व्यवस्था बनाये रखनी है। यदि हम ऐसा नहीं करते तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी सभा में ऐसा शोर मच जायेगा कि कानून और व्यवस्था की स्थिति कायम नहीं की जा रही है और लोग जो जी में आये कर रहे हैं। उस स्थिति में हम क्या उत्तर देंगे ? अतः मेरे विचार में वह मामला ऐसा नहीं जिस पर विचार करने की आवश्यकता हो। सरकार अपना काम कर रही है। हमें इस बारे में ऐसा ही दृष्टिकोण अपनाना चाहिये।

मैं एक बात कहना चाहूंगा। गुजरात तथा भारत के अन्य भागों में निश्चय ही एक ऐसी स्थिति व्याप्त है जिसका हमें सामना करना है और यह स्थिति ऐसी है कि बहुत से लोग जिन्हें पिछड़े वर्ग का लाभ नहीं मिला है अपने आपको उपेक्षित अनुभव कर रहे हैं, वे अनुभव कर रहे हैं कि वे सक्षम और योग्य हैं और उन्हें उनका उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है। अतः इस मामले में, वर्तमान आरक्षण व्यवस्था को छेड़े बिना, हमें ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन उसके अतिरिक्त, जहां तक मुझे याद है, गुजरात सरकार ने, यह बात स्पष्ट कर ली है कि इस पर आरक्षण हटाने अथवा कम करने सम्बन्धी चर्चा नहीं की जा सकती। अतः यह करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। लेकिन इस मांग की असंगतता है। लेकिन जब बाद में बैठकें की गयीं, तो सरकार तथा अन्य एजेन्सियां इन लोगों से तनाव कम करने के लिये कहने आये ताकि जब भी तनाव कम हो तो बात करने और समाधान ढूंढ़ने के लिये अच्छा वातावरण बनेगा, केवल दो दिन पहले गैर राजनैतिक दलों की नागरिक समिति ने अहमदाबाद के प्रमुख नागरिकों की एक बैठक बुलायी जहां उन

आंदोलनकारियों ने उनसे फिलहाल कुछ मांगों को मानने के बारे में कहा और यह भी कहा कि शेष मांगों पर बाद में चर्चा हो सकती है। उनसे आंदोलन समाप्त करने के लिये भी कहा गया और यदि वह सम्भव न हो तो इसे कम से कम 3, 4 महीनों तक स्थागित किया जाये ताकि बातचीत शांतिपूर्ण वातावरण में हो सके। लेकिन वे उसके लिये सहमत नहीं हुये।

चूंकि मैं तर्क में नहीं पड़ना चाहता इसलिए न चाहते हुए भी यह कहना चाहता हूं कि इस आंदोलन से राजनैतिक दल सम्बद्ध हैं। यह सच है कि कुछ राजनैतिक दल जो उस राज्य में मजबूती से अपने पैर जमाना चाहते हैं हरे परिस्थिति का उपयोग अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। इसी कारण वे वहां हैं क्योंकि शुरू में आंदोलनकारी विद्यार्थियों ने अपनी मांगें पूरी करने के लिए जो आन्दोलन शुरू किया था उसमें बाद में अन्य दलों को आने का अच्छा अवसर मिला और जिसके फलस्वरूप यह सब कुछ हआ। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इससे चिकित्सा कालेज के विद्यार्थियों की समस्या हल नहीं होगी। इस समस्या का समाधान तभी होगा जब भारत के सभी राजनैतिक दलों के नेता यह निर्णय लें कि वे ऐसी भावनायें पैदा नहीं करेंगे और वे इन आन्दोलनों को समाप्त करने के पक्ष में हैं और वे लोगों को वर्ग संघर्ष के लिए भी प्रोत्साहित नहीं करेंगे।

श्री राजदा ने कहा कि आरक्षण की व्यवस्था 9 राज्यों में है। मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने यह कहा है···(व्यवधान)। निस्संदेह आप ठीक कह रहे हैं। बात यह है कि गुजरात भी एक प्रगतिशील राज्य है। यह आरक्षण के क्षेत्र में ही काम नहीं कर रहा बल्कि उन क्षेत्रों में भी कर रहा है जिनमें अन्य राज्यों ने नहीं किया है। क्या हम उल्टा कदम उठायें और पीछे हटें? क्या हम अपना साथ देने के लिए औरों का इन्तजार करें? आज प्रश्न यह है कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। हम इस बात को मान गये हैं कि यह ठीक है और हम जो कुछ ठीक है कर रहे हैं।

अन्त में मेरा सुझाव है और जिसकी मांग प्रत्येक व्यक्ति करेगा कि एक समाधान ढूंढ निकाला जाए·····

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** (बम्बई उत्तर-पूर्व) : एक सूत्र।

**श्री जयदीप सिंह** : ऐसा नहीं है। एक सीधा और साधारण समाधान नहीं है इसके लिए यदि श्री अटल बिहारी वाजपेयी सहमत हों तो गुजरात की समूची समस्या हल हो जाएगी····· (व्यवधान)

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** (नईदिल्ली) : क्या मैं इतना शक्तिशाली हूं?

**श्री जयदीप सिंह** : आप शक्तिशाली हैं।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : यह एक ऊंची बात है।

**श्री जयदीप सिंह** : मुझे आपकी प्रशंसा करने दीजिये। आप अपनी प्रशंसा क्यों करें?

[ श्री जयदीप सिंह ]

बात यह है। वहां दो विख्यात व्यक्ति हैं जो इनके अनुयायी हैं और ये वे लोग हैं सबसे ज्यादा इस आन्दोलन को भड़का रहे हैं।

यदि वह अभी श्री अशोक को यह संदेश भेज दें तो आधी कमस्या हल हो जाएगी···

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** (नई दिल्ली) : श्रीमान मुझे खेद है कि नाम लिए जा रहे हैं और आरोप लगाए जा रहे हैं। यह बहुत ही अन्यायपूर्ण है। मैं अहमदाबाद गया था। श्रीमान्, हमने एक स्पष्ट वक्तव्य दिया है और हम आरक्षण के लिए वचनबद्ध हैं।

**श्री के० लकप्पा** : आप क्यों गये ?

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या संघर्ष समिति में कोई कांग्रेस (आई) का सदस्य नहीं हैं ?···

**कुछ माननीय सदस्य** : नहीं··· (**व्यवधान**)

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : दलगत राजनीति में मत पड़िये। (**व्यवधान**)

**उपाध्यक्ष महोदय** : शान्त रहिए।

**श्री सत्य साधन चक्रवर्ती** : शीशे के घरों में रहने वालों को किसी अन्य लोगों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या आप अपना भाषण समाप्त कर चुके हैं ?···जी, श्री सूरजभान।

**श्री सूरजभान** (अम्बाला) : उपाध्यक्ष महोदय, किलवनमनी नाम के गांव जिला तंजौर, तमिलनाडु से चलकर बेलची, धर्मपुरा, पिपरा, कफालटा और मराठवाड़ा होते हुए आज हम गुजरात में खड़े हैं। पिछले हफ्ते माननीय अटल बिहारी वाजपेयी और श्री अडवानी जी के साथ मुझे वहां जाने का मौका मिला है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने हरिजनों की उजाड़ बस्तियां देखी हैं जो घरों में ताला लगाकर बाहर चले गये हैं। (**व्यवधान**) मुहल्ले और बाजार करफ्यू के कारण सुनसान हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन गली कूचों में गया हूं जहां इन्सानी खून के निशान अभी तक कायम हैं। उपाध्यक्ष महोदय अहमदाबाद की दीवारों पर और दरवाजों पर गोलियों के निशान अभी भी कायम हैं और अस्पताल में जाकर उन जख्मी लोगों की चीखें मैंने सुनी हैं, जिनके हाथों पर पट्टियां बंधी हैं और जिन्हें तेजाब फेंककर अन्धा कर दिया गया है। वहां की पूरी खून की होली देखने के बाद मेरी जुबान से एक ही बात निकलती है :

बरतरी के सुबूत की खातिर खून बहाना ही क्या जरूरी है,
घर की तारीकियां मिटाने को घर जलाना ही क्या जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह एजीटेशन क्यों शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, इसके बारे में जो चीजें

कही गई हैं मैं उन चीजों को दोहराना नहीं चाहूंगा। 25 दिसम्बर को जतलपुर गांव में एक हरिजन नौजवान पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया और उसे जिन्दा जला दिया गया। उसके बाद अगर मकवाना जी वहां पर एक पब्लिक मीटिंग में कहते हैं कि गुजरात की हुकूमत वहां के हरिजनों की हिफाजत करने के नाकाबिल है तो मैं समझता हूं कि कोई ज्यादती नहीं है, लेकिन उसके बाद वहां के मुख्य मंत्री कहते हैं कि मकवाना साहब यह इसलिए कह रहे हैं कि मैंने उनकी बीवी को मंत्री नहीं बनाया, इसलिए वे ऐसा कहते हैं। यह बात अखबारों में छपी है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, शुरूआत किस ढंग से हुई थी। मकवाना साहब और सोलंकी साहब की खींचातानी थी, लेकिन वह खींचा-तानी तो वहीं रह गई और कुछ और कुछ मामले बीच में आ गए हैं। शुरूआत वहां से हो सकती है और हुई भी है लेकिन आज चीज बहुत आगे बढ़ गई है। मैं बताना चाहता हूं कि जुल्म कितने-कितने हुए हैं। मैं गुजरात में देखकर आया हूं, शंकर सिंह लीवा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के म्यूनिस्पल कमेटी के चुनाव के उम्मीदवार थे, उनको दिन में छुरा मार दिया गया और कत्ल कर दिया गया और उसके पास की बस्ती 22 फरवरी को ही पूरी हरिजन बस्ती फूलचन्द की चाल जिसमें 225 घर हैं, खाली हो गई। पुलिस ने आज तक उनको प्रोटक्शन नहीं दी। वे दूसरों के घरों में जाकर बैठे हैं। उनकी शिकायत पुलिस के खिलाफ है। वहां के हरिजन लोग वकील और सरकारी कर्मचारी मेरे पास आए तो मैंने कहा कि आप मुख्य मन्त्री के पास क्यों नहीं जाते। उन्होंने बड़े दुःखी मन से जवाब दिया कि मुख्य मन्त्री कहते हैं कि : ऐसे ही मकवाना को उसने यह सलाह दी आप अपने मुख्य मंत्री से पूछ लीजिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, फूलचन्द की चाल, प्रीतम पुरा, गरोद नगर, राजपुरा, गोमती पुर, इन तमाम जगहों में हरिजनों पर अत्याचार हुए हैं। हरिजन पुलिस से तंग आए हुए हैं और दूसरे लोग भी पुलिस से तंग आए हुए हैं। दोनों पुलिस की शिकायत करते हैं। एक पुलिस इन्स्पेक्टर मिस्टर रावल हैं जो एक हरिजन नौजवान को छत पर गोली मारता है वह जवान मर जाता है, लोग उसके पीछे भागते हैं, वह हवाई फायर करता है। वह पुलिस इन्स्पेक्टर अपनी जान बचाने के लिए पुलिस अफसरों से कहता है कि हरिजनों ने एक जैन मन्दिर पर हमला कर दिया। कोई हमला नहीं हुआ। अफसरों ने बहुत कोशिश की, कुछ पता नहीं चला। कोई ईंट-पत्थर नहीं फेंका गया। उसके बाद वहां के पुलिस कमिश्नर श्री एम० एम० शाह ने एक हैण्ड आउट इशू किया। उसमें यह कहा गया कि हरिजनों ने एक जैन मन्दिर पर हमला करने की नाकामयाब कोशिश की। इस हैण्ड आउट की कापी मेरे पास है। आमतौर पर कहीं भी दंगे होते हैं तो यह नहीं कहा जाता कि मुसलमानों ने हिन्दुओं पर हमला किया या हिंदुओं ने मुसलमानों पर हमला किया। इस हैण्ड आउट पर वहां के पुलिस कमिश्नर के दस्तखत हैं। यह फोटोस्टेट कापी है। मैं मांग करता हूं कि उसको सस्पैंड किया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

केवल अखबारों का कसूर नहीं है। हमारे डेलीगेशन ने अखबार के सम्पादक से पूछा कि कैसे ऐसी बातें छपी हैं तो उन्होंने यह फोटोस्टेट कापी हमें दे दी है। इसमें लिखा हुआ है कि हरिजनों ने हमला किया एक अमीर पर, मंदिर पर। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जरूरत थी यह लिखने

[ श्री सूरज भान ]

की ? लेकिन लोगों को वहां भड़काया गया है। गुजरात गर्वनमेंट सबसे ज्यादा जिम्मेवार है भड़काने के लिए। गुजरात गर्वनमेंट की तरफ से यह एक पैम्फलैट छपा है। इसमें स्टेथेस्कोप को दिखाया गया है और उसके अन्दर छुरा दिखाया गया है, बसों और घरों में आग जलती हुई दिखाई गई है भड़काने के लिए लोगों को। यह गुजरात गवर्नमेंट का पैम्फलैट है। जन-संपर्क डिपार्टमेंट का है। इजाजत हो तो मैं इसको टेबल पर रखने के लिए भी तैयार हूं।

**श्री मनीराम बागड़ी :** इसको रखने की इजाजत दी जानी चाहिए।

**प्रो० मधु दण्डवते :** चूंकि वह उद्धृत कर चुके हैं अतः इसे सभा पटल पर रखा जाना चाहिए।

**उपाध्यक्ष महोदय :** इसकी जांच की जाएगी।

**श्री सूरज भान :** नड़ौरा एक मुहल्ला है। वहां हम गए थे। वहां गली के लोगों ने लोहे का दरवाजा लगा रखा था पुलिस ने जीप से ठोकरें मार-मारकर उस दरवाजे को तोड़ा। एक नौजवान सामने आया, उसको लिटा दिया गया और चार सिपाही उसके हाथों और जिस्म पर खड़े हो गए और उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। जब उसने चीखना शुरू किया हाय बाप, हाय मां, तो उसके आगे माइक रख दिया गया ताकि उसकी चीखें और उसकी चिल्लाहट सारा मुहल्ला सुन सके। इस तरह से वहां पर टैरर फैलाने की कोशिश की गई। एजीटेशन को खत्म करने और शांति लाने का क्या यही तरीका है ?

हरिजनों पर हमले होते हैं कुछ दिन तक। लेकिन शैड्यूल्ड ट्राइब्ज भी तो हैं जिनके लिए रिजर्वेशन है और वे बेचारे कैसे बचे रह सकते थे। 27 फरवरी को आदिवासियों के छात्रावास पर जहां बच्चे पढ़ते हैं, हमला किया गया। सरदारनगर एक मुहल्ला है। वहां पर कोई हरिजनों की समस्या नहीं है, रिजर्वेशन की या उसके खिलाफ कुछ आवाज नहीं थी, केवल सिन्धी लोग रहते हैं। एक इन्स्पेक्टर पुलिस नेगी खुद एक दुकान को आग लगाता है और डाकखाना जलाने की कोशिश करता है। उनको पीटता है झूठे केस चलाता है।

एक और गांव है जिसका नाम शायद मुजरिया है। वहां शराब के नशे में पुलिस के आदमी रात के साढ़े नौ बजे गोली चलाते हैं, दो आदमी मर जाते हैं दो जख्मी हो जाते हैं और यह सब विदाउट एनी प्रोवोकेशन के किया जाता है और उसके बाद उसको कवर अप करने के लिए रात के बारह बजे पुलिस के आदमी एक खोखे में आग लगाते हैं और आग लगाते हुए स्कूल का एक प्रिंसिपल वहां का···(**व्यवधान**) एक आटे के मिल का मालिक उन्हें देख लेता है।

**उपाध्यक्ष महोदय :** आप कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें।

**श्री सूरज भान :** वहां इशू रिजर्वेशन का है। इस इशू को हल करने के लिए वहां बहुत गलत तरीके निकाले गए हैं। कहा गया है कि हरिजन प्रोफेसर बन जाएगा तो किसको पढ़ाएगा

और क्या पढ़ाएगा ? उसको कुछ आता ही नहीं है । 117 प्रोफेसर वहां हैं जिनमें से एक हरिजन है और उस एक हरिजन की कहानी भी यह है कि वहां गुजरात में उसको फेल कर दिया गया था और वह इंग्लैंड जा कर वहां से पास हो कर आया तब उसको प्रोफेसर बनाया गया । तब भी उस को नाकाबिल कहा जाता है ।

वहां 65 सीटें हैं । इस साल उस में से केवल सात दी गई है या मिल सकी हैं । कैंडीडेट भी ज्यादा नहीं थे । लेकिन इन सात के खिलाफ भी उनको शिकायत है । कैरी फार्वर्ड के सिद्धान्त को भी वहां तिलांजलि दे दी गई है, इंटरचेंजेबिलिटी को खत्म कर दिया गया है, कत्ल कर दिया गया और रोस्टर को भी खत्म कर दिया गया है मुख्य मंत्री के द्वारा और दलील यह दी हे कि 65 की 65 मैरिट से ले लो और सात एडीशनल पोस्ट्स हरिजनों के लिए क्रियेट कर देते हैं लेकिन इससे भी वे सैटिसफाइड नहीं हैं । वह कहते हैं कि मेरिट के हिसाब से ही लो, वर्ना न लो । इससे मैं सेटिसफार्ड नहीं हूं । और मैं एक सवाल माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो तरीका गुजरात में आपने शुरू किया है उनको सेटिसफाई करने के लिए क्या इसको तमाम भारत में शुरू करना चाहते हैं ? क्या कैरी फारवर्ड, इंटरचेंजेबिलिटी और रोस्टर सिस्टम को तमाम हिन्दुस्तान की सर्विसेज में खत्म करेंगे ? हम तो पहले ही आर्टिकिल 335 से तंग थे ।

"कार्य पटुता को बनाये रखने के अध्यधीन"

अब तो उसके साथ-साथ प्रधान मंत्री जी ने एक और चीज जोड़ दी है । 25 तारीख को उन्होंने राज्य सभा में कहा : कमजोर वर्गों के हितों को बढ़ाने की हमारी नैतिक तथा संवैधानिक जिम्मेदारी है हम अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं । परन्तु स्वाभाविक रूप से हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि योग्यता की उपेक्षा की जाए और कोई वर्ग यह महसूस न करे कि भेद-भाव बरता जा रहा है । मैं पूछना चाहता हूं कि हम तो पहले ही आर्टिकिल 335 से तंग थे, उसके कारण पहले ही आदमी नहीं लिये जाते थे । कैरी फारवर्ड होती थीं, इंटरचेंजेबिलिटी होती थी । लेकिन अब तो मेरिट भी जोड़ दी गई । मैं गृह मंत्री जी को उस हाउस में सुन रहा था, उन्होंने कहा कि दोनों चीजें मुमकिन हैं, रिजर्वेशन भी चलेगा और मेरिट भी चलेगी । कैसे चलेगी, मेरी समझ में नहीं आता ? कौन सा फारमूला है ? गुजरात वाला तो बिल्कुल गलत है । यह जो खूनी होली चली है रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए यह पहला मामला नहीं है । आज से 15 साल पहले एक सटल और रिफाइन्ड तरीके से रिजर्वेशन को खत्म करने की कोशिश की गई । श्री एन० के० बास, एक सीनियर आफिसर ने गौहाटी में बयान दिया कि रिजर्वेशन से हम तंग है, इसको रोकना चाहिए । माननीय डी० बसुमतारी ने 1966 में इस हाऊस में इसको रेज किया कि इस अफसर के खिलाफ कार्यवाही की जाए । लेकिन वैसा न कर के उस अफसर को शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर बनाया गया । अगर किसी ने कांस्टीट्यूऐंट असेम्बली की वाद-विवाद पढ़ी हो तो पायेंगे उसमें लिखा था कि आरक्षण 10 साल के लिये क्यों किया गया है ? उन्होंने कहा हमने एक अफसर रखा है जो 10 साल बाद रिपोर्ट देगा और फिर सोचा जाएगा । फिर उस अफसर श्री एन० के० बॉस ने 1968 में श्रीनगर में हुई नेशनल इंटेगरेशन कोउन्सिल की मिटिंग में वंडरफुल रिकमन्डेशन्स दीं, जिनको सीक्रेट रखा गया । पहली

[ श्री सूरजभान ]

रिकमन्डेशन यह दी कि हरिजन, आदिवासी को दसवीं जमात से आगे पढ़ने नहीं देना चाहिए। दूसरी यह दी कि हरिजन आदिवासियों के लिए रिजर्वेशन तुरन्त खत्म करना चाहिए। जब यह फैक्ट्स और रिकमन्डेशन्स मुझे मुश्किल से मिलीं तो मैंने तमाम शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स एम० पीज० से जिनकी तादाद 80 थी 1969 में दस्तखत करा कर प्रधान मंत्री से प्रार्थना की कि इस आदमो को हटाया जाए, यह ऐंटी शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स है। लेकिन उसको हटाने के बजाए उसका एक साल का ऐक्सटेंशन दिया गया। यह बहुत सीरियस कांसपिरेसी है जो हरिजनों और आदिवासियों के खिलाफ चलायी जा रही है।

अब एक बहुत वन्डरफुल रिकमन्डेशन दी है डा० गोपाल सिंह ने कि जो क्लास 1 के अफसर हो गये हैं शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोग या जो एम० पी० हो गये हैं उनके बच्चों को कोई कंसेशन नहीं मिलना चाहिए। जो थोड़े बहुत लड़के आने लग गये हैं सर्विसेज में, पहले तो यह शिकायत थी कि सूटेबिल नहीं हैं, अब जब सूटेबिल हो गये हैं तो क्लास 1 और एम० पीज० के लड़कों को कंसेशन देना बन्द कर दिया जाए।

एक और होम मिनिस्ट्री में प्रोपोजल ऐग्जामिन हो रहा है कि रिजवर्ड कांस्टीट्यूऐंसी को रोटेट कर दिया जाए बिना किसी प्रिन्सिपिल के। अभी यह है कि जहां शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पोपूलेशन अधिक है वहीं कांस्टीट्यूऐंसी आरक्षित होनी चाहिए। गृह मंत्री जी जवाब दें कि क्या अब आप यह चाहते हैं कि इसको रद्द कर दिया जाए और जहां उनकी पौपुलेशन कुछ भी न हो वहां भी वह चुनाव लड़ें? आपको इस बात की जानकारी होगी कि सैपरेट इलैक्टोरेट न मानते हुए भी यह आरक्षण दिया गया था कि आप इस रिजर्वेशन को भी खत्म करना चाहते हैं।

एक तलख चीज मैं और कहना चाहता हूं जिसमें पौलिटिक्स का सम्बन्ध नहीं है और पालिटिशियन का सम्बन्ध भी नहीं है। 1971 में जब सुप्रीम कोर्ट का जजमैंट हुआ तो 1972 में गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन हुआ पदोन्नति में आरक्षण होना चाहिए। वह लंगड़ी इंस्ट्रक्शन इश्यू हुई, उसमें कहा गया सीनियर क्लास-1 सेवाओं को छोड़कर और उस एक्सैप्टिंग सीनियर क्लास-1 सर्विस के बारे में सन् 77 में जनता रिजीम में लोगों ने मांग की कि सीनियर क्लास -1 सेवाओं में क्यों नहीं? क्योंकि सीनियर क्लास-1 सर्विस ने ही सारी आग लगाई हुई है। उन लोगों को डर था कि अगर यह मूवमेंट उभरती है तो हमारे ऊपर भी यह रिजर्वेशन का कुल्हाड़ा चलेगा। रिजर्वेशन की यह आग सीनियर क्लास-1 अफसरों ने श्रेणी II, III और IV में भड़काई है।

गुजरात में जो कुछ हुआ है, उसके लिए हाई पावर्ड इन्क्वायरी कमीशन बैठाना चाहिए कि किस को क्या नुकसान हुआ है, कौन जिम्मेदार है, कितना नुकसान हुआ है और क्या कुछ हुआ है, इसकी इन्क्वायरी हो और उनको कम्पैन्सेशन दिया जाए।

कुछ भाइयों ने यहां से कहा था कि कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार नहीं है। मैं यह नहीं कहना चाहता, लेकिन ज्ञानी जी से रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि जिनके नाम मैं ले रहा हूं, उनके खिलाफ कार्यवाही कीजिए। ये कांग्रेस के आदमी हैं जो गुजरात की सारी एक्शन कमेटी चला रहे हैं, उसके

मेम्बर हैं डा० पी० एल० शाह जो कांग्रेस (आई) के असेम्बली के कैंडीडेट थे वहां का एलिस ब्रिज कांस्टीट्यूएन्सी से, इलैक्शन लड़े हैं। एक डा० के० के० शाह हैं जो सैक्रेटरी इंडियन मैडिकल एसोसियेशन के है और कांग्रेस (आई) के कैंडीडेट थे फ्राम पालड़ीवोर्ड म्युनिसिपल इलैक्शन। एक डा० रंजन नानावती हैं जो अहमदाबाद के हैं और एक डा० इन्द्रवदन शाह हैं जो कि कांग्रेस (आई) के सिटिंग कार्पोरेटर है कार्पोरेशन के। एक डा० अमृत पारिख हैं।

यह शायद किसी को यकीन नहीं होगा, मैं नई दिल्ली मेगजीन से क्वोट कर रहा हूं। आदरणीय मकवाना जी की मिसेज क्या कह रही हैं—

"किन्तु शान्ताबेन ने यह माना कि सत्ता दल के सदस्यों ने जातिवाद की भावनाओं को भड़काया था। 'उदाहरणार्थ डा० के० के० शाह को लीजिये, उन्होंने यह कहा : 'वह दल' के निदेश का विरोध कर रहे हैं और चिकित्सा छात्रों का समर्थन कर रहे हैं। दुर्भाग्य से कांग्रेस (आई) में भी साम्प्रदायिक दलबन्दी है।"

उपाध्यक्ष महोदय, देखना होगा कि यहां बैठे हुए कितने रावत साहब हैं और कितने जगदीश सिंह हैं ? मैंने वह हालात वहां के देखें है। एक 25 साल के हरिजन नौजवान पर तेजाब फेंका गया और वह आंख से अन्धा हो गया। वह तड़प रहा था।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि रिजर्वेशन का पीरियड तो बढ़ता जाता है, गलत-फहमी फैलती जाती है कि रिजर्वेशन बढ़ती जायेगी।

**उपाध्यक्ष महोदय :** आप उनके आरक्षण के समर्थक हैं, परन्तु आप चाहते है कि दूसरे लोग न बोलें।

**श्री सूरज भान :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं कन्क्लूड कर रहा हूं।

मैं यह कह रहा हूं कि आप जात-पांत खत्म कर दीजिए। हम एक मिनट के लिये भी आरक्षण नहीं चाहेंगे। रहा इस बात का सवाल, वेंकटासुब्बैय्या जी ने कहा है कि आप इम्पलीमैन्टेशन कैसे करेंगे ? मैं एक तरीका बताना चाहता हूं, लेकिन गवर्नमेंट मानेगी नहीं। अगर रिजर्वेशन को ईमानदारी से इम्पलीमेंट करना है, तो कानून बनाइये कि सर्विसेज में इम्पलीमेंटेशन हो। सामान्य रूप से संविधान में एक प्रावधान है परन्तु दोषियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं करता है।

अगर स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती हैं, उड़ीसा और मणिपुर ने बनाया है, वैस्ट बंगाल ने बनाकर तो पीनल क्लाज भी रख दिया है, अगर कोई इसको इम्पलीमेंट नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। अगर आप इन सर्विसेज में वास्तव में इसे इम्पलीमेंट करना चाहते हैं तो कानून बनाइये, वरना यह बात ऐसे ही चलती रहेगी।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस रिजर्वेशन के इश्यू पर बहुत गड़बड़ इम्पलीमेंटेशन के तरीके पर कर रखी है। मेरा कहना है कि इस गड़बड़ कोखत्म करने के लिये एक आल पार्टी मीटिंग बुलाई जाये, किसी के मन में शक न रहे, इसके लिये भी आप एक मीटिंग बुलायें।

[ श्री सूरज भान ]

मैंने कुछ चन्द बातें कहीं हैं, मैं इतनी उम्मीद रखूंगा ज्ञानी जी से कि वे इन बातों का ठीक जवाब देंगे कि इस मसले को हल करने के लिए वे क्या चाहते हैं ? धन्यवाद ।

**प्रो० एन० जी० रंगा :** क्या हम 9 बजे के बाद बैठे रहे हैं ।

**एक माननीय सदस्य :** नहीं ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** अभी प्रो० रंगा ने पूछा है कि क्या हम 9 बजे के बाद बैठ रहे हैं।

**एक माननीय सदस्य :** नहीं ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं सभा की भावनाओं को जानना चाहता हूं ।

**श्री मनीराम बागड़ी :** अगर समय नहीं मिलेगा तो बैठेंगें कैसे नहीं ? चाहे सारी रात यह बैठक चले ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रत्येक को समय का पाबन्द होना चाहिए ।

**श्री राम स्वरूप राम :** उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन ऐसे गंभीर विषय को लिए हुए हैं। **(व्यवधान)**

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** मुझे एक सुझाव देना है । हम सभी सदस्यों को सुनना चाहेंगे जो बोलने में दिलचस्पी रखते हैं । वाद-विवाद को कल 6 बजे के बाद भी चलने दिया जाए ।

**श्री पी० वेंकट सुब्बय्या :** जी नहीं, श्रीमान ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** इसे आज ही समाप्त किया जाना है ।

**श्री पी० वेंकट सुब्बय्या :** चूंकि सभा की इच्छा है कि यह आज ही समाप्त किया जाना चाहिए और रामस्वरूप राम के भाषण के बाद आप गृह मंत्री को पुकारिये ।

**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : जी नहीं, श्रीमान्, भारतीय कम्युनिस्ट दल भी नहीं बोला है ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** मैंने कहा कि प्रत्येक माननीय सदस्य केवल दस मिनट लेगा परन्तु उस का कोई पालन नहीं करता है । वे बीस मिनट और उससे भी अधिक समय लेते हैं ।··· **(व्यवधान)**** जब मैं बोल रहा हूं तो आप कैसे बोल सकते हैं ? कृपया बैठ जाइये । इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा । जब वे बोलते जाते है तब आपको उन्हें रोकना चाहिए ।

**श्री रामावतार शास्त्री :** मैं कैसे रोक सकता हूँ ? मैं उपाध्यक्ष महोदय नहीं हूँ ।

**श्री रामस्वरूप राम :** उपाध्यक्ष महोदय, आज यह सदन एक गम्भीर मसले को लेकर···

**प्रो० एन० जी० रंगा :** वह अपना भाषण कल क्यों नहीं जारी रखते हैं ?

**श्री यशवंत राव चव्हाण** (सतारा) : जो वाद-विवाद सदन में चल रहा है वह राष्ट्रीय

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

महत्व का है। इसे रोकने में समय की कोई बात नहीं होनी चाहिए। हमने 9 बजे तक बैठने का निर्णय कर लिया है और हमने सोचा कि हम उस समय तक समाप्त कर सकते हैं। परन्तु अति महत्वपूर्ण सदस्य अभी तक नहीं बोले हैं। मेरे दल से श्री जगजीवन राम भी इस विषय पर बोलना चाहते हैं और देश इस विषय पर विभिन्न दलों के विचारों को जानना चाहता है। यह राष्ट्र के समक्ष एक अतिमहत्वपूर्ण विषय है। इसे हम कल 6 बजे के बाद जारी रख सकते हैं। मुझे आशा है कि वे इसे स्वीकार करेंगे।

**प्रो० मधु दंडवते :** यह एक बहुत अच्छा सुझाव है।

**श्री मनीराम बागड़ी :** यह एक अच्छा सजेस्शन है।

**उपाध्यक्ष महोदय :** श्री रामस्वरूप को अपना भाषण जारी रखने दें। इस बीच श्री वेंकट सुब्बय्या आप हमें बतायें।

**श्री राम स्वरूप राम** (गया) : उपाध्यक्ष महोदय, आज यह सम्मानित सदस्य एक बहुत ही गम्भीर मसले पर विचार कर रहा है। यह मसला सिर्फ गुजरात का ही नहीं है। आज एक ऐसे मसले पर विचार हो रहा है, जो एक राष्ट्रीय महत्व का मसला है। हमारे सम्मानित सदस्य, श्री मोहन लाल सुखाड़िया, ने प्रति पक्ष के लोगों से निवेदन किया था कि इस मसले को राजनैतिक कलर न दिया जाये, बल्कि शुद्ध राष्ट्रीयता की भावना से इस मसले को निपटाया जाये। लेकिन प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने खवामखा इसमें राजनैतिक दांव-पेंच शुरू कर दिया है।

हम कहना चाहते हैं कि हरिजन-आदिवासियों के लिए जो रिजर्वेशन रखा गया है, उसका अधिकार हमारे संविधान द्वारा दिया गया है। हमारी आबादी देश की आबादी का 20 परसेंट है। इसलिए हरिजनों को तो और ज्यादा रिजर्वेशन मिलना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस की हुकूमत ने, जिसके नेतृत्व में यह देश चल रहा है, रिजर्वेशन की व्यवस्था की थी। यह हमारा मुद्दा है। उसके विरोध का मुद्दा तो उन लोगों का है। (व्यवधान) हम श्री सोमनाथ चटर्जी के बड़े शुक्रगुजार हैं, हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के भी शुक्रगुजार हैं कि इतने बड़े कांड पर भी उन्होंने कहा कि नहीं, रिजर्वेशन हरिजन आदिवासियों का जन्मसिद्ध अधिकार है। तब तक यह चलता रहेगा जब तक हिन्दुस्तान में जाति पांत रहेगी। हम आपसे बड़े अदब से कहना चाहते हैं कि भारतीय लोकदल के कुछ नेता चाहे वह हमारे रामविलास जी हों चाहे मनीराम बागड़ी जी हों जो बराबर कहते हैं कि मैं तो केवल किसी का गला ही दबाता हूँ, ये लोग और हमारे माननीय वाजपेयी जी हैं, वे सब लोग खवामखा उस में राजनीति के दांवपेंच लगा रहे हैं। हम यह पूछना चाहते हैं कि बापू की भूमि गुजरात जहां पर हरिजनोद्धार का कार्यक्रम सबसे पहले शुरू किया गया था वहां पर हरिजनों को इंसानियत की जिन्दगी देने की बात शुरू की गई थी और बापू ने अपने नेक इरादे से हिन्दुस्तान के तमाम आदिवासियों को, तमाम हरिजनों को कहा कि सुनो, हिन्दुस्तान में जब तक हरिजन और आदिवासियों का उद्धार नहीं होगा तब तक हम देश का उद्धार नहीं कर सकते। हिन्दुस्तान की गरीबी का मतलब आज हरिजन और आदिवासी हैं। लेकिन जब कांग्रेस की हुकूमत हरिजन और आदिवासियों के हित में कोई कार्यक्रम शुरू करती है तब तक प्रतिपक्ष में बैठे हुए ये लोग

[ श्री राम स्वरूप राम ]

सरकार के अटेंशन को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। 1974 में श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में लैंड रिफार्म का कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसमें तमाम हरिजनों को और आदिवासियों को जमीन देने की बात की गई थी। लेकिन 1974 में प्रतिपक्ष में बैठे हुए लोगों ने चाहे वह चरण सिंह जी हों या अटल बिहारी वाजपेयी हों, उन्होंने कहा कि हरिजनों को जमीन बांट देंगे, यह कैसे होगा ? तब उसके खिलाफ उन्होंने कार्यक्रम चलाया था कि विधान सभा भंग करो, गुजरात असेम्बली को भंग करो और दूसरी विधान सभाओं को भंग करो। यह जब जब हरिजनों के लिए कोई कार्यक्रम चलता है तब तब प्रतिपक्ष में बैठे हुए हमारे साथी चाहे बाजपेयी जी हों चाहे चरण सिंह हों ये सब लोग मिलकर कांतपिरेसी करते हैं कि कैसे सरकार का अटेंशन डाइवर्ट किया जाये।

वह रिजर्वेशन हमारा चलाया हुआ है, कांग्रेस की हुकूमत ने इसे चलाया है। हर कीमत पर हमें इस को लागू करना होगा। इसके लिए जितनी भी कुर्बानी देनी पड़ेगी वह दी जायगी लेकिन रिजर्वेशन हरिजन आदिवासियों के लिए बरकार रहेगा।

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। मैं यह नहीं कहता हूं कि किसका इसमें दोष है किसका नहीं है। मैंने शुरू में कहा कि यह सवाल राजनीति का नहीं है, यह शुद्ध मानवता का सवाल है, हरिजन और आदिवासियों के उद्धार का सवाल है। लेकिन मैं चन्द उदाहरण देना चाहता हूं। छात्र समिति के संयोजक हैं एक भास्कर भट्ट, वह कांग्रेस (आइ) के विधायकों का घेराव करवाने की धमकी देते हैं। 1974 में बिहार में क्या हुआ था ? यही तमाम प्रतिपक्ष में बैठने वाले लोग हम लोगों का घेराव करते थे और कहते थे कि इस्तीफा दो। क्यों इस्तीफा दो ? क्योंकि इंदिरा गांधी की हुकूमत देश के हरिजनों में यह भावना पैदा कर रही थी कि तुम कमजोर नहीं हो, सारी हुकूमत तुम्हारे पीछे है, तुम्हारी नीतियों के लिए है, जनकल्याण योजनाओं के लिए है। लेकिन इन लोगो ने सरकार के सारे नेक इरादों को हमेशा डिस्टर्ब करने की कोशिश की।

एक चीज और कहना चाहता हूं। 28 फरवरी के हिन्दुस्तान में निकला है कि अहमदाबाद में जंनता कर्फ्यू। यह जनता कर्फ्यू क्या है ? किसका एजीटेशन है ? यह तो कांग्रेस वालों ने कभी नहीं किया कि जनता कर्फ्यू चलायें या पैरलल गवर्नमेंट चलाएं। पैरलल गवर्नमेंट की भावना तो जयप्रकाश नारायण ने पैदा की। बिहार में उन्होंने यह भावना पैदा की और आपके गुजरात में किसी और ने की थी। यह जनता कर्फ्यू क्या चला रहे हैं। बिहार में जब इसी तरह का आंदोलन चला था तो असामाजिक तत्त्व जाकर वाइस चांसलर की कुर्सी पर बैठ गये थे और वाइस चांसलर बन गए थे, पैरलल गवर्नमेंट चला रहे थे। मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूँ इसके साथ राजनैतिक सौदेबाजी न करें, बहुत गंभीरता से इसको लें। हरिजन आपके बरगलाने में आने वाले नहीं हैं क्यों कि वे जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का दिया हुआ यह रिजर्वेशन है जो हरिजन और आदिवासियों को मिला है। आज आप यहां पर हरिजनों को मारने की बात उठाते हैं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि हरिजनों को मारने की आदत किसने डाली ? आपने डाली। (व्यवधान) मैं आपसे यह चीज पूछना चाहता हूं कि हरिजनों को जलाने की, हरिजनों को मारने की आदत हिन्दुस्तान में किसने

लगाई ? यह आदत आपने लगाई और वाजपेयी जी ने लगाई। आज आप यहां पर हरिजनों के मसीहा बने हुए हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आप हरिजनों के मसीहा कभी नहीं बन सकते हैं। हरिजनों के मसीहा बनने वाले बाबू जी आज प्रतिपक्ष में बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ श्री चरणसिंह ने कहा था कि मैं मोरारजी की सरकार में दूसरे नम्बर का मंत्री बनूंगा, बाबू जगजीवन राम की सरकार में नहीं। (व्यवधान) हरिजनों की हिफाजत करने वाला अगर इस देश में कोई है तो वह केवल कांग्रेस की हुकूमत ही है।

**उपाध्यक्ष महोदय :** श्री रामस्वरूप राम, कृपया बैठ जाइये।

**श्री पी० वेंकट सुब्बय्या :** उपाध्यक्ष महोदय, हम किसी व्यक्ति को वाद-विवाद में भाग लेने से रोकना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सभी राजनीतिक दलों तथा उनके प्रतिनिधियों को बोलने के लिए कहा जाये। महोदय, क्या मैं आपके जरिये यह अनुरोध कर सकता हूं कि गृह मंत्री को कहा जाये कि वह 10.00 बजे उत्तर दें ? (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय :** हां, हां। (व्यवधान) मुझे उनका प्रस्ताव स्वीकार। (व्यवधान) क्या आपने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है ?

**कुछ माननीय सदस्य :** नहीं, नहीं, हमें स्वीकार नहीं हैं। (व्यवधान)

**प्रो० मधु दंडवते :** माननीय मंत्री से एक अनुरोध है इस विषय के महत्त्व को देखते हुए यदि हम कल गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के बाद शाम को 6.00 बजे बैठ जायें तो इसमें क्या तकनीकी कठिनाई है ?

**एक माननीय सदस्य :** यह स्वीकार्य नहीं है।

**प्रो० मधु दंडवते :** मैं आप से नहीं पूछ रहा हूं (व्यवधान) मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि तकनीकी कठिनाई क्या है। (व्यवधान)

**श्री पी० वेंकट सुब्बय्या :** मैं उपाध्यक्ष महोदय से अपील करता हूं। वह सभी सदस्यों को अवसर दे सकते हैं। हमारे सदस्य अपनी बारी छोड़ देंगे और गृह मंत्री अपना भाषण 10.00 बजे तक समाप्त कर लें और उसके बाद उपाध्यक्ष महोदय आप उन सब राजनीतिक दलों को अवसर दे सकते हैं जिन्होंने भाग नहीं लिया है। और हमारी ओर से..... (व्यवधान)

**प्रो० मधु दंडवते :** यदि हम कल 6.00 बजे शाम को बैठें तो इसमें क्या तकनीकी कठिनाई है ? (व्यवधान)

**श्री पी० वेंकट सुब्बय्या :** आपको याद होगा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी अध्यक्ष महोदय ने यह कहा था कि चाहे कितना भी समय लगे हमें यह संकल्प आज समाप्त कर लेना चाहिए। कार्य मंत्रणा समिति में यही आम सहमति हुई थी। मैं केवल इतना ही दोहरा सकता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय उन सभी को अवसर दे सकते हैं और हमारे गृह मंत्री उत्तर दे देंगे। (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रत्येक सदस्य को एक अवसर दिया जायेगा । हां, हां । (व्यवधान)

**श्री पी० वेंकट सुब्बय्या :** उससे कोई अन्तर नहीं पड़ता । 10.00 बजे के बाद भी लोग बैठेंगे । (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय :** श्री रामस्वरूप राम, आप अपनी बात जारी रखिये ।

**श्री रामस्वरूप राम :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि वह कोई राजनीतिक विषय नहीं है और होना तो यह चाहिए कि हमारे तमाम अपोजीशन के लोगों और हमारी सरकार के लोगों को एक जगह बैठकर इतने गम्भीर मामले पर विचार करना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सुझाव यह है कि कैरी-फारवर्ड का जो सरकार ने एबोलिशन किया है, वहां से हटाया है, उसको अविलम्ब शुरू किया जाए । दूसरी चीज यह है कि रिजर्वेशन का कोटा न सिर्फ गुजरात बल्कि सारे हिन्दुस्तान में जब तक रिजर्वेशन का कोटा पूरा न हो, तब तक उसको बहाल किया जाए— चाहे वह बिहार हो, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो । जब तक हरिजनों को कोटा चाहे वह चपरासी का कोटा हो, आई० ए० एस० हो, आई० सी० एस० हो, इन्जीनियरिंग में हो, पूरा न हो दूसरी बहालियां रोक ली जायें । गुजरात का आन्दोलन आन्दोलन ही नहीं बल्कि अराजकता है और वह अराजकता फैलाने वाली दो ही पोलिटिकल पार्टियां हैं—एक लोकदल और दूसरे वाजपेयी जी । मैं उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वे कम से कम जातिभावना मत फैलावें, काम्युनलिज्म मत फैलावें, हरिजनों और आदिवासियों की हिन्दुस्तान में सेवा करना तो भगवान की सेवा करना है ।

इन शब्दों के साथ मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे ऐसे गम्भीर मामले पर बोलने के लिए समय दिया ।

**श्री जगजीवन राम** (सासाराम) : उपाध्यक्ष जी, यह ऐसा गम्भीर मामला है कि इसको राजनीतिक दल से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है । आरक्षण के सम्बन्ध में मैं बहुत कहना नहीं चाहूंगा । आज गुजरात में जो हो रहा है, उससे खतरा यह लगने लगा है कि हिन्दुस्तान में अनुसूचित जातियां बचेंगी या नहीं बचेंगी । जैसे जीनोसाइड का आज खतरा हो गया है, आरक्षण का खतरा नहीं रह गया है । मैं इस सम्बन्ध में विवरण नहीं देना चाहता हूं । मेरे पास तार और चिट्ठियां आती हैं । मैंने प्रधानमंत्री जी को वे चिट्ठियां और तार भेजी हैं कि इस तरह की घटनायें हो रही हैं । कई एक सौ लोग-कई एक हजार लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगहों पर पहुंच चुके हैं और उनके खिलाने-पिलाने का काम सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं हो रहा है । उनके बिरादरी के लोग ही चन्दा इकट्ठा करके खिला रहे हैं—क्या यह सरकार के लिए चिन्ता की बात नहीं है ? दो महीने होने को आ रहे हैं, लेकिन आन्दोलन चल रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं । अनुसूचित जाति के नेताओं ने लिख-लिखकर मुख्यमंत्री और गृहमंत्री को दिया है कि किन-किन अफसरों ने किस तरह से अत्याचारियों के साथ मिलकर अत्याचार किया है, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन (कार्यवाही) नहीं लिया गया । अगर यह साम्प्रदायिक दंगा होता, तो

हिन्दुस्तान में दो महीने चलने नहीं दिया जाता, लेकिन यह चल रहा है। इसीलिए कि एक धर्म के समझे जाने वाले लोगों में झगड़ा हो रहा है, नहीं तो हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े नेता वहां पहुंचे होते। राजदा जी ने कहा कि गुजरात में नेता कहां है, कौन है, तो क्या रविशंकर महाराज को निद्रा आ गई है और मोरारजी भाई गुजरात से बहिष्कृत हैं ? यह स्थिति वहां पैदा हो गई है। आरक्षण के सम्बन्ध में कहा जाता है कि कुछ लोग पैदाईशी कुशल होते हैं और कुछ पैदाईशी अकुशल होते हैं। मैं चाहूंगा कि गृह मंत्रालय एक कमीशन जारी करे और उस कमीशन में इस दक्षता की जांच की जाए—रेलवे को जितनी दुर्घटनाएं हुई हैं, वे आरक्षण वालों की वजह से हुई हैं या दूसरी वजह से

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

हुई हैं। बैंकों में जितने डिफालकेशन (गबन के मामले) केसेज हुए हैं, उनको आरक्षण वालों ने किया है या दूसरों ने किया है। कस्टम और दूसरी जगह जो स्मगलिंग हो रही हैं, वह आरक्षण वालों ने किया है या दूसरों ने किया है—इसकी जांच होनी चाहिए। अस्पताल में चीर-फाड़ से जितने लोग मरे हैं, उनमें से आरक्षण वालों से कितने मरे हैं और दूसरों से कितने मरे हैं—इसकी जांच होनी चाहिए। कहा जाता है कि यहां तो आरक्षण के कारण अकुशलता आ जाएगी, यह सवाल इन्सान की जिन्दगी का है।

मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्या कभी आपने यह जांच की है कि एक व्यक्ति पोस्ट-ग्रेजुएट लिया गया जिसके 80 प्रतिशत मार्क्स थे और एक दूसरा व्यक्ति लिया गया जिसके 50 प्रतिशत मार्क्स थे, क्या पोस्टग्रेजुएट परीक्षा में 80 प्रतिशत मार्क्स वाला 50 प्रतिशत मार्क्स वाले से सर्वदा आगे रहता है, ऐसा नहीं होता है। क्या इससे यह नतीजा नहीं निकलता है कि डिवीजन से आदमी पीछे नहीं हो जाता है। इसमें काम करने में अकुशलता की बात कहां आती है, मरीज के जीवन में खतरे की बात कहां आती है ? क्या कहीं यह इन्तजाम कर रखा है कि पोस्ट-ग्रेजुएट की जो परीक्षा होगी उसमें हरिजन या आदिवासी या पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए मार्क्स कम रखे जायेंगे ? अगर मार्क्स रखे जायेंगे तो मैं इसका विरोध करूंगा। कहीं ऐसा नहीं है। तब फिर अकुशलता और लोगों के जीवन के खतरे की तोहमत इन लोगों पर क्यों लगाई जा रही है ?

मैं एक बात और कहूंगा कि जिसको अभी सूरजभान जी ने भी कहा है और कुछ समय पहले मैंने भी कहा था। गुजरात में जो कुछ हो रहा है—7 प्रतिशत के ऊपर यदि 90 प्रतिशत लोगों का आक्रमण शुरू हो जाए, तो उसके बचने की गुन्जाइश कहां है ? अखबार वालों की तारीफ यह है कि पथराव हरिजनों पर हो रहा है लेकिन लिख रहे हैं कि हरिजन पथराव कर रहे हैं। क्या किसी भी समझदार व्यक्ति के दिमाग में यह बात आ सकती है—जिसकी आबादी 7 प्रतिहै, वह पहले आक्रमण करेगा ? यह समझने की बात है। इसकी भी जांच होनी चाहिए और न्यायिक जांच होनी चाहिए कि गुजरात में इस उपक्रम पर कितने लोग मरे हैं, कितनों के घर जलाये गये हैं ? आज कौन इसको देखता है ? यह केवल अहमदाबाद की बात नहीं है, आज गांवों में क्या हो रहा है ? कितने घर जला दिये गये हैं—इसके आंकड़े कौन इकट्ठे करेगा ? वहां की पुलिस और शासन पर लोगों को भरोसा नहीं रह गया है। मैंने वहां के मुख्यमंत्री को टेलीफोन किया था कि हमारे पास शिकायत आ रही है कि आपके पुलिस वाले आक्रमणकारियों से मिल गए

[ श्री जगजीवन राम ]

हैं, उनके ऊपर से लोगों का भरोसा उठ गया है, इसलिए आप बी० एस० एफ०, सी० आर० पी० या आर्मी के लोगों को उन हरिजन मुहल्लों में लगाइये जो चारों तरफ से दूसरों से घिरे हुए है। उन्होंने कहा—कुछ तो मैं कर रहा हूं, लेकिन देहातों में भेजना ज्यादा जरूरी है। इसका क्या नतीजा हुआ ? अहमदाबाद शहर में कितने लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरी कोआपरेटिव सोसाइटियों में चले गये। क्या किसी भी सभ्य सरकार के लिए यह चिन्ता और निन्दा का विषय नहीं है ? किसी भी सभ्य समाज में यह नहीं होता है कि किसी भी मुहल्ले से हजारों की तादाद में लोग निकाल दिये जायें, उनको अपने घरों को छोड़कर जाना पड़े और आपका शासन उनको कोई संरक्षण न दे सके। मैं इसमें राजनीति नहीं लाना चाहता था और न ही लाना चाहूंगा—लेकिन क्या आपके अन्दर खुद इस बात के लिए चिन्ता पैदा नहीं होती है कि यह आपकी सरकार की अकुशलता है ? हजारों लोगों को अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह जाने के लिए विवश होना पड़ा। वहां की सरकार क्या कर रही थी—यह आप के विचार करने के लिये मैं कह रहा हूं। मैं बहस में गर्मी नहीं लाना चाहता हूं मुझे आज आरक्षण की भी कोई चिन्ता नहीं है, चिन्ता केवल इस बात की है कि हमारा जीवन कैसे बचेगा ? फिर इस तरह की बातें हो रहीं हैं—अखबारों में पढ़ने को मिलता है, हैदराबाद में यह निश्चय किया गया है कि इन लोगों को याने हरिजन, आदिवासी तथा पिछड़ों को संगठित होने नहीं देंगे। मैंने उस दिन भी कहा था और आज फिर दोहराना चाहता हूं—अनुसूचित जातियों के लिए 7 प्रतिशत, जन-जातियों के लिये 14 प्रतिशत और पिछड़े हुए लोगों के लिए जिनमें ईसाई-मुसलमान भी शामिल हैं—10 प्रतिशत, इस तरह से आरक्षण है, लेकिन आज शिकार कौन हो रहा है—जिसके लिए 7 प्रतिशत है। यह समझने की बात है, शायद आपने समझने की कोशिश की हो ? यदि की है तो कुछ रोशनी डालिये।

लेकिन जो बात मैं कह रहा था वह यह थी कि एक बार दक्षता और कुशलता की जांच हो जानी चाहिए, इसके बारे में तय हो जानी चाहिये और कह तभी होगा जब इसके लिये एक न्यायिक कमीशन बैठाया जाये—जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज हों, तीन जज हों जिनमें एक हिन्दू हो, एक मुसलमान हो और एक ईसाई हो। आज हमारी दक्षता का निर्णय कौन करता है—जो हमको नहीं चाहता है। आरक्षण प्राप्त उम्मीदवार और कर्मचारियों की दक्षता का निर्णय वही करता है, जो शुरू से ही उन्हें नहीं चाहता। उसी का हाथ है इनकी दक्षता का फैसला करने में। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को अवसर आप दीजिए, वे किसी क्षेत्र में किसी से पीछे रहने वाले नहीं हैं और जब-जब अवसर आया है, उन्होंने साबित किया है। मैं सिर्फ अवसर की समानता चाहता हूं। ज्ञानी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक दिन के लिए भी संरक्षण नहीं चाहूंगा, आप अवसर की समानता दे दीजिए सबको। हमें अपने युवकों के ऊपर भरोसा है। आपने समानता कहां दी है। आप छात्रवृत्ति देते हैं और हमारे ऊपर अहसान भी करते हैं लेकिन छात्रवृत्ति भी आप इतनी देते हैं, जिससे पूरा पेट न भर सके, आधा पेट ही भरे। एक के पैरों को बांधकर रखा है और दूसरे के पैर की मालिश कराई और एक दिन बंधे हुए पैरों को खोला और कहा कि दोनों दौड़ो, हमारे यहां फेयर कम्पीटीशन है। यही फेयर कम्पीटीशन हमारे यहां चल रहा है और मैं भी इसमें रहा हूं, उस दोष से अपने को

अलग नहीं समझ सकता। आज हालात यह हैं कि दिल में बहुतों के पीड़ा है लेकिन लाज-लिहाज से कहते-कहते नहीं हैं। इसलिए वे मुझसे पूछते हैं कि आखिर ब्राह्मण क्या करते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि यह संरक्षण का प्रश्न नहीं है, आर्थिक प्रश्न नहीं है, एम्पलायमेंट का प्रश्न नहीं है बल्कि प्रश्न यह है कि मुल्क की हुकूमत में आप मुल्क के सभी लोगों की शिरकत चाहते हैं या नहीं? वह जमाना लद गया जब कुछ लोग यह समझते थे कि शासन करना उनका काम है और कुछ लोगों का काम है शासित होने का। वह बात अब नहीं चलेगी। इसलिए आज चाहे वह अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग हो, मुसलमान हो या ईसाई हो, सभी को आप को शासन में शिरकत देने की सुविधा बनानी पड़ेगी और नहीं बनाएंगे, तो इतिहास इस बात का साक्षी है कि यहां पर ब्राह्मण बहुत चतुर थे, क्षत्रिय बड़े बहादुर थे लेकिन फिर भी देश गुलाम हुआ। आप उस इतिहास की पुनरावृत्ति करने की तरफ मत जाइये और इतना मैं जरूर कहूंगा कि इमेंसीपेशन (मुक्ति) के माइने अगर आप यह समझते हैं कि गुजरात में जो कुछ हो रहा है, वह है और इमेंसीपेशन के माइने एलिमिनेशन (खात्मा) है, तो हम लोगों का एलिमिनेशन होने में कुछ समय लगेगा, ज्ञानी जी, और सम्भव है कि इनके एलिमिनेशन के साथ कुछ और लोगों का भी एलिमिनेशन हो। उस तरफ आपको नहीं चलना चाहिए। मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि क्या आपने बैठकर कभी अपने कमरे में यह नहीं सोचा और गुजरात में आगजनी, मारकाट, घरों में लूटपाट और औरतों की बेइज्जती को दो महीने तक चलने दिया। इसीलिए न कि हम उपद्रव करने वालों के सहधर्मी है, और दूसरा क्या कारण था? नहीं तो दो महीने तक आप इसको न चलने देते और इसको खत्म कर देते।

जो आंकड़े सूरजभान जी ने दिये हैं, मेरे पास भी सभी हैं। जिस परिपत्र का जिक्र सोमनाथ चटर्जी ने किया है, मैं नाम खोल देना चाहता हूं। श्री दया भाई परमार, एक्स-एम०पी० द्वारा वह लिखा गया है और जितना उन्होंने लिखा है उसकी प्रतियां गुजरात की सरकार के मुख्य-मंत्री तथा अन्य मंत्रियों को भेज दिया गया है, आपकी सरकार को भेजा गया है। आज से करीब 3 सप्ताह पहले पत्रकारों को दिया जा चुका था। उसमें वहां के पत्रकारों पर आरोप लगाये गये हैं और आज तक उनका खण्डन नहीं हुआ है। इसलिए मैं मानता हूं कि श्री दया भाई परमार ने जो कुछ कहा है, वह सत्य है। यह चिन्ता का विषय हो जाता है कि आपका मुख्यमंत्री कहे कि रिजर्वेशन से मुझे भी चोट लगती है। यह सोचने का विषय है। यह क्या चिन्ता का विषय नहीं है कि वहां का एक मंत्री कहे कि मैं राजपूत हूं और राजपूत की जबान से जो निकल गया, वह टल नहीं सकता। इसका खण्डन नहीं हुआ है, इसलिए मैं इसको दोहरा रहा हूं। दिल्ली में जब प्रेस कान्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें श्री दया भाई परमार ने एक मेमोरेण्डम दिया था। उसी में ये चीजें हैं जो चिन्ता का विषय बन जाती हैं। आप दो कमीशन जरूर बनाइये।

एक न्यायिक कमीशन द्वारा इस बात की जांच होनी चाहिए। गुजरात में जो कुछ हुआ, सवर्ण हिन्दुओं द्वारा जितना अत्याचार किया गया, इसमें शासन के और पुलिस अधिकारियों की कितनी साजिश रही है इस बात की जांच होनी चाहिए। यह जांच मैं इसलिए कह रहा हूं कि गुजरात में जो कुछ हो रहा है वह सारे भारत के लिए खतरा पैदा कर रहा है। आप इस बात को

[ श्री जगजीवन राम ]

याद रखिये कि चींटी और हाथी में कोई मुकाबला नहीं होता है। एक हाथी हजारों चींटियों को रौंद सकता है लेकिन अगर एक चींटी भी हाथी की सूंड में घुस जाए तो वह हाथी को कितना विवश बना सकती है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।

सभी राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं कि आरक्षण रहना चाहिए। सभी लोग भी यही सोचते हैं लेकिन यह बात दिल से कितनी आ रही है और मन से कितनी आ रही है यह मैं आप लोगों पर छोड़ देना चाहता हूं। किसी पर तोहमत लगाने की मेरी मंशा नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि तीस वर्ष में प्रथम श्रेणी के सिर्फ चार प्रतिशत ही स्थान इन लोगों को मिले हैं? क्या आप उनको उनका स्थान देने के लिए पूरी शताब्दी लगाना चाहते हैं? क्या आप समझते हैं कि ये एक शताब्दी तक धीरज रख सकेंगे? जब आदमी परेशान होता है तो उसके धीरज की सीमा भी खत्म हो जाती है और वह मरने तक के लिए विवश हो जाता है। आप क्यों विवश करना चाहते हैं कि वे मरने के लिए तैयार हों। इसको आपको देखना चाहिए।

क्लास फोर में भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को पूरा स्थान नहीं मिलता है। वहां भी ब्राह्मण रहता है और इसलिए रहता है कि जरूरत पड़ने पर खाना भी पका देगा। दक्षिण में तो ब्राह्मण चौथे दर्जे में नहीं आता है लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में तो उसकी मोनोपली बन जाती है। जब उससे बचता है तो दूसरों को दिया जाता है। हम ज्यादा नहीं चाहते। एक्सकेवेंजर (सफाई मजदूरों) में भी और में भी 18 परसेंट ही इन्हें दे दीजिए बाकी दूसरों को दे दीजिए। (व्यवधान)

श्री बूटा सिंह घबरा रहे हैं। सोच रहे होंगे कि हमारी (एक बाल्मिकी की) जलेबी की दुकान चांदनी चौक में क्यों नहीं हो सकती? आप हमको समान दर्जा दीजिए जो कि आज 32 वर्षों तक हम प्राप्त नहीं कर सके हैं। आज 32 वर्षों तक हम हिन्दु समाज के निकट नहीं आ पाये हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कोई कुशल से कुशल मुसलमान भाई चांदनी चौक में जलेबी की दुकान कर सकता है, या खोल सकता है? क्या कोई कुशल से कुशल हरिजन रसोइया, खाना बनाने वाला चांदनी चौक में होटल चला सकता है? आज तक जितने दरवाजे हमारे लिये बंद थे वे इन 32 वर्षों में भी पूरे खुले नहीं हैं। आप कहते हैं कि हमने बहुत कुछ कर दिया। हां हमारा कंठ कुछ खुला है। जितना कंठ हमारा खुला है, उसी से लोग परेशान हो रहे हैं। अभी तो हमारी थोड़ी ही आवाज खुली है उस पर भी यह सब हो रहा है।

हमें तो इस बात पर आश्चर्य हुआ कि गुजरात तो गांधी का प्रदेश है, वह तो सरदार पटेल का प्रदेश है जिसकी वजह से संविधान में अनुसूचित जातियों और जन-जातियों को संरक्षण किया गया। आज उन्हीं के प्रदेश में लोग उनकी मूर्ति पर खून का टीका लगायें। यह टीका कब लगाया गया तब लगाया गया जबकि वहां दफा 144 लागू थी, कर्फ्यू लगा हुआ था, पुलिस किसी को बाहर आने नहीं देती थी, उस समय सरदार पटेल की मूर्ति के सिर पर खून का टीका लगाया गया और

शपथ ली गयी कि जब तक आरक्षण खत्म नहीं होगा, हम आन्दोलन चलाते रहेंगे। इस तरह से करके वहां सरदार पटेल का अपमान हुआ सो हुआ लेकिन क्या इससे आपकी वहां की सरकार का अपमान नहीं हुआ और ऐसी चीजें वहां पर हुईं जहां पर कि कर्फ्यू लगा हुआ था। कितने ही लोग मारे गये। पुलिस का हाथ उसमें नहीं था तो फिर कैसे इतने लोग मारे गये ?

क्या आप इस सबके लिए शासन की जांच नहीं करायेंगे ? क्या वहां आपके शासन की स्वच्छता के लिए यह जरूरी नहीं हो गया है कि आप गुजरात की घटनाओं की जांच करने के बारे में कमीशन बिठायें ? एक कमीशन इस बात की भी जांच करने के लिए बनावें कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सरकारी मुलिजमों में कितनी दक्षता है। इन पर तुलनात्मक रूप से दक्षता कम होने का आरोप लगाया जाता है। इसकी भी एक न्यायिक कमीशन जांच करे कि ये कितने दक्ष हैं और दूसरे लोग कितने दक्ष हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम किसी से दक्षता में कम नहीं हैं।

मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता, लेकिन एक बार फिर दोहराना चाहूंगा कि गुजरात की समस्या अब गुजरात की नहीं रह गई है। आज गुजरात के लोग मुझे लिखते हैं कि अगर यह चीज मुसलमानों के साथ होती तो क्या सरकार 2 महीने तक इसको चलने देती। मैं अधिक समय नहीं लूंगा और फिर दोहराना चाहूंगा कि इन दो न्यायिक जांचों को आप करें ताकि सारी बात की सफाई हो जाए।

**श्री झारखण्डे राय** (घोसी) : माननीय सभापति महोदय, आज गुजरात की स्थिति बहुत गम्भीर है और जितना भी अभी तक यहां पर कहा जा चुका है, वह सुनने के बाद किसी को भी अब यह भ्रम नहीं रह गया है कि आज गुजरात की स्थिति सिविल वार सी हो चुकी है और भारत के पूर्वांचल से जो हालात चले वे आज भारत के पश्चिमी भाग में पहुंच चुके हैं। अभी हम सब और हमारी सरकार मिलकर आसाम और उसके आसपास के क्षेत्रों में अपेक्षित शांति स्थापित नहीं कर सके थे, समझौतों के द्वारा हल नहीं हो सका और हमारे सामने गुजरात का प्रश्न आ गया। ऐसी स्थिति में हमें भी यह सोचना होगा कि यह क्यों हो रहा है।

सभापति महोदय, हमारे देश में जहां-जहां और जब-जब आंदोलन हुए हैं, चाहे वे महंगाई के खिलाफ हों, बेकारी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अमीर-गरीब के बीच बढ़ती खाई के खिलाफ हों, तब-तब जनता के दिमाग को उस तरफ से डायवर्ट करने के लिए इस तरह के आंदोलनों की शुरूआत कर दी जाती है। यही आसाम में हुआ है और यही बात गुजरात में हो रही है। ऊपर से नीचे तक, अधिकारी और कर्मचारी, सशस्त्र बल और पुलिस तक, सभी आज दो हिस्सों में बंट गए हैं—आरक्षण और गैर-आरक्षण। जनवादी आंदोलन को समाप्त करने के लिए यह एक सुनियोजित षड्यंत्र है। इन आन्दोलनों को बाहर से भी सहायता मिल रही है। पिछले गुजरात के आन्दोलन में, अभी के आन्दोलन में, जो गलत है इसमें सब यही बातें नजर आ रही हैं। इसी तरह हिन्दुस्तान के दूसरे कोनों में भी किया जायगा। आज जनवादी शक्तियों, धर्म निरपेक्ष और समाज-

[ श्री झारखंडे राय ]

वादी शक्तियों को मिलकर इसका मुकाबला करने की जरूरत है। आज यह हमारा कर्त्तव्य हो गया है।

माननीय सभापति महोदय, यहीं की सरकार के बयान से यह स्पष्ट है कि मामला पूरे गुजरात में फैल चुका है, लेकिन इसके दो मुख्य केन्द्र हैं। अहमदाबाद, महसाना जिला जहां ज्यादा आंदोलन हुआ है। इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि क्षेत्र में यह आंदोलन मजबूत है और ज्यादा उग्र है, ज्यादा हिंसात्मक है, ज्यादा आगजनी और लूटपाट और गोली चालन के वाकये कहां हो रहे हैं, वहां कौन-सी शक्तियां मजबूत हैं, इन सब चीजों की जांच होनी चाहिए।

कांग्रेस का जो आन्तरिक झगड़ा है हो सकता है उसने कुछ इन्स्टीट्यूट किया हो लेकिन मैं इसको मुख्य शक्ति नहीं मानता। जैसा जगजीवन राम जी ने कहा है हमारे देश में मुख्य सवाल यह है कि हरिजन समुदाय या दूसरे दबे कुचले लोग जो शताब्दियों से दबे हुए हैं जिन्दा भी रह पाएंगे या नहीं, यह मुख्य प्रश्न है। मैं समझता हूं कि यह मसला ऐसा नहीं है कि जिसको हल न किया जा सकता हो। सुझाव के रूप में मैं कहना चाहता हूं कि रिजर्वेशन तो रहना चाहिये। यह सिद्धान्त की बात है जब तक पिछड़े व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह की स्थिति ऐसी न हो जाए कि समाज के दूसरे लोगों के स्तर तक वे पहुंच सकें और प्रगति के मार्ग पर बढ़ सकें तब तक आरक्षण रहना चाहिये। इसमें समय का कोई प्रश्न नहीं है। इस समस्या का हल सम्भव है। गुजरात सरकार के आखिरी प्रस्ताव और मैडीकल स्टुडेंट्स की मांग और छिप-छिपकर उनकी बातें जो हैं, उन दोनों में बहुत अन्तर नहीं है। अगर सरकार, मैडिकल स्टुडेंट्स और विरोधी पक्ष के लोग राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर बैठकर इसका हल निकालना चाहें तो जरूर हल निकल सकता है।

हमारे भूपेश गुप्त जी और समर मुखर्जी जी गए थे। दौरा करके आए हैं। उन्होंने जो रिपोर्ट दी है, सूचना दी है उससे मुझे विश्वास हो गया है कि सोल्यूशन निकाला जा सकता है। एक स्वर से हम आह्वान करें कि बिना शर्त एजीटेशन को वापिस ले लिया जाए और शान्तिपूर्ण वातावरण बनाया जाए ताकि त्रिपक्षी वार्ता सम्भव हो सके और शान्तिपूर्ण समाधान निकाला जा सके। हमारे साथियों ने डाक्टरों से, मुख्यमंत्री से, सरकार के विभिन्न अधिकारियों से बात की है, समाज के हर क्षेत्र के लोगों से बात की है और वे इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि समझौता हो सकता है अगर भारत दृढ़ता के साथ-साथ, सोलंकी जी और स्वास्थ्य मंत्री के विचारों की पृष्ठभूमि को देखते हुए विपक्षियों के साथ मिलकर एक नेशनल कंसैंसस तैयार करने की कोशिश करे। अगर इस तरह से रास्ता निकालने की की कोशिश की जाए तो रास्ता निकल सकता है।

इस विषय को गम्भीरता से लिया जाए। मैं फिर कहना चाहता हूं कि डाइवरशनरी टैक्टिक्स अपना करके आन्दोलन को गलत रास्ते पर मोड़ा जा रहा है। चाहे असम का मामला हो या गुजरात का या देश के किसी अन्य भाग का, यह जो चीज है यह बहुत खतरनाक है। जनवादी

आन्दोलन कोई नहीं चल पाएगा जब तक जातिवादी आन्दोलन चलते रहेंगे, आरक्षण सम्बन्धी आन्दोलन चलते रहेंगे। आर्थिक सामाजिक परिवर्तन जो बुनियादी परिवर्तन हैं जब तक नहीं हो जाते हैं तब तक इस तरह के आन्दोलन चलते रहेंगे।

**प्रो० मधु दंडवते** (राजापुर) : सभापति महोदय, मैं बहुत ही संक्षेप में बोलना चाहूंगा। मैं सभा को केवल उन अनुभवों के बारे में बताना चाहता हूं जो अनुसूचित जाति के छात्रों के संबंध में मुझे प्राप्त हुये हैं। मुझे स्नातकोत्तर छात्रों को पढ़ाने तथा स्नाकोत्तर परीक्षा लेने का भी अनुभव है। मैं उस बात की पुष्टि करना चाहूंगा जो कुछ बाबू जी ने कहा है। यद्यपि छात्रों का कुछ प्रतिशत आरक्षण के आधार पर दाखिल किया जाता है, पर जब हम अध्यापक लोग कापत्रोंकी जांच करते हैं, तो हमें परीक्षार्थियों के नामों की सूचना नहीं दी जाती है, अन्य प्रभाव की बात तो अलग रही। छात्र परीक्षा में बैठते हैं। पर्चों की जांच की जाती है। छात्र केवल योग्यता के आधार पर ही परीक्षा पास करते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है कि वे अनुसूचित जाति अथवा हिन्दु जाति अथवा मुस्लिम जाति के हैं। अत: यदि हम आरक्षण रखते भी हैं तो परिक्षायें सदैव योग्यता के आधार पर ली जाती है और इसलिए मैं बाबू जगजीवन राम जी की उस बात की पूरी तरह पुष्टि करता हूं कि यदि आप आरक्षण रखते भी हैं तो परिक्षायें जाति के आधार पर कभी नहीं ली जाती हैं। इसलिए एक बार वे इस विशेष परीक्षा को पास कर लेते हैं तो कुछ वर्गों को, अर्थात् नाजुक वर्गों को आरक्षण दिये जायेंगे। इस सम्बन्ध में मैं एक अन्य तथ्य की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यद्यपि आप समाज के समृद्ध वर्ग से है, क्या यह तथ्य नहीं है कि योग्यता न होने के बावजूद भी अमीर लोग बहुत बड़ी रकम देकर विभिन्न चिकित्सा कालेजों में प्रवेश पाने में समर्थ हो जाते हैं, चाहे वे तीसरी श्रेणी के छात्र ही हों ? महोदय मुझे यह कहते शर्म आती है कि कुछ तीसरी श्रेणी के छात्रों को जो संयोगवश मेरे छात्र थे, 1 लाख अथवा 1 1/2 लाख रुपया देने के पश्चात दक्षिण में कुछ संस्थाओं में प्रवेश दिया गया। अत:, यदि यह बात जारी रहती है और यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसे छात्र जो पैसा अथवा अनुदान दे सकते हैं और ऐसी संस्थाओं में प्रवेश पाकर डाक्टर बन जाते हैं तब रोगियों का क्या होगा। यदि कई बार ऐसे छात्रों को प्रवेश मिल जाता है यदि उनकी योग्यता नही होगी, तो वे बार-बार फेल होंगे और अब तक विश्वविद्यालय ने इस प्रकार का कोई ऐसा प्रबन्ध नहीं किया है कि यदि कोई छात्र तीन बार या चार बार फेल होता है, तो उसे पास हुआ घोषित किया जाना चाहिए। कोई ऐसी पद्धति अपनाई नहीं गई है और इस लिए आवश्यक रूप से असम्बद्ध योग्यता के तत्व को यहां लाया गया है।

महोदय जहां तक गुजरात का सम्बन्ध है मेरे मित्र ने प्रतिशतता के बारे में कहा है और मैं एक अन्य तथ्य के बारे में कहूंगा। जब से आरक्षण व्यवस्था चालू की गई है, तब से अब तक 857 छात्रों को आरक्षण के अन्तर्गत पात्र पाया गया था और उन में से कितने छात्रों को प्रवेश मिला ? वास्तव में, केवल 37 को ही प्रवेश मिला। मेरे एक मित्र ने कल 'महाराष्ट्र टाइम्स' में एक बहुत ही अच्छा लेख लिखा है। वह गुजरात की एक महिला है। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा लेख लिखा है और नगर-वार ब्यौरा दिया है कि सही रूप से कितना आरक्षण उपलब्ध था और कितना आरक्षण वास्तव में उपलब्ध किया गया। 857 में से केवल 37 प्रवेश पा सकें। ऐसी स्थिति है।

[ प्रो० मधु दंडवते ]

एक और बात जिस पर मैं जोर देना चाहूंगा। मैं तर्कों को दोहराना नहीं चाहता, परन्तु महोदय, हम एक भारतीय सामंतवादी समाज में रह रहे हैं जिसमें केवल जाति ही महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे देश की दुखद बात यह है कि कुछ लोगों को हानि न केवल योग्यता के अभाव के कारण उठानी पड़ती है कि वे किसी एक विशेष जाति से संबंधित हैं क्योंकि यह समझा गया है कि उन्होंने एक विशेष जाति में जन्म लेकर पाप किया है। यही कारण है कि वे लगातार शताब्दियों से हानि उठा रहे हैं। और यहां यह प्रश्न पूछा जाता है कि समानता का अवसर कब प्राप्त होगा। मैं इस से आगे एक अन्य बात और कहना चाहता हूं।

एक स्तरित समाज में समानता के अवसरों का लाभ भी उन लोगों को नहीं मिलेगा जो शताब्दियों तक दुख सहते रहे हैं और मैं केवल एक उदाहरण दूंगा। खेल कूद के क्षेत्र में भी, ये मान लीजिये कि छात्र जब प्रथम वर्ष श्रेणी में आते हैं, तो उन्हें टैनिस का मैच खेलना पड़ता है। यदि कोई अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण विदेश गया है और उसने टैस्ट मैच खेले हैं और परिणामस्वरूप एक व्यवसायिक खिलाड़ी बन चुका है और दूसरी ओर एक अनाड़ी खिलाड़ी है तो यह मैच कैसा होता है। एक खिलाड़ी शून्य 10 के अंक के साथ आरम्भ करता है और दूसरा खिलाड़ी जमा 10 अंक से शुरू करता है। इसमें समानता प्रतीत होगी। परन्तु यह बराबरी का मुकाबला नहीं है, क्योंकि एक खिलाड़ी अक्षमता से पीड़ित है। इसी कारण से यह खेल कूद के क्षेत्र में अक्षमतापूर्ण मुकाबला है। इसी प्रकार शताब्दियों से पिछडे लोग समानता के अवसर पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। उन्हें तरजीही अवसर देना ही होगा और यही कारण है कि यह विशेष आरक्षण आवश्यक है। महोदय, यही तरजीही अवसर का सिद्धान्त है। मैं और मेरा जनता दल समाज के वर्ग के लिए तरजीही अवसर के सिद्धान्त का 100 प्रतिशत समर्थन करते हैं। जब तक यह तरजीही अवसर प्रदान नहीं किया जाता, तब तक हमारा समाज प्रगति नहीं कर सकेगा और शब्द के सही अर्थ में सम्पूर्ण क्रान्ति नहीं आ पायेगी। यही कारण है कि जय प्रकाश नारायण जैसे एक व्यक्ति ने भी कहा कि केवल समान अवसर से ही सम्पूर्ण क्रान्ति नहीं आयेगी। यह केवल समाज के दलित और कुचले गये वर्गों के लिए तरजीही अवसर प्रदान करता है जो सम्पूर्ण क्रान्ति को लायेगा। हम क्रान्ति चाहते हैं। हम इस क्रान्ति को सम्पूर्ण रूप में चाहते हैं और यही कारण है इस विशेष समय पर इस के बारे में चर्चा की जा रही है। सदन के समक्ष जो तर्क पहले प्रस्तुत किये जा चुके हैं, मैं उन सब को दोहराना नहीं चाहता। इसीलिए मैंने संक्षेप में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कर दिया है। आपने मुझे जो अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मेरे दल को तो पहले ही प्रतिनिधित्व दे दिया गया था, परन्तु फिर भी मैं कुछ अतिरिक्त मुद्दे उठाना चाहता था। इसी लिए मैंने आपकी अनुमति मांगी थी और आपने कृपा करते हुए उसे प्रदान कर दिया।

**श्री मनीराम बागड़ी** (हिसार) : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले प्रायश्चित करने के लिये सारे राष्ट्र को और सब जिम्मेदार लोगों को चाहूंगा, उसमें मैं भी मुजरिम हूं, कि अगर शम्भुक की हत्या हो, अंतलीक का अंगूठा कटे, गुजरात में कत्लेआम हो, इस कड़ी को तोड़ना पड़ेगा। मैं मुबारिकबाद देता हूं श्री हीरालाल परमार को, जिनके कारण आज इस देश के उन शहीद लोगों

के बारे में आप सब लोगों को बात करने का मौका मिला । अच्छा होता कि यह सदन इस बात को पहले विचार करता और इससे कुछ न कुछ इस देश को लाभ मिलता ।

यह मानकर चलना पड़ेगा, अगर दोषों में जायेंगे मैं बहुत अच्छा उसे पसन्द नहीं करता, कभी यहां ऐसा होता नहीं, अगर हो जाये तो मुझे बड़ी खुशी होगी, हमारी सरकार या आपकी सरकार या अगली सरकार, अगर आगरे में कोई हरिजन मर जाये उस सवाल पर अगर सरकार बदल जाये, गुजरात में हरिजनों पर हमले के मामले में सरकार बदल जाये तो भी किस्मत खुले इस देश की और कहीं पर भी हरिजन पर असलियत पर या माइनौरिटी पर गरीब पर कहीं भी जुल्म हो और वहां उस देश की सरकार इस सवाल पर बदलने लग जाए तो यह देश की किस्मत होती है, देश इससे शक्तिशाली होता है कमजोर नहीं होता है ।

मैं अर्ज करता हूं कि इसमें पक्ष-विपक्ष की बात न लें, यह देखें कि कौन है जिसने इस सवाल को यहां उठाया । वह तो शेर के नीचे बैठा था बेचारा, शेर के मुंह के नीचे बैठने वाले कांग्रेस के श्री हीरालाल परमार ने यहां इस सवाल को उठाया । आप नाराज न हों, मैं अपोजिशन वालों को भी और कांग्रेस वालों के लिए भी कहता हूं कि आप लोग जिन्होंने हीरालाल परमार के मुंह को दबोच रखा था और हम लोग वह थे जो उसके मुंह को उठाकर बात को चला रहे थे ।

**एक माननीय सदस्य** : आप अपनी बात कहिए ।

**श्री मनीराम बागड़ी** : सारी कहूंगा, छोड़ूंगा नहीं । आप चिन्ता मत करो ।

मैं आपसे फिर एक बात कहता हूं कितनी चालाक है हिन्दुस्तान के समाज की यह वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था, मैं ब्राह्मण का दुश्मन नहीं हूं, लेकिन ब्राह्मणवाद का दुश्मन हूं । यह मत समझना कि सिर्फ मजहब की बात आती है, धर्म की बात आती है, मैं कहता हूं कि यह ब्राह्मणवाद पाप है ।

**एक माननीय सदस्य** : एक जाति को गाली मत दीजिए ।

**श्री मनीराम बागड़ी** : मैंने ब्राह्मणवाद कहा है, ब्राह्मण नहीं कहा है । मैं ब्राह्मण का पक्षपाती हूं, लेकिन ब्राह्मणवाद का दुश्मन हूं और हर हिन्दुस्तानी को ब्राह्मण की रक्षा करनी चाहिए। भारतीय नहीं है वह अगर ब्राह्मणवाद को इस देश में बर्दाश्त करता रहे । जो हिन्दुस्तानी ब्राह्मणवाद को बर्दाश्त करता है, वह गौडेस है और गांधी का हत्यारा है । इस देश में गांधी जी की हत्या गौडेस ने उस वक्त की, और आज ब्राह्मणवाद गुजरात के अन्दर गांधी के सिद्धान्तों की हत्या कर रहा है ।

मैं अर्ज करूंगा कि आप जरा बारीकियों को सोचें । आपकी पार्टी के अन्दर से कौन मंत्री बने, कौन मुख्यमंत्री बने हमें इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिद एक तरफ चालाकी से अखबार बयान देता है, रेडियो, आकाशवाणी से हमने कोशिश की बार-बार कहा लेकिन बयान आता है कि हिंसा

[ श्री मनीराम बागड़ी ]

के आन्दोलन के खिलाफ हैं। हिंसा के आन्दोलन के खिलाफ ही नहीं, मैं कहता हूं कि मै और मेरी पार्टी गुजरात में जो आन्दोलन है, यह तो हिंसा का है, अगर इस आधार पर अहिंसा का आन्दोलन भी हो तो मैं उस आन्दोलन को आन्दोलन नहीं, देशद्रोहिता मानता हूं। लेकिन इसको अभी तक कंडम नहीं किया। यह आकाशवाणी, चाहे शर्मा हो, त्रिपाठी हो या एक तरफ जोशी जी बैठी हैं, बहुत अच्छा चेहरा इनका टी० वी० पर आ जाता है, यह राजी हो जाती हैं। लेकिन वह बात, जिसकी निन्दा की जानी चाहिए निर्भयता के साथ, यह आकाशवाणी के लोग या आपके दूरदर्शन के लोग या अखबार के लोग, कहीं न कहीं ब्राह्मणवाद का पाप बैठा है, वह ही छात्रों की आड़ में लोगों की हत्या करवा रहा है और देश में आग लगा रहा है। इस बारे में जांच की जानी चाहिए।

कई लोग कहते हैं कि श्री मकवाना और मुख्य मंत्री दोनों इस्तीफा दे दें। अगर अपने बच्चों की दुर्दशा देखकर किसी बेचारे हरिजन की आत्मा दुखी हो और वह कुछ करने की हिम्मत करे, अगर कानून मंत्री, मकवाना साहब या ज्ञानी जी जैसे लोग कोई सच्ची बात कहने की हिम्मत करें, तो उन्हें कहा जाता है कि वह रास्ता छोड़कर चले जायें।

इस सदन में जो शोषित और हरिजन हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे न घबरायें, वे डा० अम्बेडकर, गांधी और डा० लोहिया को न भूलें क्योंकि वे उन लोगों की बदौलत ही इस जगह पर बैठे हैं। अगर हरिजनों का कत्ले-आम होता हो, उन लोगों के घर जलाये जाते हों, उनकी बहू-बेटियों की इज्जत लुटती हो, तो उनमें शक्ति के साथ बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। आखिर उनका क्या बिगड़ने वाला है ? समूचे हिन्दुस्तान में विपक्ष वाले अकड़कर चलते हैं, लेकिन मैं श्री हीरालाल परमार को बहादुर समझता हूं, जिन्होंने यह बात उठाई।

मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है, सरकार उनकी क्षतिपूर्ति करें। मरने वालों के परिवारों को कम से कम एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जाये और उनको आबाद किया जाये। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन से वायलेंस या तशद्दुद की नहीं, बल्कि इस एजीटेशन की घोर निन्दा करनी चाहिए। आसाम के मामले को इससे नहीं मिलाना चाहिए। आसाम के बारे में बहुत सी पार्टियों में मतभेद है, लेकिन इस मसले पर किसी पार्टी का मतभेद नहीं है, और अगर है, तो वह अन्दर ही अन्दर है, वह बाहर खुलकर नहीं आता है, बाहर तो सब मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं।

जोशी जी का चेहरा जरूर टेलीविजन पर नजर आये, लेकिन वह शर्मा वर्मा को भी समझा दें कि हरिजनों की बात भी खुलकर सामने आये। अगर मेरा बस चले, तो आकाशवाणी और दूरदर्शन से जो अपने नाम के आगे शर्मा लगाकर ऐलान करते हैं, मैं उनका "शर्मा" फौरन काटकर "बे-शर्मा बना दूं। जैसे पहले कुछ जातियों के लिए वेद का पढ़ना निषिद्ध था, ऐन उसी तरह आज आकाशवाणी और दूरदर्शन हिन्दुस्तान के अछूतों, अकलियतों, शोषितों और पीड़ित लोगों को

पिछड़ा रखने का एक एक कारण है और वहां पर सब तरफ ब्राह्मणवाद का दिमाग चल रहा है। मैं ब्राह्मण के खिलाफ नहीं हूँ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ हूँ।

ज्ञानी जी से मैं एक बात कहूँगा। वह अपने आदमियों, और खासकर ऊँची जाति के लोगों को समझायें। खेती के लिए खाद भी चाहिए और बीज भी चाहिए; हजारों सालों से उन्होंने शोषितों को खाद बनाया और खुद बीज बने; अब कुछ साल के लिए वे खुद खाद बन जायें और बेचारे मकवाना साहब, बूटासिंह और दलबीर सिंह को बीज बनने दें।

**एक माननीय सदस्य** : बाबूजी को भूल गए थे। (व्यवधान)

**श्री मनीराम बागड़ी** : मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। गुजरात देश से बाहर नहीं है। जो लोग यह कहते हैं कि यह गुजरात का मसला है, गुजरात के लोग मरे हैं, वे देश को भूल रहे हैं। यह भारत का मसला है, भारत के लोग मरे हैं, गांधी की आत्मा मरी है। मैं फिर चेतावनी देता हूँ गांधी जी की आत्मा आज सिसक रही, मर रही है। अब इस देश में गांधी नहीं है, इस देश के अन्दर कोई जय प्रकाश नारायण नहीं है, कोई लोहिया नहीं है जो वहां चला जाए और जाकर कुछ काम करे। अब आप को कुछ करना है। शासन वालों से एक बात मैं कहता हूँ, उस शासन पर बहुत निर्भर मत करना ज्ञानी जी, यह हमारे लोग भी बहुत घमंड करते थे लेकिन क्या नतीजा निकला ? इंदिरा जी बेलछी गईं तो क्या हुआ ? अच्छा किया, जाना चाहिए था। उन्होंने अच्छा काम किया था और मैं कहता हूँ बाबू जगजीवन राम को गुजरात जाना चाहिए, सब पार्टियों के नेताओं को जाना चाहिए। और कब जाएँगे ? आज जब गुजरात जल रहा है तब अगर हम बैठे हैं तो फिर कब जायेंगे ? अभी जाना चाहिए और तमाम पार्टियों को आकाशवाणी से एलान करना चाहिए कि वे इसकी और निन्दा करते हैं ? यह नहीं कि वायलेंस की निन्दा करते हैं, वायलेंस की क्या निन्दा करते हैं ? इस एजीटेशन की निन्दा करते हैं। मकवाना को मैं शाबाशी देता हूं, बहुत अच्छा है, डा० अम्बेडकर का कहीं तो नाम आ रहा है।

**श्री चित्त बसु** (बारसाट) : श्रीमान जी जहां तक गुजरात की समस्या का सम्बन्ध है, उसे उचित परिप्रेक्ष में समझा जाना चाहिये। चूंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मै इस बात का उल्लेख करूँ कि वर्तमान स्थिति किस प्रकार उत्पन्न हुई, मैं अपनी टिप्पणी केवल यही तक सीमित रखना चाहता हूँ किसी को इसके बारे में भ्रम नहीं होना चाहिए कि गुजरात में जो कुछ भी आज देखने को आ रहा है हिंसक जाति-झगड़ों से कम नहीं है और यह जातिगत झगड़े देश की एकता तथा राष्ट्र की अखण्डता के लिए, जो कि हमारे सम्पूर्ण राष्ट्र का लक्ष्य है, खतरा है। इस तथ्य में किसी प्रकार का संदेह नहीं है, आठ महीनों के इस आंदोलन के दौरान हरिजनों पर बहुत अधिक अत्याचार किये गये। इनके बारे में जो भी कहा जाये, कम है।

**श्री संतोष मोहन देव** (सिल्चर) : हम कब तक बैठे रह सकते हैं ? हमारे बच्चे हमारी चिन्ता कर रहे होंगे।

**श्री चित्त बसु** : मैं समझता हूँ कि हमें कुछ गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिये। (व्यवधान)

[ श्री चित्त बसु ]

गुजरात के मैडिकल छात्रों तथा जूनियर डाक्टरों द्वारा जो आरक्षण-विरोधी आन्दोलन आरम्भ किया गया है। वह न्यायोजित नहीं है। यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिये कि इस मामले पर चुप रहना जुर्म होगा। कोई ऐसा कारण नहीं है जिसे आधार मानकर सम्पूर्ण आरक्षण प्रणाली के उन्मूलन के लिए आंदोलन किया जाये। स्नातकोत्तर डाक्टरी सैक्शन का विभाग में आरक्षण सम्बन्धी तथ्यों को पहले ही प्रो० मधु दण्डवते द्वारा काफी अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया जा चुका है। मेरे पास भी तथ्य है कि स्नाकोत्तर-स्तर के विभाग में आरक्षण प्रणाली के फलस्वरूप किसी प्रकार का अन्याय नहीं किया गया है। परन्तु यह सम्पूर्ण आंदोलन, समूचे रूप से आरक्षण प्रणाली के विरुद्ध नहीं है। मैं समझता हूँ कि संपूर्ण संसद को एक होकर इस प्रश्न के विरुद्ध खड़ा हो जाना चाहिए क्योंकि यह मेरा या मेरे दल का या किसी अन्य व्यक्ति का प्रश्न नहीं है; बल्कि सम्पूर्ण संसद आरक्षण प्रणाली को बनाये रखने के लिए कटिबद्ध है और जो भी वर्ग इस आधारभूत भावना के विरुद्ध आवाज उठाता है, उसकी इस आवाज से आंदोलन को न्यायोचित करार नहीं दिया जा सकता।

श्रीमान जी मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस सदन में तथा सदन के बाहर कुछ लोग ऐसे हैं, जो डाक्टरों के आंदोलन को न्यायोजित ठहरा रहे हैं। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं यह आंदोलन न तो लोकतांत्रिक है और न ही न्यायोचित। यह राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता के लिए घातक है। इसलिए सम्पूर्ण संसद को बिना किसी प्रकार के, यह स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि आंदोलन न्यायोचित नहीं है। शांति तथा सामान्य स्थिति बहाल करने के उद्देश्य से ऐसा करते हुए, हम साथ ही छात्रों के गुमराह वर्ग से आग्रह करेंगे कि वह शीघ्र अपना आंदोलन वापिस ले लें। इसके साथ ही मैं भारत सरकार को सुझाव देना चाहता हूँ उसे सभी दलों का सम्मेलन बुलाने के लिए शीघ्र कदम उठाये जायें और यह सुनिश्चित किया जाये कि राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए मिलकर प्रयत्न किए जायें ओर इस गैर-न्यायोचित आंदोलन से जो समस्या उत्पन्न हुई है, उसका व्यावहारिक समाधान खोजा जाना चाहिये।

**श्री आर० एन० राकेश** (चैल) : सभापति जी, अभी माननीय बाबूजी ने पूरे हिन्दुस्तान का नक्शा ही अभी सदन में नहीं रखा है बल्कि देश के दलितों की आवाज भी यहां रखी है। मैं इतिहास के पन्नों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। "विदेशियों भारत छोड़ो" का नारा जब गांधी जी ने दिया था, तो चर्चिल ने जवाब दिया था कि अंग्रेजों के पहले भारत में कास्ट हिन्दूज विदेशी थे और गांधी जी ने उसके उत्तर में कहा था कि कास्ट हिन्दूज भारतवासियों में उसी तरह से मिल गए हैं जैसे एक नदी का पानी दूसरी नदी के पानी से मिल जाता है लेकिन अंग्रेज मिक्स नहीं हुए। उस समय हमने गांधीजी की बात को सही माना था लेकिन इन 30-32 वर्षों का जो कुछ अनुभव है, जो आज गुजरात में हो रहा है, जो कफाल्टा में हुआ, जो पिपरा में हुआ और जो हिन्दुस्तान के कौने कौने में हरिजनों की इज्जत आबरू पर डकैती और पेट पर लात मारी जा रही है, वह मुझे यह कहने के लिए मजबूर कर दे रहा है कि गांधी जी का कहना यथार्थ था। बे-बुनियाद था, चर्चिल का कहना ही सही था।

**सभापति महोदय** : आपका टाइम पांच मिनट ही है।

**श्री आर० एन० राकेश** : धन्यवाद आज गुजरात में जो कुछ हो रहा है उससे ऐसा लगता है कि गांधीजी चले गए तो भारत की धरती से गांधी का गांधीवाद भी चला गया। अगर कहीं कुछ बचा है तो गांधी के तीनों बन्दर हैं जिनका आंख कान और मुंह बन्द है जिसका मतलब है कि बुरा नहीं सुनेंगे, बुरा नहीं देखेंगे और बुरा नहीं कहेंगे। सचमुच हरिजनों पर अत्याचार और जुल्म हो रहा है, तो बुरा है न। गुजरात में आरक्षण विरोधियों की हरिजन आदिवासियों के खिलाफ लड़ाई जारी है यह सब बुरा है न। अस्तु फिर भी सरकार चाहे इधर की हो या उधर की पर इसे नहीं सुनेगी, न ही कुछ देखेगी और न ही कुछ मुंह से कहेगी। यही कारण है कि सत्ता पक्ष के ही एम० पी० श्री हीराभाई परमार ने भी गुजरात में मारे जा रहे हरिजनों की आवाज उठाने की कोशिश की तो उनकी आवाज को दबा ही नहीं दिया गया बल्कि उनकी सदन में ही पिटाई भी की गई।

आज भी वह कुछ कहने की बार-बार कोशिश कर रहे हैं पर उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि सदन वह नहीं सुनना, बोलना, कहना और देखना चाहता, जिसे वह कहना चाहता है।

आरक्षण के बारे में यहां पर तमाम बातें कही गयीं हैं उसे हम दोहराना नहीं चाहते हैं। रिजर्वेशन के कोटे के बारे में भी तमाम बातें कही गई हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि गुजरात का संघर्ष वर्ग-संघर्ष नहीं जाति संघर्ष है। यह चाहे मकवाना और सोलंकी के बीच का झगड़ा हो या कुछ और पर यह एक पोलिटिकल एबोर्शन है। गुजरात में इन झगड़ों के पीछे सरकार की नीति और नीयत नेक नहीं है। सातवीं लोकसभा का चुनाव 1980 में प्रधानमंत्री पद का चुनाव था, जिसमें हरिजनों के नुमाइन्दे, पिछड़ी जातियों के नुमाइन्दे और सवर्णों के नुमाइन्दे चुनाव मैदान में थे बद किस्मती से सवर्णों के नुमाइन्दे ने प्रधानमंत्री पद को जीत लिया है अतएव आज बदले की भावना से हरिजन पिछड़ी जातियों को सताया जाता है। अल्पसंख्यक हरिजन और पिछड़ी जाति दोनों की मदद में वह थे इसलिए उनको भी नहीं बक्शा जा रहा है।

दूसरी तरफ मैं सरकार से यह भी कहना चाहता हूँ कि जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के लिए मंडल कमीशन का गठन किया था और आज जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट गृह मंत्रालय में पहुंच चुकी है तो सरकार उसको लागू नहीं करना चाहती है अतएव गुजरात में जो कुछ हो रहा है सरकार उससे आरक्षण विरोधी माहौल बनाना चाहती है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग यह कहते हैं कि हरिजन-आदिवासियों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, जो हरिजन-आदिवासियों के आरक्षण का विरोध करना चाहते हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि इस देश का हरिजन आदिवासी यदि आरक्षण ले रहा है, तो वह संविधान के आधार पर ले रहा है, लेकिन किसी की दया पर नहीं।

आज जब हरिजन आदिवासी की पदोन्नति और नियुक्ति का सवाल आता है तो लोग कहते हैं कि उपयुक्त उम्मीदवार नहीं है। मैं कहता हूं कि जब इस देश के संविधान को बना सकते

[ श्री आर० एन० राकेश ]

हैं, तो तुम से बेहतर इस शासन को चला सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं हरिजन—आदिवासियों के आरक्षण का सवाल, हरिजन—आदिवासियों के संरक्षण का सवाल—उनका संविधानिक अधिकार जरूर है पर यह तो केवल ब्याज है, कतई मूलधन नहीं है। अगर लड़ाई लम्बी हुई तो आरक्षण हम नहीं लेंगे, आरक्षण उनको देंगे जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। जिनकी संख्या देश में मात्र 20 प्रतिशत है—वे समझ लें। उन्होंने मनु के संविधान से ही सामाजिक आरक्षण ले लिया। मरनी से करनी तक उनका आरक्षण है। यदि देश को तोड़ने की कोशिश की तो उनकी इतनी बड़ी संख्या है कि उन्हें अंडमान-निकोबार से अधिक कुछ भी नहीं मिलने वाला है।

आज जब हरिजनों के जिन्दा रहने, आदिवासियों के जिन्दा रहने, शोषित वर्ग के जिन्दा रहने, पिछड़ी जातियों के जिन्दा रहने, अल्प संख्यकों के जिन्दा रहने का सवाल उठता है तो ऐसा नाक भों सिकोड़ते हैं जैसे भारत केवल उनका है। मैं आज इस सदन के माध्यम से ज्ञानी जेल सिंह और मकवाना जी से पूछता हूं—क्या नारायण पुर की घटना के मुकाबले गुजरात की घटना बड़ी नहीं है। नारायण पुर की घटना को लेकर यदि उत्तर प्रदेश की सरकार को बरखास्त किया जा सकता था तो फिर क्या गुजरात की सरकार को बरखास्त क्यों नहीं किया जा सकता ? क्या इस लिये कि वहां आप के पार्टी की सरकार है ?

मेरा आप से अनुरोध है—आप पिछड़ी जातियों के नुमाइन्दे के रूप में गृह मंत्री हों, हरिजन-आदिवासियों के नुमाइन्दे के रूप में गृह मंत्री हो, अगर आप हरिजनों की लड़ाई को सही रूप से नहीं लड़ सकते, हमारे आरक्षण की रक्षा नहीं कर सकते, हमारे संविधानिक संरक्षण की रक्षा नहीं कर सकते तो फिर यह 20 प्रतिशत का आरक्षण उनको दे दो जो कास्ट-हिन्दूज कहलाते हैं और बाकी स्थान दूसरों के लिये छोड़ दो। देश की धन-धरती का 30% उनका है, जो हरिजन-आदिवासी पिछड़ी जाति यदि और अल्पसंख्यक कहलाते हैं। हमारे साथ न्याय नहीं किया गया तो गांधी का वह सपना कि देश की एकता बरकरार रहे, खण्डित हो जायगा। डा० अम्बेदकर की वह शंका कि इस देश की जाति-भेद की व्यवस्था इस देश के टुकड़े-टुकड़े कर देगी—सही दिखलाई पड़ने लगी है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं—अब वह समय आ गया है, कि गम्भीरता पूर्वक इस पर विचार किया जाए। अन्यथा इस देश को टुकड़े-टुकड़े में बांटना पड़ेगा। (व्यवधान)

**श्री हीरालाल आर० परमार** (पाटन) : सभापति महोदय, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, केवल थोड़ी सी बात कहना चाहता हूं। मैं बहुत दुखी हूं--आज गुजरात में जो आन्दोलन चल रहा है, वह अहमदाबाद से ज्यादा मेरे डिस्ट्रिक्स में है। मुझे इस सदन को उत्तेजित करने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मैं आप को बतलाना चाहता हूं—मैं डिस्ट्रिक्ट प्लेस में रहता हूं, जिसका हैडक्वार्टर मेहसाना है, जहां एक लाख की आबादी है, कलैक्टर है, डी० एस० पी० है और 3 हजार रिजर्व पुलिस भी है। वहां मेरे नाम को लेकर लिखा गया कि परमार की दुकान, मकान और दफ्तर को जलाना है। मैं खुद यहां पर था। मेरे परिवार और हमारे समाज के बहुत से लोग कलेक्टर के पास गये, डी० एस० पी० के पास गये और कहा कि परमार का दफ्तर, दुकान

और मकान जलाने की बात शुरू हो गई है, आप इसको बचा लो। तीन दिन की कोई सुविधा नहीं दी गई, कोई संरक्षण नहीं मिला, मेरी दुकान, मेरा दफ्तर, मेरा सब कुछ जला दिया गया। मैं चाहता हूं कि इसके बारे में उस कलेक्टर और डी० एस० पी० से तमास किया किया जाए। इसमें दल का सवाल नहीं है, गवर्नमेंट का सवाल नहीं है, आरक्षक या आन्दोलन का सवाल नहीं है—सवाल है कास्ट-हिन्दूज का और इस सवाल पर सब दलों के लोग मेरे खिलाफ हैं। गुजरात के हरिजनों की हत्या करने में सब दलों के लोगों का हाथ है, कोई दल बाकी नहीं है। मैं आशा करता हूं—यह सदन, यह संसद गुजरात के हरिजनों, देश के हरिजनों को बचायेगी। मेरी आप से अपील है हमारे इन लोगों को सहारा दें, इन को बचायें।

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : मैं इस चर्चा में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। लेकिन मैं एक स्पष्टीकरण के प्रश्न पर बोलना चाहता हूँ और मैं केवल एक मिनट लूंगा कुछ माननीय सदस्यों ने इस आंदोलन से राजनैतिक लाभ उठाना चाहा और उन्होंने मुझे भी इसमें संबद्ध करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मेरे और गुजरात के मुख्य मंत्री, श्री माधवसिंह सोंलकी के बीच विवाद है और इसी कारण वहां आंदोलन चल रहा है ; इसमें कोई तथ्य नहीं है। माननीय सदस्य श्री सूरजभान ने मेरे द्वारा दिये गये एक तथा मेरी पत्नी के भाषण का जिक्र किया है। परन्तु मैंने ऐसा कोई भाषण नहीं दिया। क्या इस सम्बन्ध में मैं कह सकता हूं कि विधान सभा में दिये गये भाषणों को भी गुजरात में समाचार पत्रों ने गलत रूप से उद्धृत किया। ऐसा मेरी पत्नी के बारे में भी लिया गया और इसलिए वह चर्चा में भाग नहीं ले रही हैं। कहा गया है कि मैंने कई ब्यान दिये परन्तु मैंने कोई ब्यान नहीं दिये। इसके विपरीत, जातलपुर के बाद मैंने ही ऐसे ब्यान दिये जिससे स्थिति कुछ शांत हुई। अपराधियों सहित प्रत्येक व्यक्ति ने इस बात की सराहना की कि मैंने स्थिति को शांत किया है। फिर भी कुछ राजनैतिक दलों ने मेरी निंदा करने की कोशिश की है और यहां भी की जा रही है। अतः मैं स्थिति को स्पष्ट करना चाहता था और इसीलिए स्पष्टीकरण के लिये खड़ा हुआ हूँ। मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि कल ही गुजरात को एक सक्रिय कार्यकर्त्ता, एक गांधीवादी, श्री बाबूभाई मेहता ने सभी राजनैतिक दलों, गुजरात के सामाजिक कार्यकर्ताओं को इस प्रश्न पर विचार विमर्श करने के लिये आमंत्रित किया। श्रीमान क्या आप जानते हैं, कि कौन से व्यक्ति उपस्थित थे ? गुजरात के मुख्यमंत्री, दो अन्य मंत्री और सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। केवल दो ही राजनैतिक दल, एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरा लोकदल उपस्थित नहीं थे···(**व्यवधान**)

**श्री रामविलास पासवान** : मेहता कौन है ? मुख्यमंत्री कहां थे ? मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं बुलाया ?

**श्री योगेन्द्र मकवाना** : श्री बाबू भाई मेहता गुजरात के एक मान्यता तथा ख्याति प्राप्त सामाजिक कार्य-कर्ता है। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों को आमंत्रित किया। कांग्रेस (आई), कांग्रेस (अर्स), जनता पार्टी, सी० पी० आई, सी० पी० एम० सहित सभी राजनैतिक दल तथा विद्यार्थी नेता डा० मुकेश और डा० अमृत शाह उस बैठक में उपस्थित थे। केवल दो ही राजनैतिक दल इस आंदोलन के पीछे है। वे इसे भड़का रहे है और इसी लिये वें बैठक मे उपास्थित नहीं थे।

[श्री योगेन्द्र मकवाना]

श्री सूरजभान ने मेरे दल के डा० पी० एल० शाह जो विधान सभा के लिये उम्मीदवार थे, क्या नाम लिया। क्या मैं इस सभा को सूचित कर सकता हूँ कि मैडीकल छात्रों की बैठक में श्री पन्नालाल शाह ही ने चिकित्सा छात्रा की बैठक में खड़े होकर कहा था कि वे आरक्षण के पक्ष में हैं उनका नाम यहां भी लिया जा रहा है कि वे आंदोलन के पक्ष में हैं। वे आंदोलन में भाग नहीं ले रहे हैं। इसके विपरीत उन्होंने मैडिकल छात्रों को समझाने की कोशिश की है और वे आंदोलन के विरुद्ध हैं और वे आरक्षण के पक्ष में हैं।

**श्री रामविलास पासवान :** श्री के० के० शाह के बारे क्या स्थिति है? (व्यवधान)

**गृह मंत्री (श्री जैल सिंह) :** आनरेबिल चेयरमैन साहब, इस डिबेट में तकरीबन 14, 15 मेम्बर आफ पार्लियामेंट ने हिस्सा लिया है और मैं चाहता था कि हर एक प्वाइन्ट पर अपने विचार रख सकूं लेकिन समय बहुत कम है और और कुछ प्वाइन्ट्स ऐसे भी हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से मिलते-जुलते है। इसलिए हाऊस का टाइम नहीं लेना चाहता। जिन मेम्बरों ने डिबेट में हिस्सा लिया है, वे हैं श्री रतनसिंह राजदा, श्री मोहनलाल सुखाड़िया, श्री उत्तम भाई एच० पटेल, श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत, श्री जयदीप सिंह, सूरज भान जी, जगजीवन राम जी, दंडवते जी, बागड़ी जी, चित्त बसु जी, राकेश जी, सोमनाथ जी, हीरालाल परमार जी और राम विलास पासवान जी। पासवान जी को तो मैं नहीं भूल सकता। क्योंकि दोनों हाउस में मेरे सामने एक पासवान बैठे हुए होते हैं। हो सकता है कि मैं किसी का नाम भूल गया हूँ। दण्डपाणि जी भी बोले।

मैंने महसूस किया कि इस सभा में सभी पार्टियों के बोलने वालों ने खुद के ही नहीं बल्कि अपनी पार्टी के स्टैंड को भी एक्सप्लेन किया और बड़े जोर से उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी रिजर्वेशन के हक में है और वे मजबूती से यह महसूस करते हैं कि रिजर्वेशन उनका एक ऐसा फैसला है जिसके ऊपर वे कभी किसी के साथ कम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आंदोलन की निन्दा जिन शब्दों में बागड़ी जी ने की उन शब्दों में कम लोगों ने की लेकिन सभी ने इस आंदोलन की निन्दा की।

मैं महसूस करता हूँ कि श्री रतनसिंह राजदा ने शुरू-शुरू में बहुत अच्छे विचार रखे और उसके बाद उन्होंने एक ख्याल दे दिया कि एक नेशनल कमीशन बनाया जाए जो रिजर्वेशन के मामले पर दुबारा गौर करें।

**श्री रतनसिंह राजदा :** मैंने यह नहीं कहा है। बाद में मैंने इस बारे में स्पष्टता भी की कि जो वीकर सेक्शंस पर स्ट्रोसिटीज हुई है उनकी जांच कराने के लिए यह हो।

**श्री जैल सिंह :** मुझे बहुत खुशी है। लेकिन मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अहमदाबाद के मुतल्लिक एक स्टेटमेंट इस हाउस में दिया गया था तो उस वक्त भी हमने कहा था कि रिजर्वेशन का मामला नेगोशियेबल नहीं है, इसलिए इस मामले पर हम किसी के साथ भी, चाहे वह कितनी ताकत से हम लड़ना चाहे, हम उसके साथ बात नहीं करेंगे।

चेयरमैन साहब, इस रिजर्वेशन के प्रति, इसके इम्प्लीमेन्टेशन के प्रति भी हम लोगों को विजिलेंट रहना चाहिए। आप इस बात को एप्रीशियेट करेंगे कि वर्तमान सरकार के आने के बाद, पहले ही सेशन के दूसरे दिन जो रिजर्वेशन खत्म हो रहा था उसको दस साल आगे बढ़ाने के लिए अमेंडमेंट किया और वह अमेंडमेंट सर्वसम्मति से पास हुआ।

मुझे इस बात की भी खुशी है कि श्रीमान् मोहनलाल सुखाड़िया जी ने किसी भी पार्टी को भला बुरा कहे बगैर, सिद्धांत रूप में सब पार्टियों से अपील की थी कि हम एक ऐसे मसले पर विचार कर रहे हैं जिस पर सभी को चिंता है। उनकी यह बात दुरुस्त निकली कि सबका ही इस बात पर दिल दुःखी है और सभी को इसकी चिंता है। लेकिन कुछ मेम्बर साहेबान इस मामले पर बहुत जोर से ताईद करने के बाद, इसके इम्प्लीमेन्टेशन के लिए बहुत भारी यत्न करने के लिए राय देने के बाद यह संदेह करने लगे कि गुजरात की सरकार ने इस मसले को ठीक और दुरुस्ती से हेंडिल नहीं किया।

दूसरी बात जो बहुत जोरों से सामने आयी वह यह कि पुलिस ने पूरी निष्पक्षता से काम नहीं किया और वह वीकर सेक्शंस को दबाती रही। इसके लिए चेयरमेन साहब मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सूरजभान जी खुद गये और उन्होंने वहां ताले लगे भी देखे होंगे। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि ताले रात के टाइम में देखे थे या दिन के टाइम में। हरिजनों में बहुत से ऐसे हैं जो कि दिन को अपने घरों में ताले लगाकर कारखानों में या दुकानों या दूसरी जगहों पर चले जाते हैं। (व्यवधान)

चेयरमेन साहब, मैं श्री सूरजभान जी या दूसरे किसी मेम्बर को झूठा करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ, मैं तो सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ···।

**श्री रामविलास पासवान** : आप इस बात को कंडेम कीजिए। इस तरह से लोगों का मन बढ़ता है। लोग ताला लगाकर चले गये हैं, इस तरह की बात को आप कंडेम कीजिए।

**श्री जैल सिंह** : जब हमने सुना कि लोग अखबार छोड़कर चले गए हैं तो हमने स्टेट गवर्नमेंट से पूछा। उस सरकार ने जो हमको बताया वह इस प्रकार है। वे कहते हैं कि एक सरसपुर के इलाके में कुछ हरिजनों के विरुद्ध फौजदारी के केस दर्ज हैं, इस वजह से वे वहां से निकल कर चले गये हैं बाकी दूसरी जगह से कोई हरिजन बाहर नहीं गया है। (व्यवधान)

**श्री आर० एन० राकेश** : आप गृहमंत्री बोल रहे हैं या श्री जैल सिंह। अगर इसी रिपोर्ट पर आप आधारित रहे तो हो चुकी जांच।

**श्री रामविलास पासवान** : आपके हीरालाल परमार जो एम० पी० हैं, उनकी बात भी क्या गलत है? (व्यवधान)

**श्री जैल सिंह** : मैं इस मामले में न उनको गलत कहता हूँ और न अपने आपको गलत कहता हूँ। इसके लिए हम जानकारी करवायेंगे कि क्या वाकयी यह बात दुरुस्त है या गलतफहमी पर है। हमारे पास जो इत्तिला आई है उसे मैं हाउस में बताना चाहता था। (व्यवधान)

[ श्री जैलसिंह ]

माननीय चटर्जी ने बहुत ठंडे दिमाग से बातें कही है और कुछ उसारू और रचनात्मक सुझाव भी दिए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़कर सुनाया। सभापति जी, संविधान में हरिजन और आदिवासियों के लिए मेम्बर आफ पार्लियामेंट के लिए और असेंबली के लिए रिजर्वेशन रखा गया। राज्य सरकारों ने उसे बढ़ाकर पंचायतों, म्युनिसपल कमेटियों तक पहुंचा दिया। आज भारत की कोई पंचायत या म्युनिसपल कमेटी और कोई ऐसी मिनिस्ट्री नहीं है जहां पर हरिजनों को नुमाबंदगी न दी गई हो।

माननीय सभापति जी, यहां पर कुछ चीजें और भी कही गई। मैं माननीय बाबू जगजीवन राम जी को आदर से कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो चिंता प्रकट की है कि 32 साल के अंदर यह जो हमारी हालत हुई है··· (व्यवधान)। इसलिए संरक्षण को हम से ले लिया जाए तो भी कोई बात नहीं। बाबू जी ने और भी बहुत सी बातें कहीं। श्री जगजीवन राम जी को मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर भारत में ताकतवर लोगों ने, जात भवानियों ने, अपर क्लास के लोगों ने हमारे होते हुए हरिजनों को खत्म कर दिया तो इसका मतलब यह है कि हम उनको रोक नहीं पाए और हमने खुदकशी कर ली है, सुएसाइड कर लिया है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं···

**श्री जगजीवन राम** : अहमदाबाद में नहीं रोक पाए हैं, मेहसाना में रोक नहीं पाए हैं।

**श्री जैल सिंह** : हम ने रोका है और अगर नहीं रोका होता तो सारा भारत इस आग में जल उठता।

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** (बम्बई उत्तर पूर्व) : परमार जी ने जो कहा है क्या वह ठीक नहीं है और क्या वैसा हुआ नहीं है ?

**श्री जैल सिंह** : उन्होंने या किसी और एम० पी० ने जो कुछ कहा है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि मैं किसी मेम्बर को झूठा नहीं कहता चूंकि जो इत्तिला होती है जो किसी के साथ वारदात होती है वह ठीक हो सकती है। परमार जी की दूकान लूटी गई हो, जलाई भी गई हो। मैं नहीं कहता कि ऐसा नहीं हुआ है। हम इस बात पर लगे हैं कि यह जो गैर आइनी आन्दोलन है जो देश दुश्मन आन्दोलन है और जो हिन्दुस्तान की एकता को तोड़ने वाला आन्दोलन है इस की तमाम हिन्दुस्तान की पोलिटिकल पार्टीज को निन्दा करनी चाहिए भले ही किसी पार्टी के कुछ मेम्बर चोरी से, छिप कर उसकी मदद करते हों। मकवाना जी कहां के रहने वाले हैं। उनकी इत्तिला जो है उस पर मैं कोई जुदा राय प्रकट नहीं करता। मैं मानता हूं कि जो आदमी अपनी जबान से कह दे और इस हाऊस में कह दे उस पर हम को एतबार करना चाहिए। इसलिए मैं वाजपेयी जी पर भी एतबार करता हूं कि वे भी इस आन्दोलन के खिलाफ हैं। लेकिन मेरी जो इत्तिला है यह है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग अभी तक रुके नहीं हैं और मैं नहीं समझता यह बात गलत हो सकती है।

हमारे इधर के एक मेम्बर ने तकरीर की और बड़ा अच्छा भाषण दिया। आखिर में जो

उन्होंने प्रोमोशन में रिजर्वेशन के प्रति अपनी चिन्ता प्रकट की तो वह उनकी अपनी जाती बात थी, वह पार्टी की बात नहीं थी ।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : जो यहां बात कही गई है वह जाती थी लेकिन वहां कोई कुछ कर रहा है तो वह पार्टी की बात हो गई ।

**श्री जैल सिंह** : मैं आपको डिफेंड कर रहा हूं वाजपेयी जी ।

**श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत** : मैंने तो कहा यह था कि पहले मेरी यह राय थी, गुजरात के आन्दोलन से पहले यह थी कि प्रोमोशन में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए लेकिन गुजरात में जिस तरीके से कुछ तत्त्व हरिजनों को दबाना चाहते हैं, उन के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं उसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हरिजनों को हर तरीके से संरक्षण मिलना चाहिए और उनको ताकत पहुंचाने की हर कोशिश होनी चाहिए ।

**श्री जैल सिंह** : वाजपेयी जी या किसी दूसरे के सम्बन्ध में मैंने जो कहा है वह उनकी पोजिशन खराब करने के लिए नहीं कहा है । रावत जी ने बहुत अच्छी तकरीर की । जो दो तीन शब्द अच्छे नहीं लगे उनके बारे में मैंने कह दिया कि वे अच्छे नहीं हैं । इसी तरह वाजपेयी जी को भी कह दिया है । यहां पर एक मेम्बर बैठ कर कुछ बातें कह सकता है जो हमारी पार्टी के खिलाफ जाती हों तो वाजपेयी जी कोई भगवान तो नहीं है, आपकी पार्टी के आदमी भी आपके खिलाफ जा कर काम कर सकते हैं । अब यह झूठ है या गलत है, मैं नहीं जानता । खबर मुझ मिली है, आप वहां गए थे···

**श्री मनीराम बागड़ी** : गृह-मंत्री बोल रहे हैं । ज्ञानी जी नहीं बल्कि गृह-मंत्री जी बोल रहे हैं । इस तरह की बात उनको नहीं करनी चाहिए कि झूठ है या गलत है, मैं नहीं जानता हूं । बड़ी दिलेरी के साथ उनको कहना चाहिए कि यह बात है और मैं इसको कंडेम करता हूं । अगर उनको पूरा पता नहीं है तो क्या नत्थू नाई को पता होगा ?

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : मान्यवर, अभी आप देख रहे हैं कि माननीय मकवाना जी के कहने में और गृह मंत्री जी के कहने में अन्तर है । गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता इसमें शामिल हो सकते हैं जिनके बारे में मुझे भी पता नहीं होगा । मगर माननीय मकवाना जी ने भारतीय जनता पार्टी का नाम ले कर हमारे ऊपर आरोप लगाया है । मैं ज्ञानी जी से एक बात कहना चाहता हूं कि हम मुख्य मंत्री से मिले थे । हमने मुख्य मंत्री से पूछा··· **(व्यवधान)**

**श्री हीरालाल आर० परमार** : 8 बजे मेरी दुकान जलाई गई । और कौन आदमी थे ? भारतीय जनता पार्टी वाले थे । साढ़े 8 बजे मेरे आरोप में मैंने नाम लिखाये····· **(व्यवधान)**

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : सभापति जी, मैंने जब मुख्य मंत्री से बात की, माननीय सूरज

[ श्री अटल बिहारी वाजपेयी ]

भान हमारे साथ थे। उन्होंने कहा हमें रिपोर्ट मिली है कि आपके कुछ लोग इसमें शामिल हैं। मैंने कहा उनके नाम बताइये, कौन लोग हैं हमारे जो इस आन्दोलन में चोरी छिपे मदद कर रहे हैं, आप नाम बताइये ? हम उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। मगर मुख्य मंत्री एक नाम नहीं बता सके।···(व्यवधान)

**श्री जैल सिंह** : चेयरमैन साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रेसीडेंट ने जो स्टेटमेंट दिया है उसको भी कुछ दिन हुए हैं। और मेरी इत्तिला यह है कि जब माननीय वाजपेयी जी अहमदाबाद गये तो इन्हीं की पार्टी ने यह भी कहा कि "गौ बैक"।·····(व्यवधान)

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : किस ने कहा ? बिल्कुल गलत है। यह कैसे कह सकते हैं ?

**श्री जैल सिंह** : जो आपकी नीतियों के साथ नहीं थे। जो उन दंगों में हिस्सा ले रहे हैं, जो इस आन्दोलन को चलाने वाले हैं·····(व्यवधान)

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : सभापति जी, यह क्या बात कर रहे हैं। मैं गृह मंत्री से इतना बड़ा आरोप लगाने की आशा नहीं रखता था। मैं उन्हें सिद्ध करने की चुनौती देता हूं। भाजपा के एक भी सदस्य ने ऐसा नहीं कहा कि "वापिस जाओ"।

**सभापति महोदय** : आपने आरोप को झूठा कह दिया है। यह ठीक है।(व्यवधान)

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : और आप सहयोग लेने की बात कर रहे हैं। क्या मतलब है। मैंने कह दिया है कि आरोप झूठा है। लेकिन इन्हें अपने आरोप को गलत लेना चाहिए। (व्यवधान)

**श्री आर० के० महालगी** : ये सभा का दुरुपयोग कर रहे हैं (व्यवधान)।

**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोट)** : मैं अहमदाबाद से आया हूं और मैं ब्यान देता हूं कि वहां यह इश्तहार थे कि "वाजपेयी वापिस जाओ"। (व्यवधान)

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : अब रवैये में परिवर्तन है। गृह मंत्री ने कहा कि कुछ भाजपा के सदस्यों ने मुझे कहा कि वापिस जाओ। अब मैं मंत्री कह रहे हैं कि कहां इश्तहार थे। इश्तहार कांग्रेस (आई), जो आन्दोलन का समर्थन कर रही है, ने तैयार किये थे। (व्यवधान)

**श्री मगनभाई बारोट** : श्री वाजपेयी श्रेय लेना चाहते थे और उन्होंने वह कहने का प्रयास किया जो इनके अपने लोग नहीं चाहते थे। अतः उन्होंने "वापिस जाओ" के इश्तहार लगाये। (व्यवधान)

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : मैं एक संसदीय समिति का गठन चाहता हूं···(व्यवधान)

**श्री आर० के० महालगी** : क्या अब आप चुनौती स्वीकार करने को तैयार हैं ? (व्यवधान)

हवा में इस तरह से आरोप नहीं लगा सकते···। (व्यवधान)

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : यह बारोट साहब किस तरह की बात कर रहे हैं कि हमारे लोगों ने पोस्टर्स लगाये ?

**सभापति महोदय** : आपने उसका खंडन किया है। उन्हें अपनी बात जारी रखने दीजिये। (व्यवधान)

**श्री आर० के० महालगी** : कोई समझदारी वाली बात कीजिए।

**श्री जैल सिंह** : चेयरमेन साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेता को वैसे गुस्सा आ गया है, मैं कुछ नहीं कह रहा था, मैं कह रहा हूँ कि जो मेरी इत्तिला है, इन्होंने कहा बताओ, बागड़ी जी ने कहा बताओ, तो मैंने कह दिया, जो मेरी इत्तिला है, वह मैंने बता दी। मैंने जो राज्य-सभा में भी भारतीय जनता पार्टी की तारीफ की, लेकिन वहां की जब इत्तिलात आती हैं, अगर उसमें कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं तो मुझे आशा है कि वाजपेयी जी उनको निकाल भी देंगे और उनके नाम भी वाजपेयी जी को मिल जायेंगे।

**एक माननीय सदस्य** : कांग्रेस (आई) वालों का क्या होगा ?

**श्री जैल सिंह** : कांग्रेस (आई) वालों को तो हम हमेशा निकालते रहे हैं। जब उसूल की बात आती है, तब निकाल देते हैं।

**श्री राम विलास पासवान** : कुछ लोगों के सम्बन्ध में बात चली थी, क्या उनको भी हटा दिया गया है ?

**श्री जैल सिंह** : इस सदन में मुरादाबाद की बात चली थी तो किसी को मैंने कहा कि तुम्हारी पार्टी के आदमी खराबी करते हैं, तो वह नाराज हो गये। मैंने कहा कि आप नाराज क्यों होते हैं, हमारी पार्टी के आदमी ने भी खराब की होगी। उस पर उन्होंने कहा कि उसका क्या किया तो हमने कहा कि उसको निकाल दिया। मैंने यह भी कहा कि फर्क इतना है कि आपने निकाला नहीं। अभी भी अपना साथी रखे हुए हैं।

**श्री राम विलास पासवान** : गुजरात में निकाला या नहीं ?

**श्री जैल सिंह** : गुजरात में भी हमारा आदमी कोई ऐसी बात करेगा तो निकाला जायेगा।

एक मेम्बर ने यह कहा कि हमारा प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि रिजर्वेशन जारी रहेगी और यह भी कह दिया कि मैरिट को कुर्बान नहीं किया जायेगा। यह दो बातें कैसे चल सकती हैं ?

चेयरमैन साहब, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह दोनों बातें चल सकती हैं, इसमें किसी की कुर्बानी की जरूरत नहीं है, कोई चीज देखने की जरूरत नहीं है।

**प्रो० मधु दण्डवते** : प्रधान मंत्री के बारे में बोलते समय उन्हें सावधान रहना चाहिए। अन्यथा वह कठिनाई में पड़ सकते हैं।

**श्री जैल सिंह** : वह तो प्राइम मिनिस्टर हैं, केयरफुल बोलेंगे ही, हो सकता है कि हम ऐसी बात कह दें कि आपको चुभ जाये और ख्वामख्वाह आपको नाराज कर लें, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपके चेहरे पर मुस्कराहट रहे और आप खुश रहें।

मैं आनरेबल मेम्बर साहेबान को इतना याद दिलाना चाहता हूँ कि आजादी से पहले हिन्दुस्तान का न इतना बड़ा सैक्रेटैरिएट था, न प्रान्तों में इतना बड़ा सैक्रेटैरिएट था और न इतनी सर्विसेज एवेलेबल थीं। एक-एक महकमे को देखकर आप अन्दाज लगा सकते हैं कि कहीं 4 गुना, कहीं 5 गुना और कहीं 2 गुना सर्विसेज बढ़ी हैं।

**एक माननीय सदस्य** : कहीं बहुगुणा।

**श्री जैल सिंह** : बहुगुणा जी तो बहुगुणा ही हैं।

ऊपर क्लास के मेम्बरों से मैं यह दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि उनको सब्र करना चाहिए। उनके पास यह औहदे गुलामी के वक्त नहीं थे। और उस वक्त किसी को एस० पी० या डी० सी० भी नहीं बनने दिया जाता था, अनलैस कि वह अपने धर्म को छोड़कर उनके मजहब को अख्त्यार करे। लेकिन आजादी के बाद फौज में ले लो या और जगहों पर ले लो बड़े औहदे सबके पास हैं। अगर इतने सर्विसेज के एवेन्यु बढ़ने के बाद इतना मौका आने के बाद सवर्ण जाति के लोगों की कमी नहीं हुई, आगे बढ़े तो फिर हरिजनों को जब हिस्सा मिलता है तो वह क्यों दुःखी होते हैं? उनको यह समझाने की जरूरत है।

मेरी मैम्बरों से अदब से प्रार्थना है कि सब पोलिटिकल पार्टीज से मिलकर भी बात करने के लिए हमें कोई एतराज नहीं है, अलहैदा बात करने में भी एतराज नहीं है, लेकिन एक बात है, जिस जजबात से आपने इस आंदोलन की निन्दा की है और इस बात की आपको आवाम के साथ अपील भी करनी चाहिये कि इस आन्दोलन का साथ देने वाले लोग देशघातक हैं और देश की एकता को तोड़ने वाले हैं, हरिजनों को मारने वाले हैं, गरीबों को कत्ल करने वाले हैं। हम अपने देश को एक ऐसा देश बनाने वाले हैं जिसमें हर प्राणी आजाद, स्वतंत्र और आदर-सत्कार के साथ रहने वाला हो सके।

**श्री मनीराम बागड़ी** : यह प्रस्ताव पास करवा दें पार्लियामेंट में सब से।

**श्री जैल सिंह** : बहुत अच्छी बात है। लेकिन नुकसान जितना हुआ है, उसकी भी हमको जांच करवानी चाहिये। यह तो जरूरी है कि हम उसकी जांच करवायेंगे।

बाबूजी को एक बात याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि हरिजनों के लिए जो रिजर्वेशन है या जो दूसरी रियायतें हैं, वे उनको मिलती भी हैं या नहीं, उसकी जांच के लिए कोई कमीशन होना चाहिए। एक हाई-पावर पैनल हमने बनाया है, जिसका काम सिर्फ यह देखना है

कि प्लानिंग में, आर्थिक क्षेत्र में जो चीजें हम उनको देते हैं, वे हरिजनों, वीकर सैक्शन्ज और बैक-वर्ड क्लासिज को प्राप्त होती हैं या नहीं।

**श्री सूरज भान :** डा० गोपाल सिंह की रीकमेंडेशन्ज बहुत मिसचीवस हैं। वे हरिजनों के खिलाफ जाती हैं। वे मंत्री महोदय के पास आ चुकी हैं।

**श्री राम विलास पासवान :** किस कमीशन की बात कर रहे हैं? उसका चेयरमैन कौन है?

**श्री जैल सिंह :** उसका चेयरमैन इस वक्त डा० गोपाल सिंह हैं। पहले उसका चेयरमैन था डा० सैयद मोहम्मद, जो आजकल इंग्लैंड में हाई कमिश्नर है। और किसी कमीशन की जरूरत नहीं है अगर उसमे कोई कमी होगी, तो हम देख लेंगे।

मैंने सी० पी० आई० के आनरेबल मेम्बर की तकरीर को बहुत गौर से सुना है। श्री दंडवते ने भी इस एजीटेशन की निन्दा की है। मैं नहीं चाहता कि मैं सब मेम्बरों के बारे में टिप्पणी करूं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान को आजाद हुए 34 साल हो गए हैं। आजादी के लिए जो लड़ते रहे हैं, वे उस तरफ भी बैठे हैं और इस तरफ भी बैठे हैं। आजादी से पहले उन्होंने महात्मा गांधी, पं० जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद की रहनुमाई में हमेशा यह सोचा था कि जब हमारा देश आजाद हो जाएगा, तो हम हिन्दुस्तान में से जात-पांत को समाप्त कर देंगे। लेकिन अमली तौर पर जात-पांत अभी तक खत्म नहीं हुई है। यह कमजोरी सिर्फ सरकार की नहीं है, यह कमजोरी सबकी है, सारे समाज की है, मैं समझता हूं कि जब तक समाज में जागृति नहीं आती और जब तक ऐसे प्रचारक मौजूद हैं, जो अभी भी लोगों को कहते हैं कि नीच जाति के लोगों को मत छुओ, उनके साथ खाना न खाओ, उनके साथ रिश्तेदारी न करो और फिर भी वे महात्मा बनकर हमारे पास आते हैं और हमारे लोग उनकी इज्जत और सम्मान करते हैं, तब तक जात-पात खत्म नहीं होने वाली है।

यह सदियों पुरानी बीमारी है, जो भगवान कृष्ण, भगवान राम और गुरुओं, अवतारों और ऋषियों के जमाने में भी रही है। वे प्रचार करते रहे हैं। महात्मा गांधी के प्रचार का असर हुआ। लेकिन अगर भारत सरकार सरकारी तौर पर उन लोगों के लिए रिजर्वेशन न करती—हिन्दुस्तान की तारीख में यह पहला मौका था—, तो आज हिन्दुस्तान की हालत वैसी की वैसी रहती। आज हरिजन बोल सकता है, शिकायत कर सकता है, आवाज उठा सकता है और जहां पर नुकसान हो, उसको पूरा करवाने के लिए हिम्मत रखता है। यह एक बहुत बड़ी बात है, यह छोटी बात नहीं है।

मैं समझता हूं कि टेकनिकल एजूकेशन में कुछ बाधायें पड़ती हैं। हम उनको सुलझाने की कोशिश करें। गुजरात की सरकार ने उनको सुलझाने की कोशिश की है। मैं समझता हूं कि वह एन्टी-हरिजन नहीं है··· (**व्यवधान**)

**श्री राम विलास पासवान :** बिल्कुल एन्टी-हरिजन है। मंत्री महोदय कहें कि प्रोमोशन में

[ श्री राम विलास पासवान ]

रिजर्वेशन रहेगा। वहां की सरकार ने गलत काम किया है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है। उसको कैसे खत्म किया जा सकता है ? मंत्री महोदय बतायें कि प्रोमोशन में रिजर्वेशन रहेगा या नहीं। वह वहां की सरकार को डिफेंड न करें।

श्री जैल सिंह : पासवान जी वैसे ही पासवान हो जाते हैं, इजाजत के बगैर ही पास होने की कोशिश न किया करें।

मैं यह कह रहा था कि कैरी फारवर्ड और इंटर-चेंजेबलिटी ये दो चीजें गुजरात में थीं और उनके बारे में उन्होंने एजीटेटरों के साथ यह फैसला किया कि कैरी फारवर्ड भी नहीं करेंगे और इंटर-चेंजेबलिटी भी नहीं करेंगे लेकिन जो हरिजनों की और आदिवासियों की सीटें रिजर्व्ड हैं उस को हम कम नहीं करेंगे। वह पूरी की पूरी रहेंगी और जहां पर आप यह समझते हैं कि आप का मेरिट मारा गया वहां पर हम सीटें बढ़ा देंगे, स्टाफ बढ़ा देंगे। मैडिकल कौंसिल से इजाजत लेंगे कि उस में कालेज की कैपेसिटी बढ़ा दी जाय।···(व्यवधान)···

श्री आर० एन० राकेश : जितनी सीटें बढ़ेंगी रिजर्वेशन का अंश उसी के अनुपात में बढेगा। पर गृह मंत्री जी किसी स्कूल में गणित पढ़े भी हैं कि नहीं, नहीं कह सकता।···(व्यवधान)···

श्री जैल सिंह : प्रोमोशन के रिजर्वेशन का मसला अलाहिदा है और यह मसला अलाहिदा है। इस को आप मिक्स अप नहीं कर सकते। इस मामले में, मैं यह समझता हूं कि उन्होंने यह फैसला किया कि सबजेक्ट्स चुनने के लिए जो सब से ज्यादा नम्बर लाते हैं उस की पहल होती है लेकिन वहां पर यह था कि जितनी परसेंटेज रिजर्वेशन की है उस में सबजेक्ट्स लेने में भी वह रिजर्वेशन के मुताबिक आएं। तो वहां की सरकार ने यह फैसला किया कि मेरिट से जो आते हैं और वे समझते हैं कि उनकी सीट छीन कर हरिजन को देते हैं···(व्यवधान)···

श्री राम विलास पासवान : छीन कर देते हैं, यह आप क्या कह रहे हैं ? ला मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं, वह बताएं यह गृह मंत्री जी क्या कह रहे हैं—छीन कर देते हैं, यह आप कैसे कह रहे हैं ? आप इस तरह की बात मत करिए कि छीन कर देते है।···(व्यवधान)···

श्री मनीराम बागड़ी : यह छीन कर शब्द तो वापस लेना चाहिए।

श्री जैल सिंह : आप मैडिकल कौंसिल के फैसले को तो नहीं बदल सकते। लेकिन उसी सबजेक्ट पर जो बढ़िया से बढ़िया सबजेक्ट होगा वह हरिजन से नहीं छीना जायगा लेकिन उस जगह पर नम्बर 2 दे दिया जायगा जो ऊपर क्लास के लोग मांगते हैं ताकि जो हरिजन को मिलने वाली सीटें हैं वह छीनी न जायं जो वह छीन कर लेना चाहते थे। लेकिन उन्होंने छीनने से रोका और कहा कि वह सीटें रिजर्वेशन के मुताबिक वह जो सबजेक्ट चुना जायगा उसमें वह हरिजनों को ही मिलेगा। लेकिन आपके लिये हम एक पोस्ट की बजाये दो पोस्ट उसकी कर देंगे ताकि आप का जो सबजेक्ट है वह आप को मिल सके।···(व्यवधान)···

**श्री मनीराम बागड़ी :** यह छीनने का जो शब्द है, इस को वापस करवायें, यह शब्द गलत है।

**श्री जैल सिंह :** अब इन बातों के होते हुए आनरेजल मेम्बर साहबान से कहता हूं कि बात चीत करने के लिए कितनी बार कहा गया, निगोशिएशंस करने के लिए कितनी बार कहा गया, गुजरात के मुख्य मंत्री ने सब पार्टियों से बात की और फिर एक बहुत बड़े सोशल वर्कर ने सब पार्टियों को बुला कर बात की और एजीटेटरों से भी बात की। बातचीत करने के बाद हरिजनों का नुकसान किए बगैर उनको इस बात पर रजामन्द किया। वह रजामन्द होकर चले गए। रजामंद होने के बाद उन्होंने अपनी जनरल कोंसिल में जाकर उस बात को नहीं माना और फिर भी यह आन्दोलन जारी रहा तो मैं यह समझता हूं कि अगर इतना रीजनेबल होते हुए, गुजरात की सरकार डटकर उस आंदोलन को दबाने के लिए कोशिश करती है तो फिर मैं अदब से विनती करूंगा मेम्बरों से कि यह कहना कि कोई जुल्म करती है, यह अच्छा नहीं है, यह न्याय नहीं है। क्योंकि जब हरिजनों के घरों को जलाने के लिए, आप मानते हैं कि वह लोग आ जाते हैं, मारने के लिए वह लोग आते हैं, लूटने के लिए वह लोग आते हैं तो उनको पीछे हटाने के लिए, उनकी जिन्दगी को बचाने के लिए, अगर पुलिस को कहीं गोली चलानी पड़े तो उसको आप जुल्म नहीं कह सकते। वह करना पड़ेगा।

**श्री राम विलास पासवान :** गोली चलायेंगे हरिजनों पर क्या ? (व्यवधान) गोली चली है हरिजनों पर। (व्यवधान)

**श्री जैल सिंह :** इस तरह के दंगे फसाद हों, कास्टीज्म के हों, काम्युनेलिज्म के हों, इन दंगों में कास्ट का, मजहब का नाम नहीं दिया जाता लेकिन मैं भरोसे से कहता हूं, कोई भी आकर देख ले, कि पुलिस की गोली से हरिजनों की निस्बत कास्ट हिन्दूज की मौतें ज्यादा हुई हैं।..... (व्यवधान)

**श्री राम विलास पासवान :** वाह वाह। क्या आप चाहते हैं हरिजनों की भी ज्यादा मौतें हों ?...(व्यवधान) इस तरह से तो इस समस्या का हल नहीं होगा। कास्ट हिन्दूज ज्यादा मारे गए हैं तो क्या हरिजन भी ज्यादा मारे जाने चाहिए। (व्यवधान)

**श्री जैल सिंह :** चेयरमैन साहब, यह तरीका गलत है। आप लोग बैठिए, आपकी बात हमने गौर से सुनी है।

**श्री आर० एन० राकेश :** मैं मंत्री जी को चैलेंज करता हूं, वे साबित करें कि हरिजनों के मुकाबले कास्ट हिन्दूज ज्यादा मारे गए हैं तो मैं लोकसभा से अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं अन्यथा गृह मंत्री जी अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। (व्यवधान) बोलिए गृह मंत्री जी चुनौती स्वीकार है। काश आप बंधुवा मजदूर की हालत में न होते।

**श्री जैल सिंह :** चेयरमैन साहब, यह सरकार की स्पष्ट जिम्मेदारी है कि किसी को भी

[ श्री जैलसिंह ]

मरने न दिया जाय, उनको बचाने की कोशिश की जाए। हरिजनों को बचाना और दूसरे लोगों को भी बचाना सरकार का फर्ज है। किसी के साथ द्वैष रखना और किसी को कमजोर करने में सरकार का खामोश रहना—यह सरकार की नीति के खिलाफ है। हम कोशिश करते हैं कि सभी जिन्दा रहें, आराम और शांति से रहें, कोई भी किसी को दबा न सके। यहां पर जो दबाने वाले आए, उनके आने की वजह से ही उनकी ज्यादा मौतें हुई हैं क्योंकि हरिजनों को बचाने के लिए गुजरात की पुलिस ने काम किया और गुजरात की सरकार ने काम किया। (व्यवधान)

10.48 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार,
6 मार्च, 1981, 15 फाल्गुन, 1902 (शक) के ग्यारह बजे
तक के लिये स्थागित हुई।

---

आकाश दीप प्रिंटर्स, 20 दरियागंज द्वारा मुद्रित।